

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2024-25



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

**International Financial
Services Centres Authority**



वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में 28 फरवरी 2022 को अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां और विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है।



K.Rajaraman
Chairperson



सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

आईएफएससीए-ईसीपीए/2/2025- इकनॉमिक पालिसी एंड एनालिसिस
जून 30, 2025

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,


(के राजारामन)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

IFSCA-EcPA/2/2025-Economic Policy and Analysis
June 30, 2025

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2025, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,


(K. Rajaraman)

Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800



खंड – क



लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित है। आईएफएससीए (इसके पश्चात 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) का मुख्य प्रयोजन व्यवसाय प्रक्रिया को सहज बनाने पर आधारित विश्व स्तरीय परितंत्र (इकोसिस्टम) सृजित करने के अधिदेश के साथ भारत में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (आईएफएससीज) में वित्तीय सेवाओं को विकसित और विनियमित करना और भारत में आईएफएससीज को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए पंसदीदा वैश्विक गंतव्य स्थल बनाने के लिए अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम नियामक तंत्र प्रदान करना है। आईएफएससीए एक एकीकृत वित्तीय विनियामक है, जिसके पास आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय उत्पादों को विनियमित करने की शक्तियां हैं। आईएफएससी का विनियमन करने के लिए आईएफएससीए को रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की शक्तियां दी जा रही हैं। गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र है।

विजन

क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में सेवा करने के अलावा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को विश्व स्तरीय रूप में बेन्चमार्क किया हुआ नियामक परिवेश प्रदान करना और भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए इन केन्द्रों का विकास करना।

मिशन

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को व्यवसाय समर्थक परिवेश के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा, पूंजीबाजार, और अन्य सहायक क्रियाकलापों के लिए वैश्विक रूप से विविधतापूर्ण और प्रतिस्पर्धी वित्तीय केन्द्रों के रूप में विकसित करना जो प्रगतिशील नियामक संरचना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अवसंरचना और प्रतिभावान वित्तीय पेशेवरों से विधिवत समर्थित हों और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्र दोनों की सम्यक रूप से सेवा करें।

लक्ष्य और उद्देश्य

1. भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का सुदृढ़ आधार विकसित करने में सुविधा देना
2. अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को भारत में लाने और भारत से ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों को प्रमुख द्वार के रूप में बढ़ावा देना
3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक केन्द्र के रूप में उभरना
4. सुदृढ़ विनियमन और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी के अनुरूप सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं सहित अत्याधुनिक एकीकृत विनियामक व्यवस्था प्रदान करना
5. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अधिकारक्षेत्रों के साथ सुदृढ़ वैश्विक सम्पर्क विकसित करना



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अध्यक्ष का संदेश

वित्तीय वर्ष 2024-25 हमारे संगठन और भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए एक प्रमुख अध्याय का निर्धारण करता है, क्योंकि सरकार द्वारा सुधार के साहसी और रणनीतिगत विजन ने अंतरराष्ट्रीय वित्त के भूतृश्य को पुनः परिभाषित करना जारी रखा है। गिफ्ट सिटी, भारत में परिचालित प्रथम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और आईएफएससी है, जो इस अंतरण के अग्रभाग में अवस्थित है, और इस प्रभावशाली वर्ष में इसकी प्रगति और दृष्टिकोण को साझा करने में मुझे प्रसन्नता है।



श्री के. राजारामन

अध्यक्ष

- माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 के विजन ने नए युग के अनुरूप नए कानूनों से औपनिवेशिक विधिक संरचना को बदलने पर फोकस करने वाले गहन सुधारों, जहां विनियमों की अपेक्षा नहीं है उन क्षेत्रों में विनियमों को सरल बनाने और विनियमों को हटाने, शोध के लिए निधि प्रदान करके उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों के साथ विनिर्माण क्षेत्र को समर्थनकारी वित्त प्रदान करके, भारत में डिजाइनिंग को प्रोत्साहित करके, सन 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 500 जीडब्ल्यू की क्षमता जोड़ने पर नेट शून्य एजेन्डा पर फोकस करते हुए सन 2070 नेट शून्य उत्सर्जन, पूरे भारत और अर्थव्यवस्था, सामाजिक और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में मूलभूत अवसंरचना सेवाओं की परिपूर्णता से बहु-आयामी गरीबी को दूर करने पर फोकस करने वाले उत्प्रेरण से उत्साह का संचय कर लिया है।
- विकसित भारत @2047 के लिए गिफ्ट आईएफएससी का फोकस ऊपर बताए गए प्रोत्साहनों के लिए वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं की सुविधा देने पर है। आईएफएससी एक वैश्विक वित्तीय केन्द्र है जो भारत में कापरेट व्यवसायी गृहों, अवसंरचना कम्पनियों, नवीकरणीय ऊर्जा फर्मों और एसएमई के लिए लागत कुशल पूंजी प्रदान करने के लिए विश्व के सर्वोत्तम वित्तीय संस्थानों को मेजबानी करता है। इसलिए, स्पष्ट, अविरोधी, असंदिग्ध नीतियां, विधियां और विनियम एक अपरिहार्य शर्त हैं। इनमें भी वित्तीय संस्थानों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय उत्पादों के लिए आईएफएससी में टैक्स स्पष्टता प्रदान करना और निश्चित रूप देना महत्वपूर्ण होता है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट 2025 और वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से प्रगतिशील सुधारों और टैक्स नीति परिवर्धनों की एक शृंखला का सूत्रपात किया जो भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गेटवे के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। आईएफएससी में टैक्स रियायतों और प्रोत्साहनों के लिए कई महत्वपूर्ण समापन तारीखों को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है।¹
- उक्त सुधार गिफ्ट आईएफएससी को प्रीमियर वैश्विक वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। परिचालनगत बाधाओं को हटाकर, टैक्स प्रोत्साहनों का विस्तार करके और विनियामक स्पष्टता प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय बैंकों, आस्ति प्रबंधकों, फिन्टेक अन्वेषकों, प्रौद्योगिकी फर्मों, वायुयन लीजिंग और जलयान लीजिंग फर्मों का विकास का मौका दिया गया है। गिफ्ट आईएफएससी की प्रगति को संख्याओं के माध्यम से भी देखा जा सकता है, मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 864² इकाइयों को प्राधिकृत/पंजीकृत/लाइसेन्सकृत किया गया और 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इसमें 35 कारोबारी खंड थे। गिफ्ट आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों ने अब तक बैंकिंग और फंड उद्योग के माध्यम से भारत में तकरीबन 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का अंत पूंजी प्रवाह रहा, जिसमें से 20 बिलियन अमरीकी डॉलर वित्तीय वर्ष 2024-25 में आए थे।
- आईएफएससी के विनियमों, नीतियों और विधिक व्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय केन्द्रों के साथ क्रमांकित करना विधि, विनियम और नीति निर्माण में एक अनवरत प्रथा रही है। सभी परामर्श आलेखों ने आकलन के इस नए आयाम पर शोध किया है कि गिफ्ट आईएफएससी कितने स्पर्धी हो सकते हैं, जब वित्तीय उत्पादों का वस्तुतः विनिर्माण किया जाता है। आईएफएससी की सदस्यता और विनियामक सुधारों यथा — इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज कमीशन (आईओएससीओ), इन्टरनेशनल एसोशिएशन ऑफ इन्व्हेस्टर्स सुपरविजन (आईएआईएस), इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेन्शन सुपरवाइजर्स (आईओपीएस), ग्लोबल फाइनेंसियल इनोवेशन नेटवर्क (जीएफआईएन) आदि में सहभागिता के माध्यम से वैश्विक विनियामकों के साथ सतत अंतर्क्रियाएं प्रदान की जाती हैं। इसने आईएफएससी को विनियमन और पर्यवेक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं के आकलन में सहायता की है।
- बैंकिंग क्षेत्र ने भी नई ऊंचाइयों पर जाना बनाए रखा — 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 29 बैंकों को आईएफएससी बैंकिंग यूनिटें (आईबीयू) स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिए गए। कुल बैंकिंग आस्तियां 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 88.51 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गईं जिसमें ऋण की बकाया राशि 59.95 बिलियन अमरीकी डॉलर रही। मार्च 2025 को आईबीयू के कुल ऋण जोखिम का 74.5% भारत को और 25.5% अन्य देशों को था, जो यह प्रकट करता है कि आईएफएससी बैंकों का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। इन 29 बैंकों में से 10 बैंक वैश्विक रूप से प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) हैं। आईबीयू ने अपने परिचालनों को ट्रेड वित्त, वैश्विक और क्षेत्रीय ट्रेजरी केन्द्रों, परियोजना वित्त, ओटीसी डेरिवेटिव, बीमा कापरेट एजेन्ट सेवाओं आदि पर फोकस करते हुए बढ़ाया है। आईबीयू ने विमानन और शिपिंग आस्तियों के वित्तपोषण भी आरंभ किए हैं। अपने 7500 से भी अधिक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाकर्ताओं की 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक की बचत आईबीयू में है, तो अब आईएफएससी का फोकस बैंकिंग, बीमा, पेन्शन और पूंजी बाजार के क्षेत्रों में उपयोगी वित्तीय उत्पादों के कई प्रकारों के साथ पूरे विश्व के 15.8 मिलियन से भी अधिक एनआरआई को सेवा देने पर रहेगा।
- आईएफएससी पूंजी बाजारों ने औसत मासिक टर्नओवर के साथ आगे बढ़ना जारी रखा जिसमें एनएसई आईएक्स गिफ्ट निफ्टी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 93 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। इंडिया आईएनएक्स ने भी गिफ्ट सेनसेक्स आरंभ किया है और इनकी मात्राएं भी बढ़ने लगी हैं। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों — इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स में ऋण प्रतिभूतियों की संचयी लिस्टिंग 65 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गई है। गैर-सूचीबद्ध और सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों की सीधी लिस्टिंग से संभावना है कि निवेशकों को

¹ बजट 2025

² 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार संचयी संख्या

निवेश के विकल्प मिलेंगे। पूंजी बाजार में फिनटेक खिलाड़ियों ने रिटेल निवेशकों तक महत्वपूर्ण रूप से अभिगम बढ़ रहा है। मार्च 2025 तक आईएफएससी डिपोजिटरी के साथ आईएफएससी स्टोक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग करने वाले रिटेल निवेशकों के 65,000 से भी अधिक डीमैट खाते खोले गए।

8. फंड उद्योग ने भी बड़ी उन्नति की है — 31 मार्च 2025 की यथा स्थिति अनुसार 162 फंड प्रबंधक प्रतिष्ठानों ने 229 फंड आरंभ किए। फंड प्रबंधन प्रतिष्ठान विनियमों में संशोधन से सरलता आई है जिसमें स्कीमों के न्यूनतम आकार को कम करना, पोर्टफोलियो प्रबंधन स्कीमों के निवेश आकार को कम करना, आदि शामिल हैं। इन संशोधनों का फोकस छोटे निवेशकों के लिए बाधाओं को कम करना और लघुतर फंडों के प्रवेश के लिए अनावश्यक अनुमोदनों दूर करने और बाधाओं को कम करने पर रहा। 14 स्कीमों को विदेशी अधिकारक्षेत्रों से गिफ्ट आईएफएससी में लाया गया। आईएफएससी फंडों ने संचयी रूप से 50 से भी अधिक देशों के 3000 से भी अधिक निवेशकों से 15.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की वचनबद्धता हासिल की और 8 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश हुआ।
9. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 18 आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) ने प्रीमियम के रूप में 207.7 मिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार किया, जबकि 27 आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) ने 302.6 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रीमियम के रूप में दर्ज किए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्बीमा कुल प्रीमियम के रूप में 191.07 मिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज हुए। सीधा बीमा प्रीमियम 13.48 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। आईएफएससीए द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है कि ट्रेड बीमा, भुगतान नहीं मिलने का बीमा, आदि जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों को तैयार करने की सक्षमता दी जाए। आईएफएससीए रिटेल प्रत्यक्ष बीमा उत्पादों पर भी फोकस करेगा ताकि समूचे विश्व में रह रहे 15.8 मिलियन अनिवासी भारतीयों और 19.5 मिलियन से भी अधिक भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) को सेवाएं दी जा सकें।
10. विशुद्ध-शून्य@2070 की दिशा में भारत की यात्रा में विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रचुर पूंजी संसाधनों की अपेक्षा होगी, साथ ही उपशमन-काठिन्य क्षेत्रों में विशाल यूनिटों के लिए अंतरण वित्तीयन व्यवस्था भी प्रदान करनी होगी ताकि वे हरित तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपना सकें। गिफ्ट आईएफएससी सतत वित्त के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है, क्योंकि आईबीयू द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिए गए कुल संधारणीय ऋण 3380 मिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गए और आईएफएससी एक्सचेंजों में ईएसजी ऋणों की संचयी लिस्टिंग 15.43 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। अंतरण वित्त पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया, जिसकी संस्तुतियों पर अंतरण बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। आईएफएससीए ने एक विनियामक व्यवस्था भी जारी की है ताकि ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं और ईएसजी डाटा प्रदाताओं को समर्थन दिया जा सके कि वे विनियमित प्रतिष्ठानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें।
11. गिफ्ट आईएफएससी विशिष्ट व्यवसायों के लिए उत्तरोत्तर बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है, जैसे वायुयान और जलयान पट्टादाताओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 32 और 24 हो गई है।³ इसके पास 242 वायुयान आस्तियां हैं, जिनमें 90 वायुयान, हेलिकॉप्टर, ट्रेनर, आदि शामिल हैं, और 18 बड़े जलपोत हैं जिनमें बड़े आकार वाले कूड और ईथेन वाहक पोत हैं जिन्हें गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से लीज पर दिया जा रहा है, इसकी गति बढ़ती जा रही है अब वैश्विक शिपिंग और भारतीय एयरलाइन कम्पनियों अपने परिचालन आरंभ कर रही हैं। संसद द्वारा विमान उपकरणों में हित-संरक्षण अधिनियम, 2025 को पारित किया जाना केप टाउन समझौते को पूरी तरह से स्वीकार करने की दिशा में बड़ा कदम है, इससे एयरलाइनों को वायुयान लीजिंग में न्यूनतर जोखिम का सामना करना पड़ेगा।
12. आईएफएससीए में सभी विनियमों का प्रारूपण आईएफएससीए (विनियम बनाने की पद्धति) विनियमावली, 2021 के अनुसार एक गहन परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। विनियमों के प्रारूपों को इस परामर्श के बाद ही जारी किया जाता है। हमारा अभिप्राय रहता है कि इसे और अधिक सार्थक बनाएं, इसके लिए कतिपय जटिल विनियमों के लिए भौतिक अथवा ऑनलाइन परामर्श मंचों का आयोजन किया जाता है। मई और जून 2024 में वार्षिक चिन्तन शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें 40 सीईओ ने हिस्सा लिया और बाजार की गतिशीलता के बारे में गहरे तथ्यों को बताया और सुधार हेतु सुझाव दिए।
13. गिफ्ट आईएफएससी की स्पर्धात्मकता में व्यवसाय करने की सहजता एक प्रमुख तत्व है। आईएफएससीए के एकल विन्डो आईटी सिस्टम का आरंभ 16 सितम्बर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने किया जिससे आवेदनों पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होने लगी। स्विट को और भी समुन्नत किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में स्विट 2.0 को जारी किया जाएगा। व्यवसाय की सहजता के लिए एक टास्क फोर्स ने आईएफएससीए के भीतर और इसके बाहर आवेदकों के सामने आने वाली विनियामक प्रक्रियाओं और कठिनाइयों पर फोकस करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें आईएफएससीए विनियमों, कम्पनी अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, एसईजेड नियमावली, आदि के विभिन्न पक्षों को समाहित किया गया है।
14. सभी संघटकों के लिए पर्यवेक्षण टीमों को सुदृढ़ करना आईएफएससीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण और रिपोर्टिंग फार्मेट का मानक रूप देने से आईएफएससीए की पर्यवेक्षण टीमों प्रभावी ऑफसाइट (रिपोर्ट आधारित) पर्यवेक्षण और भौतिक निरीक्षण का कर पा रही हैं। प्रवर्तन प्रभाग भी स्थापित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुछ प्रवर्तन आदेश भी जारी किए गए जो गलती करने वाले प्रतिष्ठानों को स्पष्ट संदेश देते हैं। विनियमित प्रतिष्ठानों को विनियामक प्रत्याशाओं को स्पष्ट रूप से बताने के लिए सभी पर्यवेक्षी टीमों द्वारा अनुपालन अधिकारियों और विनियमित प्रतिष्ठानों के अन्य कार्यचालकों के लिए एक वार्षिक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है।
15. अविचल समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए मैं अपने सभी स्टेकधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक साथ मिलकर हम समृद्धता, सहनीयता और वैश्विक नेतृत्व को एक आकार देंगे जिसकी परिकल्पना विकसित भारत @2047 हेतु योजना में की गई है।

आइए, खुले मन, विश्वास और संकल्प के साथ आने वाले अवसरों को अंगीकार किया जाए।

³ आईएफएससीए व्यवसाय की मुख्य बातें

प्राधिकरण के सदस्य
(31.03.2025 की यथास्थिति अनुसार)



श्री के. राजारामन
अध्यक्ष



श्री पंकज शर्मा
सदस्य

संयुक्त सचिव,
वित्तीय सेवाएं कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार



श्रीमती सुरभि जैन
सदस्य

संयुक्त सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार



श्री प्रमोद राव
सदस्य

कार्यपालक निदेशक,
भारतीय प्रतिभूति और
विनियम बोर्ड



श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
सदस्य

सदस्य (बीमांकक),
भारतीय बीमा विनियामक और
विकास प्राधिकरण



श्री आर. लक्ष्मी कांत राव
सदस्य

कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक



सुश्री ममता रोहित
सदस्य

कार्यपालक निदेशक,
पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन
(31.03.2025 की यथास्थिति अनुसार)

नाम	पदनाम
श्री प्रवीण त्रिवेदी	कार्यपालक निदेशक
श्री दीपेश शाह	कार्यपालक निदेशक
श्री प्रदीप रामाकृष्णन	कार्यपालक निदेशक
श्री के. महीपाल रेड्डी	कार्यपालक निदेशक
श्री सुप्रियो भट्टाचार्य	मुख्य महाप्रबंधक
श्री आशुतोष शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक
श्री जोसफ जोशी सी जे	मुख्य महाप्रबंधक
श्री प्रदीप देव	मुख्य महाप्रबंधक

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ सं
खंड – क	III
लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण	V
अध्यक्ष का संदेश	VII
प्राधिकरण के सदस्य (31.03.2025 की यथास्थिति के अनुसार)	IX
प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन (31.03.2025 की यथास्थिति के अनुसार)	X
सारणियों की सूची	XII
डाटा परिशिष्ट	XIV
आरेखों की सूची	XV
बोक्सों की सूची	XV
चित्रों की सूची	XVI
संक्षेपाक्षर	XX
खंड – ख : समीक्षाधीन वर्ष : सामान्य आर्थिक परिवेश का परिदृश्य	1
वैश्विक आर्थिक आकलन और दृष्टिकोण	2
भारत : आर्थिक आकलन और संभावनाएं	6
खंड – ग : प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की समीक्षा	17
बैंकिंग और भुगतान सेवाएं	18
वित्तीय कम्पनियां	28
पूंजी बाजार	34
ग्राहक शिक्षण और संरक्षण	54
निधि प्रबंधक	57
धातुएं और पण्य	64
फिनटेक	73
बीमा और पेन्शन	80
वैश्विक इनहाउस केन्द्र	89
संधारणीय वित्त	90

विवरण	पृष्ठ सं
आनुषंगित और बीएटीएफ सेवाएं	99
विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान	103
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा	107
धनशोधन रोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार (सीएफटी)	111
एसईजेड प्रशासन (आईएफएससीए)	114
प्रवर्तन	118
विकासात्मक गतिविधियां	119
खंड – घ : प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यपालक और अर्ध न्यायिक कार्य	141
खंड – ङ: प्राधिकरण के निष्पादन का आकलन	155
खंड – च : निधियों के श्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र	159
खंड – छ : संगठनात्मक मामले	161
खंड – ज : लेखापरीक्षा समितियां	173
डाटा परिशिष्ट	175

सारणियों की सूची

विवरण	पृष्ठ सं
सारणी 1: आईएफएससी में आईबीयू और जीएओ की संख्या	20
सारणी 2: आईबीयू में कुल आस्तियां (बकाया)	21
सारणी 3: सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या	21
सारणी 4: ओवर दि काउन्टर (ओटीसी) डेरिवेटिव संविदाओं में बकाया	23
सारणी 5: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार पीएसपी और पीएसओ की संख्या	24
सारणी 6: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत वित्तीय कम्पनियां	31
सारणी 7: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार वायुयान पट्टादाता प्रतिष्ठानों द्वारा पट्टे पर दी गई आस्तियां	31
सारणी 8: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार जलयान पट्टादाता प्रतिष्ठानों द्वारा पट्टे पर दी गई आस्तियां	31
सारणी 9: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार वैश्विक/क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्रों (जीआरसीटीसी) के कारोबारी विवरण	31
सारणी 10: कोर वित्त कम्पनियों (उदा. उधारियां, निर्यात वित्तीयन) के कारोबारी विवरण	31
सारणी 11: आईटीएफएस प्लेटफार्मों द्वारा सुविधाकृत संव्यवहार	32

विवरण	पृष्ठ सं
सारणी 12 : आईएफएससी में ब्रोकर डीलर	40
सारणी 13 : आईएफएससी स्टोक एक्सचेंजों द्वारा ओनबोर्ड किए गए दूरस्थ कारोबारी सहभागी (आरटीपी)	40
सारणी 14 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससी में क्लीयरिंग सदस्य	40
सारणी 15 : इन्डेक्स वायदा में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर	43
सारणी 16 : इन्डेक्स ऑप्शन में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर	43
सारणी 17 : इंडिया आईएनएस पर पण्य डेरिवेटिव में टर्नओवर	43
सारणी 18 : एनएसई आईएक्स पर करेन्सी डेरिवेटिव में टर्नओवर	44
सारणी 19 : स्टोक एक्सचेंजों में संविदा-अनुसार टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)	44
सारणी 20 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ओफसाइट पर्यवेक्षण के आधार पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई का सारांश	48
सारणी 21 : गिफ्ट आईएफएससी में फंड प्रबंधन परितंत्र	61
सारणी 22 : पंजीकृत एफएमई की संख्या	62
सारणी 23 : फंड प्रबंधन स्कीमों द्वारा निवेश	62
सारणी 24 : इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) पर सहभागी	69
सारणी 25 : आईआईबीएक्स पर विनियमित प्रतिष्ठान / मध्यस्थ	69
सारणी 26 : आईआईबीएक्स पर सौदों का उत्पाद अनुसार सारांश	70
सारणी 27 : आईएफएससी एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग (बिलियन यूएसडी में)	92
सारणी 28 : आईबीयू द्वारा समग्र संधारणीय वित्तपोषण	92
सारणी 29 : आईबीयू द्वारा क्षेत्र-अनुसार संधारणीय वित्तपोषण	93
सारणी 30 : प्राधिकृत किए गए आनुषंगिक सेवादाता प्रतिष्ठानों का क्रियाकलाप अनुसार विवरण	101
सारणी 31 : प्राधिकृत किए गए बीएटीएफ सेवादाता प्रतिष्ठानों का क्रियाकलाप अनुसार विवरण	101
सारणी 32 : वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित यूएसी बैठकों के विवरण	115
सारणी 33 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एलओए प्रोसेस के बाद के विवरण	116
सारणी 34 : विनियमों की सूची	143
सारणी 35 : प्रमुख अधिसूचनाओं की सूची	145
सारणी 36 : प्रमुख परिपत्रों/दिशानिदेशों की सूची	146
सारणी 37 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निधियों के स्रोत	160
सारणी 38 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र	160
सारणी 39 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण की संरचना	162
सारणी 40 : आईएफएससीए प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित बैठकें	163
सारणी 41 : आईएफएससीए के कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या	163
सारणी 42 : आईएफएससीए में 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार परामर्शदाता	164
सारणी 43 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति	164

डाटा परिशिष्ट

विवरण	पृष्ठ सं
परिशिष्ट सारणी 1 : एसईजेड एलओएस के आधार पर आईएफएससीए द्वारा जारी लाइसेन्स/पंजीकरण	176
परिशिष्ट सारणी 2 : आईबीयू की आस्तियां	177
परिशिष्ट सारणी 3 : आईबीयू की देयताएं	178
परिशिष्ट सारणी 4 : ग्राहकों की जमाराशियां (मिलियन यूएसडी में)	178
परिशिष्ट सारणी 5 : ग्राहकों की जमाराशियां	178
परिशिष्ट सारणी 6 : आईबीयू की ओडीआई बकाया (मिलियन यूएसडी)	178
परिशिष्ट सारणी 7 : आईबीयू के उद्योग अनुसार ऋण जोखिम	179
परिशिष्ट सारणी 8 : आईबीयू का देश अनुसार जोखिम	179
परिशिष्ट सारणी 9 : आईएफएससी स्टोक एक्सचेन्जों का टर्नओवर (सौदाकृत मूल्यमान मिलियन यूएसडी)	181
परिशिष्ट सारणी 10 : सकल ओपन इन्ट्रेस्ट — आईएफएससी स्टोक एक्सचेन्जों में सभी डेरिवेटिव संविदाएं	181
परिशिष्ट सारणी 11 : इंडिया आईएनएक्स वैश्विक अभिगम	181
परिशिष्ट सारणी 12 : इंडिया आईएनएक्स वैश्विक अभिगम के माध्यम से वैश्विक एक्सचेन्जों में कारोबार (सौदाकृत मूल्यमान : मिलियन यूएसडी)	181
परिशिष्ट सारणी 13 : डिपोजिटरी में डीमैट खातों की संख्या	181
परिशिष्ट सारणी 14 : क्लीयरिंग कोर्पोरेशन द्वारा निपटान	182
परिशिष्ट सारणी 15 : गिफ्ट आईएफएससी में फंड प्रबंधन स्कीमों द्वारा निवेश	182
परिशिष्ट सारणी 16 : आईएफएससी फंड में निवेशकों की संख्या	183
परिशिष्ट सारणी 17 : फंड प्रबंधन क्रियकलापों की प्रवृत्तियां	183
परिशिष्ट सारणी 18 : पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस)	183
परिशिष्ट सारणी 19 : आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) और मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) द्वारा लिखित/संव्यवहृत प्रीमियम	183
परिशिष्ट सारणी 20 : कारोबारी लाइन के अनुसार डायरेक्ट बीमा कारोबार (जीवन और सामान्य)	184
परिशिष्ट सारणी 21 : लाइन ऑफ बिजनेस के अनुसार पुनर्बीमा कारोबार	184
परिशिष्ट सारणी 22 : दावों के आंकड़े (रिटेल / पुनर्बीमा)	185
परिशिष्ट सारणी 23 : आईएफएससी में फिनटेक परितंत्र	185

आरेख सूची

विवरण	पृष्ठ सं
आरेख 1 : आईबीयू की कुल आस्तियों की संवृद्धि (मिलियन यूएसडी)	21
आरेख 2 : आईबीयू के प्रमुख क्रेडिट उत्पादों की बकाया (मिलियन यूएसडी)	22
आरेख 3 : निवेश प्रोफाइल - मिलियन यूएसडी	22
आरेख 4 : जमाराशियों की संवृद्धि (मिलियन यूएसडी में)	23
आरेख 5 : आईबीयू का प्रमुख देशों में ऋणजोखिम	24
आरेख 6 : आईएफएससी में वित्तीय कम्पनियों की संवृद्धि	32
आरेख 7 : स्टोक एक्सचेन्जों में टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)	42
आरेख 8 : ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग (बिलियन यूएसडी में)	44
आरेख 9 : आईएफएससी में ऋण निर्गमनों की प्रवृत्तियां	45
आरेख 10 : ऋण के निर्गम आकार अनुसार वितरण	46
आरेख 11 : अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरियों के अनुसार निर्गमन वितरण	46
आरेख 12 : आईआईओ का वर्गीकरण	83
आरेख 13 : आईआईआईओ का वर्गीकरण	83
आरेख 14 : आईआईओ द्वारा हामीदारीकृत कारोबार (मिलियन यूएसडी)	84
आरेख 15 : आईआईआईओ द्वारा किया गया कारोबार (मिलियन यूएसडी)	84
आरेख 16 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार ईएसजी ऋण प्रतिभूतियां (बिलियन यूएसडी)	92
आरेख 17 : 31 मार्च 2025 तक जारी किए गए एलओए का क्षेत्र अनुसार वितरण	116

बोक्स सूची

विवरण	पृष्ठ सं
बोक्स 1 : आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 की समीक्षा	59
बाक्स 2 : एनआरआई/ओसीआई निवेशकों के लिए निवेश सहजता	60
बोक्स 3 : आईएफएससी में ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों में ग्रीनवार्शिंग के जोखिम को कम करने के सिद्धांत	93
बोक्स 4 : एआईएसपी परिपत्र के प्रमुख फीचर	102

चित्रों की सूची

विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 1 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए — एचएसबीसी ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट, हांगकांग, 2024 में	26
चित्र 2 : अध्यक्ष, आईएफएससीए — वाइस चेयरमैन, एफसीए कोरिया के साथ	26
चित्र 3 : सुश्री रिद्धि भंडारी, महाप्रबंधक, आईएफएससीए — आईएफएससीए सीपीएसई शीर्षबैठक 2.0 के दौरान	32
चित्र 4 : श्री अर्जुन प्रसाद, महाप्रबंधक, आईएफएससीए — विश्व निवेशक सप्ताह के दौरान क्लोजिंग बेल समारोह में सहभागिता करते हुए।	50
चित्र 5 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए — जीएसएमसी के उद्घाटन समारोह में सहभागिता करते हुए।	50
चित्र 6 : श्री प्रदीप रामाकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए — 'नेतृत्व संवाद : संधारणीय वित्त विनियम और नीति' पर टोक्यो में एक पैनल चर्चा में	52
चित्र 7 : अध्यक्ष, आईएफएससीए — फंड प्रबंधन उद्योग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ	63
चित्र 8 : सीमापर डाटा अंतरण पर कार्यशाला में आईएफएससीए की सहभागिता	76
चित्र 9 : श्री जोसेफ जोशी, मुख्य प्रौद्योगिकीय अधिकारी, आईएफएससीए ने जी 20 शिखर सम्मलेन कक्ष में स्टार्टअप नीति फोरम बैठक, 2025 में हिस्सा लिया	76
चित्र 10 : अध्यक्ष, आईएफएससीए — सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) 2024 में	78
चित्र 11 : अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल — आईएफएससीए-इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन में	87
चित्र 12 : रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय विशेषज्ञ समिति के सदस्य	94
चित्र 13 : अध्यक्ष, आईएफएससीए श्री के. राजारामन - जीएसएस+बोन्ड प्रशिक्षण कार्यशाला में अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ	96
चित्र 14 : आईएसएसबी मानकों के अन्य प्रयोगों के लिए नेटवर्क के जीईएमसी सदस्य	97
चित्र 15 : बंगलोर चैम्बर ओफ इन्डस्ट्री एन्ड कामर्स (बीसीआईसी) के समक्ष गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिकों के लिए अवसरों पर प्रस्तुति	101
चित्र 16 : गिफ्ट आईएफएससी में डीकिन यूनिवर्सिटी	105
चित्र 17 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए — श्री हर्ष सांघवी, माननीय राज्य मंत्री — गृह और उद्योग और अन्य उच्चाधिकारी — आईएफएससीए टेलेन्ट विस्टा समिट, 2024 में	106
चित्र 18 : माननीय प्रधानमंत्री 16 सितम्बर 2024 को एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली का शुभारंभ करते हुए	107
चित्र 19 : एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली का इनटिटी लॉगइन इंटरफेस	108

विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 20 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री विवेक अग्रवाल, निदेशक, एफआईयू-भारत - आईएफएससीए के वार्षिक वित्तीय अपराध - रोधी सम्मेलन में अभिभाषण करते हुए	112
चित्र 21 : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की उपस्थिति में आईएफएससीए ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए	119
चित्र 22 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए आईओएससीओ वार्षिक बैठक 2024 के दौरान आईओएससीओ बोर्ड के अध्यक्ष श्री जीन पोल सर्वाइस की उपस्थिति में ईएमएमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए	120
चित्र 23 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री उत्मान अल-ईसा, वाइस चेयरमैन, कैपिटल मार्केट अथोरिटी ओफ कुवैत के बीच कुवैत में भारत के राजदूत डॉ. आदर्श स्वाइका की मौजूदगी में एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए	120
चित्र 24 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और प्रो. शिबली रुबैय्यत-उल इस्लाम, अध्यक्ष, बीएसईसी के साथ आईओएससीओ वार्षिक बैठक के दौरान अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।	121
चित्र 25 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री विवेक अग्रवाल, निदेशक एफआईयू-आईएनडी एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए	121
चित्र 26 : आईएफएससीए और इंस्टीट्यूट ओफ कोस्ट एकाउन्टेन्ट्स ओफ इंडिया (आईसीएमएआई) एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए-	122
चित्र 27 : आईएफएससीए और वित्तीय योजना मानक बोर्ड (एफपीएसबी) के बी एमओयू का आदान-प्रदान	123
चित्र 28 : आईएफएससीए के अध्यक्ष और स्टाफ श्री शशिकांत दास, गवर्नर, आरबीआई और डॉ. हसमुख अधिया, अध्यक्ष गिफ्ट सिटी के साथ	124
चित्र 29 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - डॉ. तमीअ अहमद अली अल - बुतामी अल - बिनाली, सीईओ, कतर फाइनेंसियल मार्केट अथोरिटी (क्यूएफएमए) के साथ - श्री संदीप कुमार, डिप्टी चीफ ओफ मिशन, भारतीय दूतावास, दोहा, कतर की मौजूदगी में	126
चित्र 30 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - कतरी कारोबारियों और भारतीय जनों के साथ - दोहा में कतर में भारत के राजदूत श्री विपुल की मौजूदगी में।	126
चित्र 31 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - आबू धाबी ग्लोबल मार्केट फाइनेंसियल सर्विसेज रेग्युलेटरी अथोरिटी (एडीजीएम एफएसआरए)	127
चित्र 32 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - डॉ. मरियम अल सुवैदी, सीईओ, सिक्यूरिटीज एण्ड कमोडिटीज अथोरिटी (यूईई - एससीए)	127

विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 33 : अध्यक्ष, आईएफएससीए — श्री आरिफ आमिरी, सीईओ, दुबई इन्टरनेशनल फाइनेंसियल सेन्टर के साथ	128
चित्र 34 : अध्यक्ष, आईएफएससीए — अध्यक्ष, टीएबीएफ और ताइवान के प्रतिनिधिमंडल के साथ	129
चित्र 35 : अध्यक्ष, आईएफएससीए और संयुक्त सचिव, डीईए — यू के प्रतिनिधिमंडल के साथ	130
चित्र 36 : श्रीमती सुरभि जैन, संयुक्त सचिव, डीईए — आईएफएससीए सीपीएसई समिट 2.0 के दौरान संबोधित करते हुए	131
चित्र 37 : आईएफएससीए के अध्यक्ष, "गिफ्ट सिटी में भारत के पहले आईएफएससी में व्यावसायिक अवसर" विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए	132
चित्र 38 : अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पसों और प्रतिष्ठित शिक्षण केन्द्रों के लिए आईएफएससीए के तहत विनियामक व्यवस्था की सामान्य जानकारी देते हुए डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए	133
चित्र 39 : गिफ्ट आईएफएससी में आयरिश विश्वविद्यालयों के लिए अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस में अवसरों के बारे में गोलमेज वार्ता	133
चित्र 40 : गिफ्ट आईएफएससी में यूके विश्वविद्यालयों के लिए अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस अवसरों पर गोलमेज वार्ता	133
चित्र 41 : लन्दन में कारोबारी वित्त पर चर्चा करते हुए आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल	134
चित्र 42 : श्री आशुतोष शर्मा — गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय क्रियाकलापों का नियंत्रण करने वाली विनियामक व्यवस्था का एक परिचय देते हुए	134
चित्र 43 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - वायुयान लीजिंग स्टेकधारकों के साथ वार्ता में	135
चित्र 44 : आईएसी हेतु संस्थागत विवाचकीय नियमों का प्रारूपण करने से संबंधित विशेषज्ञ समिति — अध्यक्ष, आईएफएससीए के समक्ष अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई 2024 को प्रस्तुत करते हुए	151
चित्र 45 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; डॉ. एम. एस. साहू, पूर्व अध्यक्ष, आईबीबीआई; प्रो. (डॉ.) एस. शांताकुमार, निदेशक जीएनएलयू, और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति — गिफ्ट आईएफएससी में वैकल्पिक विवाद निवारण और अंतरराष्ट्रीय विवाचन केन्द्र (आईएसी) का विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन में	152
चित्र 46 : चिंतन शिविर 2025 में आईएफएससीए अधिकारी	164
चित्र 47 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए — आईएफएससीए अधिकारियों द्वारा विभिन्न थीम पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु सम्मानित करते हुए	165
चित्र 48 : आईएफएससीए पदाधिकारी सफाई अभियान में 'स्वच्छता ही सेवा 2024' मनाते हुए	166
चित्र 49 : गिफ्ट सिटी में वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेते हुए आईएफएससीए के पदाधिकारी	166

विवरण	पृष्ठ सं
चित्र 50 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – आईएफएससीए पदाधिकारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाते हुए।	167
चित्र 51 : एकल प्रयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को 'नहीं' कहें – आईएफएससीए के पदाधिकारी शपथ लेते हुए	167
चित्र 52 : आईएफएससीए पदाधिकारी गिफ्ट आईएफएससी में स्वच्छता जागरूकता वॉकेथोन में शामिल हुए	168
चित्र 53 : आईएफएससीए में सफाई मित्रों / सम्मार्जक कार्मिकों की बचावकारी स्वास्थ्य जांच।	169
चित्र 54 : आईएफएससीए के पदाधिकारी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए।	169
चित्र 55 : आईएफएससीए पदाधिकारी आईएफएससीए द्वारा आयोजित हिन्दी पखवाड़ा 2024 में भाग लेते हुए।	170
चित्र 56 : आईएफएससीए के पदाधिकारी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाते हुए।	171

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त मानक शब्दरूप

₹	: रुपये (₹.)
लाख	: सौ हजार
करोड़	: दस मिलियन
मिलियन	: दस लाख
बिलियन	: हजार मिलियन / सौ करोड़

पूर्णांकन के कारण योग में अंतर हैं और कई बार हो सकता है कि इनका योग पूर्णतया शत प्रतिशत नहीं हो।

इस रिपोर्ट को इंटरनेट पर भी देखा जा सकता है : <https://www.ifsca.gov.in/>

संक्षेपाक्षर

विवरण	
एडी	प्राधिकृत डीलर
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीआर	वैकल्पिक विवाद समाधान
एडीआरसी	वैकल्पिक विवाद समाधान समिति
एईडी	यूएई दिरहम
एजीएम	वार्षिक आम सभा
एआई	कृत्रिम मेधा
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश फंड
एआईएसपी	अकादमिक अवसररचना सेवा प्रदाता
एएमएल	धन शोधन रोधी
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एआरसीए	आर्किपेलेगो एक्सचेन्ज
एयूडी	आस्ट्रेलियन डॉलर
एयूएम	प्रबंधन अधीन आस्तियां
एडब्ल्यूएससी	स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली
बीएटीएफ	बुककीपिंग, लेखांगन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन
बीसीआईसी	बंगलोर चैम्बर ओफ इन्डस्ट्री एन्ड कामर्स
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बीएलयूटी	बोन्ड सह विधिक वचनबद्धता
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन बोर्ड
बीएसई	बोम्बे स्टोक एक्सचेन्ज
बीएसईसी	बांग्लादेश सिक्यूरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशन
सीएडी	केनेडियन डॉलर
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक संवृद्धि दर
सीबीआई	जलवायु बोन्ड प्रयास
सीबीओई	शिकागो बोर्ड ओप्शन एक्सचेन्ज
सीसीआईएल	क्लीयरिंग कोर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड
सीडीएसएल	सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लि.
सीईईडब्ल्यू	ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईपीए	समेकित आर्थिक साझेदारी समझौता
सीईआरएसएआई	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री
सीएफटी	आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिकार
सीएचएफ	स्विस फ्रैंक
सीआईएन	कार्पोरेट पहचान संख्या
सीकेवाईसीआरआर	केन्द्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री
सीएमई	शिकागो मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज
सीएमआई	पूँजी बाजार मध्यस्थ
सीओबी	व्यवसाय संचलन
सीओएमईएक्स	पण्य एक्सचेन्ज
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सीपीएमआई	भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति
सीपीएसई	केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम
सीआरए	क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी
आरएआर	पूँजी और जोखिम (भारित) आस्तियां
सीटीसीआर	आतंकवाद रोधी और चरमपंथ रोधी
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफएसए	दुबई फाइनेन्शियल सर्विसेज अथॉरिटी
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीकेके	डेनिश क्रोने
डीपी	डिपोजिटरी सहभागी
डीएससीआई	भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद
डीटीए	स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र
डीटीसी	डिपोजिटरी ट्रस्ट कम्पनी
ईबीए	यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी
ईसीबी	विदेशी वाणिज्यिक उधारियां
ईसीजीसी	भारतीय ऋण गारंटी निगम लि.
ईआईओपीए	यूरोपियन इन्श्योरेन्स एन्ड ओक्यूपेशनल पेन्शन अथॉरिटी
ईएमडीई	उदीयमान बाजार और विकास अर्थव्यवस्थाएं
ईएमएमओयू	वर्धित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन
ईओडीबी	व्यवसाय में सहजता
ईआरएम	उद्यम जोखिम प्रबंधन
ईआरपी	उद्यम संसाधन आयोजना
ईएसजी	परिवेशीय, सामाजिक या अभिशासन
ईएसएमए	अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम.
ईटीएफ	एक्सचेन्ट ट्रेडेड फंड
ईटीपी	एक्सचेन्ट ट्रेडेड उत्पाद
ईयू	यूरोपियन संघा
ईयूआर	यूरो
एक्विजम	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफएटीएफ	वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स
एफसी	वित्त कम्पनी
एफसीएसएस	विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली
एफसीवाई	विदेशी मुद्रा
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
फेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईसीसीआई	फेडरेशन ओफ इंडियन चैम्बर्स ओफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री
एफआईयू	वित्तीय अन्वेषण यूनित
एफएमई	फंड प्रबंधन संस्थान
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव
जीएओ	वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय

जीबीपी	यूके पाउन्ड स्टर्लिंग
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफआईएन	ग्लोबल फाइनेन्शियल इनोवेशन नेटवर्क
जीआईसी	ग्लोबल इनहाउस सेन्टर
जीआईएफटी	गुजरात इन्टरनेशनल फाइनेन्स टेक सिटी
जीएनएलयू	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
जीएनपीए	सकल गैर निष्पादक आस्तियां
जीआरसीटीसी	वैश्विक/प्रान्तीय निगम ट्रेजरी केन्द्र
जीएसटीआईएन	वस्तु और सेवा टैक्स पहचान संख्या
जीएसटीएन	वस्तु और सेवा टैक्स नेटवर्क
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
एचकेडी	हॉगकॉंग डोलर
एचकेएमए	हॉगकॉंग मोनिटरी अथोरिटी
आईएआईएस	इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्श्योरेन्स सुपपवाइजर्स
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईबीबीआई	भारतीय दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड
आईबीसी	आईएफएससी बैंकिंग कम्पनी
आईबीयू	आईएफएससी बैंकिंग इकाई
आईसीएआई	भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
ईसीईएस	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली
आईसीएमए	अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार एसोसिएशन
आईसीएआई	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया
आईसीएसआई	इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण
आईआईबीएक्स	भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज
आईआईडीआई	भारतीय अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड
आईआईआईओ	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा मध्यस्थ कार्यालय
आईआईओ	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालय
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईओएससीओ	इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्यूरिटीज कमीशन
आईपीओ	आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
इरडार्	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसपी	इन्टरनेट सेवा प्रदाता
आईएसपी	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तीयन सेवाएं
आईवीसीए	इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन
जेएफएसए	जापानी वित्तीय सेवा प्राधिकरण
जेपीवाई	जापानी येन
एलएएन	लोकल एरिया नेटवर्क
एलबीएमए	लन्दन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
एलपीटीएम	सीमित प्रयोजन व्यापारिक सदस्य
एलआरएस	उदार धनप्रेषण स्कीम

एमएस	मोनिटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर
एमसीए	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीएलआर	निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत
एमसीएक्स	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
एमआईआई	मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टीट्यूट्स
एमआईएस	प्रबंधन संसूचना प्रणाली
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमयूएफजी	मिश्रित बिजली यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप
नस्टाक	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्यूरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशनस
एनएसएससीओएम	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
एनडीएफ	गैर-सुपुर्दगीयोग्य वायदा
एनआईसी	राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र
एनआईसीसी	आईएफएससी क्लियरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड
निफ्टी	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिफ्टी
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रास्फार्मिंग इंडिया
एनपीएस	राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
एनएसडीएल	नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसई आईएक्स	एनएसई इन्टरनेशनल एक्सचेंज
ओडीआई	ऑफशोर डेरिवेटिव लिखत
ओईसी	विदेश स्थित शिक्षण केन्द्र
ओएफएस	विक्रय प्रस्ताव
ओआईएस	ओवरनाइट इन्डेक्स्ड स्वैप
पीएएन	पमानिन्ट एकाउन्ट नम्बर
पीसीआई	भारतीय भुगतान परिषद
पीडीपीयू	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय
पीएफआरडीए	पेन्शन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमएस	पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा
पीओएसएच	लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम
पीआरसी	कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति
पीएसओ	भुगतान प्रणाली संचालक
पीएसपी	भुगतान सेवा प्रदाता
पीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद
क्यूएफएमए	कतर वित्तीय बाजार अथोरिटी
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईआईटी	भूसम्पदा निवेश ट्रस्ट
आरएफपी	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरटपी	दूरस्थ ट्रेडिंग सहभागी

आरयूबी	रूसी रूबल
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
सेनसेक्स	स्टोक एक्सचेन्ज संवेदक सूचकांक
एसईजेड	विशेष आर्थिक जोन
एसजीडी	सिंगापुर डोलर
एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि
एसजीएक्स	सिंगापुर स्टोक एक्सचेन्ज
एसएलए	समपरीक्षक और हानि आकलनकर्ता
एसएनआरआर	विशेष अनिवासी रुपया खाता
एसपीवी	विशेष प्रयोजन संवाहक
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एसडब्ल्यूआईटीएसी	एकल विन्डो आईटी प्रणाली
टीसीएम	ट्रेडिंग और क्लीयरिंग सदस्य
टीईआरआई	दि एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट
टीएम	ट्रेडिंग सदस्य
टीएमसीएम	ट्रेडिंग सदस्य/ क्लीयरिंग सदस्य
टीआक्यू	टैरिफ रेट कोटा
टीएससीएम	ट्रेडिंग सह स्वतः क्लीयरिंग सदस्य
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूईजीडी	यूई गुड डिलीवरी
जीडीसीईपीए	संयुक्त अरब अमीरात गुड डिलीवरी समेकित आर्थिक साझेदारी समझौता
यूई जीडीटीआरक्यू	यूई गुड डिलीवरी टैरिफ रेट कोटा
यूके	यूनाइटेड किंगडम
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	अमरीकी डोलर
यूएसआईबीसी	यूएस — भारत व्यवसाय परिषद

खंड – ख

समीक्षाधीन वर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था – आकलन और परिदृश्य

सन 2024 अशांति का साल रहा क्योंकि बहुत सी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यथा – भारत, यूएसए और इन्डोनेशिया में चुनाव हो रहे थे, और चुनाव के परिणामों के बारे में जनता के पूर्वानुमानों से बाजारों में उथल-पुथल और आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा मिला।

इस मनोभाव को वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक ने भी दर्शाया, यह वर्ष फरवरी 2024 में तुलनात्मक रूप से 200.46 के न्यूनतर स्तर से आरंभ हुआ लेकिन तेजी से बढ़ते हुए फरवरी 2025 में 548.89 पर पहुंच गया।⁴

यूक्रेन और स्वेज नहर क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों के दूरगामी परिणाम आपूर्ति शृंखला में व्यवधान थे जिनसे अब तक वैश्विक विनिर्माण और बाहरी मांग में धीमापन बना हुआ है।

वैश्विक रूप से मौद्रिक रुख में यह पाया गया है कि विगत वर्ष से ही यह सहज होता गया है जैसा कि सीएफआर के ग्लोबल मॉनिटरी पोलिसी ट्रैकर पर देखा गया।⁵ जनवरी 2024 में समग्र मौद्रिक रुख तटस्थ (-0.36) रहा, हालांकि चीन (-3.1) को छोड़कर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यथा यूएस (5.3), रूस (8.5), भारत (2.5) और आस्ट्रेलिया (4.3) में तंगहाली⁶ देखी गई। हालांकि जनवरी 2025 (-8.31) तक बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में सहजता आने लगी, कुछ अर्थव्यवस्थाओं यथा यू.एस. (-0.5), चीन (-3.5) में अन्य यथा – रूस (13.5), भारत (2.5), आस्ट्रेलिया (4.3) की तुलना में अधिक सहजता रही।

विश्व में 2025 तथा 2026 में 3.3% की संवृद्धि का अनुमान है। अनुमान है कि वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2025 में घटकर 4.2% और सन 2026 में 3.5% रहेगी जो उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पहले ही से निर्धारित लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।

वित्तीय बाजारों का निष्पादन

बैंकिंग उद्योग

वैश्वीकरण ने, विशेषकर वित्तीय विश्व में, उधार लेने हेतु बहुत से मार्ग खोल दिए हैं, हालांकि इसने उधार लेने वालों के लिए वैश्विक जोखिम का घटक भी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही के दौरान निवेशकों के बीच संवृद्धि को लेकर आशंकाएं मौजूद थीं, जिसके पीछे प्रमुख घटक जापान और यूरोप में अशांति का वातावरण था। जापान में लगभग दो दशक के बाद बैंक ऑफ जापान द्वारा अचानक ही मौद्रिक कसावट का निर्णय इसका कारण था और यूरोप में यह यूनाइटेड किंगडम, फ्रान्स और जर्मनी में चुनावों के कारण पूर्वानुमानों की वजह से था। इस अवधि में अल्पकालिक अर्जनों में समक्रमिक गिरावट के लक्षण भी रहे।

परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में जोखिम मुक्त होने और अप्रभावन करने की व्यग्रता आरंभ हो गई। हालांकि बाजारों में यह उथल-पुथल थोड़ी देर ही रही और शीघ्र ही बाजारों में सुधार होने लगे, जो निवेशक के मनोभावों में बाजार के प्रति प्रखर संवेदनशीलता का स्पष्ट संकेत है। अर्थव्यवस्था के बारे में निवेशकों की सदा-परिवर्तनशील अभिज्ञता के प्रति बाजार अत्यधिक संवेदन प्रवण होते हैं।

⁴ इकोनॉमिक पोलिसी अनसर्टेनिटी इन्डेक्स, स्टीफन जे. डेविस, वैश्विक आर्थिक नीति में अनिश्चितता का सूचकांक, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च वर्किंग पेपर नम्बर 22740, अक्टूबर 2016

⁵ मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए समूचे विश्व के 54 देशों से डाटा लेकर सीएफआर के ग्लोबल मॉनिटरी पोलिसी ट्रैकर का समेकन किया जाता है और यह -15 (सहजता द्योतक) से लेकर 15 (तंगहाली का द्योतक) के अनुमापन का प्रयोग करता है, ऋणात्मक अंक सख्ती के रुख और इसके प्रतिलोम का द्योतक है।

⁶ सीएफआर का ग्लोबल मॉनिटरी पोलिसी ट्रैकर

⁷ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ, जनवरी 2025

इक्विटी बाजारों की तुलना में ऋण बाजारों में उथल-पुथल की उग्रता कम ही रही। अमेरिका और यूरोप दोनों ही में ऋण से अर्जनों पर दबाव रहा।

सीवाई 2024 की तीसरी तिमाही में तीन प्रमुख मुद्राओं में वैश्विक विदेशी मुद्रा ऋण में थोड़ी सी बढ़ोतरी रही और यूएस से बाहर के गैर-बैंक ऋणों में \$89 बिलियन की वृद्धि रही। गैर-बैंकों को यूरो ऋण में €157 बिलियन की बढ़ोतरी रही और जापान से बाहर के गैर-बैंकों को येन ऋण में ¥263 बिलियन की बढ़ोतरी रही।⁸

उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था (ईएमडीई) के उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले सीमा-पार के ऋणों में \$35 बिलियन (3.8% साल-दर-साल) की बढ़ोतरी हुई। विगत वर्ष की तुलना में बैंकों द्वारा किए जाने वाले सीमा-पार दावों में 3.4% अर्थात् \$629 बिलियन की बढ़ोतरी रही। सीमा-पार के इन ऋणों की बढ़ोतरी गैर-बैंक क्षेत्र को \$704 बिलियन के ऋण से हुई। गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) को सीमा-पार के ऋणों में \$495 बिलियन की बढ़ोतरी रही जो 14% की वार्षिक संवृद्धि को दर्शाता है, यह 2019 की तीसरी तिमाही से अब तक की उच्चतम वार्षिक संवृद्धि है। गैर-वित्तीय क्षेत्र (एनएफएस) को सीमा-पार के ऋणों में भी मजबूत संवृद्धि रही, इस तिमाही के दौरान इसमें \$209 बिलियन की बढ़त रही (+11% साल-दर-साल)।

दिसम्बर 2024 और फरवरी 2025 के बीच की अवधि के दौरान यूएस में चुनावों के बाद यूएस और जापान की अशांति सामान्य होने लगी तथा जापान के केन्द्रीय बैंक ने निकट भविष्य में मौद्रिक नीति को सामान्य रखने के संकेत दिए और मुद्रास्फीति लक्ष्यगत स्तरों की तरफ लौटने लगी।⁹

दिसम्बर 2024 और फरवरी 2025 के बीच समूचे विश्व में अलग-अलग स्थितियां बनी रहीं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरों में गिरावट रही और दीर्घावधिक अर्जनों में बढ़ोतरी रही। हालांकि उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में सम्यक मनोभाव सहमे रहे क्योंकि विश्वव्यापी राजनीतिक घटकों और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव के कारण अनिश्चितता का अनुभव अभी भी हो रहा था।

पूंजी बाजार

भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के सोपानी प्रभाव भविष्य में भी रहेंगे, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2025 में देखा गया था। सम्पूर्ण विश्व में मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यूएस और यूरोप में मौद्रिक रियायत रही। हालांकि विगत दो दशकों में उदीयमान बाजारों का निष्पादन निरंतर अच्छा रहा और भारत भी इस संवृद्धि में चीन और ब्राजील के साथ आगे बने रहने वाले देशों में एक रहा।¹⁰

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र विरोधाभासी बना रहा, यूएस में वर्ष के आरंभ में तो मजबूत आर्थिक संवृद्धि रही, लेकिन मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, जबकि यूरोप में सम्यक मुद्रास्फीति का स्तर नीचे गया है लेकिन मंदी भी है।

वित्तीय वर्ष 2025 के आरंभ में कई सकारात्मक प्रवृत्तियां दिखाई दीं, वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में कारोबारी मूल्यमान में 15.5% और कारोबारी मात्रा में 9.6% की बढ़ोतरी रही तथा वैश्विक इक्विटी बाजारों में पूंजीकरण में 5% की बढ़ोतरी होकर यह 116.12 ट्रिलियन अमरीकी डोलर रहा। इस साल की पहली छमाही में वैश्विक बाजारों ने सात यूनिकोर्न खड़े किए। आरंभिक लोक प्रस्तावों (आईपीओ) की संख्या और आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी में हालांकि 24.2% और विश्वव्यापी स्तर पर 10% की गिरावट रही। एक्सचेन्ज में सौदाकृत डेरिवेटिव की मात्रा में भी बढ़ोतरी रही, जो विगत पांच वर्ष में 85.04 बिलियन की सर्वाधिक संविदाओं के रूप में रहा।¹¹

⁸ बीआईएस - वैश्विक चलनिधि संकेतक

⁹ तिमाही समीक्षा, मार्च 2025, बीआईएस

¹⁰ "कई दशकों में ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टिंग", अप्रैल 2025, एमएससीआई

¹¹ मार्केट हाइलाइट्स, 2024, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेन्जेस

फंड उद्योग

वैश्विक आस्ति प्रबंधन उद्योग की प्रबंधन अधीन आस्तियां (एयूएम) सीवाई 2024 में \$128 ट्रिलियन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई, जो पूर्ववर्ती वर्ष से 12% अधिक है।¹²

बाजार में प्रबल कार्यनिष्पादन इस संवृद्धि का प्रमुख चालक रहा। एस एंड पी 500 और नसडॉक सहित प्रमुख संकेतकों ने क्रमशः 23% और 29% का वार्षिक लाभ दर्शाया है। परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर इस उद्योग के राजस्व में \$58 बिलियन की बढ़ोतरी रही, इस संवृद्धि का 70% से भी अधिक (\$42 बिलियन) योगदान बाजार अधिमूल्यन का रहा, जबकि केवल 30% (\$16 बिलियन) निवल अंतर्वाह से प्राप्त हुआ।¹³

वैकल्पिक आस्तियां, खासकर वे आस्तियां जिनका फोकस निजी निवेशों पर था, अब वैश्विक आस्ति प्रबंधन से राजस्व में आधे से अधिक की हिस्सेदारी कर रही हैं, बावजूद इसके कि कुल एयूएम में इनका प्रतिनिधित्व 25% से कम है। सन 2014 से सन 2024 के बीच निजी इक्विटी, निजी ऋण, भूसम्पदा और अवसंरचना निधियों के सकल एयूएम की संयुक्त वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) 11.1% रही। इसने इसी अवधि के दौरान व्यापक आस्ति प्रबंधन उद्योग की 6.5% की सीएजीआर को महत्वपूर्ण रूप से पीछे छोड़ दिया, जबकि इसमें इन आस्ति वर्गों को शामिल नहीं किया गया। निजी आस्तियों का यह प्रबल विस्तार सतत स्पष्ट-निष्पादन और निवेशकों की अनवरत मांग से चालित है। संस्थागत निवेशकों और आस्ति प्रबंधकों दोनों ही इस आवेग का लाभ उठाने के लिए अत्यधिक उत्प्रेरित बने रहे।¹⁴

ईटीएफ का लोकप्रिय होते जाना एक अन्य प्रवृत्ति है जो वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रही है, विगत दशक के दौरान, सक्रिय एक्सचेन्ज-व्यवहृत निधियों (ईटीएफ) में एयूएम वैश्विक स्तर पर संयुक्त वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) 39% से बढ़ी। यह मजबूत संवृद्धि सक्रिय ईटीएफ में निवेशक की रुचि को प्रकट करती है, इसमें सक्रिय म्यूचुअल फंड के जैसा ही निष्पादन है, क्योंकि दोनों ही का लक्ष्य है बाजार में अच्छा निष्पादन करना, जबकि ईटीएफ काफी कम शुल्क पर मिल जाता है। सक्रिय ईटीएफ में औसतन 0.64% शुल्क है इसकी तुलना में म्यूचुअल फंड में यह 1.08% रहता है, इससे निवेशकों को किफायती चयन मिल जाता है।¹⁵

कुल मिलाकर वैश्विक आस्ति प्रबंधन उद्योग तेजी से विकास कर रहा है, जो रिकार्डतोड़ एयूएम, बाजार-चालित प्रबल राजस्व संवृद्धि और वैकल्पिक तथा किफायती निवेश संवाहक की तरफ स्पष्ट रूप से बढ़ने से प्रकट हो जाता है।

बीमा उद्योग

वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष इस समय समस्याओं का एक जटिल समुच्चय है, जैसे कि यूएस और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध का जोखिम, बाजार का बढ़ता हुआ संकेन्द्रण (इस समय 'सर्वोत्तम 7' स्टोक एस एंड पी 500 के कुल बाजार पूंजीकरण में लगभग 32% को प्रकट करते हैं, यह जनवरी 2015 में मात्र 9% से अधिक है)¹⁶ और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच विरोधाभासी मौद्रिक नीतियां। इन घटनाओं का अप्रत्यक्ष प्रभाव उच्चतर दावा लागतों के रूप में बीमाकर्ताओं पर पड़ सकता है। इस प्रकार बीमा उद्योग आर्थिक संवृद्धि, बढ़ते हुए जोखिम प्रोफाइल और रणनीतिगत पूंजी प्रबंधन द्वारा निर्मित आधारभूमि पर अपना संचालन कर रहा है।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली बीमाकृत हानियां सन 2024 में कम-से-कम 95 बिलियन अमरीकी डॉलर थीं और अनुमान है कि सन 2025 में \$135 बिलियन से भी अधिक हो जाएंगी, इस प्रकार से लगातार पाँचवां वर्ष \$100 बिलियन से भी अधिक की हानियों का रहेगा। यह प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण द्वारा बीमा हानियों पर बढ़ते हुए प्रभाव को रेखांकित करती है।¹⁷

¹² "फ्रोम रिकवरी टू रीइन्वेन्शन", 2025, बीसीजी

¹³ वही

¹⁴ वही

¹⁵ वही

¹⁶ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इन्व्हेरेन्स मार्केट आउटलुक, 2025-26, स्विस आरई

¹⁷ वही

विकसित और उदीयमान दोनों ही बाजार वित्तीय वर्ष 2025 में उन्नत लाभदेयता दर्ज करने के लिए तय कर चुके हैं, यूएस में निरंतर वार्षिकी के अन्तर्वाह से इसे आगे बाया जाएगा, यूके में इसे विनियामक परिवर्तनों के समर्थन से पेन्शन जोखिम-रहित करके किया जाएगा, जापान में इसे सतत हामीदारी परिणामों का समर्थन होगा और भारत में यह प्रबल आर्थिक संवृद्धि से चालित होगा, जिसमें ओटो बीमा, स्वास्थ्य कवरेज और फसल बीमा के लिए सरकारी समर्थन से मांग बढ़ेगी।¹⁸

अनुमान है कि वास्तविक अर्थों में वैश्विक बीमा के कुल प्रीमियम में सन 2025 और सन 2026 में औसतन 2.6% की वास्तविक अर्थों में बढ़ोतरी होगी, जो विगत 5 वर्ष के औसत 1.6% से पर्याप्त अधिक है।¹⁹

जीवन बीमा

अनुमानित है कि सन 2025-26 के दौरान जीवन बीमा प्रीमियम में वास्तविक अर्थों में 3% की बढ़ोतरी होगी, जिसे बचत उत्पादों हेतु उच्चतर ब्याज दरों की सहायता से बढ़ती हुई मांग का समर्थन रहेगा। प्रत्याशित है कि संवृद्धि की यह प्रवृत्ति पूरे दशक में बनी रहेगी और सन 2035 तक वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम 4.8 ट्रिलियन अमरीकी डोलर तक पहुंच जाएंगे।²⁰

गैर जीवन बीमा

अनुमान है कि सन 2025-26 की अवधि में वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में 2.3% की वृद्धि होगी, जो 2024 की 4.3% की संवृद्धि से कम है, क्योंकि दावों की स्फूर्ति सहज होने के साथ-साथ बीमा कीमतें संयत हो रही है। हालांकि²¹ इक्विटी पर इस क्षेत्र के प्रतिलाभ (आरओई) में सन 2024 ओर 2025 दोनों ही में लगभग 10% का सुधार होने का अनुमान है, जो 6.8% के 10 वर्षीय औसत से आगे रहेगा।

पुनर्बीमा

वैश्विक पुनर्बीमा के लिए संचित पूंजी सन 2024 के अंत में 769 बिलियन अमरीकी डोलर पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की बढ़ोतरी दिखाता है।²²

निरंतर सुदृढ़ लाभदेयता के समर्थन से पारंपरिक पुनर्बीमा पूंजी में सन 2025 में 6% की बढ़ोतरी तय है।²³

पुनर्बीमा राजस्व में 2024 में 8.1% की बढ़ोतरी रही जिसे सम्पत्ति और आपदा पुनर्बीमा में उच्चतर दरों का समर्थन मिला।²⁴

बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों से अपेक्षित है कि संभावित आघातों, हामीदारी अनुशासन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती हुई बारंबारता और प्रचंडता से निपटने के लिए अनिवार्य जोखिम आकलन और बढ़ी हुई मोडलिंग की सहायता से प्रबल पूंजीकरण के माध्यम से सहनीयता को बरकरार रखें। कुल मिलाकर, जबकि चुनौतियां विद्यमान हैं, ये उद्योग ऐसी स्थिति में हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 में सावधानीपूर्ण आशावादिता, पूंजी के सुदृढ़ आधारों की लीवरेजिंग और रणनीतिपरक जोखिम प्रबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे।

¹⁸ ग्लोबल इकोनॉमिक एन्ड इन्श्योरेंस मार्केट आउटलुक, 2025-26, स्विस् आरई

¹⁹ वही

²⁰ वही

²¹ वही

²² रीड्मिथोरेन्स मार्केट रिपोर्ट, 2024, गेलधेर आरई

²³ वही

²⁴ वही

बुलियन

ऐसा अनुमानित है कि सन 2025 में बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक बाजार में 327.47 बिलियन अमरीकी डोलर की बढ़ोतरी होगी, जो सन 2032 तक बढ़कर 533.12 बिलियन अमरीकी डोलर हो जाएगी, जिसमें पूर्वानुमानित अवधि के दौरान 7.2% की सीएजीआर रहेगी। धातुओं के प्रकारों को देखा जाए तो स्वर्ण का वर्चस्व रहना प्रत्याशित है, सन 2025 में कुल बाजार अंश में जिसका हिस्सा 40% से भी अधिक है।²⁵

धातुओं का अनुप्रयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कि आटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आदि। इन अनुप्रयोगों में पूर्वानुमान है कि आभूषण खंड सन 2025 तक लगभग 117.56 बिलियन अमरीकी डोलर का राजस्व अर्जित करेगा। एशिया पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक बाजार में अगुआई के लिए तैयार है, जो सुदृढ़ औद्योगिक क्रियाकलापों और तेजी से आगे बढ़ रहे आभूषण उद्योग से चालित होकर सन 2025 में कुल हिस्से के आधे से भी अधिक को हासिल कर लेगा।²⁶ दूसरी तरफ संयुक्त राज्य की अगुआई में उत्तरी अमरीका इस पूर्वानुमानित अवधि के दौरान सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में प्रत्याशित है।²⁷

विशेषकर भारत और चीन जैसे बाजारों में स्वर्ण और रजत आभूषणों के लिए बढ़ती हुई मांग इस संवृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक है। बहुमूल्य धातुएं यथा — स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम और पेल्लेडियम की आभूषण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर बनी रहेगी, कान की बालियों, नेकलेस और अन्य आभूषणों को बनाने में इनका अत्यधिक प्रयोग होता है।²⁸

सन 2024 के अंत तक चांदी के वैश्विक आभूषण गढ़ाई में विगत वर्ष की भारी हानियों की तुलना में कुछ अंश तक सुधार रहा, चांदी की कीमतों में उछाल के बावजूद गढ़ाई में 3% की बढ़ोतरी हुई और यह 208.7 मिलियन औन्स (6,491 टन) रही।²⁹

भारत जैसे देशों में स्वर्ण आभूषणों का उपभोग मजबूत बना रहा, इसके पीछे सांस्कृतिक और समयानुकूल मांग रही, जैसे कि विवाह और त्योहार के साथ-साथ यह दीर्घावधिक निवेश के लायक भी होता है। बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद भारत में सन 2024 के अंत में स्वर्ण की मांग 5% बढ़कर 802.8 टन पर पहुंच गई।³⁰

सांस्कृतिक महत्व, सौन्दर्यगत मूल्य और निवेश संभावना के इस सहयोजन ने बहुमूल्य धातु-आधारित आभूषण के लिए ग्राहकों की प्रबल क्रयशक्ति को समर्थन दिया जिससे समग्र बाजार की संवृद्धि को अवलंब मिला।

सारांश यह कि बढ़ते हुए टैरिफ और अविरत व्यापारिक विवाद मुद्रास्फीति को बढ़ाते हुए वैश्विक व्यापारिक क्रियाकलापों में गिरावट ला सकते हैं। समय की मांग तो यही है कि आर्थिक नीतियों के बेहतर वैश्विक समन्वय के लिए प्रयास किए जाएं।

भारत : आर्थिक आकलन और संभावनाएं

सकल घरेलू उत्पाद

अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2027 दोनों ही में भारत तीव्रतम संवृद्धि वाली विशाल अर्थव्यवस्था रहेगा, यह प्रत्याशित है कि 6.7% की दर से संवृद्धि करते हुए यह वैश्विक संवृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2026 में 2.7%) से बहुत आगे निकल जाएगा।³¹ भारत की स्थायी संवृद्धि और आघातों के प्रति सहनीयता में, सतत रूप से निष्पादन कर रहे सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, यद्यपि विगत वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र के भीतर कार्यनिष्पादन में विविधता रही, तथापि इसने माल के निर्यातों को प्रभावित कर रहे आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों, जिनसे ऐसे माल के आयात पर बड़ी मात्रा में निर्भर रहने वाले

²⁵ प्रीशियस मेटल्स, मई 2025, सीएमआई — ग्लोब न्यूजवायर

²⁶ वही

²⁷ वही

²⁸ वही

²⁹ वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, 2025, दि सिल्वर इन्स्टीट्यूट

³⁰ गोल्डहब डाटा, 2025, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

³¹ विश्व बैंक समूह, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, 2025

देशों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था को संवेग प्रदान किया। अर्थव्यवस्था की सम्यक अवस्थिति सकारात्मक है जैसा कि बढ़ते हुए निजी निवेशों और ऋणों तक अभिगम तथा मुद्रास्फीति को कम रखने से प्रकट होता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में भारत 6.5% की दर से संवृद्धि करेगा, जो अवसंरचना विकास और आर्थिक संवृद्धि को गति प्रदान करने के लिए सरकार की दूरदर्शी स्कीमों के समर्थन में निजी उपभोग और निजी निवेश से चालित होगा।³²

मुद्रास्फीति

वित्तीय वर्ष 2025 (मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 3.34% पर रही। इसी समीक्षा अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति (अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक) 2.69% पर रही। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अनुरूपी दरें क्रमशः 2.82% और 2.48% रहीं।³³

भारत का उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) सहज होकर फरवरी 2025 में 7-माह के न्यूनतम 3.6% पर रहा, इसका प्राथमिक कारण खाद्य और पेय पदार्थों, विशेषकर सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट रही। यह पूर्ववर्ती महीनों से उल्लेखनीय संयमन को प्रकट करता है।³⁴

समग्र गिरावट के बावजूद कोर मुद्रास्फीति (जिसमें अस्थिर खाद्य और ईंधन शामिल नहीं हैं) ने 14 महीनों में पहली बार 4% को पार किया और यह 4.08% पर पहुंच गई। इससे संकेत मिलता है कि यद्यपि हेडलाइन मुद्रास्फीति संयमित है तथापि कीमतों का भीतरी दबाव अनवरत बना हुआ है।³⁵

आयातित मुद्रास्फीति, जो आयातित माल और सेवाओं की लागत में बढ़ोतरी के कारण घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी होती है, में जून 2024 के 1.3% की तुलना में फरवरी 2025 में तेजी से बढ़कर 31.1% पर आ गई, जिसके चालक रहे बहुमूल्य धातुओं, तेल और वसा की उच्चतर कीमतें। इस विस्थापन से घरेलू स्तर पर संयमन के बावजूद बाहरी कीमतों के बढ़ते हुए दबाव प्रकट होते हैं।³⁶

इस प्रकार सहज होती प्रवृत्तियों के बावजूद आयातित मुद्रास्फीति से जोखिम पर नियंत्रण रहना चाहिए और रुपये के मूल्य में संभावित गिरावट आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना सकती है।

वित्तीय बाजार

बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग क्षेत्र में स्थायित्व बना रहा, आस्तियों की क्षतियां कम हुईं और पूंजी का बफर प्रबल हुआ। सकल गैर निष्पादक आस्तियां (जीएनपीए) 12 वर्ष के न्यूनतम 2.6% (सकल ऋणों और अग्रिमों का) पर रहीं।³⁷

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए मानदंडों से अधिक 16.7% का पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर अनुपात) यह संकेत देता है कि पूंजी की स्थिति सुदृढ़ है; इसका आशय यह हुआ कि एससीबी के पास पूंजी का सुदृढ़ बफर है, जो संभावित हानियों को सहते हुए स्थायित्व बनाए रखने की क्षमता का संकेतक है।

पीएटी (22.2% साल-दर-साल), आरओई और आरओए में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी से बढ़ी हुई लाभप्रदता का प्रमाण मिलता

³² आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी 2025

³³ सीपीआई संख्याएं प्रेस प्रकाशनी, मार्च 2025, एमओएसपीआई

³⁴ भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक प्रवृत्तियां, मार्च 2025, पीआईबी

³⁵ वही

³⁶ वही

³⁷ एफएसआर, दिसम्बर 2024, आरबीआई

है, जो यह बताता है कि एससीबी अपने परिचालनों का प्रबंधन दक्षतापूर्वक कर रहे हैं, अपनी वित्तीय सेहत में सुधार कर रहे हैं और शेयरधारकों के मूल्यमान को बढ़ा रहे हैं।

पूँजी की सुदृढ़ स्थितियों और सुधरी हुई लाभदेयता के साथ एससीबी इस समय सक्षम उधारकर्ताओं को बढ़े हुए उधार देकर और क्रेडिट प्रदान करके आर्थिक संवृद्धि को समर्थन देने के लिए उचित स्थिति में हैं।³⁸

बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र

भारतीय बीमा उद्योग ने विगत दशक में प्रबल संवृद्धि और संपरिवर्तन का प्रदर्शन किया है, जो इसकी बढ़ती हुई पहुंच, उत्पाद प्रस्तावों की बढ़ती और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से प्रकट होता है। इस क्षेत्र में जीवन बीमा और साधारण (गैर-जीवन) बीमा प्रदाताओं दोनों का समावेश है, जिसमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की बढ़ती हुई संख्या भी शामिल है। दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बीमा कम्पनियों की कुल संख्या 73 पर रही जो इस उद्योग के भीतर नए कार्यचालकों के स्थायी प्रवेश और विविधीकरण को प्रकट करता है।

बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या विगत वर्ष के 21,173 से बढ़कर 21,338 हो गई। भारत में बीमे की पहुंच 2022-23 के 4.0% से थोड़ा सा गिरकर 2023-24 में 3.7% पर आ गई। हालांकि प्रति व्यक्ति बीमा घनत्व 92 डॉलर से बढ़कर 95 डॉलर हो गया, जो प्रति व्यक्ति औसतन बीमा व्यय में निरंतर संवृद्धि को दर्शाता है। उद्योग को मिलने वाला कुल प्रीमियम रु.10,39,398 करोड़ से बढ़कर रु.11,19,613 करोड़ (+7.7%) हो गया, जो कारोबार के प्रबल विस्तार को रेखांकित करता है।

कुल मिलाकर वर्ष 2022-23 के रु.6,46,178.1 करोड़ से बकर वर्ष 2023-24 में दावों के रूप में रु.7,49,311.8 (+15.9%) करोड़ का भुगतान किया।, जो उच्चतर कारोबारी मात्रा और बढ़े हुए दावा क्रियाकलापों को दर्शाता है, विशेषकर स्वास्थ्य और जीवनबीमा खंडों में। लाभदेयता में भी तेज उछाल आया और टैक्स देने के बाद लाभ की रकम रु.40,222.3 करोड़ से बढ़कर रु.57,526 करोड़ (+43.1%) हो गया। वर्ष 2023-24 में प्रबंधन अधीन आस्तियां (पुनर्बीमा और एफआरबी सहित) रु.60,04,209.7 करोड़ से बढ़कर रु.67,57,960.5 करोड़ (+12.5%) हो गईं जो मजबूत निवेश संवृद्धि को प्रकट करता है।

वर्ष 2022-23 की तुलना में बीमा खंड में कुल प्रीमियम रु.7,82,504 करोड़ से बढ़कर रु.8,29,929.5 करोड़ (+6.1%) हो गया। भुगतान किए गए कुल लाभ रु.4,96,865.1 करोड़ से बढ़कर रु.5,77,021.4 करोड़ (+16.2%) हो गए और टैक्स घटाने के बाद लाभ रु.42,788 करोड़ से बढ़कर रु.47,407.3 करोड़ (+10.8%) हो गया।

दूसरी तरफ साधारण बीमा खंड में बीमे की पहुंच वर्ष 2013-14 के 0.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1% हो गई, जो क्रमिक लेकिन स्थायी संवृद्धि को दर्शाता है। इस खंड के भीतर स्वास्थ्य प्रीमियम में तीव्रतम संवृद्धि देखी गई जो रु.97,663.5 करोड़ से बढ़कर रु.1,16,693.9 करोड़ (+19.5%) हो गई।

इस प्रकार से भारतीय बीमा उद्योग का परिदृश्य सकारात्मक रहा जिसे अनुकूल जनसांख्यिकी और विकासमान मध्यम वर्ग और एक समर्थनकारी विनियामक परिवेश का सहारा मिला।

³⁸ एफएसआर, दिसम्बर 2024, आरबीआई

पूंजी बाजार

कुल 320 आईपीओ रहे जिनकी धनराशि रु.1.72 लाख करोड़ रही। बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध कुल अधिमानीय आवंटनों की रकम रु.84,084 करोड़ रही। एनएसई के नकदी खंड में बाजार ³⁹ पूंजीकरण (करोड़ में) वर्ष 2023-24 के रु.3,86,97,100 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में रु.41,287,647 हो गया।

आगामी राजकोषीय वर्ष में भारतीय पूंजी बाजार सन्नद्ध है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 में निफ्टी फिफ्टी के प्रतिलाभ 12-15% रहेगी और निवेशक इस मनोभाव को ही प्रकट कर रहे हैं जैसा कि भारतीय इक्विटी में एफपीआई निवेशों से प्रकट होता है, ये निवेश अभी हाल ही में 4 बिलियन अमरीकी डॉलर से आगे निकले हैं और यद्यपि वैश्विक अनिश्चितता और अस्थिरता बनी रह सकती हैं, लेकिन इक्विटी ही सर्वोत्तम निष्पादक आस्ति वर्ग के रूप में सामने आना प्रत्याशित है। ⁴⁰

फंड उद्योग

भारतीय फंड उद्योग ने सन 2024 में प्रबल संवृद्धि को प्रमाणित किया, जिसे मजबूत रिटेल सहभागिता और प्रौद्योगिकीय उत्कर्ष का समर्थन मिला।

मासिक सिप (सिस्टेमैटिक निवेश योजना) का अन्तर्वाह बढ़कर रु.15,000 करोड़ हो गया जो साल-दर-साल 20% की बढ़ोतरी है। सक्रिय सिप खातों की संख्या 68 मिलियन से आगे निकल गई, जो दीर्घावधिक धन संग्रहण के लिए म्यूचुअल फंडों पर बढ़ते हुए भरोसे को प्रकट करता है। आरईआईटी और एआईएफ सहित वैकल्पिक निवेश बाजार ने देखा कि प्रबंधन अधीन आस्तियां बढ़कर रु.6.4 लाख करोड़ हो गई, जो 18% की सीएजीआर का विस्तार बताता है। इन लिखतों को उच्च-निवल-मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) और पारिवारिक कार्यालयों के बीच भी बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति प्रभावी बचाव के रूप में लोकप्रियता मिल रही है। ⁴¹

ईएसजी (परिवेशीय, सामाजिक और अभिशासन) निवेशों के अन्तर्वाह में सन 2020 के बाद से 30% की वार्षिक बढ़ोतरी रही, जिसमें अनुमानित है कि ईएसजी-अभिकेन्द्रित एयूएम सन 2025 तक रु.5 लाख करोड़ पर पहुंच जाएंगे। ईएसजी प्रकटीकरण के लिए विनियामक अनिवार्यता ने संधारणीय निवेश में रुचि को बढ़ावा दिया। ⁴²

अनुमान है कि वैल्यू टेक बाजार 12-15% की सीएजीआर पर बढ़ोतरी करते हुए सन 2025 तक 60 बिलियन डॉलर से आगे निकल जाएंगे। एआई-चालित प्लेटफॉर्म से अतिउन्नत निवेश टूल्स और हाइपर-पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो प्रबंधन में अभिगम को सार्वलौकिकता मिलेगी। ⁴³

अनुमानित है कि एसआईपी के माध्यम से रिटेल सहभागिता मजबूत बनी रहेगी जिसे बढ़ती हुई वित्तीय साक्षरता और डिजिटल ऑनबोर्डिंग का समर्थन मिलेगा। सर्वाधिक प्रभावशाली खंड (रु.25 लाख से रु.5 करोड़ के बीच की आस्तियां) के लिए सन 2025 तक 35% की बढ़ोतरी का अनुमान है जो बीस्पोक और लोचशील निवेश समाधानों की मांग को चालित करेगा। ⁴⁴

इस प्रकार से भारतीय फंड उद्योग प्रौद्योगिकी, वहनीयता और विविधीकरण से संचालित तीव्रगति के रूपांतरण की अवस्था में प्रवेश कर रहा है।

³⁹ मासिक बुलेटिन, अप्रैल 2025, सेबी

⁴⁰ कैपिटल मार्केट आउटलुक, मई 2025, मिन्ट मार्केट

⁴¹ सन 2025 में निवेश, ईटी मार्केट

⁴² वही

⁴³ वही

⁴⁴ वही

बुलियन

स्वर्ण

भारत और चीन से भारी मांग के कारण पूरे विश्व में एशिया में विशालतम स्वर्ण बाजार समाहित हैं। भारत में स्वर्ण की मांग का संचलन इस प्रयोजन से होता है कि यह धातु विभिन्न क्षमताओं में कार्य करती है यथा — निवेश, आभूषण, मंगलकारी खरीद, आदि। इस प्रकार अपने तात्त्विक और निवेश मूल्य के साथ यह उत्सवगत मूल्य भी रखता है।⁴⁵

इस प्रकार इस धातु की मांग इनमें से प्रत्येक प्रयोजन के लिए ग्राहक के मनोभाव से संचालित होती है। निवेश प्रयोजन से इसकी छड़ों और सिक्कों के खंड में भारत में इसकी मांग थोड़ा सा कमजोर रहने का अनुमान है।

स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा और ये रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई; परिणामस्वरूप भारत में आभूषणों की मांग में कमी रही। हालांकि भारत में प्रतिस्पर्धी मांग के कारण यह गिरावट भी 2% तक ही सीमित रही। विगत तीन वर्ष में दूसरी बार ऐसा हुआ कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत विशालतम आभूषण बाजार के रूप में बना रहा। यह अनुमान है कि विवाहों के कारण होने वाली मांग के कारण इसकी मांग में स्थायित्व रहेगा।

सरकार ने मार्च 2025 में स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम के तहत मध्यम और दीर्घ अवधि के विकल्पों को बंद कर दिया⁴⁶, कारण यह बताया गया कि इसमें सहभागिता कम है और बाजार की स्थितियां बदल रही हैं।

सन 2024-25 में स्वर्ण बुलियन का कुल आयात 812.22 टन रहा जिसका मूल्य 48.5 बिलियन अमरीकी डोलर रहा।⁴⁷

चांदी

चांदी की कीमतें संशोधन से पहले मार्च 2025 में 102,040/किग्रा के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय रजत ईटीपी की धारिताएं दिसम्बर 2023 से ही न्यूनतम मासिक अन्तर्वाह पर थीं, जो बता रही थीं कि चांदी की निवेश मांग में कुछ नरमी रहेगी।⁴⁸

चांदी की मांग के कई घटकों में से एक का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फोटोवोल्टिक सेक्टर, ओटोमोबाइल आदि में अनुप्रयोगों से संबंधित है। औद्योगिक मांग में 4% की बढ़ोतरी के साथ सन 2024 में चांदी की मांग में भारत दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा।⁴⁹

चांदी की मांग में सिक्कों और छड़ों की दृष्टि से भी भारत फिर से अन्य देशों की तुलना में बड़ा योगदान करने वाला बना रहा, इसकी 21% की बढ़ोतरी ने सिक्कों तथा छड़ों की मांग को सन 2015 से अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया।⁵⁰

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) पर चांदी वायदा प्रतिलाभ में 5% की बढ़ोतरी रही, जबकि आप्शन ट्रेडिंग में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी रही (साल-दर-साल) क्योंकि कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव ने लोचशील आप्शन सौदों में रुचि को संचालित किया। इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) में प्रतिलाभ सन 2024 में महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर 36.2 मिलियन औन्स (1,127 टन) हो गए जो देश में कुल आयात के 16% को दर्शाता है।⁵¹ वर्ष 2024-25 में भारत में 7,669.40 टन चांदी का आयात हुआ जिसका मूल्य 3.39 बिलियन अमरीकी डोलर रहा।⁵²

⁴⁵ गोल्ड डिमान्ड ट्रेन्ड्स, 2024, वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल

⁴⁶ इंडिया फोकस मन्थनी, मार्च 2025, मेटल्स फोकस

⁴⁷ डीआईसीजीएस डाटा

⁴⁸ वही

⁴⁹ वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, 2025, दि सिल्वर इन्स्टीट्यूट

⁵⁰ वही

⁵¹ वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, 2025, दि सिल्वर इन्स्टीट्यूट

⁵² डीआईसीजीएस डाटा

राजकोषीय गतिविधियां

बाहरी क्षेत्र

यद्यपि कारोबारी परिवेश में अनिश्चितता रही तथापि भारत से सेवा निर्यात में सहनीयता बनी रही। निवेश अन्तर्वाह और भुगतान शेष की स्थिति भी सुस्थिर रही। कुल निर्यात — मर्चेन्डाइस और सेवा दोनों ही में सुस्थिर बढ़ोतरी रही जो 602.6 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2025 के प्रथम नौ माह में 10.4% की बढ़ोतरी रही (पेट्रोलियम और रत्न तथा आभूषण को छोड़कर)। दूसरी तरफ आयात 682.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गए।⁵³

प्रथम आठ महीनों के दौरान स्वदेश धनप्रेषण/विनिवेश में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे निवल एफडीआई के अंतर्वाह में कमी हुई, हालांकि, सकल एफडीआई अंतर्वाह ने पुनरुत्थान के संकेत दिए। सेवा क्षेत्र (वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, आर एन्ड डी, कूरियर और टेक परीक्षण तथा विश्लेषण, अन्य सहित) एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता बने रहे।⁵⁴

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (दिसम्बर 2024 की यथास्थिति) पर पहुंच गया, जो भारत की विदेशी देनदारियों के 711.8 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में एक मजबूत बफर है।⁵⁵ चालू खाते का घाटा थोड़ा सा कम होकर दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.2% पर रहा। विदेशों में रोजगार प्राप्त भारतीयों द्वारा स्वदेश धनप्रेषण 31.9 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो विगत वर्ष के 28.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है, और निवल अंतरणों में इसका सर्वाधिक योगदान रहा।⁵⁶ सितम्बर 2024 के अंत में विदेशी देनदारी और जीडीपी का अनुपात 19.4% पर आ गया।⁵⁷

वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में निवल पूंजी अन्तर्वाह ने 30.5 बिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किए, जो विगत वर्ष के दौरान इसी समयावधि में दर्ज 12.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से काफी अधिक है। यह वृद्धि प्रमुख रूप से बढ़े हुए एफपीआई अंतर्वाह, विदेशों से वाणिज्यिक उधारियों और एनआरआई जमाराशियों के कारण रही।⁵⁸

अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच विदेशी वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी) से निवल अंतर्वाह बढ़कर 9.2 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो विगत वर्ष में 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से काफी अधिक है। इसी प्रकार अनिवासी भारतीय जमाराशियां सन 2024 की पहली छमाही के 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर सन 2025 की पहली छमाही के दौरान 10.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई।⁵⁹

कुल मिलाकर समूचे वर्ष के दौरान विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिस्कंदन दर्शाया जो मजबूत पूंजी निरूपण और गतिमान विनिर्माण क्रियाकलापों के कारण रहा। इस संवृद्धि में प्रबल बैंकिंग क्षेत्र और एक सुस्थिर, सुप्रबंधित मौद्रिक नीति ने भी सहयोग दिया। यद्यपि अनवरत वैश्विक अनिश्चितताओं के परिप्रेक्ष्य में नीतिनिर्माताओं को अवश्य ही सतर्क रहना होगा, तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य आशावादी रहा जिसमें आगामी वर्षों के लिए संधारणीय तीव्र संवृद्धि की प्रत्याशा भी है।

⁵³ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

⁵⁴ वही

⁵⁵ वही

⁵⁶ वही

⁵⁷ वही

⁵⁸ वही

⁵⁹ वही

गिफ्ट – अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र

गिफ्ट आईएफएससी में निम्नलिखित संघटकों को कवर किया गया है –

बैंकिंग

वित्तीय मध्यस्थ और वित्तीय संस्थानों को प्रमुख सेवा प्रदाता दोनों ही रूपों में बैंकिंग क्षेत्र किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के अतिमहत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है। आज गिफ्ट आईएफएससी में जबरदस्त बैंकिंग परितंत्र है जिसमें विदेशी और स्वदेशी दोनों ही बैंकों का समावेश मूल बैंक की शाखाओं के रूप में किया गया है, जिन्हें आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) कहा जाता है।

आईएफएससीए बैंकिंग विनियमावली नवम्बर 2020 में अधिसूचित की गई और इसके अधीन जारी निदेशों/दिशानिदेशों का लक्ष्य था कि समस्त विश्व में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों द्वारा सामान्यतया किए जाने वाले विभिन्न बैंकिंग क्रियाकलापों को समर्थन और सुविधा देना और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक के उन दिशानिदेशों से सहज पारगमन हो सके जो आईएफएससीए बैंकिंग विनियमों से पहले अनुज्ञेय थे।

गिफ्ट आईएफएससी में 'बैंकिंग व्यवसाय में सहजता' को और भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस प्राधिकरण ने आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक जारी की है जो गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन कर रही आईबीयू के लिए इस प्राधिकरण की तरफ से विस्तृत निदेश है। आईएफएससीए बैंकिंग विनियमावली को जून 2022 में संशोधित किया गया ताकि आईएफएससी में वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय (जीएओ) स्थापित करने की अनुमति दी जा सके।

वित्तीय कम्पनियां

आईएफएससी में गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने में वित्तीय कम्पनियां/यूनिटें (एफसी/एफयू) महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जनता से जमाशियां जुटाने के अलावा आईएफएससी की आईबीयू हेतु समर्पित क्रियाकलापों के समसमान क्रियाकलाप करने की अनुमति एफसी/एफयू को दी जाती है, इस प्रकार वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से ये आईबीयू की भूमिका की प्रतिपूरक हैं।

एफसी/एफयू का नियंत्रण आईएफएससीए (वित्तीय कम्पनी) विनियमावली, 2021 के तहत इस उद्देश्य से किया जाता है कि वित्तीय संस्थानों हेतु जोखिम अभिकेन्द्रित स्पर्धी परिवेश प्रदान किया जा सके, निष्पक्षता, पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित हो सके और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी बने रहें। प्रमुख क्रियाकलापों में उधार देना, निवेश, डेरिवेटिव सौदे करना, वैश्विक/क्षेत्रीय कोर्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी) का कार्य करना और आदत / बट्टेदारी क्रियाकलाप करना शामिल है। विनियमावली ने आईएफएससी में विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए सक्षमता दी है जिसमें वायुयानों, जलयानों और आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित उपस्करों की पट्टेदारी का निपटान, वैश्विक और क्षेत्रीय ट्रेजरी केन्द्रों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त प्लेटफार्मों (आईटीएफएस प्लेटफॉर्म) की स्थापना करना शामिल है।

पूंजी बाजार

गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार परितंत्र का लक्ष्य है कि प्रबल और कुशल अवसंरचना प्रदान करके भारत को वैश्विक वित्तीय केन्द्र की स्थिति में लाना, जिसमें उन्नत अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, प्रबल क्लियरिंग और निपटान प्रणाली और वित्तीय उत्पादों की विविधतापूर्ण शृंखला यथा – इक्विटी, ऋण लिखतें और डेरिवेटिव – का समावेश है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा नियंत्रित गिफ्ट आईएफएससी अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम नियामक व्यवस्था, सुवाही प्रक्रियाएं और आकर्षक टैक्स लाभ प्रदान करता है ताकि समूचे विश्व को वित्तीय प्रतिष्ठानों और वैश्विक निवेशकों के लिए हितकारी परिवेश का सृजन हो सके।

गिफ्ट आईएफएससी के पूंजी बाजार परितंत्र में इन्डेक्स डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, करेन्सी डेरिवेटिव और पण्य डेरिवेटिव सहित विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में लेनदेन उपलब्ध कराने वाले दो अंतरराष्ट्रीय स्टोक एक्सचेंज (भारत आईएनएक्स और एनएसई आइएफएससी) समाहित हैं।

हरित, सामाजिक, धारणीय और धारणीयता सम्बद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित वैश्विक ऋण जुटाने की प्रत्याशा वाले भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए भी गिफ्ट आईएफएससी एक वरीयतायोग्य गंतव्य बन चुका है।

फंड प्रबंधन

पूंजी बाजारों की संवृद्धि के लिए एक सुविकसित समर्थक परितंत्र के साथ-साथ सुदृढ़ फंड प्रबंधन उद्योग अतिमहत्वपूर्ण है। गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक फंड प्रबंधन उद्योग के लिए अधिमानित अधिकारक्षेत्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से आईएफएससीए ने अप्रैल 2022 में फंड प्रबंधन विनियमावली अधिसूचित की जो मई 2022 से प्रभावी हुई। इस विनियमावली को सन 2025 में पूर्णतया संशोधित किया गया। इस विनियमावली में वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाया गया है और आइएफएससी में नवाचार की सुविधा और कारोबार करने की सहजता को बढ़ावा दिया जाता है।

इससे पहले विदेशी वित्तीय अधिकारक्षेत्रों में स्थापित निधियों के माध्यम से भारत में निवेश हेतु वैश्विक पूंजी की संनिधियां बनाने को व्यापक रूप से संचालित किया जाता था। इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद बहुत ही कम समय में गिफ्ट आईएफएससी एक ऐसा अधिकारक्षेत्र बन गया है जो भारत के साथ-साथ विदेशों में निवेश हेतु वैश्विक निधियां जुटाने के लिए अधिमानित है, क्योंकि इसमें अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम विनियामक संरचना और स्पर्धी टैक्स व्यवस्था है।

धातुएं और पण्य

भारत भी कृतसंकल्प है कि गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना के माध्यम से बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक बाजार में स्वर्ण के सबसे बड़े आयातकों और उपभोक्ताओं में से एक के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाए। नीति आयोग की सन 2018 की रिपोर्ट से यह प्रयास आरंभ हुआ, जो भारत के स्वर्ण बाजार के रूपांतरण के बारे में थी, और जिसे सन 2020 के यूनियन बजट में घोषित किया गया।

आईएफएससीए ने दिसम्बर 2020 में बुलियन एक्सचेंज हेतु विनियमावली को औपचारिक रूप दिया जिससे भारत के पांच प्रमुख बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के संगुट और गिफ्ट आईएफएससी द्वारा भारत इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) का सृजन किया गया। आईआईबीएक्स की औपचारिक शुरुआत 29 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई। आईआईबीएक्स के पीछे यही विचार है कि गतिमान बाजार तैयार किया जाए और पारदर्शी एक्सचेंज मॉडल का विकास किया जाए ताकि स्वर्ण, चांदी, आदि जैसी बहुमूल्य धातुओं सहित विभिन्न धातुओं और पण्यों की कीमत का निर्धारण देश के भीतर ही किया जा सके और इस प्रकार भारत को विश्व बाजार में कीमत मानने वाले के स्थान पर कीमत निर्धारक बनाया जा सके।

फिनटेक हब

विगत कुछ वर्षों में भारत ने फिनटेक के क्षेत्र में अपना उत्साह प्रदर्शित किया है, आईटी और वित्त में निपुणता वाले प्रतिभा संपन्न युवा भारतीयों ने वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी नवप्रवर्तनों का सृजन करते हुए फिनटेक परितंत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रिम पंक्ति में ला दिया है। भारतीय फिनटेक परितंत्र को वैश्विक फिनटेक मंच पर प्रक्षेपित करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी को रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है।

बीमा

किसी भी वित्तीय बाजार के लिए आवश्यक परितंत्र का विकास करने और वैश्विक ग्राहकवर्ग को बीमा समाधान प्रदान करने हेतु बीमा व्यवसाय आइएफएससी का अतिमहत्वपूर्ण खंड है।

आईएफएससी में बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यस्थकों के लिए आईएफएससीए ने विश्वस्तरीय और समेकित विनियामक व्यवस्था का अधिनियमन किया है, जिसका फोकस कारोबार में सहजता लाने पर है। इन विनियमों में बीमा व्यवसाय के पंजीकरण, प्रीमियम प्राप्त करने की पद्धति, बीमा उत्पादों की डिजाइनिंग, आस्तियों के निवेश, वित्तीय विवरणियों की रचना और प्रस्तुति, नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति और कर्तव्य, निरीक्षण और अन्वेषण हेतु जानकारी और अभिलेखों का अनुरक्षण, आगामी और निर्गामी पुनर्बीमा परिचालनों, ऋणशोधन गुंजाइश, आदि से संबंधित पहलुओं को कवर किया गया है।

यद्यपि घरेलू बीमा बाजार में संवृद्धि से भारतीय बीमाकर्ताओं हेतु बीमा समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संनिधियां तैयार करने में सहायता होगी, साथ ही यह पुनर्बीमा क्षमताओं का विकास करने के लिए अनिवार्यता करेगा। अपने प्रोत्साहनों और विनियामक समर्थन की सहायता से गिफ्ट आईएफएससी ऐसी स्थिति में है कि भारतीय और वैश्विक दोनों ही बाजारों में इन क्षमताओं का विकास कर सके। इसके अलावा, वैश्विक भारतीय जनसमूह द्वारा बीमा प्रतिष्ठानों के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनों की स्थापना करके अनुरूपी स्वास्थ्य, जीवन और यात्रा बीमा उत्पाद प्रदान कर सकें।

वैश्विक इन-हाउस केन्द्र

विगत दो दशकों में भारत अपनी आंतरिक सुदृढ़ता यथा – अतिकुशल प्रतिभाओं और परिचालनों की स्पर्धी लागतों की उपलब्धता – के कारण वैश्विक इन-हाउस केन्द्रों (जीआईसी) हेतु अग्रणी नाभिक के रूप में उदित हुआ है। मूलतः जीआईसी विदेश स्थित ऐसे केन्द्र होते हैं जो बड़े निगमों और संस्थाओं के लिए निर्दिष्ट इन-हाउस प्रकार्य करते हैं। विगत वर्षों में जीआईसी ने वैश्विक स्तर पर रणनीतिगत भूमिका निभानी शुरू की है और विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी से बचाव, आदि जैसे क्षेत्रों में ये उन्नत सेवाएं देने वाले नवोन्मेषी केन्द्रों के रूप में विकसित हुए हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी कारोबार को समर्थन देने के लिए केन्द्र सरकार ने जीआईसी को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अधीन एक वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित किया है ताकि वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके बाद आईएफएससीए ने वैश्विक इन-हाउस केन्द्र विनियमावली, 2020 अधिसूचित की जिसमें किसी भी वित्तीय सेवा समूह से संबंधित प्रतिष्ठानों को आईएफएससी में जीआईसी स्थापित करने की अनुमति दी गई।

संधारणीय वित्त

आईएफएससीए अपने आरंभ से ही विशेषकर ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और फंडों के क्षेत्र में समर्थनकारी विनियामक परिवेश का सृजन करते हुए वैश्विक रूप से संधारणीय पूंजी अंतर्वाह को आवेहित कर रहा है। भारत सन 2070 तक विशुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है, जैसा कि सीओपी 26 में घोषणा की गई थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बड़े वित्तपोषण की जरूरत होगी और संधारणीय वित्त प्रयासों में सुविधा के लिए गिफ्ट आईएफएससी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है।

आनुषंगिक सेवाएं

एक अंतरराष्ट्रीय वित्त केन्द्र का विकास करने के लिए व्यावसायिक सेवादाता फर्म सर्वोत्कृष्ट होती है, क्योंकि ये ऑडिट और लेखांकन, कराधान, विधिक, परामर्शदाता और सलाहकारी सेवाएं, आदि जैसी वित्तीय सेवाएं देने में मदद और समर्थन देते हैं। वैश्विक रूप से वित्तीय फर्मों और वित्तीय बाजारों की संवृद्धि का पूर्वानुमान उच्च कोटि की व्यावसायिक सेवादाता फर्मों की संवृद्धि और संकेन्द्रण से ही होता है।

गिफ्ट आईएफएससीए में सुदृढ़ वित्तीय सेवादाता बाजार का विकास करने में व्यावसायिक सेवादाता फर्मों के आंतरिक महत्व पर विचार करते हुए फरवरी 2021 में आईएफएससीए ने आईएफएससीए में अनुषंगी सेवाओं के समर्थन हेतु एक व्यवस्था का निर्गमन किया।

विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2022-23 में घोषित किया, “गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी कि वे आईएफएससीए द्वारा निर्धारित किए गए विनियमों के अलावा अन्य विनियमों से मुक्त रहते हुए वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों का अध्यापन कर सकती हैं, ताकि वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सुविधा दी जा सके”।

इस घोषणा के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने आईएफएससीए में विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को 'वित्तीय सेवाओं' के रूप में अधिसूचित किया। इस नीति ने विदेशी विश्वविद्यालयों और विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 से प्रतिबद्ध रहते हुए आईएफएससीए ने कैम्पस स्थापित करने लायक बनाया। इसके बाद आईएफएससीए द्वारा समर्थनकारी विनियमावली अर्थात आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस और विदेशी शिक्षा केन्द्र) विनियमावली, 2022 अधिसूचित की गई।

ऑस्ट्रेलिया से डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वूलोनोन्ग उन प्रथम विश्वविद्यालयों में से हैं जिन्हें गिफ्ट आईएफएससीए में अपने अंतरराष्ट्रीय कैम्पसों हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किए गए। इसके अलावा आईएफएससीए ने यू.के. की कोवेन्ट्री यूनिवर्सिटी और क्वीन्स यूनिवर्सिटी को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है।

वार्षिक कारोबारी मुख्यांश

31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससीए ने सभी क्षेत्रों में 29 आईबीयू, 162 एफएसई, आदि जैसे 864 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया। निम्नानुसार प्रस्तुत नवीनतम प्रमुख सांख्यिकी में आईएफएससीए में वार्षिक व्यवसाय विस्तार और संवृद्धि प्रकट होती है:

आईएफएससी कारोबारी मुख्यांश

कुल आईएफएससीए पंजीकरण **864***



बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग आस्तियां

यूएसडी (\$) **88.51 बिलि.**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

संचयी बैंकिंग लेनदेन

यूएसडी (\$) **448.49 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)

संचयी डेरिवेटिव ट्रेड
(एनडीएफ सहित)

यूएसडी (\$) **398.36 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)



पूंजी बाजार

औसत मासिक टर्नओवर
(आईएफएससी एक्सचेंज)

यूएसडी (\$) **93.76 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)

एक्सचेंजों में संचयी ऋण
लिस्टिंग

यूएसडी (\$) **65.10 बिलि.**
(मार्च 2025 तक)

सभी डेरिवेटिव संविदाओं में
कुल ओपन इन्टरेस्ट

यूएसडी (\$) **12 बिलि.**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)



फंड प्रबंधन

फंड प्रबंधन प्रतिष्ठानों की
संख्या

162
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

पंजीकृत फंड/स्कीम की
संख्या

229
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

प्राप्त हुई कुल वचनबद्धताएं

यूएसडी (\$) **15.74 बिलि.**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)



संधारणीय वित्त

बैंकों द्वारा कुल संधारणीय
ऋण

यूएसडी (\$) **3.39 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)

आईएफएससी एक्सचेंजों में
संचयी ईएसएजी लेबलकृत
ऋण लिस्टिंग

यूएसडी (\$) **15.43 बिलि.**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

आईएफएससी एक्सचेंजों में
ऋण लिस्टिंग की संख्या

64
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)



बुलियन

योग्य आपूर्तिकर्ताओं |
जौहरियों | टीआरक्वू धारकों
की संख्या

37 | 167 | 441
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

आईआईबीएक्स पर सौदाकृत
स्वर्ण

मात्रा **93.07 टन**
मूल्यमान यूएसडी (\$) **7.93 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)

आईआईबीएक्स पर सौदाकृत
चांदी

मात्रा **239.18 टन**
मूल्यमान यूएसडी (\$) **228.31 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)



बीमा क्षेत्र

बीमा फर्मों | मध्यस्थों की
संख्या

18 | 27
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

आईएफएससी बीमा कार्यालयों
द्वारा लिखित प्रीमियम

यूएसडी (\$) **207.70 बिलि. #**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)

आईएफएससी बीमा मध्यस्थ
कार्यालय द्वारा संव्यवहृत
प्रीमियम

यूएसडी (\$) **302.60 बिलि.**
(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान)



वायुयान/ जलयान पट्टेदारी

पंजीकृत वायुयान | जलयान
पट्टादाता की संख्या

32 | 24
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

पट्टे पर दी गई विमानन
आस्तियां

242
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

पट्टे पर दिए गए जलयान

18
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)



वित्त कम्पनियां

वित्त कम्पनियों की संख्या

74
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

आईटीएफएस प्लेटफार्मों
द्वारा वित्तपोषित संव्यवहार

यूएसडी (\$) **44.36 मिलि.**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

जीआरसीटीसी का कारोबार
ऋण और अग्रिम

यूएसडी (\$) **2332 मिलि.**
कुल निवेश
यूएसडी (\$) **141.38 मिलि.**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)



फिनटेक/टेकफिन

सीधे दिए गए प्राधिकारों की
संख्या

18
(मार्च 2025 तक)

सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों की
संख्या

27
(मार्च 2025 तक)

सैन्डबॉक्स छोड़ने वाले
प्रतिष्ठानों की संख्या

23
(मार्च 2025 तक)



अन्य क्षेत्र

विदेशी विश्वविद्यालयों की
संख्या

4
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

वैश्विक इन-हाउस केन्द्रों की
संख्या

3
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

आनुषंगिक सेवादाता प्रतिष्ठानों
की संख्या

88
बीएटीएफ सेवादाता
प्रतिष्ठानों की संख्या **3**
(31 मार्च 2025 की वधास्थिति)

*एक आईआईओ का पुनर्बीमा डेटा परीक्षणार्थीन है और इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है

* सैद्धांतिक/अनंतिम पंजीकरण सहित

खंड – ग

प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और
क्रियाकलापों की समीक्षा

बैंकिंग और भुगतान सेवाएं

आईएफएससी में वित्तीय मध्यस्थ और अन्य वित्तीय संस्थानों को महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता के रूप में बैंक एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज गिफ्ट आईएफएससी के उत्कृष्ट बैंकिंग परितंत्र में 13 विदेशी और 16 स्वदेशी बैंकों की स्थापना उनके मूल बैंकों की शाखाओं के रूप में की गई है जिन्हें आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक नामक एक बहुपक्षीय बैंक ने गिफ्ट आईएफएससी में भारत के अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है। इसके अलावा एक विदेशी बैंक और एक स्वदेशी बैंक ने गिफ्ट आईएफएससी में अपने-अपने वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय (जीएओ) स्थापित किए हैं।

आईएफएससी में बैंकों के विनियामक व्यवस्था में आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली, 2020 (यथा संशोधित) और आईएफएससीए बैंकिंग हैन्डबुक का समावेश है। इस व्यवस्था की समीक्षा नियमित आधार पर बाजार के सहभागियों से मांग के अनुरूप और समस्त विश्व में उदीयमान बैंकिंग प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है।

भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) और भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) भी बैंकों सहित विभिन्न सहभागियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह देखते हुए कि भुगतान सेवाएं बैंकिंग सेवाओं का सहज विस्तार ही तो हैं, भुगतान सेवा प्रदाता और भुगतान प्रणाली परिचालक विभिन्न स्टेकहोल्डर स्टेकहोल्डरतक भुगतान और निपटान सेवाएं ले जाने में बैंकों की भूमिका की अनुपूर्ति करते हैं।

भुगतान सेवा प्रदाता अग्रपक्ष का सेवा चैनल होते हैं, जिनका प्रयोग भुगतान आरंभ करने के लिए किया जाता है, जो भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता को जोड़ता है। आईएफएससी में भुगतान सेवा प्रदाताओं का नियंत्रण आईएफएससीए (भुगतान सेवा) विनियमावली, 2024 के तहत किया जाता है जो ऐसे संस्थानों के लिए सिद्धांत आधारित व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में भुगतान सेवा क्रियाकलापों के रूप में अनुमति प्राप्त क्रियाकलापों में — खाता प्रचालन सुविधा (ई-मनी खाता प्रचालन सेवा सहित); ई-मनी प्रचालन संवा; एस्क्रो सेवा; सीमा-पार धन अंतरण सेवा; मर्चेन्ट अधिग्रहण सेवा का समावेश है। एक सिंगल प्राधिकृतिकरण से ही भुगतान सेवा प्रदाता को अनुमति प्राप्त सेवाओं के किसी भी संमिश्र को प्रदान करने की क्षमता मिल जाती है।

बड़े मूल्य के संव्यवहारों और/अथवा ऐसे भुगतान संव्यवहारों में निहित निधियों के निपटान को प्रभावी करने हेतु भुगतान प्रणालियां बैंकबोन का काम करती हैं। अनिवार्यतया भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा भुगतानों और/या निपटान के लिए अवसंरचना तैयार की जाती है। आईएफएससी में भुगतान प्रणाली परिचालकों का नियंत्रण आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियमावली, 2024 के तहत किया जाता है, जिसका निरूपण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। इन विनियमों में इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार प्रदान करने के लिए पद्धति और विचारणीय कारकों को निर्दिष्ट किया गया है और इनमें वित्तीय बाजार अवसंरचना हेतु सिद्धांतों (पीएफएमआई) और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों हेतु कोर सिद्धांतों (सीपी-एसआईपीएस) जैसी सर्वोत्तम परिपाटियों को शामिल किया गया है, जिनका अनुपालन भुगतान प्रणाली परिचालक द्वारा किया जाता है।

नीति / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससीए (बैंकिंग) (संशोधन विनियमावली), 2024

आईएफएससीए (बैंकिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 द्वारा विद्यमान आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियमावली, 2020 को संशोधित किया गया और प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित चलमुद्राओं को समाविष्ट किया गया

- i स्वीडिश क्रोने (एसईके)
- ii नार्वेजियन क्रोने (एनओके)
- iii न्यूजीलैंड डॉलर (एनजेडडी)
- iv डेनिश क्रोने (डीकेके)

इन चार चलमुद्राओं मिलाकर अब आईबीयू को कुल 15 विनिर्दिष्ट विदेशों मुद्राओं में कारोबार संचालन की अनुमति है।

आईएफएससीए बैंकिंग हैंड बुक

आईएफएससीए बैंकिंग हैंडबुक : सामान्य निदेश – संस्करण 5.0

एक आईबीयू की स्थापना करने के लिए किसी भी बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता के प्रावधानों में एक में यह अपेक्षित है कि यदि मूल विनियामक द्वारा निर्धारित विवेकाधीन अपेक्षा में से किसी का कोई 'संभावित अथवा वास्तविक' उल्लंघन होता है तो प्राधिकरण को सूचित किया जाए। इसमें संशोधित करते हुए 'प्रत्याशित और वास्तविक' पदबंध को हटा दिया गया है। इसके अलावा विवेकाधीन अपेक्षाओं यथा — एलसीआर, सीआरएआर, और एनएसएफआर को कथित प्रावधान में निर्दिष्ट किया गया है, ताकि स्पष्टता बढ़े और अनुपालन करने तथा कारोबार करने में सहजता रहे।

आईएफएससीए बैंकिंग हैंडबुक : कारोबारी निदेशों का संचालन – संस्करण 6.0

- एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें कीमत जोखिम से बचाव के लिए आईबीयू को स्वर्ण और चांदी के ओटीसी डेरिवेटिव (ओटीडीई) चलाने और अपने ग्राहकों, भारत में निवासी व्यक्तियों सहित, को ऐसे डेरिवेटिवों का प्रस्ताव देने के लिए सामर्थ्य दिया गया है।
- अर्हताप्राप्त वित्तीय संविदा अधिनियम, 2020 की द्विपक्षीय नेटिंग के तहत सीमापार डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई) को 'अर्हता प्राप्त वित्तीय संविदाएं' के रूप में वर्गीकृत करते हुए ओटीडीई मोड्यूल में एक अनुच्छेद शामिल किया गया है।

आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2024

आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) विनियमावली, 2024 के तहत इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली भुगतान सेवाओं में से एक 'एस्करो सेवा' — पदबंध की परिभाषा को संशोधित किया गया ताकि ऐसी स्थितियों को शामिल किया जा सके जिनमें किसी एक संव्यवहार में दो से अधिक पक्षकार शामिल हो सकते हों।

आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियमावली, 2024

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 34बी के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार आईएफएससीए में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु आईएफएससीए नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण होगा।

पीएसएस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार पीएसएस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन तथा कर्तव्यों को पूरा करने के प्रयोजन से आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियमावली, 2024 अधिसूचित की गई है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान हैं –

- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) का गठन
- बीपीएसएस के कर्तव्य, शक्तियां और प्रकार्य
- बीपीएसएस की बैठकों में अनुपालन की जाने वाली पद्धति
- विशिष्ट परिस्थितियों में उपयोग की जाने वाली बीपीएसएस की शक्तियां
- उपसमितियों और सलाहकार समितियों की स्थापना करने के लिए बीपीएसएस की शक्तियां

आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणालियां) विनियमावली, 2024

पीएसएस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्राधिकरण ने आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणालियां) विनियमावली, 2024 अधिसूचित की है।

इस विनियमावली में आईएफएससीए में भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने और परिचालन की प्रक्रिया निर्धारित की गई और इनमें अन्य के साथ-साथ प्राधिकृत करने की उन अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें सिस्टम प्रदाता को अवश्य ही पूरा करना होता है ताकि आईएफएससीए में भुगतान प्रणाली का संचालन करने या आरंभ करने के लिए इस प्राधिकरण का प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त इस विनियमावली में प्रणाली प्रदाता के लिए भुगतान और बाजार अवसंरचना (सीपीएमआई) पर समिति और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा जारी भुगतान और बाजार अवसंरचना सिद्धांतों (पीएफएमआई) का अनुपालन अनिवार्य है।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

आईबीयू की संख्या में बढ़ोतरी

31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससीए के बैंकिंग परितंत्र में 28 आईबीयू और 2 जीएओ परिचालन कर रहे हैं। एक और आईबीयू को लाइसेंस दिया जा चुका है और यह अप्रैल 2025 से परिचालन कर रहा है।

सारणी 1: आईएफएससीए में आईबीयू और जीएओ की संख्या

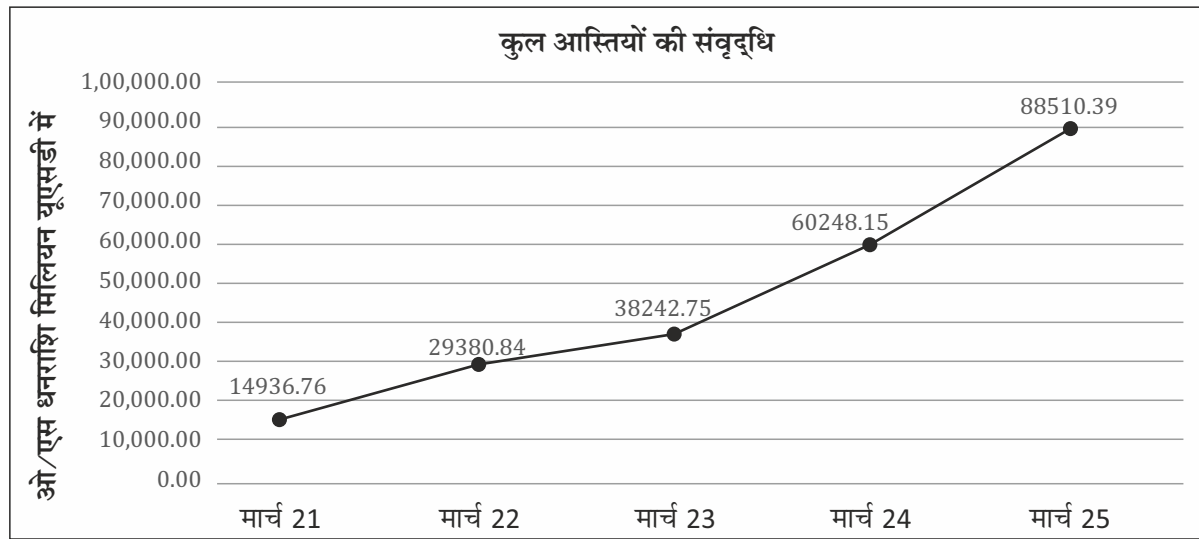
विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
परिचालन कर रही आईबीयू की संख्या	23	28
परिचालन कर रहे जीएओ की संख्या	1	2

आस्ति आधार का विस्तार

सारणी 2: आईबीयू में कुल आस्तियां (बकाया)

विवरण	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
आईएफएससी में कुल आस्तियां (मिलियन यूएसडी)	60,248.15	88,510.39

आरेख 1: आईबीयू की कुल आस्तियों की संवृद्धि (मिलियन यूएसडी)



रोजगार सृजन में योगदान

सारणी 3 : सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या

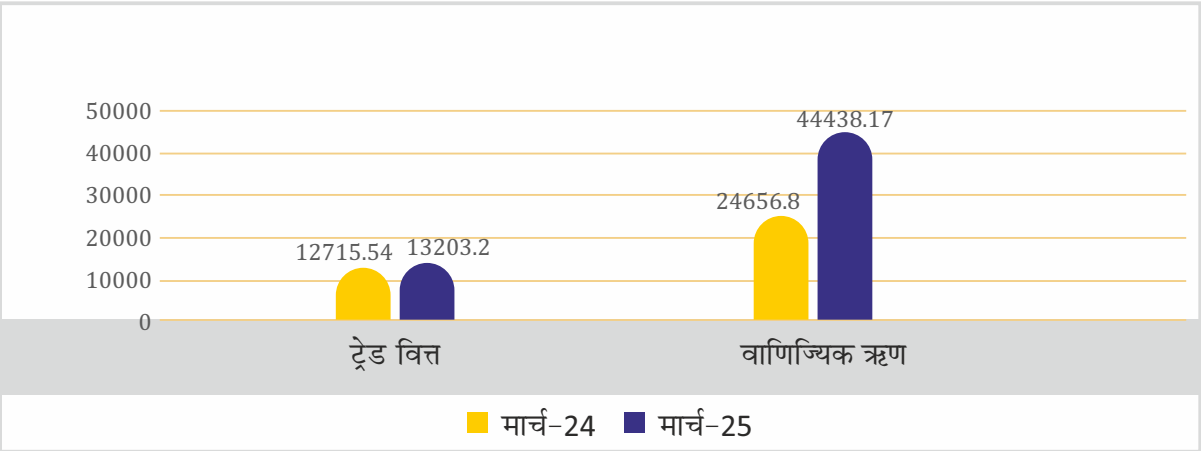
विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
आईएफएससी में स्थित सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या	343	447

निधियों के स्रोत और संनियोजन

अन्तरबैंक और अन्तरशाखा उधारियों, द्विपक्षीय उधारियों, मध्यम अवधि के नोटों, बहुदेशीय संस्थानों, ग्राहकों की जमा राशियों, आदि के माध्यम से आईबीयू निधियां जुटाती हैं। आस्ति संनियोजन के बारे में क्रियाकलाप बड़ी मात्रा में व्यापारिक वित्त और वाणिज्यिक ऋणों पर केन्द्रित रहे हैं।

आईएफएससी बैंकिंग परितंत्र में ग्राहक क्रेडिट (निवल) 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 59.46 बिलियन अमरीकी डोलर रहा और आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों की आस्तियों का कुल आकार 88.51 बिलियन अमरीकी डोलर रहा।

आरेख 2 : आईबीयू के प्रमुख क्रेडिट उत्पादों की बकाया राशि (मिलियन यूएसडी)

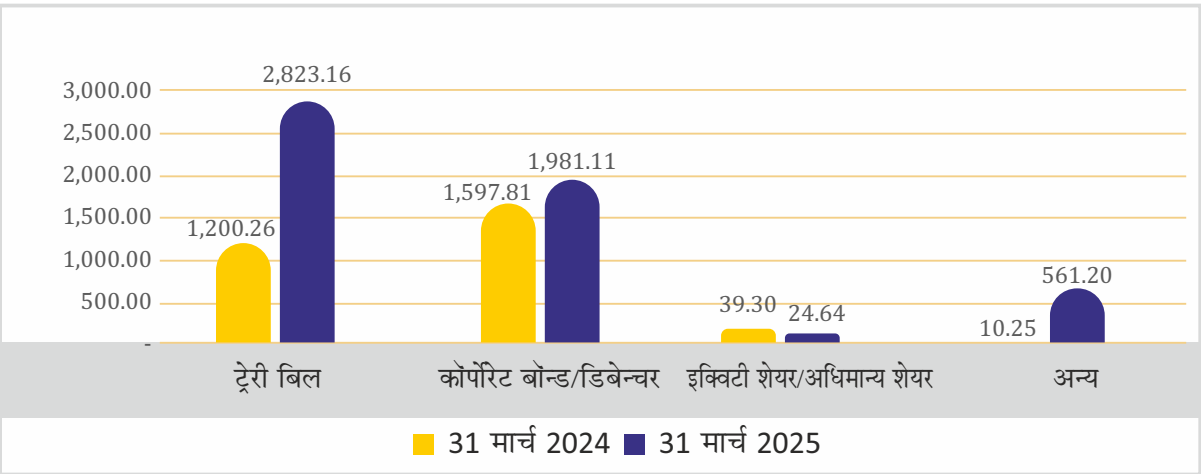


ग्राहक क्रेडिट की प्रवृत्तियां

ग्राहकों के कुल बकाया क्रेडिट 39.11 बिलियन अमरीकी डॉलर (31 मार्च 2024 की यथास्थिति) से 52.03% बढ़कर 59.46 बिलियन अमरीकी डॉलर (31 मार्च 2025 की यथास्थिति) हो गए। आईएफएससी हेतु ग्राहक क्रेडिट की बकाया में इस बढ़ोतरी के लिए वाणिज्यिक ऋण सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे, जिनमें बाहरी वाणिज्यिक ऋण और व्यापारिक वित्त शामिल हैं।

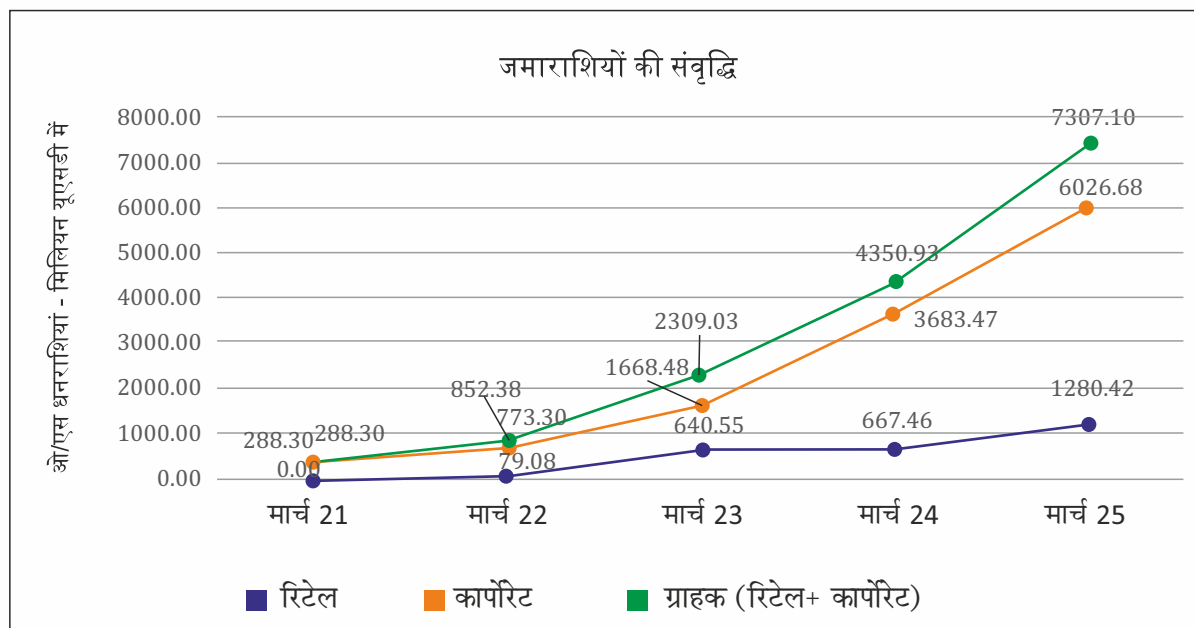
निवेश प्रोफाइल

आरेख 3 : निवेश प्रोफाइल - मिलियन यूएसडी



एलसीआर अनुरक्षण की विवेकाधीन अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आईबीयू द्वारा ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाता है। कुल मिलाकर विगत एक साल की अवधि के दौरान आईबीयू द्वारा कोर्पोरेट बॉन्डों की तुलना में ट्रेजरी बिलों में निवेश प्राथमिकता का उल्लेखनीय परिवर्तन रहा।

आरेख 4: जमाराशियों की संवृद्धि (मिलियन यूएसडी में)



आईबीयू द्वारा रिटेल और कार्पोरेट ग्राहकों के लिए बचत, चालू और सावधि जमाराशियों की सुविधा दी जा रही है। रिटेल जमाराशियों में मामूली संवृद्धि रही जबकि कार्पोरेट संवृद्धि में महत्वपूर्ण संवृद्धि रही जिसके परिणामस्वरूप जमाराशियों के संग्रहण में मजबूत बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रही।

डेरिवेटिव बाजार के क्रियाकलाप

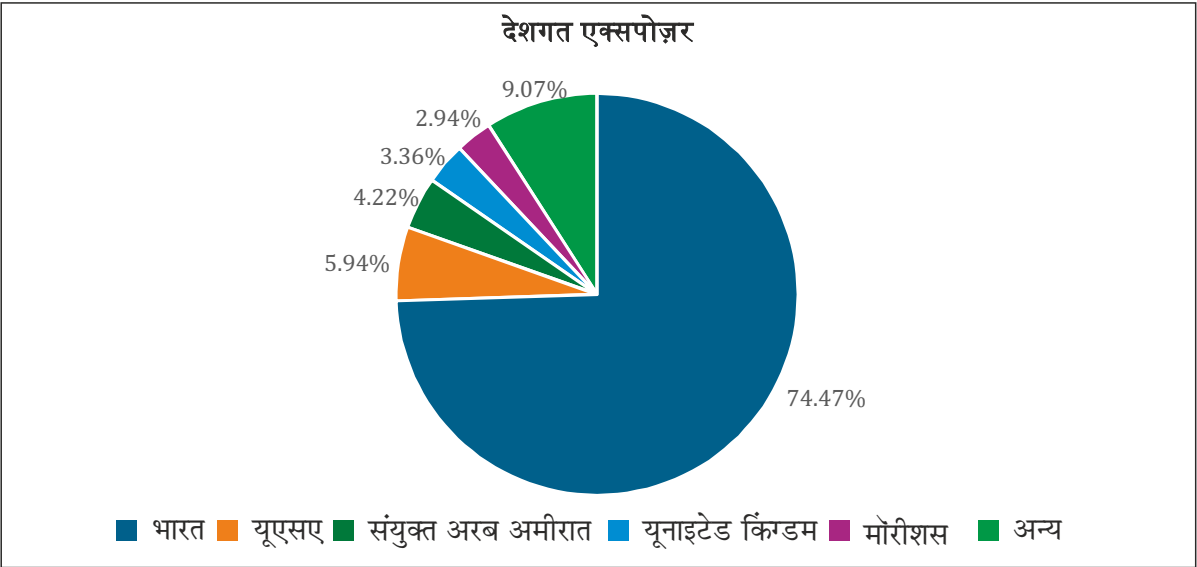
सारणी 4 : ओवर दि काउन्टर (ओटीसी) डेरिवेटिव संविदाओं में बकाया

बकाया डेरिवेटिव (मिलियन यूएसडी)	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
गैर-सुपुर्दगी योग्य डेरिवेटिव संविदाएं (एफसीवाई-आईएनआर) (एनडीएफ, फोरेक्स स्वैप और ऑप्शन)	26159.99	35919.50
एफसीवाई-एफसीवाई वायदा	4145.16	7238.24
एफसीवाई-एफसीवाई करेन्सी स्वैप	966.35	2639.61
एफसीवाई-एफसीवाई करेन्सी ऑप्शन	2515.61	12187.70
आईएनआर ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) (ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (ओआईएस) सहित)	28045.45	74227.39
एफसीवाई ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) (ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (ओआईएस) सहित)	101681.32	102692.86
अन्य	663.34	1354.74
कुल	164177.22	236260.04

बकाया डेरिवेटिव संविदाओं में 43.90% की बढ़ोतरी रही। कुछ आईबीयू ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने बाजार परिचालन आरंभ किए जबकि कुछ ने अपनी कारोबारी रणनीतियों और कुल प्रतिलाभ स्वैपों जैसे नए उत्पादों के आधार पर अपने कारोबारी पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। इस स्वैपशन के परिणामस्वरूप आईबीयू में बकाया डेरिवेटिव संविदाओं में सम्यक बढ़ोतरी रही।

देश-अनुसार एक्सपोजर

आरेख 5 : आईबीयू का प्रमुख देशों में एक्सपोजर



आईबीयू को सर्वाधिक एक्सपोजर भारत (74.47%) के प्रतिष्ठानों से है, इसके बाद यूएसए (5.94%) और यूएई (4.22%) हैं। आईबीयू के लिए 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार 90.93% का एक्सपोजर पांच देशों से है।

भुगतान सेवाएं और भुगतान प्रणालियां

सारणी 5: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार भुगतान सेवा प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली परिचालकों की संख्या

विवरण	प्रतिष्ठानों की संख्या
भुगतान सेवा प्रदाता (सैद्धांतिक अनुमोदन)	5
भुगतान सेवा प्रदाता (प्राधिकृतिकरण)	2
भुगतान प्रणाली परिचालक (सैद्धांतिक अनुमोदन)	1

पर्यवेक्षण

आईएफएससी में आईबीयू भुगतान सेवा प्रदाताओं, जीएओ और वित्तीय कम्पनियों (एफसी/एफयू) के पर्यवेक्षण का दायित्व बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग पर है। यह विभाग विनियमित प्रतिष्ठानों की ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी करते हुए अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तरीका अपनाता है।

पर्यवेक्षण के प्रमुख क्रियाकलाप

ऑफसाइट निगरानी

आईबीयू और इनके नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत विनियामक विवरणियों का विश्लेषण और आईबीयू के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ नियमित वार्तालाप करते हुए अनवरत रूप से ऑफसाइट आकलन बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

ऑनसाइट आकलन

पर्यवेक्षित प्रतिष्ठानों की जोखिम स्कोरिंग के आधार पर आवधिक अंतरालों पर ऑनसाइट आकलन किया जाता है। इस कार्य का प्राथमिक उद्देश्य आंतरिक नियंत्रणों, विनियमों के अनुपालन, आईबीयू द्वारा दिए जा रहे उत्पादों की समीक्षा, निहित प्रक्रियाओं, एएमएल पद्धतियों और आईबीयू की जोखिम प्रोफाइल का आकलन करना है।

विषयगत अध्ययन और लक्षित आकलन

नियमित ऑनसाइट आकलन के अलावा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग चिन्ता के विशिष्ट क्षेत्रों यथा — डेरिवेटिव ऋणजोखिमों, परिचालन मॉडल, जमाराशियों, इंटरनेट बैंकिंग, आदि के बारे में विषयगत अध्ययन भी करता है।

अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन

आईएफएससीए द्वारा जारी हैंडबुक सहित सभी विवेकाधीन मानदंडों, लाइसेंसिंग निबंधनों और शर्तों तथा विनियामक दिशानिदेशों के अनुपालन की निगरानी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग करता है।

स्टेकहोल्डर के साथ वार्तालाप

आईबीयू के प्रबंधन और नियंत्रक कार्यालयों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखा जाता है। इस प्रकार के वार्तालाप से पर्यवेक्षी चिन्ताओं को बताने, प्रत्याशाओं, जोखिम प्रवृत्तियों पर चर्चा में मदद मिलती है।

क्षमता सृजन और विनियामक गतिविधियां

यह विभाग पर्यवेक्षी परिज्ञान और बाजार की गतिविधियों के आधार पर विनियामक व्यवस्थाओं और दिशानिदेशों के परिपालन में योगदान करता है। यह प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से पर्यवेक्षण टीम में भी क्षमता सृजन पर जोर देता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान

- इस विभाग ने विषयगत आकलन के साथ-साथ आईबीयू का ऑनसाइट आकलन किया।
- आईबीयू की सम्यक जानकारी पाने के लिए अन्य पर्यवेक्षकों के साथ विचार-विमर्श और बैठकों

समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल का हांगकांग और सीओल, दक्षिण कोरिया का दौरा

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए का एक प्रतिनिधिमंडल अप्रैल 2024 में हांगकांग और सीओल, दक्षिण कोरिया के दौरे पर गया। इस दौरे में प्रतिनिधिमंडल ने हांगकांग में आयोजित 'एचएसबीसी ग्लोबल इनवेस्टमेन्ट समिट 2024' में सहभागिता की जिसमें आईएफएससीए के अध्यक्ष भी पैनल के सदस्य के रूप में रहे।



चित्र 1: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए – एचएसबीसी ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट, हांगकांग, 2024 में

एचकेएमए के साथ अनुबंधन

आईएफएससीए के अध्यक्ष ने एचकेएमए के डिप्टी चीफ एक्जीक्यूटिव श्री डेरिल चान के साथ मुलाकात की। इनकी परिचर्चा का फोकस बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ संभावित सहयोग अवसरों पर रहा।

फाइनेशियल सर्विसेज कमीशन (एफएससी), कोरिया के साथ अनुबंधन

आईएफएससीए के अध्यक्ष ने एफएससी के वाइस चेयरमैन श्री सोयूंग किम के साथ भेंट की। इनकी परिचर्चा का फोकस बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ संभावित सहयोग अवसरों पर रहा।



चित्र 2: अध्यक्ष, आईएफएससीए – वाइस चेयरमैन, एफसीए कोरिया के साथ

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससी में आईबीयू को निक्षेप बीमा का समर्थन

आईबीयू के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा के प्रावधानों का समर्थन देने के लिए आईएफएससीए द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के साथ समन्वयन किया जा रहा है। आशा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में आईबीयू के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा मिल जाएगा।

प्राप्य धनराशियों के समनुदेशन के पंजीकरण का समर्थन

आईएफएससी में आदृत संव्यवहारों की प्राप्य धनराशियों के समनुदेशन का पंजीकरण भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) के प्रतिभूति स्वत्व की रजिस्ट्री में कराने का समर्थन देने के लिए आईएफएससीए द्वारा सरसाई के साथ समन्वय किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में यह प्रक्रिया परिचालनगत होने की प्रत्याशा है।

भुगतान और निपटान विनियमावली के तहत व्यवस्था

आधिकारिक राजपत्र में 14 अक्टूबर 2024 को आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणालियां) विनियमावली, 2024 की अधिसूचना के अनुसरण में यह प्राधिकरण इसके तहत आईएफएससी में विभिन्न प्रकार की भुगतान और निपटान प्रणालियों हेतु अनिवार्य व्यवस्था का सृजन करेगा।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली

गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) की स्थापना की जा रही है जो गिफ्ट आईएफएससी में स्थित आईबीयू के बीच किए गए विदेशी मुद्रा संव्यवहारों (यूएसडी से आरंभ करते हुए) का निपटान किया करेगा।

वित्तीय कम्पनियां

वित्तीय कम्पनियां/यूनिते (एफसी/एफयू) आईएफएससी के भीतर गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता की सुविधा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वित्तीय सेवाओं के बहुत से प्रकार प्रदान करके इनके द्वारा आईबीयू के कार्यों की अनुपूर्ति की जाती है, यद्यपि ये जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं करती हैं।

आईएफएससीए (वित्तीय कम्पनी) विनियमावली, 2021 द्वारा नियंत्रित ये एफसी/एफयू एक स्पर्धी, जोखिम पर ध्यान देते हुए और पारदर्शी परिवेश में परिचालन करती हैं जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होते हैं। एफसी/एफयू द्वारा किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलापों में उधारदेना, निवेश, आदत, बट्टेदारी के साथ-साथ वैश्विक/ क्षेत्रीय कोर्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी) जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। विनियामक व्यवस्था भी एफसी/एफयू को सक्षम बनाती है कि वे गैर-प्रमुख कार्य जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड वित्त सेवाएं (आईटीएफएस) प्लेटफॉर्म और किसी भी उत्पाद की परिचालन पट्टेदारी यथा – वायुयान पट्टेदारी, जलयान पट्टेदारी अथवा इस प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य उपस्कर की पट्टेदारी का कार्य कर सकें।

31 मार्च 2025 की यथास्थिति के अनुसार एफसी विनियमावली के तहत वित्तीय कम्पनियां स्थापित करने के लिए आईएफएससीए ने 73⁶⁰ प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया है। इनमें से 12 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण प्रमुख क्रियाकलापों जैसे कि उधारियों और आदत के लिए और 3 का पंजीकरण जीआरसीटीसी के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है। गैर-प्रमुख क्रियाकलापों के संबंध में देखा जाए तो वायुयान के 32 पट्टेदारों ने गिफ्ट आईएफएससी से कुल 242 वायुयानों को पट्टे पर दिया, जलयानों के 24 पट्टेदारों और 4 आईटीएफएस ने भी वाणिज्यिक परिचालन आरंभ कर दिए हैं।

नीतिगत/विनियामक गतिविधियां

वित्तीय कम्पनी (प्रमुख क्रियाकलाप) – वैश्विक / क्षेत्रीय कोर्पोरेट ट्रेजरी केन्द्र (जीआरसीटीसी)

जीआरसीटीसी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए इन-हाउस बैंक के रूप में कार्य करते हुए विदेशी मुद्रा और जोखिम प्रबंधन, आस्ति और देयता प्रबंधन, और सलाहकार सेवाओं जैसे वैश्विक ट्रेजरी परिचालन के प्रबंधन में सुविधा प्रदान करते हैं। आईएफएससी द्वारा ऐसे क्रियाकलापों के लिए लागत कुशलता, अनुकूल टैक्स पद्धति और एक सुवाही विनियामक परिवेश सहित वैश्विक रूप से स्पर्धी परितंत्र प्रदान किया जाता है।

इस खंड की संवृद्धि का समर्थन करने के लिए आईएफएससीए ने जून 2021 में जीआरसीटीसी व्यवस्था जारी की। इसके बाद अपनी विनियामक परिचरणा की आवधिक समीक्षा करने और इसे नवीनतम बनाए रखने के अपने अधिदेश के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने जीआरसीटीसी हेतु संशोधित व्यवस्था का प्रस्ताव करते हुए सार्वजनिक परामर्श आलेख जारी किया। जीआरसीटीसी संरचना को अन्य के साथ-साथ सिंगापुर और हांगकांग जैसे अधिकारक्षेत्रों में अपनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूपित करने का प्रयोजन यही है कि इससे वैश्विक ट्रेजरी केन्द्रों के लिए पसंदीदा लोकेशन के रूप में आईएफएससी के आकर्षण को बढ़ाया जाए और साथ ही प्रबल विनियामक निगरानी को बरकरार रखा जाए।

⁶⁰ अनंतिक पंजीकरण सहित

वायुयान पट्टेदारी

वायुयान हेतु वित्तपोषण और पट्टेदारी के लिए आईएफएससीए को एक वैश्विक नाभिक के रूप में स्थापित करने के प्रयासों में वायुयान पट्टेदारी फोकस का क्षेत्र बना हुआ है। इस संघटक का समर्थन करने के लिए पूर्ववर्ती वायुयान पट्टेदारी व्यवस्था में कतिपय संशोधन किए गए, जिनमें केवल देश के भीतर ही पट्टे पर देने के प्रयोजन से भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा आईएफएससीए आधारित पट्टादाताओं को वायुयान अस्तियों का हस्तांतरण करने पर कतिपय प्रतिबंध भी शामिल हैं। हालांकि, आईएफएससीए के पट्टादाताओं को यह अनुमति दी गई है कि वे भारतीय विनिर्माताओं से वायुयान आस्तियों का अधिक्रय कर सकते हैं।

इसके अलावा, स्टैकहोल्डर को स्पष्टता और संदर्भ की सहजता के लिए एक 'वायुयान पट्टे हेतु व्यवस्था' शीर्षक से एक समेकित परिपत्र जारी किया गया, जिसमें सभी संगत दिशानिर्देशों और संशोधनों को एकल, सम्य प्रलेख में समेकित कर दिया गया है।

जलयान पट्टेदारी

जलयान पट्टेदारी भी आईएफएससीए के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र में बना हुआ है। शिप पट्टे पर देने के लिए विनियामक व्यवस्था 2021 में जारी की गई थी और इसी अवधि के दौरान यह अधिदेश देते हुए इस व्यवस्था को संशोधित किया गया कि किसी जलयान या महासागर जलपोत पर स्वामित्व अथवा पट्टा अधिकार रखने वाले पट्टादाता ही जलपोत को भाड़े पर लेने की संविदाएं और जलयान चार्टरों जैसे क्रियाकलापों में अनुबंधन कर सकेंगे। इसके अलावा, केवल भारतीय ग्राहकों को सेवा देने के लिए आईएफएससीए प्रतिष्ठानों को भारत में निवासी व्यक्ति से जलपोतों के अंतरण पर प्रतिबंधों का सूत्रपात किया गया। हालांकि, पट्टेदाताओं को भारतीय शिपयार्ड से नए जलयानों या जलपोतों का अधिक्रय की अनुमति दी गई।

इसके अतिरिक्त वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 21बी में संशोधन (14 मार्च 2024 को अधिसूचित) का अनुसरण करते हुए अब आईएफएससीए आधारित जलयान पट्टादाताओं को अनुमति है कि वे आईएफएससीए के भीतर परिचालन कर रहे जलयान पट्टादाताओं के साथ कार्यालय स्थल और कर्मिकों को शेयर कर सकते हैं।

तेलक्षेत्र के उपस्करों की पट्टेदारी

एफसी विनियमावली में इस प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट किसी भी उत्पाद या उपस्कर के 'परिचालन पट्टा' क्रियाकलाप को गैर-कोर क्रियाकलाप के रूप में अनुमति दी जाती है। इस समर्थन को ही आगे बढ़ाते हुए स्टैकहोल्डर से यह पूछताछ भी प्राप्त हुई कि तेलक्षेत्र के उपस्करों की पट्टेदारी पर एफसी विनियमावली की परिधि में विचार किया जा सकता है अथवा नहीं।

आंतरिक अध्ययनों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि तेलक्षेत्र के उपस्करों को पट्टे पर देने का कार्य यूएसए, चीन, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई जैसे अधिकारक्षेत्रों में एक सुस्थापित व्यवहार है। इसी अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को समझते और स्टैकहोल्डर के साथ परामर्श का अनुसरण करते हुए आईएफएससीए ने यह पाया कि इस प्रकार के उपस्करों को पट्टे पर देने से भारतीय कम्पनियों को सीधे ही खरीद करने की तुलना में एक अधिक पूंजी-किफायती विकल्प प्रदान कर सकता है, खासकर इस पर विचार करते हुए कि स्वदेश में तेल और गैस उत्पादन के लिए भारत आयातित तेलक्षेत्र उपस्करों पर बहुत अधिक निर्भर है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने 'तेलक्षेत्र उपस्कर के परिचालन और वित्तीय पट्टे के किसी भी संमिश्र सहित परिचालन पट्टे' को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में मानने का प्रस्ताव करते हुए सार्वजनिक परामर्श आलेख जारी किया। इस परामर्श आलेख में 'तेलक्षेत्र उपस्कर' को जीएसटी अधिसूचना सं. 3/2017 – केन्द्रीय टैक्स (दर) दिनांक 28 जून 2017 (अन्वेषण और उत्पादन की आपूर्तियों हेतु सीजीएसटी की रियायती दर) में उल्लिखित माल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका प्रयोग तेलक्षेत्र में किया जाएगा जिसमें 'तेलक्षेत्र' अभिव्यक्ति को तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्रयुक्त किया जाएगा।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य है पट्टादाताओं को आईएफएससीए में अपनी व्यवस्था स्थापित करने का समर्थन देने की व्यवहार्यता को खोजा जाए ताकि वे तेलक्षेत्र उपस्करों के पट्टे का परिचालन कर सकें, इससे अनुमेय उपस्करों का पट्टा देने के क्रियाकलापों के दायरे का विस्तार किया जाए और नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों हेतु एक केन्द्र के रूप में आईएफएससीए की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जाए।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा प्लेटफॉर्म (आईटीएफएस)

आईटीएफएस प्लेटफॉर्मों के परिचालन हेतु आईएफएससी ने संशोधित दिशानिदेश जारी किए जो आईएफएससी में व्यापार वित्त हेतु अधिक लोचशील और समावेशी विनियामक परिवेश तैयार करेगा। इन दिशानिदेशों ने पूर्ववर्ती आईटीएफएस फ्रेमवर्क को प्रतिस्थापित किया और सहभागिता को व्यापक बनाने और परिचालन कौशल को समाहित करने का लक्ष्य रखने वाले महत्वपूर्ण परिवर्धन समाहित किए।

संशोधित आईटीएफएस दिशानिदेशों के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित का समावेश है:

- i. सरलीकृत पात्रता और ओन-टैप पंजीकरण — आईटीएफएस प्लेटफॉर्मों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंडों को सुवाही बनाया गया है। पहले के स्थिर आवेदन विन्डो के स्थान पर आईएफएससी ने ओन-टैप पंजीकरण पद्धति को अपनाया है, जिससे आवेदक वर्ष के दौरान किसी भी समय पर आवेदन कर सकते हैं।
- ii. अनुमेय क्रियाकलापों का विस्तार — आईटीएफएस परिचालन के दायरे को निम्नलिखित का समावेश करते हुए विस्तृत किया गया है:
 - क. व्यापार वित्तीयन यूनितों (टीएफयू) में द्वितीयक बाजार के संव्यवहार, और
 - ख. निधियों की क्लीयरिंग और निपटान की सुविधाएं देना
- iii. व्यापक सहभागिता आधार — पात्र सहभागियों की सूची को व्यापक बनाया गया है ताकि भुगतान सेवा प्रदाताओं को शामिल करते हुए व्यापार वित्तीयन परितंत्र के भीतर ही अधिकाधिक एकीकरण और अभिगम का समर्थन दिया जा सके।

इसके अलावा उद्योग प्रस्तुतियों के आधार पर और इस पर विचार करते हुए कि आईटीएफएस प्लेटफॉर्म बाजार-स्थलों के रूप में परिचालन करते हैं, आईटीएफएस परिचालकों के लिए अनुमेय शुल्क संरचना का संशोधन किया गया। नए दिशानिदेशों के तहत वार्षिक शुल्क को प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित संव्यवहारों के कुल मूल्य से आबद्ध कर दिया गया है इससे विनियामक प्रभागों के प्रति अधिक समानुपाती और प्रयोग आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

एफसी/एफयू स्थापित करने के लिए आईएफएससी को लगातार अधिमानित गंतव्य के रूप में अधिकाधिक संकर्षण मिल रहा है, जिसमें स्वदेशी संस्थानों से लेकर वैश्विक खिलाड़ियों तक के विविध प्रकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम गहरी रुचि का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन एफसी की स्थापना उधारियों, आदत और बट्टेदारी, ट्रेजरी परिचालनों, और वायुयानों और जलयानों की पट्टेदारी सहित अनुमत क्रियाकलापों की एक व्यापक श्रेणी को संचालित करने के लिए की जा रही है। यह बढ़ता हुआ संवेग आईएफएससी में वैश्विक दृष्टि से स्पर्धी और गतिमान वित्तीय केन्द्र के रूप में उद्विकसित हो रही संरचना को रेखांकित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आईएफएससी में वित्तीय कम्पनियों के रूप में पंजीकृत विख्यात प्रतिष्ठानों के एक विविध सेट से वायुयान और जलयान पट्टेदारी, उधारियों, और ट्रेजरी परिचालनों जैसे सभी क्षेत्रों में इस केन्द्र के बढ़तु हुए आकर्षण को प्रकट करता है।

सारणी 6: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंजीकृत वित्तीय कम्पनियां

वित्तीय कम्पनियों द्वारा संचालित क्रियाकलापों के प्रकार	एफसी (कोर)	वायुयान पट्टेदारी	जलयान पट्टेदारी	एफसी (गैर-कोर) – धारक कम्पनियां और आईटीएफएस प्रतिष्ठान ⁶²	कुल
दिए गए अनंतिम पंजीकरण	2	2	7	0	11
प्रदत्त सीओआर	6	12	9	0	27
मार्च '25 तक कुल पंजीकरण ⁶¹	12	32	24	5	73

सारणी 7 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार वायुयान पट्टादाता प्रतिष्ठानों द्वारा पट्टे पर दी गई आस्तियां

	विमानन आस्ति का प्रकार	पट्टाकृत आस्तियों की संख्या
1	वायुयान	90
2	इंजन	67
3	ग्राउन्ड सपोर्ट उपस्कर	85
	कुल	242

सारणी 8 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार जलयान पट्टादाता प्रतिष्ठानों द्वारा पट्टे पर दी गई आस्तियां

	आस्तियों का प्रकार	पट्टाकृत आस्तियों की संख्या
1	जलयान	18

सारणी 9 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार वैश्विक/क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्रों (जीआरसीटीसी) के कारोबारी विवरण

विवरण	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
ऋण और अग्रिम (मिलियन यूएसडी)	2332.05
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी)	141.38

सारणी 10 : कोर वित्त कम्पनियों (उदा. उधारियां, निर्यात वित्तीयन) के कारोबारी विवरण

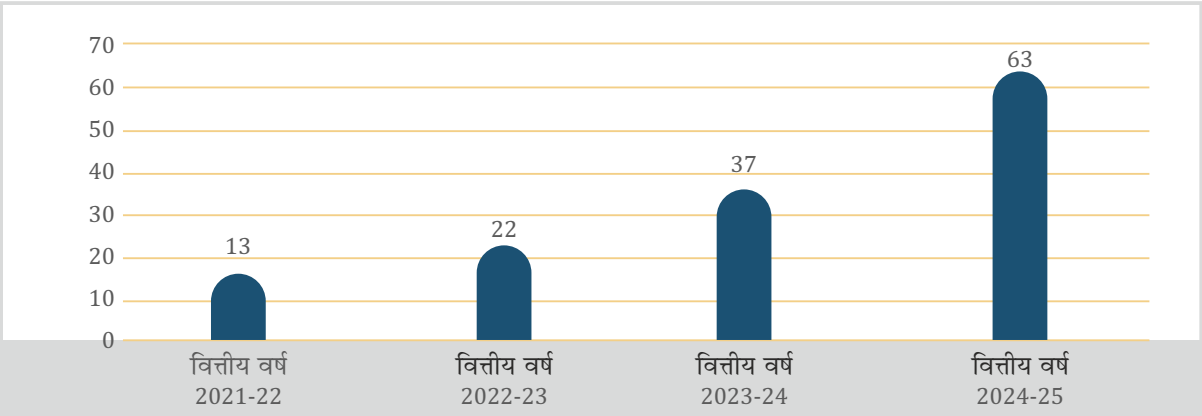
विवरण	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
ऋण और अग्रिम (मिलियन यूएसडी)	7.73
कुल निवेश (मिलियन यूएसडी)	6.65

⁶¹ अनंतिम पंजीकरण शामिल हैं⁶² वायुयान और जलयान संचालन पट्टे के अलावा

सारणी 11: आईटीएफएस प्लेटफार्मों द्वारा सुविधाकृत संस्वयवहार

विवरण	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
वित्तपोषित संव्यवहारों की संख्या	779
वित्तपोषित संव्यवहारों का मूल्य (मिलियन यूएसडी)	44.358

आरेख 6 : आईएफएससी में वित्तीय कम्पनियों की संवृद्धि⁶³



समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल के हांगकांग और कोरिया यात्रा के दौरान की गतिविधियाँ

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी इस यात्रा के दौरान हांगकांग और कोरिया में अग्रणी बैंकिंग संस्थानों, वित्तीय सेवा क्षेत्र के स्टेकहोल्डर, वायुयान और जलयान पट्टादाताओं के साथ उद्विकसित हो रहे बैंकिंग परिदृश्य पर विचार-विमर्श किए गए।

आईएफएससीए सीपीएसई शीर्षबैठक – 2.0



चित्र 3: शीर्षबैठक 2.0 के दौरान सुश्री रिद्धि भंडारी, महाप्रबंधक, आईएफएससीए – आईएफएससीए सीपीएसई

आईएफएससीए ने नई दिल्ली में शीर्षबैठक के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया और अन्य के साथ-साथ ऋण लिस्टिंग, ट्रेजरी केन्द्रों, एक्जिम कारोबार सहित आईएफएससी में पीएसई के लिए अवसरों पर विचार-विमर्श और राउन्ड टेबल संचालित किए।

⁶³ अंतिम पंजीकरण प्राप्त प्रतिष्ठानों के अलावा

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

'वैश्विक / क्षेत्रीय कार्पोरेट ट्रेजरी केन्द्रों' के बारे में संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया जाना

इस प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए एक परामर्शी आलेख जारी किया गया। उद्योग के स्टैकहोल्डर से प्राप्त प्रतिसादों और आगामी अनुबंध के आधार पर आईएफएससीए नवकृत फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने और इसे जारी करने से पहले अनिवार्य परिवर्तनों का मूल्यांकन और संयोजन करेगा।

वित्तीय उत्पाद के रूप में 'तेलक्षेत्र उपस्कर' के संचालनीय पट्टे के समर्थन का अन्वेषण

इस प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए एक परामर्श आलेख जारी किया है। स्टैकहोल्डर से प्राप्त प्रतिसादों और आगामी अनुबंधों के आधार पर आईएफएससीए ने आईएफएससी में वित्तीय उत्पाद के रूप में 'तेलक्षेत्र उपस्कर' के परिचालन और वित्तीय पट्टे के संमिश्र सहित परिचालन पट्टे को समर्थन देने के पहलुओं का अन्वेषण करेगा।

एफसी/एफयू के लिए संशोधित विनियमावली और हैन्डबुक का जारी किया जाना

इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण ने आईएफएससीए (विनियमावली बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियमावली के अनुरूप सार्वजनिक अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए एक परामर्श आलेख जारी किया। प्राप्त प्रतिसादों और उद्योग के स्टैकहोल्डर के साथ आगामी अनुबंधों के आधार पर आईएफएससीए कारोबार करने में सहजता और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों पर फोकस करते हुए आईएफएससीए विद्यमान एफसी विनियमावली में अनिवार्य संशोधनों/परिवर्तनों का अन्वेषण करेगा। इसके अलावा एफसी/एफयू के लिए एक हैन्डबुक तैयार करने पर भी प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है। संगत परिपत्रों का समेकन और एफसी/एफयू हेतु दिशानिर्देश जारी किया जाना, प्रयोक्ता-हितैषी संदर्भ का कार्य करेगा।

भारत में क्रेडिट सूचना कम्पनी का सदस्य बनने के लिए एफसी/एफयू हेतु आवश्यक समर्थनकारी अन्वेषण

आईएफएससीए ने पहले एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें ऋण देने का कार्य करने वाले एफसी/एफयू को क्रेडिट इंफ़ोर्मेशन कंपनीज (विनियमन) एक्ट, 2005 के तहत परिभाषित "क्रेडिट इंस्टीट्यूशन" के दायरे में लाया गया था। इसके आधार पर, आईएफएससीए वर्तमान में ऐसी संस्थाओं को भारत में क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) में शामिल करने की सुविधा के लिए आवश्यक सक्षमता की जांच कर रहा है। इससे ऐसी संस्थाएँ सीआईसी के साथ क्रेडिट डेटा तक पहुँचने, रिपोर्ट करने और साझा करने में सक्षम होंगी, जिससे क्रेडिट पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन में वृद्धि होगी।

वायुयान और जलयान पट्टेदारी व्यवस्था की समीक्षा

आईएफएससीए (विनियमावली बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियमावली के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा जारी सभी विनियमों/व्यवस्थाओं/परिपत्रों की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। तदनुसार वायुयान और जलयान पट्टेदारी परिपत्रों का मूल्यांकन और समुचित रूप से संशोधन/परिवर्तन किया जाएगा ताकि प्रतिष्ठानों को कारोबार करने में सहजता हो सके। इस समीक्षा प्रक्रिया से उद्योग के साथ परामर्श करते हुए परिपत्रों और व्यवस्थाओं में अनिवार्य संशोधन भी हो सकेंगे।

नीतिगत और विनियामक गतिविधियां

आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024

भारत सरकार ने 24 जनवरी 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखतें) संशोधन नियमावली, 2024 और कम्पनी (अनुमेय अधिकारक्षेत्रों में इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग) नियमावली, 2024 (लीप नियमावली) अधिसूचित करते हुए सीधी लिस्टिंग स्कीम को अधिसूचित किया। इन नियमों में आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में सार्वजनिक भारतीय कम्पनियों के इक्विटी शेयरों की सीधी लिस्टिंग की विधिक व्यवस्था का प्रावधान है।

आईएफएससी में प्राथमिक बाजारों के लिए गतिमान और प्रबल परितंत्र के विकास में सुविधा देने के लिए विभिन्न नीतिगत और विनियामक मामलों पर आईएफएससीए को सलाह देने के लिए आईएफएससीए ने प्राथमिक बाजारों पर एक स्थायी समिति (एससीओपी) का गठन किया।

एससीओपी की संस्तुतियों के अनुसरण में और सार्वजनिक परामर्श से आईएफएससीए ने आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों और अन्य अनुमति प्राप्त वित्तीय उत्पादों की लिस्टिंग हेतु नए विनियमों से आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 को प्रतिस्थापित किया। प्राधिकरण ने 27 जून 2024 को आयोजित अपनी बैठक में आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 (नवीन लिस्टिंग विनियमावली) को अनुमोदित किया।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में लिस्टिंग हेतु विनियामक व्यवस्था पर विचार करते हुए नवीन लिस्टिंग विनियमावली को तैयार किया गया है। ऐसे निर्गमकर्ता जो टैक्स-पूर्व लाभ या राजस्व के मानदंड को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं वे 25 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्गम पूर्व बाजार पूंजीकरण के आधार पर आईपीओ निर्गम करने के पात्र हैं।

इसी प्रकार लिस्टिंग से संबंधित कई अन्य अपेक्षाओं जैसे कि अन्य प्रलेखों को दायर करना, प्रकटीकरण, ऑफर का समय, कीमत निर्धारण, न्यूनतम सार्वजनिक ऑफर अपेक्षाओं, हामीदारी, एंकर निवेशक और लोकअप अवधियों को भी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ अनुरूपित कर दिया गया है।

ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में निर्गमकर्ताओं से अपेक्षित है कि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्ताव प्रलेख या सूचना ज्ञापन सहित लिस्टिंग आवेदन दायर करें। क्रेडिट रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2025 से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि निर्गमकर्ता आईएफएससीए में पूंजीकृत कम-से-कम एक सीआरए से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करें। ईएसजी-लेबलकृत प्रतिभूतियों यथा - 'हरित', 'सामाजिक', 'संधारणीयता' और 'संधारणीयता-सहबद्ध' ऋण प्रतिभूतियों के लिए वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों पर आधारित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन आवश्यक है, जिसमें आईसीएमए और जलवायु बॉन्ड मानक शामिल हैं।

नवीन लिस्टिंग विनियमावली से भारतीय निर्गमकर्ताओं (विशेषकर स्टार्ट अप) को और विदेशी निर्गमकर्ताओं को यह सुविधा रहेगी कि आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकेंगे। इन विनियमों से अपेक्षित है कि आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के माध्यम से निर्गमकर्ता को अधिकाधिक लोचशीलता और कुशलता के साथ पूंजी बाजार का अभिगम प्रदान करते हुए कारोबार करने की सहजता को बढ़ावा देंगे।

वाणिज्यिक पेपर और जमा प्रमाणपत्रों की लिस्टिंग

नवीन लिस्टिंग विनियमावली से आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंजों में वाणिज्यिक पेपर (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की लिस्टिंग में समर्थन मिला। आईएफएससीए ने 2 सितम्बर 2024 को एक परामर्श आलेख जारी किया जिसमें आईएफएससी में स्टोक एक्सचेंजों में सीपी और सीडी की लिस्टिंग हेतु प्रस्तावित विस्तृत विनियामक व्यवस्था पर सुझाव मांगे गए थे।

स्टेकहोल्डर से प्राप्त अभिमतों और प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद आईएफएससीए ने “आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंजों में वाणिज्यिक पेपर और जमा प्रमाणपत्रों की लिस्टिंग” पर 17 अक्टूबर 2024 को परिपत्र जारी किया गया। यह व्यवस्था आईएफएससी से जारीकर्ताओं को अल्पावधि वित्त जुटाने में सक्षम बनाएगी।

सीपी और सीडी पर उक्त परिपत्र के प्रयोजनों में से एक यह भी है कि आईएफएससी में नए उत्पादों की लिस्टिंग का समर्थन किया जाए ताकि निवेशकों को आईएफएससी में अल्पावधिक लिखतों में निवेश करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह आईएफएससी में पूंजी बाजार का इकोसिस्टम विकसित करने की दिश में योगदान करेगा।

उक्त परिपत्र में ऐसी विनियामक अपेक्षाएं प्रदान की गईं जो निर्गमकर्ताओं को ऐसी सुविधा दे जिससे ऐसे कुशल और पारदर्शी तरीके से सीपी और सीडी लिस्ट की जाए कि सूचित निर्णय लेने के लिए निवेशकों को पर्याप्त महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहे। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सीपी और सीडी के निर्गमन, पात्र निर्गमकताओं, प्रस्ताव प्रलेख में प्रकटीकरण, निरंतर प्रकटीकरणों, आदि की स्थितियों को निर्दिष्ट किया गया है।

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2025

आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 की अधिसूचना 20 अक्टूबर 2021 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित और अधिसूचित की गई, जिसमें आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थों के नियंत्रण हेतु व्यवस्था का प्रावधान किया गया।

आईएफएससीए (विनियमावली बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियमावली, 2021 के विनियम 7 के अनुसार प्राधिकरण से अपेक्षित है कि यदि कोई समीक्षा पहले ही से न्यायसंगत नहीं हो जाए तो प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार प्रत्येक विनियम की समीक्षा की जाए।

तदनुसार, आईएफएससीए ने 18 जुलाई 2024 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जिसमें आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 की समीक्षा के लिए जनता और विनियमित प्रतिष्ठानों से सुझाव मांगे गए। विगत चार वर्षों में आईएफएससी में पूंजी बाजारों के परितंत्र ने महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी है, जिसमें आईएफएससी में पूंजी बाजार के पंजीकृत मध्यस्थों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस समीक्षा प्रक्रिया के प्रमुख प्रयोजनों में से एक यह भी था कि बाजार सहभागियों और अन्य स्टेकहोल्डर की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियमों को नवीनतम किया जाए।

स्टेकहोल्डर से प्राप्त अभिमतों के आधार पर आईएफएससीए (विनियमावली बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियमावली, 2021 के विनियम 4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईएफएससीए ने 21 नवम्बर 2024 को पूंजी बाजार के मध्यस्थों के विनियमन हेतु नए विनियमों के प्रारूप पर एक परामर्श आलेख जारी किया।

प्राधिकरण ने 26 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में आईएफएससीए (विनियमावली बनाने के लिए प्रक्रिया) विनियमावली, 2025 (नवीन सीएमआई विनियमावली) का अनुमोदन किया।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इस नवीन सीएमआई विनियमावली की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

1. मध्यस्थों की श्रेणियां

नवीन सीएमआई विनियमावली में को मध्यस्थों की एक नई श्रेणी के रूप में 'शोध प्रतिष्ठान' हेतु विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जबकि 'खाता समूहक' श्रेणी को हटा दिया गया है। नवीन सीएमआई विनियमावली में 'वितरकों' और 'ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं' (ईआरडीपीपी) के लिए विनियामक व्यवस्था समाहित की गई है।

2. प्रधान अधिकारी और अनुपाल अधिकारी

नवीन सीएमआई विनियमावली में प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी हेतु न्यूनतम योग्यता और अनुभव अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया जो पूंजी बाजार के मध्यस्थों की सभी श्रेणियों के लिए अनुमेय है।

3. निवल मालियत

नवीन सीएमआई विनियमावली में निम्नलिखित को शामिल करते हुए निवल मालियत अपेक्षाओं को संशोधित किया गया है —

i. शाखा में परिचालन कर रहे प्रतिष्ठानों के मामले में गृह अधिकारक्षेत्र में मूल स्तर पर अनुरक्षित निवल मालियत अपेक्षाएं ही आईएफएससी में इसकी शाखा के लिए भी निर्धारित की जाएंगी।

ii. ब्रोकर डीलर्स, क्लीयरिंग सदस्यों और निवेश बैंकों के मामले में केवल 'चलनिधि आस्तियों' के रूप में ही अनुरक्षित निवल मालियत पर विचार किया जाएगा।

iii. निम्नलिखित श्रेणियों के लिए न्यूनतम निवल मालियत अपेक्षाओं को औचित्यपूर्ण बनाया गया है:

क. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी — यूएसडी 200,000/-

ख. निवेश सलाहकार — यूएसडी 25,000/-

ग. निवेश बैंकर — यूएसडी 100,000/-

iv. इन विनियमों के तहत अपेक्षित न्यूनतम निवल मालियत की अपेक्षा को अलग कर दिया गया है और आईएफएससी के बाहर अथवा आईएफएससी के भीतर अन्य क्रियाकलापों के लिए किसी भी अन्य विनियम या व्यवस्था के तहत अपेक्षित न्यूनतम निवल मालियत अपेक्षा के अतिरिक्त होगी।

4. वार्षिक अनुपालना ओडिट की प्रस्तुति

नवीन सीएमआई विनियमावली में निर्दिष्ट है कि सभी मध्यस्थ प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक आईएफएससी में अपनी वार्षिक अनुपालना ओडिट की एक प्रति फाइल करेंगे।

नवीन सीएमआई विनियमावली से अपेक्षित है कि यह पूंजी बाजार में और अधिक गति को बढ़ावा देगी।

स्टोक एक्सचेंजों में दूरस्थ कारोबारी सहभागिता

विदेश स्थित अनुमति प्राप्त 28 स्टोक एक्सचेंजों के सदस्यों को आईएफएससी में भौतिक उपस्थिति की जरूरत के बिना ही आईएफएससी के स्टोक एक्सचेंजों में सीधे ही कारोबार करने की अनुमति प्रदान करके एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है। विदेशी स्टोक एक्सचेंजों के ऐसे सदस्यों को आईएफएससी में दूरस्थ कारोबारी सहभागी (आरटीपी) के रूप में ऑन-बोर्ड किया जाता है। आरटीपी द्वारा आईएफएससी के स्टोक एक्सचेंजों में केवल मालिकाना आधार पर नकदी में निपटान किए जा रहे डेरिवेटिवों में कारोबार किए जा सकते हैं। आशा है कि इस प्रयास से हाई फ्रीक्वेन्स ट्रेडिंग (एचएफटी)/एलगोरिदमिक ट्रेडिंग फर्मों की ऑनबोर्डिंग की सुविधा मिलेगी जो एक्सचेंज में सौदाकृत डेरिवेटिव उत्पादों में चलनिधि को बढ़ावा देगी।

स्टोक एक्सचेंजों को परिचालनगत लोचशीलता प्रदान की गई है ताकि वे आरटीपी की ऑनबोर्डिंग के समय पत्रता मानदंडों को निर्दिष्ट कर सकें और साथ ही आईएफएससीए (धनशोधन रोधी, आतंकवादी वित्तपोषण रोधक और केवाईसी) दिशानिदेश, 2022 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) (संशोधन) विनियमावली, 2024

आईएफएससीए ने स्टोक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों और डिपॉजिटरीज के लिए एकीकृत विनियामक व्यवस्था का प्रावधान करते हुए आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। आईएफएससीए ने नवम्बर 2024 में एमआईआई विनियमावली में संशोधन किए हैं, मुख्य रूप से एमआईआई के अभिशासन मानदंडों को मजबूत बनाने के लिए।

अन्य लाभ-उन्मुख प्रतिष्ठानों की तरह ही वाणिज्यिक हितों का अनुसरण करते हुए एमआईआई को भी विनियामक दायित्व सौंपे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एमआईआई अपने कारोबारी प्रयोजनों का अनुसरण करने में अपनी विनियामक भूमिकाओं पर से नजर नहीं हटाएं। एमआईआई भी ब्रोकर-डीलर, क्लियरिंग सदस्यों और डिपॉजिटरी सहभागियों जैसे सीएमआई के लिए प्रथम पंक्ति के विनियामक होते हैं। एमआईआई की भूमिका की इस विरोधाभासी प्रकृति के कारण यह बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है कि एमआईआई के अभिशासन के मानकों को मजबूत रखा जाए ताकि बाजार का भरोसा बरकरार रहे और अनाचार को दूर रखा जा सके। आईएफएससी के संदर्भ में कॉर्पोरेट अभिशासन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें एमआईआई वैश्विक सम्पर्क व्यवस्था में अनुबंधन करते हैं। इसलिए एमआईआई के कर्मचारियों की विनियामक और कारोबारी-विकास भूमिकाओं के बीच संभावित संघर्ष की संभावना को कम करने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एमआईआई हेतु संशोधित विनियमावली में ऐसे प्रावधान समाहित किए गए हैं जो विनियामक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक व्यथा संबंधित कार्मिकों और प्रकार्यों को शेष प्रकार्यों से सख्ती के साथ पूर्णतया अलग रखा गया है।

यह भी कि एमआईआई और इनके नियंत्रक बोर्ड, निदेशकों, समिति सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों हेतु अधिक समेकित आचार संहिता निर्धारित की गई है। अन्य प्रमुख संशोधनों में मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य विधिक अधिकारी और मुख्य आसूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान और अपने परिचालनों का विधिवत परिसमापन करने के लिए व्यवस्था तैयार करने हेतु मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अपेक्षा को समाहित किया गया है।

आईएफएससीए (केवाईसी पंजीकरण एजेन्सियां) विनियमावली, 2024

आईएफएससी में स्थापित केआरए के पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु विनियामक व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रस्तावित आईएफएससीए (केवाईसी पंजीकरण एजेन्सियां) विनियमावली, 2024 (केआरए विनियमावली) के लिए सार्वजनिक परामर्श का संचालन किया गया। प्रयोजन यही है कि आईएफएससी में स्थापित केआरए को समर्थन दिया जाए और विभिन्न प्रकार के विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनबोर्ड किए गए क्लाइंट/ग्राहकों के केवाईसी रिकार्ड की केन्द्रीयकृत डिपॉजिटरी तैयार की जाए। इससे विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा क्लाइंट/ग्राहकों की सहज ऑनबोर्डिंग में सुविधा होगी और ग्राहकों के लिए विधिवत तत्परता (सीडीडी) के संबंध में इनकी कुशलता बढ़ेगी।

वास्तविक विश्व की आस्तियों को टोकनीकृत करने की दिशा में विनियामक दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों को संरूपित करने के लिए वास्तविक विश्व की आस्तियों को टोकनीकृत करने की संभावना का अभिज्ञान लेते हुए गिफ्ट आईएफएससी में वास्तविक विश्व की आस्तियों को टोकनीकृत करने की दिशा में विनियामक दृष्टिकोण पर सार्वजनिक अभिमतों को आमंत्रित करने के लिए एक परामर्श आलेख जारी किया गया। आईएफएससी यह चाहता है कि गिफ्ट आईएफएससी की अद्वितीय स्थिति का और वास्तविक विश्व की आस्तियों के लिए गतिशील डिजिटल टोकन परितंत्र का सृजन करने में इसके सहबद्ध लाभों का अवलंब लिया जाए।

इस परामर्श आलेख का प्रयोजन यही है कि फंडों, बॉन्डों, स्टोको, आदि जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों और भुगतानों, जमाराशियों, प्राप्य बिलों, बहुमूल्य धातु बुलियन, पण्यों, बौद्धिक सम्पत्ति और वाणिज्यिक भूसम्पदा सहित वास्तविक विश्व की कतिपय आस्तियों के टोकनीकरण की जरूरत, दृष्टिकोण और उचित उपायों के विनियमन हेतु आईएफएससी के दृष्टिकोण को विशद किया जाए।

साथ ही साथ, आईएफएससी ने अपने द्वारा और आस्ति टोकनीकरण पर विशेषज्ञ समिति द्वारा अभिनिर्धारित विनियामक बाधाओं और चुनौतियों को संगत स्टैकहोल्डर और कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों के समक्ष रखा है ताकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए समानुपातिक, कारण सहित और स्वीकार्य उपायों को निर्धारित किया जा सके।

गिफ्ट आईएफएससी में गैर-बैंक प्रतिष्ठानों द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों के बदले में डेरिवेटिव लिखतों का निर्गमन

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18ए में संशोधनों के परिणामस्वरूप आईएफएससी द्वारा विनियमित और सेबी में पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा आईएफएससी में निर्गमित डेरिवेटिव लिखतों को विधिमान्य और वैध के रूप में मान्यता दी जाती है। आईएफएससी आरंभ में सेबी में एफपीआई के रूप में पंजीकृत और अनुमत आईबीयू को ऑफशोर डेरिवेटिव लिखतों (ओडीआई, जिन्हें पार्टिसिपेटरी नोट या पी-नोट के रूप में भी जाना जाता है) का निर्गमन करने की अनुमति दी थी, जिनके समर्थन में भारतीय इक्विटी/बॉन्ड निहित हों।

इसके बाद, आईएफएससी में पंजीकृत और सेबी से एफपीआई लाइसेंस प्राप्त गैर-बैंक प्रतिष्ठानों को भी ऐसे डेरिवेटिव लिखतों का निर्गमन करने की अनुमति दी जा चुकी है। इन गैर-बैंक प्रतिष्ठानों से अपेक्षित है कि गिफ्ट आईएफएससी में क्लियरिंग कापेरेशनों को जानकारी प्रदान करें।

निपटान गारंटी फंड में योगदान (एसजीएफ)

आईएफएससी (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 में अपेक्षा की जाती है कि मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कापेरेशन एक एसजीएफ की स्थापना और अनुरक्षण करे ताकि स्टॉक एक्सचेंज में निष्पादित सौदों के निपटान की गारंटी रहे। एसजीएफ में क्लियरिंग सदस्यों, मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कापेरेशन और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से योगदान को समाहित किया जाए। यह स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया कि अपने एसजीएफ में क्लियरिंग कापेरेशन के योगदान को उसकी निवल मालियत का एक भाग माना जाएगा। इसके अतिरिक्त एसजीएफ में नकद योगदान पर ब्याज एसजीएफ के लिए संचित होगा और किए गए योगदान के समानुपात में योगदानकर्ताओं को यथा अनुपात दे दिया जाएगा।

बाजार अवसंरचना संस्थान

स्टोक एक्सचेंजों, क्लीयरिंग कापेरेशनों और डिपोजिटरियों को बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये संस्थान प्रतिभूतियों के सौदे, क्लीयरिंग और निपटान हेतु अनिवार्य अवसंरचना प्रदान करते हैं। यह देखते हुए कि एमआईआई द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार की बैंक बोन का निर्माण करती है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर अधिक से अधिक निगरानी रखने की जरूरत होती है।

स्टोक एक्सचेंज

क्लीयरिंग कापेरेशन और डिपोजिटरी के साथ निकट समन्वय रखते हुए एक स्टोक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के सौदों में सुविधा देने में केन्द्रीय भूमिका निभाता है। यह सौदों के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों की कीमतें तलाश करने में सुविधा के लिए एक कारोबारी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके अलावा स्टोक एक्सचेंजों को विभिन्न विनियामक दायित्व भी सौंपे जाते हैं ताकि बाजार की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हो और निवेशक के हितों का संरक्षण हो सके।

आईएफएससीए द्वारा स्टोक एक्सचेंजों को आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमावली, 2021 (इसके बाद एमआईआई विनियमावली के रूप में संदर्भित) के विनियम 9 के तहत मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी में दो स्टोक एक्सचेंज परिचालन कर रहे हैं, इनके नाम हैं — इंडिया इन्टरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) और एनएससी आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई आईएक्स)। इंडिया आईएनएक्स बीएसई लिमिटेड की सहायक इकाई है और एनएसई आईएक्स नेशनल स्टोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई है। दोनों ही स्टोक एक्सचेंज सन 2017 से कार्यरत हैं और एमआईआई विनियमावली के तहत मान्यता हेतु वार्षिक नवीकरण प्रदान किया जाता है।

क्लीयरिंग कापेरेशन

क्लीयरिंग कापेरेशन एक ऐसा एमआईआई है जो स्टोक एक्सचेंज में निष्पादित सौदों की क्लीयरिंग और निपटान का रखरखाव करता है। क्लीयरिंग कापेरेशन इस प्रमुख दायित्व को सुनिश्चित करता है कि प्रतिपक्षों के बीच सौदों को त्वरित और कुशल तरीके से निपटाया जाता है।

गिफ्ट आईएफएससी में दो क्लीयरिंग कापेरेशन परिचालन कर रहे हैं जिनके नाम हैं — इंडिया इन्टरनेशनल क्लीयरिंग कापेरेशन लिमिटेड (आईएफएससी) (इंडिया आईसीसी) और एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कापेरेशन लिमिटेड (एनआईसीसीएल)। इंडिया आईसीसी सेबी में पंजीकृत स्टोक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की सहायक इकाई है और एनआईसीसीएल सेबी में पंजीकृत एनएसई स्टोक एक्सचेंज लिमिटेड की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक इकाई है। दोनों ही क्लीयरिंग कापेरेशनों को एमआईआई विनियमावली के तहत मान्यता का वार्षिक नवीकरण प्रदान किया जा रहा है।

डिपोजिटरी

डिपोजिटरी एक ऐसा संगठन है जो निवेशकों के अनुरोध पर पंजीकृत डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से निवेशकों की प्रतिभूतियों (जैसे शेयरों, डिबेन्चरों, बॉन्डों, आदि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने पास रखता है। गिफ्ट आईएफएससी में एकमात्र प्रकार्यरत डिपोजिटरी है इंडिया इन्टरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लिमिटेड (आईआईडीआई) जो प्रतिभूतियों के रिकार्ड कीपर के रूप में कार्य करती है।

पूँजी बाजार के मध्यस्थ

सामान्यतया पूँजी बाजार के मध्यस्थ (सीएमआई) ग्राहक-उन्मुख प्रतिष्ठान हैं जो निर्गमकर्ता कम्पनी और निवेशकों को पूँजी बाजार में विभिन्न संव्यवहार निष्पादित करने में सहायता करती हैं। आईएफएससी में सीएमआई के क्रियाकलापों का नियंत्रण आईएफएससीए (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के तहत किया जाता है। इन विनियमों में ब्रोकर डीलर, क्लीयरिंग सदस्यों, डिपोजिटरी सहभागियों, निवेश बैंकरो, निवेश सलाहकारों, अभिरक्षकों, वितरकों, आदि जैसे विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों हेतु विनियामक व्यवस्था को निर्धारित किया गया है।

ब्रोकर डीलर

ब्रोकर डीलर ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंजों में अपने ग्राहकों की तरफ से तथा साथ-साथ अपने खाते में भी सौदों का निष्पादन करते हैं।

सारणी 12: स्टोक एक्सचेंज 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार

स्टोक एक्सचेंज	31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार
एनएसई आईएक्स	74
इंडिया आईएनएक्स	60

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

सारणी 13: आईएफएससी स्टोक एक्सचेंजों द्वारा ओनबोर्ड किए गए दूरस्थ कारोबारी सहभागी (आरटीपी)

स्टोक एक्सचेंज	31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आरटीपी की संख्या
एनएसई आईएक्स	6

स्रोत : एनएसई आईएक्स

क्लीयरिंग सदस्य

क्लीयरिंग सदस्य ऐसे मध्यस्थ होते हैं जो किसी ब्रोकर डीलर द्वारा निष्पादित सभी सौदों की क्लीयरिंग और निपटान के लिए उत्तरदायी होते हैं।

सारणी 14: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससी में क्लीयरिंग सदस्य

क्लीयरिंग कार्पोरेशन	सेल्फ-क्लीयरिंग सदस्य	कारोबारी-सह-क्लीयरिंग सदस्य	व्यवसायी क्लीयरिंग सदस्य
एनआईसीसीएल	6	12	2
इंडिया आईसीसी	5	9	2

स्रोत : इंडिया आईसीसी और एनआईसीसीएल

डिपोजिटरी सहभागी

डिपोजिटरी सहभागी किसी मान्यता प्राप्त डिपोजिटरी के सहभागी होते हैं और डिपोजिटरी तथा निवेशक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार इस प्राधिकरण में पंजीकृत 10 डीपी हैं।

अभिरक्षक

अभिरक्षक ऐसे विशिष्ट वित्तीय संस्थान हैं जो वित्तीय सेवाओं के संबंध में अभिरक्षण सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करते हैं जिनमें वित्तीय उत्पादों को सुरक्षित रखने और इस बारे में प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण में पंजीकृत पांच अभिरक्षक हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

प्रभुसत्ता सरकारों, निगमों और वित्तीय लिखतों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की साख के बारे में स्वाधीन आकलन प्रदान करके वैश्विक वित्तीय बाजारों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन आकलनों से निवेशक को सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता, पूंजी का कुशलन आबंटन करने की सुविधा मिलती है और वित्तीय स्थायित्व बढ़ता है।

आईएफएससीए का परितंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करता है जिसमें बॉन्डों की क्रेडिट रेटिंग, बैंकिंग संबंधित उत्पादों और सेवाओं की क्रेडिट रेटिंग, प्रभुसत्ता सरकारों की रेटिंग, शोधा और अन्य अनुमत क्रियाकलापों का समावेश है। 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार इस प्राधिकरण में पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।

डिबेन्चर न्यासी

डिबेन्चर न्यासी किसी डिबेन्चर के निर्गम के संबंध में न्यासी के रूप में नियुक्त एक स्वाधीन तृतीय पक्ष होता है। डिबेन्चर न्यासी की भूमिका डिबेन्चर धारकों के हितों का संरक्षण करना है। इस प्राधिकरण में पंजीकृत डिबेन्चर न्यासी को आईएफएससीए या किसी विदेशी अधिकाक्षेत्र में निर्गमित या सूचीबद्ध डिबेन्चर के किसी निर्गम के संबंध में न्यासी के रूप में नियुक्त के रूप में कार्य करने की अनुमति है। 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण में पंजीकृत चार डिबेन्चर न्यासी हैं।

वितरक

वितरक ऐसे मध्यस्थ होते हैं जो कमीशन लेकर अपने ग्राहकों को पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं का वितरण करते हैं। आईएफएससीए में पंजीकृत वितरकों को आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित विनियमावली और परिपत्रों के तहत अनुमति प्राप्त पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण का कार्य करने की अनुमति है। 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण में पंजीकृत चौदह वितरक हैं।

ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाता (ईआरडीपीपी)

वैश्विक रूप से ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं की भूमिका बहुत अधिक बढ़ी है, जो संधारणीयता, विशुद्ध-शून्य वचनबद्धताओं के व्यापक अंगीकरण पर निवेशक के बढ़ते हुए फोकस और ईसीजी के पारदर्शी प्रकटीकरण हेतु विनियामक मांगों द्वारा चालित है। आईएफएससीए द्वारा विनियामक व्यवस्था के तहत ईएसजी रेटिंग या ईएसजी डाटा उत्पादों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कार्यों में ईआरडीपीपी लगे हुए हैं।

आईएफएससीए ने ' आईएफएससी में ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं हेतु व्यवस्था ' शीर्षक से एक परिपत्र 30 अक्टूबर 2024 को जारी किया जिसमें आईएफएससी में ईआरडीपीपी के पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

निवेश सलाहकार

एक जटिल और गतिमान वित्तीय परिदृश्य में अपने-अपने वित्तीय प्रयोजनों को हासिल करने में निवेशकों की मदद और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने, जोखिम प्रबंधन करने के द्वारा आईएफएससी में निवेश सलाहकार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण में पंजीकृत तीन निवेश सलाहकार हैं।

निवेश बैंकर्स

पूंजी निरूपण में सुविधा देकर, रणनीतिपरक संव्यवहारों पर सलाह देकर, जोखिम प्रबंधन करके और सीमा-पार संव्यवहारों में सुविधा देकर निवेश बैंकर प्रमुख भूमिका निभाते हैं और उनकी विशेषज्ञता तथा सेवाएं वैश्विक वित्तीय बाजारों के कुशल कार्यचालन के लिए अनिवार्य हैं। नवीन लिस्टिंग विनियमावली जारी होने के साथ ही आईएफएससी में आईपीओ, एफपीओ और लिस्टिंग संबद्ध सेवाएं प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा आईएफएससीए द्वारा 3 दिसम्बर 2021 के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससी में आईबीयू को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए आईएफएससी में निवेश बैंकिंग क्रियाकलापों का संचालन करने की अनुमति (अधिकृत) दी गई है।

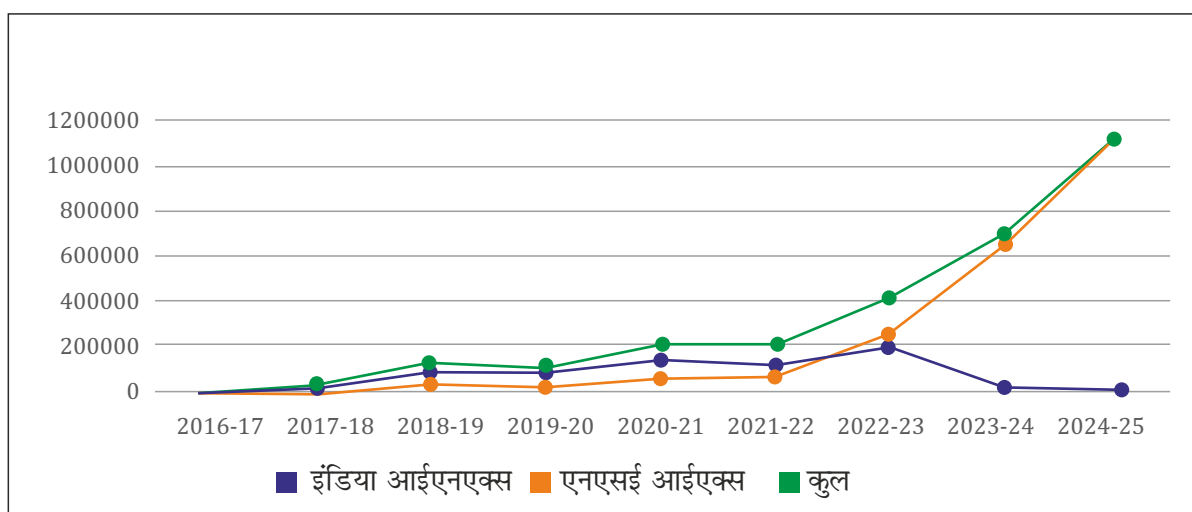
31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससी में निवेश बैंकिंग क्रियाकलापों के संचालन हेतु दो निवेश बैंकर (पंजीकृत) और दो आईबीयू (अधिकृत) हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुछ और प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकरण कराया जाना अपेक्षित है।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

स्टोक एक्सचेंजों में टर्नओवर

आईएफएससी के स्टोक एक्सचेंजों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के 711 बिलियन अमरीकी डोलर की तुलना में 58.23% की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टर्नओवर (आप्शनों के मामले में प्रीमियम के मूल्यमान सहित) 1125 बिलियन अमरीकी डोलर रहा।

आरेख 7 : स्टोक एक्सचेंजों में टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)



स्टोक एक्सचेंजों में कारोबार के लिए उपलब्ध डेरिवेटिव

इन्डेक्स डेरिवेटिव

एनएसई आईएक्स पर सबसे अधिक कारोबार वाले इन्डेक्स डेरिवेटिव संविदा गिफ्ट निफ्टी 50 वायदा रहे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल टर्नओवर में इसका सर्वाधिक हिस्सा रहा। एनएसई आईएक्स पर उपलब्ध अन्य इन्डेक्स डेरिवेटिव संविदाएं हैं – बैंक निफ्टी पर वायदा और ओप्शन, निफ्टी वित्तीय सेवाएं, निफ्टी आईटी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट।

इंडिया आईएनएक्स द्वारा दो इक्विटी सूचकांकों पर डेरिवेटिव संविदाएं दी जाती हैं, इनके नाम हैं बीएसई सेन्सेक्स 50 और बीएसई सेन्सेक्स।

सारणी 15 : इन्डेक्स वायदा में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	एनएसई आईएक्स		इंडिया आईएनएक्स	
	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)
2023-24	16,678,005	680,920	1,242,244	24,905
2024-25	23,307,956	1,112,134	439,366	11,459

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

सारणी 16: इन्डेक्स ओप्शन में संविदाओं की संख्या और टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	एनएसई आईएक्सइंडिया		इंडिया आईएनएक्स	
	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)
2023-24	1,433,164	363	14,302,868	773
2024-25	709,760	343	1,234,069	30

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

पण्य डेरिवेटिव

स्टोक एक्सचेंजों पर कारोबार के लिए विभिन्न पण्य डेरिवेटिव उपलब्ध हैं, जैसा निम्नलिखित सारणी में उल्लेख किया गया है

बहुमूल्य धातुएं	स्वर्ण, चांदी
बेस धातुएं	कोपर
ऊर्जा	ब्रेन्ट कूड ओयल

वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पण्य डेरिवेटिव में टर्नओवर निम्नानुसार रहे

सारणी 17: इंडिया आईएनएक्स पर पण्य डेरिवेटिव में टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)
2023-24	45,343	2,901
2024-25	13,456	1,069

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स

करेन्सी डेरिवेटिव

स्टोक एक्सचेन्जों पर कारोबार के लिए विभिन्न करेन्सी डेरिवेटिव उपलब्ध हैं, जैसा निम्नलिखित सारणी में उल्लेख किया गया है :

वैश्विक करेन्सी डेरिवेटिव	ईयूआर – यूएसडी, जीबीपी – यूएसडी, जेपीवाई-यूएसडी,सीएचएफ-यूएसडी
रुपया डेरिवेटिव	आईएनआर-यूएसडी,यूएसडी-आईएनआर

स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

सारणी 18 : एनएसई आईएक्स पर करेन्सी डेरिवेटिव में टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (मिलियन यूएसडी)
2023-24	19,731	480
2024-25	1,474	35

स्रोत : एनएसई आईएक्स

टर्नओवर का संविदा-अनुसार संविभाजन

स्टोक एक्सचेन्जों में वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में संविदा-अनुसार टर्नओवर निम्नानुसार रहा –

सारणी 19 : स्टोक एक्सचेन्जों में संविदा-अनुसार टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)

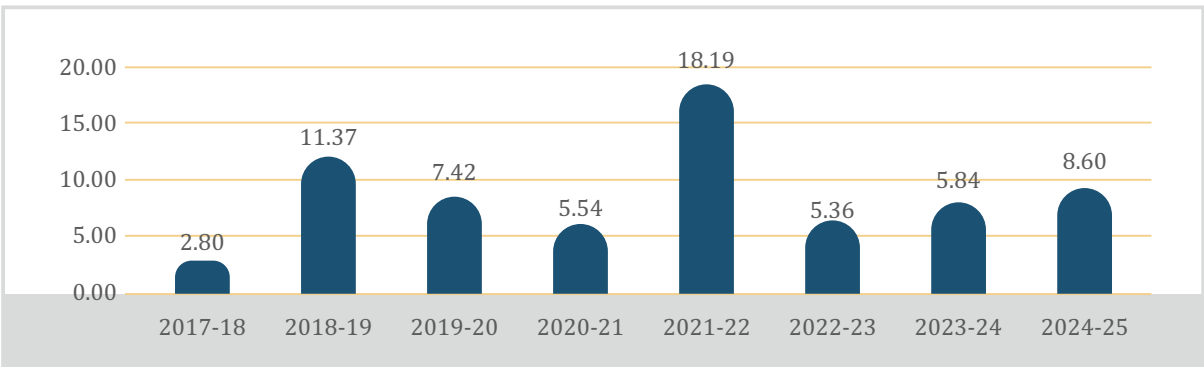
वित्तीय वर्ष	पण्य वायदा	करेन्सी वायदा	इन्डेक्स वायदा	इन्डेक्स ऑप्शन	कुल
2023-24	2,901.11	923.47	7,05,824.42	1,132.99	7,10,781.98
2024-25	1,068.70	35.17	11,23,593.00	374.00	11,25,070.87

स्रोत : एनएसई आईएक्स

आईएफएससी में ऋण बाजार

अपने विदेशी मुद्रा/मसाला बोनडों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए आईएफएससी एक वरीयताप्राप्त गंतव्य के रूप में सामने आया है, यह भारत को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए एक गेटवे का कार्य कर रहा है। आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेन्जों पर ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए सुनिश्चित विनियमों का प्रावधान किया गया है।

आरेख 8: ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग (बिलियन यूएसडी में)



स्रोत : इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएक्स

(पूर्णांकित करने और अन्य चलमुद्राओं से यूएसडी में परिवर्तन के कारण धनराशि में थोड़ा सा अंतर हो सकता है)

आईएफएससी में 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार स्टोक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध सभी ऋण प्रतिभूतियों का संचित योग 65.1 बिलियन अमरीकी डोलर रहा, इसकी तुलना में यह 31 मार्च 2024 की यथास्थिति अनुसार 56.5 बिलियन अमरीकी डोलर था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससी के स्टोक एक्सचेन्जों में 8.6 बिलियन अमरीकी डोलर की ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की गईं, जिनका विवरण निम्नानुसार है —

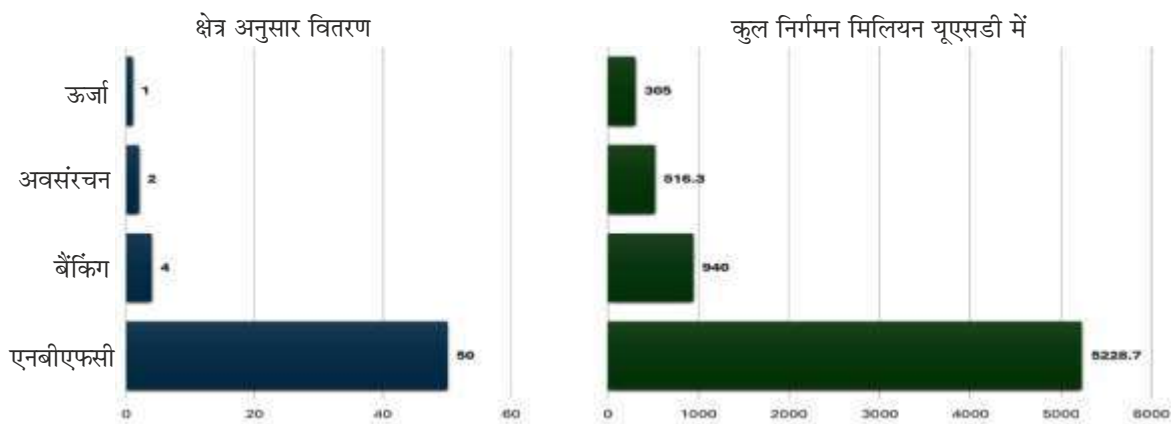
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.99 बिलियन अमरीकी डोलर मूल्य के बॉन्डों का निर्गम हुआ और सूचीबद्ध किया गया
- विगत वित्तीय वर्ष में 1.61 बिलियन अमरीकी डोलर मूल्य के बॉन्डों का निर्गम हुआ लेकिन द्वितीयक लिस्टिंग के रूप में इन्हें आईएफएससी के स्टोक एक्सचेन्जों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचीबद्ध किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससी के स्टोक एक्सचेन्जों में 6.99 बिलियन अमरीकी डोलर मूल्य के कुल 57 निर्गम हुए और इन्हें सूचीबद्ध किया गया, जिसमें प्रमुख मौजूदगी वित्तीय संस्थानों — विशेषण बैंकों और एनबीएफसी की रही।

आईएफएससी में ऋण निर्गमों की प्रमुख प्रवृत्तियां और आंतरिक स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25. निर्गमों की संख्या और कुल मूल्यमान दोनों ही की दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र (मुख्य रूप से एनबीएफसी) का वर्चस्व रहा, जो भारतीय वित्तीय संस्थानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में आईएफएससी की भूमिका को प्रकट करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए कुल 57 निर्गमों में से 50 निर्गम एनबीएफसी द्वारा किए गए जिनकी संचित लिस्टिंग यूएसडी 5.23 बिलियन अमरीकी डोलर (कुल 6.99 बिलियन अमरीकी डोलर में से) रही।⁶⁴

आरेख 9: आईएफएससी में ऋण निर्गमों की प्रवृत्तियां



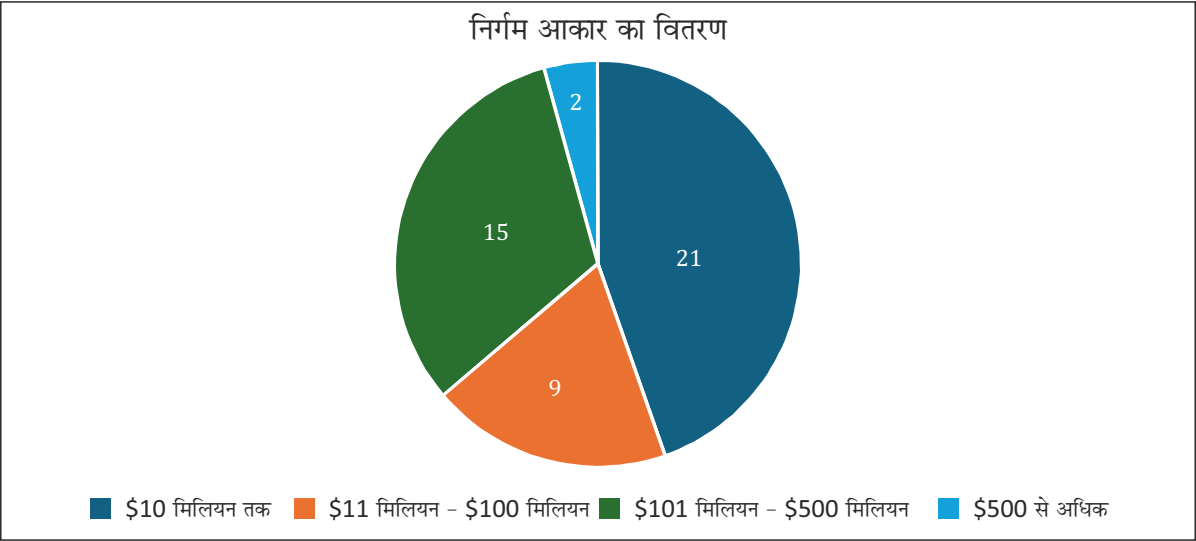
आईएफएससी के स्टोक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध किए गए कुल निर्गमों में से लगभग 40% शीर्ष पांच निर्गमों का रहा।

निर्गम आकार का वितरण

ऐसे 21 बॉन्ड थे जिनके निर्गम का आकार 10 मिलियन अमरीकी डोलर का रहा, यह संकेत देता है कि छोटे निर्गमों वाले निर्गमकर्ताओं ने भी विदेशी मुद्रा बॉन्डों का निर्गम किया और इन बॉन्डों को आईएफएससी के स्टोक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध किया। इसके अलावा 9 बॉन्ड ऐसे थे जिनका निर्गम आकार 11 बिलियन अमरीकी डोलर से 100 मिलियन अमरीकी डोलर के बीच रहा।

⁶⁴ वे बॉन्ड शामिल नहीं हैं जिनका निर्गम विगत वित्तीय वर्ष में हुआ और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससी के स्टोक एक्सचेन्जों में द्वितीयक लिस्टिंग हुई।

आरेख 10 : ऋण के निर्गम आकार अनुसार वितरण



यह पैटर्न संकेत देता है कि आईएफएससी दो अलग-अलग बाजार खंडों को सेवा देता है —

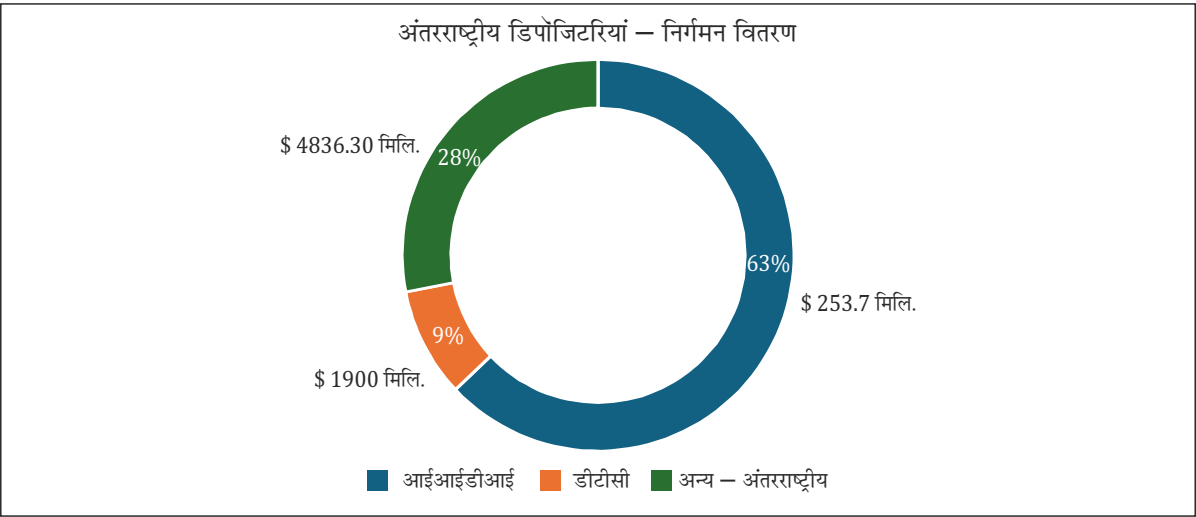
- क. बड़े निगम जो अंतरराष्ट्रीय बोन्ड बाजार में पहुंच रहे हैं; और
- ख. लघुतर वित्तीय संस्थान जो विशिष्ट निधीयन मांग रहे हैं।

डिपोजिटरियां

आईएफएससी के स्टोक एक्सचेंजों सूचीबद्ध बोनडों को निम्नलिखित डिपोजिटरियों में रखा जाता है —

- i. इंडिया इन्टरनेशनल डिपोजिटरी लिमिटेड (आईआईडीआई)— 36 निर्गमन - कुल आकार यूएसडी 253.7 मिलियन रहा
- ii. दि डिपोजिटरी ट्रस्ट कम्पनी (डीटीसी)— 5 निर्गमन — कुल आकार यूएसडी 1,900 मिलियन
- iii. अन्य आईसीएसडी (जैसे यूरोक्लीयर, क्लीयरस्ट्रीम, आदि) — 16 निर्गमन — कुल आकार यूएसडी 4836.30 मिलियन

आरेख 11: अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरियों के अनुसार निर्गमन वितरण



यह पाया गया कि आईआईडीआई पर छोटे आकार के निर्गमनों को रखा जाता है, जबकि बड़े आकार के निर्गमनों को अन्य आईसीएसडी (डीटीसी, यूरोक्लीयर और क्लीयरस्ट्रीम) पर रखा जाता है। निर्गमनों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आईआईडीआई (आईएफएससी में डिपोजिटरी) की धारिता में सर्वाधिक निर्गमन (36) थे।

आईएफएससी ने बॉन्ड परितंत्र और आईएफएससी के ईएसजी बॉन्ड परितंत्र दोनों ही का गहन भी अध्ययन किया और अपने अध्ययनों को सार्वजनिक उपभोग के लिए अपनी वेबसाइट पर दे दिया है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान यह भी पाया गया कि एक अवसर पर बॉन्ड निर्गमकर्ता और इसके अनुपालन अधिकारी ने अनुज्ञेय विनियामक व्यवस्था के तहत निर्धारित कतिपय प्रकटीकरण अपेक्षाओं का उल्लंघन किया। तदनुसार आईएफएससी ने संबंधित निर्गमकर्ता और इसके अनुपालन अधिकारी को सूचित करते हुए पत्र जारी किया।

पर्यवेक्षण

एमआईआई का पर्यवेक्षण

प्राधिकरण द्वारा एमआईआई का पर्यवेक्षण किया जाता है, जिसका प्रयोजन यह रहता है कि अलग-अलग कार्यचालन क्षेत्रों में इनके सम्यक क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाए और अनुपालन में पाई गई कमियों, तथा इनकी प्रणालियों और कार्यपद्धतियों में सहनीयता में सुधार हेतु संस्तुतियां की जाए। यह पर्यवेक्षण विशिष्ट निरीक्षण लक्ष्य रखते हुए ऑफसाइट समीक्षा और ऑनसाइट दौरों के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राधिकरण ने एनएसई आईएक्स का ऑनसाइट निरीक्षण किया।

इसके अलावा, एमआईआई द्वारा प्रस्तुत की जा रही आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं के कार्यपालन और इसके क्रियाकलापों की प्राधिकरण द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है। ये रिपोर्टें अन्य तथ्यों के साथ-साथ एक्सचेज संव्यवहारों और विभिन्न संबद्ध सांख्यिकी, नियंत्रणकर्ता बोर्ड के कार्यचालन, एमआईआई द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई, चूक के अवसरों और परिचालन नियमों के गैर-अनुपालन जो एमआईआई के लिए जोखिम का निहितार्थ रखते हैं, के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। एमआईआई से यह भी अपेक्षित है कि ऑफसाइट पर्यवेक्षण के लिए अनुपूरक जानकारी प्रदान करें।

सीएमआई का पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण

पूंजी बाजार मध्यस्थों (सीएमआई) का निरंतर ऑफसाइट पर्यवेक्षण करने के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने सीएमआई के ऑफसाइट पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्था निर्धारित की है जिसमें सीएमआई द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रिपोर्टों हेतु रिपोर्टिंग मानकों को निर्दिष्ट किया गया है। रिपोर्ट के फॉर्मेट में सीएमआई के परिचालनों के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी और सीएमआई के प्रमुख तथा अनुपाल अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन वचनपत्र शामिल है।

तिमाही रिपोर्टों और तिमाही रिपोर्टों के अवलोकनों के आधार पर की गई कार्रवाई का विश्लेषण करने का कार्य पर्यवेक्षण और मध्यस्थ प्रभाग द्वारा सतत आधार पर किया जाता है। सीएमआई के विरुद्ध गैर-अनुपालन के सूचना पत्र, चूक और चेतावनी पत्र के रूप में प्रशासनिक कार्रवाई का संबंध निम्नानुसार रहा :

- रिपोर्टों का प्रस्तुत नहीं किया जाना,
- रिपोर्टों की देर से प्रस्तुति करना,
- निवल मालियत की रिपोर्ट नहीं करना या गलत रिपोर्ट करना,
- अनुपालन विषयक वचनपत्र प्रस्तुत नहीं करना,
- एफआईयू पंजीकरण विवरणों, आदि को प्रस्तुत नहीं करना।

सारांशी 20 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऑफसाइट पर्यवेक्षण के आधार पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई का सारांश

क्रमांक	प्रशासनिक कार्रवाई का प्रकार	सीएमआई की संख्या
1	चेतावनी पत्र 1) निवल मालियत अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने हेतु 2) सभी 3 या 2 तिमाहियों के लिए तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने हेतु	3 18
2	निम्नानुसार चेतावनी पत्र रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर निवल मालियत की रिपोर्ट नहीं देना या गलत रिपोर्ट देना अनुपालन वचनपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर एफआईयू पंजीकरण विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर निष्क्रिय सदस्यों को पंजीकरण के अभ्यर्पण हेतु	11 14 17 7 2

सीएमआई का ऑनसाइट पर्यवेक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जोखिम आधारित पर्यवेक्षण मानदंड के आधार पर 22 सीएमआई को ऑनसाइट पर्यवेक्षण हेतु निर्धारित किया गया, जिसका संचालन सीएमआई के एमआईआई और आईएफएससीए द्वारा किया गया। इसके अलावा, एमआईआई से प्राप्त शिकायतों और प्रतिवेदनों के आधार पर तीन सीएमआई का सीमित प्रयोजन हेतु पर्यवेक्षण किया गया।

सीएमआई का ऑनसाइट दौरा

सीएमआई के परिसरों में सिस्टम, जनशक्ति और अवसंरचना की मौजूदगी सीएमआई द्वारा किए जाने वाले कारोबार के अनुरूप होना सुश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 82 सीएमआई के ऑनसाइट दौरे किए गए। ऑनसाइट दौरों के आधार पर कार्यालय परिसर बंद होने या अस्थायी स्टाफ मौजूद होने के कारण से चेतावनी पत्र जारी करने के रूप में प्रशासनिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक अवसर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को प्रवर्तन हेतु भेजा गया है।

सीएमआई की निवल मालियत

पर्याप्त पूंजी अनुरक्षण के महत्व के बारे में सीएमआई को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से और निवल मालियत में गिरावट कर सकने वाले व्यवहार को अप्रोत्साहित करने के लिए कतिपय कारोबारी प्रतिबंध लगाए गए जैसे निवल मालियत की बहाली होने तक आईएफएससी में विद्यमान या कोई नया कारोबारी क्रियाकलाप संचालित नहीं करना।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

आईओएससीओ वार्षिक बैठक

अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 से 28 मई 2024 के दौरान एथेन्स, ग्रीस में आयोजित आईओएससीओ वार्षिक बैठक (एएम) 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान आईएफएससीए ने आईओएससीओ की अनेक बैठकों, कार्यशालाओं, अन्य अधिकारक्षेत्रों के विनियामकों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में सहभागिता की।

आईओएससीओ बैठकें, सम्मेलन और कार्यशालाएं

प्रतिनिधिमंडल ने अनेक आईओएससीओ बैठकों जैसे एशिया पसिफिक रीजनल कमेटी मीटिंग, ग्रोथ एन्ड एमर्जिंग मार्केट्स कमेटी मीटिंग, एमएमओयू मोनिटरिंग ग्रुप मीटिंग, ओईसीडी-आईओएससीओ कॉन्फ्रेंस ऑन ससटेनेबल बॉन्ड्स, प्रेसिडेन्ट्स कमेटी मीटिंग और अनेक विषयों पर विनियामक कार्यशालाओं में हिस्सा लिया, जिनमें संधारणीयता-सहबद्ध बॉन्ड बाजार और सुपटेक भी शामिल थे।

विभिन्न देशों के प्रतिभूति बाजारों के विनियामकों के साथ द्विपक्षीय बैठकें

आईएफएससीए ने विभिन्न अधिकारक्षेत्रों के प्रतिभूति बाजारों के विनियामकों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिनमें कमेडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (यूएसए), फाइनान्शियल सर्विसेज एजेन्सी (जापान), सिक्योरिटीज एन्ड कंमोडिटीज एथारिटी (यूएई), फिनान्सिन्सपेकशनेन (स्वीडन), कतर फिनान्शियल मार्केट एथारिटी, फिनान्शियल सुपरवाइजरी कमीशन (ताइवान) और एस्टाना फिनान्शियल एथारिटी शामिल थे। विनियमन को नवीनतम बनाने और इन प्राधिकरणों के बीच आपसी हितों के क्षेत्रों को लेकर विचार-विमर्श किए गए।

आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह, 2024

आईएफएससीए ने आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह, 2024 का आयोजन 14 अक्टूबर 2024 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान किया।

आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह, 2024 एक वैश्विक साप्ताहिक अभियान है जो निवेशक शिक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसमें प्रतिभूतिय विनियामकों के विभिन्न प्रयासों को दर्शाया जाता है। आईएफएससीए ने स्टॉक एक्सचेंजों और बाजार के अन्य सहभागियों के साथ समन्वय करते हुए आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह का आयोजन किया और अनुवृत्तों की एक सम्पूर्ण शृंखला (वेबिनारों, वास्तविक अनुवृत्तों, विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप, शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया पर संदेशों) में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य यही था कि निवेशकों के लिए आईएफएससीए में अनेक अवसरों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाए और प्रतिभूति विनियमन के क्षेत्रों में आईएफएससीए द्वारा किए गए विनियामक प्रयासों को दर्शाया जाए। इस विश्व निवेशक सप्ताह का प्रमुख विषय रहा संधारणीय वित्त और प्रौद्योगिकी। कार्यकलापों में निम्नलिखित का समावेश रहा —

आईएफएससीए द्वारा लघु वीडियो की शृंखला का विमोचन

आईएफएससीए ने “गिफ्ट आईएफएससीए — दि गेटवे टू इंडिया” के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए नौ शॉर्ट वीडियो की एक शृंखला जारी कि जिसमें आईएफएससीए के सम्यक वित्तीय बाजार परितंत्र को शामिल किया गया।

सोशल मीडिया अभियान — एक स्मार्ट इन्वेस्टर

“एक स्मार्ट इन्वेस्टर” के बारे में सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया जिसमें विश्व निवेशक सप्ताह के दौरान सोशल मीडिया पर अनेक संदेशों को पोस्ट किया गया जिनके विषय संधारणीय वित्त, निवेशक की सहनीयता, धोखाधड़ी, स्कैमों से बचाव, आदि से संबंधित थे।

क्लोजिंग बेल समारोह

आईएफएससीए के महाप्रबंधक श्री अर्जुन प्रसाद ने इंडिया आईएनएक्स और आईआईएम एल्युमनी एसोशिएशन द्वारा आयोजित समारोह के दौरान क्लोजिंग बेल बजाई। उन्होंने आईआईआई एल्यूमिनी और एन्जेल/वीसी इन्वेस्टर्स के साथ वार्तालाप सत्र में गिफ्ट आईएफएससीए में अनेक अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की।



चित्र 4 : श्री अर्जुन प्रसान, महाप्रबंधक, आईएफएससीए – विश्व निवेशक सप्ताह के दौरान क्लोजिंग बेल समारोह में सहभागिता करते हुए।

वैश्विक प्रतिभूति बाजार संगोष्ठी

आईएफएससीए द्वारा आयोजित वैश्विक प्रतिभूति बाजार संगोष्ठी की संकल्पना गिफ्ट आईएफएससी में प्रतिभूति बाजारों के लिए एक प्रधान समारोह के रूप में की गई है, इसके लिए आईएफएससी में बाजार अवसंरचना संस्थानों यथा – एनएसई आईएक्स, इंडिया आईएनएक्स, एनएसई आईसीसी, इंडिया आईसीसी, आईआईडीआई और आईआईबीएक्स – का समर्थन और सहायोग भी रहता है।



चित्र 5 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए – जीएसएमसी के उद्घाटन समारोह में सहभागिता करते हुए।

इस संगोष्ठी का आरंभिक संस्करण गिफ्ट सिटी क्लब, गुजरात, भारत में 16 से 17 जनवरी 2025 को रहा जिसका मूल विषय था "गिफ्ट आईएफएससी में नवोन्मेषी और संधारणीय प्रतिभूति बाजार परितंत्र का निर्माण" जो गिफ्ट सिटी में प्रतिभूति बाजार परितंत्र में नवोन्मेष और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है।

इस संगोष्ठी में वैश्विक वित्तीय बाजारों से आए 250 से भी अधिक प्रतिष्ठित सहभागियों की मेजबानी की गई, जिसमें सहभागियों ने उद्योग के अग्रणियों, फंड प्रबंधकों, कॉर्पोरेटों, अर्थशास्त्रियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ने का अवसर मिला जिससे प्रतिभूति बाजार परितंत्र में समन्वय और ज्ञान-विनिमय को बढ़ावा मिला। इस संगोष्ठी में सीधी वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से 2,000+ सहभागियों भी आभासी रूप से जुड़े रहे।

संगोष्ठी के मुख्यांश श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने अपने अभिभाषण में आईएफएससीए के आरंभिक अधिदेश 'प्रतिभूति को अभितट बनाने' से रूपांतरित करते हुए अब भारत के महत्वाकांक्षी विजन 'विकसित भारत @2047' पर नए फोकस पर जोर दिया। श्री के. राजारामन ने विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए प्रमुख आयामों की रूपरेखा बताते हुए अभी हाल ही में भारत की विकास यात्रा में आधार का निर्माण करने वाले भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा किए गए सुधारों का विशेष उल्लेख किया। अध्यक्ष महोदय ने आईएफएससीए की इस वचनबद्धता का दोहराया और इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए बाजार के सहभागियों को प्रोत्साहित किया।

श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार ने अपने विशेष अभिभाषण के दौरान भारत में वित्तीय बाजारों के विकास और इस रूपांतरण में गिफ्ट आईएफएससी की अभिन्न भूमिका पर अपना दृष्टिकोण प्रकट किया। गिफ्ट आईएफएससी का सृजन करने में भारत सरकार के विजन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से एक आर्थिक पावरहाउस के रूप में भारत के उदय को देखते हुए गिफ्ट आईएफएससी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

यह दो दिवसीय संगोष्ठी समेकित कार्यसूची से भरपूर थी और इसमें 20+ सत्र रहे जिनका फोकस पूंजी बाजारों में उदीयमान प्रवृत्तियों, सीमापार वित्तीय सेवाओं, संधारणीय वित्त, फंड प्रबंधन और निजी निवेश के परिदृश्य, बुलियन और बहुमूल्य धातुओं के परितंत्र और वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की उद्विकासी भूमिका पर रहा। विभिन्न उद्योग अग्रणियों और विषयों के विशेषज्ञों ने व्यापक और अनेक विषयों पर अपने गहन ज्ञान को साझा किया, जैसे नए कारोबारी मॉडल और संवृद्धि के उदीयमान क्षेत्र, निवेशक का बढ़ता हुआ भरोसा, भारतीय जनसमूह की ताकत का अवलंबन, बाजार संवृद्धि के लिए उदीयमान प्रौद्योगिकी की शक्ति का सदुपयोग, इत्यादि।

“भारत को वैश्विक आर्थिक पावरहाउस बनाने में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका” विषय पर पैनल चर्चा

जीएसएमसी के मुख्यांश में “भारत को वैश्विक आर्थिक पावरहाउस बनाने में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका” विषय पर पैनल चर्चा शामिल थी, जिसका संचालन सीएनबीसी की सुश्री लता वेंकटेश ने किया तथा इसमें श्री के. राजारामन (आईएफएससीए), श्री टी. वी. मोहनदास पई और श्री आशिषकुमार चौहान शामिल हुए।

पैनल ने यह नोट किया कि सुदृढ़ विनियामक और टैक्स व्यवस्था के साथ गिफ्ट आईएफएससी इस समय पर वैश्विक स्पर्धा के लिए सही स्थिति में है। एआई-बीएफएसआई केन्द्र, वैश्विक ट्रेजरी केन्द्र, और पण्य कारोबार जैसे अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया। केन्द्र की तीव्र प्रगति को अभिस्वीकृति देते हुए इस पैनल ने प्रतिभा को आकर्षित करने की आवश्यकता और सुस्थायी संवृद्धि के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक पूंजी प्रवाह के लिए प्रमुख चैनल के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के भविष्य पर भरोसा व्यक्त किया।

8वां आईसीएमए और जेएसडीए वार्षिक संधारणीय बांड सम्मेलन – शीर्षक " संधारणीय बांड के माध्यम से स्थायी समाज/अर्थव्यवस्था-व्यापी परिवर्तन को सक्षम बनाना "



चित्र 6: श्री प्रदीप रामाकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए – 'नेतृत्व संवाद : संधारणीय वित्त विनियम और नीति' पर टोक्यों में एक पैनल चर्चा में

श्री प्रदीप रामाकृष्णन, ईडी, आईएफएससीए ने टोक्यो में 22 नवम्बर 2024 को आयोजित 8वें वार्षिक आईसीएमए और जेएसडीए सम्मेलन में 'नेतृत्व संवाद : संधारणीय वित्त विनियम और नीति' पर पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। इस पैनल ने संधारणीय वित्त पर एशियाई अधिकाक्षेत्रों में विनियामकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों का उल्लेख किया। श्री प्रदीप रामाकृष्णन ने संधारणीय वित्त के लिए एक केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी का विकास करने के लिए आईएफएससीए द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर अपने विचार व्यक्त किए।

आगामी वर्ष के लिए नीति और कार्यक्रम

नवीन पूंजी बाजार मध्यस्थ विनियमावली, 2025

प्राधिकरण ने 26 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में नवीन सीएमआई विनियमावली का अनुमोदन किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवीन सीएमआई विनियमावली को अधिसूचित किया जाएगा जिसमें आईएफएससी में स्थापित पूंजी बाजार मध्यस्थों के पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए संशोधित विनियामक व्यवस्था का प्रावधान है।

पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए मास्टर परिपत्र

नवीन सीएमआई विनियमावली की अधिसूचना के अनुसरण में आईएफएससी में परिचालन कर रहे पूंजी बाजार मध्यस्थों के विभिन्न वर्गों के लिए आईएफएससीए द्वारा मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। इस मास्टर परिपत्र में कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने के लिए सीएमआई से संबंधित अनेक विनियामक अपेक्षाओं को समेकित और बाजार के मध्यस्थों द्वारा इनका सहज अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

टेकओवर और बाइबैक पर नए विनियम

आईएफएससी में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयरों के टेकओवर और बायबैक का नियंत्रण करने वाले विनियामक व्यवस्था की समेकित समीक्षा आईएफएससीए द्वारा की जाएगी। इन आगामी विनियमों को वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के मानकों के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा और आईओएससीओ के मुख्य सिद्धांतों के साथ

अनुरूपित किया जाएगा, इस प्रकार बाजार की सत्यनिष्ठा को बढ़ाया जाएगा, निवेशक के भरोसे का संवर्द्धन किया जाएगा, और वैश्विक स्पर्धी वित्तीय परितंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बाजार के सहभागियों के लिए समस्तरीय कार्यस्थल सुनिश्चित होगा।

बाजार के दुरुपयोग के निषेध पर नए विनियम

आईएफएससी में प्रतिभूति बाजार में इनसाइडर कारोबार के निषेध और कपटपूर्ण तथा अनुचित कारोबारी परिपाटियों से बचाव से संबंधित विनियामक अपेक्षाओं की आईएफएससीए द्वारा समीक्षा की जाएगी। उद्देश्य है कि कीमत में चालबाजी, इनसाइडर ट्रेडिंग, अप्राधिकृत कारोबार, और अन्य अनुचित व्यवहारों और कपटपूर्ण क्रियाकलापों को पकड़ने और इनका परिहार करने को लक्ष्य बनाते हुए एक प्रबल प्रणाली का परिपालन किया जाए, इससे बाजार में अनुशासन, निवेशकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय बाजारों की सत्यनिष्ठा को कायम रखना सुनिश्चित होगा। इस समीक्षा का मार्गदर्शन आईओएससीओ द्वारा निर्धारित प्रमुख सिद्धांतों किया जाएगा जिससे बाजार की निष्पक्षता, कादाचार का निवारण और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

वैश्विक प्रतिभूति बाजार संगोष्ठी 2.0

वैश्विक प्रतिभूति बाजार संगोष्ठी की सफलता देखते हुए इसके नए संस्करण में अपेक्षित है कि उद्योग के अनेक संघटकों से और अधिक सहभागी आएंगे।

ग्राहक शिक्षण और संरक्षण

आईएफएससीए के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि वित्तीय ग्राहकों के वित्तीय हितों का संरक्षण किया जाए। आईएफएससीए के वित्तीय बाजारों में भरोसे और विश्वास को बढ़ाने के लिए ग्राहक संरक्षण हेतु प्रबल व्यवस्था सुनिश्चित करना आधारभूत व्यवस्था है।

वित्तीय ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आईएफएससीए द्वारा विनियामक दृष्टिकोण में निम्नलिखित का समावेश है,

- i. यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सेवा प्रदाता (अर्थात विनियमित प्रतिष्ठान) समेकित विनियामक निगरानी के अधीन होते हैं जिसमें पंजीकरण दायित्व, आरंभिक और अनवरत पूंजी अपेक्षाएं, आचार संहिता का अनुपालन, आदि शामिल हैं। आईएफएससीए द्वारा जारी विनियमों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों के साथ व्यवहार करने वाले विनियमित प्रतिष्ठान इन अपेक्षाओं के अधीन रहेंगे।
- ii. यह सुनिश्चित करना कि विनियामक व्यवस्था निर्गमकर्ताओं के लिए यह अधिदेश देता है कि सम्पूर्ण, परिशुद्ध तथा वास्तविक जानकारी का समय पर प्रकटीकरण करते हुए निवेशकों को यह समर्थन दिया जाता है कि वे सुविज्ञ निवेश निर्णय ले सकें। इस संबंध में आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2024 में विशिष्ट प्रावधान समाहित हैं।
- iii. यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक उन्हीं प्रतिष्ठानों से व्यवहार करता है जो आईएफएससीए द्वारा लाइसेन्सीकृत/ पंजीकृत/ मान्यताप्राप्त/ प्राधिकृत हैं। सभी लाइसेन्सधारी, पंजीकृत, मान्यताप्राप्त और प्राधिकृत प्रतिष्ठानों की सूची आईएफएससीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 20 सितम्बर 2024 को आईएफएससीए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जनता बताया गया कि किसी भी ऐसे अप्राधिकृत ब्रोकर डीलर से व्यवहार करते समय सावधान रहें जो आईएफएससी में ब्रोकर डीलर होने का दावा करता हो। यह प्रेस विज्ञप्ति आईएफएससीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- iv. प्रभावी पर्यवेक्षण (ऑफसाइट और ऑनसाइट) का संचालन ताकि सुनिश्चित हो सके कि विनियमित प्रतिष्ठान आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट विनियामक मानदंडों और अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं। आईएफएससीए द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं ताकि आईएफएससीए में पर्यवेक्षण को मजबूत बनाया जाए। पर्यवेक्षण के बारे में विवरणों को संबंधित खंडों में दिया गया है।
- v. ग्राहकों को धोखाधड़ी, चालबाजी और भ्रामक व्यवहारों से बचाने के लिए प्रवर्तन उपायों को मजबूत बनाना।
- vi. ग्राहकों की व्यथा का निवारण करने के लिए कुशल पद्धति की स्थापना की जाए।

शिकायतों का रखरखाव और व्यथा निवारण

यद्यपि आईएफएससीए ने पहले ही अपेक्षाएं आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित विभिन्न विनियमों और परिपत्रों के तहत शिकायतों के निपटान के लिए निर्धारित की हैं, तथापि आईएफएससी में विभिन्न वित्तीय सेवाओं के लिए विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा व्यथा निवारण और शिकायत निपटान के लिए एक समेकित और परिपूर्ण दृष्टिकोण निर्दिष्ट किया जाए। आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा शिकायत निपटान और व्यथा निवारण हेतु प्रस्तावित पद्धति पर एक परामर्श आलेख 30 अगस्त 2024 को जारी किया गया। आईएफएससीए द्वारा प्रस्तावित यह व्यवस्था आईओएससीओ, आईएआईएस, बीसीबीएस, ओईसीडी, के मानकों और अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में सर्वोत्तम परिपाटियों पर आधारित है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में आईएफएससीए ने 'आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा शिकायत निपटान और व्यथा निवारण' (शिकायत निपटान परिपत्र) शीर्षक से 2 दिसम्बर 2024 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तीय ग्राहकों की शिकायतों के निपटान और व्यथा के निवारण हेतु मानदंडों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया।

शिकायत निपटान परपत्र के प्रमुख फीचर निम्नानुसार हैं –

अनुमेयता

शिकायत निपटान के बारे में आईएफएससीए द्वारा जारी विनियामक व्यवस्था विदेशी विश्वविद्यालयों, आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं, बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध संबंधी अनुपालना सेवाओं (बीएटीएफ), सेवा प्रदाताओं, वैश्विक/क्षेत्रीय ट्रेजरी केन्द्रों और आईएफएससी में वायुयान या जलयान पट्टादाता सेवाओं में संलग्न प्रतिष्ठानों के अलावा आईएफएससीए द्वारा विनियमित उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनुमेय है, जो अपने समूह के प्रतिष्ठानों के अलावा किसी अन्य ग्राहक या क्लाइंट के साथ व्यवहार कर रही हैं।

नीति

विनियमित प्रतिष्ठानों को शिकायतों के निपटान और व्यथा निवारण पर ऐसी नीति रखनी होगी जो यथाअनुमेय रूप में इसके शासी निकाय या इसके निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित होनी चाहिए। शिकायत निपटान और व्यथा निवारण संबंधी नीति को विनियमित प्रतिष्ठानों की वेबसाइट या अपने समूह के प्रतिष्ठान के निर्धारित वेबपेज, यथाअनुमेय, पर 'शिकायत निपटान और व्यथा निवारण' शीर्षक के तहत स्पष्ट रूप से प्रकाशित की जानी चाहिए। शिकायत निवारण अधिकारी (सीआरओ) और शिकायत निवारण अपीलीय अधिकारी (सीआरएओ) के नाम और सम्पर्क विवरण भी इसी खंड में स्पष्ट रूप से बताने होंगे।

शिकायत निपटान प्रक्रिया (रिटेल ग्राहक)

शिकायत निवारण अधिकारी –

कोई शिकायत प्राप्त होने पर विनियमित प्रतिष्ठानों के शिकायत निवारण अधिकारी उस शिकायत के गुणावगुण का आकलन करेंगे। विनियमित प्रतिष्ठान ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 3 कार्यदिवस के भीतर लिखित में शिकायत स्वीकार होने की अभिस्वीकृति देंगे। अस्वीकृति होने की स्थिति में विनियमित प्रतिष्ठान द्वारा शिकायतकर्ता को जानकारी 5 कार्यदिवस के भीतर कारण सहित दी जाएगी। विनियमित प्रतिष्ठान शिकायत स्वीकार होने के बाद अधिमानतः ऐसी शिकायत को 15 दिन के भीतर लेकिन सामान्यतया 30 दिन के भीतर निपटाएंगे।

शिकायत निवारण अपीलीय अधिकारी

यदि शिकायतकर्ता प्राप्त परिणाम से असंतुष्ट है तो वह निर्णय प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर अपनी अपील शिकायत निवारण अपीलीय अधिकारी के पास भेजेगा। शिकायत निवारण अपीलीय अधिकारी इस अपील का निवारण 30 दिन के भीतर करेंगे।

प्राधिकरण के समक्ष शिकायत

यदि प्रतिष्ठान की आंतरिक अपील प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद भी शिकायतकर्ता असंतुष्ट रहता है तो वह शिकायतकर्ता अपने मामले को आईएफएससीए के पास ले जा सकता है, इसके लिए वह 21 दिन के भीतर grievance-redressal@ifsc.gov.in पर अपनी ईमेल कर सकता है। यदि कोई शिकायत किसी ट्रेडिंग सदस्य या किसी क्लियरिंग सदस्य या किसी डिपोजिटरी सहभागी या किसी बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या किसी बुलियन क्लियरिंग सदस्य के विरुद्ध है तो आईएफएससीए के पास आने से ग्राहक को सबसे पहले तो संगत बाजार अवसरचना संस्थान के पास जाना होगा। अभिलेखों का अनुरक्षण

विनियमित प्रतिष्ठानों को पत्राचार, संकल्प और अस्वीकृति के कारणों सहित सभी शिकायतों का रिकार्ड परपत्र में निर्धारित अवधि तक रखना होगा।

रिपोर्टिंग

विनियमित प्रतिष्ठान शिकायतों के निपटान के बारे में इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्ररूप और तरीके से रिपोर्ट फाइल करेंगे। यदि किसी प्रतिष्ठान से अनुमेय कानूनों के तहत यह अपेक्षित है कि आईएफएससी में अपने कारोबारी क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो विनियमित प्रतिष्ठान अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 'शिकायत निपटान और व्यथा निवारण' शीर्षक से एक खंड रखेंगे। यदि प्रतिष्ठान से वार्षिक रिपोर्ट फाइल करना अपेक्षित नहीं है तो प्रतिष्ठान इसे अपनी वेबसाइट / अपने समूह के प्रतिष्ठान के निर्धारित वेबपेज पर, यथा अनुमेय, इसे प्रकाशित करेगा।

स्टेकहोल्डर से वार्तालाप

आईएफएससीए ने दिसम्बर 2024 और जनवरी 2025 में स्टेकहोल्डर के साथ अनेक वार्तालाप आयोजित किए ताकि उन्हें परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षाओं और मानदंडों से अवगत कराया जा सके। स्टेकहोल्डर से प्राप्त अनुक्रिया के आधार पर शिकायत निपटान परिपत्र को 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी किया जा चुका है।

अन्य प्रयास

आईएफएससीए ने आईएफएससी में शिकायत निपटान हेतु पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आईएफएससीए की वेबसाइट पर "Consumer" → "Complaints" का एक समर्पित वेबपेज तैयार किया हुआ है।

आईएफएससीए ने एक और भी वेबपेज तैयार कराया है — "Consumer" → "Alerts against Possible Scams" जिसपर निम्नानुसार जानकारी प्रदान की गई है —

- i. ग्राहकों हेतु निर्देशिका का लिंक ताकि देखा जा सके कि प्रतिष्ठान आईएफएससीए द्वारा पंजीकृत / प्राधिकृत है या नहीं।
- ii. ग्राहक संरक्षण के बारे में आईएफएससीए द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनियां
- iii. आईओएससीओ के इन्टरनेशनल सिक्यूरिटीज एन्ड कमोडिटीज एलर्ट नेटवर्क (आई-स्कैन) के लिए लिंक। आईओएससीओ को अपने सदस्यों से ऐसी चेतावनी और सूचनाएं अपने सदस्यों से मिलती हैं जो उन फर्मों के बारे में होती हैं जिन्हें चेतावनी या सूचना देने वाले अधिकारक्षेत्र में निवेश सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। यह लिंक ग्राहकों को अन्य अधिकारक्षेत्रों में स्कैम के बारे में जानने में मदद करेगा।

फंड प्रबंधन

मजबूत और वैश्विक रूप से स्पर्धी फंड प्रबंधन परितंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आईएफएससीए ने आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 की समेकित समीक्षा की। विनियमों को सरल करने और अनुपालन के बोझ को कम करने और निवेशक के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए तथा अपने मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करते हुए अपनी विनियामक व्यवस्था को मजबूत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को आगे बढ़ाया गया।

अत्यधिक परामर्शी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए समीक्षित विनियमों के प्रारूप को प्राधिकरण की दिसम्बर 2024 में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया और इसे आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 के रूप में 19 फरवरी 2025 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया। वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप ही इन विनियमों ने नवोन्मेषों को प्रोत्साहन और आईएफएससीए में फंड प्रबंधन क्रियाकलाप करने में सहजता को बढ़ावा दिया।

आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 में एफएमई के लिए एकीकृत और सुवाही पंजीकरण व्यवस्था दी गई है, जो इन्हें फंड प्रबंधन क्रियाकलापों के एक पूरी शृंखला का संचालन करने की अनुमति देती है, यथा —

- क. रिटेल स्कीमों का प्रबंधन (एक्सचेन्ज पर सौदाकृत फंडों सहित),
- ख. गैर-रिटेल स्कीमों का संचालन (वैकल्पिक निवेश फंड),
- ग. निवेश न्यासों का प्रबंधन (आरईआईटी और आईएनवीआईटी),
- घ. पोर्टफोलियो सेवाओं का प्रबंधन प्रदान करना।

विनियमावली में निम्नलिखित तीन श्रेणियों में एफएमई के पंजीकरण का प्रावधान है —

1) पंजीकृत एफएमई (रिटेल)

इस श्रेणी के तहत, एफएमई रिटेल निवेश उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी, यथा — रिटेल स्कीमों (एक्सचेन्ज सौदाकृत फंडों सहित), गैर-रिटेल स्कीमों (वैकल्पिक निवेश फंड), वेन्चर पूंजी स्कीमों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं, आदि का प्रस्ताव रिटेल निवेशकों के साथ-साथ गैर-रिटेल निवेशकों को भी कर सकते हैं।

2) पंजीकृत एफएमई (गैर-रिटेल)

यह वर्ग उन एफएमई के लिए है जो प्रत्यायित निवेशकों अथवा एक कतिपय सीमा (प्रतिबंधित स्कीमों के मामले में 150,000 यूएसडी और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के मामले में 75,000 यूएसडी) तक न्यूनतम निवेश करने वाले निवेशकों फंड प्रबंधन या पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का अभिप्राय रखते हैं।

3) प्राधिकृत एफएमई

यह विशेष वर्ग लाइट-टच पंजीकरण के साथ ऐसे एफएमई के लिए है जिनका अभिप्राय वेन्चर कैपिटल स्कीम के माध्यम से स्टार्ट-अप्स की केवल गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने से है और जो केवल कम-से-कम 250,000 यूएसडी तक निवेश करने वाले निवेशकों या प्रत्यायित निवेशकों के लिए है।

एफएमई के लिए पंजीकरण के तीनों वर्ग, क्रियाकलापों की जोखिम संभावना के आधार पर उन्हें दी गई अनुमति के अनुसार, उनके लिए अनुमेय आरंभिक और अविरत विनियामक अपेक्षाओं को भी निर्धारित किया जाता है।

एफएमई, रिटेल स्कीमों, गैर-रिटेल स्कीमों, वेन्चर कैपिटल स्कीमों, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और निवेश ट्रस्टों के लिए विस्तृत पात्रता और विनियामक अपेक्षाओं को विनियमों के तहत निर्धारित किया जा चुका है।

नीति / विनियामक गतिविधियां

व्यवसाय के लिए सहजता को बढ़ाने के लिए स्कीम आरंभ करने को सुवाही बनाना

व्यवसाय करने में सहजता को बढ़ाने और नई स्कीमों के लिए तीव्र बाजार अभिगम का समर्थन देने के अभिप्राय से आईएफएससीए ने 5 अप्रैल 2024 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें स्कीमों या फंडों की फाइलिंग हेतु प्रक्रिया को सहज बना दिया गया। अब एफएमई को अनुमति है कि एक ग्रीन चैनल के तहत वे प्राधिकरण में निर्धारित प्रकटीकरण और समर्थक प्रलेखों सहित प्रस्तावित स्कीमों के प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेण्डम (पीपीएम) फाइल करें, जिसके बाद आईएफएससीए से एफएमई को यह जानकारी मिलते ही कि पीपीएम को रिकार्ड पर ले लिया गया है फाइल की गई स्कीमों को निवेशकों द्वारा अभिदान हेतु खोल दिया जाए। इस सुवाही दृष्टिकोण से अपेक्षित है कि फंड आरंभ करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में आईएफएससी की स्पर्धात्मकता को और अधिक मजबूती मिलेगी।

केपीएम नियुक्ति दिशानिर्देशों के माध्यम से अभिशासन को मजबूत बनाना

व्यापार करने में आसानी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए एफएमई के भीतर अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, आईएफएससीए ने 20 फरवरी, 2025 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें एफएमई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) की नियुक्ति और परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट और मानकीकृत प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई।

फंड प्रबंधन विनियमावली, 2025 की दिशा में अंतरण

आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 से नव अधिसूचित आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 की तरफ सहज अंतरण की सुविधा देने के लिए मार्च 2025 में आयोजित बैठक में प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसरण में 8 अप्रैल 2025 को आईएफएससीए ने एक परिपत्र जारी किया और आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 के तहत रिकार्ड पर ली जा चुकी स्कीमों को समर्थन देते हुए कहा कि इन्हें इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर, कतिपय शर्तों के तहत, आईएफएससीए द्वारा एककालिक विन्डो की सुविधा लेते हुए कथित स्कीम पीपीएम को पुनः फाइल करने के लिए आईएफएससीए ने एफएमई को अनुमति दी और इन्हें नई विनियामक व्यवस्था के तहत लॉन्च किया गया। इस उपाय का अभिप्राय विभिन्न विनियामक व्यवस्थाओं के तहत प्राधिकृत स्कीमों के बीच विनियामक समतुल्यता सुनिश्चित हो सके और सममान रूप से अवस्थित प्रतिष्ठानों को पृथक व्यवहार से बचाया जाए। इसके अलावा ऐसे उपायों से यह भी प्रत्याशित है कि एफएमई द्वारा निवेश किए गए संसाधनों को अनेक अनुमोदनों, निवेशक जागरूकता का सृजन करने, वेन्डरों और सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति, आदि से होने वाली विपत्ति से बचाया जा सकेगा।

आईएफएससी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आस्ति स्कीमों का मूल्यांकन

एफएमई को आस्तियों का स्वाधीन मूल्यांकन करने का अतिरिक्त विकल्प देने के एक प्रयास के रूप में आईएफएससीए ने 25 जुलाई 2024 का परिपत्र जारी किया जिसके माध्यम से आईएफएससीए में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों को स्कीमों के लिए आस्तियों का मूल्यांकन करने की अनुमति दी जा चुकी है। आईएफएससी में स्थित एफएमई द्वारा आरंभ की गई स्कीमों के लिए इस उपाय से अब यह विकल्प होगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों से अथवा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से अपनी स्कीमों हेतु मूल्यांकन सेवाएं ले सकें।

बोक्स 1: आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24, के यूनियन बजट में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषित किया कि –

“अनुपालन को सरल बनाने, इसमें सहजता लाने और लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे विद्यमान विनियमों की समेकित समीक्षा करें। इसके लिए वे जनता और विनियमित प्रतिष्ठानों से मिले सुझावों पर विचार करें.....”

उक्त को ध्यान में रखते हुए और विनियामक प्रक्रियाओं को सुवाही बनाने के लिए अपनी सतत वचनबद्धता, कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में आईएफएससीए द्वारा आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 की व्यापक समीक्षा की गई।

समीक्षा की यह प्रक्रिया आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 की समीक्षा के लिए 10 अक्टूबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से मांगे गए सुझावों के आमंत्रण से आरंभ की गई।

इसके अलावा, गिफ्ट आईएफएससीए में फंड प्रबंधन अवसरों हेतु विनियामक व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाजार के सहभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के अपने प्रयास में आईएफएससीए ने भारत में निवेश निधियों के परितंत्र में बाजार सहभागियों और अन्य प्रमुख अधिकारक्षेत्रों के साथ वन-टू-वन बैठकों, रोडशो, उद्योगों के साथ राउन्डटेबल, सम्मेलन, आदि के माध्यम से अनुबंधन किया। इस प्रकार के वार्तालापों के क्रम में विनियामक व्यवस्था को निरंतर परिष्कृत करने की दृष्टि से आईएफएससीए ने सक्रियतापूर्वक इन सहभागियों से सुझाव मांगे। इसके अलावा अपने आउटरीच प्रयासों में से एक के रूप में आईएफएससीए ने कई क्षेत्रों के बाजार सहभागियों के साथ मिलकर चिन्तन शिविर का आयोजन किया, इससे भी आईएफएससीए को अपनी विनियामक व्यवस्थाओं के अधिकाधिक सुधार हेतु इनपुट भी मिले।

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रमुख सुझावों के परिपालन और आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2022 को आईएफएससीए में फंड प्रबंधन उद्योग की संवृद्धि के आगामी चरण के लिए भविष्य उद्यत बनाने की दृष्टि से, आईएफएससीए ने 5 अगस्त 2024 को एक अन्य परामर्श आलेख जारी करते हुए उक्त विनियमावली में संशोधनों के विशिष्ट प्रस्तावों पर जनता से अभिमत आमंत्रित किए। प्राप्त अनुक्रियाओं की पूरी तरह से जांच की गई और इन पर आईएफएससीए की निधि प्रबंधन सलाहकार समिति (एफएमएसी) में भी चर्चा की गई।

इसके बाद इस प्राधिकरण ने 19 दिसम्बर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधिता विनियामक व्यवस्था पर विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया। अपने सा एफएमई को पंजीकृत करने के अतिव्यापी सिद्धांत के तहत फंड प्रबंधन क्रियाकलापों को संचालित करने की अनुमति दी जाती है और समग्र विनियामक व्यवस्था वही रहती है, कारोबार करने में और अधिक सहजता बढ़ाने और कतिपय विनियामक प्रावधानों के अभिप्राय को स्पष्ट करने और सुरक्षाउपायों का सूत्रपात करने के लिए किए गए परिवर्तन निवेशकों के हित संरक्षण हेतु अनिवार्य हैं।

प्रबल परामर्शी प्रक्रिया के बाद ही आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 का प्रकाशन 19 फरवरी 2025 को शासकीय राजपत्र में किया गया।

आईएफएससीए में निधि प्रबंधन के लिए विनियामक परिवेश को बढ़ाने के लिए सतत प्रयासों और वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ समरूपित करने के लिए आईएफएससीए द्वारा निधि प्रबंधन विनियमावली, 2025 अधिसूचित की गई जो 2022 की विनियमावली को निष्प्रभावी करती है और नई विनियमावली 19 फरवरी 2025 से प्रभावी हुए। इन विनियमों को विस्तृत परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गा है और इनका लक्ष्य है नवोन्मेष को बढ़ावा देना, अनुपालन के बोझ को कम करना और गिफ्ट आईएफएससीए में कारोबार करने में सहजता को बढ़ाना है।

2025 व्यवस्था के तहत अंतरण सहित प्रमुख संवर्द्धन में निम्नलिखित का समावेश है

न्यूनतम संग्रहण अपेक्षा को कम करना — गैर-रिटेल स्कीमों को आरंभ करने के लिए न्यूनतम सीमा को 5 मिलियन यूएसडी से घटाकर 3 मिलियन यूएसडी कर दिया गया है। खुले प्रकार की श्रेणी-III की सीमित स्कीमों के मामले में एफएमई द्वारा 1 मिलियन यूएसडी जुटाने के साथ ही निवेश आरंभ कर सकते हैं और शेष निधिसंग्रहण 12 माह के भीतर करना होगा।

प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेन्डम (पीपीएम) की विस्तारित वैधता — पीपीएम की वैधता अवधि को 6 माह से दुगुना करते हुए 12 माह कर दिया गया है। तदनुसार अब एफएमई को अनुमति है कि वे अनुमेय फाइलिंग शुल्क के 50 प्रतिशत का भुगतान करके पीपीएम की वैधता को 6 माह बढ़ा सकते हैं।

सुवाहीकृत अंतरण पद्धति — 19 फरवरी 2025 की यथास्थिति अनुसार वैध पीपीएम रखने वाले 2022 के विनियमों के तहत प्राधिकृत स्कीमों वाले एफएमई को अनुमति है कि वे निर्बाध रूप से 2025 की व्यवस्था में अंतरण कर सकते हैं। घटे हुए शुल्क और विस्तारित वैधता के साथ सुनिर्धारित शर्तों के तहत कालातीत हो चुके पीपीएम हेतु पुनः फाइल करने की व्यवस्था भी एक-बार के अवसर के रूप में उपलब्ध है।

विनियामक संशोधनों के लिए शुल्क हेतु स्पष्टता — विद्यमान पीपीएम को केवल 2025 व्यवस्था के तहत नवीनतम विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए किए गए संशोधनों हेतु कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है।

संशोधित व्यवस्था में न केवल एफएमई के लिए अधिकाधिक लोचशीलता और विनियामक स्पष्टता दी गई है बल्कि निधि प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए वैश्विक रूप से स्पर्धी केन्द्र बनाने के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की स्थिति को भी मजबूत किया गया है।

बॉक्स 2 : एनआरआई/ओसीआई निवेशकों के लिए निवेश सहजता

जुलाई 2019 के अपने बजट भाषण में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित घोषणा की:

“यद्यपि विश्व में भारत स्वदेश धनप्रेषण प्राप्त करने वालों में शीर्ष पर है, लेकिन भारतीय पूंजी बाजार में एनआरआई निवेश तुलनात्मक रूप से कम है। एनआरआई को भारतीय इक्विटी में निर्बाध अभिगम प्रदान करने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि एनआरआई-पोर्टफोलिया निवेश स्कीम रूट को विदेशी पोर्टफोलिया निवेश रूट के साथ समामेलित कर दिया जाए।”

विश्व के विशालतम जनसमूह का स्रोत है भारत, 35 मिलियन से भी अधिक एनआरआई और ओसीआई⁶⁴ स्वदेश धनप्रेषण के माध्यम से प्रतिवर्ष 100 बिलियन यूएसडी से भी अधिक का योगदान करते हुए भारत को पूरे विश्व में धनप्रेषणों का विशालतम प्राप्तकर्ता बनाते हैं। इस सुदृढ़ वित्तीय संपर्क के बावजूद विनियामक सीमाओं के कारण भारत के पूंजी बाजार में इनकी सहभागिता बाधित ही रही है।

इस वैश्विक निवेशक आधार की अपार संभावना को स्वीकार करते हुए और भारतीय प्रतिभूतियों में एनआरआई/ओसीआई निवेशकों हेतु आईएफएससी फंडों के माध्यम से निर्बाध मार्ग प्रदान करने के प्रयोजन से आईएफएससीए और सेबी ने संयुक्त रूप से इसके लिए एक विनियामक चैनल का सृजन किया।

सूचीबद्ध भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले आईएफएससी फंडों में एनआरआई/ओसीआई निवेशकों द्वारा समस्त योगदान पर ऊपरी सीमा लगाने वाले सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2024; दिनांक 27 जून 2024 का सेबी परिपत्र और दिनांक 2 मई 2024 के आईएफएससीए परिपत्र को निष्प्रभावी कर दिया गया है, जिससे आईएफएससी फंडों को ऐसा मार्ग मिला कि वे अन्य अधिकारक्षेत्रों, जहां उनके धनसंचय के 50% से अधिक

⁶⁴ विदेश कार्य विभाग के आंकड़े

एनआरआई/ओसीआई योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, की तुलना में अब निर्बाध रूप से भारत में 100% एनआरआई/ओसीआई निवेशों को ला सकते हैं।

इस बारे में सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2019 के तहत आईएफएससी आधारित एफपीआई के माध्यम से भारतीय प्रतिभूतियों में एनआरआई और ओसीआई की बढ़ती हुई सहभागिता के लिए दो वैकल्पिक मार्ग निम्नानुसार हैं—

वैकल्पिक मार्ग 1:

अब एनआरआई/ओसीआई/आरआई निवेशक अब आईएफएससी आधारित एफपीआई के धनसंचय में 100% तक योगदान कर सकते हैं, जहां ऐसे एफपीआई से अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित है कि अपने सभी एनआरआई/ओसीआई/आरआई व्यक्तिगत घटकों के पैर (या इसके नहीं होने पर कोई अन्य उचित कागजात) की प्रतिलिपि, एफपीआई में अपने आर्थिक हितों सहित डीडीपी को प्रस्तुत करें।

वैकल्पिक मार्ग 2:

एनआरआई/ओसीआई/आरआई निवेशक अब आईएफएससी आधारित एफपीआई के धनसंचय में 100% तक योगदान कर सकते हैं, जिसमें एफपीआई द्वारा वैकल्पिक मार्ग-1 के तहत उल्लिखित कागजात की प्रस्तुति अपेक्षित नहीं है, बशर्ते यह कतिपय पात्रता शर्तों को संतुष्ट करता हो, जिसमें सेबी में पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक द्वारा प्रायोजित किसी म्यूचुल फंड की आस्ति प्रबंधन कम्पनी की सहायक इकाई या शाखा के रूप में एफएमई शामिल है।

यह विनियामक उपाय देश की विकास यात्रा में भारतीय जनसमूह की सहभागिता के लिए गिफ्ट आईएफएससी को वरीयत वैश्विक गेटवे के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण युगान्तर को अंकित करता है।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

गिफ्ट आईएफएससी में निधि प्रबंधन उद्योग ने स्वयं को अंतरराष्ट्रीय निधि परिचालनों के लिए वरीयताप्राप्त अधिकारक्षेत्र के रूप में रखते हुए विकास का प्रबल वेग प्रदर्शित किया है। आईएफएससीए ने 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार 162 एफएमई को पंजीकृत किया, जिन्होंने सामूहिक रूप से 229 स्कीमें आरंभ की हैं। इन स्कीमों ने 15.74 बिलियन अमरीकी डोलर की संचयी निवेश वचनबद्धताएं जुटाई हैं और 5.88 बिलियन अमरीकी डोलर मूल्य के संचयी निवेशों का संनियोजन किया है। यह विकास गिफ्ट आईएफएससी के विनियामक और टैक्स परितंत्र की उद्योगों में मजबूत स्वीकार्यता को स्पष्ट करता है।

सारणी 21: गिफ्ट आईएफएससी में फंड प्रबंधन परितंत्र

विवरण	मार्च 2024	मार्च 2025	साल-दर-साल संवृद्धि
एफएमई की संख्या	114	162	~42%
स्कीमों की संख्या	120	229	~90%
संचयी कुल जुटाई गई वचनबद्धताएं (बिलियन यूएसडी)	8.41	15.74	~87%
संचयी कुल जुटाए गए फंड (बिलियन यूएसडी)	3.94	7.95	~101%
संचयी कुल किए गए निवेश (बिलियन यूएसडी)	3.80	8.07	~112%

31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससीए में पंजीकृत 162 एफएमई हैं, इसमें भी सर्वाधिक संख्या में जो पंजीकरण हुए वे पंजीकृत एफएमई (गैर-रिटेल) श्रेणी में देखे गए।

सारणी 22: पंजीकृत एफएमई की संख्या

एफएमई पंजीकरण	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
एफएमई की कुल संख्या	162
इनमें से पंजीकृत एफएमई (रिटेल) की संख्या	9
इनमें से पंजीकृत एफएमई (गैर-रिटेल) की संख्या	144
इनमें से प्राधिकृत एफएमई की संख्या	9

सारणी 23: फंड प्रबंधन स्कीमों द्वारा निवेश

स्कीमों के बारे में विवरण (31 मार्च 2025 की यथास्थिति)		(मिलियन यूएसडी)
	प्राधिकृत स्कीमों	किए गए निवेश
वेंचर कैपिटल स्कीम	16	42.77
जिनमें से, एंजेल स्कीमों	5	8.82
सीमित स्कीमों	213	8033.42
जिनमें से, श्रेणी I तथा II एआईएफ	78	4516.95
जिनमें से, श्रेणी III एआईएफ	135	3516.47
आईएफएससी में कुल स्कीमों	229	8076.19

पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 में प्रावधान है कि जो एफएमई पंजीकृत (रिटेल) और पंजीकृत (गैर-रिटेल) की श्रेणियों में पंजीकृत हैं वे भी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। ऐसे 23 एफएमई हैं जो आईएफएससीए में इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं और 1.18 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की आस्तियों का प्रबंधन करती हैं।

पर्यवेक्षण

एफएमई से तिमाही अंतराल पर प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा किए गए ऑफसाइट पर्यवेक्षण के अलावा, वर्ष के दौरान 8 एफएमई का ऑनसाइट दौरे किए गए। इन पर्यवेक्षी क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई या आरंभ कर दी गई —

की गई कार्रवाई / आरंभ की गई कार्रवाई	अवसरों की संख्या
जारी किए गए एडवाइजरी पत्र	29 ⁵
जारी किए गए चेतावनी पत्र	2
आरंभ की गई प्रवर्तन कार्रवाई	1
कुल कार्रवाई	30

⁶⁶ 27 पत्र एफएमई को और 2 पत्र पंजीकृत वितरकों को जारी किए गए

पक्षसमर्थन और आउटरीच

आईवीसीए संगोष्ठी 2025

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने 12 फरवरी 2025 को मुम्बई में अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोशिएशन (आईवीसीए) संगोष्ठी 2025 में सहभागिता की।



चित्र 7: अध्यक्ष, आईएफएससीए – फंड प्रबंधन उद्योग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ

इस संगोष्ठी के साथ में ही आईएफएससीए ने गिफ्ट के बारे में अधिकाधिक जागरूकता का सृजन करने और निधि प्रबंधकों के लिए आईएफएससी में विनियामक व्यवस्था पर अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए निधि प्रबंधकों और बाजार सहभागियों के साथ राउन्डटेबल विचार-विमर्श आयोजित किए।

आईएफएससीए – आईवीसीए निधि प्रबंधन संगोष्ठी, 2025

आईवीसीए ने उद्योग के अन्य स्टैकहोल्डर के साथ मिलकर 12 मार्च 2025 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में 'आईएफएससीए – आईवीसीए निधि प्रबंधन संगोष्ठी, 2025' का आयोजन किया।

राउन्डटेबल्स और सहयोग

आईएफएससी में विकसित हो रहे फंड प्रबंधन उद्योग के बारे में जानकारी जुटाने और उद्योग के स्टैकहोल्डर के साथ अनुबंधन के लिए, आईएफएससीए के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आईएफएससी में, भारत और विदेशी अधिकारक्षेत्रों में फंड प्रबंधकों, आस्ति प्रबंधन कम्पनियों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों और सम्पत्ति प्रबंधकों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई राउन्डटेबल चर्चाओं में शामिल हुए। तदनुसार आईएफएससीए ने उद्योग की जरूरतों को समझने, विनियामक चुनौतियों पर ध्यान देने, और इस क्षेत्र के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के कई निकायों के साथ सहयोग करता है।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

तृतीय पक्ष फंड प्रबंधन सेवाओं के लिए व्यवस्था

वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप और अन्य अधिकारक्षेत्रों के फंड प्रबंधकों और निवेश सलाहकारों को गिफ्ट आईएफएससी के भीतर निधि प्रबंधन प्लेटफार्म की सुविधा लेने की अनुमति देने की दृष्टि से वर्ष के दौरान एक विनियामक व्यवस्था पर परिचर्चा की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी संभावित है कि यह निवेशक संरक्षण और अधिकारक्षेत्रगत सत्यनिष्ठा के बीच संतुलन के महत्वपूर्ण तत्व को रखते हुए आईएफएससी में निधि प्रबंधन कारोबार के संचालन में सहजता को बढ़ावा देगा।

प्रतिबंधित स्कीमों का वर्गीकरण

आईएफएससीए (फंड प्रबंधन) विनियमावली, 2025 में एफएमई को सक्षम किया गया है कि वे निधि प्रबंधन क्रियाकलापों के एक व्यापक समूह का संचालन कर सकें, जिनमें विभिन्न प्रकार की स्कीमों की स्थापना/समूहकृत संवाहकों के साथ-साथ अपने निवेशकों के लिए पहले से शर्त निर्धारित करते हुए सेवाएं दे सकते हैं। आईएफएससी में अनुमत विभिन्न प्रकार की स्कीमों के बीच, प्रत्यायित निवेशकों अथवा कम-से-कम 150,000 यूएसडी का योगदान करने के इच्छुक निवेशकों के लिए 'प्रतिबंधित स्कीमों' भी हैं। प्रतिबंधित स्कीम की प्रत्येक श्रेणी हेतु अनुमेय क्रियाकलापों पर बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के प्रयोजन से इस विषय पर वर्ष के दौरान एक परपत्र जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।

धातुएं और पण्य

विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े आयातकों और उपभोक्ताओं में से एक के रूप में भारत ने गिफ्ट आईएफएससी में इंडिया बुलियन एक्सचेन्ज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) की स्थापना के माध्यम से बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना आरंभ कर दिया है। यह प्रयास भारत के स्वर्ण परितंत्र में सुधार हेतु नीति आयोग 2018 की रिपोर्ट से निस्सृत हुआ और बाद में इसके लिए यूनियन बजट 2020 में घोषण भी की गई।

इसका अनुसरण करते हुए दिसम्बर 2020 में आईएफएससी ने आईएफएससी (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली जारी की, जिसे अभी हाल ही में शासकीय राजपत्र में फरवरी 2025 को प्रकाशित आईएफएससी (बुलियन एक्सचेन्ज) विनियमावली, 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

भारत के पांच प्रमुख बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के संगुट और गिफ्ट आईएफएससी द्वारा आईआईबीएक्स की स्थापना की गई। इस एक्सचेन्ज की आधिकारिक शुरुआत 29 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई। आईआईबीएक्स की स्थापना के पीछे यही विचार है कि स्वर्ण और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के लिए गतिमान और पारदर्शी प्लेटफॉर्म का सृजन किया जाए ताकि भारत को विश्व बाजार में कीमत मानने वाले के स्थान पर कीमत निर्धारक बनाया जा।

गिफ्ट आईएफएससी में आईआईबीएक्स और बहुमूल्य धातु परितंत्र के लिए प्रमुख माइलस्टोन

वित्तीय वर्ष 2024-25 आईआईबीएक्स के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। स्थापना से लेकर आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण का कुल आयात 100 टन को पार कर गया है, जो आईआईबीएक्स और गिफ्ट आईएफएससी में बहुमूल्य धातुओं के परितंत्र के लिए एक अहम उपलब्धि है।

आईआईबीएक्स पर मनोनीत बैंक का प्रथम संव्यवहार

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत एक बैंक ने विशेष श्रेणी के ग्राहक (एससीसी) के रूप में सहभागिता की और अपने स्वदेशी ग्राहक की तरफ से 28 फरवरी को स्वर्ण आयात के लिए आईआईबीएक्स पर सीधा अभिगम किया।

भारत विश्व में चीन के बाद स्वर्ण का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और इस प्रकार वैश्विक स्वर्ण बाजार में कीमत पर प्रभाव डालने वालों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार ऊंची कीमतों के कारण सन 2024 में विश्वव्यापी स्तर पर आभूषणों की मांग में 11 प्रतिशत का संकुचन रहा। हालांकि आभूषणों की मांग में केवल 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ भारत सापेक्षतया प्रतिस्पर्दी रहा, इसकी तुलना में चीन में 24 प्रतिशत की तेज गिरावट रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का स्वर्ण निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 के 45.54 बिलियन अमरीकी डॉलर से 12.47 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 58.01 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के 795.25 टन की तुलना में 757.04 टन स्वर्ण का आयात हुआ जो 4.80% की गिरावट को दर्शाता है।

विश्व सिल्वर सर्वे 2025⁶⁷ में वैश्विक चांदी बाजार में भारत की प्रमुख भूमिका को दर्शाया गया है, विशेषकर औद्योगिक और आभूषण क्षेत्रों में। भारत में चांदी का औद्योगिक उपभोग 2024 में 4 प्रतिशत बढ़ा, जो इसे चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर लाता है। वैश्विक प्रवृत्तियों के विपरीत भारत में चांदी के सिक्कों और छड़ों की मांग में 21 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुभव किया गया, जो तेजड़िया निवेशक मनोभाव और अनुकूल आयात नीतियों से चालित है।

देश के कुल आयातों में इन बहुमूल्य धातुओं का हिस्सा 8 प्रतिशत है और देश में स्वर्ण और चांदी की भारी मांग के कारण इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज (आईआईबीएक्स) का गठन उन उपायों में से एक है जो भारत में स्वर्ण और चांदी के आयात/निर्यात को औपचारिक रूप प्रदान करेंगे। यह एक्सचेन्ज स्वर्ण और चांदी के आयात/निर्यात हेतु अधिक पारदर्शी, लोकपरक और कुशल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्राधिकरण का यह भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में गिफ्ट आईएफएससी में इस एक्सचेन्ज पर और अधिक पण्य-सहबद्ध उत्पादों और डेरिवेटिव का सूत्रपात किया जाए।

⁶⁷ <https://silverinstitute.org>

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां



आईएफएससीए (बुलियन बाजार) विनियमावली , 2025

आईएफएससीए (बुलियन बाजार) विनियमावली, 2025 को शासकीय राजपत्र में फरवरी 2025 में अधिसूचित किया गया। आईएफएससीए (बुलियन बाजार) विनियमावली, 2025 ने आईएफएससीए (बुलियन बाजार) विनियमावली, 2020 को प्रतिस्थापित किया, जिसे दिसम्बर 2020 को अधिसूचित किया गया था।

गिफ्ट आईएफएससी में बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से बुलियन हेतु कीमत तलाशने के प्रयोजन को आगे बढ़ाने के अलावा बुलियन बाजार विनियमावली से अपेक्षित है कि इनसे कारोबार करने में और अधिक सहजता रहेगी, कतिपयप विनियामक प्रावधानों और आईएफएससी में बुलियन बाजार के परितंत्र में ग्राहकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य समझे गए सुरक्षा उपायों का सूत्रपात करने के अभिप्राय स्पष्ट होंगे।

इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज

भारत के अग्रणी बाजार अवसरचना संस्थानों जैसे एनएसई, भारत आईएनएक्स, इंडिया आईसीसी, एनएसडीएल, सीडीएसएल और एमसीएक्स द्वारा आईआईबीएक्स को संवर्द्धित किया गया है। आईआईबीएक्स की भूमिका यही है कि आईएफएससी में धातु और पण्य कारोबार हेतु पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, लोकपरकत कीमत निर्धारण पद्धति, वित्तीय बाजार के अन्य खंडों के साथ अधिकाधिक एकीकरण, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत प्रेरक, आदि प्रदान किए जाएं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 93.07 टन स्वर्ण और 239.18 टन चांदी का आयात आईआईबीएक्स के माध्यम से किया गया।

आईआईबीएक्स पर उत्पाद

आईआईबीएक्स पर निम्नलिखित उत्पाद हाजिर कारोबार के लिए उपलब्ध हैं —

स्वर्ण			
उत्पाद	विवरण		
	ट्रेडिंग यूनिट	शुद्धता	गुड-डिलीवरी के मानक
गोल्ड 995 T+0	1 किग्रा.	995	एलबीएमए अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं या आईआईबीएक्स पर यथाअनुमोदित अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त छड़ें
गोल्ड मिनी 999 T+0	100 ग्राम	999	
यूआईजीडी गोल्ड 995 T+0	1 किग्रा.	995	यूआई गुड डिलीवरी (यूआईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त छड़ें
यूआईजीडी गोल्ड 999 T+0	100 ग्राम	999	
यूआईजीडीटीआरक्यू गोल्ड 995 T+0	1 किग्रा.	995	भारत-यूआई समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत यूआई गुड डिलीवरी (यूआईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त छड़ें
यूआईजीडीटीआरक्यू गोल्ड 999 T+0	100 ग्राम	999	

चांदी			
उत्पाद	विवरण		
	ट्रेडिंग यूनिट	शुद्धता	गुड-डिलीवरी के मानक
सिल्वर ग्रेन्स T+0	20 किग्रा.	999	एलबीएमए अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं या आईआईबीएक्स पर यथाअनुमोदित अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त ग्रेन्स / छड़ें
सिल्वर बार T+0	30 किग्रा.	999	
यूआईजीडी सिल्वर ग्रेन्स T+0	20 किग्रा.	999	यूआई गुड डिलीवरी (यूआईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपूर्त ग्रेन्स/बारस
यूआईजीडी सिल्वर बार T+0	30 किग्रा.	999	
यूआईजीडीसीईपीए सिल्वर ग्रेन्स T+0	20 किग्रा.		भारत-यूआई समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत यूआई गुड डिलीवरी (यूआईजीडी) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त ग्रेन्स

एक्सचेन्ज, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन

आईएफएससीए से मान्यताप्राप्त बुलियन बाजार अवसंरचना संस्थान है — आईआईबीएक्स, जो बुलियन एक्सचेन्ज और बुलियन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, बुलियन एक्सचेन्ज के रूप में, यह ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो बुलियन (स्वर्ण और चांदी) संबंधी उत्पादों में ट्रेडिंग कराता है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के रूप में इसकी भूमिका बुलियन एक्सचेन्ज पर निष्पादित सभी सौदों के लिए क्लीयरिंग और निपटान के लिए केन्द्रीय काउन्टर पार्टी के रूप में कार्य करना है।

डिपोजिटरी

गिफ्ट आईएफएससी के पास इंडिया इन्टरनेशनल डिपोजिटरी आईएफएससी लि. (आईआईडीआई) के नाम से एकल डिपोजिटरी है (पहले इसे सीडीएसएन आईएफएससी लि. के नाम से जाना जाता था), जिसे बुलियन डिपोजिटरी के रूप में भी मनोनीत किया गया है। आईआईडीआई की भूमिका यह है कि बुलियन एक्सचेंज में हुई ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में बुलियन डिपोजिटरी रसीद जारी करने का कार्य करे। यह वाल्ट प्रबंधकों के माध्यम से बुलियन के भंडारण और सुरक्षा की निगरानी का कार्य भी करता है। इसके अलावा, बुलियन डिपोजिटरी के रूप में, आईआईडीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि वाल्ट प्रबंधक के पास बुलियन डिपोजिटरी को सूचना के एनक्रिप्टेड अंतरण और वाल्ट प्रबंधक और बुलियन डिपोजिटरी के बीच डाटा के सिस्टम आधारित समाधान के लिए सिस्टम, पद्धति और आईटी संबद्ध अवसंरचना मौजूद है।

वॉल्टिंग अवसंरचना

गिफ्ट आईएफएससी में वॉल्टिंग अवसंरचना में बुलियन भंडारण की सुविधाएं शामिल हैं। वर्तमान में, स्वर्ण की 440 टन और 2400 टन चांदी की कुल क्षमता के साथ 3 वाल्ट प्रबंधक परिचालन कर रहे हैं।

बुलियन बाजार के मध्यस्थ

बुलियन ट्रेडिंग सदस्य (बुलियन टीएम), बुलियन ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य (बुलियन टीसीएम), बुलियन ट्रेडिंग सह सेल्फ क्लियरिंग सदस्य (बुलियन टीएससीएम) और बुलियन प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (बुलियन पीसीएम) की क्षमता में पंजीकृत बुलियन बाजार के मध्यस्थों की संख्या 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इन प्रतिष्ठानों के नाम और विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

बुलियन टीएम	बुलियन टीसीएम	बुलियन टीएससीएम	बुलियन पीसीएम
7	8	3	2

अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 5 जनवरी 2022 की अपनी अधिसूचना सं.49/2015-2020 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि निर्दिष्ट किया है कि आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स (क्यूजे) को इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से आईटीसी(एचएस) के तहत कोड 71081200 और 71189000 के स्वर्ण का आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

इसके अलावा डीजीएफटी ने अक्टूबर 2023 के अपनी अधिसूचना के माध्यम से क्यूजे द्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 71069110 और 71069290 के तहत चांदी का आयात करने की अनुमति देने के लिए आयात नीति की शर्तों में संशोधन किया।

उक्त डीजीएफटी अधिसूचनाओं के आधार पर, आईएफएससीए ने, अन्य बातों के साथ-साथ, आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण और चांदी का आयात करने के प्रयोजन से किसी प्रतिष्ठान को अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स के रूप में अधिसूचित करने हेतु पात्रता शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए समर्थक परिपत्र जारी किए हैं।

आईएफएससीए द्वारा 31 मार्च 2025 की यथास्थिति 167 अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स को अधिसूचित किया गया, इनके विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारत-यूआई सीईपीए टीआरक्यू के वैध धारक

भारत और यूआई ने 18 फरवरी 2022 को एक समेकित आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, बुलियन और रत्नों और ज्वैलरी के खंड में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत-यूआई सीईपीए के तहत भारत प्रतिवर्ष यूआई के पात्र प्रतिष्ठानों से स्वर्ण की कुछ मात्रा का आयात (टैरिफरेंट कोटा) को प्रचलित दर से 1% न्यूनतर के सीमाशुल्क पर कर सकता है। यह कथित टीआरक्यू प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में डीजीएफटी द्वारा पात्र भारतीय प्रतिष्ठानों (भारत-यूआई सीईपीए टीआरक्यू धारकों) को आबंटित कर दिया जाता है।

भारत-यूआई सीईपीए टीआरक्यू धारकों द्वारा आईआईबीएक्स के माध्यम से आयातों में सुविधा देने की दृष्टि से डीजीएफटी ने आईटीसी(एचएस) 2022, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 71 के आईटीसी(एचएस) कोड 71081200 हेतु आयात नीति शर्त को संशोधित किया और कहा कि आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत-यूआई सीईपीए टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के बदले में आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण का आयात कर सकते हैं और आईएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आईएफएससीए पंजीकृत वाल्टों के माध्यम से इसकी भौतिक डिलीवरी ले सकते हैं। इसके बाद, भारत-यूआई सीईपीए के तहत यूआई गुड डिलीवरी (यूआईजीडी) टीआरक्यू गोल्ड के आयात हेतु आईआईबीएक्स पर भारत-यूआई सीईपीए की सहभागिता को सुविधा देने के लिए आईएफएससीए ने 13 दिसम्बर 2023 को एक परिपत्र जारी किया। इसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित भारत-यूआई सीईपीए के तहत टीआरक्यू धारकों द्वारा स्वर्ण के आयात के बारे में श्रेणी-1 के प्राधिकृत डीलर बैंकों को दिशानिर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससीए ने 441 प्रतिष्ठानों को वैध भारत-यूआई सीईपीए टीआरक्यू धारकों के रूप में अधिसूचित किया जो भारत-यूआई सीईपीए के तहत आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण/चांदी का आयात कर सकते हैं।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

प्रमुख गतिविधियां / परिचालन

- आरंभ होने के बाद से आईआईबीएक्स के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक आयातित कुल स्वर्ण ने 100 टन को पार कर लिया जिसका मूल्यमान लगभग 8.46 बिलियन अमरीकी डोलर रहा।
- आईआईबीएक्स के माध्यम से 13 दिसम्बर 2023 को ट्रेडिंग आरंभ होने के बाद से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक कुल आयातित चांदी ने 1147.98 टन को छुआ जिसका मूल्यमान लगभग 92.67 मिलियन यूएसडी रहा।
- आईएफएससीए ने आईआईबीएक्स पर टी+0 संविदाओं के लिए ट्रेडिंग समय में 1 घंटे के विस्तार का अनुमोदन किया। अब आईआईबीएक्स पर संशोधित ट्रेडिंग घंटे 9:00 पूर्वाह्न से 6:30 अपराह्न हैं, जबकि पहले ये 9:00 पूर्वाह्न से 5:30 अपराह्न थे। कारोबार के संशोधित घंटे 24 मई 2024 से प्रभावी हुए।
- आईआईबीएक्स ने 21 जून 2024 को गोल्ड वायदा में ट्रेडिंग आरंभ की। आईआईबीएक्स पर उपलब्ध गोल्ड वायदा पर सहभागियों को अपनी ओपन पोजिशन का निपटान स्वर्ण की भौतिक डिलीवरी देकर/लेकर करने का विकल्प है। गोल्ड वायदा कारोबार 9:00 पूर्वाह्न से 11:30 अपराह्न है।
- आईएफएससीए के अनुमोदन के अनुसरण में आईआईबीएक्स ने चेन्नई में अतिरिक्त वॉल्टिंग केन्द्र के रूप में वाल्ट से स्वर्ण और चांदी की हाजिर संविदाओं को आरंभ किया। इन संविदाओं को एक अलग टोकन के रूप में विद्यमान उत्पादों (गिफ्ट आईएफएससी डिलीवरी केन्द्र सहित) के तहत 29 जुलाई 2024 से आरंभ किया गया। यह वाल्ट पहला आईएफएससीए पंजीकृत वाल्ट है जो गिफ्ट आईएफएससी से बाहर स्थित है।

सारणी 24: इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेन्ज (आईआईबीएक्स) पर सहभागी

सहभागी	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
अर्हताप्राप्त ज्वैलर्स	118	167
ग्राहक	70	118
‘विशेष वर्ग’ के ग्राहक	48	49
अर्हताप्राप्त आपूर्तिकर्ता	26	37
ग्राहक	24	34
‘विशेष वर्ग’ के ग्राहक	02	02
क्यू एस आईएफएससी –	-	01
भारत यूएई सीईपीए टीआरक्यू के वैध धारक	82	441

सारणी 25 : आईआईबीएक्स पर विनियमित प्रतिष्ठान / मध्यस्थ

विनियमित प्रतिष्ठान	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
बुलियन ट्रेडिंग सदस्य	5	7
बुलियन ट्रेडिंग सह सेल्फ क्लीयरिंग सदस्य	3	3
बुलियन ट्रेडिंग सह क्लीयरिंग सदस्य	6	8
बुलियन प्रोफेशनल क्लीयरिंग सदस्य	2	2
वालेट प्रबंधन	3	3

सारणी 26: आईआईबीएक्स पर सौदों का उत्पाद अनुसार सारांश

उत्पाद	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान	
	सौदाकृत मूल्यमान (मिलियन यूएसडी)	सौदाकृत मात्रा (किरा में)	सौदाकृत मूल्यमान (मिलियन यूएसडी)	सौदाकृत मात्रा (किरा में)
एलबीएमए 1 किरा गोल्ड	4.52	75.00	0.00	0.00
गोल्ड 100 ग्रा. गोल्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
यूआई जीडी 1 किरा गोल्ड	2.22	34.00	8.46	106.00
यूआई जीडी 100 ग्रा गोल्ड	7.24	114.80	10.97	135.50
यूआई टीआरक्यू 1 किरा गोल्ड	252.91	3957.00	3471.10	40514.00
यूआईजीडी टीआरक्यू 100 ग्रा गोल्ड	238.38	3747.40	4437.75	52317.40
कुल (गोल्ड)	505.27	7928.20	7928.28	93072.50
यूआईजीडी सीईपीए सिल्वर ग्रेन्स	698.48	908800.00	217.91	228060.00
यूआईजीडी सिल्वर ग्रेन्स	0.00	0.00	1.10	1100.00
सिल्वर ग्रेन्स	0.00	0.00	0.00	0.00
यूआईजीडी सिल्वर बार	0.00	0.00	0.00	0.00
सिल्वर बार	0.00	0.00	9.29	10020.00
कुल (सिल्वर) ⁶⁸	698.48	908800.00	228.31	239180.00

पर्यवेक्षण

आईएफएससीए ने विनियमित प्रतिष्ठानों के ऑनसाइट और ऑफसाइट पर्यवेक्षण संचालित किए।

ऑफसाइट पर्यवेक्षण

गिफ्ट आईएफएससी में आईएफएससीए द्वारा निर्धारित सभी नियमों/विनियमों का अनुपालन करते हुए बुलियन बाजार परितंत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए भौतिक बुलियन स्टोक पोजिशन की मासिक रिपोर्ट प्राप्त की जाए जिसमें बुलियन के प्रकार, मात्रा और गुणवत्ता के लिए बुलियन डिपोजिटरी ने बुलियन डिपोजिटरी रसीदें जारी की हों।

ऑनसाइट पर्यवेक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससीए ने दो बुलियन ट्रेडिंग और क्लीयरिंग सदस्यों (टीएम/सीएम) और गिफ्ट आईएफएससी के तीन वाल्टों का ऑनसाइट पर्यवेक्षण किया। बुलियन टीएम/सीएम के ऑनसाइट पर्यवेक्षण के बाद दो बुलियन टीएम/सीएम को और बुलियन एक्वेन्ज को मंत्रणा (एडवाइजरी) पत्र जारी किए गए। वाल्टों के ऑनसाइट पर्यवेक्षण के संबंध में तीन वाल्ट प्रबंधकों और बुलियन डिपोजिटरियों को मंत्रणा पत्र जारी किए गए। इसके अलावा विगत वित्तीय वर्ष में आईएफएससीए द्वारा बुलियन एक्सचेन्ज के ऑनसाइट पर्यवेक्षण के आधार पर बुलियन एक्सचेन्ज का चेतावनी पत्र जारी किए गए।

⁶⁸ आईआईबीएक्स पर 31 दिसम्बर 2023 को सिल्वर की ट्रेडिंग आरंभ हुई

कार्यदल / समिति

वैश्विक पण्य ट्रेडिंग केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के स्थापन पर विशेषज्ञ समिति

आईएफएससीए ने पूर्व वाणिज्य सचिव और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के पूर्व सदस्य रह चुके श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में वैश्विक पण्य ट्रेडिंग केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के स्थापन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया है कि आईएफएससी में पण्य कारोबार का समर्थन हो सके, जो आईएफएससी वित्तीय परितंत्र को वैश्विक कारोबारी प्रवाह के साथ व्यवसायी एकीकरण की सुविधा देगा, प्रमुख पण्य केन्द्रों के साथ एकीकरण अवसरों को पूंजीकृत करेगा और आईएफएससी में वैश्विक निवेश प्रवाह को आकर्षित करेगा तथा इस प्रकार से आईएफएससी को स्पर्धी रूप से विकसित होने में सहायता देगा।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

आईएफएससी में बुलियन परितंत्र की संवृद्धि और विकास की दिशा में आईएफएससीए द्वारा अनेक आउटरीच कार्यक्रम चलाए गए। वैश्विक और राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता इनमें शामिल है, यथा —

- इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस, गोआ, अप्रैल 2024 में
- दुबई प्रीशियश मैटल कॉन्फ्रेंस, दुबई, यूएई, नवम्बर 2024 में
- इंडिया मैनेजमेन्ट रिसर्च कॉन्फ्रेंस, आईआईएम, अहमदाबाद, दिसम्बर 2024
- ग्लोबल सिक्यूरिटीज मार्केट कोन्क्लेव 1.0, गिफ्ट सिटी, जनवरी 2025 में
- आईजीपीसी—आईआईएमए एनुअल गोल्ड एन्ड गोल्ड मार्केट्स कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली, फरवरी 2025 में

इसके अलावा इस प्राधिकरण ने गिफ्ट आईएफएससी में बुलियन परितंत्र में बाजार सहभागियों के साथ वार्तालाप किए ताकि आईआईबीएक्स के माध्यम से कारोबार और आयात करते समय उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर अनुक्रिया प्राप्त की जा सके।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

वैश्विक पण्य ट्रेडिंग केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के स्थापन पर विशेषज्ञ समिति के प्रस्तावों / संस्तुतियों पर कार्यचालन

आईएफएससीए ने पूर्व वाणिज्य सचिव और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के पूर्व सदस्य रह चुके श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में वैश्विक पण्य ट्रेडिंग केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी के स्थापन पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया है कि आईएफएससी में पण्य कारोबार का समर्थन हो सके, जो आईएफएससी वित्तीय परितंत्र को वैश्विक कारोबारी प्रवाह के साथ व्यवसायी एकीकरण की सुविधा देगा, प्रमुख पण्य केन्द्रों के साथ एकीकरण अवसरों को पूंजीकृत करेगा और आईएफएससी में वैश्विक निवेश प्रवाह को आकर्षित करेगा तथा इस प्रकार से आईएफएससी को स्पर्धी रूप से विकसित होने में सहायता देगा।

बुलियन बाजार मध्यस्थ विनियमावली का प्रारूपण और अधिसूचना

बुलियन बाजार में कार्यरत मध्यस्थों यथा — बुलियन डीलर्स, वाल्ट प्रबंधकों, और कारोबारी प्लेटफार्मों हेतु आईएफएससीए समेकित विनियमावली का निरूपण करने की प्रक्रिया में है। इन विनियमों का लक्ष्य है बाजार की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट परिचालनगत, अनुवर्तन और अभिशासन मानकों को स्थापित किया जाए।

आईएफएससीए बुलियन गुड डिलीवरी के दिशानिदेश

आईएफएससीए भारत, परिशुद्धता और शोधक प्रत्ययन संबंधी विशिष्टताओं सहित बुलियन की गुड डिलीवरी के लिए मानकों और पद्धतियों को परिभाषित करते हुए दिशानिदेशों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं। इन दिशानिदेशों का लक्ष्य है आईएफएससी प्लेटफॉर्म पर सौदाकृत बुलियन के लिए एकरूपता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता का सृजन किया जाए।

आईआईबीएक्स पर कारोबारी घंटों का विस्तार

आईएफएससीए की योजना है कि इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) पर कार्य के घंटों को बढ़ाया जाए ताकि इसे वैश्विक बुलियन बाजार की समय पद्धति के अधिकाधिक अनुकूल किया जा सके। इससे अंतरराष्ट्रीय सहभागियों को बढ़ी हुई लोचशीलता और अभिगम मिलेगा।

उत्पादों का समर्थन, अनुमोदन और विनियमन – गोल्ड ईटीएफ, पण्य ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे उत्पादों के लिए विनियामक व्यवस्था – फीचर, डिजाइन, उपयुक्तता, आदि

आईएफएससीए द्वारा आईएफएससी के भीतर गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंडों नवोन्मेषी पण्य-सहबद्ध निवेश उत्पादों के समर्थन हेतु विनियामक व्यवस्था का निरूपण करने पर विचार किया जा रहा है।

गोल्ड क्वान्टो फ्यूचर्स, सिल्वर क्वान्टो फ्यूचर्स, और गोल्ड ओप्शन और सिल्वर ओप्शन की शुरुआत / अनुमोदन

आईएफएससीए प्रगत डेरिवेटिव लिखतों यथा – गोल्ड क्वान्टो फ्यूचर्स, सिल्वर क्वान्टो फ्यूचर्स, और ओप्शन संविदाओं की शुरुआत की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि बाजार के सहभागियों के लिए बचावकारी और परिकल्पी अवसर प्रदान किए जा सकें। इन उत्पादों को वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा।

सम्पूर्ण भारत में एसईजेड के भीतर अथवा मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग जोन के भीतर अन्य स्थानों पर आईएफएससी वॉल्टिंग केन्द्रों का परिचालन

एसईजेड नियमावली के नियम 19ए ने गिफ्ट के बाहर नई वॉल्टिंग अवसंरचनाओं की स्थापना का समर्थन किया है। यह प्रत्याशित है कि चेन्नई, कोलकाता और देश के अन्य प्रान्तों में एसईजेड में कुछ और वॉल्टों का परिचालन आरंभ किया जाएगा।

फिनटेक

गिफ्ट सिटी को आगामी पीढ़ी के वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए वैश्विक तंत्रावली के श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में संस्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निरूपित विजन के अनुरूप रखते हुए और गिफ्ट आईएफएससी में विश्व-स्तरीय फिनटेक केन्द्र का विकास करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा यूनियन बजट 2021-22 में की गई घोषण का अनुसरण करते हुए आईएफएससीए ने इस अधिदेश को कार्यरूप देने के लिए समेकित रणनीति निर्धारित की है। इसमें फिनटेक के बीच वैश्विक दृश्यता बनाने, प्रगतिशील और भविष्य-दृष्टा विनियामक व्यवस्था के निरूपण और नवोन्मेष और उद्यमिता का संवर्द्धन करने के लिए लक्ष्यबद्ध प्रोत्साहनों की शुरुआत करना शामिल है। फिनटेक के लिए 2022 में प्रगतिशील विनियामक व्यवस्था जारी करना और फिनटेक प्रोत्साहन स्कीम का परिपालन इस यात्रा में युगान्तरकारी तत्त्व रहे जो भारतीय और विदेशी दोनों ही फिनटेक वेन्चरों का समर्थन करते हैं। सम्यक रूप से ये प्रयास गतिमान और प्रबल फिनटेक परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए की वचनबद्धता को मजबूत बनाते हैं, और वैश्विक मंच पर फिनटेक को एक प्रयोगशाला के रूप में गिफ्ट आईएफएससी को उचित रूप से स्थापित करते हैं।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससी में फिनटेक प्रतिष्ठान हेतु व्यवस्था

एक विश्व-स्तरीय फिनटेक का सृजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार ही आईएफएससीए ने आईएफएससी में फिनटेक प्रतिष्ठानों के लिए फिनटेक और टेकफिन हेतु अप्रतिम व्यवस्था (एफई व्यवस्था) का प्रावधान करते हुए 27 अप्रैल 2022 को परिपत्र जारी किया।

यह एफई व्यवस्था प्रौद्योगिकी कम्पनियों के कुछ श्रेणियों/वर्गों को सक्षम करता है कि संनियोजन लायक प्रगत/नवोन्मेषी प्रौद्योगिकीय समाधान जो वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय निष्पादन सहित विश्वसनीय ट्रेड रिकार्ड हो — को 'टेकफिन' के रूप में परिभाषित किया और इन्हें डायरेक्ट एन्ट्री (आईएफएससीए द्वारा प्राधिकृत किया जाना) प्राप्त होगी। इसके अलावा यह इन प्रतिष्ठानों को सैन्डबॉक्सों के विभिन्न वर्गों तक भी अभिगम प्रदान करता है जिससे वे सीमित उपयोग प्राधिकार प्रदान करते हुए आईएफएससी में टेकफिन और फिनटेक समाधानों को तैयार करके उनका परीक्षण कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों, जो वास्तविक नवोन्मेष का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वास्तविक ग्राहकों/निवेशकों पर प्रत्यक्ष परीक्षण करना चाहते हैं, और सीमित आरंभिक परीक्षण कर चुके हैं और प्रयोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं तथा जिनके पास उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति है, पर्याप्त परीक्षण तैयारी और परीक्षण के बाद संनियोजन की योजना है, वे आईएफएससीए फिनटेक विनियामक सैन्डबॉक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्यवस्था के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों को आईएफएससीए फिनटेक इनोवेशन सैन्डबॉक्स में अभिगम की अनुमति होगी जिसमें फिनटेक अपने समाधानों का परीक्षण लाइव मार्केट से अलग रहते हुए किया जा सकता है।

इस एफई व्यवस्था में फिनटेक प्रतिष्ठानों का समर्थन करने के लिए दो अतिरिक्त पद्धतियां समाहित हैं, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:

इन्टर ओपरेबल रेग्युलेटरी सैन्डबॉक्स (आईओआरएस) — एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के विधिक दायरे में आने वाले नवोन्मेषी हायब्रिड वित्तीय उत्पादों/सेवाओं की परीक्षण सुविधा के लिए आईओआरएस एक प्रस्तावित पद्धति है। आईएफएससीए द्वारा विदेशी बाजारों में पहुंच चाहले वाले भारतीय फिनटेक और भारत में प्रवेश चाहने वाले विदेशी फिनटेक को सुविधा दी जाएगी।

विनियामक संदर्भी पद्धति / फिनटेक ब्रिज — इसका नियंत्रण आईएफएससीए और इनके समकक्ष विदेशी विनियामक(कों) के बीच विशेष व्यवस्था या सहयोग या एमओयू के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में आईएफएससीए के पास मोनिटरी अथोरिटी ऑफ सिंगापुर के साथ फिनटेक ब्रिज है जिसका निष्पादन दोनों विनियामकों के बीच एमओयू के माध्यम से किया गया।

आईएफएससीए को इसके आरंभ से फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था के तहत 14 अधिकारक्षेत्रों से 159 आवेदन प्राप्त हुए। प्राधिकरण को एफई व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28 आवेदन प्राप्त हुए।

आईएफएससीए ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16 विनियामक अनुमोदन दिए जिनमें 10 (पहले 04) प्राधिकृतिकरण और 6 (पहले 22) सीमित प्रयोग प्राधिकृतिकरण के लिए हैं।

आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन स्कीम, 2022

आईएफएससीए ने, एक विश्व-स्तरीय फिनटेक केन्द्र की स्थापना को बढ़ावा देने के समग्र प्रयोजन के साथ, भारत में गिफ्ट आईएफएससी में, विशिष्ट अनुदान(नों) के रूप में फिनटेक क्रियाकलापों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए आईएफएससीए (फिनटेक प्रोत्साहन) स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के परिपालन के दिशानिदेश 12 सितम्बर 2022 को जारी किए गए।

इस स्कीम के तहत मूल्यांकन समिति ने कुल 3.50 करोड़ रुपये के अनुदानों के लिए बारह आवेदनों के लिए संस्तुति दी और अनुमोदित अनुदान राशि का संचितरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

वैश्विक वित्तीय नवोन्मेष नेटवर्क (जीएफआईएन)

विगत वित्तीय वर्ष में जीएफआईएन के समन्वय समूह में बोर्ड के एक सदस्य के तौर पर जुड़ने के बाद आईएफएससीए ने नेटवर्क के रणनीतिक प्रयासों के लिए सक्रिय रूप से योगदान जारी रखा है। अपने दायित्वों के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने सन 2024 और सन 2025 के आरंभ में अनेक प्रमुख बैठकों और क्रियाकलापों में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि आईएफएससीए ने 21 मई, 29 जुलाई और 12 नवम्बर 2024 को आयोजित समन्वयन समूह की बैठकों में आभासी रूप में हिस्सा लिया। जुलाई की बैठक में आईएफएससीए ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ जॉर्डन और फिनान्शियल मार्केट्स अथोरिटी ऑफ न्यूजीलैंड के सदस्यता आवेदनों के लिए संस्तुति की।

इसके अलावा आईएफएससीए ने यूके के फिनान्शियल कन्डक्ट अथोरिटी (एफसीए) के साथ जीएफआईएन सचिवालय का सहप्रबंधन किया और जुलाई में किए गए प्रस्ताव के अनुसरण में 29 अक्टूबर 2024 को जीएफआईएन सदस्यों के लिए 'जेन एआई — यूज केसेस फोर बीएफएसआई' पर एक स्पॉटलाइट सत्र का आयोजन किया। वैश्विक वित्तीय नवोन्मेष के लिए अपनी वचनबद्धता को सुदृढ़ करते हुए आईएफएससीए ने आभासी रूप में 25 से 27 मार्च 2025 के दौरान केलगेरी, एल्बर्टा, कनाडा में जीएफआईएन की वार्षिक आम सभा में हिस्सा लिया।

आईएफएससीए – आईएआईएस अनुबंधन

आईएफएससीए ने सन 2024 और सन 2025 के आरंभ में इंटरनेशनल एसोशिएशन ऑफ इन्श्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस) की फिनटेक फोरम के एक सदस्य की अपनी क्षमता में बीमा क्षेत्र में उदीयमान प्रौद्योगिकी पर अनेक बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आईएफएससीए ने 5 जून 2024 को आयोजित आईएआईएस फिनटेक फोरम में आभासी रूप में हिस्सा लिया, जहां पर सुपटेक उप-समूह, एआई अनुप्रयोग आलेख का प्रारूपण करने वाली टीम, दि एपीआई/ओपन डाटा उप-समूह और डिस्ट्रीब्यूटेड लैजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) डाटा उप समूह द्वारा अपडेट प्रदान किए गए।

इसके अलावा आईएफएससीए ने बासेल, स्विटजरलैंड में 3 से 4 सितम्बर 2024 के दौरान आयोजित एआई इन दि इन्श्योरेंस सेक्टर के बारे में व्यक्तिशः नीति परिपालन बैठक में हिस्सा लिया, इसके बाद 4 सितम्बर 2024 को आईएआईएस की बैठक हुई। इन अनुबंधनों का फोकस एआई में प्रगतियों, डिजिटल आस्तियों, सुपटेक और संगुम्फित बीमा पर रहा। अपनी भागीदारी को जारी रखते हुए आईएफएससीए ने 13 फरवरी 2025 को आयोजित फिनटेक फोरम बैठक में आभासी रूप से हिस्सा लिया और बीमा पर्यवेक्षण में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को सुदृढ़ किया।

आई-स्पिरिट '23

नवोन्मेष को बढ़ावा देने के प्रयोजन विगत वित्तीय वर्षों में विभिन्न संगठनों की साझेदारी में ग्लोबल हैकेथोन (आई-स्पिरिट '23) का आयोजन किया गया

स्पिरिट 09 और स्पिरिट 13 का आयोजन इस वित्तीय वर्ष में हुआ जिसमें 85 सहभागी रहे।

अंतरिक्ष उद्योग मीट 2024 में सहभागिता

आईएफएससीए ने 6 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकृतिकरण केन्द्र (आईएन-एसपीएसीई) द्वारा आयोजित 'इन स्पेस इन्डस्ट्री मीट' में हिस्सा लिया जिसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ ने किया। यह समारोह निजी अंतरिक्ष उद्योग के साथ संधारणीय अनुबंधन को बढ़ावा और भारत के स्पेस-टेक क्षेत्र के विकास हेतु सहयोगी परितंत्र को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में आईएन-एसपीएसीई देने के अनवरत प्रयासों एक भाग के रूप में रहा। इस मीट के दौरान आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी के भीतर स्पेस-टेक कम्पनियों के लिए उपलब्ध वित्तीय अवसरों की रूपरेखा की प्रस्तुति पर केन्द्रित था।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 में सहभागिता

आईएफएससीए ने 28 से 30 अगस्त 2024 को आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024, मुम्बई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और " फिनटेक विनियमावली में नवोन्मेष : वैश्विक वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेष और विनियमन में संतुलन" की थीम पर पैनल चर्चा में योगदान किया। इस सत्र में वैश्विक अग्रणी विचारकों और विनियमन विशेषज्ञों ने साथ मिलकर वित्तीय स्थायित्व और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी और अनिवार्य विनियामक दृष्टिकोण के उदीयमान परदृष्टि पर विचार-विमर्श किया।

सीमा-पार डाटा अंतरण – वैश्विक सीबीपीआर पर कार्यशाला



चित्र 8: सीमा-पार डाटा अंतरण पर कार्यशाला में आईएफएससीए की सहभागिता

आईएफएससीए ने 28 अगस्त 2024 को प्रणेता सत्र में और इसके बाद नई दिल्ली में 19 से 21 सितम्बर 2024 के दौरान 'सीमा-पार डाटा अंतरण – वैश्विक सीबीपीआर पर कार्यशाला' के संबंध में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यह आयोजन नेस्कोम, डाटा सिक्यूरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई), इलेक्ट्रॉनिक्स और आसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश कार्यविभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यशाला ने उद्योग के विशेषज्ञों, विनियामकों, सरकारी पदाधिकारियों सहित विख्यात स्टेकधारक एक मंच पर ला दिया, जिसमें वैश्विक सीमापर निजता नियमावली (सीबीपीआर) व्यवस्था और निजता प्रवर्तन हेतु वैश्विक सहयोग व्यवस्था (वैश्विक सीएपीई) के समेकित अनुबोध को बढ़ावा दिया गया।

इस कार्यशाला का प्राथमिक प्रयोजन यही था कि वैश्विक सीबीपीआर व्यवस्था, विशेषकर सुरक्षित और भरोसेमंद सीमा-पार डाटा प्रवाह और डिजिटल कारोबार को उन्नत बनाने में इसके समर्थन, के बारे में गहराई से अन्वेषण की सुविधा प्रदान करना था। इन सत्रों ने राष्ट्रीय डाटा अभिशासन और अंतरराष्ट्रीय डाटा अंतरण परिपाटियों हेतु निहितार्थों पर विचार करते हुए भारत द्वारा वैश्विक सीबीपीआर सिस्टम में संभावित सहभागिता के बारे में सुविज्ञ विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान किया।

स्टार्टअप नीति फोरम बैठक में सहभागिता



चित्र 9: श्री जोसेफ जोशी, मुख्य प्रौद्योगिकीय अधिकारी, आईएफएससीए ने स्टार्टअप नीति फोरम बैठक में, 2025 में जी20 संगोष्ठी कक्ष में हिस्सा लिया

आईएफएससीए ने जी20 संगोष्ठी कक्ष में 15-16 जनवरी 2025 को आयोजित स्टार्टअप नीति फोरम बैठक में हिस्सा लिया। वित्तीय क्षेत्र के भीतर स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने और नवोन्मेषण को आगे बढ़ाने के लिए नीति व्यवस्थाओं और रणनीतिगत प्रयासों पर प्रमुख स्टेकहोल्डर के बीच सार्थक संवाद के लिए इस फोरम ने एक मंच प्रदान किया। आईएफएससीए ने सहभागियों को गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र के अप्रतिम लाभों के बारे में अवगत कराया, जिसमें इसकी विनियामक व्यवस्था, फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था और इसके अधिकारक्षेत्र में परिचालन कर रहे स्टार्टअप को मिलने वाले विभिन्न लाभ शामिल थे।

राष्ट्रीय स्टेकधारक सम्मेलन में सहभागिता – आधार संवाद

आईएफएससीए ने 20 जनवरी 2025 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेन्टर, बीकेसी, मुम्बई में राष्ट्रीय स्टेकधारक सम्मेलन – आधार संवाद में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सेबी और भारतीय रिज़र्व बैंक के सीकेवाईसी में अभिगम के माध्यम से केवाईसी कागजात की अन्योन्याश्रित परिचालनीयता का समर्थन देने की संभावनाओं, आईएफएससीए द्वारा समर्पित सीकेवाईसी प्रणाली स्थापित करने की संभावना और वित्तीय सेवाओं यथा – म्यूचुअल फंड विमोचन और बीमा दावों के लिए – आधार या इसके तुल्य डिजिटल पहचान का अवलंबन लेने के प्रयोग प्रकरणों को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया।

इंडिया ब्लोकचेन सप्ताह में सहभागिता

आईएफएससीए ने इंडिया ब्लोकचेन सप्ताह में हिस्सा लिया और श्रोताओं को वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर लक्षित अपने प्रमुख प्रयासों के बारे में संबोधित किया। इस संबोधन में फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था के तहत प्राधिकृतकरण और सैन्डबोक्सेस के माध्यम से उदीयमान प्रौद्योगिकीय समाधानों के लिए समर्थन सहित टोकनीकरण और भुगतानों जैसे क्षेत्रों में आईएफएससीए के प्रयासों का उल्लेख किया गया।

टीआई वैश्विक संगोष्ठी में सहभागिता

आईएफएससीए ने 11 दिसम्बर 2024 को बंगलूरु में आयोजित टीआई वैश्विक संगोष्ठी में हिस्सा लिया। आईएफएससीए ने “ आईएफएससी में फिनटेक के उद्देश्यों का उत्प्रेरण ” विषय पर प्रमुख अभिभाषण दिया। इसके अलावा आईएफएससीए ने एक पैनल चर्चा में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जो साइबर सुरक्षा और क्वान्टम प्रौद्योगिकी, एथिकल एआई और विनियामक व्यवस्था तथा टोकनीकरण सहित विविध प्रकार के विषयों को समाहित किया गया। इस अनुबंधन में प्रमुख स्टेकहोल्डर के साथ कई वन-टू-वन बैठकें भी शामिल थीं।

नॉर्डिक फिनटेक सप्ताह, 2024 में सहभागिता

आईएफएससीए ने 23 सितम्बर से 27 सितम्बर 2024 को डेनमार्क में आयोजित नॉर्डिक फिनटेक सप्ताह में हिस्सा लिया। इस अनुबंधन के एक भाग के रूप में आईएफएससीए ने सिम्पोजियम ओन मनी लोन्ड्रिंग (एएमएल) में हिस्सा लिया जिससे वित्तीय अपराधों का सामना करने में वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों पर संवाद के लिए एक मंच मिला।

इसके अलावा आईएफएससीए ने फिनटेक और टेकफिन के कई प्रतिष्ठानों के साथ वन-ओन-वन बैठकों का आयोजन किया ताकि सहयोग और नवोन्मेष के संभावित क्षेत्रों पर विचार किया जाए। इन वार्तालापों ने महत्वपूर्ण रुचि का सृजन किया और गिफ्ट आईएफएससी में कारोबार के अवसरों का अन्वेषण करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय सहभागियों से पांच रुचियां अभिव्यक्त की गईं।

सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल, 2024 में सहभागिता



चित्र 10 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) 2024 में

आईएफएससीए ने 6 से 9 नवम्बर 2024 तक आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) 2024 में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अध्यक्ष, आईएफएससीए ने “ भारत की कथा — \$7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के पथ पर ” शीर्षक वाले पैनल चर्चा में हिस्सा लिया और “ वैश्विक एआई अभिशासन — स्टार्टअप के लिए अतिआवश्यक जीवनरेखा ” पर विनियामक संवाद पर पैनल चर्चा में भी हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने फंड प्रबंधकों के साथ गोलमेज चर्चा की और सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाने के अवसरों की तलाश के लिए बाजार के विभिन्न स्टैकहोल्डर के साथ वन-ओन-वन तथा कई द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया।

फिनटेक पर भारत फिलीपीन्स संयुक्त कार्यदल

आईएफएससीए ने फिनटेक पर भारत फिलीपीन्स संयुक्त कार्यदल की आरंभिक बैठक में हिस्सा लिया, जिसके दौरान “ फिनटेक में सहयोग को बढ़ावा ” पर सत्र संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय किया गया। इस सत्र का लक्ष्य था विनियामक दृष्टिकोणों, प्रौद्योगिकीय विकास, और फिनटेक क्षेत्र में सहयोगी अवसरों के बारे में द्विपक्षीय अनुबंधन को और आपसी समझ को आगे बढ़ाया जाए।

इसके अलावा, आईएफएससीए ने 30 अगस्त 2024 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से फिनटेक पर भारत-सिंगापुर संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक ने इन दोनों राष्ट्रों के बीच सतत संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया जो वित्तीय सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाने और सीमापार नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए की वचनबद्धता पर फिर से जोर दिया।

फिनटेक पर भारत – सिंगापुर संयुक्त कार्यदल

आईएफएससीए ने भारत और सिंगापुर के बीच 30 अगस्त 2024 को जिओ कन्वेंशन सेन्टर, मुम्बई में आयोजित 6ठे संयुक्त कार्यदल में आभासी रूप से हिस्सा लिया, जिसमें एमएस और आईएफएससीए ने निर्णय लिया कि सीमापार विनियामक सैन्डबॉक्सों के प्रयोग हेतु अधिकाधिक फर्मों को प्रोत्साहन दिया जाए।

भारत – यूके वित्तीय बाजार संवाद

आईएफएससीए ने 12 दिसम्बर 2024 को गिफ्ट सिटी में आयोजित भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद में हिस्सा लिया। इस संवाद में ज्ञान शेयरिंग, गैर-पर्यवेक्षण संबद्ध आसूचना साझा करने और एआई तथा क्वान्टम जैसी प्रौद्योगिकी के बारे में प्रत्येक देश के विनियामकों के बीच समर्थन के लिए सीमापार विनियामक सैन्डबॉक्स की स्थापना की तलाश की संभावनाओं का संकेत दिया गया। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि आईएफएससीए और एफसीए के बीच विनियामक सैन्डबॉक्स की स्थापना से एक-दूसरे के विनियामक सैन्डबॉक्सों में नवोन्मेषी प्रयोग प्रकरणों की उपयोगिता के संयुक्त मूल्यांकन सहित संदर्भगत नवोन्मेषी फिनटेक की तरफ ले जाएगा।

ईयू-एसडीएफ में भारत की डिजिटल वित्त व्यवस्था

आईएफएससीए ने फ्लोरेन्स, इटली में यूरोपियन यूनियन सुपरवाइजरी डिजिटल फाइनेंस एकादमी (ईयू – एसडीएफ) हिस्सा लिया और दो प्रमुख सत्रों का नेतृत्व किया। यूरोपियन कमीशन डायरेक्टोरेट-जनरल फोर रिफॉर्म द्वारा स्थापित इस अकादमी में 31 विनियामक प्राधिकरणों – इन संस्थाओं में केन्द्रीय बैंकों और बाजारों, पेन्शन और भुगतान-ईबीए, ईएसएमए, ईआईओपीए और ईयू-एसडीएफ के पदाधिकारियों सहित – का प्रतिनिधित्व करते हुए 25 देशों के 37 सहभागी आए। प्रथम सत्र जिसका शीर्षक था – “ डिजिटल फिनेंस एक्सपीरिएन्स फ्रॉम नॉन-यूरोपियन ज्यूरिसडिक्शन्स ” में इंडिया स्टैक और आईएफएससीए परितंत्र पर प्रकाश डाला जिसमें फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था और विनियामक सैन्डबॉक्स भी शामिल थे। “ क्रॉस-सेक्टरल ट्रेन्ड्स एन्ड प्रायोरिटीज इन डिजिटल फिनेंस ” शीर्षक से द्वितीय सत्र का संचालन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ईएसएमए के सहायोग से किया गया।

बीमा और पेन्शन

वित्तीय बाजार के अनिवार्य परितंत्र का विकास करने और वैश्विक ग्राहक-समूह को बीमा समाधान प्रदान करने के लिए बीमा व्यवसाय आईएफएससी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंडों में से एक होता है।

आईएफएससी में बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यस्थकों के लिए आईएफएससी ने विश्वस्तरीय और समेकित विनियामक व्यवस्था का अधिनियमन किया है, जिसका फोकस कारोबार में सहजता लाने पर है। इन विनियमों में बीमा व्यवसाय के पंजीकरण, प्रीमियम प्राप्त करने की पद्धति, बीमा उत्पादों की डिजाइनिंग, आस्तियों के निवेश, वित्तीय विवरणियों की रचना और प्रस्तुति, नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति और कर्तव्य, निरीक्षण और अन्वेषण हेतु जानकारी और अभिलेखों का अनुरक्षण, आगामी और निर्गामी पुनर्बीमा परिचालनों, ऋणशोधन गुंजाइश, आदि से संबंधित पहलुओं को कवर किया गया है।

यद्यपि घरेलू बीमा बाजार में संवृद्धि से भारतीय बीमाकर्ताओं हेतु बीमा समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संनिधियां तैयार करने में सहायता होगी, साथ ही यह पुनर्बीमा क्षमताओं का विकास करना अनिवार्यता करता है। अपने प्रोत्साहनों और विनियामक समर्थन की सहायता से गिफ्ट आईएफएससी ऐसी स्थिति में है कि भारतीय और वैश्विक दोनों ही बाजारों में इन क्षमताओं का विकास कर सके। इसके अलावा, वैश्विक भारतीय जनसमूह द्वारा बीमा प्रतिष्ठानों के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनों की स्थापना करके अनुरूपी स्वास्थ्य, जीवन और यात्रा बीमा उत्पाद प्रदान कर सकें।

वर्तमान में आईएफएससी के बीमा परितंत्र में 45 प्रतिष्ठान समाहित हैं, जिनमें 18 आईआईओ (आईएफएससी बीमा कार्यालय) और 27 आईआईआईओ (आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय हैं)। मार्च 2025 तक आईआईओ द्वारा बुक किया गया कुल (पुनः) बीमा प्रीमियम 560.77 मिलियन अमरीकी डॉलर है और आईआईआईओ द्वारा सौदाकृत कुल (पुनः) बीमा प्रीमियम 1.35 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

बीमा उद्योग के साथ-साथ पेन्शन उद्योग भी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है, जबकि यह पूंजी बाजारों और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यह देखते हुए कि भारत अपने वित्तीय परितंत्र को मजबूत कर रहा है तो आईएफएससी ने भी वैश्विक सम्पर्क वाले पेन्शन परितंत्र को आकार देने में एक अर्थपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

गिफ्ट आईएफएससी में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र की तेज संवृद्धि को समर्थन देने के लिए आईएफएससी ने अनुकूल विनियामक परिवेश का सृजन किया है। अधिकांश विनियामक अंतराल का समर्थन करने के लिए विद्यमान तेरह (13) विनियमों के साथ आईएफएससी ने, वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है।

बीमा के बारे में इरडाई का मास्टर परिपत्र

नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने इरडाई (विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं और लॉयड का भारत में पंजीकरण और परिचालन) विनियमावली, 2024 और इरडाई (पुनर्बीमा) विनियमावली, 2018 पर दिनांक 31 मई 2024 का मास्टर परिपत्र जारी किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा बार पुनर्बीमा (सीबीआर) अधिदेश है, जिसमें भारत से पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने, भारत में संपार्श्विक का अनुरक्षण, स्वदेशी पुनर्बीमा परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम को दर्ज करना शामिल है। इस प्रयास से अपेक्षित है कि यह पुनर्बीमा व्यवसाय को देश के भीतर ही कायम रखने में प्रमुख भूमिका निभाएगा जो भारत को पुनर्बीमा क्रियाकलापों के लिए मुकुलित हो रहे केन्द्र की स्थिति में रखेगा।

सीबीआर द्वारा संपार्श्विक के अनुरक्षण की अपेक्षा का लक्ष्य यही है कि वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व को मजबूत किया जाए और इस प्रकार से स्टेकधारकों के बीच अधिकाधिक भरोसा पैदा किया जाए और भारत में बीमा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जाए। यह रणनीतिगत कदम भारत की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि ऐसी प्रबल विनियामक व्यवस्था का सृजन किया जाए जो न केवल स्वदेशी हितों की रक्षा करे बल्कि वैश्विक पुनर्बीमा के खिलाड़ियों को भी आकर्षित करे कि वे आईएफएससीए के तत्वावधान में भारत की मुख्य भूमि या गिफ्ट आईएफएससी में निवेश और परिचालन आरंभ करें।

समेकित विनियमावली

समेकित आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियमावली, 2021:

इरडाई द्वारा 22 अगस्त 2023 को इसकी (पुनर्बीमा) विनियमावली, 2018 में अधिसूचित संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियमावली, 2021 में संशोधनों और कोमन आवेदनपत्र सहित एकल विन्डो आईटी सिस्टम (एसडब्ल्यूआईटीएस) प्लेटफार्म आरंभ करने के बाद विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए कारोबार करने में सहजता को ध्यान में रखते हुए उक्त विनियमों का एक समेकित संस्करण आईएफएससीए की वेबसाइट पर दिया गया।

समेकित आईएफएससीए (आईआईओ द्वारा निवेश) विनियमावली, 2022 — आईएफएससीए (आईएफएससी बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) (संशोधन) विनियमावली, 2024 के बाद विनियमित प्रतिष्ठानों (आरई) के लिए कारोबार करने में सहजता को ध्यान में रखते हुए उक्त विनियमों का एक समेकित संस्करण आईएफएससीए की वेबसाइट पर दिया गया।

आईएफएससीए द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी बीमाकर्ताओं या पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतिकरण अपेक्षाओं के बारे में आईएफएससीए के प्रस्तावित परिपत्र पर परामर्श आलेख

गिफ्ट आईएफएससी में आरई को बीमा प्रदान करने के लिए विदेशी बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं हेतु प्रतिभूतिकरण अपेक्षाओं की रूपरेखा आईएफएससीए परिपत्र के प्रारूप में है। इसमें सुरक्षाउपायों का प्रस्ताव है जैसे — आईएफएससी के बैंकों में एक मीयादी जमा (प्रीमियम का 50%) रखी जाए या अप्रतिसंहरणीय साख पत्र (देयताओं का 75%) रखा जाए। लक्ष्य यही है वित्तीय स्थायित्व के साथ आरई की लोचशीलता को संतुलित किया जाए। इस परामर्श पत्र का प्रयोजन यह है कि आईएफएससीए द्वारा विनियमित प्रतिष्ठानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ताओं या पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतिकरण अपेक्षाओं पर जनता से अभिमत/ दृष्टिकोण/सुझाव प्राप्त किए जाएं।

प्रमुख गतिविधि — गिफ्ट आईएफएससी में पेन्शन उत्पादों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में प्रो. मुकुल आशेर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने गिफ्ट आईएफएससी में पेन्शन उत्पादों के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारत की वित्तीय संरचना को समर्थन और वैश्विक परिपाटियों के अनुरूप इस अंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्र के भीतर पेन्शन उत्पादों की शुरुआत और नियंत्रण के लिए रणनीतिपरक व्यवस्था की रूपरेखा है।

विशेषज्ञ समिति की प्रमुख संस्तुतियां —

- समिति की संस्तुति रही कि आईएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित करेन्सी में यह गैर-एनआरआई मूल्यवर्गित पेन्शन उत्पाद होगा।
- गिफ्ट आईएफएससी में पेन्शन के लिए समर्थक विनियामक व्यवस्था के लिए भारत सरकार को एक उचित रियायत देनी होगी, क्योंकि वर्तमान पएफआरडीए अधिनियम की धारा 25 में है “भारत से बाहर के अभिदाताओं द्वारा निधियों के निवेश का निषेध है — कोई भी पेन्शन निधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिदाताओं की निधियों का निवेश भारत से बाहर नहीं करेगी ” आईएफएससीए में पंजीकृत पेन्शन निधियों को धारा 25 से मुक्त करना होगा और इस अधिकारक्षेत्र से प्रबंधित पेन्शन निधियों के लिए निवेश का एक व्यापक क्षितिज प्रदान किया जाए।

- iii. पेन्शन उत्पाद प्रदाता (पीपीपी) या तो आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 , वर्तमान में आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2025 के रूप में संशोधित के दायरे में पंजीकृत हो या आईएफएससीए के बीमा विनियमों के तहत और यह पेन्शन प्रभाग में उत्पाद अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।
- iv. पीपीपी के पेन्शन उत्पादों और संचालन के लिए आईएफएससीए द्वारा विनियम जारी किए जाएं।
- v. भारत सरकार द्वारा अशेषीकरण करारों के लिए द्विपक्षीय वार्ताएं करनी चाहिए खासकर यूएसए और यूके के साथ। यूके के साथ कारोबारी वार्ताएं चल रही हैं इसलिए यह उपयोगी होगा कि भारत के साथ पेन्शन और अशेषीकरण की एक मद पर विचार किया जाए।
- vi. आईएफएससीए को इन्टरनेशनल ओर्गेनाइजेशन ऑफ पेन्शन सुपरवाइजर्स (आईओपीएस) का सदस्य बन जाना चाहिए। यह अन्य अधिकारक्षेत्रों के साथ एकीकरण में मदद करेगा।
- vii. भारत सरकार को टैक्स समर्थन जारी करने पर विचार करना चाहिए जैसा कि समिति ने संस्तुति की है। टैक्स संस्तुतियां –
 - क. अभिदान के स्तर पर प्रस्तावित कराधान – भारतीय पेन्शन (समाजिक सुरक्षा प्रणाली) के तहत और इसके कराधान खासकर एनपीएस के मामले में, समय के साथ-साथ कुछ गतिविधियां हुई हैं, अतः भारतीय राजकोष पर अतिरिक्त परिव्यय लागत के बावजूद सर्वोत्तम प्रतिभा को बचाए रखने और आकर्षित करने के लिए आकर्षक विकल्प प्रदान किया जाए। इस पृष्ठभूमि में उक्त पेन्शन उत्पाद के लिए कराधान को यथासंभव आकर्षक बनाना प्रस्तावित है। यह प्रस्तावित है कि योगदान की अवधि के दौरान वर्तमान भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत करायोग्य आय में से 150,000 भारतीय रुपये तक काटौती दी जा सकती है।
 - ख. संचयन पर कराधान – उक्त निधि पर योगदान अवधि के दौरान संचयों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।
 - ग. आहरण स्तर पर कराधान – प्रस्तावित है कि इस स्तर पर आहरित रकम पर कोई आयकर नहीं होना चाहिए।
 - घ. नई टैक्स व्यवस्था में उपलब्धता – यह रियायत उन लोगों को भी मिलनी चाहिए भले ही उन्होंने नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना हो।
 - ङ. यदि कोई अनिवासी निवासी बन जाए तो भी ग्रान्डफादरिंग – यदि कोई अनिवासी (निवेश वर्षों के दौरान) बाद में भारत में निवासी बन जाए तो भी आहरण रकम पर संचित निधि के लिए टैक्स लाभों की ग्रान्डफादरिंग होनी चाहिए।
 - च. आईएफएससी पेन्शन स्कीम/ट्रस्ट की आय – आईएफएससी पेन्शन स्कीम/ट्रस्ट द्वारा अर्जित आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए।

वैधानिक अधिसूचना – पेन्शन स्कीमों को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत वित्तीय उत्पाद के रूप में मान्यता

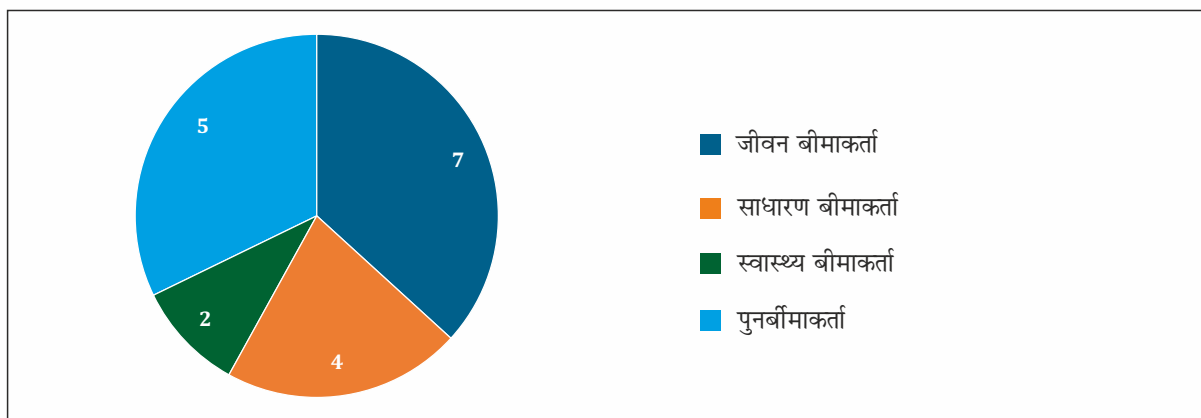
विनियामक स्पष्टता और विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के साथ अनुरूपता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 5 दिसम्बर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3 के तहत इस अधिनियम के प्रयोजनों से आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया कि 'किसी पेन्शन निधि द्वारा परिचालित स्कीमों' को ' वित्तीय उत्पाद ' माना जाए। गिफ्ट आईएफएससी व्यवस्था में और वैश्विक रूप से स्पर्धी पेन्शन परितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पेन्शन स्कीमों के औपचारिक विकास और प्रस्तावन के लिए यह एक महत्वपूर्ण समर्थनकारी विनियम है।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

(I) आईएफएससीए द्वारा विनियामक के साथ-साथ विकासात्मक शब्दावली में कहें तो आईएफएससीए ने विभिन्न प्रयास किए और गिफ्ट आईएफएससी में बीमा क्षेत्र ने प्रमुख बदलाव भी देखे। आईएफएससी में आईआईओ की कुल संख्या विगत वित्तीय वर्ष के बारह से बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 18 हो गई।

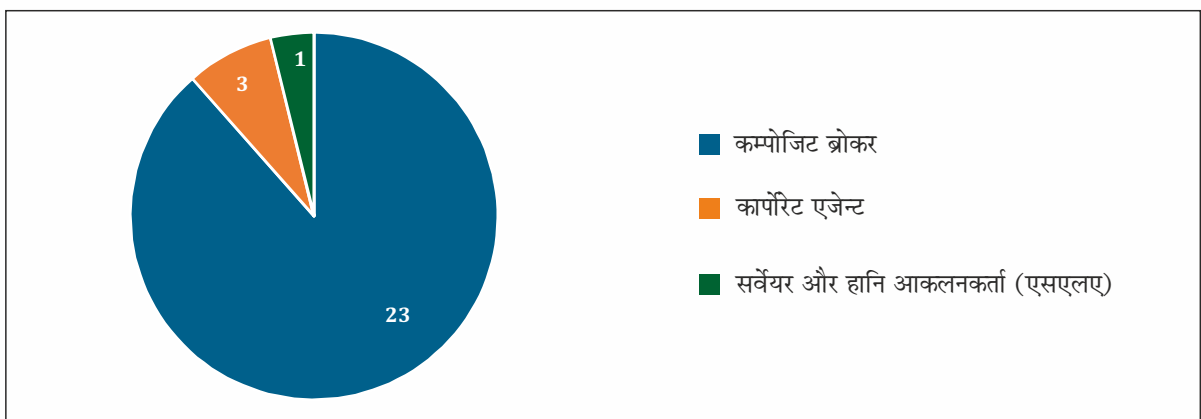
आरेख 12: आईआईओ का वर्गीकरण



(ii) यह ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजीकृत 7 नए आईआईओ में से 3 जीवन बीमा क्षेत्र से हैं, 1 साधारण बीमा क्षेत्र से और 3 विदेशी पुनर्बीमा क्षेत्र से हैं। इसके अलावा 3 जीवन बीमा कम्पनियों का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। यह संख्याएं भारतीय जनसमूह के लिए जीवनबीमा उत्पादों की जरूरत को पकड़ने के लिए जीवनबीमा कम्पनियों के बीच बढ़ती हुई रुचि को दर्शाती है। इसी प्रकार पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या गिफ्ट आईएफएससी को एशिया में पुनर्बीमा के लिए एक केन्द्र बनने में और अधिक सक्षम करेगी।

(iii) इसके अलावा आईआईआईओ की तरफ से आईएफएससीए ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 कम्पोजिट बीमा ब्रोकर, 3 कॉर्पोरेट एजेंटों, 1 सर्वेयर और हानि आकलनकर्ता (एसएनए) का पंजीकरण किया। इस प्रकार पंजीकृत आईआईआईओ की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई।

आरेख 13: आईआईआईओ का वर्गीकरण

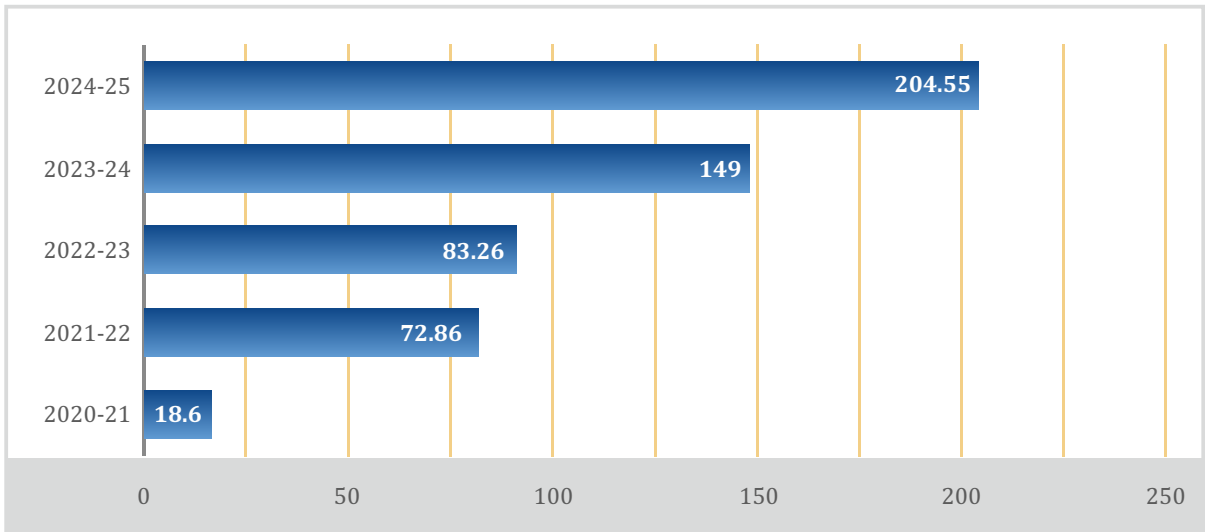


आईएफएससी में कारोबारी संव्यवहार

आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज में 149 मिलियन अमरीकी डोलर की तुलना में आईआईओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 204.55 मिलियन अमरीकी डोलर के प्रीमियम दर्ज किए। विगत पांच वर्ष में आईआईओ द्वारा हामीदारीकृत कारोबार का वित्तीय वर्ष अनुसार वर्णन निम्नानुसार है –

आरेख 14: आईआईओ द्वारा हामीदारीकृत कारोबार (मिलियन यूएसडी)

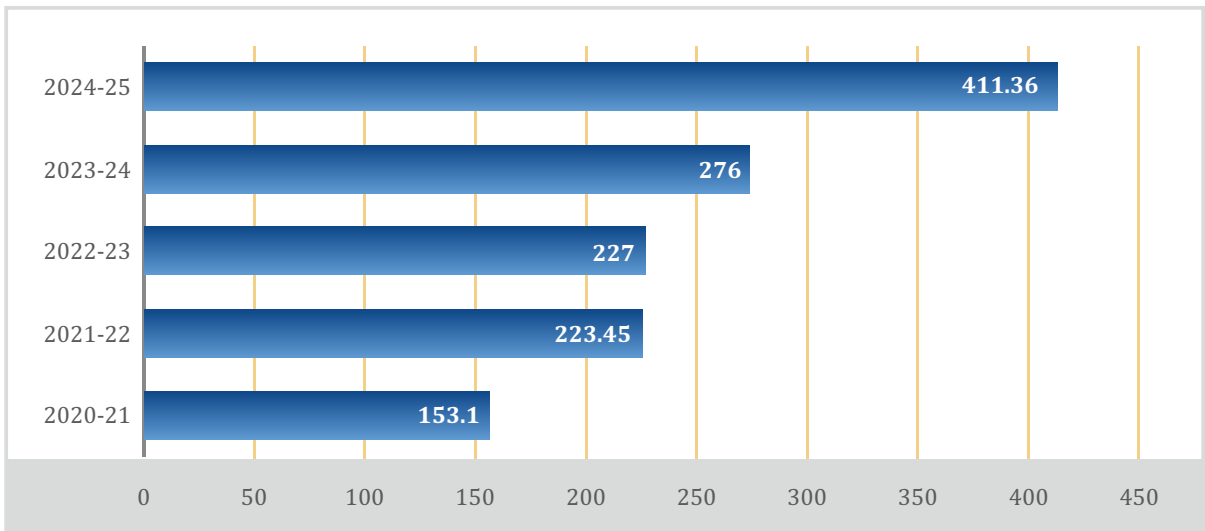


नोट – वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े अंतिम हैं।

आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आईआईआईओ)

आईआईआईओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 411.36 मिलियन अमरीकी डोलर (पुनः) बीमा प्रीमियम का कारोबार किया इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 276 मिलियन अमरीकी डोलर का कारोबार हुआ था। विगत 5 वर्ष में आईआईआईओ द्वारा कारोबार का वित्तीय वर्ष अनुसार वर्णन निम्नानुसार है –

आरेख 15: आईआईआईओ द्वारा किया गया कारोबार (मिलियन यूएसडी)



नोट – वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े अंतिम हैं।

पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण

(पुनः) बीमा क्रियाकपालों के विधिवत विकास को सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग के मानदंड निर्धारित करते हुए आईएफएससीए ने आईआईओ / आईआईआईओ के ऑफसाइट पर्यवेक्षण की व्यवस्था निर्धारित की है। कारोबारी डाटा और अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्रों को आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार आवधिकता पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आईआईओ / आईआईआईओ द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जांच विद्यमान विनियामक व्यवस्था के अनुपालन की दृष्टि से की जाती है।

ऑनसाइट पर्यवेक्षण

ऑफसाइट पर्यवेक्षण के अलावा आईएफएससीए ने आईआईओ / आईआईआईओ के ऑनसाइट पर्यवेक्षण भी किए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससीए ने 1 आईआईओ और 2 आईआईआईओ का ऑनसाइट पर्यवेक्षण किया।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

आईएलएस एशिया 2024 – सिंगापुर में कैट बॉन्ड और आईएलएस सम्मेलन

बीमा सहबद्ध प्रतिभूतियों (आईएलएस) और प्राकृतिक आपदा (नैट कैट) जोखिमों के विशिष्ट खंड की संभावना और इस मामले में आईएफएससी अधिकारक्षेत्र में विनियामक व्यवस्था की अल्प-विकासित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए से दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में आयोजित 6ठी आईएलएस एशिया 2024 में हिस्सा लिया।

विगत वर्षों में कैट बॉन्डों और आईएलएस आस्ति वर्ग के प्रबल निष्पादन के परिप्रेक्ष्य में सन 2024 के लिए इस सम्मेलन की थीम थी – "नवकृत हो रहे संवृद्धि अवसर"। इस सम्मेलन ने अवसर दिया कि विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में प्रचलित विनियामक व्यवस्था और वर्तमान परिपाटियों को समझा जाए और बीमाकर्ताओं या पुनर्बीमाकर्ताओं, निवेशकों, आस्ति प्रबंधकों, सेवा प्रदाताओं, निधि प्रबंधकों, जोखिम मॉडलर्स, विधि फर्मों, पेन्शन निवेशकों, निवेश बैंकर्स, आदि की अर्पण की दृष्टि से आईएलएस के खंड को समझा जाए।

यह देखते हुए कि सिंगापुर विशालतम एशियाई पुनर्बीमाकर्ता बाजार है और विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं का मुख्यालय है, विभिन्न सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर), जो डीटीए भारत से पुनर्बीमा कारोबार बुक करते हैं वे सिंगापुर में ही हैं। इस प्रकार सांपाथिक के बारे में इरडाई के हाल ही में जारी परिपत्र की पृष्ठभूमि में इस प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के अपने इस दौर के अवसर पर कतिपय सीबीआर से वन-टू-वन बैठकें उनके लिए गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों पर चर्चा की।

7वां एशियन कैपिटल सम्मेलन, 2024

श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने 7वीं एशियन कैपिटल सम्मेलन, 2024 में कुआलालम्पूर, मलेशिया में “ए कैपिटल निश – इनसाइट फ्रॉम लीडिंग एशियन डोमिनेटर्स” शीर्षक से पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन लाबुआन इंटरनेशनल बिजनेस एन्ड फाइनेंसियल सेक्टर, मलेशिया (लाबुआन आईबीएफसी) और लाबुआन इंटरनेशनल इन्श्योरेंस एसोशिएशन (एलआईआईए) द्वारा किया गया था।

पैनल चर्चा के दौरान सिंगापुर, लाबुआन, मलेशिया, हांगकांग, आदि जैसे समकक्ष अधिकारक्षेत्रों में कैपिटल बीमा कारोबार के विकास को अभिस्वीकृति देते हुए, श्री त्रिवेदी ने बताया कि भारत के गिफ्ट आईएफएससी में ‘कैपिटल बीमा’ के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बीमा क्षेत्र में वशवर्तिता के बढ़ते हुए महत्व के बारे में इस सम्मेलन में विस्तृत चर्चा की गई। यूएसए और यूरोपियन बाजारों में वशवर्ती बीमे के विकास को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि एशियाई बाजारों में भी स्वकृत (कैपिटल) बीमा विकास की अपार संभावनाएं हैं।

वक्ताओं ने विभिन्न एशियाई अधिकारक्षेत्रों में स्वकृत बीमाकर्ताओं के पर्यवेक्षण के लिए विनियामक व्यवस्थाओं और इनकी सफलता, पुनर्बीमा बाजार में अभिगम के लिए स्वकृतों के बढ़ते हुए प्रयोग, आदि पर भी चर्चा की। सहभागी इस बारे में एकमत थे कि इन स्वकृतों को अब बाजार की स्थितियों पर ध्यान दिए बिना कापैरेट जोखिम रणनीतियों के साथ भी जोड़ा जाएगा, और सभी विनियामकों को आपस में अधिकाधिक सहयोग, समन्वय और आसूचना शेयरिंग करनी होगी ताकि बीमा परितंत्र के सम्यक विकास के लिए स्वकृत बीमा की सम्पूर्ण संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके।

लाबुआन फाइनेंसियल सर्विसेज एथोरिटी (एलएफएसए) के साथ बैठक

श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए और श्री भास्कर खदागभावी, महाप्रबंधक, आईएफएससीए के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री मोहम्मद रिज़लान मुख्तार, डायरेक्टर, रजिस्ट्रेशन एन्ड अथोराइजेशन ऑफ लाबुआन फाइनेंसियल सर्विसेज एथोरिटी (लाबुआन एफएसए) और उनकी टीम के सदस्यों के साथ कुआलालम्पूर, मलेशिया में उनके कार्यालय में बैठक की।

ये विचारविमर्श संबंधित अधिकारक्षेत्रों में विधियों, नियमों और वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के बारे में सहयोग को बढ़ाने और आसूचना शेयरिंग में सुविधा के लिए अभी हाल ही में आईएफएससीए और लाबुआन एफएसए के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के परिप्रेक्ष्य में हुए।

आईएफएससीए और लाबुआन एफएसए के पदाधिकारियों ने अपने-अपने वित्तीय बाजारों में विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जानकारी और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा किया। आंतरिक तथ्यों और रणनीतियों का विनिमय करके इन विनियामकों का लक्ष्य यह है कि दोनों अधिकारक्षेत्रों के वित्तीय बाजारों में स्थायित्व, पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ाया जाए और अंततः उपभोक्ता को लाभान्वित किया जाए।

20वीं सिंगापुर इंटरनेशनल रीइन्श्योरेंस कॉन्फ्रेंस

20वीं सिंगापुर इंटरनेशनल रीइन्श्योरेंस कॉन्फ्रेंस (एसआईआरसी), 2024 का आयोजन 4 से 7 नवम्बर 2024 के बीच हुआ, जिसमें 3300 से भी अधिक सहभागी और लगभग 2000 ने विदेशों से शामिल हुए। इस समारोह में बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों, मध्यस्थों, बैंकर्स, बीमा टेक कम्पनियों, कैट मॉडलिंग कम्पनियों, साइबर विशेषज्ञ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, बीमा/पुनर्बीमा परामर्शदाता और समाधान प्रदाताओं, एक्सचेन्जिंग प्लेटफॉर्म, आदि जैसे बीमा उद्योगों के स्टेकहोल्डरों ने सहभागिता की।

कार्यपालक निदेशक (बीमा) के नेतृत्व में आईएफएससीए टीम ने वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं / मध्यस्थों और विभिन्न स्टेकधारकों के साथ गिफ्ट आईएफएससी बीमा प्रस्तावों पर विचार के लिए कई बैठकें कीं। इन भेंटवार्ताओं में टीम ने प्रमुख विनियामक समर्थकों, कारोबारी प्रोत्साहनों और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए आईएफएससीए द्वारा प्रस्तावित कारोबारी सहजताओं को विशेष रूप से बताया।

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल का यूएसए दौरा

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए और विभिन्न स्टेकधारकों के साथ प्रतिनिधिमंडल ने 21 से 25 अक्टूबर के बीच यूएसए (न्यूयार्क और सैन फ्रान्सिस्को) के अपने दौरे पर, विभिन्न सम्मेलनों, बैठकों और राउन्डटेबल भेंटवार्ताओं के अनुक्रम में बर्कशायर हैथवे इन्श्योरेन्स कम्पनी, स्टार इन्श्योरेन्स होल्डिंग्स इन्कोर्पोरेट., बर्कले इन्श्योरेन्स कम्पनी, आदि सहित उद्योग के खिलाड़ियों से मिले। इन भेंटवार्ताओं में इस टीम ने प्रमुख विनियामक समर्थकों, कारोबारी प्रोत्साहनों और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए आईएफएससीए द्वारा प्रस्तावित कारोबारी सहजताओं को विशेष रूप से बताया।

आईएआईएस वार्षिक कॉन्फ्रेंस, केप टाउन

आईएआईएस एनुअल कॉन्फ्रेंस 5 से 6 दिसम्बर 2024 के बीच केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में 105 से भी अधिक अधिकारक्षेत्रों से 500 से भी अधिक सहभागी आए और वक्ताओं ने आकर्षक पैलन चर्चाएं कीं तथा परिचर्चापूर्ण राउन्डटेबल हुए जिसमें “लाइसेन्स टू ओपरेट : दि रोल ऑफ इन्श्योरेन्स टू स्ट्रेन्थेन सोसाइटील रेजिलेन्स” की थीम पर कई विषयों का विश्लेषण किया गया।

आईएफएससीए-इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन

गिफ्ट आईएफएससी की अवस्थिति और प्रगति के बारे में 19 अगस्त 2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान माननीय केन्द्रीय वित्त और निगम कार्यालय मंत्री ने सुझाव दिया कि आईएफएससीए और इरडाई संयुक्त रूप से पुनर्बीमा के विषय पर एक परिवृत्त का आयोजन करें जिसका लक्ष्य यह हो कि वैश्विक बीमाकर्ताओं के साथ वार्ता हो और पुनर्बीमा के लिए वैश्विक केन्द्र के रूप में गिफ्ट आईएफएससी का विकास किया जाए। परिणामस्वरूप आईएफएससीए, इरडाई और गिफ्ट सिटी ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के समर्थन से 30 नवंबर 2023 को मुम्बई में “आईएफएससीए-इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन, 2023”, का आयोजन किया।



चित्र 11: अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल – आईएफएससीए-इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन में

इस साल वैश्विक (पुनः) बीमाकर्ताओं के साथ वार्तालाप के लिए आईएफएससीए-इरडाई गिफ्ट आईएफएससी वैश्विक पुनर्बीमा शिखर सम्मेलन का द्वितीय संस्करण 20 जनवरी 2025 को मुम्बई में आयोजित किया गया। इस एक दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आईएफएससीए, इरडाई और गिफ्ट सिटी द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र, परामर्शदाता, ब्रोकर, अधिवक्ता, अकादमीय संस्थान, एसोशिएशन्स, के अग्रणी कारोबारी और अन्य संबंधित स्टेकधारक शामिल हुए।

इस शिखर सम्मेलन का प्रयोजन यही था कि अन्य बातों के साथ-साथ सभी स्टेकधारकों को एक उभयनिष्ठ मंच पर लाना और उनके साथ गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध अवसरों को शेयर करना और ऐसी राह तलाशना था जो इसे पुनर्बीमा का एक केन्द्र बनाए। इस शिखर सम्मेलन का यह भी अभिप्राय था कि विनियामक द्वारा गृहीत सिद्धांत आधारित विनियामक प्रणाली के बारे में जागरूकता का सृजन हो और गिफ्ट आईएफएससी में (पुनः)बीमा कारोबार की स्थापना में सुविधा और सहायता दी जाए।

वैश्विक एकीकरण – आईएफएससीए बना आईओपीएस का सदस्य

वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ अनुरूपण की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में आईएफएससीए वर्ष के दौरान इन्टरनेशनल ओर्गेनाइजेशन ऑफ पेन्शन सुपरवाइजर्स (आईओपीएस) का सदस्य बना। यह सदस्यता आईएफएससीए की इस क्षमता को बढ़ाती है कि यह पेन्शन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पेन्शन विनियामकों के साथ अनुबंधन करे, वैश्विक पर्यवेक्षी मानकों को ग्रहण करे और नवोन्मेषों और निवेशक संरक्षण में समर्थन प्रदान करे।

वैश्विक इन-हाउस केन्द्र

विगत दो दशकों में वैश्विक इन-हाउस केन्द्रों (जीआईसी) के लिए भारत एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में सामने आया है, जो अपने प्रबल प्रतिभा समूह, किफायती परिचालनों और बढ़ती हुई प्रौद्योगिकीय क्षमताओं से चालित है। परिचालनों, प्रौद्योगिकी, वित्त, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन सहित इन-हाउस प्रकार्यों की एक शृंखला का निष्पादन करने के लिए जीआईसी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा स्थापित अपतटीय यूनिटें हैं। आरंभ में बैंक-ऑफिस रखरखाव और समर्थन सेवाओं के लिए स्थापित ये केन्द्र अब नवोन्मेष और मूल्यमान सृजन के रणनीतिपरक केन्द्र के रूप में बदल चुके हैं।

आज बहुत से जीआईसी विशेषीकृत क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, यथा — डाटा विश्लेषक, जोखिम मॉडलिंग, विनियामक रिपोर्टिंग, साइबर सुरक्षा, और धोखाधड़ी पकड़ना, और इस प्रकार वित्तीय संस्थानों और अन्य कॉर्पोरेट में वैश्विक परिचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परितंत्र को मजबूत बनाने में जीआईसी की अपार संभावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत वैश्विक इन-हाउस केन्द्रों को आईएफएससी के भीतर वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया है। इसी पर आधार रखते हुए आईएफएससीए ने वैश्विक इन-हाउस केन्द्र विनियमावली, 2020 का सूत्रपात किया जिससे वित्तीय सेवा समूहों के प्रतिष्ठान वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में समर्थन प्रदान करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी की स्थापना कर सके।

विनियमों ने एक अनुकूल विनियामक और परिचालनगत परिवेश का सृजन किया है जो गिफ्ट आईएफएससी के भीतर अनेक जीआईसी की स्थापना की दिशा में ले गया है। ये केन्द्र सेवा अर्पण क्षमताओं को बढ़ाने, नवोन्मेष को बढ़ाने, और दक्षतावाले रोजगार अवसरों के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक इन-हाउस केन्द्रों का विकास

एकीकृत विनियामक के रूप में आईएफएससीए ने आईएफएससीए की विनियामक व्यवस्था के माध्यम से जीआईसी के वित्तीय क्षेत्र की स्थापना का समर्थन किया है और अनुमादेन प्राप्त करने और परिचालन लाइसेन्सों की प्रक्रिया को सुवाही बनाया है, विनियामक विभेदों को कम किया है और कारोबार करने में सहजता को बढ़ावा दिया है।

गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी को आकर्षक नीतिगत परिवेश का लाभ मिला है जिसमें टैक्स प्रोत्साहन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कतिपय प्रावधानों से रियायत मिली है, जिससे इनमें परिव्यय की किफायत रही और एक नियंत्रित परिवेश में परिचालन की योग्यता रही जिससे जीआईसी एक विभेदीकृत कारोबारी मॉडल बन गया।

अपने वैश्विक परिचालनों के लिए अनुपालन, विश्लेषण, प्रौद्योगिकीय समर्थन और जोखिम प्रबंधन जैसे उच्च-मूल्यवत्ता के कार्यों की डिलीवरी के लिए जीआईसी एक रणनीतिपरक केन्द्र के रूप में सेवा देता है। गिफ्ट आईएफएससी में उल्लेखनीय है कि जीआईसी वे सेवाएं देते हैं जो किसी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में मिलती है, आज इसमें 2400 से अधिक व्यवसायी हैं और यह गिफ्ट आईएफएससी में एकल विशालतम नियोक्ताओं में से एक है।

संधारणीय वित्त

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि गिफ्ट आईएफएससी को संधारणीय वित्त का एक वैश्विक केन्द्र बनाया जाए। गिफ्ट आईएफएससी के लिए एकीकृत विनियामक के रूप में आईएफएससीए इस विजन को प्राप्त करने के प्रयोजन सहित कार्य कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों से प्रेरित लेकिन भारत जैसे विकासमान देशों की जरूरतों पर विशेष रूप से अभिकेंद्रित आईएफएससीए ने उत्प्रेरक विनियामक परिवेश का सृजन करके वैश्विक संधारणीय पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। आईएफएससीए ने निधीयन के तीन प्रमुख स्रोतों – ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और निधियों – पर अभिकेंद्रित प्रयास किए हैं।

IFSCA's Sustainable Finance Initiatives



ESG Bond Listings

Facilitates the listing of ESG-labelled bonds



Sustainable Lending

Encourages banks to provide sustainable loans



ESG Funds

Promotes ESG funds and sustainable investments

आईएफएससीए ने संधारणीय विकास और न्यून-कार्बन अर्थव्यवस्था की तरफ अंतरण में ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों (हरित बॉन्ड, सामाजिक बॉन्ड, संधारणीयता बॉन्ड, संधारणीयता सहबद्ध बॉन्ड) की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। इसी अनुक्रम में आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और लिस्टिंग) विनियमावली, 2021 के एक भाग के रूप में आईएफएससीए द्वारा ग्रीन, सामाजिक, संधारणीय और संधारणीयता सहबद्ध बॉन्डों के लिए आरंभ में विनियामक व्यवस्था तैयार की गई और बाद में इसे आईएफएससीए (लिस्टिंग) विनियमावली, 2025 में समामेलित कर दिया गया। मार्च 2025 की यथा स्थिति, आईएफएससी एक्सचेन्जों पर कुल ऋण लिस्टिंग 65.10 बिलियन अमरीकी डोलर की रही जिसमें से ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग लगभग 15.43 बिलियन अमरीकी डोलर रही, जो यह प्रदर्शित करता है कि संधारणीय पूंजी जुटाने के लिए भारतीय कॉर्पोरेट के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक वरीय प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आ रहा है।

न्यून-कार्बन और जलवायु प्रतिस्पर्धी भविष्य की दिशा में अर्थव्यवस्था के अंतरण के लिए बैंकिंग चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। आईएफएससीए ने अप्रैल 2022 में “वित्तीय संस्थानों द्वारा संधारणीय और संधारणीयता सहबद्ध उधारियों पर मार्गदर्शी व्यवस्था” जारी की। इस व्यवस्था में अधिदेश है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिटें (आईबीयू) अपनी वर्धमान उधारियों का 5% संधारणीय ऋणों के लिए प्रदान करेंगी। गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग यूनिटों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग

3.39 बिलियन अमरीकी डॉलर हरित / संधारणीय ऋणों के रूप में संवितरित किया। इसके साथ ही गिफ्ट संचयी संधारणीय उधारियां 4.95 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गईं।

भारत में ईसीजी निधियों को बढ़ावा देने और पूंजी प्रवाह के चलन को हरित तथा संधारणीय परियोजनाओं की दिशा में ले जाने के इस अभिप्राय से आईएफएससीए ने 18 जनवरी 2023 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें ईएसजी स्कीमों से यह अपेक्षित था कि कतिपय आरंभिक और आवधिक प्रकटीकरण करें। इसके अलावा एफएमई को अपने निवेश निर्णयन लेने में संधारणीयता-सहबद्ध जोखिमों और अवसरों को समाहित करने का प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से आईएफएससीए ने अधिदेश दिया कि बड़े एफएमई (3 बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर के एयूएम) वैश्विक मानकों पर आधारित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं में अतिरिक्त संधारणीयता के समेकन करें, जिसके परिणामस्वरूप आईएफएससी में 3 ईएसजी निधियों की स्थापना हुई।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससीए ने हरित और संधारणीय परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए अनेक विनियामक और नीतिगत प्रयास किए।

आईएफएससी में सार्वभौमिक हरित बॉन्डों (एसजीबी) की ट्रेडिंग और निपटान

भारत में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार सार्वभौमिक हरित बॉन्डों का निर्गम करती रही है। विशुद्ध-शून्य लक्ष्यों के प्रति अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समर्पण को ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक हरित बॉन्ड भारत में महत्वपूर्ण जलवायु पूंजी को आकर्षित करने के लिए आकर्षक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। भारत की इस हरित यात्रा में विदेशी सहभागिता को बढ़ाने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक और आईएफएससीए ने आईएफएससी में सार्वभौमिक हरित बॉन्डों के कारोबार और निपटान के लिए एक स्कीम परिचालित की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 अगस्त 2024 को “भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में सार्वभौमिक हरित बॉन्डों के कारोबार और निपटान” की एक स्कीम आरंभ की। इसके पश्चात, आईएफएससीए ने 24 सितम्बर 2024 को एक परिपत्र जारी किया और आईएफएससी में सार्वभौमिक हरित बॉन्डों के कारोबार और निपटान के लिए परिचालन दिशानिदेशों को जारी किया।

बॉक्स 3 : आईएफएससी में ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों में ग्रीनवॉशिंग के जोखिम को कम करने के सिद्धांत

वैश्विक रूप से निवेशकों सहित स्टैकधारकों के बीच एक चिन्ता बढ़ती जा रही है कि जिस परियोजना या आस्ति में वे निवेश करते हैं उसके लाभों की संधारणीयता के बारे में निर्गमकर्ता द्वारा किए जा रहे दावों की परिशुद्धता और विश्वसनीयता कितनी है। आईएफएससी एक्सचेन्जों में ईएसजी-लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों की बढ़ती हुई लिस्टिंग के साथ ग्रीनवॉशिंग के मुद्दे का निवारण करने के लिए प्रबल व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य है।

निवेशकों के समक्ष किए गए प्रकटीकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रकटीकरण को बढ़ाने के प्रयोजन से आईएफएससीए ने 21 नवम्बर 2024 को एक परिपत्र जारी किया। अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटी के अनुरूप ही यह परिपत्र सिद्धांत आधारित है जिसमें सिद्धांतों की बेहतर समझ देने के लिए इसमें विस्तृत मार्गदर्शी टिप्पणियां और उदाहरण दिए गए हैं। इस परिपत्र में पांच प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है जिसका अनुपालन ईसीजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं को करना होगा –

- लेबल के प्रति सत्य रहें – भ्रामक लेबलों और शब्दावली से बचें
- स्क्रीन दि ग्रीन – परियोजना चयन और मूल्यांकन के लिए पद्धति में पारदर्शिता
- वोक दि टोक – अर्जनों के प्रयोग का प्रबंधन और ट्रैकिंग
- समग्र प्रभाव – नकरात्मक बाह्य तत्वों की मात्रा का निर्धारण
- सचेत रहे – निगरानी रखें और प्रकट करें।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

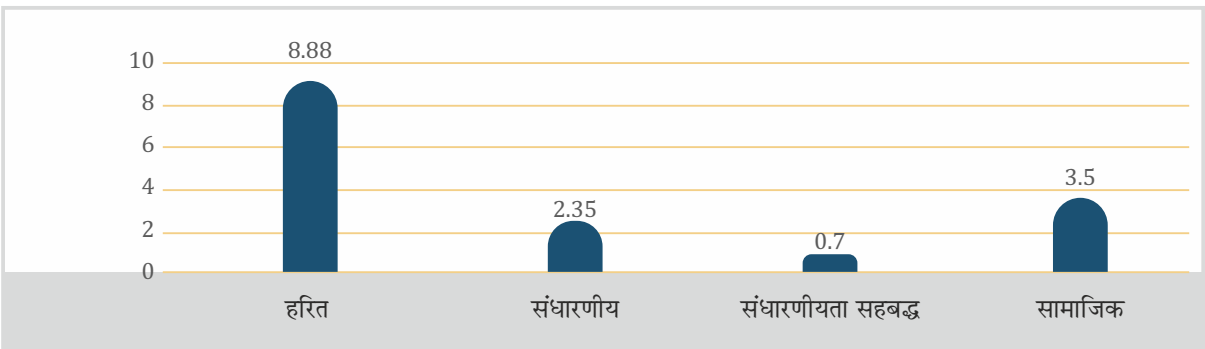
ऋण प्रतिभूतियां

आईएफएससी एक्सचेन्जों पर सूचीबद्ध ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार 15.43 बिलियन अमरीकी डॉलर रहीं। आईएफएससी एक्सचेन्जों पर ऋण प्रतिभूतियों की कुल लिस्टिंग 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार 65.10 बिलियन अमरीकी डॉलर रहीं।

सारणी 27 : आईएफएससी एक्सचेन्जों पर ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग (बिलियन यूएसडी में)

विवरण	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
संचयी ऋण लिस्टिंग	56.5	65.10
जिसमें से संचयी ईएसजी लेबलकृत ऋण लिस्टिंग	12.3	15.43

आरेख 16 : 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार ईएसजी ऋण प्रतिभूतियां (बिलियन यूएसडी में)



आईबीयू द्वारा संधारणीय वित्तपोषण

सारणी 28: आईबीयू द्वारा समग्र संधारणीय वित्तपोषण

वर्गीकरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 (मिलियन यूएसडी)
हरित	1076.72
सामाजिक	1756.04
संधारणीय	348.12
संधारणीयता सहबद्ध	208.57
अन्य	0.00
कुल	3389.45

सारणी 29 : आईबीयू द्वारा क्षेत्र-अनुसार संधारणीय वित्तपोषण

क्षेत्र (सूची सांकेतिक है)	वित्तीय वर्ष 2024-25	
	धनराशि (मिलियन यूएसडी)	संव्यवहारों की कुल संख्या
नवीकरणीय ऊर्जा	1052.91	701
ऊर्जा दक्षता	130.74	6
प्रदूषण बचाव और नियंत्रण	47.46	2
संधारणीय जल और संदूषित जल प्रबंधन	0.00	0
स्वच्छ परिवहन	6.04	4
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0.00	0
हरित भवन	4.50	2
वहनीय मूल अवसंरना	107.04	15
वहनीय आवासन	363.56	10
खाद्य सुरक्षा और संधारणीय खाद्य प्रणालियां	0.63	6
व्यवस्था के अनुसार सामाजिक परियोजना	299.44	5
व्यवस्था के अनुसार संधारणीय परियोजना	72.60	22
स्वास्थ्य रक्षा	86.36	129
सामाजिक शिक्षण	50.00	1
सामाजिक ऋण	178.08	9
एमएसएमई	217.55	2316
अन्य	772.54	2970
कुल	3389.45	6198

कार्यदल / समितियां

अंतरण वित्त पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

अंतरण वित्त पर विशेषज्ञ समिति का गठन आईएफएससीए द्वारा 21 दिसम्बर 2023 को किया गया ताकि जलवायु वित्तपोषण हेतु गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के बारे में संस्तुतियां करने के साथ-साथ अंतरण वित्त पर विशेष फोकस करते हुए गिफ्ट आईएफएससी में जलवायु वित्त परितंत्र और लिखतें तैयार करने के लिए आईएफएससीए को एक रोडमैप प्रदान किया जाए। इस समिति के अध्यक्ष श्री ध्रुव पुरकायस्थ (निदेशक, संवृद्धि और संस्थागत प्रति, ऊर्जा परिषद, पर्यावरण और जल) थे और नीतिगत विचारकों, मानक निर्धारकों, परामर्शदाताओं, उद्योग और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल थे। विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतरण वित्त पर अपनी रिपोर्ट 1 जुलाई 2024 को आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन को प्रस्तुत की गई।

अंतरण वित्त पर इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तीन स्तंभों में संस्तुतियों का समावेश किया गया —

- I. अंतरण वित्त का दायरा और परिभाषा
- ii. नीति और विनियमन
- iii. वित्तपोषण की पद्धति और लिखत



चित्र 12 : रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय विशेषज्ञ समिति के सदस्य

रिपोर्ट में प्रशमन-काठिन्य वाले क्षेत्रों जैसे इस्पात, सीमेन्ट, शिपिंग, उर्वरक, आदि के लिए भी निवेशों को लाने में अंतरण वित्त की भूमिका पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में आईएफएससीए और नीति निर्माताओं को रणनीतिगत संस्तुतियां की गईं ताकि सन 2070 तक विशुद्ध-शून्य प्राप्त करने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यसिद्धि के प्रयोजन से अंतरराष्ट्रीय जलवायु पूंजी प्रवाह को अकर्षित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों और विनियामक भूदृष्टियों का समन्वेषण करके एक गेटवे के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका को बढ़ाया जाए।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

जी20 भारत निजी क्षेत्र गोलमेज

आईएफएससीए ने यूएनडीपी एफसी4एस की साझेदारी में 31 मई 2024 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में भारत निजी क्षेत्र गोलमेज का आयोजन किया। इसका प्रयोजन रहा व्यापक जी20 चर्चाओं में भारत के निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व का संचय किया जाए, जिससे वैश्विक वित्तीय संधारणीयता की कार्यसूचियां प्रभावित की जाएं। यह गोलमेज परिचर्चा को वैश्विक से राष्ट्रीय स्तर की दिशा में ले जाएगी और निजी क्षेत्र तथा नीति निर्माताओं और वित्तीय नियामकों सहित सरकार को एक साथ लाते हुए संधारणीय वित्त में जी20 की प्राथमिकताओं पर प्रखर चर्चा और सार्थक विनिमय करेगी।

वित्तीय केन्द्रों के बारे में उद्योगों, वित्तीय क्षेत्र, परामर्शीसेवाओं, विचारकर्ताओं और अन्य अग्रणी संस्थानों के विशिष्ट सहभागियों के समक्ष सम्बोधन के दौरान आईएफएससीए द्वारा संधारणीय वित्त के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों और इसके द्वारा की गई प्रगति का विशेष उल्लेख किया गया। इसके दौरान प्राथमिकताओं के विभिन्न क्षेत्रों पर तीन गोलमेज परिचर्चाओं का आयोजन हुआ।

रिइन्वेस्ट, 2024

श्री प्रदीप रामकृष्णन, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए द्वारा 16 से 18 सितम्बर के बीच गांधीनगर, गुजरात में रिइन्वेस्ट 24 के दौरान "भारत के ऊर्जा अंतरण हेतु तेजी से पूंजी जुटाना : समर्थनकारी लिखतों पर विशेष ध्यान" शीर्षक से हुए पैनल विचारविमर्श में सहभागिता की गई। रिइन्वेस्ट — भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता को विश्व के समक्ष लाने और बहुपक्षीय संवाद आरंभ करके इस क्षेत्र में निवेश आमंत्रण हेतु भारत सरकार का प्रमुख आयोजन है। यह वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशकों का सम्मेलन और प्रदर्शनी है जिसका आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। इस वर्ष के संस्करण में भारत द्वारा गैर-फोसिल ईंधन क्षमता में 200 जीडब्ल्यू की क्षमता हासिल करने का दर्शाया गया।

पैनल परिचर्चा के दौरान अपना अभिमत देते हुए श्री प्रदीप रामकृष्णन ने गिफ्ट आईएफएससीए में प्रबल हरित बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने में आईएफएससीए की विनियामक व्यवस्था की प्रमुख भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आईएफएससीए द्वारा संचालित विभिन्न संधारणीय वित्तपोषण प्रयासों के महत्व का भी उल्लेख किया, जैसे आईबीयू द्वारा ईएसजी निधियां और संधारणीय उधारियां जो गिफ्ट आईएफएससीए को जलवायु वित्तपोषण का एक केन्द्र बनाने के लिए सरकार के मिशन के अनुरूप है।

हरित, सामाजिक, संधारणीय, संधारणीयता-सहबद्ध और अंतरण बॉन्ड (जीएसएस+बॉन्ड)

प्रशिक्षण कार्यशाला

एनएसई ने क्लाइमेट बॉन्ड्स इनीशिएटिव्स (सीबीआई) और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के सहयोग और आईएफएससीए के तत्वावधान में 24 सितम्बर 2024 और 25 सितम्बर 2024 को गिफ्ट सिटी में जीएसएस+बॉन्ड पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यशाला का लक्ष्य था कि जीएसएस+बॉन्ड व्यवस्था, भारत के संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी भूमिका, और वित्तीय क्षेत्र के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों के बारे में जानकारी और जागरूकता को बढ़ाया जाए।



चित्र 13: अध्यक्ष, आईएफएससीए श्री के. राजारामन - जीएसएस+बोन्ड प्रशिक्षण कार्यशाला में अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ

इस प्रशिक्षण कार्यशाला को प्रारंभ में अपने संबोधन में आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री के. राजारामन ने नवोन्मेषी वित्तीय लिखतों और भारत के संधारणीय विकास एजेन्डा को आगे बढ़ाने के लिए गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र के अवलंबन के महत्व का उल्लेख किया। कार्यशाला के बारे में उन्होंने कहा, क्षमता निर्माण नवोन्मेषी समाधानों के विकास और परिपालन के लिए अनिवार्य उपायों और जानकारी से सभी स्टेकधारक सशक्त होते हैं। हरित पूंजी को प्रभावी रूप से हरित व्यवसाय की दिशा में ले जाने के लिए हमारी सामूहिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ऊर्जा अंतरण को संचालित करने के लिए अंतरण बोन्ड जैसी नवयुगीन लिखतों को नियंत्रित करने की समझ और क्षमता की अत्यधिक आवश्यकता है। यह कार्यशाला इस जरूरत को पूरा करती है। ”

इस समेकित प्रशिक्षण कार्यशाला का डिजाइन इस प्रकार का रखा गया कि हरित, सामाजिक, संधारणीय, संधारणीयता-सहबद्धता पर विशेष जोर देते हुए विषय सापेक्ष लेबलकृत बोन्डों, और भारत में संधारणीयता वित्त के अंतराल को पाटने के लिए एक पद्धति के रूप में अंतरण बोन्डों के निर्गमन को संबोधित किया जाए। इस परिवृत्त ने नीतिनिर्माताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के सहभागियों को आकर्षित किया जिससे जानकारी को साझा करने और नवोन्मेष को सुविधा देने वाले सहयोगी परिवेश को बढ़ावा मिला।

आईवीसीए ग्रीनरिटर्नस शिखर सम्मेलन, 2024

ग्रीनरिटर्नस हरितप्रत्यावर्तन शिखर सम्मेलन, 2024 का आयोजन 2 और 3 दिसम्बर 2024 को इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोशिएशन (आईवीसीए) द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य था जलवायु वित्तपोषण के लिए अत्यधिक आवश्यकता को संबोधित किया जाए और संधारणीय विकास के चालन हेतु नवोन्मेषी समाधानों की अभিনিर्धारण किया जाए। श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने इस आईवीसीए ग्रीनरिटर्नस शिखर सम्मेलन 2024 में " जलवायु वित्त का संग्रहण — वैश्विक जलवायु वित्तपोषण केन्द्र के रूप में आईएफएससी " विषय पर एक परिचर्चा में सहभागिता की। इस चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने उन अनेक अवसरों का उल्लेख किया जो गिफ्ट आईएफएससी द्वारा वैश्विक निवेशकों को प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने आईबीयू द्वारा ईएसजी निधियों और संधारणीय

उधारियों को बढ़ावा देने सहित आईएफएससीए द्वारा संधारणीय वित्त को समर्थन के लिए किए जा रहे अनेक प्रयासों पर भी विचारविमर्श किया। उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी में प्रबल हरित बोनड बाजार का विकास करने में आईएफएससीए विनियामक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।

श्री प्रदीप रामाकृष्णन, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए इस शिखर सम्मेलन में "जलवायु अंगीकरण निवेशों हेतु रणनीतियां" पर एक पैनल चर्चा में शामिल हुए। पैनल चर्चा के दौरान अपनी टिप्पणियों में उन्होंने जलवायु अंगीकरण में बढ़ते हुए निवेश के लिए, विशेषकर बड़े वित्तीय अंतरालों से जुड़ा रहे विकासशील देशों में, महत्वपूर्ण जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने नीतिगत व्यवस्था के बारे में मूल्यवान तथ्यों को साझा किया जो ऐसे निवेशों को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ईसीजी निधियों के लिए उपलब्ध आकर्षक प्रोत्साहनों सहित गिफ्ट आईएफएससी में प्रबल ईएसजी परितंत्र का उल्लेख किया।

एशिया जलवायु शिखर सम्मेलन (एसीएस 2024)

एशिया जलवायु शिखर सम्मेलन (एसीएस), 2024 का आयोजन इंटरनेशनल एमिशनस् ट्रेडिंग एसोशिएशन (आईईटीए) द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (आईसीएपी) के सहयोग से 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच दिल्ली में किया गया।

श्री प्रदीप रामाकृष्णन, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने एसीएस 2024 से किंचित अलग हटते हुए सीकाइनेटिक्स द्वारा आयोजित सत्र — 'इन्वेस्टर — रिस्क मिटीगेशन एंड मैनेजमेन्ट; स्टेट ऑफ सेक्टर — क्लाइमेट एक्शन बाय इंडिया इंक 2024' में चर्चा में अग्रणी भूमिका निभाई।

आईओएससीओ संवृद्धि और उदीयमान बाजार समिति — अंगीकरण हेतु नेटवर्क या आईएसएसबी मानकों के अन्य प्रयोग

आईएफएससीए ने 18 दिसम्बर 2024 को एक समर्पित नेटवर्क की शुरुआत में हिस्सा लिया, यह नेटवर्क आईएफआरएस संधारणीयता प्रकटीकरण मानकों (आईएसएसबी मानकों) के अंगीकरण और अन्य प्रयोगों को समर्थन के प्रति समर्पित है, इसका आयोजन इंटरनेशनल सस्टेनिबिलिटी स्टैण्डर्ड बोर्ड (आईएसएसबी) के समर्थन से अंकारा, तुर्की में हुआ। यह नेटवर्क आईओएससीओ के ग्रोथ एंड एमर्जिंग मार्केट कमेटी (जीईएमसी) के 32 सदस्यों के एक समूह ने आरंभ किया, जिसने 31 अधिकारक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इस नेटवर्क का लक्ष्य है कि एमर्जिंग बाजारों में आईएफआरएस फाउन्डेशन की संधारणीयता रिपोर्टिंग मानकों को ग्रहण करने और उपयोग का समर्थन करना।



चित्र 14 : आईएसएसबी मानकों के अन्य प्रयोगों के लिए नेटवर्क के जीईएमसी सदस्य

संधारणीय वित्त पर परिसंवाद

आईएफएससीए ने इंडिया आईएनएक्स और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान (आईसीएमएआई) की साझेदारी में संधारणीयता मानकों के माध्यम से संधारणीय वित्त पर परिसंवाद का आयोजन 24 जनवरी 2025 को किया। इसमें गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र के भीतर संधारणीयता के लिए नवोन्मेषी मार्गों की तलाश करने के लिए नीतिनिर्माताओं, उद्योग के अग्रणियों और विशेषज्ञों एक साथ आए। इस कार्यक्रम में दो पैनल चर्चाएं रहीं और पांच तात्विक प्रस्तुतियां दी गईं जिनमें अंतरण वित्त, सुमिश्रित वित्त, ईएसजी रेटिंग, जलवायु निधियों, संधारणीय उधारियों और संधारणीय वित्त में गिफ्ट आईएफएससी द्वारा प्रस्तुत अप्रतिम अवसरों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

अंतरण वित्त के लिए व्यवस्था

पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य यही है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को औद्योगीकरण-पूर्व के स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखते हुए जलवायु के लिए खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिसाद को मजबूत किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रशमन-काठिन्य वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए, समस्त अर्थव्यवस्था को कार्बनरहित करना होगा। इन प्रशमन-काठिन्य वाले क्षेत्रों के अंतरण के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के लिए आईएफएससीए द्वारा अंतरण वित्त पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। आईएफएससीए ने अभी हाल ही में जनता का अभिमत लेने के लिए “अंतरण बोन्डों के लिए व्यवस्था” पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

सुमिश्रित वित्त लिखतों के लिए नीति

ऐसे वांछनीय क्षेत्र / परियोजनाएं जो विशुद्ध वाणिज्यिक दृष्टि से देखें तो अन्य प्रकार से बैंक-योग्य नहीं हैं, उनके लिए पूंजी प्रवाह का समर्थन देने के लिए आईएफएससीए इस समय विद्यमान निधि प्रबंधन विनियमावली के तहत विभिन्न समामिश्रित वित्त लिखतों हेतु नीति के विषय में कार्य कर रहा है।

आनुषंगिक और बीएटीएफ सेवाएं

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र (आईएफसी) ऐसे नामित क्षेत्र हैं जो बैंकों, पूंजी बाजार संस्थानों, बीमा कम्पनियों, निधि प्रबंधकों, और फिनटेक उद्यमों जैसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के अत्यधिक संकेन्द्रित व्यवस्था की मेजबानी करते हैं। ये केन्द्र सीमा-पार से पूंजी प्रवाह, निवेश और वित्तीय नवोन्मेषों की सुविधा प्रदान करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रमुख पर्वसंधियों के रूप में कार्य करते हैं हालांकि किसी भी आईएफसी की दक्षता और आघात सहनीयता केवल वित्तीय संस्थानों की उपस्थिति मात्र से निर्धारित नहीं होती है। व्यवसायिक सेवादाता फर्मों की समर्थनकारी अवसंरचना भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है जो वित्तीय परितंत्र को सहारा देने में अनिवार्य भूमिका निभाती है।

ये फर्में ओडिट, लेखांकन, कराधान, विधिवक्ता, प्रबंधन परामर्श, निगम अभिशासन, विनियामक अनुपालन और वित्तीय सलाहकार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करती हैं। वैश्विक मानकों का अनुसरण सुनिश्चित करके, परिचालनगत और विनियामक जोखिमों को कम करके और संस्थागत पारदर्शिता को सुधारते हुए ये व्यावसायिक सेवा प्रदाता एक प्रबल, विश्वसनीय और कुशल वित्तीय केन्द्र के रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सेवाएं वित्तीय संस्थाओं को ऐसा समर्थन देती हैं कि वे जटिल विनियामक परिवेशों में आगे बढ़ सकें, जोखिम का प्रभावी प्रबंधन कर सकें, सीमा-पार व्यवहारों की रचना कर सकें और वित्तीय सत्यनिष्ठा तथा रिपोर्टिंग के उच्च मानकों को बरकरार रखें।

वैश्विक संदर्भ

पूरे विश्व में वित्तीय बाजारों का उद्विकास बहुत निकटता के साथ उच्चकोटि के व्यावसायिक सेवादाता क्षेत्रों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। न्यूयार्क, लन्दन, हांगकांग, और सिंगापुर जैसे अग्रणी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों में वित्तीय संस्थानों और व्यावसायिक सेवादाता फर्मों का विकास एक साथ हुआ है। ये फर्में न केवल नेमी वित्तीय परिचालनों में समर्थन देती हैं, बल्कि वैश्विक वित्तीय केन्द्र की गतिमानता और स्पर्धात्मकता के लिए अनिवार्य ये सेवाएं समामेलन और अधिग्रहण, सीमापर लिस्टिंग, निधि की संरचना करने और विवादों के समाधान जैसे रणनीतिपरक प्रयासों को भी संचालित करती हैं।

भारत का व्यावसायिक प्रतिभा परिलाभ

वित्तीय और संबंधित कार्यक्षेत्रों में दक्ष व्यवसायिकों के अपने गहरे और वर्धमान संघटन के कारण इस वैश्विक गतिशीलता का लाभ लेने के लिए भारत एक अप्रतिम स्थिति में है। हजारों योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों (सीए), कम्पनी सचिवों (सीएस), चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषकों (सीएफए), अधिवक्ताओं और परामर्शदाताओं के साथ इस देश के पास प्रतिभा का समृद्ध आधार है जो वैश्विक वित्तीय परिपाटियों, विनियामक व्यवस्थाओं, और सीमापर के वित्तीय परिचालनों से सुपरिचित है। प्रतिभा के इस संघटन को भारत के सुदृढ़ शैक्षिक संस्थानों, अनवरत व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यापक डिजिटल प्रबुद्धता का भी समर्थन मिलता है।

इस संदर्भ को देखते हुए, व्यावसायिक सेवादाताओं के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में उदित होने के लिए गिफ्ट आईएफएससी अप्रत्याशित रूप से उत्तम स्थिति में हैं। गिफ्ट आईएफएससी में स्थित व्यावसायिक क्वालिटी, उच्चकोटि की सेवाएं न केवल आईएफएससी के भीतर संचालित प्रतिष्ठानों के लिए अपितु समूचे एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में स्थित बाजारों के ग्राहकों को भी दे सकते हैं।

नीतिगत समर्थन

वित्तीय परितंत्र को बढ़ावा देने में व्यावसायिक सेवादाताओं के रणनीतिगत महत्त्व को स्वीकार करते हुए, आईएफएससीए ने “फरवरी 21 में अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्रों में आनुषंगिक सेवाओं के समर्थन हेतु व्यवस्था” और “आईएफएससीए बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं (बीएटीफ) विनियमावली, 2024” आरंभ किए। इस अग्रगामी विनियामक प्रयास का डिजाइन ऐसा था कि आईएफएससी में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं की स्थापना और परिचालन को समर्थन मिल सके। ये व्यवस्थाएं/विनियम एक सुवाही पंजीकरण प्रक्रिया, परिचालनगत स्पष्टता और विनियामक निगरानी प्रदान करते हैं साथ ही सेवा प्रदान करने और कारोबारी मॉडलों में लोचशीलता की अनुमति भी देते हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में विकास और प्रभाव

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से गिफ्ट आईएफएससी में आनुषंगिक सेवाओं के परितंत्र ने स्वस्थ और सुस्थायी विकास प्रदर्शित किया है। आनुषंगिक सेवा व्यवस्था के तहत प्रतिष्ठानों को विधिक, अनुपालन और सचिवालयी सेवाएं, ऑडिटिंग और टैक्स सलाह तथा परामर्शदाता सेवाएं सहित विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया जाता है। ये फर्मों आईपी में स्थित वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कम्पनियों, निधियों और कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को दैनिक तथा रणनीतिगत परिचालनों में समर्थन देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

व्यावसायिक सेवादाता फर्मों के विकास के बहुगुणक प्रभाव होते हैं, यथा — निवेशक के विश्वास को बढ़ाना, कारोबार करने में सहजता को सुधारना, और गिफ्ट आईएफएससी में अपने परिचालन स्थापित करने में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करना। यह देखते हुए कि ये फर्मों अपनी क्षमता को बढ़ाती हैं और विदेशी बाजारों को भी संभाल रही हैं, तो ये उच्च स्तरीय वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं के भरोसेमंद प्रदाता के रूप में भारत के ब्रांड को भी मजबूत करती हैं।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

आनुषंगिक व्यवस्था के तहत 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार आईएफएससीए ने ⁸⁸ प्रतिष्ठानों को प्राधिकार प्रदान किए जिनमें से 20 प्रतिष्ठानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राधिकार दिए गए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राधिकृत आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं ने कारोबार से 39.90 मिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक का प्रभावी राजस्व बताया है, जो प्रबल कारोबारी विकास और परिचालनगत दक्षता को प्रकट करता है।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं ने गिफ्ट आईएफएससी परितंत्र में रोजगार सृजन की दिशा में भी बड़ा योगदान किया और लगभग 610 कुशल व्यावसायिकों के लिए कार्य के अवसरों का सृजन किया। इस कार्यबल में सीए, सीएस, और अन्य योग्य व्यावसायिक शामिल हैं, जो गिफ्ट आईएफएससी के व्यापक वित्तीय सेवा परिरचना को समर्थन देने में आनुषंगिक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रबल बनाता है।

⁶⁹ सैद्धांतिक अनुमोदनों सहित

सारणी 30 : प्राधिकृत किए गए आनुषंगिक सेवादाता प्रतिष्ठानों के क्रियाकलाप अनुसार विवर⁷⁰

क्रमांक	प्रमुख क्रियाकलाप	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
1	विधिक, अनुपालन और सचिवालयीन	12	16
2	ऑडिटिंग	21 ⁷¹	13
3	व्यवसायी और प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	11	32
4	प्रशासन, आस्ति प्रबंधन समर्थन सेवाएं और ट्रस्टीशिप	24	27
	कुल	68	88

सारणी 31: प्राधिकृत किए गए बीएटीएफ सेवादाता प्रतिष्ठानों के क्रियाकलाप अनुसार विवरण

क्रमांक	प्रमुख क्रियाकलाप	31 मार्च 2025 की यथास्थिति ⁷²
1	लेखांकन सेवाएं	2
2	बुककीपिंग सेवाएं	1
3	कुल	3

पक्षसमर्थन और आउटरीच

बंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एन्ड कामर्स (बीसीआईसी) के समक्ष गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिकों के लिए अवसरों पर प्रस्तुति



चित्र 15: बंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एन्ड कामर्स (बीसीआईसी) के समक्ष गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिकों के लिए अवसरों पर प्रस्तुति

बीसीआईसी के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रस्तुति में गिफ्ट आईएफएससी में बढ़ते हुए व्यावसायिक सेवा परितंत्र और आईएफएससीए द्वारा आरंभ की गई समर्थक विनियामक व्यवस्था का उल्लेख किया गया। इसमें सीए, सीएस, एमबीए और परामर्शदाताओं के लिए कैरियर और उद्यमीयता अवसरों को बताया गया। इस सत्र में गिफ्ट आईएफएससी के उत्प्रेरक कारोबारी परिवेश और उच्चकोटि की व्यावसायिक सेवाओं के लिए एक केन्द्र के रूप में इसकी संभावनों को दर्शाया गया।

⁷⁰ सैद्धांतिक अनुमोदनों सहित
⁷¹ इनमें बुककीपिंग, लेखांकन, कराधान सेवाओं हेतु प्राधिकृतिकरण भी शामिल है, जो अब आईएफएससीए (बीएटीएफ) विनियमावली, 2024 में शामिल हैं।
⁷² नए आवेदन (विद्यमान आनुषंगिक सेवादाता प्रतिष्ठानों के माइग्रेषन के अलावा)। इसके अतिरिक्त 16 प्रतिष्ठानों को आनुषंगिक सेवाओं से बीएटीएफ में माइग्रेट कर दिया गया है।

व्यावसायिक सेवाओं (आनुषंगिक और बीएटीएफ) के विकास और विनियमन पर स्थायी समिति

इस समिति को गिफ्ट आईएफएससी में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक सेवादाता परिचालन स्थापित करने में सक्षम प्रमुख स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के अभिनिर्धारण सहित आईएफएससी में व्यावसायिक सेवा परितंत्र का विस्तार करने हेतु एक रणनीतिपरक विजन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा यह समिति निवेशों को आकर्षित करने, रोजगार अवसरों का सृजन करने और दक्षता, पारदर्शिता और वैश्विक स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विनियामक व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए नीतिगत उपायों का सुझाव देगी।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

टेकफिन और आनुषंगिक सेवा विनियमावली, 2025

गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए प्रभावी और एकीकृत विनियामक परिचयना स्थापित करने के लक्ष्य को देखते हुए आनुषंगिक सेवाओं, आईएफएससीए फिनटेक प्रतिष्ठान व्यवस्था के टेकफिन घटक, और क्षेत्रीय वित्तीय विनियामकों द्वारा अनुमत आउटसोर्स की गई सेवाओं को एकल विनियमावली में संकलित किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है 'प्रारूपी आईएफएससीए (टेकफिन और आनुषंगिक सेवाएं) विनियमावली, 2025'। इस विनियमावली में टेकफिन और आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं के लिए एक समेकित विनियामक व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है, जिससे आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उपधारा (1) के परिच्छेद (ई) के तहत निर्दिष्ट में से कोई भी वित्तीय सेवा संचालित करने हेतु व्यवस्था करने के लिए समर्थन मिलेगा।

व्यावसायिक आउटरीच कार्यक्रम हेतु भारत में प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों, विधि स्कूलों और फार्मों के साथ एमओयू वार्ता आरंभ करना

विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान

गिफ्ट आईएफएससी के साथ-साथ देश के अन्य भागों में प्रतिभा की उपलब्धता को बढ़ाने की जरूरत को स्वीकार करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2022-23 में घोषणा की कि “ वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी यूनिवर्सिटी और संस्थानों को, आईएफएससीए के विनियमों के अलावा अन्य स्वदेशी विनियमों से मुक्त रखते हुए, को अनुमति दी जाएगी ताकि वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्चकोटि के मानव संसाधन की उपलब्धता की सुविधा रहे”। यूनियन बजट की घोषणा ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि वे गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से भारत में अवसरों का लाभ उठाएं।

इस नीतिगत घोषणा का समग्र प्रयोजन यही था कि विशिष्ट विषयों में, बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, फिनटेक, दीर्घकालिक वित्त, संधारणीय वित्त, क्वान्टम कम्प्यूटिंग, आदि के क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत और विदेशी विद्यार्थियों दोनों ही की जरूरतों को पूरा करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि वित्त, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उच्चकोटि का मानव संसाधनों का पोषण हो सके।

इसके बाद, आईएफएससीए ने समर्थनकारी विनियमावली अधिसूचित की, अर्थात् आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस और प्रतितटीय शिक्षण केन्द्रों की स्थापना और परिचालन) विनियमावली, 2022, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई कि वे अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पसों (आईबीसी) की और विदेशी शिक्षण संस्थानों (विदेशी विश्वविद्यालयों के अलावा) को प्रतितटीय शिक्षण केन्द्रों (ओईसी) की स्थापना आईएफएससी में कर सकते हैं और वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक और स्टेम के क्षेत्रों में अनुमेय विषयों के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव कर सकते हैं।

गृह कैम्पसों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए विनियमावली में स्पष्ट किया गया कि, ' गिफ्ट आईएफएससी में पंजीकृत प्रतिष्ठान द्वारा संचालित किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को उसके गृह अधिकारक्षेत्र में मूल प्रतिष्ठान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के साथ सभी दृष्टियों से समरूपी होना चाहिए और आईबीसी या ओईसी के विद्यार्थियों को समरूपी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने का कार्य सीधे मूल प्रतिष्ठान द्वारा उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से समान पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए गृह अधिकारक्षेत्र में उसके विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है '।

आईएफएससी में आईबीसी और ओईसी की स्थापना में और अधिक सुविधा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया और गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की अनुज्ञेयता को अप्रभावी कर दिया।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान आईएफएससीए ने आईएफएससी में आईबीसी और ओईसी स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए अकादमिक अवसंरचना सेवा प्रदाता (एआईएसपी) मॉडल लागू किया। इस विनियामक सक्रियता ने आईबीसी और/अथवा ओईसी को किसी एआईएसपी से सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की, जिसे एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत और नियंत्रित किया जाएगा। प्रत्याशित है कि यह एआईएसपी मॉडल गिफ्ट आईएफएससी को विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अपने ओवरसीज कैम्पस स्थापित करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी को एक आकर्षक गन्तव्य बना देगा।

बोक्स 4: एआईएसपी परिपत्र के प्रमुख विशेषताएं

- (i) एआईएसपी एक ऐसा सेवा प्रदाता होता है जो किसी आईबीसी/ओईसी को सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें कैम्पस सुविधा का निर्माण, शोध और विकास सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, इनक्यूबेशन सेन्टर, अध्यापन कक्षाएं, और ऐसी ही अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करना शामिल है।
- (ii) एक एआईएसपी द्वारा आईएफएससी में किसी आईबीसी/ओईसी को निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाएं दी जा सकती हैं :
 - क. कैम्पस सुविधा प्रबंधन सेवाएं
 - ख. स्टूडेंट ओनबोर्डिंग, प्रवेश और विद्यार्थी कल्याण सेवाएं
 - ग. गैर-अकादमीय स्टाफ की भर्ती और प्रबंधन हेतु सेवाएं
 - घ. ब्रान्डिंग और विपणन सेवाएं
 - ड. वेतनपंजी सेवाएं, आदि
- (i) एक एआईएसपी के लिए पात्रता शर्तें :
 - क. एआईएसपी को गिफ्ट एसईजेड में एक अलग कम्पनी के रूप में निगमित किया जाए
 - ख. एआईएसपी को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यूनतम 1 मिलियन अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य की निवल मालियत रखनी होगी
 - ग. एआईएसपी या इसके समूह की किसी कम्पनी के पास ऐसी ही सेवाएं भारत या विदेश में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान को देने का तीन वर्ष का अनुभव पहले ही से होना चाहिए।
- (iii) एआईएसपी से सेवाएं लेने के लिए आईबीसी/ओईसी के दायित्व :
 - क. आईबीसी/ओईसी को एआईएसपी के साथ लिखित करार करना होगा।
 - ख. इस करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षतिपूर्ति, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण, हित संघर्ष, वित्तीय गारन्टी, गोपनीयता और निजता, दैवी घटनाओं, बीमा, नियंत्रण कानून और अधिकारक्षेत्र, विवाद समाधान संबंधी प्रावधान रखने होंगे।
 - ग. आईबीसी/ओईसी द्वारा आईएफएससी को एक वचनबद्धता पत्र दिया जाएगा कि आईबीसी और/अथवा ओईसी के अकादमीय प्रकार्यों को किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, एआईएसपी को आउटसोर्स नहीं किया जाता है।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससी ने क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट (क्यूयूबी), जो रॉयल चार्टर ऑफ यूके द्वारा 1908 में इंडीपेन्डेंट बोडी इनकार्पोरेटेड के रूप में की गई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (2025) में क्यूयूबी को 206वां रैंक मिला, को आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस और प्रतिष्ठतीय शिक्षण केन्द्र) विनियमावली, 2022 के तहत गिफ्ट आईएफएससी में अपने आईबीसी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, आशा है कि यह सन 2025-26 में अपना परिचालन आरंभ करेगी।

इन विनियमों के तहत दो आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय यथा — डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वूलोन्गगोना ने पहले ही गिफ्ट आईएफएससी में अपने आईबीसी स्थापित कर दिए हैं और विद्यार्थियों के लिए डिग्री कोर्स आरंभ कर दिए हैं।

डीकिन यूनिवर्सिटी को सन 2024 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 233वां रैंक मिला और यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसे भारत सरकार के इस नीतिगत प्रयास के तहत अनुमोदन प्राप्त हुआ।



चित्र 16 : गिफ्ट आईएफएससी में डीकिन यूनिवर्सिटी

पक्षसमर्थन और आउटरीच

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईएफएससीए ने विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ अनेक गोलमेज वार्तालाप किए, जिनकी सूची निम्नानुसार है —

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

यूसी सैन डियागो, यूएसए के चान्सलर ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ गिफ्ट आईएफएससी और आईएफएससीए का दौरा किया ताकि वे गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस अवसरों का अन्वेषण करके इसे समझा जा सके। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने उनके साथ गिफ्ट आईएफएससी में आईबीसी की स्थापना के लाभों के बारे में व्यापक विचारविमर्श किए।

यूनिवर्सिटी ओफ वूलोंगगोना – इंडिया का फिनटेक इवेन्ट

डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में 30 अगस्त 2024 को "गिफ्ट-आईएफएससीए : भूत, भविष्य और वर्तमान" विषय पर यूनिवर्सिटी ओफ वूलोंगगोना द्वारा आयोजित परिवृत्त में अपना वार्तालाप किया।

ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ आस्ट्रेड द्वारा आयोजित गोलमेज

न्यू साउथ वेल्स और इसके पड़ोसी प्रान्तों की आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने इस गोलमेज में हिस्सा लिया। इस गोलमेज के दौरान अध्यक्ष, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी को "उच्चतर शिक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय केन्द्र" के रूप में विकसित करने के लिए अनेक प्रगतिशील नीतिगत सुधारों का उल्लेख किया।

एनईपी और एफएचआईआई मानदंडों के बारे में आईएफसीसीआई उच्चतर शिक्षा समिति वेबिनार – फ्रान्सीसी परिप्रेक्ष्य

आईएफएससीए ने हायर एडूकेशन कमेटी ऑफ इंडो-फ्रेन्च चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री (आईएफसीसीआई) द्वारा "इवोल्यूशन ऑफ एनईपी एन्ड एफएचआईआई नार्म्स : ए फ्रेन्च पर्सपेक्टिव" पर आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लिया। वेबिनार के दौरान, आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में विनियामक और विकास अवसरों के बारे में प्रस्तुति दी, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस अवसरों के बारे में।

आईएफएससीए टैलेन्ट विस्टा, 2024

क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) और यूनिवर्सिटी ऑफ वूलोंगटोना के समर्थन से आईएफएससीए ने “आईएफएससीए टैलेन्ट विस्टा 2024 : रीइमेजिंग फ्यूचर ऑफ फाइनेंस एट गिफ्ट आईएफएससी” के प्रथम संस्करण का आयोजन 15 नवम्बर 2024 को गिफ्ट सिटी में किया।

गिफ्ट आईएफएससी में प्रतिभा विकास हेतु यह एक अकादमिया-उद्योग सहयोग था। इस परिवृत्त का प्रयोजन यही था कि अकादमिया और कॉर्पोरेट के प्रभावी सहयोग का समर्थन किया जाए ताकि इस सिटी को “नवयुग का वैश्विक वित्तीय केन्द्र” में रूपांतरित करने के विजन रखने वाले गिफ्ट आईएफएससी में उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए अतिउत्कृष्ट प्रतिभा मिल सके। इस परिवृत्त में तीन संवर्धक पैनल चर्चाएं गिफ्ट आईएफएससी में प्रतिभा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर हुए।

इस समारोह में गुजरात सरकार के माननीय राज्य मंत्री – गृह और उद्योग श्री हर्ष सांघवी ने मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन की शोभा बढ़ाई और इसमें उद्योगों और अकादमिया के प्रख्यात वक्ताओं ने अपने अभिभाषण दिए।



चित्र 17: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए – श्री हर्ष सांघवी, माननीय राज्य मंत्री – गृह और उद्योग और अन्य उच्चाधिकारी – आईएफएससीए टैलेन्ट विस्टा समिट, 2024 में

सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा

प्रौद्योगिकी और वित्त के क्षेत्र आज के विश्व में तेजी से संगुणित होते जा रहे हैं, क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों ने वित्त के क्षेत्र में उन्नत निरापदता, गति, सहजता, कवरेज, और कारोबार करने में सरलता प्रदान की है। विनियमन, पर्यवेक्षण, प्रवर्तन और अभिशासन में बढ़ते हुए प्रभाव के चलते अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विनियामक परितंत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक विनियामक के लिए भी अपरिहार्य हो गया है। पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में समर्थक के रूप में आईएफएससीए में प्रौद्योगिकी विभाग के आईटी प्रभाग में प्रौद्योगिकी का प्रयोग आईएफएससीए और गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनों, विशेषकर आरई हेतु कारोबार करने की सहजता में सुधार हेतु, किया जा रहा है।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

आईएफएससीए के आईटी प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनेक प्रयास किए —

आईएफएससीए सिंगल विन्डो आईटी (एसडब्ल्यूआईटी) प्रणाली

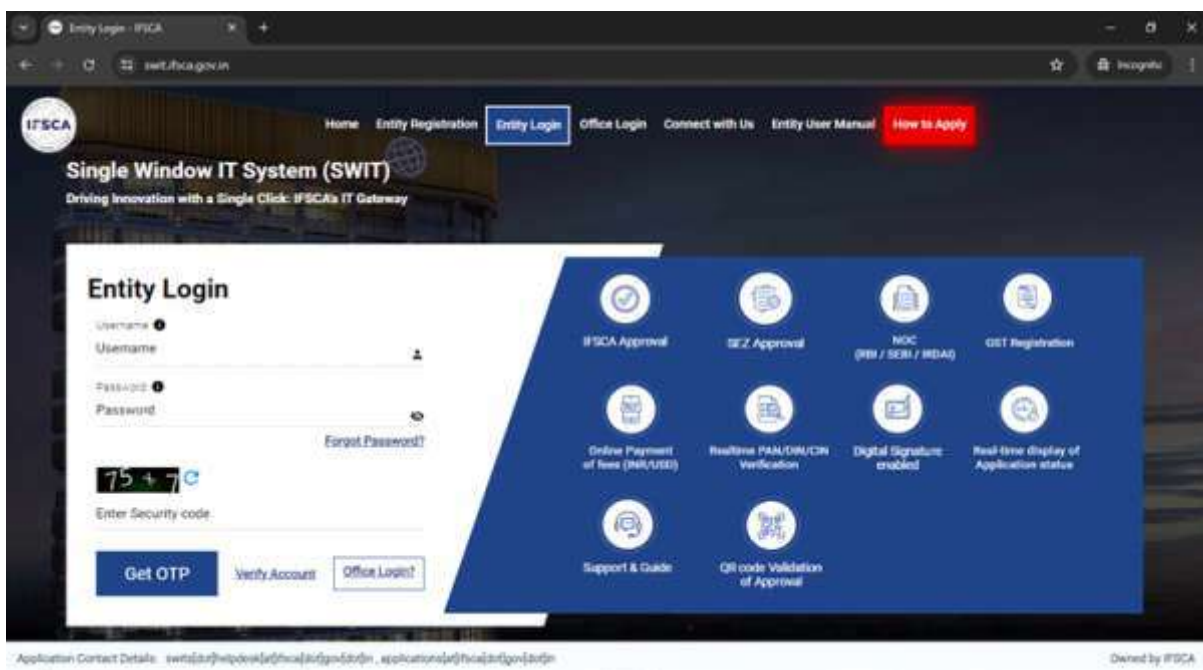


चित्र 18 : माननीय प्रधानमंत्री 16 सितम्बर 2024 को एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली का शुभारंभ करते हुए

माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के यूनियन बजट में संभावित प्रतिष्ठानों को गिफ्ट आईएफएससी में स्थापित करने और कारोबार करने में सहजता में सुधार के लिए सिंगल विन्डो आई-सक्षम प्रणाली के परिपालन का घोषणा की गई।

इस विजन को कार्यरूप देने की दिशा में आईएफएससीए ने आईएफएससीए के भीतर ही विभिन्न कारोबारी संघटकों के साथ अपेक्षा निरूपण सत्रों का आयोजन करते हुए स्वित प्रणाली का विकास आरंभ कर दिया। अनेक विद्यमान फार्मों को मिलाते हुए स्वित प्रणाली में एक कोमन आवेदन फार्म (सीएएफ) तैयार किया गया। आईएफएससी में पंजीकरण की प्रक्रिया को सुसंगत और सरल बनाने के लिए इस सीएएफ और संघटक-सहबद्ध अनुलग्नक फार्मों को तैयार किया गया।

सीएएफ में किसी प्रतिष्ठान के लिए एसईजेड अनुमोदन के लिए अपेक्षित विवरण भी एकत्र किए जाते हैं, इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि एपीआई एकीकरण करते हुए जानकारी को एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर स्वतः भेज दिया जाता है। एनएसडीएन के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए इस एपीआई एकीकरण को पूरा किया गया। यह देखते हुए कि स्वित प्रणाली में एनओसी प्रोसेसिंग मोड्यूल भी है तो वित्तीय क्षेत्र के अन्य नियामकों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और इरडाई के साथ कार्यकरते हुए अपेक्षाओं का संग्रहण किया गया। इसी प्रकार जीएसटीएन के साथ समन्वय करते हुए किसी भी आईएफएससीए प्रतिष्ठान के लिए जीएसटीआईएन हेतु आवेदन की प्रक्रिया को स्वित प्रणाली में समाहित किया गया।



चित्र 19 : एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली का इंटिटी लोगइन इंटरफेस

आईएफएससीए वेबसाइट और विधिक डाटाबेस को नवीकृत करना

आईएफएससीए (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियमावली, 2022 के अनुकरण में आईएफएससीए ने भारत सरकार तथा अन्य संगत एजेन्सियों के मानकों और दिशानिर्देशों को पूरा करते हुए और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के साथ तुलनीय अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वेबसाइट का विकास आरंभ किया।

आईएफएससीए की यह वेबसाइट जनता के साथ-साथ विनियमित प्रतिष्ठानों तथा अन्य आनुषंगिक संस्थानों के साथ अपने विनियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, आदि के माध्यम से जानकारी के प्रसारण का एक महत्वपूर्ण इंटरफेस है। आईएफएससीए की नवीकृत वेबसाइट पर आईएफएससीए सविट प्रणाली को भी रखा जाएगा और यह आरई, संभावित कारोबारों और विदेशी वित्तीय विनियामकों की जरूरतों को पूरा करेगी, अंततः आईएफएससीए में कारोबार करने की सहजता में सुधार होगा। नवीकृत वेबसाइट पर आरई की निदेशिका भी रहेगी जो डाटा को रियल-टाइम में नवीनतम करने के लिए सविट प्रणाली के साथ जुड़ी रहेगी।

एक विधिक डाटाबेस मॉड्यूल भी तैयार किया जा रहा है जो नवीकृत वेबसाइट पर रखा जाएगा, जिससे संबंधित विनियमों, परिपत्रों और विधिक जानकारी को आसानी से देखने और तलाशने की सुविधा रहेगी।

आईएफएससीए पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) प्रणाली

आईएफएससीए इस प्राधिकरण में पर्यवेक्षी कार्यों में सुविधा देने के लिए उक्त प्रणाली को लागू करने के लिए एक समुचित सुपटेक समाधान प्रदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। परिकल्पित प्रणाली का लक्ष्य है कि इसके विनियमित प्रतिष्ठानों के मध्य प्रशासन, अनुपालन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए एक समेकित व्यवस्था स्थापित की जाए। प्राथमिक फोकस यही है कि प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से हासिल करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाए और वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों का अनुसरण किया जाए।

उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) प्रणाली

आईएफएससीए की योजना एक नई ईआरपी प्रणाली को स्थापित करने की है जिसका लक्ष्य कर्मचारियों की उपस्थिति प्रबंधन, छुट्टी प्रबंधन और वेतनपर्ची तैयार करने के कार्य डिजिटिकृत करना। इस प्रणाली का प्रयोग सभी कर्मचारियों के दावों की प्रोसेसिंग को कागजरहित तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रणाली को बढ़ाते हुए सभी अन्य सामान्य प्रशासन प्रकार्यों को भी इसके दायरे में लिया जाएगा।

ईकार्यालय – आईएफएससीए अनुप्रयोग

राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ईकार्यालय-आईएफएससीए अनुप्रयोग आईएफएससीए का इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली है और यह अभिशासन का समर्थन करता है। ई-फाइल इस ई-कार्यालय सुइट का एकीकृत हिस्सा है और सरकारी विभागों, पीएसयू, और सांविधिक निकायों के लिए डिजाइन की गई प्रणाली है जो कार्यालय को कागजरहित बनाती है।

ई-कार्यालय अनुप्रयोग फाइलों के साथ-साथ आवकों के सहज मूवमेंट और ट्रैकिंग में मदद करता है। इस अनुप्रयोग में फाइल प्रबंधन प्रणाली, जानकारी प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), कर्मचारी डाटा प्रबंधन और मास्टर डाटा प्रबंधन शामिल हैं जो आईएफएससीए की आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल करने में मदद करता है।

आईटी अवसंरचना (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)

आईएफएससीए अपने कर्मचारियों को कम्प्यूटरों, प्रिन्टरों, टेलिफोनों और हाई-स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क सम्पर्क की सुविधा से युक्त वर्कस्टेशन प्रदान करता है।

अपनी-अपनी डिजिटल पहचान को अधिकृत करने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आईएफएससीए के सभी अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। संगठन के भीतर डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए डॉक्यूमेन्ट शेयरिंग में सहजता के लिए आईएफएससीए ने आंतरिक मेल सर्वर भी चला रखा है। आईएफएससीए के मुख्यालय में हाई-स्पीड वाइ-फाई सम्पर्क सुविधा है और सभाकक्षों में विश्व-स्तरीय कोन्फ्रेंसिंग यंत्र लगे हैं ताकि निर्बाध सम्प्रेषण हो सके।

सोशल मीडिया प्रबंधन

आई ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अतिसक्रिय कदम उठाए हैं। समय पर की गई पोस्टिंग और समुचित टैगिंग करने के प्रयासों से सोशल मीडिया पर आईएफएससीए के फुटप्रिन्ट बढ़े हैं और आईएफएससीए से जानकारी के प्रसारण की कवरेज और समसामयिकता में सुधार हुआ है। साथ ही, वेबसाइट और सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए विश्व के अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के साहचर्य से डिजिटल रंगभूमि में भारत का स्थान सुरक्षित किया जा रहा है।

साइबर सुरक्षा

आईएफएससीए में विनियमित प्रतिष्ठानों हेतु साइबर सुरक्षा और साइबर सहनीयता पर दिशानिर्देश

गिफ्ट आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों के परिचालनों और वित्तीय परितंत्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से आईएफएससीए में विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर सहनीयता पर दिशानिर्देश निर्धारित किए गए, ताकि ये साइबर खतरों के कारण संकट में न पड़ जाएं। दिशानिर्देशों के प्रारूप पर जनता का अभिमत प्राप्त करने के लिए सितम्बर 2024 में परामर्श आलेख प्रकाशित किया गया और विनियमित प्रतिष्ठानों के साथ व्यक्तिगत बैठकों सहित व्यापक परामर्श किए गए।

अंतिम दिशानिर्देश 5 मई 2025 को जारी किए गए। आईएफएससीए में विनियमित प्रतिष्ठानों के विविध कारोबारी प्रकार्यों, जो बैंकों जैसे संस्थानों से लेकर आनुषंगिक सेवा प्रदाताओं तक व्याप्त हैं, को ध्यान में रखते हुए, दिशानिर्देशों को सिद्धांत आधारित बनाया गया और विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित किया गया कि वे साइबर खतरों के प्रति स्वयं के लिए जोखिम पर विचार करते हुए सिद्धांतों की समानुपातिकता के अनुसार इन दिशानिर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। इन दिशानिर्देशों को पांच प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है यथा — अभिशासन, साइबर सुरक्षा और साइबर सहनीय व्यवस्था, तृतीय पक्ष द्वारा जोखिम प्रबंधन, सम्प्रेषण और जागरूकता, और ओडिट। यह भी प्रावधान किया गया है कि कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले विनियमित प्रतिष्ठानों को इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं से रियायत रहेगी।

धनशोधन रोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार (सीएफटी)

प्रभावी धनशोधन रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार (एएमएल और सीएफटी) नीतियां और उपाय वित्तीय प्रणाली की सत्यनिष्ठा और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एफएटीएफ और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में आईएफएससीए ने राजपत्र अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/जीएन001 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के माध्यम से आईएफएससीए(एएमएल/ सीटीएफ/ केवाईसी) दिशानिदेश, 2022 (दिशानिदेश) जारी किए।

इन दिशानिदेशों की सहायता से विनियमित प्रतिष्ठानों ने एमएन/ टीएफ/पीएफ जोखिमों की शिनाख्त और आकलन करने के लिए जोखिम आधारित पद्धति को अपनाया। विनियमित प्रतिष्ठानों को अधिदेश है कि ग्राहकों के लिए सख्ती से विधिवत सतर्कता रखें, लाभभोगी स्वामित्वों की शिनाख्त करें, संदेहास्पद संव्यवहारों की निगरानी और रिपोर्टिंग करें, एएमएल, रिकार्ड कीर्पिंग का आवधिक ऑडिट करें, और अत्यधिक जोखिम वाले वर्गों के लिए अतिसख्त उपायों को लागू करें।

इसके साथ ही, आईएफएससीए द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों की निर्बाध और कुशल ओनबोर्डिंग में सुविधा के लिए पूर्वसक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य है कि कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया जाए और साथी ही वित्तीय अपराधों के विरुद्ध मजबूत रक्षा उपाय भी बरकरार रखे जाएं।

नीतिगत / विनियामक गतिविधियां

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधी, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के अनुपालन हेतु एफआईयू-आईएनडी फिनगेट 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण

आईएफएससीए ने 26 फरवरी 2025 को यह परिपत्र जारी किए जिसमें सभी विनियमित प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपना कारोबार आरंभ करने से पहले ही एफआईयू-आईएनडी पोर्टल पर पंजीकरण करें और यदि कारोबार आरंभ करने में किसी प्रकार की शीघ्रता की जानी है तो अपना कारोबार आरंभ करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करेंगे।

विनियमित प्रतिष्ठान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कारोबार के प्रकार में किसी प्रकार के अनुवर्धन या संशोधन को भी कारोबार के अतिरिक्त प्रकार को आरंभ करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एफआईयू-आईएनडी पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधी, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 की अनुज्ञेयता कतिपय प्रतिष्ठानों/क्रियाकलापों को रियायत

दिनांक 18 नवम्बर 2024 को जारी किए गए परिपत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधी, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 की अनुज्ञेयता से कतिपय प्रतिष्ठानों/क्रियाकलापों को, कुछ शर्तों के तहत, रियायत दी गई है वशर्ते कि ये प्रतिष्ठान एक कारोबारी जोखिम आकलन का संचालन और प्रलेखन करेंगे। यदि ऐसे आकलन में किसी प्रकार का एएमएल/सीटीएफ जोखिम प्रतीत होता है तो प्रतिष्ठान धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ आईएफएससीए(एएमएल/ सीटीएफ/ केवाईसी) दिशानिदेशों, 2022 का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा सभी वित्तीय संस्थानों से अपेक्षित है कि वे सभी मौद्रिक प्रतिफल की प्राप्ति या संव्यवहार केवल आईएफएससीए में बैंकिंग यूनिट में अपने खाते के माध्यम से ही करें।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के तहत संशोधन

यह परिपत्र 22 नवम्बर 2024 को जारी किया गया जिसमें आईएफएससीए(एएमएल/ सीटीएफ/ केवाईसी) दिशानिदेशों, 2022 के कतिपय प्रावधानों में अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों (अध्याय संशोधन किए गए हैं) से इन्टरनेशनल एग्रीमेंट कम्यूनिकेशनों और ग्रुप-वाइड प्रोग्रामों (परिच्छेद 12.2) के तहत अपेक्षाओं/दायित्वों के संदर्भ में संशोधन किए गए।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के परिपालन की पद्धति – केन्द्रीय (नामित) नोडल अधिकारी के विवरणों में परितर्वर्तन

दिनांक 18 नवम्बर 2024 को जारी यह परिपत्र गृह मंत्रालय, सीटीसीआर प्रभाग/सीएफटी कक्ष द्वारा 22 अप्रैल 2024 को जारी शुद्धिपत्र को आईएफएससीए में सभी विनियमित प्रतिष्ठानों को ध्यान में लाने के लिए था। शुद्धिपत्र में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए को लागू करने के जिम्मेदारी केन्द्रीय (नामित) नोडल अधिकारी के विवरणों को अपडेट करने के बारे में उल्लेख था। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (धन-शोधन रोधन, आतंकवादी वित्तपोषण प्रतिकारी और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) – 11 जून 2024 को जारी

पक्षसमर्थन और आउटरीच

प्रथम आईएफएससीए वार्षिक वित्तीय अपराध रोधी सम्मेलन

आईएफएससीए ने 21 मई 2024 को गिफ्ट सिटी में गिफ्ट सिटी क्लब, गांधीनगर, गुजरात में अपनी प्रथम वार्षिक वित्तीय अपराध-रोधी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने श्री विवेक अग्रवाल, निदेशक, वित्तीय अन्वेषण यूनिट (एफआईयू)-भारत; श्रीमती बेधोबनी चौधरी, अतिरिक्त निदेशक, एफआईयू-भारत की गरिमामयी उपस्थिति में किया और इसमें विनियामक प्राधिकरणों, स्वतःनियमित और क्षमता निर्माण निकायों/एएमएल समाधान/डाटा संगठनों और सेवा प्रदाताओं से अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों/प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। आईएफएससीए के प्रथम वार्षिक वित्तीय अपराध-रोधी सम्मेलन में अभिभाषण करते हुए श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री विवेक अग्रवाल, निदेशक, एफआईयू-भारत। इस सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट को आईएफएससीए की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।



चित्र 20: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री विवेक अग्रवाल, निदेशक, एफआईयू-भारत – आईएफएससीए के वार्षिक वित्तीय अपराध-रोधी सम्मेलन में अभिभाषण करते हुए

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए विनियमित प्रतिष्ठानों को सीकेवाईसीआरआर पोर्टल पर अभिगम

अप्रैल 2025 में आईएफएससीए को भारतीय रिज़र्व बैंक की एक अनुषंगी इकाई — सीईआरएसएआई द्वारा प्रबंधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के लिए केन्द्रीकृत डाटाबेस — केन्द्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर) पर अभिगम प्रदान किया गया। इससे आईएफएससीए विनियमित प्रतिष्ठान सीकेवाईसीआरआर पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेंगे और धन-शोधन निवारण (रिकार्डों का रखरखाव), नियमावली, 2005 के नियम 9 (ए) के तहत दिए गए अधिदेश का अनुपालन करने में सीकेवाईसीआरआर पोर्टल पर क्लाइंट/ग्राहक के केवाईसी रिकार्ड को अपलोड/अपडेट/डाउनलोड करने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे।

एनआरआई / विदेशी राष्ट्रियों हेतु नोन फेस-टू-फेस केवाई प्रक्रिया को सक्रिय करना

“अनिवासी व्यक्तिगत कारोबार और पंजीकरण में सहजता का विकास” पर कार्यदल ने यह संस्तुति की कि एनआर ग्राहकों/निवेशकों को नोन फेस-टू-फेस ओनबोर्डिंग की अनुमति दी जाए। वर्तमान आईएफएससीए(एएमएल/ सीटीएफ/ केवाईसी) दिशानिर्देशों, 2022 के तहत भारतीय राष्ट्रियों के लिए वी-सीआईपी / डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया की अनुमति है। एनआरआई/विदेशी राष्ट्रियों को ओनबोर्डिंग में आईएफएससीए विनियमित प्रतिष्ठानों द्वारा सहजता बढ़ाने के लिए कार्यदल की संस्तुतियों को आगामी विचार और चर्चा के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा चुका है।

एसईजेड प्रशासन (आईएफएससीए)

विनियामक व्यवस्था को सुवाही बनाने और गिफ्ट आईएफएससी में अपने परिचालन स्थापित करने वाली यूनिटों को कारोबार करने की सहजता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 फरवरी 2024 को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गिफ्ट आईएफएससी यूनिटों के लिए विकास आयुक्त की शक्तियां एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत आईएफएससीए द्वारा “प्रशासक (आईएफएससीए)” के रूप में नामित अधिकारी को प्रदान कीं। इस रणनीतिगत प्रस्ताव से आईएफएससीए और गिफ्ट एसईजेड के विकास आयुक्त के कार्यालयों से अलग-अलग अनुबंधन करने के लिए प्रतिष्ठानों के जरूरी नहीं रह गया, इससे सभी अनुमोदन — चाहे वे एसईजेड अधिनियम के तहत हों या फिर आईएफएससीए अधिनियम के तहत — सीधे ही आईएफएससीए के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, इस प्रकार सिंगल विन्डो नियामक इंटरफेस का सृजन हो गया।

नीतिगत / विनियामक गतिविधि

कारोबार करने में सहजता को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड प्रभाग निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं —

साप्ताहिक यूएसी बैठकें

जुलाई 2024 से प्रशासक (आईएफएससीए) ने साप्ताहिक आधार पर यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) की बैठकों का आयोजन आरंभ कर दिया है, पहले एक पखवाड़े में बैठक करने की प्रथा थी। इस प्रस्ताव से एसईजेड अनुमोदन पत्र (एलओए) प्राप्त करने में यूनिटों के लिए प्रतीक्षा का समय कम हो गया है, जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच 45 साप्ताहिक यूएसी बैठकों का आयोजन किया गया।

परिपत्र आधारित यूएसी अनुमोदन

कारोबार करने में सहजता को बढ़ाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में यूएसी ने निम्नलिखित श्रेणी के आवेदनों को परिपत्र/इमेल के आधार पर अनुमोदित किया —

- i. निधियों के नए यूनिट आवेदनों को, यदि तदनुसारी एफएमई पहले ही से यूएसी द्वारा अनुमोदित / एलओए की प्रक्रिया में है।
- ii. ऐसे मामले जिनमें आईएफएससीए विनियामक टीम ने पहले ही अतिरिक्त सेवाओं को अनुमोदित कर दिया हो वहां एलओए की ब्रोड बैंडिंग
- iii. वाणिज्य विभाग द्वारा एफ.सं. के-43013(13)/7/2021-एसईजेड के माध्यम से दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के अनुदेश 109 तहत समाहित अनुरोध। इन अनुरोधों में नाम परिवर्तन, शेयरधारिता के पैटर्न में परिवर्तन, कारोबार अंतरण व्यवस्थाएं, न्यायालय अनुमोदित विलयन और अविलयन, गठन में परिवर्तन, निदेशकों में परिवर्तन, आदि शामिल हैं।

तदनुसार जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक नियमित कार्यसूची के साथ-साथ परिपत्र आधारित कार्यसूची मदों को 35 यूएसी बैठकों में लिया गया।

एसईजेड अनुपालनों पर एफएक्यू बुकलेट

प्रशासक कार्यालय (आईएफएससीए) ने एसईजेड अनुपालनों के बारे में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक बुकलेट मार्च 2025 में जारी की, जो एसईजेड अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की बेहतर समझ, अनुपालनों के बोझ को न्यूनतम करने और गिफ्ट आईएफएससी में सम्यक विनियामक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए एक उपाय के रूप में है। यह बुकलेट एसईजेड एलओए के लिए आवेदन से लेकर यूनिट के एक्जिट होने तक गिफ्ट आईएफएससी में किसी यूनिट के सम्यक जीवनचक्र को कवर करते हुए एसईजेड के प्रावधानों के बारे में समेकित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए डिजाइन की गई है।

सहजकृत विनियामक व्यवस्था के प्रति आईएफएससीए की वचनबद्धता के एक भाग के रूप में विकसित यह एफएक्यू बुकलेट एक त्वरित संदर्भ गाइड का काम करती है, जिसमें कार्यपद्धतियों, प्रलेखन अपेक्षाओं और अनुमोदन की समयसीमाओं के बारे में स्पष्ट व्याख्या की गई है। उद्योगों की अनुक्रियाओं के प्रतिसाद में डिजाइन की गई यह प्रयोक्ता-मित्र संसाधन एसईजेड/अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विगत एक वर्ष के दौरान प्रशासक (आईएफएससीए) के कार्यालय द्वारा अर्जित अनुभव का परिणाम है।

संव्यवहार / प्रक्रियाएं / परिचालन / प्रवृत्तियां

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासक (आईएफएससीए) की अध्यक्षता में 45 यूएसी बैठकों का आयोजन किया गया। यूएसी बैठकों के विवरण आईएफएससीए की वेबसाइट पर (<https://ifsc.gov.in/Pages/Contents/SEZUnitApproval>) पर देखे जा सकते हैं। इन 45 यूएसी बैठकों में गिफ्ट आईएफएससी में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए 370 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। प्रशासक (आईएफएससीए) की अध्यक्षता में दिए गए अनुमोदनों के विवरण निम्नानुसार हैं—

सारणी 32 : वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित यूएसी बैठकों के विवरण

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2025 तक
1	यूएसी बैठकें	45
2	नई यूनिटों के लिए आवेदनों पर विचार किया गया	373
3	नई यूनिटों के लिए अनुमोदित आवेदनों की संख्या	370
4	जारी किए गए एलओए	369
5	जारी किए गए परिपत्र एजेन्डा की संख्या	35
6	ईमेल/परिपत्र मोड से निधियों के लिए अनुमोदित नई यूनिटों के आवेदनों की संख्या	109
7	एलओए की ब्रॉडबैंडिंग की संख्या	10
8	अनुदेश 109 के तहत कवर किए गए अनुरोध	65

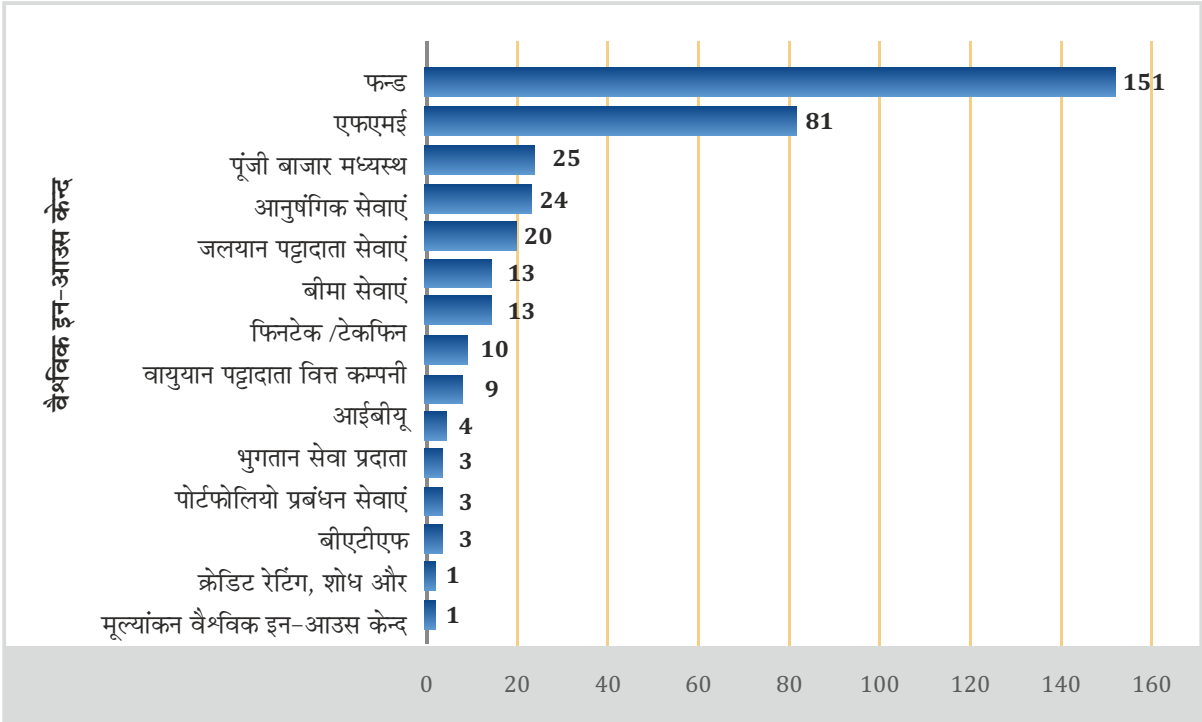
सारणी 33: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एलओए प्रोसेस के बाद के विवरण

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2025 तक
1	अनुमोदित भौतिक बीएलयूटी की संख्या	343
2	अनुमोदित एलओए अनुमोदनों की संख्या	198
3	रिकार्ड पर लिए गए कारोबार आरंभ करने की सूचनाओं की संख्या	104
4	अनुमोदित एलओए नवीकरण की संख्या	14
5	पते में परिवर्तन के अनुमोदित अनुरोधों की संख्या	61

प्रवृत्तियां

निम्नलिखित आरेख में 31 मार्च 2025 तक क्षेत्र अनुसार जारी किए गए एलओए का वितरण दर्शाया गया है। इसमें गिफ्ट आईएफएससी में विकास के संचालक महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें वित्तीय सेवाओं, फिनटेक, बीमा और पूंजी बाजारों जैसे क्षेत्रों में अनुमोदनों के संकेन्द्रण को स्पष्ट किया गया है।

आरेख 17: 31 मार्च 2025 तक जारी किए गए एलओए का क्षेत्र अनुसार वितरण



आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

कारोबार करने में सहजता रिपोर्ट में प्रस्तावित एसईजेड संशोधन

गिफ्ट आईएफएससी में परिचालन कर रहे प्रतिष्ठानों द्वारा समाना की जा रही सतत परिचालनगत चुनौतियों और विनियामक बाधाओं से निपटने के लिए नीतिगत प्रस्तावों के एक समेकित सेट का निरूपण किया गया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समक्ष आईएफएससी ईओडीबी रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन सुधारों का अभिप्राय क्रियापद्धतियों को सुवाही बनाना, विनियामक प्राधिकरणों के बीच अधिकाधिक अनुरूपण सुनिश्चित करना और आईएफएससी यूनिटों की सम्यक दक्षता को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन प्रस्तावों को प्रबलतापूर्वक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा ताकि एसईजेड विधियों के तहत आईएफएससी यूनिटों के लिए बेहतर विधिक व्यवस्था प्रदान की जा सके।

आईएफएससीए अधिकारक्षेत्र के विकासकर्ता और विनियामक दोनों ही के रूप में अप्रतिम स्थिति के साथ आईएफएससीए द्वारा वित्तीय परितंत्र में एक प्रबल और गतिशील भूमिका निभाई जाती है। इसे वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, और वित्तीय संस्थानों के विनियमन सहित कारोबार करने की सहजता में सुविधा देने वाले परिवेश को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। आईएफएससीए के अधिदेश का मुख्य आधार यह है कि अनुपालन की अपेक्षाओं को मजबूत बनाया जाए और गिफ्ट आईएफएससी में आईएफएससीए की सत्यनिष्ठा को संस्थापित किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि यह अधिकारक्षेत्र न केवल अपने रूप में परिचालन कर रहा है बल्कि वास्तविकता में भी है, अपने विनियामक मानकों को अग्रणी वैश्विक वित्तीय केन्द्रों के साथ अनुरूपण कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में अपनी विश्वसनीय और स्पर्धी ख्याति की भी रक्षा कर रहा है।

प्रवर्तन कार्रवाई का अति महत्वपूर्ण प्रयोजन है पारदर्शिता को बढ़ावा देना, निवेशक संरक्षण और भरोसे का संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ अनुरूपण को सुनिश्चित करना। जैसे-जैसे अधिकाधिक प्रमुख स्वदेशी और वैश्विक वित्तीय संस्थान आईएफएससीए में परिचालन स्थापित करते जाएंगे, एक सतर्क विनियामक और पर्यवेक्षक, एक विश्वसनीय और भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अधिकारक्षेत्र के रूप में इसकी ख्याति को संधारणीय और मजबूत करने में आईएफएससीए की भूमिका उल्लेखनीय रहेगी।

प्रवर्तन प्रभाग के माध्यम से आईएफएससीए ने अनुज्ञेय आईएफएससीए विनियमों के तहत विनियामक अपेक्षाओं का उल्लंघन करने वाली आईएफएससी यूनिटों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

आईएफएससी में तीन विनियमित प्रतिष्ठानों को स्वेच्छ से अनुपालन हेतु साधन रूप में एडवाइजरी दी गई जबकि चेतावनी जारी करने ने यह संकेत दे दिया कि अनुपालन नहीं करने के प्रतिसाद में क्रमांकित वर्धन किया जाता है। ये कार्रवाइयां यह सुनिश्चित करने के लिए आईएफएससीए की अविचल प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि गिफ्ट सिटी में आईएफएससी विशुद्ध आर्थिक क्रियाकलापों के लिए एक अधिकारक्षेत्र के रूप में परिचालन करती है जहां पर रूप और वास्तविकता दोनों ही प्रकार से परिचालनगत मौजूदगी विनियामक प्रत्याशाओं के अनुरूप है — कथनी और करनी दोनों ही रूपों में। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य यही है कि सार्थक आर्थिक अनुबंधन के बिना ही आईएफएससी का उपयोग केवल टैक्स लाभों या विवाचन के लिए करने से प्रतिष्ठानों को दूर रखा जाए।

आईएफएससीए के पास एक और महत्वपूर्ण प्रवर्तन उपाय है — वह है लाइसेन्सों, पंजीकरण, या प्राधिकृतिकरण को वापस लेना। ऐसे कठोर उपाय वस्तुतः ऐसे अवसरों के लिए आरक्षित हैं जब कोई प्रतिष्ठान एडवाइजरी या चेतावनी मिलने और कमियों को दूर करने के लिए अवसर दिए जाने के बावजूद, निरंतर या जानबूझकर विनियामक और अनुपालन अपेक्षाओं का उल्लंघन करे अथवा ऐसे आचरण में लिप्त रहे जो आईएफएससी व्यवस्था की सत्यनिष्ठा को नष्ट करते हों।

आईएफएससीए की प्रवर्तन रणनीति एक संतुलित और क्रमांकित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है — ऐसी जिसमें गिफ्ट सिटी को एक अग्रणी वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए समर्थक पर्याप्त विनियामक लोचशीलता रहे जो प्रबल निगरानी के साथ एकीकृत हो। एडवाइजरी और चेतावनी जारी करने को प्राथमिकता देना इस बात को प्रकट करता है कि आईएफएससीए का रुझान दंडात्मक उपायों की तुलना में सुधारात्कार्यपालक निदेशक उपायों की तरफ है, इस प्रकार यह नवोन्मेष या विकास को बधित किए बिना ही अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

विकासात्मक क्रियाकलाप

अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी एमओयू

आईएफएससीए ने स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ अनेक एओयू निष्पादित किए। इन एमओयू ने संबंधित अधिकारक्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थानों के विकास के लिए ज्ञान साझा करने और आपसी हित के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सहयोग के लिए आईएफएससीए और काउन्टर-पार्ट के विनियामकों के बीच सम्प्रेषण के औपचारिक चैनल स्थापित करने मार्ग को प्रशस्त किया।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के साथ एमओयू

आईएफएससीए ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए ताकि आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। इस समझौते का लक्ष्य है इन दोनों संस्थानों के बीच विशेषकर वित्तीय सेवाओं, विनियमों और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में आपसी सहायता और जानकारी साझा करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए।

आईएफएससीए और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच यह एमओयू इन दोनों प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम को बताता है जिसमें पर्यवेक्षी सहयोग, वित्तीय नवोन्मेष, और विनियामक सर्वोत्तम परिपाटियों जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।



चित्र 21: माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की उपस्थिति में आईएफएससीए ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

आईओएससीओ के साथ विस्तारित एमओयू

आईएफएससीए ने 16 मई 2024 को आईओएससीओ के विस्तारित एमओयू (ईएमएमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ईएमएमओयू हस्ताक्षर समारोह का आयोजन एथेन्स, ग्रीस में वार्षिक बैठक 2024 के दौरान किया गया।

आईओएससीओ ईएमएमओयू में बड़े हुए सहयोग की अनुमति है जिसमें बाजार की एकनिष्ठता, निवेशक संरक्षण और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जरूरी शक्तियां हैं। इस समझौते के साथ आईएफएससीए अब “एसीएफआईटी” शक्तियों⁷³, का उपयोग कर सकता है, जिसमें ऑडिट वर्क पेपर प्राप्त करना और साझा करना, वित्तीय विवरणियों की समीक्षा, साक्ष्यों पर जोर देना, आस्तियों को रोकना और विद्यमान आईएसपी और टेलिफोन रिकार्ड का आकलन करना शामिल है।



चित्र 22 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए आईओएससीओ वार्षिक बैठक 2024 के दौरान आईओएससीओ बोर्ड के अध्यक्ष श्री जीन पोल सर्वाइस की उपस्थिति में ईएमएमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए

कैपिटल मार्केट अथोरिटी (सीएमए) कुवैत के साथ एमओयू

कुवैत में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित भारत-कुवैत निवेश सम्मेलन में अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में आईएफएससीए और सीएमए ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिसका लक्ष्य वित्तीय और विनियामक व्यवस्था में प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवोन्मेषों को साझा करने में सहयोग को बढ़ावा देना है।



चित्र 23: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री उत्मान अल-ईसा, वाइस चेयरमैन, कैपिटल मार्केट अथोरिटी ऑफ कुवैत के बीच कुवैत में भारत के राजदूत डॉ. आदर्श स्वाइका की मौजूदगी में एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

⁷³ “एसीएफआईटी” परिवर्णी शब्द का आशय है (ए) ऑडिट पेपर, (सी) साक्ष्यों के लिए उपस्थिति की वाध्यता, (एफ) आस्तियों पर प्रतिबंध और (आई) इन्टरनेट सेवा प्रदाता तथा (टी) टेलिफोन रिकार्ड लेने की शक्तियां

बीएसईसी, बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय एमओयू

आईओएससीओ ने वार्षिक बैठक, एथेन्स, ग्रीस में आईएफएससीए वार्षिक बैठक में अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में 26 मई 2024 को बंगलादेश सिक्यूरिटीज एक्सचेंज कमिशन (बीएसईसी) के साथ द्विपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए।



चित्र 24 : श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और प्रो. शिबली रुबैय्यत-उल इस्लाम, अध्यक्ष, बीएसईसी के साथ आईओएससीओ वार्षिक बैठक के दौरान अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

एफआईयू-आईएनडी के साथ एमओयू



चित्र 25: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री विवेक अग्रवाल, निदेशक एफआईयू-आईएनडी एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

आईएफएससीए ने वित्तीय अन्वेषण यूनिट-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ 21 मई 2024 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू में संगत जानकारी साझा करने, विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए आउटरीच और प्रशिक्षणों का आयोजन, और संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत आपसी दायित्वों का अनुपालन, सहित आपसी हित के क्षेत्रों में आपस में समन्वय के पक्षों को कवर किया गया।

आईएफएससीए द्वारा लाबुआन फाइनेंसियल सर्विसेज अथोरिटी के साथ एमओयू निष्पादन

आईएफएससीए और लाबुआन फाइनेंसियल सर्विसेज अथोरिटी ने आपसी लाभ के लिए दोनों संस्थानों के बीच संस्थागत सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और श्री दातो वान मोहद फदजूमि बिन चे वान उत्तमन फदजिल्आह, अध्यक्ष द्वारा 19 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर किए गए।

इस एमओयू का औपचारिक विनिमय 20 अगस्त 2024 को मलेशिया में माननीय दातो सेरी अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री और भारतीय गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी की मौजूदगी में भारत के उच्चायुक्त महामहिम श्री बी. एन. रेड्डी और श्री दातो वान मोहद फदजूमि बिन चे वान उत्तमन फदजिल्आह, अध्यक्ष, एलएफएसए के बीच हुआ।

इस एमओयू का प्रयोजन यह है कि संबंधित अधिकारक्षेत्रों के वित्तीय बाजारों के विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने में सुविधा दी जाए और साथ ही कारोबार के संचालन में लाइसेन्सप्राप्त या पंजीकृत व्यक्तियों की योग्यता और मालिकाना हक को सुरक्षित और संवर्धित किया जाए और उच्च मानकों तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दिया जाए।

गिफ्ट आईएफएससीए को एक वैश्विक वित्त तथा लेखांकन केन्द्र के रूप में वकसित करने हेतु आईएफएससीए ने आईसीएमएआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर



चित्र 26: आईएफएससीए और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) एमओयू का आदान-प्रदान करते हुए

आईएफएससीए और इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमआई) ने 30 अगस्त 2024 को आईएफएससीए मुख्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में एमओयू का आदान-प्रदान किया। इस सहयोग का लक्ष्य है गिफ्ट आईएफएससी को अग्रणी "वैश्विक वित्तीय और लेखांकन केन्द्र" की स्थिति में लाया जाए।

एमओयू का प्राथमिक प्रयोजन यही है कि गिफ्ट आईएफएससी से वित्तीय सेवादाता प्रतिभा का निर्यात करने में सहायता की जाए। आईसीएमआई विदेशों में अपने चैप्टर्स और सदस्यों के व्यापक नेटवर्क का सहारा लेते हुए सक्रिय रूप से गिफ्ट आईएफएससी में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करेगा।

इसके अलावा आईएफएससीए के मार्गदर्शन में आईसीएमआई अकादमीय पाठ्यक्रमों को तैयार करेगा जो आईएफएससी की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए हों और वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप हों।

आईएफएससीए द्वारा इंडियन वेन्चर एन्ड आल्टरनेट कैपिटल एसोशिएशन (आईवीसीए) के साथ एमओयू निष्पादन

गिफ्ट आईएफएससी को एक "वैश्विक निधि प्रबंधन केन्द्र" के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए आईएफएससीए और आईवीसीए ने एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। आईएफएससीए से डॉ. दीपेश शाह और श्री रजत टंडन, आईवीसीए के प्रेसिडेंट ने एक विशेष समारोह में 18 सितम्बर 2024 को एमओयू पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए, श्री रजत टंडन, आईवीसीए के प्रेसिडेंट; डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए इस एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद रहे।

वित्तीय आयोजन मानक बोर्ड (एफपीएसबी) के साथ एमओयू

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और वित्तीय आयोजन मानक बोर्ड (एफपीएसबी) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि गिफ्ट आईएफएससी को एक वैश्विक वित्तीय केन्द्र के रूप में बढ़ाने और प्रतिभा विकास में सहयोग किया जा सके। इस एमओयू का लक्ष्य है कि व्यावसायिकों को सशक्त करके और दक्ष कार्यबल को बढ़ावा देकर भारत में गिफ्ट आईएफएससी को अग्रणी वित्तीय सेवा के गंतव्य के रूप में विकसित करने में सहायता दी जाए।



चित्र 27: आईएफएससीए और वित्तीय आयोजना मानक बोर्ड (एफपीएसबी) के बीच एमओयू का आदान-प्रदान

क्वालिटी ओफ काउन्सिल (क्यूसीआई) के साथ एमओयू

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने क्वालिटी ओफ काउन्सिल के साथ आईएफएससीए टेलेन्ट विस्टा 2024 के दौरान समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया।

गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक वित्त और लेखांकन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए आईसीएमआई के साथ एमओयू

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और इंस्टीट्यूट ओफ कोस्ट एकाउन्टेन्ट्स ओफ इंडिया (आईसीएमआई) के साथ 30 अगस्त 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट आईएफएससी) को वैश्विक वित्तीय और लेखांकन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। इस सहयोग का लक्ष्य है गिफ्ट आईएफएससी से वित्तीय सेवादाता प्रतिभा का निर्यात करने में सुविधा दी जा सके और आईएफएससी में सामने आ रही जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट पाठ्यक्रमों को विकसित किया जाए।

पक्षसमर्थन और आउटरीच

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का आईएफएससीए दौरा

आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास ने 22 जून 2024 को आईएफएससीए का दौरा किया। श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए और आईएफएससीए टीम ने आईएफएससीए की प्रगति और भावी योजनाओं पर एक प्रस्तुति दी। डॉ. हंसमुख आडिया, अध्यक्ष, गिफ्ट सिटी और श्री तपन रे, एमडी गिफ्ट सिटी भी इस अवसर पर मौजूद थे।



चित्र 28: आईएफएससीए के अध्यक्ष और स्टाफ श्री शशिकांत दास, गवर्नर, आरबीआई और डॉ. हंसमुख अधिया, अध्यक्ष गिफ्ट सिटी के साथ

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल का कुवैत दौरा

आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 अप्रैल 2024 को कुवैत का दौरा किया और भारत कुवैत निवेश सम्मेलन 2.0 में हिस्सा लिया, जिसका आयोजन कुवैत में भारतीय दूतावास ने किया था। इस दौरान आईएफएससीए ने कैपिटल मार्केट अथोरिटी, कुवैत के साथ इन्टर रेग्युलेटरी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर और विनिमय किए। इस दौरे में कुवैत के वित्तीय क्षेत्र उद्योग के अग्रणी खिलाड़ियों के साथ बैठकें और गोलमेज सम्मेलन किए जिनमें कुवैत इन्वेस्टमेंट अथोरिटी (केआईए), पब्लिक इन्स्टीट्यूशन फोर सोशल सिक्यूरिटी (पीआईएफएसएस) आदि शामिल थे।

आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल का नार्वे दौरा

भारतीय दूतावास, नार्वे ने नार्वे इंडिया चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री के साथ संयुक्त रूप से आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल के सहयोग से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जिसमें भारत और नार्वे दोनों देशों के कारोबारी अग्रणियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारत के गिफ्ट सिटी में आईएफएससीए के साथ कारोबारी अवसरों पर विचार किया गया।

एनआईसीआई के अध्यक्ष श्री हेलगे ट्राइटी और नार्वे में भारतीय राजदूत महामहिम एर्विनो विमल और अन्य प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे।

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने अपने प्रमुख संबोधन में भारत के वित्तीय गेटवे अर्थात गिफ्ट आईएफएससी में नार्वेजियन वित्तीय संस्थानों के लिए अवसरों पर फोकस किया।

गिफ्ट आईएफएससी न्यूयार्क सम्मेलन 2024 – गिफ्ट आईएफएससी में फंड प्रबंधन और पूंजी बाजार के अवसर

आईएफएससीए के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के यूएस दौरे में न्यूयार्क में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि गिफ्ट आईएफएससी में फंड प्रबंधन और पूंजी बाजार हेतु अवसरों का उल्लेख किया जा सके। इस सम्मेलन में अध्यक्ष, आईएफएससीए ने सहभागियों को सम्बोधित किया और अवसर, हरित ऊर्जा, आस्ति संग्रहण, व्यापार और निवेश, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी में नवीनतम विनियामक और कारोबारी गतिविधियों का भी विशेष उल्लेख किया जिससे यूएस के संस्थानों हेतु आकर्षक अवसरों के मार्ग खुलते हैं।

गोलमेज सम्मेलन – गिफ्ट आईएफएससी में यूएस संस्थानों हेतु अवसर

यूएस में आईएफएससीए के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर न्यूयार्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास और आईसीआईए के सहयोग से एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, सीए प्रोफेशनल्स सहित वित्तीय सेवादाता उद्योग से इसमें 50 से भी अधिक व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष, आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी को एक “वैश्विक वित्तीय और लेखांकन केन्द्र” बनाने के लिए सरकार के विजन पर भी जोर दिया और हाल ही में अधिसूचित आईएफएससीए (बुक कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं) विनियमावली, 2024 के तहत यूएस लेखांकन व्यवसायियों के लिए उपलब्ध अवसरों का उल्लेख किया।

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल का यूएई और कतर दौरा

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने 10 से 13 नवम्बर 2024 के बीच कतर और यूएई का दौरा किया। इस दौरान अनेक सम्मेलन, गोलमेज बैठकें और वन-टू-वन बैठकों का आयोजन बैंकों, फंड प्रबंधकों, बीमा फर्मों के साथ किया गया।



चित्र 29: अध्यक्ष, आईएफएससीए – डॉ. तमीअ अहमद अली अल बुतामी अल बिनाली, सीईओ, कतर फाइनेंसियल मार्केट अथोरिटी (क्यूएफएमए) के साथ – श्री संदीप कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, भारतीय दूतावास, दोहा, कतर की मौजूदगी में



चित्र 30 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – कतरी कारोबारियों और भारतीय जनों के साथ – दोहा में कतर में भारत के राजदूत श्री विपुल की मौजूदगी में।



चित्र 31 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – आबू धाबी ग्लोबल मार्केट फाइनेंसियल सर्विसेज रेग्युलेटरी अथोरिटी (एडीजीएम एफएसआरए)



चित्र 32 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – डॉ. मरियम अलसुवैदी, सीईओ, सिक्यूरिटीज एंड कमोडिटीज अथोरिटी (यूएई – एससीए)



चित्र 33 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – श्री आरिफ आमिरी, सीईओ, दुबई इन्टरनेशनल फाइनेंसियल सेंटर के साथ

ताइवानी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधिमंडल गिफ्ट सिटी में

श्री डी. सी. लेई के नेतृत्व में 31 सदस्यीय ताइवानी प्रतिनिधिमंडल ने 4 दिसम्बर 2024 को गिफ्ट सिटी का दौरा किया ताकि ताइवानी वित्तीय संस्थानों के लिए कारोबारी अवसरों को तलाशा जा सके और गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के परितंत्र को समझा जा सके।



चित्र 34 : अध्यक्ष, आईएफएससीए – अध्यक्ष, टीएबीएफ और ताइवान के प्रतिनिधिमंडल के साथ

इस प्रतिनिधिमंडल में टीएबीएफ, सेन्ट्रल बैंक ऑफ ताइवान, बैंकर्स एसोशिएशन ऑफ आर.ओ.सी, फाइनेंसियल सुपरवाइजरी कमीशन और अग्रणी ताइवानी बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे

प्रतिनिधिमंडल ने गिफ्ट सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वचालित कचरा संग्रह प्रणाली (एडब्ल्यूसीएस), बी) यूटीलिटी टनेल, जिला शीतलन प्रणाली (डीसीएस) और शहर नियंत्रण और कमान केंद्र (सी4) जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अवलोकन किया।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया आईएनएक्स का दौरा किया, जहां इंडिया आईएनएक्स टीम ने अपने व्यवसाय संचालन, विकास और गिफ्ट परितंत्र के भीतर ताइवानी पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी।

तृतीय भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद

भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद की तीसरी बैठक की मेजबानी आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 12 दिसम्बर 2024 को गिफ्ट सिटी, गुजरात में की गई थी।

इस संवाद का नेतृत्व भारत के वित्त मंत्रालय और एच एम ट्रेजरी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया और इसमें आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए, इरडाई, पीएफआरडीए, बैंक ऑफ इंग्लैंड और वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) सहित भारतीय और यूके की विनियामक एजेंसियां शामिल हुईं।

इस संवाद ने 2023 अप्रैल में हुई पिछली बैठक के बाद से अब तक हुई गतिविधियों का उल्लेख किया, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के लिए भारत विजन और रणनीति दर्शाने के अभिप्राय और यूके की वित्तीय सेवाओं के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति को प्रकट करने की प्रतिबद्धता शामिल थी। दोनों ही पक्षों ने अधिकतम सहक्रियाओं हेतु कार्य करने की सहमति दी।



चित्र 35: अध्यक्ष, आईएफएससीए और संयुक्त सचिव, डीईए – यू के प्रतिनिधिमंडल के साथ

भारत और यूके के प्रतिनिधिमंडल ने अपने-अपने अधिकाक्षेत्रों में प्राथमिकताओं और अनवरत सुधारों के परिप्रक्ष्यों को साझा किया। इस संवाद का फोकस रहा वित्तीय विनियामों के क्षेत्र में सामने आ रहे सहयोग, जिसमें वित्तीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए दोनों ही बाजारों में आपसी हितों के क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया।

सम्पूर्ण संवाद के दौरान नवोन्मेष प्रमुख विषय के रूप में रहा, जिसमें कारोबारी क्रियाकलापों के समर्थन में फिनटेक और वित्तीय डाटा की प्रमुख भूमिका के महत्त्व को स्वीकार किया गया। दोनों ही पक्षों ने पिछले साल प्रकाशित आईयूकेएफपी फिनटेक और डाटा पेपर में बताई गई प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए यह सहमति दी थी कि भारत यूके फिनटेक संयुक्त कार्यदल की अगामी बैठक 2025 के शुरू में ही आयोजित कर ली जाएगी ताकि सहमत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जाए। सहभागियों ने संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा की जिसमें जी20 भुगतान रोडमैप, डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी, विनियामक सैन्डबॉक्स सहयोग, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर सहयोग और एआई तथा क्वान्टम कम्प्यूटिंग सहित अन्य उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर भावी समन्वय भी शामिल थे।

इंडिया डिजिटल समिट 2025

इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एससोशिएशन ऑफ इंडिया (आइएमएआइ) ने 16 से 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल समिट (आइडीएस) के 19वें संस्करण का आयोजन किया। इस समिट के एक भाग के रूप में डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने “दि गिफ्ट ऑफ अपोर्चुनिटी : दि स्ट्रेटेजी एडवान्टेज ऑफ सेटिंग अप जीसीसी इन आईएफएससीए होफ” पर एक वार्तालाप किया। अपनी वार्ता के दौरान डॉ. शाह ने वैश्विक संस्थानों के लिए गिफ्ट आईएफएससीए के रणनीतिगत लाभों के साथ-साथ गिफ्ट आईएफएससीए में अवसरों, विशेषकर आईएफएससीए में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर (जीसीसी) स्थापित करने के लाभों पर फोकस करने पर। डॉ. शाह ने वैश्विक संस्थानों के लिए गिफ्ट आईएफएससीए के रणनीतिगत लाभों पर भी जोर दिया।

निवेश – देश विदेश 2025

एनआरआई मनी क्लिनिक नामक एक यूट्यूब चैनल ने मंगलौर में 21 से 22 फरवरी 2025 को निवेश – देश विदेश 2025 नाम से दो दिवसीय वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया। डा. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए इस सम्मेलन में शामिल हुए और "एनआरआई और भारतीय जनसमूह के लिए गिफ्ट आईएफएससी में अवसर" पर एक समेकित प्रस्तुति दी। डॉ. शाह को सुनने के लिए 72 देशों से 3000 से भी अधिक भारतीय जनसमूह ने इस वार्ता को सुना। इस आयोजन में व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं, विधि फर्मों, आदि सहित वित्तीय सेवादाता उद्योग से 150 सीएक्सओ से अधिक की सहभागिता रही।

लक्सेमबर्ग फंड इन्डस्ट्री सेमिनार

डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए ने एसोशिएशन ऑफ लक्जेमबर्ग फंड इन्डस्ट्री एन्ड एलपीईए – लक्जेमबर्ग प्राइवेट एन्ड वेन्चर कैपिटल एसोशिएशन द्वारा सह-आयोजित लक्जेमबर्ग फंड इन्डस्ट्री सेमिनार में "गिफ्ट आईएफएससी : अपार्चुनिटीस फॉर लक्जेमबर्ग'स फंड इन्डस्ट्री एन्ड इन्वेस्टर्स " पर प्रमुख भाषण दिया। अपने अभिभाषण में डॉ. शाह ने गिफ्ट आईएफएससी में लक्सेमबर्ग के फंड उद्योग और निवेशकों के लिए अवसरों का उल्लेख किया।

आईएफएससीए सीपीएसई समिट 2.0 : गिफ्ट आईएफएससी में अवसर

गिफ्ट आईएफएससी में विकास की गति को बनाए रखने और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के लिए कारोबारी अवसरों यथा – पूंजी जुटाने, संधारणी वित्त, ट्रेजरी परिचालनों, वायुयान और जलयान लीजिंग, बीमा, इनवीआईटी, और आरईआईटी का उल्लेख करने के लिए आईएफएससीए ने 7 फरवरी 2025 को "आईएफएससीए सीपीएसई समिट 2.0 : गिफ्ट आईएफएससी में अवसर " का आयोजन किया।

इस समिट में नीतिनिर्माताओं, उद्योग के लीडरों, वित्तीय विशेषज्ञों और वरिष्ठ कार्यपालकों यथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के सीईओ और सीएफओ और अग्रणी राज्य लोक क्षेत्र उद्यमों सहित सभी एक मंच पर आए। इस आयोजन में तथ्यपरक संभाषण और विचारविमर्श हुए जिनमें गिफ्ट आईएफएससी में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रचुर कारोबारी अवसरों की तलाश हुई और साथ ही इसे सामने आ रहे वैश्विक वित्तीय सेवा भूदृश्य के अनुरूप बनाने पर चर्चा भी हुई।

श्रीमती सुरभि जैन, संयुक्त सचिव, डीईए ने बताया "गिफ्ट आईएफएससी भारत की वैश्विक वित्तीय छलांग को बढ़ावा देता है विकसित भारत 2047 के विजन हेतु सीपीएसई को अंतरराष्ट्रीय पूंजी के साथ अनुरूपित करना है"



चित्र 36: श्रीमती सुरभि जैन, संयुक्त सचिव, डीईए – आईएफएससीए सीपीएसई समिट 2.0 के दौरान संबोधित करते हुए

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल की यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का दौरा

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने 17 से 21 मार्च 2025 को यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का दौरा किया और अनेक सम्मेलनों, बैठकों और गोलमेज वार्ताओं का आयोजन किया।

“गिफ्ट सिटी में भारत के अगृहीत आईएफएससी में कारोबारी अवसर” पर सम्मेलन

इस सम्मेलन का आयोजन गिफ्ट सिटी में भारत के अगृहीत आईएफएससी में कारोबारी अवसरों का उल्लेख करने और इन पर चर्चा के लिए किया गया। इस सम्मेलन में भारत और यूके दोनों ही देशों के वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, वित्तीय क्षेत्र के लीडर और प्रमुख स्टेकधारक शामिल हुए।



चित्र 37 : आईएफएससीए के अध्यक्ष, “गिफ्ट सिटी में भारत के पहले आईएफएससी में व्यावसायिक अवसर” विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए

विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आउटरीच क्रियाकलाप

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत की विकास कक्षा, विकसित भारत 2047 में आईएफएससी का भूमिका का उल्लेख किया और अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पसों तथा प्रतितटीय शिक्षण केन्द्रों के लिए आईएफएससीए के तहत विनियामक व्यवस्था का समेकित दृष्टिकोण बताया। प्रतिनिधिमंडल ने गिफ्ट सिटी को न केवल एक वित्तीय सेवा केन्द्र के रूप में बल्कि गतिमान प्रतितटीय शिक्षण गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भारत के विज्ञान को विस्तार से बताया।

चार्टर्ड एसोशिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स के सदस्यों के साथ भेंटवार्ता :



चित्र 38: अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पसों और प्रतिष्ठित शिक्षण केन्द्रों के लिए आईएफएससीए के तहत विनियामक व्यवस्था की सामान्य जानकारी देते हुए डॉ. दीपेश शाह, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए



चित्र 39: गिफ्ट आईएफएससी में आयरिश विश्वविद्यालयों के लिए अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस में अवसरों के बारे में गोल्डमेज वार्ता



चित्र 40: गिफ्ट आईएफएससी में यूके विश्वविद्यालयों के लिए अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस अवसरों पर गोल्डमेज वार्ता



चित्र 41: लन्दन में कारोबारी वित्त पर चर्चा करते हुए आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल

आरएक्सआईएल द्वारा लन्दन में आयोजित आदृत और व्यापार वित्त कम्पनियों की गोलमेज वार्ता में अध्यक्ष, आईएफएससीए ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यापार वित्त के बढ़ते हुए महत्व का उल्लेख किया और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक विश्वसनीय तथा स्पर्धी अधिकारक्षेत्र के रूप में भारत के उदय को रेखांकित किया। उन्होंने वैश्विक खिलाड़ियों को आमंत्रित किया कि वे एक आधार के रूप में गिफ्ट आईएफएससी का प्रयोग करते हुए व्यापार वित्तीयपोषण की संरचना और सीमापर अवसरों की तलाश करें।

जलयान लीजिंग और शिपिंग बीमा कारोबार के साथ भेंटवार्ता

गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय क्रियाकलापों का नियंत्रण करने वाली विनियामक व्यवस्था का एक परिचय देते हुए श्री आशुतोष शर्मा ने चर्चा को आरंभ किया और आईएफएससीए (वित्त कम्पनी) विनियमावली, 2021 के तहत हुई प्रगति का विशिष्ट उल्लेख किया



चित्र 42: श्री आशुतोष शर्मा – गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय क्रियाकलापों का नियंत्रण करने वाली विनियामक व्यवस्था का एक परिचय देते हुए

वायुयान लीजिंग स्टेकहोल्डर के साथ भेंटवार्ता

डबलिन में एक आकर्षक और अच्छी उपस्थिति वाली भेंटवाता डबलिन में आयोजित हुई जिसमें वायुयान लीजिंग परितंत्र के लगभग 100 सहभागी आए। इस सत्र ने पट्टादाताओं, टैक्स सलाहकारों, विधिक विशेषज्ञों और नीतिनिर्माता प्रतिनिधियों जैसे स्टेकहोल्डर के एक व्यापक वर्ग को संयोजित किया और इसमें विशेषरूप से गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से आयरलैन्ड और भारत के बीच वायुयान लीजिंग क्षेत्र में सहयोग के बढ़ते हुए अवसरों पर चर्चा की गई।

श्री के. राजाराम ने आयरलैंड जैसे अग्रणी क्षेत्राधिकारों के अनुसार गिफ्ट आईएफएससी को वायुयान लीजिंग और विमानन वित्त के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की भारत की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट किया। उन्होंने आईएफएससीए द्वारा किए गए महत्वपूर्ण नियामक प्रगति और भारत सरकार से मिले व्यापक संस्थागत समर्थन को रेखांकित किया जो भारत में वैश्विक लीजिंग फर्मों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करता है।



चित्र 43 : अध्यक्ष, आईएफएससीए - वायुयान लीजिंग स्टैकधारकों के साथ वार्ता में

श्री आशुतोष शर्मा ने टैक्स तटस्थता प्रदान करने के लिए प्रबल नियम व्यवस्था, सुवाही अनुमोदनों और विनियामक स्पष्टता सहित वायुयान लीजिंग फर्मों को संस्थागत समर्थन की रूपरेखा बताई।

गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय फिनटेक संस्थान

गिफ्ट सिटी में एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय फिनटेक संस्थान (गिफ्ट आईएफआई) और गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय फिनटेक नवोन्मेष केन्द्र (गिफ्ट आईएफआईएच) - 17 जनवरी 2025 को आयोजित उद्घाटन समारोह में आईएफएससीए शामिल हुआ।

अन्य आउटरीच और अनुबंधन के क्रियाकलाप

तारीख	विवरण	टिप्पणी
अप्रैल 2024	गिफ्ट आईएफएससीए : भावी कार्यस्थल हेतु कौशल और प्रतिभा विकास पर टाउनहॉल	डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वूलोंगगोना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित “गिफ्ट आईएफएससीए : भावी कार्यस्थल के लिए दक्षता और प्रतिभा विकास पर टाउनहॉल” में आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान इन दोनों आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने आईएफएससीए में विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए और सहयोग क क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

तारीख	विवरण	टिप्पणी
मई 2024	सीधी लिस्टिंग पर सम्मेलन	आईएफएससीए ने एनएसईआईएक्स के समन्वय और 3वर्षीय कैपिटल और आईवीसीए के सहयोग से 10 मई 2024 को बंगलूरु में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस आयोजन का फोकस गिफ्ट आईएफएससी में भारतीय स्टार्टअप के लिए सीधी इक्विटी लिस्टिंग और पूंजी जुटाने, वेन्चर कैपिटल फंड और अन्य स्टेकधारकों पर रहा। इसमें स्टार्टअप, उद्यमियों, कैपिटल फंडों और अन्य स्टेकधारकों ने सहभागिता की। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए गिफ्ट आईएफएससी में संभावनाओं का उल्लेख किया।
	यूएनडीपी-एफसी4एस संधारणीय वित्त केन्द्र के साथ साझेदारी में देश-स्तरीय निजी क्षेत्र गोलमेज वाता	आईएफएससीए ने यूएनडीपी एफसी4एस की साझेदारी में 31 मई 2024 को गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में निजी क्षेत्र गोलमेज का आयोजन किया। गोलमेज का लक्ष्य था जी20 एसएफडब्ल्यूजी अजेन्डा और इसके राष्ट्रीय परिपालन पर निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण जाना जाए। इसमें वित्त मंत्रालय, सेबी आरबीआई के प्रतिनिधि, कापेरिट लीडर्स और अन्य स्टेकधारी शामिल हुए। आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने संधारणीय वित्त को बढ़ावा देने और गिफ्ट आईएफएससी को जलवायु वित्त केन्द्र के रूप में विकसित करने में प्राधिकरण की भूमिका का उल्लेख किया। इस दौरान न्यायोचित अंतरण, संधारणीयता रिपोर्टिंग अपेक्षाएं और प्रकृति आधारित समाधानों का वित्तपोषण पर विचार विमर्श किए गए।
	चिंतन शिविर - 2024	मई और जून माह के दौरान उद्योग के अग्रणी सहभागियों के साथ आईएफएससीए की प्रथम वार्षिक ब्रेनस्टोर्मिंग संक्रिया। इस संक्रिया के एक भाग के रूप में अध्यक्ष, आईएफएससीए ने उद्योग के 40 से भी अधिक लीडरों और विशेषज्ञों के साथ ब्रेनस्टोर्मिंग सत्र आयोजित किए और निम्नानुसार चर्चा हुई- भारत अन्य देशों और गिफ्ट आईएफएससी में उनके कारोबारी क्रियाकलाप गिफ्ट आईएफएससी में कारोबारी क्रियाकलापों के विस्तार और वर्धन के लिए उनकी योजनाएं गिफ्ट आईएफएससी के लिए 2024-25 हेतु वार्षिक योजना गिफ्ट आईएफएससी में उनके विकास को बढ़ाने हेतु सरकार और आईएफएससीए से समर्थक नीतियां विकसित भारत ज 2047 के लिए गिफ्ट आईएफएससी को एक इंजन के रूप में उनका विजन
जून 2024	कुवैत में भारतीय जनसमूह के साथ वेबिनार	भारतीय जनसमूह हेतु कुवैत में भारतीय मिशन द्वारा आयोजित वेबिनार में आईएफएससीए ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार में बैंकिंग, फंड और बीमा क्षेत्र के लिए अनेक अवसरों को प्रस्तुत किया गया।
	मुम्बई में बीसई ब्रोकर सम्मेलन	आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने मुम्बई में आयोजित बीएसई ब्रोक्स सम्मेलन में सहभागिता की ताकि आईएफएससी एक्सचेंजों पर आईएफएससी एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग अवसरों पर रिमोट ट्रेडिंग सहभागिता (आरटीपी) के बारे में जागरूक किया जाए।
जुलाई 2024	एनईपी और एफएचआई मानदंड पर आइएफसीसीआई उच्च शिक्षण समिति वेबिनार : एक फ्रेन्च परिप्रेक्ष्य	आईएफएससीए पदाधिकारी हायर एड्यूकेशन कमेटी ऑफ दि इंडो-फ्रेन्च चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री (आईएफसीसीआई) द्वारा आयोजित वेबिनार में शामिल हुए, जिसका विषय था : 'एनईपी और एफएचआई मानदंडों का उद्विकास : ए फ्रेन्च पर्सपेक्टिव'। वेबिनार के दौरान आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में विनियामक और विकास अवसरों को प्रस्तुत किया खासकर अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस अवसरों के संबंध में।

तारीख	विवरण	टिप्पणी
जुलाई 2024	उद्योग गोलमेज – डीकिन यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी	आईएफएससीए पदाधिकारी डीकिन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित गोलमेज वार्ता में शामिल हुए। सम्मेलन में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने उद्योग के महत्त्व को बताया – गिफ्ट आईएफएससी में प्रतिभा विकास हेतु अकादमिया सहयोग।
अगस्त 2024	गिफ्ट आईएफएससी : आस्ति प्रबंधन भूदृश्य रहस्य उद्घाटन	आईएफएससीए पदाधिकारियों ने डेलोयट और आईसी यूनिवर्सल लीगल की साझेदारी में नुवामा एसेट सर्विसेज द्वारा आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह के दौरान आईएफएससीए पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में आस्ति प्रबंधन भूदृश्य पर तथ्यों को साझा दिया। इस विमर्श ने आईएफएससी में आस्ति प्रबंधन परितंत्र में अवसरों और गतिविधियों का उल्लेख किया जिसका लक्ष्य उद्योग के प्रमुख स्टेकधारकों को अनुबंधित करना है।
	वित्तीय अपराध विशेषज्ञ और कन्क्लेव अवार्ड	आईएफएससीए पदाधिकारियों ने फिनक्राइम विशेषज्ञों की सर्वप्रथम संगोष्ठी और अवार्ड आयोजन में हिस्सा लिया जिसमें उद्योग के लीडर्स, विनियामक, विधि प्रवर्तक एजेंसियों और समाधान प्रदाताओं को एक साथ लाया गया। इस आयोजन में वित्तीय अपराध अनुपालन (एफसीसी) के क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की गई। आईएफएससीए पदाधिकारियों ने वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा को विकसित भारत @2047 के विजन के साथ अनुरूपित करने में एफसीसी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।
	ट्रेड क्रेडिट ईसीजीसी पर कार्यशाला	ईसीजीसी द्वारा ट्रेड क्रेडिट बीमा पर आयोजित कार्यशाला में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में ट्रेड क्रेडिट कारोबार हेतु बैंकों और बीमा कार्यालयों के बीच सहयोग के महत्त्व का वर्णन किया।
	एचएसबीसी द्वारा 'अनरेवेल दि गिफ्ट सिटी : इंडियन आईएफएससी' विषय पर वेबिनार	एचएसबीसी द्वारा 'अनरेवेल दि गिफ्ट सिटी : इंडियन आईएफएससी' विषय पर आयोजित वेबिनार में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने चाहे यह पूंजी बाजार निवेश या रणनीतिगत निवेश हो भारतीय बाजारों में निवेश तलाश रहे ग्राहकों के लिए बहुविध लाभों के बारे में चर्चा की।
सितम्बर 2024	एमएनसी क्लाइंट के लिए गिफ्ट सिटी – पर वैश्विक वेबिनार	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा "अनलॉकिंग अपार्च्युनिटीस इन इंडिया"स गिफ्ट सिटी – ए ग्लोबल फाइनेंसियल हब" विषय पर 11-12 सितम्बर 2024 को आयोजित वैश्विक सेमिनार में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आईएफएससीए पदाधिकारियों ने गिफ्ट सिटी हेतु विकास प्रत्याशाओं का उल्लेख किया, जिसमें गैर-वित्तीय कार्पोरेट्स को आकर्षित करने के प्रमुख प्रयासों और समग्र विजन और आईएफएससी में वैश्विक कार्पोरेटों हेतु अवसरों को बताया।
	यूएसआईबीसी इंडिया आइडिया समिट और 49वीं वार्षिक आम सभा	नई दिल्ली में 12 सितम्बर 2024 को आयोजित इंडिया आइडिया समिट और यू.एस. चैम्बर ऑफ कोमर्स यू.एस.-इंडिया बिजनेस काउन्सिल (यूएसआईबीसी) की 49वीं वार्षिक बैठक में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह समिट नवोन्मेष और संधारणीयता के संचालन हेतु उदीयमान प्रौद्योगिकियों का सहारा लेने पर फोकस करते हुए "पार्टनरशिप एन्ड प्रोस्पेक्टिटी इन दि एरा ऑफ एआई एन्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी", विषय पर आधारित थी। उद्विग्न हो रहे यू.एस. – भारत टेक और वित्तीय भूदृश्य में सहायोग को बढ़ाने के लिए आईएफएससीए पदाधिकारियों ने स्टेकधारकों के साथ काम किया।

तारीख	विवरण	टिप्पणी
सितम्बर 2024	जेफरीज़ 3री इंडिया फोरम	आईएफएससीए पदाधिकारियों ने 17 से 19 सितम्बर 2024 को ओबराय, गुरुग्राम में आयोजित जेफरीज़ तृतीय इंडिया फोरम में सहभागिता की। इस फोरम में 10+ भूक्षेत्रों से 110 से भी अधिक वैश्विक निधि और संस्थागत निवेशक शामिल हुए। आईएफएससीए पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी के परितंत्र का समेकित परिदृश्य प्रदान किया जिसमें इसके द्वारा वैश्विक निवेशकों और कार्पोरेट को दिए जा रहे कारोबारी अवसरों का उल्लेख किया गया।
	गिफ्ट सिटी : उदीयमान प्रतिभा फ्रन्टीयर	आईएफएससीए पदाधिकारियों ने आईआईटी, गांधीनगर में 17 अक्टूबर 2024 को आयोजित "गिफ्ट टैलेन्ट समिट" में संबोधित किया। पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में जीसीसी के लिए अवसरों का उल्लेख किया और गिफ्ट आईएफएससी में परिचालित कारोबारों के लिए दक्ष संसाधनों का एक समूह विकसित करने के लिए अकादमिया और उद्योग को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया।
नवम्बर 2024	20वीं सिंगापुर इन्टरनेशनल रीइन्व्योरेन्स कोन्फ्रेंस	आईएफएससीए पदाधिकारियों ने 20वीं सिंगापुर इन्टरनेशनल रीइन्व्योरेन्स कोन्फ्रेंस, 2024 में हिस्सा लिया, जिसमें 3300 से अधिक सहभागी आए जिनमें से लगभग 2000 विदेशों से थे। इस आयोजन में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के वैश्विक स्टेकधारक सम्मिलित हुए। आईएफएससीए पदाधिकारियों ने वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों और अन्य स्टेकधारकों के साथ कई बैठकों का आयोजन किया और गिफ्ट आईएफएससी में बीमा व्यवसाय का उल्लेख किया। उन्होंने प्रमुख विनियामक समर्थनो, कारोबारी प्रोत्साहनों और कारोबार करने की सहजता का उल्लेख किया ताकि गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित किया जाए।
दिसम्बर 2024	इंडिया बिजनेस फोरम 2024	आईएफएससीए के पदाधिकारी 17 दिसम्बर 2024 को गोवा में आलिनियल ग्लोबल द्वारा आयोजित आरंभिक इंडिया बिजनेस फोरम 2024 में शामिल हुए। आईएफएससीए पदाधिकारियों ने “अनलॉकिंग अपोर्चुनिटीज : दि स्ट्रेटेजिक पोटेन्शियल ओफ गिफ्ट सिटी”, शीर्षक सत्र के दौरान प्रमुख अभिभाषण दिया जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में सम्यक अवसरों के बारे में बताया गया। वैश्विक कारोबारों के लिए बीएटीएफ (बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन, ट्रेडिंग और वित्त) अवसरों पर विशेष फोकस रहा।
	आईओएससीओ संवृद्धि और उदीयमान बाजार — आईएसएसबी मानकों को स्वीकारने या अन्य प्रयोगों के लिए नेटवर्क	आईएफएससीए के पदाधिकारी 18 दिसम्बर 2024 को अंकारा, तुर्की में आईएफआरएस संधारणीयता प्रकटीकरण मानकों को अपनाने और प्रयोग का मदद करने वाले समर्पित नेटवर्क आरंभ करने के अवसर पर सम्मिलित हुए। इन्टरनेशनल सस्टेनिबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड से समर्थित इस प्रयास में 31 अधिकारक्षेत्रों के 32 आईओएससीओ सदस्य शामिल हैं। इस नेटवर्क का लक्ष्य है आईएफआरएस फाउन्डेशन की संधारणीयता रिपोर्टिंग मानकों को, विशेषकर उदीयमान बाजारों में, अपनाने को बढ़ावा दिया जाए।

तारीख	विवरण	टिप्पणी
दिसम्बर 2024	नेक्स्ट बिलियन फोरम	गिफ्ट सिटी में सुजुकी समूह द्वारा 23 दिसम्बर 2024 को आयोजित “नेक्स्ट बिलियन फोरम” में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। इस आयोजन में गिफ्ट आईएफएससी से नेक्स्ट भारत वेन्चर निधि ² को आरंभ किया गया और इसमें जापान के बड़े प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी और उद्योग के अग्रणियों ने हिस्सा लिया। आईएफएससीए पदाधिकारियों ने एक प्रस्तुति दी जिसमें गिफ्ट आईएफएससी में जापानी संस्थानों और निवेशकों के लिए विविध कारोबारी अवसरों का उल्लेख किया गया।
जनवरी 2025	इंडिया डिजिटल समिट 2025	आईएमएआई द्वारा 16 से 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 19वीं इंडिया डिजिटल समिट में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए और “दि गिफ्ट ऑफ अपोर्चुनिटी : दि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप जीसीसी इन आईएफएससीए” शीर्षक की वार्ता में वक्तव्य दिया। गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक क्षमता केन्द्रों (जीसीसी) की स्थापना के लाभों पर फोकस करते हुए उन्होंने वैश्विक संस्थानों के लिए रणनीतिगत लाभों और अवसरों का उल्लेख किया।
फरवरी 2025	आईसीएआई वर्ल्ड फोरम ऑफ एकाउन्टेन्ट्स, 2025	आईसीएआई द्वारा 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ एकाउन्टेन्ट्स, 2025 में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। इस आयोजन के दौरान आईएफएससीए पदाधिकारियों ने इनबाउंड और आउटबाउंड प्रवाहों पर फोकस करते हुए भारत में निवेश अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (गिफ्ट आईएफएससी) के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए उपलब्ध अवसरों का उल्लेख किया।
	स्मार्टटेक एशिया 2025	मुम्बई में 13 फरवरी 2025 को आयोजित स्मार्टटेक एशिया 2025 में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ इस आयोजन का शुभारंभ किया और गिफ्ट आईएफएससी में प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए उपलब्ध अवसरों और भूमिका के बारे में बताया।
मार्च 2025	8वीं आईजीपीसी – आईआईएमए वार्षिक गोल्ड एन्ड गोल्ड मार्केट कोन्फ्रेंस 2025	इंडिया गोल्ड पोलिसी सेन्टर ने आईआईएमए, अहमदाबाद के सहयोग से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 8वीं आईजीपीसी – आईआईएमए एनुअल गोल्ड एन्ड गोल्ड मार्केट कोन्फ्रेंस 2025 में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने “इंडिया@2047 – ट्रान्सफॉर्मिंग दि प्रीशियस मैटल्स लैन्डस्केप”, सत्र के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में स्वर्ण की रणनीतिगत भूमिका और पारदर्शिता, गुड डिलीवरी मानकों, और दायित्वपूर्ण सोर्सिंग बढ़ाने में गिफ्ट आईएफएससी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज(आईआईबीएक्स) के महत्त्व को बताया। उन्होंने एक्सचेंज सौदाकृत बुलियन के नियंत्रण और पारदर्शी कारोबारी पद्धति के विनियामक और अभिशासन पक्षों पर भी जोर दिया।
	ग्लोबल कोन्फ्रेंस ऑफ एक्चुअरीज 2025	मुम्बई में आयोजित ग्लोबल कोन्फ्रेंस ऑफ एक्चुअरीज 2025 के 24वें संस्करण में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी में बीमांकक व्यवसाय के विकास के लिए बढ़ते हुए अवसरों पर जोर दिया और आईएफएससी मंच के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों को सेवा देने के लिए भारत के मजबूत बीमांकक प्रतिभा पूल को अवलंबन की संभावनाओं का उल्लेख किया।

तारीख	विवरण	टिप्पणी
मार्च 2025	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के प्रतिनिधिमंडल का आईएफएससीए दौरा	आईएफएससीए ने आरआरयू के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की जिसमें 25 वरिष्ठ अधिकारी थे, जिनमें केन्या, नाइजीरिया, मालावी, जिम्बावे, सीयेरा लियोन, बुर्कीना फासो और मंगोलिया के पुलिस और संशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि भी थे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को आईएफएससीए के विनियामक परिरचना और गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय सेवा परितंत्र में अधुनातन विकास से अवगत कराया गया।
	एचएसबीसी ग्लोबल वैल्थ समिट 2025	एचएसबीसी द्वारा गिफ्ट सिटी में आयोजित ग्लोबल वैल्थ समिट 2025 में आईएफएससीए के पदाधिकारी शामिल हुए। समिट के दौरान पदाधिकारियों ने आईएफएससी में विनियमित प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध कारोबारी अवसरों की व्यापक शृंखला का उल्लेख किया और निवासी और अनिवासी ग्राहकों की प्रकट हो रही जरूरतों को समझने के महत्त्व को रेखांकित किया। विचारविमर्श में आस्ति प्रबंधन, बीमा और निवेश समाधानों को इस ग्राहक खंड के अनुकूल बनाने की उदीयमान प्रवृत्ति पर भी फोकस किया गया।

खंड – घ

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यकारी
और अर्ध-न्यायिक कार्य

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य

आईएफएससीए (प्राधिकरण) की स्थापना आईएफएससीए अधिनियम, 2019 ('अधिनियम') द्वारा भारत में आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में की गई है। इस प्राधिकरण को आईएफएससीए में परिचालित वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के संबंध में अधिशासी, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक कार्यों को निष्पादित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 12 आईएफएससीए को ऐसे सभी अधिकार प्रदान करती है जो आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं। इसी अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए यह प्राधिकरण किसी भी आईएफएससी में विशिष्ट वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थानों की शुरुआत करने अथवा अनुमति देने के बारे में केन्द्र सरकार को संस्तुतियां भी कर सकेगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 13 के तहत, इस प्राधिकरण को इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट 16 अधिनियमों के संबंध में घरेलू वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, यथा — भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) और पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को दी गई शक्तियों के तुल्य ही सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यदि इनका संबंध आईएफएससी में परिचालित वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से हैं।

इस प्राधिकरण ने आईएफएस केन्द्रों में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु अर्ध-विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई क्षेत्रों के बारे में विनियमों को अधिसूचित किया है। इस प्राधिकरण ने अपने विनियामक अधिदेश को बढ़ाते हुए निम्नलिखित विनियमों, प्रमुख अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों और परिपत्रों को जारी किया :

सारणी 34: विनियमों की सूची

क्रमांक	विनियम	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
1	आईएफएससीए/जीएन/2024/002 आईएफएससीए (भुगतान सेवाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2024	02/04/2024	इस विनियमावली में एस्करो सेवाओं की परिभाषा को संशोधित किया गया।
2	आईएफएससीए/जीएन/2024/003 आईएफएससीए (बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं) विनियमावली, 2024	04/06/2024	इस विनियमावली से आईएफएससी से बुक-कीपिंग, लेखांकन, कराधान और वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समेकित विनियामक व्यवस्था स्थापित की गई।
3	आईएफएससीए/जीएन/2024/005 आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली हेतु विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) विनियमावली, 2024	12/07/2024	इस विनियमावली में आईएफएससी के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली हेतु विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्यचालन को सक्षम किया गया। इस विनियमावली में निम्नलिखित का प्रावधान है : i. बीपीएसएस की ड्यूटी, शक्तियां और प्रकार्य। ii. बीपीएसएस की बैठकों में अपनाई जाने वाली पद्धति। iii. विशिष्ट परिस्थितियों में बीपीएसएस की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है। iv. उप-समितियों और सलाहकार समितियों का गठन करने हेतु बीपीएसएस की शक्तियां।
4	आईएफएससीए/जीएन/2024/006 आईएफएससीए (लिस्टिंग विनियमावली, 2024	20/08/2024	इस विनियमावली में प्रतिभूतियों और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की लिस्टिंग हेतु एकीकृत विनियामक व्यवस्था का प्रावधान है। इस विनियमावली का लक्ष्य है कि निवेशकों द्वारा निर्णय लेने हेतु अपेक्षित महत्वपूर्ण जानकारी के पूर्ण प्रकटीकरण को सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के हितों का संरक्षण किया जाए।
5	आईएफएससीए/जीएन/2024/009 आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियमावली, 2024	14/10/2024	इस विनियमावली में, अन्य बातों के साथ-साथ आईएफएससी में भुगतान प्रणाली आरंभ करने अथवा संचालित करने के लिए प्रणाली प्रदाता द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा इस विनियमावली में प्रणाली प्रदाता के लिए यह अधिदेश है कि भुगतान और बाजार अवसंरचना पर समिति (सीपीएमआई) और प्रतिभूति आयोग के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा जारी वित्तीय बाजार अवसंरचना हेतु सिद्धांतों (पीएफएमआई) का अनुपालन किया जाए।

क्रमांक	विनियम	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
6	आईएफएससीए/जीएन/2024/011 आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) (संशोधन) विनियमावली, 2024	29/10/2024	प्राथमिक रूप से इन संशोधनों का लक्ष्य अभिशासन के मानदंडों को प्रबल बनाना रहा है। इस विनियमावली में एमआईआई और उनके गवर्निंग बोर्ड, निदेशकों, समिति सदस्यों और महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के लिए अधिक समेकित आचार संहिता का प्रावधान है। अन्य प्रमुख संशोधनों में मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य विधिक अधिकारी और मुख्य आसूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति और अपने परिचालनों के विधिवत परिसमापन हेतु व्यवस्था तैयार करने के लिए मान्यताप्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अपेक्षाओं हेतु प्रावधान शामिल हैं।
7	आईएफएससीए/जीएन/2024/012 आईएफएससीए (फैक्टर्स का पंजीकरण और प्राप्तियों के समनुद्देशन का पंजीकरण) विनियमावली, 2024	18/11/2024	इस विनियमावली का प्रयोजन है कि फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 19 की उपधारा (1छ) के अधीन फैक्ट्रों की तरफ से किसी कारोबारी प्राप्तियों पर बढ़ा प्रणाली (टीआरडीएस) द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्री में संव्यवहारों के विवरण दर्ज करने और फैक्ट्रों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की पद्धति का प्रावधान किया जाए।
8	आईएफएससीए/जीएन/ 2025/001 आईएफएससीए (बुलियन मार्केट) विनियमावली, 2025	04/02/2025	इस विनियमावली ने आईएफएससीए (बुलियन विनियम) विनियमावली, 2020 को प्रतिस्थापित किया है। इस विनियमावली का दायरा अब व्यापक हो गया है क्योंकि इसमें न केवल बुलियन विनियम को शामिल किया गया है बल्कि बुलियन बाजार के अन्य सहभागियों को भी शामिल कर लिया गया है। अन्य प्रमुख घटकों में यह भी है कि 'ग्राहक' की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया है और 'गैर-स्वतंत्र निदेशक' पदबंध की परिभाषा को समाहित किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य विधिक अधिकारी और मुख्य आसूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को भी समाहित किया गया है और निरीक्षण, पूछताछ और प्रवर्तन विषयक एक अध्याय को शामिल किया गया है।
9	आईएफएससीए/जीएन/ 2025/002 आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2025	10/02/2025	इस विनियमावली ने आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2020 को प्रतिस्थापित किया है। इस विनियमावली में किए गए परिवर्तनों में से कुछ इस प्रकार हैं – i. आईएफएससी में लागत-प्रभावी तरीके से फीडर संवाहकों के सृजन और परिचालन में सुविधा हेतु निधियों की निधि को विनियमनकारी अपेक्षाओं से विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं। ii. यूएसडी 1 मिलियन का निवेश हासिल करने के बाद खुली स्कीमों को निवेश क्रियाकलाप आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

क्रमांक	विनियम	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
			iii. विनिर्दिष्ट संबंध रखने वाले 2 व्यक्तियों द्वारा. गैर-रिटेल स्कीमों में संयुक्त निवेशों का प्रावधान किया गया है। iv. केएमपी की नियुक्ति के लिए आईएफएससीए पूर्वानुमति लेने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। v. पीएमएस क्रियाकलापों को और भी आगे बढ़ाने के लिए और अन्य न्यायक्षेत्रों के प्रावधानों के अनुरूप ही न्यूनतम निवेश धनराशि को 150,000 अमरीकी डॉलर से घटाकर 75,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। vi. एफएमई को अपने-अपने परिचालनों के विश्वव्यापी विस्तार में सहायता देने के लिए यह अनुमति दी गई है कि वे अपने प्रस्तावों के विपणन के प्रयोजन से अन्य न्यायक्षेत्रों में शाखाएं अथवा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है।

सारणी 35: प्रमुख अधिसूचनाओं की सूची

क्रमांक	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का प्रयोजन
1	फेमा. 10आर (3)/2024-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024	19/04/2024	एडीआर, जीडीआर, ईसीबी अथवा भारत में निगमित कम्पनियों के इक्विटी शेयरों की विदेशी एक्सचेंजों में सीधी लिस्टिंग के माध्यम से निधियों की उगाही की अनुमति दी गई, इन निधियों के उपभोग की अपूर्णता या भारत का धन का प्रत्यावर्तन होने तक इन्हें भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते में रखा जाए।
2	फेमा. 395(2) /2024-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024	19/04/2024	भारत में निगमित कम्पनियों के इक्विटी शेयरों की अनुमति प्राप्त धारकों द्वारा खरीद या अभिदान को विदेशी एक्सचेंजों की स्कीम में करने के लिए विनियमों को आरंभ किया गया।
3	जी.एस.आर. 518ई) प्रतिभूति संविदा (विनियमावली) अधिनियम, 1956 से संबंधित	28/08/2024	प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 के नियम 19 और 19छ को संशोधित किया गया, जहां तक इनका संबंध क्रमशः किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने की इच्छुक आवेदक कम्पनी से और किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में मान्यताप्राप्त स्टोक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनी से है।

क्रमांक	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का प्रयोजन
4	आईएफएससीए/जीएन/2024/004 आईएफएससीए (बैंकिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024	04/07/2024	आईएफएससीए में लेनदेन के लिए अनुमत मुद्राओं की सूची में स्वीडिश क्रोने, नार्वेजियन क्रोने, न्यूजीलैन्ड डॉलर और डैनिश क्रोने को शामिल किया गया।
5	एस.ओ. 5241(ई)	05/12/2024	'किसी पेन्शन निधि द्वारा परिचालित स्कीमों' को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3(1)(ड्यू) के अधीन वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया गया।

सारणी 36 : प्रमुख परिपत्रों/दिशानिदेशों की सूची

क्रमांक	परिपत्र/दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
1	आईएफएससीए (वाल्ट प्रबंधक) परिपत्र, 2021 में संशोधन	01/04/2024	संशोधन — i. उल्लेख किया गया कि वाल्ट प्रबंधक द्वारा अतिरिक्त वाल्ट के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है। ii. निर्दिष्ट किया गया कि ऐसे पंजीकरण हेतु कोई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं ली जाएगी। iii. निर्दिष्ट किया गया कि बुलियन डिपोजिटरी में वाल्ट प्रबंधक द्वारा दी गई प्रतिभूति जमाराशि को उस समय तक रखा जाएगा जब तक कि वाल्ट प्रबंधक सभी वाल्टों के लिए सीओआर को समर्पित नहीं कर देता है।
2	आईएफएससीए में स्टोक एक्सचेंजों में दूरस्थ ट्रेडिंग सहभागी	03/04/2024	जिन विदेशी प्रतिष्ठानों की भौतिक उपस्थिति आईएफएससीए में नहीं है, उन प्रतिष्ठानों को बिना किसी ब्रोकर-डीलर के अपने मालिकाना आधार पर सीधे ही स्टोक एक्सचेंजों कारोबार करने की अनुमति दी गई। इस परिपत्र में ऐसे प्रतिष्ठानों को दूरस्थ कारोबारी सहभागी (आरटीपी) कहा गया है और वे शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं, जिन्हें कारोबार की अनुमति के प्रयोजन से आरटीपी को अवश्य पूरा करना होगा।
3	आईबीयू के ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग सेवा	22/04/2024	इस परिपत्र में आईएफएससीए की सभी बैंकिंग यूनिटों को निदेश दिया गया कि वे कम-से-कम निम्नलिखित इन्टरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें — i. सूचना सेवा ii. इन्टरएक्टिव सूचना विनियम सेवा iii. लेनदेन संबंधी सेवा
4	मूल बैंक के सिन्थेटिक प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम में सहभागिता की अनुमति	11/07/2024	इस परिपत्र में कतिपय सामान्य शर्तों के अधीन आईबीयू को अनुमति दी गई कि वे अपने मूल बैंक के सिन्थेटिक प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम में सहभागिता कर सकते हैं। इस प्रकार की सहभागिता के लिए प्रमुख शर्तों में से एक यह भी है कि आईबीयू के होम रेग्युलेटर ने बासेल-III व्यवस्था को अंगीकार किया हो और इसने अपने न्यायक्षेत्र में आने वाले बैंकों को ऐसे लेनदेन करने से निषिद्ध नहीं किया हो।

क्रमांक	परिपत्र/दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
5	आईएफएससी में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां	25/07/2024	इस परिपत्र में अनुमति दी गई कि आईएफएससी में रेटिंग सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक सेबी-पंजीकृत सीआरए समय-समय पर यथासंशोधित आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के अधीन दी गई अपेक्षाओं के अनुसार आईएफएससीए पंजीकरण आवेदन कर सकते हैं।
6	आईएफएससी में एसजीआरबीएस का कारोबार और निपटान	24/09/2024	भारत में हरित अवसंरचना हेतु संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा सार्वभौम हरित बॉन्ड (एसजीआरबीएस) जारी किए जाते रहे हैं। एसजीआरबीएस में विश्वव्यापी सहभागिता को और भी आगे बढ़ाने के लिए 'भारत में आईएफएससी में सार्वभौम हरित बॉन्ड के कारोबार और निपटान' हेतु एक स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरंभ की गई थी। इसके बाद बाजार के विभिन्न सहभागियों हेतु परिचालन दिशानिदेशों का विवरण देते हुए आईएफएससीए ने यह परिपत्र जारी किया। इसे अनिवासी निवेशकों को एसजीआरबीएस में निवेश और कारोबार के लिए सहज अभिगम सुविधा प्रदान करेगा जिससे भारत में वैश्विक जलवायु आधारित पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।
7	आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकरणों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी तथा इरडाई से पंजीकरण और अनुमोदन के साथ-साथ सिंगल विंडो आईटी सिस्टम	30/09/2024	इस परिपत्र में निदेश दिया गया कि 1 अक्टूबर 2024 से परिच्छेद 6 के तहत अपवाद के रूप में उल्लिखित को छोड़कर सभी सहभागी निम्नलिखित हेतु अपने आवेदनों को केवल एसडब्ल्यूआईटीएस के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, — i. आईएफएससीए से यथाप्रकरण अनुसार लाइसेंस, पंजीकरण या प्राधिकार पाने के लिए; ii. एसईजेड प्राधिकारियों से अनुमोदन और जीएसटीएन से पंजीकरण; और, iii. समुचित विनियामकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/अपेक्षित अनुमोदन। एसडब्ल्यूआईटी प्रणाली के कुछ प्रमुख फीचर निम्नानुसार हैं — i. सामान्य आवेदन फार्म ii. एसईजेड से अनुमोदन लेने के लिए एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम से एपीआई के माध्यम से एकीकरण। iii. अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने के लिए तीनों वित्तीय विनियामकों यथा — आरबीआई, सेबी और इरडाई के साथ इंटरफेस। iv. जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए v. पीएन, डीआईएन और सीआईएन का वास्तविक समयकाल में डाटा सत्यापन vi. एकीकृत भुगतान गेटवे vii. एकीकृत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) माड्यूल

क्रमांक	परिपत्र/दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
8	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए मास्टर परिपत्र	01/10/2024	इस परिपत्र ने आईएफएससी में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संबंध में सेबी द्वारा (1 अक्टूबर 2020 से पहले) जारी सभी परिपत्रों और दिशानिदेशों को निष्प्रभावी कर दिया और इसमें आईएफएससी द्वारा जारी निम्नलिखित तीन परिपत्रों को समेकित कर दिया गया – i. आईएफएससी में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ” – आईएफएससी में सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण; ii. “आईएफएस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 के तहत स्कीमों की आस्तियों का मूल्यांकन” जिसमें आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियमावली, 2022 के तहत स्कीमों की आस्तियों का मूल्यांकन करने का प्राधिकार इस प्राधिकरण में पंजीकृत सीआरए को दिया गया; iii. “ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं से संबंधित अतिरिक्त क्रियाकलापों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को समर्थ बनाना”, – इस परिपत्र में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार ईआरडीपीपी से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करने के लिए इस प्राधिकरण में पंजीकृत सीआरए को समर्थ बनाया गया।
9	आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टोक एक्सचेंजों में वाणिज्यिक पेपर और जमा प्रमाणपत्रों की लिस्टिंग	17/10/2024	इस परिपत्र में एकदक्ष और पारदर्शी तरीके से सीपी और सीडी को सूचीबद्ध करने के लिए निर्गमकर्ताओं को सुविधा देने के लिए नियामक अपेक्षाएं बताई गई हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि सोच-समझ कर निर्णय लेने के लिए निवेशक को पर्याप्त रूप से तथ्यपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सीपी और सीडी के निर्गमन हेतु शर्तों, पात्र निर्गमकर्ताओं, पात्र निवेशकों, प्रस्ताव प्रलेख में प्रकटीकरण, सतत प्रकटीकरण, आदि भी दिए गए हैं।
10	आईएफएससी में ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं हेतु व्यवस्था	30/10/2024	इस परिपत्र में आईएफएससी (पूँजी बाजार के मध्यस्थ) विनियमावली, 2021 के तहत मध्यस्थ के एक नए वर्ग के रूप में “ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाताओं” के लिए विनियामक व्यवस्था को विनिर्दिष्ट किया गया। वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों को सुनिर्धारित करने, आईओएससीओ रिपोर्ट और आईसीएमए द्वारा प्रकाशित आचार संहिता के अनुसरण में इन विनियामक मानदंडों को निर्धारित किया गया है।

क्रमांक	परिपत्र/दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
11	आईएफएससी में ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों में ग्रीनवाशिंग के जोखिम को समाप्त करने के सिद्धांत	21/11/2024	अन्य न्यायक्षेत्रों में प्रचलित परिपाटियों के अनुसार और पारदर्शिता, जिम्मेदारी और निवेशकों को प्रकटीकरण की पर्याप्तता को और भी आगे बढ़ाने के प्रयोजन से इस परिपत्र में निम्नलिखित सिद्धांतों को विशेष रूप से बताया गया है, जिनका अनुपालन आईएफएससी में ईएसजी लेबलकृत ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं को करना चाहिए — i. लेबल के प्रति सत्य रहना — भ्रामक लेबलों और शब्दावली से बचना। ii. स्क्रीन द ग्रीन — परियोजना चयन और अधिमूल्यन हेतु पद्धति में पारदर्शिता iii. वोक द टोक — अर्जनों के उपयोग का प्रबंधन और ट्रैकिंग। iv. समग्र प्रभाव — नकारात्मक बाह्य तत्वों की मात्रा का निर्धारण v. सचेत रहे — निगरानी और प्रकट करना
12	आईएफएससी में विनियंत्रित प्रतिष्ठानों द्वारा शिकायतों का निपटान और व्यथा का निवारण	02/12/2024	इस परिपत्र में आईएफएससी में आरई के लिए विस्तृत मानदंडों का प्रावधान करने के साथ-साथ शिकायतों के निपटान और व्यथा निवारण हेतु नीति बनाने, समयसीमा के पालन के साथ शिकायतों के निपटान हेतु पद्धति, अपील की पद्धति, आईएफएससी के समक्ष शिकायतें, रिकार्ड का रखरखाव, वेबसाइट पर प्रकटीकरण और वार्षिक रिपोर्ट, शिकायतों के निवारण हेतु ऑनलाइन सिस्टम की रिपोर्टिंग और अनुरक्षण।
13	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अनौपचारिक मार्गदर्शन) स्कीम, 2024	02/12/2024	इस स्कीम का लक्ष्य है कि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे संभावित कारोबारी क्रियाकलापों और लेनदेन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता और दिशानिदेश के लिए एक व्यवस्था प्रदान की जाए, जो आईएफएससी के विनियामक कार्यक्षेत्र और आईएफएससी द्वारा प्रशासित अधिनियमों से सामने आने वाले विधिक मुद्दों से संबंधित हों। अनौपचारिक मार्गदर्शन दो प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं — कार्रवाई रहित पत्र और विवेचनात्मक पत्र। पहले तरीके में प्रस्तावित संव्यवहार करने वाले लोगों को सहूलियत मिले क्योंकि इसमें दर्शाया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा अनुज्ञेय विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तावित कारोबारी संव्यवहारों से सहबद्ध प्राधिकारी को किसी प्रवर्तन कार्रवाई हेतु संस्तुति की जाएगी या नहीं। दूसरे तरीके में सुविज्ञ और अनुसरित निर्णय लेने के लिए अनुज्ञेय विधिक और विनियामक व्यवस्था के बारे में विवेचनात्मक स्पष्टता प्रदान की जाती है।

क्रमांक	परिपत्र/दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
14	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना और परिचालन पर दिशानिदेश	23/12/2024	आईएफएससीए (वित्तीय कम्पनी विनियमन), 2021 के तहत जारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना और परिचालन पर संशोधित दिशानिदेशों ने 9 जुलाई 2021 को जारी आईटीएफएस दिशानिदेशों को प्रतिस्थापित कर दिया। आईटीएफएस पर संशोधित दिशानिदेशों में प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं — i. पात्रता मानदंड ii. ओन टैप पंजीकरण प्रक्रिया iii. अनुज्ञेय क्रियाकलाप iv. पात्र सहभागी v. वित्तीयन संस्थानों के दायरे का विस्तार vi. व्यापारिक वित्त यूनिटों (टीएफयू) के लिए बोली लगाना vii. शिकायत निपटान और व्यथा निवारण viii. आउटसोर्सिंग
15	बुलियन एक्सचेन्ज के लिए चलनिधि परिवर्धन स्कीम	04/02/2025	आईएफएससीए ने आईएफएससी में बुलियन एक्सचेन्जों को एक अथवा अधिक चलनिधि परिवर्धन स्कीमों (एलईसी) को शुरू करने की अनुमति दी ताकि अंतरल पण्य डेरिवेटिव संविदाओं की चलनिधिशीलता को बढ़ाया जा सके।
16	आईएफएससी में विनियंत्रित प्रतिष्ठानों के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिस्कंदन पर दिशानिदेश	10/03/2025	इन दिशानिदेशों में आरई से आईएफएससीए की व्यापक प्रत्याशाओं का निर्धारण किया गया है। इन दिशानिदेशों का परिपालन निम्नलिखित पर विधिवत विचार करते हुए समानुपात के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा — i. परिचालनों का श्रेणी और जटिलता; ii. प्रतिष्ठान जिस क्रियाकलाप में संलग्न है उसकी प्रकृति; iii. वित्तीय परितंत्र के साथ आंतरिक सहबद्धता; और iv. प्रतिष्ठान के समक्ष आ सकने वाले साइबर जोखिम दिशानिदेशों के मुख्य घटकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है — i. अभिशासन; ii. साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिस्कंदन व्यवस्था iii. तृतीय पक्ष जोखिम प्रबंधन iv. सम्प्रेषण और जागरूकता v. ऑडिट

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

विवाद निवारण हेतु गिफ्ट आईएफएससी को एक केन्द्र के रूप में स्थापित और संवर्धित करने की दिशा में की गई कार्रवाई

विवाद निवारण हेतु एक केन्द्र के रूप में गिफ्ट-आईएफएससी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र के लिए संस्थागत मध्यस्थन नियमावली के प्रारूपण हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव

पृष्ठभूमि : यूनियन बजट 2022-23 में माननीय वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय न्यायक्षेत्र के अधीन विवादों के समय पर निपटान हेतु गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र की स्थापना के लिए घोषणा की थी।

गिफ्ट-आईएफएससी में आईएसी को स्थापित और परिचालित करने के प्रयोजन से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थन तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक प्रबल टीम का होना एक पूर्वापेक्षा है। तदनुसार आईएफएससीए ने 25 मई 2023 को “गिफ्ट-आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र (आईएसी) और इससे सहबद्ध मामलों के लिए संस्थागत मध्यस्थन नियमावली के प्रारूपण हेतु विशेषज्ञ समिति ” का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।



चित्र 44 : आईएसी हेतु संस्थागत विवाचकीय नियमों का प्रारूपण करने से संबंधित विशेषज्ञ समिति – अध्यक्ष, आईएफएससीए के समक्ष अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई 2024 को प्रस्तुत करते हुए

“गिफ्ट-आईएफएससी में वैकल्पिक विवाद समाधान और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र (आईएसी) का विकास” विषयक सम्मेलन का आयोजन

गिफ्ट-आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन और मध्यस्थन की एक पीठ के रूप में आगे बढ़ाने और आंतरिक तत्वों को हासिल करने और अवसरों तथा बजट घोषणा के परिपालन में आगामी पथ को समझने के प्रयोजन से आईएफएससीए ने गिफ्ट सिटी और जीएनएल्यू के सहयोग से 28 सितम्बर 2024 को गिफ्ट सिटी में “गिफ्ट-आईएफएससी में वैकल्पिक विवाद समाधान और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थन केन्द्र (आईएसी) का विकास ” विषय पर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जो गिफ्ट-आईएफएससी में विश्व स्तरीय एडीआर परितंत्र का विकास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को अंकित करता है।

इस सम्मेलन में पैनल परिचर्चाओं, नेटवर्किंग अवसरों का समावेश किया गया था और विशेषज्ञ समिति द्वारा एक विस्तृत और व्यापक सत्र में महत्वपूर्ण आंतरिक तत्त्वों और आईएसी सहित एक प्रबल एडीआर व्यवस्था स्थापित करने पर अपनी समेकित रिपोर्ट से संस्तुतियों के बारे में जानकारी दी गई। पैनल परिचर्चा के वक्ताओं में इस क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञ शामिल किए गए थे।



चित्र 45: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए; डॉ. एम. एस. साहू, पूर्व अध्यक्ष, आईबीबीआई; प्रो. (डॉ.) एस. शांताकुमार, निदेशक जीएनएलयू, और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति – गिफ्ट आईएफएससी में वैकल्पिक विवाद निवारण और अंतरराष्ट्रीय विवाचन केन्द्र (आईएसी) का विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन में

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का परिपालन

परिकल्पित कार्यक्रम : विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जुलाई 2024 में प्रस्तुत की गई। विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों और बजट घोषणाओं को आगे बढ़ाने में आईएफएससीए अपेक्षित विधिक समर्थन लेते हुए और अन्य नीतिगत परिवर्तनों को करते हुए इस समिति की संस्तुतियों का परिपालन करने को प्रतिबद्ध रहेगा और इस मामले को आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के समक्ष लाया जाएगा।

विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है –

- प्रमुख न्यायक्षेत्रों से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों – यथा – प्रौद्योगिकी का उपयोग, तृतीय पक्ष निधीयन, विदेशी अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व, आदि – का अनुसरण करना;
- एडीआरसी के लिए विनियामक संरचना जिसमें आईएफएससीए अधिनियम, 2019, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996, और मध्यस्थता अधिनियम, 2023, के तहत संशोधन प्रस्तावित हैं, ताकि सभी पार्टियों के लिए अभिशासी विधि की चयन-सुविधा दी जा सके, तृतीय पक्ष के निधीयन को मान्यता मिले, आईएफएससी में संस्थापित मध्यस्थन में अपीलों और आवेदनों की सुनवाई के लिए समर्पित पीठ आदि की सुविधा रहे;
- एडीआरसी के लिए संस्थागत व्यवस्था जिसमें समिति ने विधिक संरचना, प्रशासनिक अवसंरचना, एडीआरसी के लिए अभिशासी व्यवस्था आदि की संस्तुति की है; और
- आईएफएससी के लिए न्यायिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न चरणों में समर्पित न्यायालय संरचना रहे।

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के तहत संशोधन

भारत में आईएफएससीए के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था का सृजन और आईएफएससीए अधिनियम, 2019 में भावी परिवर्तनों के लिए डीईए ने 23 मई 2023 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया ताकि आईएफएससीए अधिनियम, 2019 में संशोधनों का प्रारूपण किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने आईएफएससीए अधिनियम और अन्य संगत अधिनियमों का परीक्षण किया और आईएफएससीए, सहायक सेवाओं, परिवर्ती पूंजीवाली कम्पनियों और नवअधिसूचित वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के लिए प्रत्यावर्तन शक्तियों, आदि के लिए विवाद समाधान व्यवस्था के साथ-साथ अन्य के लिए संशोधनों का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित संशोधनों का अनुपालन किया जा रहा है और आईएफएससीए द्वारा इनका अनुसरण हो रहा है।

आईएफएससीए (अनौपचारिक मार्गदर्शन) स्कीम, 2024 का परिपालन

आईएफएससीए ने 2 दिसम्बर 2024 को आईएफएससीए (अनौपचारिक मार्गदर्शन) स्कीम, 2024 जारी की है। इस स्कीम का लक्ष्य है अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे संभावित कारोबारी क्रियाकलापों और लेनदेन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता और दिशानिर्देश के लिए एक व्यवस्था प्रदान की जाए, जो आईएफएससीए के विनियामक कार्यक्षेत्र और आईएफएससीए द्वारा प्रशासित अधिनियमों से सामने आने वाले विधिक मुद्दों से संबंधित हों।

मार्गदर्शन दो माध्यमों से प्रदान किया जाता है —

- कार्रवाई रहित पत्र : यह विभाग द्वारा दिया जाता है ताकि प्रस्तावित संव्यवहार करने वाले लोगों को सहूलियत मिले क्योंकि इसमें दर्शाया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तावित कारोबारी संव्यवहारों से सहबद्ध अनुज्ञेय विधिक प्रावधानों के तहत प्राधिकरण को कोई प्रवर्तन कार्रवाई करने की संस्तुति की जाएगी या नहीं।
- विवेचनात्मक पत्र : इसका लक्ष्य होता है कि आवेदक द्वारा सुविज्ञ और अनुवर्ती निर्णय लेने के लिए अनुज्ञेय विधिक और विनियामक व्यवस्था पर विवेचनात्मक स्पष्टता प्रदान की जाए।

इस स्कीम के परिपालन की दिशा में आईएफएससीए के नोडल समन्वयन सेल तथा अन्य विभागों द्वारा आवेदकों को आवश्यक मार्गदर्शन सक्रिय रूप से प्रदान करने का समन्वय कर रहे हैं, ताकि आईएफएससीए में कारोबार करने में सहजता को बढ़ाया जा सके।

आईएफएससीए विनियमावली की समीक्षा

आईएफएससीए (विनियम बनाने हेतु पद्धति) विनियमावली, 2022 के विनियम 7 के अनुसार यह प्राधिकरण (आईएफएससीए) संबंधित विनियम के तहत निर्दिष्ट घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तीन वर्ष में प्रत्येक विनियमावली की समीक्षा करेगा। तदनुसार, जिन विनियमावलियों के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं उन संगत विनियमावलियों का समग्र रूप से परीक्षण किया जा रहा है। कुछ नए क्षेत्रों के संबंध में आईएफएससीए ने विगत में परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं आदि के रूप में विनियामक व्यवस्था जारी की है। इसे ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए पर्याप्त अनुभव हासिल करते हुए ऐसे परिपत्रों को विनियमों में संपरिवर्तित करने के लिए इनके मूल्यांकन का प्रयास किया जा रहा है।



खंड – ड

कार्यनिष्पादन आकलन

कार्यनिष्पादन आकलन

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 17(3) में आईएफएससीए के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की क्रियाविधि का प्रावधान किया गया है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 28(2)(डी) में आईएफएससीए को कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदनुसार 23 मार्च 2022 को आईएफएससीए (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति) विनियमावली, 2022 (पीआरसी विनियमावली) अधिसूचित की गई, जिसमें कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) के गठन, दायरे, आसूचना शेयरिंग और इसके कार्यचालन से संबंधित रिपोर्टिंग का प्रावधान किया गया है।

इस प्राधिकरण के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया, विशिष्ट रूप से इसलिए कि क्या इसने —

- क. इस अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते समय अथवा प्रकार्यों का निष्पादन करते समय अनुज्ञेय कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया;
 - ख. इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों ने पारदर्शिता और अभिशासन की सर्वोत्तम परिपाटियों को बढ़ावा दिया; और
 - ग. यह प्राधिकरण समुचित रूप से अपने कार्यचालन के लिए जोखिमों का प्रबंधन कर रहा है।
- इस प्राधिकरण के कार्यचालन की समीक्षा हेतु निम्नलिखित तीन समितियों का गठन किया गया —

अनुपालन विषयक समिति

इस समिति का दायरा यह समीक्षा करना है कि क्या इस अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करते समय अथवा प्रकार्यों का निष्पादन करते समय अनुज्ञेय कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया।

समिति के सदस्य

1. श्री बहराम वकील, स्वतंत्र विशेषज्ञ (समिति के अध्यक्ष)
2. भारतीय रिज़र्व बैंक से सदस्य (श्री आर. लक्ष्मी कांत राव, ईडी)
3. सेबी से सदस्य (श्री प्रमोद राव, ईडी)
4. श्री जे. रंगनायकुलु, स्वतंत्र विशेषज्ञ

समिति की प्रमुख संस्तुतियां

- i. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित सभी विनियम आईएफएससीए अधिनियम (आईएफएससीए अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त परिभाषाओं के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12, 13 और 28) में प्रदत्त दायरे, अधिदेश और शक्तियों के अनुरूप हैं।

- ii. आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित सभी विनियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए जैसा कि आईएफएससीए अधिनियम की धारा 29 के तहत विनिर्दिष्ट है। आईएफएससीए द्वारा प्रस्तुत किए गए विनियमों के बारे में अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।
- iii. आईएफएससीए ने विनियमों को जारी करने से पहले परामर्शी दृष्टिकोण को अपनाया और विनियमों को अंतिम रूप प्रदान करते समय स्टेकधारकों से प्राप्त अभिमतों और सुझावों पर विचार किया गया।
- iv. परामर्श आलेखों, जनता से प्राप्त अभिमतों और अधिसूचित विनियमावलियों को आईएफएससीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है जैसा कि आईएफएससीए (विनियमावली बनाने की प्रक्रिया) विनियमावली, 2021 में अपेक्षित है।
- v. आईएफएससीए द्वारा जारी किए गए परामर्श आलेखों में प्रस्तावित विनियमावली प्रारूप /संशोधनों के मूलपाठ को शामिल किया जाता है।
- vi. अनौपचारिक मार्गदर्शन के बारे में अभी हाल ही में आरंभ की गई योजना भी सही दिशा में एक कदम है क्योंकि यह प्रतिष्ठानों को सक्षम करेगा कि ऐसे विशिष्ट मुद्दों या परिदृश्यों को बता सकें जिनके बारे में विनियामक मार्गदर्शन अपेक्षित है, इससे स्पष्टता बढ़ेगी और पूर्वसक्रिय अनुपालन होगा।

जोखिम प्रबंधन विषयक समिति

इस समिति का कार्यक्षेत्र यह समीक्षा करना है कि क्या यह प्राधिकरण अपने कार्यचालन संबंधी जोखिमों का प्रबंधन उचित तरीके से कर रहा है।

समिति के सदस्य

1. इरडाई से सदस्य (श्री पी. के. अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य) (समिति के अध्यक्ष)
2. आर्थिक कार्य विभाग से सदस्य (सुश्री सुरभि जैन, संयुक्त सचिव)
3. श्री श्रीराम बालसुब्रह्मण्यम, स्वतंत्र विशेषज्ञ
4. श्री जी. श्रीनिवासन, स्वतंत्र विशेषज्ञ

समिति की प्रमुख संस्तुतियां

आईएफएससीए में जोखिम प्रबंधन व्यवस्था (ईआरएम व्यवस्था) तैयार की गई है जो प्राधिकरण के समक्ष उद्यम संबंधी जोखिमों पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है।

अभिशासन की पारदर्शिता और सर्वोत्तम परिपाटियां विषयक समिति

इस समिति का दायरा यह समीक्षा करना है कि क्या इस प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए विनियमों में अभिशासन की पारदर्शिता और सर्वोत्तम परिपाटियों को बढ़ावा मिलता है।

समिति के सदस्य

1. डॉ. एम. एस. साहू, स्वतंत्र विशेषज्ञ (समिति के अध्यक्ष)
2. वित्तीय सेवाएं विभाग से सदस्य (श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव)
3. पीएफआरडीए से सदस्य (श्री अनंत गोपाल दास, ईडी/ सुश्री ममता रोहित, ईडी)
4. श्री एम. वी. नायर, स्वाधीन विशेषज्ञ

समिति की प्रमुख संस्तुतियां

- i. आईएफएससीए ने एकीकृत एकल विन्डो आईटी-सक्षम (एडब्ल्यूआईटी) प्रणाली आरंभ की है ताकि आवेदकों द्वारा विभिन्न विनियमों के तहत आईएफएससीए में आवेदन किए जा सकें। आवेदन प्राप्त होने की तारीख, आवेदन की वर्तमान स्थिति, ट्रांसफर फाइल इतिवृत्त सहित, फाइल का परिचालन, आदि दर्शाने के लिए इस प्रणाली में एक पद्धति दी गई है। सिस्टम में आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर अंतिम निपटान कि यह स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत, के लिए प्रौद्योगिकी आधारित इन समाधानों से आवेदनों की प्रोसेसिंग में लगने वाले समय का उचित रिकार्ड रखने में सहायता मिलती है।
- ii. इसके अलावा यह भी अवलोकन किया गया कि आईएफएससीए ने अपनी वेबसाइट पर 'आवेदनों के निपटान हेतु समय-सीमा' शीर्षक से दिनांक 28 नवम्बर 2023 के परिपत्र का प्रकाशन करके विभिन्न आवेदनों हेतु निपटान की समय-सीमा को घोषित किया हुआ है। इससे भी लोगों का विश्वास संस्थापित प्रक्रियाओं में बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- iii. आईएफएससीए की वेबसाइट पर एफएक्यू और मार्गदर्शन टिप्पणियों को भी दिया जाता है, जिन्हें नियमित रूप से नवीनतम करने पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा पाया गया कि इनसे सामान्य हिस्सेदार की चिन्ताएं दूर होती हैं और विनियमों की सुस्पष्ट विवेचना मिल जाती है।
- iv. यह पाया गया है कि सभी बकाया आवेदनों की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि अवरोधों की शिनाख्त की जा सके, तात्कालिकता या प्रोसेसिंग के चरण के आधार पर मामलों को प्राथमिकता दी जाए और समयबद्ध कार्रवाई, आदि की जा सके। इसके अलावा जहां भी जरूरी हो आवेदकों से अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण पाने के लिए आवेदनों पर प्रतिप्रश्न किए जाते हैं।
- v. आईएफएससीए द्वारा किए गए सार्वजनिक प्रकटीकरण उपाय प्रशंसनीय हैं, इन उपायों में विभिन्न विनियमों पर लोक परामर्श के तहत प्राप्त अभिमतों, वार्षिक रिपोर्टों और तिमाही बुलेटिन रिपोर्टों का प्रकाशन शामिल है।

समितियों की सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

खंड – च

निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

सारणी 37: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निधियों के स्रोत

निधियों के स्रोत – प्राप्तियां धनराशि	धनराशि (भारतीय रुपये लाख में)
वार्षिक शुल्क	3820.17
लिस्टिंग शुल्क	3.41
पंजीकरण शुल्क ⁷⁴	2372.36
नवीकरण शुल्क	7.14
आवेदन शुल्क	721.13
अन्य शुल्क	2295.24
ब्रोकर टर्नओवर फीस – पूंजी बाजार	2070.24
टर्नओवर फीस – बीमा	21.44
अन्य विविध आय (विलम्ब शुल्क, विलम्ब शुल्क पर ब्याज, घटना आधारित शुल्क, आदि)	203.55
ए) शुल्क / अभिदान – (उप – योग)	9219.44
बी) सरकारी अनुदान ⁷⁵	4238.99
वेतन के लिए सहायता अनुदान	3198.00
सामान्य सहायता अनुदान	1040.99
सी) ब्याज से आय	976.89
डी) अन्य विविध आय	371.52
निधियों के स्रोत का योग (ए+बी+सी+डी)	14806.84

सारणी 38: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र

व्यय के प्रमुख क्षेत्र	धनराशि (भारतीय रुपये लाख में)
स्थापना व्यय	4490.34
प्रशासनिक व्यय	2081.55
अन्य व्यय	105.76
व्यय – कुल	6677.65

⁷⁴ पंजीकरण शुल्कन में समान प्रकृति/प्रकार के शुल्क शामिल हैं – जैसे लाइसेन्स/मान्यता/ प्राधिकृतकरण / क्रियाकलाप आधारित शुल्क।

⁷⁵ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त कुल सहायता अनुदान रहा वेतन (रु 31.98 करोड़) + सामान्य (रु 16.51 करोड़) = रु 48.49 करोड़ रहे। हालांकि, विगत वर्ष के अप्रयुक्त अनुदान की रु 6.10 करोड़ की रकम सरकारी को लौटा दी गई और इसलिए निवल सहायता अनुदान = रु 42.39 करोड़ रहा।

खंड – ज

संस्थागत मामले

संस्थागत मामले

सारणी 39: 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार प्राधिकरण की संरचना

विभाग	प्रभाग
बैंकिंग पर्यवेक्षण	बैंकिंग पर्यवेक्षण वित्त कम्पनी पर्यवेक्षण भुगतान सेवाएं (पीएस) और भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) प्रभाग
बैंकिंग	वित्त कम्पनी विनियमन भुगतान और निपटान बैंकिंग विनियमावली
पूंजी बाजार	कार्पोरेट वित्त संधारणीय वित्त बाजार अवसंरचना संस्थान — विनियमन और पर्यवेक्षण निवेश फंड — I और नए उत्पाद और सेवाएं निवेश फंड — II मध्यस्थों का पर्यवेक्षण
बीमा और पेन्शन	बीमा पेन्शन वैश्विक इन-हाउस केन्द्र और आनुषंगिक सेवाएं
धातुएं और पण्य	बाजार विकास बाजार विनियमन
विकास	वित्तीय बाजारों का विकास विदेशी विश्वविद्यालय आर्थिक नीति और विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय कार्य आउटरीच और सम्प्रेषण कारोबार करने में सहजता कक्ष
सामान्य प्रशासन	प्रशासन और एचआर ट्रेजरी वित्त और लेखे राजभाषा परियोजना प्रबंधन यूनिट (अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, सम्मलेन और शीर्ष बैठकें)
प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी फिनटेक
नीति और विधिक कार्य	विधिक नीति विधिक कार्य निवेशक शिक्षण और संरक्षण एसईजेड
विनियामक नीति और विनियामक कार्य	विनियामक समन्वय जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कक्ष प्रवर्तन प्रभाग धनशोधन-रोधी और सीएफटी साइबर सुरक्षा

प्राधिकरण की बैठकें

सारणी 40 : आईएफएससीए प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयोजित बैठकें

क्रमांक	बैठक	तारीख
1	19वीं प्राधिकरण बैठक	30 मई 2024
2	20वीं प्राधिकरण बैठक	27 जून 2024
3	21वीं प्राधिकरण बैठक	27 सितम्बर 2024
4	22वीं प्राधिकरण बैठक	19 दिसम्बर 2024
5	23वीं प्राधिकरण बैठक	26 मार्च 2025

मानव संसाधन

सारणी 41: आईएफएससीए के कर्मचारियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या

पदनाम	31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार स्वीकृत संख्या	31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार वास्तविक संख्या
कार्यपालक निदेशक	6	4
मुख्य महाप्रबंधक	12	4
महाप्रबंधक	16	13
उप महाप्रबंधक	20	6
सहायक महाप्रबंधक	27	5
प्रबंधक	35	16
सहायक प्रबंधक	52	44
कार्यपालक सहायक/ वरिष्ठ कार्यपालक सहायक/ कार्यपालक पर्यवेक्षक	27	0
बहु-कार्यकारी स्टाफ ग्रेड-ए/ ग्रेड-बी/ ग्रेड-सी ⁷⁶	13	3
कुल	208	95

⁷⁶ इन आवश्यकताओं को आंशिक रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है।

सारणी 42: आईएफएससीए में 31 मार्च 2025 की यथास्थिति अनुसार परामर्शदाता

क्रमांक	पदनाम	संख्या	टिप्पणी
1	वरिष्ठ परामर्शदाता	3	पूर्णकालिक आधार पर
2	परामर्शदाता ग्रेड-1/ग्रेड-2	6	पूर्णकालिक आधार पर
3	युवा व्यवसायी	15	पूर्णकालिक आधार पर
4	सलाहकार	1	पार्ट-टाइम आधार पर

सूचना का अधिकार

सारणी 43: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति

प्राप्त अनुरोध	की जाने वाले आरंभिक कार्रवाई	उत्तर दिए गए आरटीआई अनुरोधों की कुल संख्या					बकाया अनुरोध
		प्रदत्त सूचना	अस्वीकृत	अन्य लोक प्राधिकरणों को अंतरित	आवेदक को लौटाए गए		
207	0	195	3	3	0		6

समारोह और क्रियाकलाप

चिन्तन शिविर 2025

आईएफएससीए चिन्तन शिविर 2025 का समापन एआई और सुपटेक से लेकर नए विनियमों तक को शामिल करते हुए विभिन्न विषयों पर विशद परिचर्चाओं के साथ हुआ। शिविर के दौरान विचारों और अनुभव के विनिमय ने राष्ट्रीय प्रगति में आईएफएससीए अधिकारियों के सामूहिक समर्पण को मजबूत किया।



चित्र 46: चिन्तन शिविर 2025 में आईएफएससीए अधिकारी

5वें आईएफएससीए स्थापना दिवस का आयोजन

आईएफएससीए के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए, और चुनौतियों से पार पाने के लिए संकेन्द्रित और एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देते हुए उपलब्धियों को दर्शाया गया।

श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने आईएफएससीए के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्ठादन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने समर्पण, सहनीयता, नवाचार और टीम भावना को मान्यता दी, जो हमारे मिशन को आगे बढ़ाते हैं, नए मानक स्थापित करते हैं और एक साथ मिलकर उज्ज्वल भविष्य को आकार देते हैं।



चित्र 47: श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए – आईएफएससीए अधिकारियों द्वारा विभिन्न थीम पर उत्कृष्ट कार्यनिष्ठादन हेतु सम्मानित करते हुए

स्वच्छता ही सेवा – 2024 अभियान

आईएफएससीए पदाधिकारियों द्वारा पीडीईयू पुल, गांधीनगर में 'स्वच्छता ही सेवा 2024' के संबंध में स्वच्छता दिवस मनाते हुए एक स्वच्छता अभियान चलाया गया।



चित्र 48: आईएफएससीए पदाधिकारी सफाई अभियान में 'स्वच्छता ही सेवा 2024' मनाते हुए

आईएफएससीए के पदाधिकारियों ने श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में गिफ्ट आईएफएससी में पौधरोपण अभियान में – इसका आयोजन स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2024 के एक भाग के रूप में किया गया।



चित्र 49: आईएफएससीए पदाधिकारी गिफ्ट सिटी में वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेते हुए

17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2024 के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा 2024' अभियान को आरंभ करते हुए श्री के. राजारामन, अध्यक्ष, आईएफएससीए ने अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाई।



चित्र 50: अध्यक्ष, आईएफएससीए — आईएफएससीए पदाधिकारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाते हुए।

'स्वच्छता ही सेवा 2024' अभियान के एक भाग के रूप में डॉ. दीपेश शाह, ईडी, आईएफएससीए ने अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को 'एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक से बनी वस्तुओं' नहीं कहने के लिए शपथ दिलाई।



चित्र 51: आईएफएससीए पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में स्वच्छता जागरूकता वोकेशन में

‘स्वच्छता ही सेवा 2024’ अभियान के एक भाग के रूप में आईएफएससीए पदाधिकारियों ने गिफ्ट आईएफएससी में स्वच्छता जागरूकता वॉकेथोन में हिस्सा लिया।



चित्र 52: एकल प्रयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को ‘नहीं’ कहें – आईएफएससीए के पदाधिकारी शपथ लेते हुए

‘स्वच्छता ही सेवा 2024’ अभियान के दौरान आईएफएससीए के सफाई मित्रों / सम्मार्जक कार्मिकों के लिए बचावकारी स्वास्थ्य जांच कराई गई



चित्र 53: आईएफएससीए में सफाई मित्रों / सम्मार्जक कार्मिकों की बचावकारी स्वास्थ्य जांच

आईएफएससीए द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन

आईएफएससीए ने गांधीनगर में गिफ्ट आईएफएससी में भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह समारोह झंडा-रोहण के साथ आरंभ हुआ और इसके बाद आईएफएससीए के अध्यक्ष ने एक प्रेरक संभाषण दिया, जिसमें भारत की भावी अभिलाषाओं का उल्लेख किया गया।



चित्र 54: आईएफएससीए के पदाधिकारी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए।

हिन्दी पखवाड़ा 2024

आईएफएससीए ने 14 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया। इसके एक भाग के रूप में हिन्दी प्रारूपण और हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सहभागियों और विजेताओं को सहभागिता प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिए गए।



चित्र 55: आईएफएससीए पदाधिकारी आईएफएससीए द्वारा आयोजित हिन्दी पखवाड़ा 2024 में भाग लेते हुए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024

आईएफएससीए ने उत्साहपूर्वक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। कर्मचारियों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन किया और अध्यक्ष श्री के. राजारामन ने यह उल्लेख किया कि योग इस मानवीय मशीन के लिए एक नियम है और सभी को प्रोत्साहित किया कि समग्र रूप से स्वस्थ जीवन के लिए योग तो जीवन के लिए एक विधि है।



चित्र 56: आईएफएससीए के पदाधिकारी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाते हुए।

सतर्कता प्रशासन

आईएफएससीए का सतर्कता कक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र प्रभार में है। इस कक्ष का मुख्य कार्य निवारक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी उपाय करने के साथ-साथ सतर्कता दृष्टिकोण (केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यथा परिभाषित) से आईएफएससीए के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतों/आरोपों की जांच करना। यह कक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग (आयोग) द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों का परिपालन भी करता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का आयोजन

28 अक्टूबर 2024 से 3 नवम्बर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में आईएफएससीए के अधिकारियों ने सतर्कता शपथ ली और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के प्रति अपनी वचनबद्धता की परिपुष्टि की। इसके अलावा 4 नवम्बर 2024 को 'निवारक सतर्कता' विषय पर एक सत्र का आयोजन किया गया जिसके लिए सचिवालयीन प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से संकाय सहायता ली गई।

पोश समिति की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष (2024-25)

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (पोश) के लिए एक आंतरिक समिति (आईसी) का गठन किया गया है। निरापद, समावेशी और सभ्य कार्य परिवेश के प्रति इस संगठन की प्रतिबद्धता को बनाए रखने में यह समिति एक प्रमुख भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस समिति ने कार्यक्रम के अनुसार अपनी तिमाही बैठकों का आयोजन किया जिसमें बाहरी सदस्यों सहित सभी सदस्यों ने सहभागिता की। इन बैठकों का फोकस निवारक व्यवस्था को मजबूत बनाने और पूरे संगठन में जागरूकता को बढ़ावा देने पर रहा।

संवेदनशील बनाने के एक भाग के रूप में सभी नए कर्मचारियों को पोश नीति की जानकारी दी गई। नियमित जागरूकता प्रयासों के माध्यम से सभी स्टाफ सदस्यों को उनके अधिकारों, दायित्वों और उपलब्ध निवारक व्यवस्था के बारे में बताया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यह समिति मर्यादा, समानता और लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता पर आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही।



खंड – अ

लेखापरीक्षा समितियां

लेखापरीक्षा समितिया

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरणों का प्रपत्र) नियमावली, 2022 के अनुसार आईएफएससीए लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं —

1. श्री पंकज शर्मा , सदस्य , आईएफएससीए (अध्यक्ष);
2. श्री प्रमोद राव, सदस्य , आईएफएससीए (सदस्य); और
3. श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यपालक निदेशक, आईएफएससीए (सदस्य)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईएफएससीए की वित्तीय विवरणियों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष 19 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा समिति ने इसे प्रमाणित किया।

डाटा परिशिष्ट

डाटा परिशिष्ट

आईएफएससीए द्वारा प्राधिकृतकरण

परिशिष्ट सारणी 1: एसईजेड एलओएस के आधार पर आईएफएससीए द्वारा जारी लाइसेन्स/पंजीकरण⁷⁷

खंड	श्रेणी	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
बैंकिंग	आईएफएससी बैंकिंग यूनिट	29
	वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय	2
भुगतान सेवाएं	भुगतान सेवा प्रतिष्ठान	5
वित्त कम्पनियां	वायुयान लीजिंग प्रतिष्ठान	32
	जलयान लीजिंग प्रतिष्ठान	24
	वित्त कम्पनी — कोर/नोन-कोर — आरटीसी सहित	13
	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तीयन सेवा प्लेटफॉर्म (आईटीएफएस)	4
पूंजी बाजार	एमआईआई	5
	ब्रोकर डीलर	83
	क्लीयरिंग सदस्य	23
	डिपोजिटरी सहभागी	10
	पंजीकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स	14
	निवेश सलाहकार	3
	अभिरक्षण	5
	डिबेन्चर ट्रस्टी	4
	क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियां	1
	निवेश बैंकर	4
	ईएसजी रेटिंग और डाटा उत्पाद प्रदाता	0
	फंड प्रबंधन प्रतिष्ठान	162
	एआईएफ/स्कीम	229
बीमा	बीमा / पुनर्बीमा प्रतिष्ठान (आईआईओ)	18
	बीमा मध्यस्थ (आईआईआईओ)	27
आनुषंगिक सेवाएं	बीएटीएफ प्रतिष्ठान	3
	आनुषंगिक सेवा प्रदाता	88

⁷⁷ सैद्धांतिक सैद्धांतिक / अनंतिम अनुमोदन शामिल हैं

खंड	श्रेणी	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
बुलियन मार्केट	एमआईआई	1
	बुलियन मध्यस्थ	20
	वाल्ड	4
फिनटेक/टेकफिन	डायरेक्ट अथोराइजेशन	18
	सैन्डबॉक्स	27
जीआईसी	जीआईसी (बड़े)	1
	जीआईसी (मध्यम-आकार)	2
विदेशी विश्वविद्यालय	अंतरराष्ट्रीय शाखा कैम्पस	3
	कुल	864

बैंकिंग

परिशिष्ट सारणी 2: आईबीयू की आस्तियां

समाप्त माह	मार्च 2024	मार्च 2025
विवरण	मिलियन यूएसडी	
निवेश	2847.62	5390.11
सार्वभौमिक प्रतिभूतियां	1200.26	2823.16
कोर्पोरेट बॉन्ड	1597.81	1981.11
अन्य निवेश	49.55	585.84
व्यापार वित्त	12715.54	13203.20
वाणिज्यिक ऋण	25886.80	45543.29
बाहरी वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी)	12787.54	27497.41
ईसीबी के अलावा अन्य वाणिज्यिक ऋण	13099.26	18045.88
रिटेल ऋण	82.61	97.81
अन्य ऋण	734.48	752.73
अंतरबैंक/अंतरशाखा प्लेसमेन्ट	14911.60	19290.62
अन्य	3069.50	4232.63
कुल	60248.15	88510.39

परिशिष्ट सारणी 3 : आईबीयू की देयताएं

समाप्त माह	मार्च 2024	मार्च 2025
विवरण	मिलियन यूएसडी	
ग्राहकों की जमाराशियां	4362.08	7307.10
अन्तरबैंक/अन्तरशाखा उधारियां	41949.84	62866.71
द्विपक्षीय उधारियां	6312.35	7889.78
बहुपक्षीय उधारियां	266.96	500.58
एमटीएन उधारियां और अन्य ऋण लिखतें	1911.92	2880.12
अन्य	5445.00	7066.10
कुल	60248.15	88510.39

परिशिष्ट सारणी 4 : ग्राहकों की जमाराशियां (मिलियन यूएसडी में)

समाप्त माह	मार्च 2024		मार्च 2025	
जमाराशियां	मांग	समयबद्ध	मांग	समयबद्ध
रिटेल जमाराशियां	301.14	362.66	939.10	341.32
कार्पोरेट जमाराशियां	556.72	3141.56	746.30	5280.38
कुल	857.86	3504.22	1685.4	5621.7

परिशिष्ट सारणी 5 : ग्राहकों की जमाराशियां

समाप्त माह	श्रेणी (धनराशि मिलियन यूएसडी में)		निवासी भारतीयों द्वारा धारित खाते	अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा धारित खाते	अनिवासियों (अन्य देशों के) द्वारा धारित खाते
मार्च 2025	रिटेल	खातों की संख्या	116	7523	989
		धनराशि	6.66	1150.18	123.58
	कार्पोरेट	खातों की संख्या	2474	562.03	2113
		धनराशि	1635.77	1588.36	2802.55

परिशिष्ट सारणी 6 : आईबीयू की ओडीआई बकाया (मिलियन यूएसडी)

समाप्त माह	मार्च 2024	मार्च 2025
कुल ओडीआई धनराशि	310.29	1184.68

परिशिष्ट सारणी 7 : आईबीयू के उद्योग अनुसार ऋण जोखिम

मार्च 2024		मार्च 2025	
देश का नाम	कुल जोखिम की प्रतिशतता	देश का नाम	कुल जोखिम की प्रतिशतता
भारत	74.63	भारत	74.47
संयुक्त राज्य अमरीका	4.76	यूएसए	5.94
मोरीशस	3.72	यूएई	4.22
यूनाइटेड किंगडम	3.69	यूके	3.36
संयुक्त अरब अमीरात	2.95	मोरीशस	2.94
नीदरलैन्ड	2.65	सिंगापुर	2.56
सिंगापुर	2.60	नीदरलैन्ड	1.70
बहरीन	1.04	बहरीन	0.69
हांगकांग	0.98	हांगकांग	0.48
जर्मनी	0.38	सउदी अरब	0.37
अन्य	2.61	अन्य	3.27

परिशिष्ट सारणी 8 : आईबीयू के उद्योग अनुसार ऋण जोखिम

समाप्त माह		मार्च 2024	मार्च 2025
क्षेत्र	उद्योग	बकाया धनराशि (मिलियन यूएसडी)	
	ऑटो कलपुर्जे	285.34	165.59
	ऑटोमोबाइल	701.91	462.60
	पूँजीगत माल	220.42	400.63
	सीमेन्ट और सीमेन्ट उत्पाद	46.52	1178.55
	इलेक्ट्रिक सिस्टम	404.55	793.22
	खाद्य प्रोसेसिंग	367.81	791.60
	ग्लास और ग्लासवेयर	6.77	25.23
	लोहा और स्टील	282.55	1020.98
	लैमिनेट्स /प्लाइवुड/बोर्ड	4.70	14.01
	चर्म और चर्म उत्पाद	2.52	1.61
	मेडिकल और मेडिकल उपस्कर	255.11	224.37
	धातुएं	2053.99	2037.58

समाप्त माह		मार्च 2024	मार्च 2025
क्षेत्र	उद्योग	बकाया धनराशि (मिलियन यूएसडी)	
	पेपर और पैकेजिंग	58.09	57.23
	पेट्रोकेमिकल्स	3934.14	5365.29
	प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद	50.95	188.92
	वस्त्र और परिधान	63.09	290.34
	वाहन, वाहनों के कलपुर्जे और परिवहन उपस्कर	19.64	297.07
सेवाएं	बैंकिंग और वित्त	17882.08	16129.13
	क्लीयरिंग कोर्पोरेशन	243.72	241.62
	शिक्षा	184.97	159.07
	वित्तीय सेवाएं	39.57	3952.94
	हेल्थकेयर	31.47	84.95
	आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग	487.96	427.23
	लोजिस्टिक	37.14	109.64
	एनबीएफसी	955.34	12596.69
	व्यावसायिक सेवाएं	22.09	84.81
	रिटेल और ई-कोमर्स	228.25	404.76
	दूरसंचार	1022.03	1950.83
	पर्यटन और आतिथ्य	164.43	257.59
	व्यापार / डिस्ट्रीब्यूटर	10.60	468.42
अवसंरचना	निर्माण	767.73	76.81
	खनन	88.40	464.00
	तेल और गैस	1562.15	2498.29
	पत्तन और शिपिंग	1265.42	932.91
	पोवर क्षेत्र	1274.24	2235.37
	नवीकरणीय ऊर्जा	230.24	642.35
	सड़क और महामार्ग	22.80	16.76
कृषि और वानिकी		107.19	425.87
विमानन		384.49	318.31
रसायन		1469.54	1642.86
आभूषण		303.49	414.78
रंग-रोगन		1.25	0.00
फार्मास्युटिकल		950.35	703.35
अन्य क्षेत्र		3174.60	3850.67
	कुल	41669.64	64404.85

पूंजी बाजार

परिशिष्ट सारणी 9 : आईएफएससी स्टोक एक्सचेंजों का टर्नओवर (सौदाकृत मूल्यमान मिलियन यूएसडी)

माह	मार्च 2024		मार्च 2025	
विवरण	संविदाओं की संख्या	सौदाकृत मूल्यमान	संविदाओं की संख्या	सौदाकृत मूल्यमान
इंडेक्स वायदा	1791490	78824.67	2046316	95247.68
आप्शन इंडेक्स	119736	6.74	83883	55.18
यूएस स्टॉक्स में डिपोजिटरी रसीदें	4,888	0.02	121573	0.57
कुल	1916114	78831.43	2251772	95303.43

परिशिष्ट सारणी 10 : सकल ओपन इंट्रेस्ट – आईएफएससी स्टोक एक्सचेंजों में सभी डेरिवेटिव संविदाएं

माह के अंतिम कारोबारी दिन की यथास्थिति	ओपन इंट्रेस्ट (संविदाओं की संख्या)	मूल्यमान (मिलियन यूएसडी)
मार्च 2024	246888	11091.39
मार्च 2025	256266	12004.55

परिशिष्ट सारणी 11: इंडिया आईएनएक्स वैश्विक अभिगम

विवरण	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
खातों की कुल संख्या	3856	4468

परिशिष्ट सारणी 12 : इंडिया आईएनएक्स वैश्विक अभिगम के माध्यम से वैश्विक एक्सचेंजों में कारोबार (सौदाकृत मूल्यमान : मिलियन यूएसडी)

प्रतिष्ठान का प्रकार	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2025 तक
एलआरएस (निवासी)	इक्विटी, ईटीएफ, फंड, बॉन्ड, और अन्य उत्पाद	12.12	25.29
आईएफएससी प्रतिष्ठान	इक्विटी, ईटीएफ, फंड, और अन्य उत्पाद डेरिवेटिव उत्पाद	467.34 28,499.95	597.91 34,859.46
आईएफएससी से बाहर के अनिवासी	इक्विटी, ईटीएफ, फंड, और अन्य उत्पाद डेरिवेटिव उत्पाद	11.50 172.83	58.33 183.17
कुल		29163.74	35,724.16

परिशिष्ट सारणी 13 : डिपोजिटरी में डीमैट खातों की संख्या

विवरण	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
खातों की कुल संख्या	212	65,227

परिशिष्ट सारणी 14 : क्लीयरिंग कोर्पोरेशन द्वारा निपटान

क्लीयरिंग कोर्पोरेशन का नाम	माह	औसतन दैनिक निपटान ⁷⁸ का मूल्यमान (यूएसडी)	उच्चतम निपटान मूल्यमान ⁷⁹ - माह के लिए (यूएसडी)
इंडिया इन्टरनेशनल क्लीयरिंग कोर्पोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड	मार्च 2024	डेरिवेटिव : 8135.08	डेरिवेटिव : 60,786.80
	मार्च 2025	डेरिवेटिव : 26,437.43	डेरिवेटिव : 100,872.00
एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड ⁸⁰	मार्च 2024	डेरिवेटिव : 281,528.60 नकद: 0.13	डेरिवेटिव : 866,107.00 नकद: 1.00
	मार्च 2025	डेरिवेटिव : 681,690.12 नकद: 10,832.80	डेरिवेटिव : 1,727,268 नकद: 22,932.93

फन्ड प्रबंधन

परिशिष्ट सारणी 15 : गिफ्ट आईएफएससी में फन्ड प्रबंधन स्कीमों द्वारा निवेश

स्कीम का प्रकार	पंजीकृत स्कीमों की संख्या	मिलियन यूएसडी में					
		31 मार्च 2024 की यथास्थिति			31 मार्च 2024 की यथास्थिति		
		(क) भारत में निवेश	(ख) विदेशी अधिकारक्षेत्रों में निवेश	कुल निवेश (क+ख) ⁸¹	(क) भारत में निवेश	(ख) विदेशी अधिकारक्षेत्रों में निवेश	कुल निवेश (क+ख) ⁸²
उद्यम पूंजी स्कीम (एन्जेल स्कीमों सहित)	16	12.94	6.77	19.71	27.53	10.28	37.81
श्रेणी I और II एआईएफ	78	2,345.41	122.37	2,467.78	3608.85	661.13	4269.99
श्रेणी III एआईएफ	135	1,196.16	12.36	1,208.52	2084.85	170.41	2255.26
कुल	229	3,554.51	141.50	3,696.01	5721.24	841.82	6563.06

⁷⁸ औसत दैनिक निपटान मूल्यमान = माह के लिए कुल निपटान मूल्यमान/ कारोबारी दिवसों की कुल संख्या।

⁷⁹ माह के लिए उच्चतम निपटान का मूल्यमान = एक माह में एक निपटान में उच्चतम भुगतान की रकम

⁸⁰ नकदी मूल्यमान का संदर्भ यूएस स्टोक्स में डिपोजिटरी रसीदों में निपटान आंकड़ों से है।

⁸¹ इसमें डेरिवेटिव संविदाओं, नकदी समतुल्यों, आदि के प्रति जोखिम को शामिल नहीं किया गया। निधियों की निधि (फन्ड ऑफ फन्ड) प्रकार की स्कीमों के मामले में मास्टर फन्ड द्वारा अनुरक्षित नकदी और किए गए व्यय को भी शामिल नहीं किया गया है।

⁸² वही

परिशिष्ट सारणी 16 : आईएफएससी फंड में निवेशकों की संख्या

स्कीम का प्रकार	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
उद्यम पूंजी स्कीम (एन्जेल स्कीमों सहित)	469
श्रेणी I और II एआईएफ	1025
श्रेणी III एआईएफ	1508
कुल	3002

नोट : इन स्कीमों में 50 से अधिक अधिकारक्षेत्रों के निवेशकों ने योगदान किया है।

परिशिष्ट सारणी 17 : फंड प्रबंधन क्रियकलापों की प्रवृत्तियां

विवरण	मिलियन यूएसडी	
	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
उगाहे गए संचित कमिटमेंट	8410.49	15742.47
उगाहे गए संचित फंड	3948.02	7957.20

परिशिष्ट सारणी 18 : पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस)

सेवाओं के प्रकार	31 मार्च 2025 की यथास्थिति	
	31 मार्च 2024 की यथास्थिति	31 मार्च 2025 की यथास्थिति
विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन पीएमएस	128	811.19
सलाहकार सेवाएं	45	372.43
कुल	173	1183.62

बीमा

परिशिष्ट सारणी 19 : आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) और मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) द्वारा लिखित/संव्यवहृत प्रीमियम

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25 (लेखापरीक्षित नहीं)	
	कार्यालयों की संख्या ⁸³	लिखित/संव्यवहृत प्रीमियम (मिलियन यूएसडी)	कार्यालयों की संख्या ⁸⁴	लिखित/संव्यवहृत प्रीमियम (मिलियन यूएसडी)
आईआईओ	12	149	18	207.70 ⁸⁵
आईआईआईओ	23	276	27	302.60

⁸³ कार्यालयों की संख्या इस विशेष अवधि के अंत की स्थिति की अनुसार है

⁸⁴ वही

⁸⁵ एक आईआईओ का पुनर्बीमा डाटा अभी परीक्षणीय है इसलिए शामिल नहीं किया गया।

परिशिष्ट सारणी 20 : कारोबारी लाइन के अनुसार डायरेक्ट बीमा कारोबार (जीवन और सामान्य)

व्यासाय वर्ग	सकल लिखित प्रीमियम (मिलियन यूएसडी) वित्तीय वर्ष 2024-25 (लेखापरीक्षित नहीं)
विमानन	2.78
आग	6.98
स्वास्थ्य + पीए	0.33
जीवन	0.02
मैरीन कार्गो	0.06
मैरीन हल	2.51
ट्रेड क्रेडिट	0.78
अन्य विविध	0.02
कुल	13.48

नोट : वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं हुई है

परिशिष्ट सारणी 21 : लाइन ओफ बिजनेस के अनुसार पुनर्बीमा कारोबार

लाइन ओफ बिजनेस	सकल लिखित प्रीमियम (मिलियन यूएसडी में) वित्तीय वर्ष 2024-25 (लेखापरीक्षित नहीं)
इंजीनियरिंग	9.43
आग	47.58
स्वास्थ्य + पीए	68.14
स्वास्थ्य बीमा	20.79
देयता	1.62
मैरीन कार्गो	4.84
मैरीन हल	3.88
मोटर	22.26
अन्य विविध	0.02
व्यक्तिगत दुर्घटना	0.03
डब्ल्यूसी/ईएल	10.99
जीवन पुनः	1.48
कुल	191.07

नोट : वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों का लेखापरीक्षण नहीं हुआ है

परिशिष्ट सारणी 22 : दावों के आंकड़े (रिटेल / पुनर्बीमा)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	
	दावों की संख्या	दावा रकम (मिलियन यूएसडी)
आरंभ में बकाया दावे	3,060	12.32
पंजीकृत नए दावे	68,070	90.83
निपटाए गए दावे	67,490	75.07
अस्वीकृत दावे	1318	0.00
अंत में बकाया दावे	2,322	28.08

नोट : 1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है 2) रिटेल बीमा कारोबार और पुनर्बीमा वसूलियों में दावों की संख्या और दावों की रकम शामिल है।

फिनटेक

परिशिष्ट सारणी 23 : आईएफएससी में फिनटेक परितंत्र

क्रमांक	विवरण	31 मार्च 2024 तक संचयी	31 मार्च 2025 तक संचयी
1	सैन्डबॉक्स प्रतिष्ठानों की संख्या	44	27
	नवोन्मेषी सैन्डबॉक्स में ⁸⁶	28	22
	नियामक सैन्डबॉक्स में	16	5
2	प्राधिकृत फिनटेक/ टेकफिन प्रतिष्ठानों की संख्या	8	16
3	प्राधिकृत एक्सेलेरेटर्स की संख्या	0	2
4	सैन्डबॉक्स छोड़ने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या	0	23 ⁸⁷

⁸⁶ एक्सेलेरेटर्स सहित

⁸⁷ नवीनतम उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार डाटा संशोधित किया गया है।



अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा केंद्र प्राधिकरण

नोट

नोट

नोट

नोट



ANNUAL REPORT

2024-25

This report is in conformity with the form prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022 notified on February 28, 2022, in the Gazette of India.





K.Rajaraman
Chairperson



सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

आईएफएससीए- ईसीपीए/2/2025- इकनॉमिक पालिसी एंड एनालिसिस
जून 30, 2025

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,


(के राजारामन)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

IFSCA-EcPA/2/2025-Economic Policy and Analysis
June 30, 2025

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2025, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,


(K. Rajaraman)

Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800



SECTION-A



STATEMENT OF GOALS & OBJECTIVES

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was set up by the Government of India on April 27, 2020, as a unified financial regulator under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. It is headquartered at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), Gandhinagar in Gujarat. The main objective of IFSCA (hereinafter referred to as “the Authority”) is to develop and regulate financial services in the International Financial Services Centres (IFSCs) established in India, with a mandate to create a financial ecosystem with ease of doing business and well-balanced regulatory system with a view to making IFSCs a preferred global destination for international financial services. IFSCA is a unified financial regulator, having powers to regulate Financial Services, Financial Institutions, and Financial Products in IFSCs. The powers of RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA are assigned to IFSCA for regulation of IFSCs. The GIFT IFSC is the maiden International Financial Services Centre in India.

Vision

To provide globally benchmarked regulatory environment and develop IFSCs with primary focus on accelerating India's economic development, besides serving as a regional and global financial hub.

Mission

To develop IFSCs into well-diversified and globally competitive financial hubs for international banking, insurance, capital market, and other allied financial activities through a pro-business environment, duly supported by a progressive regulatory architecture, advance technology and infrastructure, and talented financial professionals, which serve both the Indian economy and the region as a whole.

Goals & Objectives

1. To facilitate the development of a strong base of international financial services in India
2. To promote IFSCs as a dominant gateway for international capital flows into and out of India
3. To emerge as a regional and global hub for international financial services
4. To provide a conducive unified regulatory framework, with robust regulation and supervisory technology aligned with international best practices
5. To develop a strong global connect with leading international financial jurisdictions



CHAIRPERSON'S MESSAGE

The Financial Year 2024-25 marks a pivotal chapter for our organization and for India's financial sector, as the Government's bold reforms and strategic vision continue to redefine the landscape of international finance. GIFT City, India's first operational greenfield smart city and IFSC, stands at the forefront of this transformation, and I am pleased to share our progress and outlook in this momentous year.



Shri K Rajaraman
Chairperson, IFSCA

2. Hon'ble Prime Minister's vision of Viksit Bharat @2047 has gathered steam with deepening reforms focused on replacing the colonial legal architecture with new laws that suit the new millennium, simplification of regulations and deregulation in areas where regulations are not required, pump priming the manufacturing sector with production linked incentives and research funding, promotion of designing from India, Net Zero agenda focused on addition of 500 GW of renewable power capacity by 2030 and Net Zero emissions by 2070, infrastructure thrust focused on elimination of multi-dimensional poverty by saturation of basic infrastructure services across India and economic, social and financial inclusion programs.
3. Focus of GIFT IFSC for ViksitBharat@2047 is in facilitating global capital and financial services for initiatives described above. IFSC is a global financial centre that would host the best financial institutions across the world to provide cost efficient capital for corporate business houses, infrastructure companies, renewable energy firms and SMEs in India. Therefore, providing clear, consistent, unambiguous policies, laws and regulations is a sine qua non. Of these, providing tax clarity and certainty for financial institutions, financial services and financial products in IFSC is crucial. Hon'ble Finance Minister, through Budget 2025 and Finance Act, 2025, introduced a series of progressive reforms and tax policy enhancements that further strengthen GIFT IFSC's position as India's international financial gateway. Several important sunset dates for tax exemptions and incentives in IFSC have been extended to March 31, 2030¹.
4. Above-said reforms underscore Government of India's commitment to making GIFT IFSC a premier global financial centre. By removing operational bottlenecks, expanding tax incentives, and providing regulatory clarity has created a fertile ground for international banks, asset managers, fintech innovators, technology firms, aviation leasing and ship leasing firms to thrive. The progress of GIFT IFSC is evident in the numbers, as of March 2025, IFSCA authorised/registered/licensed 864² entities, across 35 business segments. Regulated entities in GIFT IFSC facilitated inward capital flows of nearly USD 50 billion till date into India via the banking and fund industry, of which USD 20 billion was in FY 2024-25.
5. Benchmarking IFSCA regulations, policies and legal frameworks with those in Global Financial Centres has been a consistent practice in law, regulation and policy making. All consultation papers delve into this dimension to assess how competitive GIFT-IFSC could be when financial products are eventually manufactured. Constant interaction with Global Regulators has been afforded by IFSCA's membership and participation in Regulatory platforms such as International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), Global Financial Innovation Network (GFIN), etc. This has helped IFSCA in accessing best practices in regulation and supervision.
6. Banking sector continued to scale new heights with 29 banks licensed to set up IFSC Banking Units (IBUs) as on March 31, 2025. Total banking assets as on March 31, 2025, reached USD 88.51 Bn with outstanding credit touching USD 59.95 billion. As of March 2025, of the total IBUs exposure, 74.5% was to India and 25.5% was to other countries, which shows scaling up of global impact by IFSC Banks. Of the 29 banks, 10 are Globally Systemically Important Banks (G-SIBs). IBUs have scaled up their operations with focus on trade finance, global and regional treasury centres, project finance, OTC derivatives, insurance corporate agent services, etc. IBUs have also commenced financing of aviation and shipping assets. With over 7500 Non-resident Indian (NRI) depositors' savings over USD 1.1 billion in IBUs, IFSCA will focus on serving more than 15.8 million NRIs across the world with a variety of useful financial products across banking, insurance, pension and capital markets.
7. IFSC Capital Markets continue to advance with the average monthly turnover of NSE IX GIFT NIFTY touching USD 93 billion in FY 2024-25. INDIA INX has launched the GIFT SENSEX, whose volumes are building up. The cumulative listing of debt securities in the two stock exchanges, INDIA INX and NSE IX, has crossed USD 65 billion. Direct listing of unlisted and listed Indian companies is likely to afford more

¹ Budget 2025

² Cumulative numbers as on March 31, 2025

investment options to investors. FinTech players in the capital markets have critical advances in scaling up access to retail investors. As of March 2025, over 65,000 Demat accounts have been opened for retail investors trading on IFSC stock exchanges with IFSC Depository.

8. The Fund industry has made great strides with 162 Fund Management Entities launching 229 funds as on March 31, 2025. Revision of Fund Management Entity Regulations provided simplifications including reduction in the minimum size of schemes, reduction in the investment size for portfolio management schemes, etc. The revisions were focused on reducing barriers to small investors, eliminating unnecessary approvals and reducing barriers for entry of smaller funds. 14 schemes have been redomiciled to GIFT IFSC from foreign jurisdictions. IFSC funds have cumulatively raised commitments of USD 15.7 bn from more than 3000 investors from over 50 countries and invested USD 8 billion.
9. During FY 2024-25, 18 IFSC Insurance Offices (IIOs) transacted USD 207.7 Mn as premium while 27 IFSC Insurance Intermediary Offices (IIIOs) wrote USD 302.6 Mn as premium. The total Reinsurance premium written in FY 2024-25 was USD 191.07 Mn. Direct insurance premium was USD 13.48 Mn. IFSCA is working with regulated entities to enable manufacture of important products such as trade insurance, non-payment insurance, etc., IFSCA will also focus on retail direct insurance products to serve 15.8 million NRIs and over 19.5 million Persons of Indian Origin (PIO) living across the world.
10. India's journey towards Net Zero @2070 would require significant capital resources for manufacturing, generation of renewable energy while also providing transition financing arrangements for large units in hard-to-abate sectors in switching to green technologies and processes. GIFT IFSC has been acting as a catalyst for Sustainable Finance as total sustainable credit extended by the IBUs during FY 2024-25 has reached the USD 3380 Mn mark and cumulative ESG debt listing on IFSC exchanges was USD 15.43 Bn. An *Expert committee on Transition Finance* was set up based on whose recommendations, a Transition Bond Framework is under preparation. IFSCA also released a regulatory framework enabling ESG ratings providers and ESG data service providers to offer services to regulated entities.
11. GIFT IFSC is also increasingly becoming a hub for niche businesses as the number of aircraft and ship lessors has increased to 32 and 24 respectively.³ With 242 aircraft assets, including 90 aircrafts, helicopters, trainers, etc., and 18 large ships including Large Crude, Ethane Carriers, being leased through GIFT IFSC, momentum has picked up with global shipping and Indian airline companies launching operations. Passage of the Protection of Interest in Aircraft Objects Act 2025 by Parliament has been a big step forward in fully acceding to the Cape Town Convention enabling lessors to face lower risks in leasing aircrafts to airlines.
12. All regulations in IFSCA are drafted through an intense consultation process as per IFSCA (Procedure for making regulations) Regulation 2021. Drafts of regulations are put out as part of this consultation. We intend to make this even more meaningful in certain complex regulations by organising physical or online consultation forums. An Annual Chintan Shivar was organised with participation of more than 40 CEOs in May & June 2024 providing deeper insights into market dynamics and suggestions for reform.
13. Ease of Doing Business is the corner stone of GIFT IFSC's competitiveness. IFSCA Single Window IT System was launched on September 16, 2024, by Hon'ble Prime Minister enabling complete electronic processing of applications. The SWIT is being further improved with SWIT 2.0 to be released in Q2 FY2026. A Task Force on EoDB, focussing on regulatory processes and difficulties faced by applicants within and outside IFSCA, submitted a report covering various aspects of IFSCA regulation, Companies Act, GST Act, SEZ Rules etc.
14. Strengthening supervision across all verticals has been a very important task of IFSCA. Strengthening supervision teams, building capacity through training programs and standardising reporting formats has enabled IFSCA supervision teams to plan and carry out effective offsite (report based) supervision and physical inspections. Enforcement division has also been established, and a few enforcement orders have been issued during FY 2024-25 sending a clear message to erring entities. In order to unambiguously convey regulatory expectations to regulated entities, an annual workshop of Compliance officers and other functionaries of regulated entities is being organised by all supervision teams.
15. I extend my gratitude to all our stakeholders for unwavering support and commitment. Together, we will shape a future of prosperity, resilience, and global leadership envisioned in the plans for Viksit Bharat @2047.

Let us embrace opportunities ahead with an open mind, confidence and determination.

³ IFSCA Business Highlights

MEMBERS OF THE AUTHORITY (As on 31.03.2025)



Shri K Rajaraman
Chairperson, IFSCA



Shri Pankaj Sharma
Member

Joint Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India



Ms. Surbhi Jain
Member

Joint Secretary,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance,
Government of India



Shri Pramod Rao
Member

Executive Director,
Securities and Exchange
Board of India



Shri Pramod Kumar Arora
Member

Member (Actuary),
Insurance Regulatory and
Development Authority of India



Shri R. Lakshmi Kanth Rao
Member

Executive Director,
Reserve Bank of India



Ms. Mamta Rohit
Member

Executive Director,
Pension Fund Regulatory and
Development Authority

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

(As on 31.03.2025)

Name	Designation
Shri Praveen Trivedi	Executive Director
Shri Dipesh Shah	Executive Director
Shri Pradeep Ramakrishnan	Executive Director
Shri K Mahipal Reddy	Executive Director
Shri Supriyo Bhattacharjee	Chief General Manager
Shri Ashutosh Sharma	Chief General Manager
Shri Joseph Joshy C J	Chief General Manager
Shri Pradeep Deo	Chief General Manager

TABLE OF CONTENTS

Particulars	Page No.
SECTION – A	III
STATEMENT OF GOALS & OBJECTIVES	V
CHAIRPERSON’S MESSAGE	VII
MEMBERS OF THE AUTHORITY (As on 31.03.2025)	IX
SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY (As on 31.03.2025)	X
List of Tables	XII
Data Appendix	XIV
List of Figures	XV
List of Boxes	XV
List of Images	XVI
ABBREVIATIONS	XX
SECTION – B THE YEAR IN REVIEW: OVERVIEW OF THE GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT	1
Global Economy Assessment and Outlook	2
India: Economic Assessment and Prospects	6
SECTION – C REVIEW OF POLICIES, PROGRAMMES AND ACTIVITIES OF THE AUTHORITY	17
BANKING AND PAYMENT SERVICES	18
FINANCE COMPANIES	28
CAPITAL MARKETS	34
CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION	54
FUND MANAGEMENT	57
METALS AND COMMODITIES	64
FINTECH	73
INSURANCE AND PENSION	80
GLOBAL IN-HOUSE CENTRES	89
SUSTAINABLE FINANCE	90

Particulars	Page No.
ANCILLARY AND BATF SERVICES	99
FOREIGN UNIVERSITIES & INSTITUTIONS	103
INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBER SECURITY	107
ANTI MONEY LAUNDERING (AML) & COUNTER FINANCING OF TERRORISM (CFT)	111
SEZ ADMINISTRATION (IFSCA)	114
ENFORCEMENT	118
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES	119
SECTION - D QUASI-LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND QUASI-JUDICIAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY	141
SECTION - E PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUTHORITY	155
SECTION - F SOURCE OF FUNDS AND MAJOR AREAS OF EXPENDITURE	159
SECTION - H ORGANISATIONAL MATTERS	161
SECTION - J AUDIT COMMITTEES	173
DATA APPENDIX	175

List of Tables

Particulars	Page No.
TABLE 1: NO. OF IBUS & GAOS AT IFSC	20
TABLE 2: TOTAL ASSETS (OUTSTANDING) IN IBUS	21
TABLE 3: NO. OF EMPLOYEES IN ALL IBUS	21
TABLE 4: OUTSTANDING OVER THE COUNTER (OTC) DERIVATIVE CONTRACTS	23
TABLE 5: NUMBER OF PSP AND PSO AS ON MARCH 31, 2025	24
TABLE 6: REGISTERED FINANCE COMPANIES DURING FY 2024-25	31
TABLE 7: ASSETS LEASED BY AIRCRAFT LEASING ENTITIES AS ON MARCH 31, 2025	31
TABLE 8: ASSETS LEASED BY SHIP LEASING ENTITIES AS ON MARCH 31, 2025	31
TABLE 9: BUSINESS DETAILS OF GLOBAL/REGIONAL CORPORATE TREASURY CENTRES (GRCTC) AS ON MARCH 31, 2025	31
TABLE 10: BUSINESS DETAILS OF CORE FINANCE COMPANIES (E.G. LENDING, EXPORT FINANCING)	31
TABLE 11: TRANSACTIONS FACILITATED BY ITFS PLATFORMS	32

Particulars	Page No.
TABLE 12: BROKER DEALERS IN IFSC	40
TABLE 13: REMOTE TRADING PARTICIPANTS (RTPS) ONBOARDED BY IFSC STOCK EXCHANGES	40
TABLE 14: CLEARING MEMBERS IN IFSC AS ON MARCH 31, 2025	40
TABLE 15: NUMBER OF CONTRACTS AND TURNOVER IN INDEX FUTURES	43
TABLE 16: NUMBER OF CONTRACTS AND PREMIUM TURNOVER IN INDEX OPTIONS	43
TABLE 17: TURNOVER IN COMMODITY DERIVATIVES ON INDIA INX	43
TABLE 18: TURNOVER IN CURRENCY DERIVATIVES ON NSE IX	44
TABLE 19: CONTRACT WISE TURNOVER ON STOCK EXCHANGES (IN USD MN)	44
TABLE 20: SUMMARY OF ADMINISTRATIVE ACTIONS TAKEN BASED ON OFFSITE SUPERVISION DURING FY 2024-25	48
TABLE 21: FUND MANAGEMENT ECOSYSTEM IN GIFT IFSC	61
TABLE 22: NUMBER OF REGISTERED FMES	62
TABLE 23: INVESTMENT BY FUND MANAGEMENT SCHEMES	62
TABLE 24: PARTICIPANTS ON INDIA INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE (IIBX)	69
TABLE 25: REGULATED ENTITIES/ INTERMEDIARIES ON IIBX	69
TABLE 26: PRODUCT-WISE SUMMARY OF TRADES ON IIBX	70
TABLE 27: LISTING OF DEBT SECURITIES AT IFSC EXCHANGES (IN USD BN)	92
TABLE 28: OVERALL SUSTAINABLE FINANCING BY IBUS	92
TABLE 29: SECTOR-WISE CLASSIFICATION OF SUSTAINABLE FINANCING BY IBUS	93
TABLE 30: ACTIVITY WISE BREAK UP OF ANCILLARY SERVICES ENTITIES AUTHORIZED	101
TABLE 31: ACTIVITY WISE BREAK UP OF BATF SERVICES ENTITIES AUTHORIZED	101
TABLE 32: DETAILS OF UAC MEETINGS HELD IN FY 2024-25	115
TABLE 33: DETAILS OF POST LOA PROCESSES DURING FY 2024-25	116
TABLE 34: LIST OF REGULATIONS	143
TABLE 35: LIST OF MAJOR NOTIFICATIONS	145
TABLE 36 : LIST OF MAJOR CIRCULARS/ GUIDELINES	146
TABLE 37: SOURCES OF FUNDS FOR FY 2024-25	160
TABLE 38: MAJOR AREAS OF EXPENDITURE FOR FY 2024-25	160
TABLE 39: AUTHORITY STRUCTURE AS ON MARCH 31, 2025	162
TABLE 40: IFSCA AUTHORITY MEETING HELD IN FY 2024-25	163
TABLE 41: SANCTIONED AND ACTUAL STRENGTH OF IFSCA EMPLOYEES	163
TABLE 42: CONSULTANTS AT IFSCA AS ON MARCH 31, 2025	164
TABLE 43: STATUS OF RTI APPLICATIONS DURING FY 2024-25	164

Data Appendix

Particulars	Page No.
APPENDIX TABLE 1: LICENSES/ REGISTRATIONS ISSUED BY IFSCA BASED ON SEZ LOAS	176
APPENDIX TABLE 2: ASSETS OF IBUS	177
APPENDIX TABLE 3: LIABILITIES OF IBUS	178
APPENDIX TABLE 4: CUSTOMER DEPOSITS (IN USD MN)	178
APPENDIX TABLE 5: CUSTOMER DEPOSITS	178
APPENDIX TABLE 6: ODI OUTSTANDING OF IBUS (USD MN)	178
APPENDIX TABLE 7: COUNTRY WISE EXPOSURE OF IBUS	179
APPENDIX TABLE 8: INDUSTRY WISE CREDIT EXPOSURE OF IBUS	179
APPENDIX TABLE 9: IFSC STOCK EXCHANGES TURNOVER (TRADED VALUE IN USD MN)	181
APPENDIX TABLE 10: AGGREGATE OPEN INTEREST (OI) OF ALL DERIVATIVES CONTRACTS ON IFSC STOCK EXCHANGES	181
APPENDIX TABLE 11: INDIA INX GLOBAL ACCESS	181
APPENDIX TABLE 12: TRADING IN GLOBAL EXCHANGES THROUGH INDIA INX GLOBAL ACCESS (TRADED VALUE: USD MN)	181
APPENDIX TABLE 13: NUMBER OF DEMAT ACCOUNTS WITH THE DEPOSITORY	181
APPENDIX TABLE 14: SETTLEMENT BY CLEARING CORPORATIONS	182
APPENDIX TABLE 15: INVESTMENTS BY FUND MANAGEMENT SCHEMES AT GIFT IFSC	182
APPENDIX TABLE 16: NUMBER OF INVESTORS IN IFSC FUNDS	183
APPENDIX TABLE 17: TRENDS OF FUND MANAGEMENT ACTIVITY	183
APPENDIX TABLE 18: PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES (PMS)	183
APPENDIX TABLE 19: WRITTEN/ TRANSACTED PREMIUM BY IFSC INSURANCE OFFICES (IIOS) AND INTERMEDIARY OFFICES (IIIOS)	183
APPENDIX TABLE 20: LINE OF BUSINESS WISE DIRECT INSURANCE BUSINESS (LIFE AND GENERAL)	184
APPENDIX TABLE 21: LINE OF BUSINESS WISE RE-INSURANCE BUSINESS	184
APPENDIX TABLE 22: CLAIMS DATA (RETAIL / RE-INSURANCE)	185
APPENDIX TABLE 23: FINTECH ECOSYSTEM IN IFSC	185

List of Figures

Particulars	Page No.
FIGURE 1: GROWTH OF TOTAL ASSETS (USD MN) OF IBUS	21
FIGURE 2: OUTSTANDING OF MAJOR CREDIT PRODUCTS (USD MN) OF IBUS	22
FIGURE 3: INVESTMENT PROFILE IN USD MN	22
FIGURE 4: GROWTH OF DEPOSITS (IN USD MN)	23
FIGURE 5: MAJOR COUNTRY EXPOSURE OF IBUS	24
FIGURE 6: GROWTH IN FINANCE COMPANIES IN IFSC	32
FIGURE 7: TURNOVER ON STOCK EXCHANGES (IN USD MN)	42
FIGURE 8: LISTING OF DEBT SECURITIES (IN USD BN)	44
FIGURE 9: TRENDS OF DEBT ISSUANCE IN IFSC	45
FIGURE 10: DISTRIBUTION BY ISSUE SIZE OF DEBT	46
FIGURE 11: INTERNATIONAL DEPOSITORY WISE ISSUANCE DISTRIBUTION	46
FIGURE 12: CLASSIFICATION OF IIOS	83
FIGURE 13: CLASSIFICATION OF IIOS	83
FIGURE 14: BUSINESS UNDERWRITTEN BY IIOS (USD MN)	84
FIGURE 15: BUSINESS TRANSACTED BY IIOS (USD MN)	84
FIGURE 16: ESG DEBT SECURITIES AS OF MARCH 31, 2025 (IN USD BN)	92
FIGURE 17: SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF LOANS ISSUED UP TO MARCH 31, 2025	116

List of Boxes

Particulars	Page No.
BOX 1: REVIEW OF IFSCA (FUND MANAGEMENT) REGULATIONS, 2022	59
BOX 2: EASE OF INVESTING ENABLED FOR NRI/OCI INVESTORS	60
BOX 3: PRINCIPLES TO MITIGATE THE RISK OF GREENWASHING IN ESG LABELLED DEBT SECURITIES IN THE IFSC	93
BOX 4: KEY FEATURES OF THE AISP CIRCULAR	102

List of Images

Particulars	Page No.
IMAGE 1: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA AT HSBC GLOBAL INVESTMENT SUMMIT, HONG KONG, 2024	26
IMAGE 2: CHAIRPERSON, IFSCA WITH VICE CHAIRMAN, FSC KOREA	26
IMAGE 3: MS. RIDDHI BHANDARI, GENERAL MANAGER, IFSCA, DURING IFSCA CPSE SUMMIT 2.0	32
IMAGE 4: SHRI ARJUN PRASAD, GM, IFSCA PARTICIPATING IN THE CLOSING BELL CEREMONY DURING WIW	50
IMAGE 5: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA PARTICIPATING IN THE INAUGURAL CEREMONY OF THE GSMC	50
IMAGE 6: SHRI PRADEEP RAMAKRISHNAN, ED, IFSCA IN A PANEL DISCUSSION ON “LEADERSHIP DIALOGUE: SUSTAINABLE FINANCE REGULATION AND POLICY”, TOKYO	52
IMAGE 7: CHAIRPERSON, IFSCA WITH SENIOR OFFICIALS OF FUND MANAGEMENT INDUSTRY	63
IMAGE 8: IFSCA PARTICIPATION IN CROSS BORDER DATA TRANSFERS WORKSHOP	76
IMAGE 9: SHRI JOSEPH JOSHY, CHIEF TECHNOLOGICAL OFFICER, IFSCA, PARTICIPATED IN STARTUP POLICY FORUM BAITHAK 2025 AT G20 SUMMIT ROOM	76
IMAGE 10: CHAIRPERSON, IFSCA, AT SINGAPORE FINTECH FESTIVAL (SFF) 2024	78
IMAGE 11: IFSCA DELEGATION LED BY CHAIRPERSON, AT IFSCA-IRDAI GIFT IFSC GLOBAL REINSURANCE SUMMIT	87
IMAGE 12: MEMBERS OF THE EXPERT COMMITTEE DURING THE SUBMISSION OF THE REPORT	94
IMAGE 13: CHAIRPERSON, IFSCA SHRI K. RAJARAMAN WITH OTHER KEY DIGNITARIES AT GSS+ BONDS TRAINING WORKSHOP	96
IMAGE 14: GEMC MEMBERS OF THE NETWORK FOR ADOPTION AND OTHER USE OF ISSB STANDARDS	97
IMAGE 15: PRESENTATION TO THE BANGALORE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE (BCIC) ON OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONALS IN GIFT-IFSC	101
IMAGE 16 : DEAKIN UNIVERSITY IN GIFT IFSC	105
IMAGE 17: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA WITH SHRI HARSH SANGHAVI, HON'BLE MINISTER OF STATE - HOME AND INDUSTRY, AND OTHER DIGNITARIES AT IFSCA TALENT VISTA SUMMIT 2024	106

Particulars	Page No.
IMAGE 18: HON'BLE PRIME MINISTER LAUNCHING THE SWIT SYSTEM ON SEPTEMBER 16, 2024	107
IMAGE 19: ENTITY LOGIN INTERFACE OF THE SWIT SYSTEM	108
IMAGE 20: SHRI K RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA AND SHRI VIVEK AGGARWAL, DIRECTOR, FIU IND, ADDRESSING AT IFSCA ANNUAL ANTI-FINANCIAL CRIME CONFERENCE	112
IMAGE 21: IFSCA SIGNED MOU WITH RASHTRIYA RAKSHA UNIVERSITY IN PRESENCE OF HON'BLE FINANCE MINISTER SMT. NIRMALA SITHARAMAN	119
IMAGE 22: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA SIGNS THE IOSCO EMMOU DURING THE IOSCO ANNUAL MEETING 2024 IN PRESENCE OF CHAIR OF IOSCO BOARD MR. JEAN-PAUL SERVAIS	120
IMAGE 23: SHRI K RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA AND MR. OTHMAN AL-ISSA, VICE CHAIRMAN CAPITAL MARKET AUTHORITY OF KUWAIT EXCHANGING MOU IN THE PRESENCE OF DR. ADARSH SWAIKA, AMBASSADOR OF INDIA IN KUWAIT	120
IMAGE 24: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA AND PROF. SHIBLI RUBAYAT-UL ISLAM, CHAIRMAN, BSEC SIGN THE MOU ON THE SIDELINES OF THE IOSCO ANNUAL MEETING IN GREECE	121
IMAGE 25: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA AND SHRI VIVEK AGARWAL, DIRECTOR, FIU-IND, EXCHANGING MOU	121
IMAGE 26: IFSCA AND INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA (ICMAI) EXCHANGING MOU	122
IMAGE 27: IFSCA AND FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD (FPSB) EXCHANGING MOU	123
IMAGE 28: CHAIRPERSON AND STAFF OF IFSCA WITH SHRI SHAKTIKANTA DAS, GOVERNOR, RBI, AND DR. HASMUKH ADHIA, CHAIRMAN, GIFT CITY	124
IMAGE 29: CHAIRPERSON, IFSCA WITH DR TAMY AHMED ALI AL BOUTAMY AL BINALI, CEO, QATAR FINANCIAL MARKETS AUTHORITY (QFMA) IN PRESENCE OF MR. SANDEEP KUMAR, DEPUTY CHIEF OF MISSION, EMBASSY OF INDIA, DOHA, QATAR	126
IMAGE 30: CHAIRPERSON, IFSCA WITH QATARI BUSINESSES AND INDIAN DIASPORA IN PRESENCE OF SHRI VIPUL, AMBASSADOR OF INDIA TO QATAR IN DOHA	126
IMAGE 31: CHAIRPERSON, IFSCA WITH ABU DHABI GLOBAL MARKET'S FINANCIAL SERVICES REGULATORY AUTHORITY (ADGM'S FSRA)	127
IMAGE 32: CHAIRPERSON, IFSCA WITH DR. MARYAM ALSUWAIDI, CEO, SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY (UAE – SCA)	127
IMAGE 33: CHAIRPERSON, IFSCA WITH MR. ARIF AMIRI, CEO, DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE	128

Particulars	Page No.
IMAGE 34: CHAIRPERSON, IFSCA WITH CHAIRMAN, TABF AND THE TAIWANESE DELEGATION	129
IMAGE 35: CHAIRPERSON, IFSCA AND JOINT SECRETARY, DEA WITH UK DELEGATION	130
IMAGE 36: SMT. SURBHI JAIN, JOINT SECRETARY, DEA, GIVING ADDRESS DURING IFSCA CPSE SUMMIT 2.0	131
IMAGE 37: CHAIRPERSON, IFSCA, ADDRESSING AT CONFERENCE ON “BUSINESS OPPORTUNITIES IN INDIA’S MAIDEN IFSC AT GIFT CITY”	132
IMAGE 38: DR. DIPESH SHAH, EXECUTIVE DIRECTOR, IFSCA, GIVING OVERVIEW OF REGULATORY FRAMEWORK UNDER IFSCA FOR INTERNATIONAL BRANCH CAMPUSES AND OFFSHORE EDUCATION CENTRES	133
IMAGE 39: ROUNDTABLE INTERACTION ON INTERNATIONAL BRANCH CAMPUS OPPORTUNITIES FOR IRISH UNIVERSITIES IN GIFT IFSC	133
IMAGE 40: ROUNDTABLE INTERACTION ON INTERNATIONAL BRANCH CAMPUS OPPORTUNITIES FOR UK UNIVERSITIES IN GIFT IFSC	133
IMAGE 41: IFSCA DELEGATION INTERACTING ON TRADE FINANCE IN LONDON	134
IMAGE 42: MR. ASHUTOSH SHARMA GIVING OVERVIEW OF THE REGULATORY FRAMEWORK GOVERNING FINANCIAL ACTIVITIES IN GIFT IFSC	134
IMAGE 43: CHAIRPERSON, IFSCA, DURING INTERACTION WITH AIRCRAFT LEASING STAKEHOLDERS	135
IMAGE 44: THE EXPERT COMMITTEE ON DRAFTING INSTITUTIONAL ARBITRAL RULES FOR IAC SUBMITTING THE REPORT ON JULY 16, 2024, TO CHAIRPERSON, IFSCA	151
IMAGE 45: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA, SHRI DR. M.S. SAHOO, FORMER CHAIRPERSON, IBBI, PROF. (DR.) S. SHANTHAKUMAR, DIRECTOR, GNLU, AND OTHER DIGNITARIES AT CONFERENCE ON DEVELOPING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AND INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (IAC) IN GIFT-IFSC	152
IMAGE 46: IFSCA OFFICIALS AT CHINTAN SHIVIR 2025	164
IMAGE 47: SHRI K. RAJARAMAN, CHAIRPERSON, IFSCA, FACILITATING AWARDS FOR OUTSTANDING PERFORMANCE BY IFSCA OFFICIALS ON VARIOUS THEMES	165
IMAGE 48: IFSCA OFFICIALS CELEBRATING “SWACHHATA HI SEVA 2024” WITH A CLEANLINESS DRIVE	166
IMAGE 49: IFSCA OFFICIALS PARTICIPATING IN A PLANTATION DRIVE IN GIFT CITY	166
IMAGE 50: CHAIRPERSON, IFSCA, ADMINISTERED THE “SWACHHATA SHAPATH” TO IFSCA OFFICIALS	167

Particulars	Page No.
IMAGE 51: IFSCA OFFICIALS TAKING PLEDGE FOR SAYING "NO" TO SINGLE USE PLASTIC ITEMS	167
IMAGE 52: IFSCA OFFICIALS PARTICIPATED IN A CLEANLINESS AWARENESS WALKATHON IN GIFT IFSC	168
IMAGE 53: A PREVENTIVE HEALTH CHECK-UP OF SAFAI MITRAS/ SANITATION WORKERS AT IFSCA	169
IMAGE 54: IFSCA OFFICIALS CELEBRATING 78TH INDEPENDENCE DAY	169
IMAGE 55: IFSCA OFFICIALS PARTICIPATING IN HINDI PAKHWADA 2024 ORGANISED BY IFSCA	170
IMAGE 56: IFSCA OFFICIALS CELEBRATING INTERNATIONAL YOGA DAY 2024	171

Conventions used in this report

₹ : Rupees (Rs)
 Lakh : Hundred thousand
 Crore : Ten million
 Million (Mn) : Ten lakh
 Billion (Bn) : Thousand million/hundred crore
 Differences in total are due to rounding off and sometimes they may not exactly add up to hundred per cent.

This report can also be accessed on internet at: <https://www.ifsc.gov.in/>

ABBREVIATIONS

Particulars	
AD	Authorized Dealer
ADB	Asian Development Bank
ADR	Alternative Dispute Resolution
ADRC	Alternative Dispute Resolution Committee
AED	UAE Dirham
AGM	Annual General Meeting
AI	Artificial Intelligence
AIF	Alternative Investment Funds
AISP	Academic Infrastructure Service Provider
AML	Anti-Money Laundering
API	Application Programming Interface
ARCA	Archipelago Exchange
AUD	Australian Dollar
AUM	Assets Under Management
AWCS	Automated Waste Collection System
BATF	Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial crime compliance
BCIC	Bangalore Chamber of Industry and Commerce
BFSI	Banking, Financial Services and Insurance
BLUT	Bond-cum-Legal Undertaking
BPSS	Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems
BSE	Bombay Stock Exchange
BSEC	Bangladesh Securities and Exchange Commission
CAD	Canadian Dollar
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CBI	Climate Bonds Initiative
CBOE	Chicago Board Options Exchange
CCIL	Clearing Corporation of India Limited
CDSL	Central Depository Services Ltd.
CEEW	Council on Energy, Environment and Water
CEO	Chief Executive Officer
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CERSAI	Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India
CFT	Counter Financing of Terrorism
CHF	Swiss Franc
CIN	Corporate Identification Number
CKYCRR	Central KYC Records Registry
CME	Chicago Mercantile Exchange
CMI	Capital Market Intermediaries
COB	Conduct Of Business
COMEX	Commodity Exchange

CPI	Consumer Price Index
CPMI	Committee on Payments and Market Infrastructures
CPSE	Central Public Sector Enterprises
CRA	Credit Rating Agency
CRAR	Capital to Risk (Weighted) Assets
CTCR	Counter Terrorism and Counter Radicalization
DEA	Department of Economic Affairs
DFSA	Dubai Financial Services Authority
DGFT	Directorate General of Foreign Trade
DICGC	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIN	Director Identification Number
DKK	Danish Krone
DP	Depository Participant
DSCI	Data Security Council of India
DTA	Domestic Tariff Area
DTC	Depository Trust Company
EBA	European Banking Authority
ECB	External Commercial Borrowing
ECGC	Export Credit Guarantee Corporation of India Limited
EIOPA	European Insurance and Occupational Pensions Authority
EMDE	Emerging Market and Developing Economies
EMMOU	Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding
EODB	Ease of Doing Business
ERM	Enterprise Risk Management
ERP	Enterprise Resource Planning
ESG	Environmental, Social and Governance
ESMA	Essential Services Maintenance Act.
ETF	Exchange Traded Fund
ETP	Exchange-traded products
EU	European Union
EUR	Euro
EXIM	Export Import Bank of India
FATF	Financial Action Task Force
FC	Finance Company
FCSS	Foreign Currency Settlement System
FCY	Foreign Currency
FDI	Foreign Direct Investment
FEMA	Foreign Exchange Management Act
FICCI	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
FIU	Financial Intelligence Unit
FME	Fund Management Entity
FPI	Foreign Portfolio Investment
FPO	Further Public Offer

GAO	Global Administrative Office
GBP	UK Pound Sterling
GDP	Gross Domestic Product
GFIN	Global Financial Innovation Network
GIC	Global In-house Centre
GIFT	Gujarat International Finance-Tec City
GNLU	Gujarat National Law University
GNPA	Gross Non-Performing Asset
GRCTC	Global/Regional Corporate Treasury Centre
GSTIN	Goods and Services Tax Identification Number
GSTN	Goods and Services Tax Network
GVA	Gross Value Added
HKD	Hong Kong Dollar
HKMA	Hong Kong Monetary Authority
IAIS	International Association of Insurance Supervisors
IBA	Indian Banks Association
IBBI	Insolvency and Bankruptcy Board of India
IBC	IFSC Banking Company
IBU	IFSC Banking Unit
ICAI	Institute of Chartered Accountants of India
ICEGATE	Indian Customs Electronic Gateway
ICES	Indian Customs EDI System
ICMA	International Capital Market Association
ICMAI	Institute of Cost Accountants of India
ICSI	Institute of Company Secretaries of India
IFSC	International Financial Services Centre
IFSCA	International Financial Services Centres Authority
IIBX	India International Bullion Exchange
IIDI	India International Depository IFSC Limited
IIIO	International Financial Service Centre Insurance Intermediary Office
IIO	International Financial Service Centre Insurance Office
IMF	International Monetary Fund
INR	Indian Rupee
IOSCO	International Organization of Securities Commission
IPO	Initial public offering
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
ISP	Internet Service Provider
ITFS	International Trade Financing Services
IVCA	Indian Venture and Alternate Capital Association
JFSA	Japanese Financial Services Authority
JPY	Japanese Yen
LAN	Local Area Network
LBMA	London Bullion Market Association
LPTM	Limited Purpose Trading Member

LRS	Liberalised Remittance Scheme
MAS	Monetary Authority of Singapore
MCA	Ministry of Corporate Affairs
MCLR	Marginal Cost of Funds-based Lending Rate
MCX	Multi Commodity Exchange
MII	Market Infrastructure Institutions
MIS	Management Information Systems
MSME	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
MUFG	Mitsubishi UFJ Financial Group
NASDAQ	National Association of Securities Dealers Automated Quotations
NASSCOM	National Association of Software and Service Companies
NBFC	Non-Banking Financial Company
NDF	Non-Deliverable Forward
NIC	National Informatics Centre
NICCL	NSE IFSC Clearing Corporation Limited
NIFTY	National Stock Exchange Fifty
NITI	National Institution for Transforming India
NPS	National Pension System
NRI	Non-Resident Indian
NSCS	National Security Council Secretariat
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange
NSEIX	NSE International Exchange
ODI	Offshore Derivative Instruments
OEC	Offshore Education Centres
OFS	Offer For Sale
OIS	Overnight Indexed Swaps
PAN	Permanent Account Number
PCI	Payment Council of India
PDEU	Pandit Deendayal Energy University
PFRDA	Pension Fund Regulatory and Development Authority
PMS	Portfolio Management Services
POSH	Prevention of Sexual Harassment
PRC	Performance Review Committee
PSO	Payment System Operator
PSP	Payment Service Provider
PSS	Payment & Settlement Systems
QCI	Quality Council of India
QFMA	Qatar Financial Markets Authority
RBI	Reserve Bank of India
REIT	Real Estate Investment Trust
RFP	Request For Proposal
ROE	Return on Equity
RTI	Right To Information

RTP	Remote Trading Participants
RUB	Russian Ruble
SCB	Scheduled Commercial Banks
SEBI	Securities And Exchange Board of India
SENSEX	Stock Exchange Sensitive Index
SEZ	Special Economic Zone
SGD	Singapore Dollar
SGF	Settlement Guarantee Fund
SGX	Singapore Stock Exchange
SLA	Surveyor and Loss Assessor
SNRR	Special Non-Resident Rupee Account
SPV	Special Purpose Vehicle
STEM	Science, technology, engineering, and mathematics
STPI	Software Technology Parks of India
SWITS	Single Window IT System
TCM	Trading and Clearing member
TERI	The Energy Research Institute
TM	Trading member
TMCM	Trading Member/Clearing Member
TRQ	Tariff Rate Quota
TSCM	Trading cum Self Clearing Member
UAC	Unit Approval Committee
UAEGD	UAE Good Delivery
UAEGDCEPA	United Arab Emirates Good Delivery Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
UAEGDTRQ	UAE Good Delivery Tariff Rate Quota
UK	United Kingdom
UNDP	United Nations Development Program
USA	United States of America
USD	United States Dollar
USIBC	US-India Business Council

SECTION-B

**THE YEAR IN REVIEW: OVERVIEW
OF THE GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT**

The Year In Review

Global Economy Assessment and Outlook

2024 was a year of turbulence as many major economies such as India, U.S.A and Indonesia underwent elections, public anticipation around election outcomes lead to volatility in markets and economic instability.

The Global Economic Policy Uncertainty Index reflects this sentiment as well, the year started with the index at a comparatively lower level of 200.46 in February 2024 but rose rapidly, reaching 548.89 in February 2025.⁴

Supply chain disruptions which were a far-reaching consequence of geopolitical tensions in Ukraine and Suez Canal continue to slow down global manufacturing and external demand to this day.

The monetary stance globally is observed to have been easing over the last year as seen on the CFR's Global Monetary Policy Tracker⁵. In January 2024, the overall global monetary stance was neutral (-0.36) however, major economies such as U.S (5.3), Russia (8.5), India (2.5) and Australia (4.3) were all observed to be tightening⁶ barring China (-3.1). However, by January 2025 (-8.31), many economies started easing, some economies like U.S (-0.5), China (-3.5) more than others such as Russia (13.5), India (2.5), Australia (4.3).

The world is projected to grow at 3.3 percent both in 2025 and 2026. Global headline inflation is expected to decline to 4.2 percent in 2025 and to 3.5 percent in 2026, converging back to target earlier in advanced economies than in emerging market and developing economies.⁷

Financial Markets Performance

Banking Industry

Globalisation, especially in the financial world has opened multiple avenues for borrowing, however, it has also exposed the borrower to global risk factors.

During the first half of FY 2024-25, Growth jitters were prevalent among investors, a major factor behind this was disturbances in Japan and Europe. In Japan this was caused due to the abrupt monetary tightening decision undertaken by the Bank of Japan after nearly two decades and in Europe it was due to anticipations surrounding elections in United Kingdom, France and Germany. The period was also characterised by a synchronised decline in short term yields.

As a result, frantic de-risking and de-leveraging had initiated in the financial markets. This volatility in the markets was, however, short lived and the markets soon recovered, this was a clear indicator of acute market sensitivity to investor sentiment. Markets are extremely prone to the ever-changing perceptions of investors about the economy.

⁴ Economic Policy Uncertainty Index, Stephen J. Davis, an index of global economic policy uncertainty, National Bureau of Economic Research working paper number 22740, Oct 2016

⁵ CFR's Global Monetary Policy Tracker compiles data from 54 countries around the world to highlight significant global trends in monetary policy and uses a scale from -15 (representing easing) to 15 (representing tightening), a negative figure represents a tightening stance and vice versa.

⁶ CFR's Global Monetary Policy Tracker

⁷ World Economic Outlook, IMF, Jan 2025

Compared to equity markets, the volatility in credit markets was of lesser intensity. In both America and Europe, the credit spreads compressed.

In the third quarter of C.Y 2024, the global foreign currency credit in the three major currencies increased slightly, Dollar credit to non-banks outside US increased by \$89 billion. Euro credit to non-banks increased by €157 billion and Yen credit to non-banks outside Japan increased by ¥263 billion.⁸

Cross-border credit to emerging market and developing economy (EMDE) borrowers rose by \$35 billion (3.8% yoy). In comparison to last year, banks' cross border claims rose by 3.4% i.e. \$629 billion. The increase in cross border credit was brought about by a \$704 billion increase in lending to non-bank sector. The Cross-border credit to non-bank financial institutions (NBFIs) recorded a growth of \$495 billion displaying an annual growth rate of 14%, which is its highest annual growth rate since Q3 2019. Cross-border credit to the non-financial sector (NFS) also grew strongly, expanding by \$209 billion during the quarter (+11% yoy).

During the period between December 2024 and February 2025, the disturbances in US and Japan started returning to normalcy post US elections and with central bank of Japan signalling normalising of monetary policy in the near future and the inflation started returning to target levels.

Between December 2024 to February 2025 varied conditions prevailed across the globe, the policy rates across major economies fell and the long-term yields rose. In the emerging economies however, the overall sentiment was subdued as they were still experiencing uncertainty owing to global political factors and volatility in technology stocks.⁹

Capital Markets

The effects of geo-political tensions and supply chain disruptions cascade well into the future, as was observed in FY 2025. There was substantial change in the monetary policy around the world, there was monetary relaxation in US and Europe. However, Emerging Markets have been performing consistently well in the last two decades and India has been one of the countries at the forefront of this growth along with China and Brazil.¹⁰

The trajectory of growth and inflation around economies remained contrasting, in the US, there was sound economic growth in the starting of the year, but the inflation has remained high whereas in Europe, the overall inflation level has gone down but there is a slowdown.

Many positive trends were observed during the beginning of FY 2025; In comparison to FY 2024, the trading value increased by 15.5% and trading volume 9.6% respectively, the global equity market capitalisation increased by 5% to USD 116.12 trillion. Global markets hosted seven unicorns in the first half of this year. The number of Initial Public Offerings (IPOs) and capital raised through IPOs however, decreased by 24.2% and 10% globally. There was also an increase in volume of exchange traded derivatives which amounted to the largest number in the last five years at 85.04 billion contracts.¹¹

⁸ BIS Global liquidity indicators

⁹ Quarterly Review, March 2025, BIS

¹⁰ "Global Equity Investing through the decades", April 2025, MSCI

¹¹ Market Highlights, 2024, World Federation of Exchanges

Funds Industry

The global asset management industry reached a record \$128 trillion in assets under management (AuM) in C.Y 2024, up 12% from the previous year.¹²

Robust market performance was the primary driver of this growth. Key indices, including the S&P 500 and NASDAQ, posted substantial annual gains of 23% and 29%, respectively. As a result, global industry revenues increased by \$58 billion, with over 70% of this growth (\$42 billion) attributed to market appreciation, while only 30% (\$16 billion) stemmed from net inflows.¹³

Alternative assets, particularly those focused on private investments, now account for over half of global asset management revenues, despite representing less than 25% of total assets under management (AuM). Between 2014 and 2024, the aggregate AuM of private equity, private debt, real estate, and infrastructure funds grew at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.1%. This significantly outpaced the broader asset management industry's CAGR of 6.5% over the same period, when excluding these asset classes. The robust expansion of private assets is driven by consistent outperformance and sustained investor demand. Both institutional investors and asset managers remain highly motivated to capitalize on this momentum.¹⁴

Popularization of ETFs is another trend that is observed globally, over the past decade, assets under management (AuM) in active exchange-traded funds (ETFs) have grown with a compound annual growth rate (CAGR) of 39% globally. This strong growth reflects investor interest in active ETFs, which offer the potential for similar performance to active mutual funds since both aim to outperform the market yet typically come with significantly lower fees. On average, active ETFs charge 0.64% in fees, compared to 1.08% for mutual funds, making them a more cost-efficient choice for investors.¹⁵

Overall, the global asset management industry continues to evolve rapidly, marked by record-breaking AuM, strong market-driven revenue growth, and a pronounced shift toward alternative and cost-efficient investment vehicles.

Insurance Industry

The global economy is currently facing a complex set of problems such as risk of a trade war between US and China, increased market concentration (the “Magnificent 7” stocks now represent around 32% of the S&P500 total market capitalisation, up from just 9% in January 2015)¹⁶ and contrasting monetary policies between developed economies. These events can have an indirect impact on the insurers in the form of higher claim costs. The insurance industry is thus navigating a landscape shaped by economic growth, evolving risk profiles, and strategic capital management.

Insured losses from natural catastrophes were at least USD 95 billion in 2024 and are expected to exceed \$135 billion in 2025, marking the fifth consecutive year of losses over \$100 billion. This trend underscores the increasing impact of climate change and urbanization on insurance losses.¹⁷

¹² "From Recovery to Reinvention", 2025, BCG

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Global economic and insurance market outlook ,2025-26, Swiss RE

¹⁷ Ibid

Both developed and emerging markets are set to record improved profitability in FY 2025, in the US it will be nudged by continued annuity inflow, in UK by pension de-risking supported by regulatory changes, In Japan it is supported by consistent underwriting results and in India it will be driven by strong economic growth, with rising demand for auto insurance, health coverages and government support for crop insurance.¹⁸

Global total insurance premiums are predicted to increase by 2.6% on average in real terms in 2025 and 2026, well above the last 5-year average of 1.6%.¹⁹

Life Insurance

Life insurance premiums are anticipated to grow by 3% in real terms in 2025-26, supported by higher interest rates boosting demand for savings products. The growth trend is expected to continue over the decade and the global life insurance premiums reaching the USD 4.8 trillion mark by 2035.²⁰

Non-Life Insurance

Global non-life premiums are projected to grow by 2.3% over the 2025-26 period, down from 4.3% growth rate in 2024, as insurance prices moderate alongside easing claims inflation.²¹ However, the sector's return on equity (ROE) is expected to improve to around 10% in both 2024 and 2025, surpassing the 10-year average of 6.8%.

Reinsurance

Global reinsurance dedicated capital reached USD 769 billion at the end of 2024, marking a 5.4% increase from the previous year.²²

The traditional reinsurance capital is set to increase by 6% in 2025, supported by continued strong profitability.²³

Reinsurance revenue grew by 8.1% in 2024, supported by higher rates in property and casualty reinsurance.²⁴

The insurance and reinsurance industries are expected to maintain resilience through robust capitalization which provides a buffer against potential shocks, underwriting discipline and enhanced modelling and risk assessment necessary to address the increasing frequency and severity of natural catastrophes. Overall, while challenges persist, the industries are positioned to navigate FY 2025 with cautious optimism, leveraging strong capital bases and strategic risk management.

¹⁸ Global economic and insurance market outlook ,2025-26, Swiss RE

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Reinsurance Market Report , 2024, Gallagher RE

²³ Ibid

²⁴ Ibid

Bullion

The global precious metals market is projected to grow from USD 327.47 billion in 2025 to USD 533.12 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.2% over the forecast period. Gold is expected to remain the dominant segment by metal type, accounting for over 40% of total market share in 2025.²⁵

Metals find applications in various industries such as in automotives, electronic industry etc. Within applications, the jewellery segment is forecast to generate approximately USD 117.56 billion in revenue by 2025. The Asia Pacific region is poised to lead the global market, capturing more than half of the total share in 2025, driven by strong industrial activity and a thriving jewellery industry.²⁶ North America, led by the United States, on the other hand is anticipated to be the fastest growing region during the forecast period.²⁷

One of the key growth drivers is the surging demand for gold and silver jewellery, particularly in markets such as India and China. Precious metals namely gold, silver, platinum, and palladium continue to play a critical role in the jewellery sector, where they are extensively used in crafting earrings, necklaces, and other adornments.²⁸

Global Silver Jewellery fabrication by 2024 end staged a partial recovery from the previous year's heavy losses, growing by 3% to 208.7Moz (6,491t), despite the jump in silver prices²⁹

In countries like India, gold jewellery consumption remains robust, fuelled by cultural and seasonal demand, such as weddings and festivals, as well as its appeal as a long-term investment. Despite rising prices, gold demand in India increased by 5% in 2024 end, reaching 802.8 tonnes³⁰

The combination of cultural significance, aesthetic value, and investment potential continues to support strong consumer appetite for precious metal-based jewellery, thereby bolstering overall market growth.

In conclusion, increasing tariffs and ongoing trade disputes could drive up inflation and reduce global trade activity. The need of the hour is to strive for better global co-ordination of economic policies.

India: Economic Assessment and Prospects

Gross Domestic Product

India is projected to be the fastest growing large economy in both FY26 and FY27, it is expected to vastly surpass the global growth rate (2.7% in FY 26) by growing at the rate of 6.7%.³¹ A consistently performing services sector has a huge contribution to India's steady growth and resilience against shocks, although there are variations in performances within the services sector in the last year, it has provided momentum to the Indian economy in face of supply chain disruptions that have impacted goods exports and thus the countries largely dependent on exports

²⁵ Precious Metals, May 2025, CMI - Globe Newswire

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ World Silver Survey, 2025, The Silver Institute

³⁰ Goldhub Data, 2025, World Gold Council

³¹ World Bank Group, Global Economic Prospects, 2025

of such goods. The overall status of the economy is positive as reflected in increasing private investments and access to credit and lowering inflation.

The International Monetary Fund projects growth in India to grow at the rate of 6.5% in FY 2025 and 2026, driven by private consumption and private investment on the back of visionary government schemes to propel infrastructure development and economic growth.³²

Inflation

The inflation rate based on All India Consumer Price Index for FY 2025 (March 2025 over March 2024) was 3.34%. The food inflation (All India Consumer Food Price Index) for the same review period was 2.69%. The corresponding rates for rural and urban were 2.82% and 2.48%, respectively.³³

India's Consumer Price Index (CPI) inflation eased to a 7-month low of 3.6% in February 2025, primarily due to a significant drop in food and beverage prices, especially vegetables. This marks a notable moderation from previous months.³⁴

Despite the overall decline, core inflation (which excludes volatile food and fuel items) crossed the 4% mark for the first time in 14 months, reaching 4.08%. This suggests that while headline inflation is moderating, underlying price pressures remain persistent.³⁵

The share of imported inflation, which is the rise in domestic prices caused by an increase in the cost of imported goods and services rose sharply from 1.3% in June 2024 to 31.1% in February 2025, driven by higher prices of precious metals, oils, and fats. This shift highlights growing external price pressures despite domestic moderation.³⁶

Thus, despite easing trends, checks should remain as risks from imported inflation and potential rupee depreciation could add upward pressure on prices going forward.

Financial Markets

Banking Sector

The banking sector continued to be stable, asset impairments reduced, and capital buffers were robust. The Gross non-performing assets (GNPAs) fell to its lowest in 12 years at 2.6% (of gross loans and advances).³⁷

A Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR ratio) of 16.7% which is above the norm for scheduled commercial banks (SCBs) is indicative of a strong capital position; it implies that the SCBs have a robust capital buffer, indicating their ability to absorb potential losses and maintain stability.

³² IMF, World Economic Outlook update, Jan 2025

³³ CPI numbers press release, March 2025, MoSPI

³⁴ Inflation and Economic Trends in India, March 2025, PIB

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ FSR, Dec 2024, RBI

Increased profitability is evident by significant increases in PAT (22.2 % YoY), RoE, and RoA, suggesting that SCBs are efficiently managing their operations, improving their financial health, and enhancing shareholder value.

With strong capital positions and improved profitability, SCBs are well-positioned to support economic growth by increasing lending and providing credit to viable borrowers.³⁸

Insurance and Re-Insurance Sector

The Indian insurance industry has demonstrated robust growth and transformation over the past decade, marked by rising penetration, expanding product offerings, and increasing competition. The sector comprises both life and general (non-life) insurance providers, including a growing number of foreign reinsurers and specialized health insurers. As of March 31, 2024, the total number of insurance companies stood at 73, reflecting a steady entry of new players and diversification within the industry.

The number of insurer offices increased up from 21,173 last year to 21,338. Insurance Penetration in India fell slightly from 4.0% in 2022-23 to 3.7% in 2023-24. However, Insurance Density rose from \$92 to \$95 per capita, showing continued growth in average insurance spend per person. Total industry premium grew from Rs.10,39,398 crore to Rs.11,19,613 crore (+7.7%), underlining robust business expansion.

In total, the insurance industry paid out Rs.7,49,311.8 crore in claims in 2023-24, up from Rs.6,46,178.1 crore in 2022-23 (+15.9%), reflecting both higher business volumes and increased claims activity, especially in health and life segments. Profitability rebounded sharply, with profit after tax rising from Rs.40,222.3 crore to Rs.57,526 crore (+43.1%). Assets Under Management (including Reinsurers & FRBs) in 2023-24, increased from Rs.60,04,209.7 crore to Rs.67,57,960.5 crore (+12.5%), highlighting strong investment growth.

In comparison to 2022-23, the life insurance segment, the total premium increased from Rs.7,82,504 crore to Rs.8,29,929.5 crore (+6.1%). Total benefits paid rose from Rs.4,96,865.1 crore to Rs.5,77,021.4 crore (+16.2%) and the profit after tax improved from Rs.42,788 crore to Rs.47,407.3 crore (+10.8%).

In the General Insurance Segment on the other hand, insurance penetration increased to 1% in 2023-24, up from 0.8% in 2013-14, showing gradual but steady growth. Within the segment, Health Premium saw the fastest growth, from Rs.97,663.5 crore to Rs.1,16,693.9 crore (+19.5%).

The outlook for the Indian insurance industry thus remains positive, underpinned by favourable demographics and a growing middle class and a supportive regulatory environment.

³⁸ FSR, Dec 2024, RBI

Capital Markets

There were 320 IPOs amounting to Rs 1.72 lakh crores.³⁹ Total preferential allotments listed at BSE and NSE amounted to Rs 84,084 crore. The market capitalisation in cash segment of NSE (in crores) increased from Rs.3,86,97,100 in 2023-24 to Rs. 41,287,647 in 2024-25.

Indian capital markets are poised for steady growth in the coming fiscal year, experts predict a NIFTY Fifty returns of 12-15% in FY 26 and investors resonate the sentiment as reflected in FPI investments in Indian equities which crossed USD 4 billion recently and although global uncertainty and instability may persist, but equities are projected to emerge as the best performing asset class.⁴⁰

Funds Industry

The Indian funds industry witnessed robust growth in 2024, underpinned by strong retail participation and technological advancements.

Monthly SIP (Systematic Investment Plan) inflows reached Rs.15,000 crore, marking a 20% year-on-year increase. The number of active SIP accounts crossed 68 million, underscoring the growing reliance on mutual funds for long-term wealth accumulation. The alternative investment market, including REITs and AIFs, saw assets under management (AUM) rise to Rs.6.4 lakh crore, expanding at an 18% CAGR. These instruments gained popularity among high-net-worth individuals (HNIs) and family offices as effective hedges against market volatility.⁴¹

ESG (Environmental, Social, and Governance) investments experienced a 30% annual rise in inflows since 2020, with ESG-focused AUM estimated to reach ₹5 lakh crore by 2025. Regulatory mandates for ESG disclosures further boosted interest in sustainable investment.⁴²

The Wealth Tech market is projected to exceed \$60 billion by 2025, growing at a 12–15% CAGR. AI-driven platforms will further democratize access to sophisticated investment tools and hyper-personalized portfolio management.⁴³

Retail participation through SIPs is expected to remain strong, supported by rising financial literacy and digital onboarding. The mass affluent segment (assets between ₹25 lakh and ₹5 crore) is projected to grow by 35% by 2025, driving demand for bespoke and flexible investment solutions.⁴⁴

The Indian funds industry is thus entering a phase of accelerated transformation, driven by technology, sustainability, and diversification.

³⁹ Monthly Bulletin, April 2025, SEBI

⁴⁰ Capital Market outlook, May 2025, Mint Markets

⁴¹ Investing in 2025, ET Markets

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Bullion

Gold

Asia comprises one of the biggest gold markets around the world owing to large demand from India and China. In India, gold demand is driven by the function that the metal is serving in various capacities such as investment, jewellery, auspicious purchase etc., Thus, along with its intrinsic and investment value, also has festive value.⁴⁵

The demand for the metal is thus driven by consumer sentiment around each of this function. For the investment function, in bar and coin segment, demand in India is expected to weaken slightly.

Gold prices witnessed volatility and reached record high; as a result, jewellery demand in India shrank. However, due to resilient demand in India, the decline was limited to 2%. For the second time in last three years, India overtook China to be the largest jewellery market. It is expected that the demand from weddings will stabilise demand.

The government discontinued the medium- and long-term options under the Gold Monetisation Scheme in March 2025⁴⁶, citing poor participation and evolving market conditions.

Total import of gold bullion in 2024-25 was 812.22 tonnes and USD 48.5 billion in value.⁴⁷

Silver

Silver prices hit a record high of ₹102,040/kg in March 2025 before correcting. Indian silver ETP holdings saw their lowest monthly inflow since December 2023, suggesting some cooling in silver investment demand.⁴⁸

One of the components of silver demand is caused by its applications linked to artificial intelligence, photovoltaic sector, automobiles etc. With an increase of 4% in the industrial uptake, India was the second largest contributor to silver demand in 2024.⁴⁹

In the coin and net bar component of the silver demand, India was again a big contributor as opposed to other countries, its 21% rise took coin and bar demand to its highest level since 2015.⁵⁰

Silver futures turnover on the Multi Commodity Exchange of India (MCX), increased by 5%, while options trading grew more than double (YoY) as high price volatility drove interest in flexible options contracts. Turnover on the International Bullion Exchange (IIBX) also improved significantly to 36.2Moz (1,127t) in 2024, representing 16% of total imports into the country.⁵¹ Imports into India of silver in 2024-25 amounted to 7,669.40 tonnes, valued at USD 3.39 billion.⁵²

⁴⁵ Gold Demand Trends, 2024, World Gold Council

⁴⁶ India Focus Monthly, March 2025, Metals Focus

⁴⁷ DICGS data

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ World Silver Survey, 2025, The Silver Institute

⁵⁰ Ibid

⁵¹ World Silver Survey, 2025, The Silver Institute

⁵² DICGS data

Fiscal Developments

External Sector

Even though there were uncertainties in the business environment, India's services exports remained resilient. The investment inflows and the balance of Payments position also remained stable. Total exports, both merchandise and services have been growing steadily, reaching USD 602.6 billion. In the first nine months of F.Y. 2025, there was a growth of 10.4% (excluding petroleum and gems and jewellery). Imports on the other hand reached USD 682.2 billion.⁵³

A rise in repatriation/ disinvestment was observed during the first 8 months, causing a decline in net FDI inflows. Gross FDI inflows however displayed signs of revival. Services sector (including Financial, Banking, Insurance, Non-Financial / Business, Outsourcing, R&D, Courier, and Tech. Testing and Analysis, Other.) continued to be the largest recipient of FDI.⁵⁴

India's Foreign Exchange reserves reached USD 640.3 billion (as of Dec 2024), a strong buffer against India's external debt of USD 711.8 billion.⁵⁵ The Current Account Deficit reduced slightly to 1.2% of the GDP in Q2. Remittances by Indians employed overseas reached USD 31.9 billion up from USD 28.1 billion last year and were the biggest contributor to net transfers.⁵⁶ External debt to GDP ratio landed on 19.4% at the end of September 2024.⁵⁷

Net capital inflows were recorded at USD 30.5 billion in the second quarter of F.Y. 25, a significant increase from the USD 12.8 billion recorded during the same time frame in the previous year. This rise was mainly due to increased FPI inflows, external commercial borrowings, and NRI deposits.⁵⁸

The net inflows from External Commercial Borrowings (ECBs) increased to USD 9.2 billion between April to October 2025, increasing substantially from the last year's level of USD 2.8 billion. Similarly, Non- Resident Indian deposits increased from USD 5.4 billion in H1 2024 to USD 10.2 billion during H1 2025.⁵⁹

Overall, despite facing several headwinds throughout the year, the Indian economy demonstrated resilience, driven by strong capital formation and vibrant manufacturing activity. This growth was further supported by a robust banking sector and a steady, well-managed monetary policy. While policymakers must remain vigilant in light of ongoing global uncertainties, the outlook for the Indian economy remains optimistic, with expectations of sustained rapid growth in the coming years.

⁵³ Economic survey, 2024-25, MoF, GoI

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

GIFT – International Financial Services Centre

The GIFT IFSC covers following verticals

Banking

Banking sector is one of the most important pillars of an international financial centre both as a financial intermediary and as a provider of key services to other financial institutions. The vibrant banking ecosystem in GIFT IFSC today comprises both foreign and domestic banks set up as branches of the parent bank called IFSC Banking Units (IBUs).

The IFSCA Banking regulations notified in November 2020 and directions / guidelines issued thereunder were aimed at enabling and facilitating various banking activities generally carried out by internationally active banks in international financial centres across the globe while ensuring a smooth transition from the RBI guidelines that were applicable prior to the IFSCA Banking Regulations.

With a view to further enhancing 'ease of doing banking business' in GIFT IFSC, the Authority issued the IFSCA Banking Handbook which acts as a compendium of all the detailed directions of the Authority to the IBUs operating in GIFT IFSC. IFSCA Banking Regulations were amended in June 2022, to allow Global Administrative Office (GAO) to be setup in IFSC.

Finance Companies

Finance Companies/Units (FCs/FUs) play a crucial role in providing non-banking financial intermediation services in the IFSC. FCs/FUs are allowed to undertake activities similar to those enabled for the IBUs in IFSC except raising public deposits, thus complementing the role of the IBUs in terms of providing financial services.

The FCs/FUs are governed under the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021 with an objective to provide a risk-focused competitive environment for financial institutions, ensuring fairness, transparency and efficiency while being aligned to international standards. The core activities include lending, investments, trading in Derivatives, acting as a Global/ Regional Corporate Treasury Centre (GRCTC) and undertaking Factoring/ Forfaiting activities. Regulations have also enabled specific activities in the IFSC which includes undertaking leasing of aircrafts, ships, and other equipment notified by IFSCA, setting up of Global and Regional Treasury Centres and International Trade Finance Platforms (ITFS Platforms).

Capital Markets

The capital markets ecosystem in GIFT IFSC aims to position India as a global financial hub by providing a robust and efficient infrastructure which includes advanced international stock exchanges, robust clearing and settlement systems and a diverse range of financial products such as equities, debt instruments, and derivatives. Regulated by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA), GIFT IFSC offers best-in-class regulatory framework, streamlined processes, and attractive tax incentives to create a conducive environment for global investors and financial entities across the globe.

The capital market ecosystem in GIFT IFSC comprises of two International Stock Exchanges (India INX and NSE IFSC) offering trading in various product categories including Index Derivatives, Equity Derivatives, Currency Derivatives, and Commodity Derivatives.

GIFT IFSC has also become the preferred destination for Indian issuers looking for raising global debt, including for green, social, sustainable and sustainability linked debt securities.

Fund Management

A robust Fund Management industry along with a well-developed supporting ecosystem is pivotal to the growth of capital markets. With a view to develop GIFT IFSC as a preferred jurisdiction for global fund management industry, IFSCA notified the Fund Management Regulations in April 2022, which came into effect in May 2022. The regulations were thoroughly revised in 2025. The Regulations have adopted global best practices and facilitate innovation and promote ease of doing business in IFSC.

Earlier, pooling of global capital for investments into India was predominantly undertaken through funds set up in overseas financial jurisdictions. In the short span of time since these regulations have come into effect, GIFT IFSC is emerging as a preferred jurisdiction for pooling global funds for investments into India as well as overseas, on account of best-in-class regulatory architecture and competitive tax regime.

Metals and Commodities

India, being one of the largest gold importers and consumers, is poised to enhance its role in the global precious metals market through the establishment of the International Bullion Exchange at GIFT IFSC. This initiative originated from the NITI Aayog's 2018 report on transforming India's gold market and was announced in the 2020 Union Budget.

The IFSCA formalized regulations for the Bullion Exchange in December 2020, leading to the creation of the India International Bullion Exchange (IIBX) by a consortium of five major Market Infrastructure Institutions (MIIs) in India and the GIFT IFSC. IIBX was formally launched by the Hon'ble Prime Minister on July 29, 2022. The idea behind IIBX is to create a vibrant marketplace and to develop a transparent Exchange model to determine the price of various metals and commodities within the country, including precious metal such as gold, silver etc, thus making India a price setter rather than a price taker in the global market.

FinTech Hub

In the last few years, India has shown its mettle in the FinTech space, the bright young Indian talent with expertise in IT and Finance have created cutting edge innovations in the field of Financial Technology and positioned India as a global front runner in the FinTech ecosystem. GIFT IFSC is strategically positioned to propel the Indian fintech ecosystem onto the global FinTech stage.

Insurance

Insurance business is one of the most important segments IFSC for developing the essential ecosystem of a financial market and providing insurance solutions to a global clientele.

IFSCA has enacted a world class and comprehensive regulatory framework for the insurers, reinsurers, and insurance intermediaries in IFSC focusing on ease of doing business. These regulations cover the aspects relating to registration of insurance business, manner of receipt of premium, designing of insurance products, investment of assets, preparation and presentation of financial statements, appointment and duties of appointed actuary, maintenance of information and records for inspection and investigation, inward and outward reinsurance operations, solvency margin etc.

While the growth in the domestic insurance market will enhance insurance inclusion and enable building large pools for Indian insurers, it also necessitates developing reinsurance capacities. GIFT IFSC, with its incentives and regulatory support, is well-positioned to develop these capacities for both Indian and global markets. Additionally, the global Indian diaspora offers significant opportunities for insurance entities to provide tailored health, life, and travel insurance products by establishing operations in GIFT IFSC.

Global In-house Centres

In the last two decades, India has emerged as a leading hub for Global In-house Centres (GICs) owing to its inherent strengths such as availability of highly skilled talent pool and competitive cost of operations. Essentially, GICs are offshore centres that perform designated in-house functions for large corporates and organizations. Over the years, GICs have started playing a strategic role at global level and have evolved as innovation centres offering advanced services in areas such as analytics, risk management, fraud prevention, etc.

To enable the GIC business in GIFT IFSC, the Central Government notified GICs as a financial service under the IFSCA Act, 2019 to provide services relating to financial products and financial services. Subsequently, IFSCA notified the Global In-House Centres Regulations, 2020 which permitted entities belonging to any financial services group to set up a GIC in the IFSC. There are multiple institutions that have established GICs in the GIFT-IFSC.

Sustainable Finance

Since its inception, IFSCA is catalysing global sustainable capital flows by creating a conducive regulatory environment especially in the areas of Debt Securities, Loans, and Funds. India has committed to achieving net-zero emissions by 2070, as announced at COP26. Meeting this goal will require substantial funding, estimated at USD 10 trillion, and GIFT IFSC is positioned to play a significant role in facilitating sustainable finance initiatives.

Ancillary services

Professional services firms are quintessential for the development of an international financial centre as they aid and assist the delivery of financial services such as Audit and Accountancy, Taxation, Legal, Consulting and Advisory services etc. Globally, the growth of financial firms and financial markets are predicated on the growth and concentration of high-quality professional services firms.

Considering the inherent importance of professional services firms in developing a robust financial services market in GIFT IFSC, IFSCA in February 2021 issued the framework for enabling Ancillary Services at IFSC.

Foreign Universities and Institutions

The Hon'ble Union Minister of Finance in the Union Budget 2022-23 announced, "World Class Foreign Universities and Institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics, free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology".

Pursuant to the Announcement, the Ministry of Finance notified courses offered in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics by foreign universities or foreign institutions in the IFSC as 'Financial Services'. This policy enabled foreign universities and foreign educational institutions setting up campuses in IFSCs under the purview of IFSCA Act, 2019. Subsequently, IFSCA notified enabling regulations i.e. IFSCA (Setting up and operation of International Branch Campus and Offshore Education Centre) Regulation, 2022.

Deakin University and University of Wollongong from Australia became one of the first foreign universities to be granted a Certificate of Registration (CoR) for their International Branch Campus in GIFT IFSC. Further, IFSCA has also granted in-principle approvals to Coventry university and Queen's University from U.K.

Annual Business Highlights

As on March 31, 2025, IFSCA has registered 864 entities across sectors, such as 29 IBUs, 162 FMEs etc. The annual business expansion and growth in the IFSC is evident in the latest key statistics presented below:

IFSC BUSINESS HIGHLIGHTS

Total IFSCA Registrations **864***



Banking Sector

Banking Assets

USD (\$) **88.51 Bn**
(as on Mar 31, 2025)

Cumulative Banking Transaction

USD (\$) **448.49 Bn**
(During FY 2024-25)

Cumulative Derivatives trade (including NDF)

USD (\$) **398.36 Bn**
(During FY 2024-25)



Capital Market

Avg. Monthly Turnover (IFSC Exchanges)

USD (\$) **93.76 Bn**
(During FY 2024-25)

Cumulative Debt Listing on Exchanges

USD (\$) **65.10 Bn**
(upto Mar 2025)

Aggregate Open Interest of all Derivatives Contract

USD (\$) **12 Bn**
(As on Mar 31, 2025)



Fund Management

No of Fund Management Entities

162
(As on Mar 31, 2025)

No. of Funds/Schemes Registered

229
(As on Mar 31, 2025)

Total Commitments Raised

USD (\$) **15.74 Bn**
(As on Mar 31, 2025)



Sustainable Finance

Total Sustainable Credit by Banks

USD (\$) **3.39 Bn**
(During FY 2024-25)

Cumulative ESG labelled Debt Listing on IFSC Exchanges

USD (\$) **15.43 Bn**
(as on Mar 31, 2025)

No. of Debt Listings on IFSC Exchanges

64
(During FY 2024-25)



Bullion

No. of Qualified Suppliers | Jewelers | TRQ Holders

37 | 167 | 441
(as on Mar 31, 2025)

GOLD Traded on IIBX

Volume **93.07 t**
Value USD (\$) **7.93 Bn**
(During FY 2024-25)

SILVER Traded on IIBX

Volume **239.18 t**
Value USD (\$) **228.31 Mn**
(During FY 2024-25)



Insurance Sector

No. of Insurance Firms | Intermediaries

18 | 27
(as on Mar 31, 2025)

Premium written by IFSC Insurance Office

USD (\$) **207.70 Mn[#]**
(During FY 2024-25)

Premium transacted by IFSC Insurance Intermediary Office

USD (\$) **302.60 Mn**
(During FY 2024-25)



Aircraft/Ship Leasing

No. of Registered Aircraft | Ship Lessors

32 | 24
(as on Mar 31, 2025)

No. of Aviation Assets Leased

242
(as on Mar 31, 2025)

No. of Ships Leased

18
(as on Mar 31, 2025)



Finance Companies

No of Finance Companies

74
(as on Mar 31, 2025)

Transactions Financed by ITFS Platforms

USD (\$) **44.36 Mn**
(as on Mar 31, 2025)

Business of GRCTC Loans & Advances

USD (\$) **2332 Mn**

Total Investments
USD (\$) **141.38 Mn**
(as on Mar 31, 2025)



FinTech/ TechFin

No of Direct Authorisation

18
(upto Mar 2025)

No of Sandbox Entities

27
(upto Mar 2025)

No of Entities exited from Sandbox

23
(upto Mar 2025)



Other Sectors

No of Foreign Universities

4
(as on Mar 31, 2025)

No of Global In-house Centres

3
(as on Mar 31, 2025)

No Ancillary Services Entities

88

No BATF Services Entities

3
(as on Mar 31, 2025)

*Reinsurance data of one IIO is under examination and hence not included

*Including In-Principle/ provisional registrations

SECTION-C

**REVIEW OF POLICIES, PROGRAMMES
AND ACTIVITIES OF THE AUTHORITY**

Banking and Payment Services

Banks play a crucial role both as a financial intermediary and as a provider of key services to other financial institutions in IFSC. The vibrant banking ecosystem in GIFT IFSC today comprises 13 foreign and 16 domestic banks set up as branches of the parent bank called IFSC Banking Units (IBUs). One multilateral bank viz. New Development Bank has set up its Regional Office of India in GIFT IFSC. Further, one foreign bank and one domestic bank have set up their Global Administrative Offices (GAOs) in GIFT IFSC.

The regulatory framework of banks in IFSC consists of IFSCA (Banking) Regulations, 2020 (as amended) and IFSCA Banking Handbooks. The framework is reviewed on a regular basis with the demand from market participants and based on emerging banking trends across the world.

Payment Service Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO) also play an important role in providing non-banking financial intermediation services to various participants including banks. Since payment services are a natural extension of the banking services, the PSP and PSO complement the role of banks in furtherance of payment and settlement services to various stakeholders.

PSPs are the front-end service channel used to initiate payment that connects the payer and the payee. PSPs in IFSC are governed under the IFSCA (Payment Services) Regulations 2024, which provides a principle-based framework for such institutions, ensuring fairness, transparency and efficiency while being aligned to international standards. Currently, the activities which have been permitted as payment services activities include – account issuance service (including e-money account issuance service); e-money issuance service; escrow service; cross border money transfer service; merchant acquisition service. A single authorisation enables a PSP to provide any combination of the permitted payment services.

Payment Systems form the backbone for effecting large value transactions and/or settlement of funds underlying such payment transactions. Essentially, PSOs form the infrastructure for payments and/or settlement. PSOs in IFSC are governed under the IFSCA (Payment and Settlement System) Regulations, 2024, which have been framed using the powers under the Payment and Settlement System Act (“PSS Act”), 2007. The regulations specify the procedure and factors for consideration for grant of authorisation by the Authority and include best practices like Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) and Core principles for systemically important payment systems (CP-SIPS), that may be complied with by the PSO.

Policy/ Regulatory Developments

IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations 2024

The IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations 2024 amended the existing IFSCA (Banking) Regulations, 2020, and inserted the following mentioned currencies under the First Schedule:

- i. Swedish Krone (SEK)
- ii. Norwegian Krone (NOK)
- iii. New Zealand Dollar (NZD)
- iv. Danish Krone (DKK)

With the addition of these four currencies, now IBUs are permitted to conduct business in total of 15 specified foreign currencies.

IFSCA Banking Handbook

IFSCA Banking Handbook: General Directions – Version 5.0

One of the provisions in the undertaking submitted by a banking company for setting up an IBU, required notifying the Authority in case of any 'anticipated or actual' breach of prudential requirements set by the home regulator. This has been revised to remove the phrase 'anticipated and actual'. Further, prudential requirements viz. LCR, CRAR, and NSFR have been specified, in the said provision, to enhance clarity and facilitate ease of compliance and doing business.

IFSCA Banking Handbook: Conduct of Business Directions – Version 6.0

- A Circular enabling IBUs to undertake OTC Derivatives (OTDE) on Gold and Silver and offer such derivatives to their clients, including Persons Residents in India to hedge the price risk was issued.
- A para has been included in OTDE module classifying Offshore Derivative Instruments (ODIs) as 'Qualified Financial Contracts' under Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020.

IFSCA (Payment Services) (Amendment) Regulations, 2024

The definition of the term “escrow service” which is one of the payment services that may be provided by PSPs authorised by the Authority under the IFSCA (Payment Services) Regulations, 2024, has been modified to cover situations in which more than two parties may be involved in a transaction.

IFSCA (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024

As per sub-section (1) of Section 3 read with Section 34B of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act), the IFSCA shall be the designated authority for regulation and supervision of Payment Systems in IFSC.

As per sub-section (2) of Section 3 of the PSS Act, IFSCA, for the purposes of exercising the powers and performing the functions and discharging the duties conferred on it under the PSS Act, has notified the IFSCA (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024, which *inter-alia* provides –

- The composition of the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS)
- The duties, powers and functions of the BPSS
- The procedure to be followed at the meetings of the BPSS
- The powers of the BPSS to be exercised under specific circumstances
- The power of the BPSS to set up sub-committees and advisory committees

IFSCA (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024

Using the powers, conferred upon it under the sub-section (1) of Section 38 of the PSS Act, the Authority has notified the IFSCA (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024.

The regulations lay down the process of authorisation and operations of Payment Systems in IFSC and inter alia specifies the authorisation requirements that must be fulfilled by the system provider for the grant of authorisation by the Authority for commencing or carrying on a Payment System in an IFSC. Additionally, the regulations mandate the system provider to comply with the Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) issued by Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Transaction/Processes/Operations/Trends

Growth in number of IBUs

As on March 31, 2025, the Banking ecosystem at IFSC has 28 IBUs and 2 GAOs operating. One more IBU has been given license and is commencing operations in April 2025.

Table 1: No. of IBUs & GAOs at IFSC

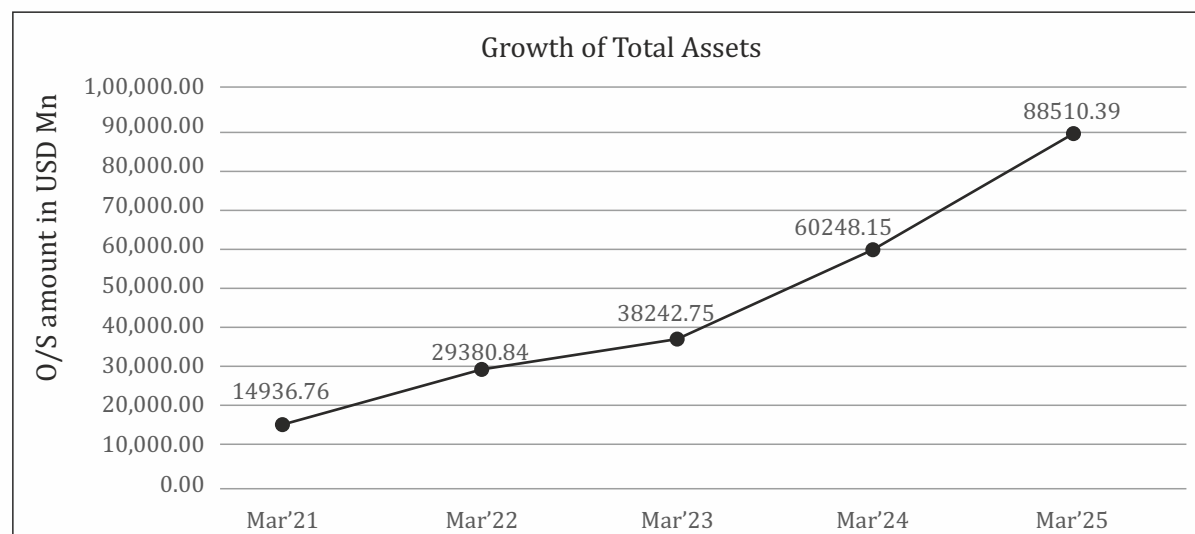
Particulars	FY 2023-24	FY 2024-25
No. of operational IBUs	23	28
No. of operational GAOs	1	2

Expansion of Asset Base

Table 2: Total Assets (Outstanding) in IBUs

Particulars	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Total Assets at IFSC (in USD Mn)	60,248.15	88,510.39

Figure 1: Growth of total assets (USD Mn) of IBUs



Contribution to Employment Generation

Table 3: No. of employees in all IBUs

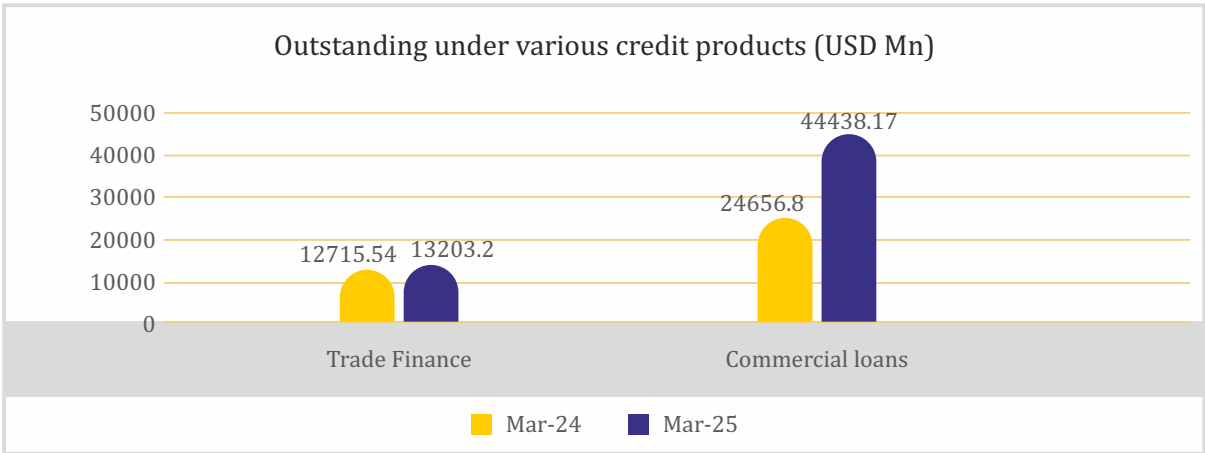
Particulars	FY 2023-24	FY 2024-25
No. of employees at all IBUs located in IFSC	343	447

Sources and Deployment of Funds

IBUs raise funds through interbank and interbranch borrowings, bilateral borrowing, medium term notes, borrowings from multilateral institutions, customer deposits, etc. Activities on asset deployment have been largely concentrated towards trade finance and commercial loans.

Customer Credit (Net) of the IFSC Banking ecosystem as on March 31, 2025, stands at USD 59.46 Bn and total asset size of IFSC banking units is USD 88.51 Bn.

Figure 2: Outstanding of Major Credit Products (USD Mn) of IBUs

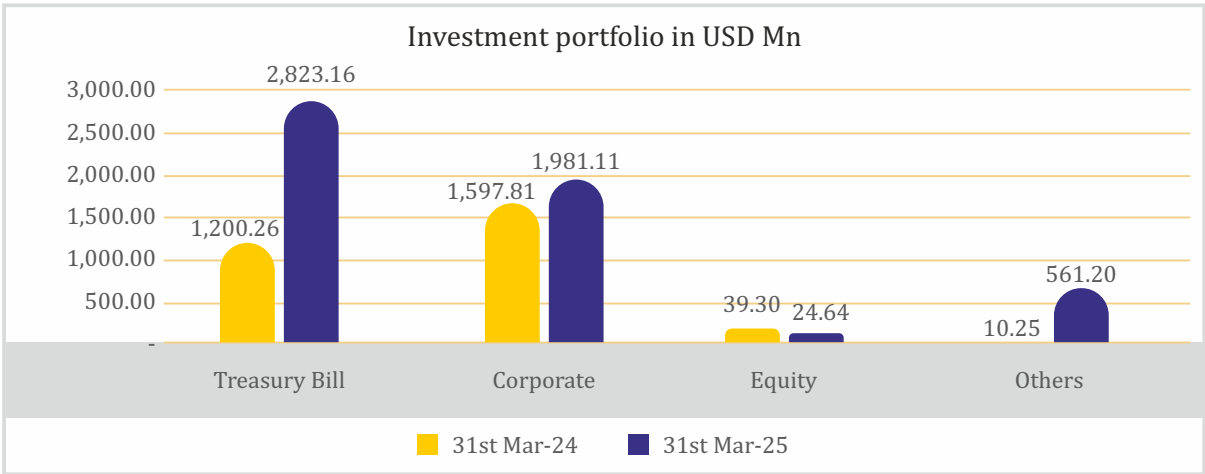


Customer Credit Trends

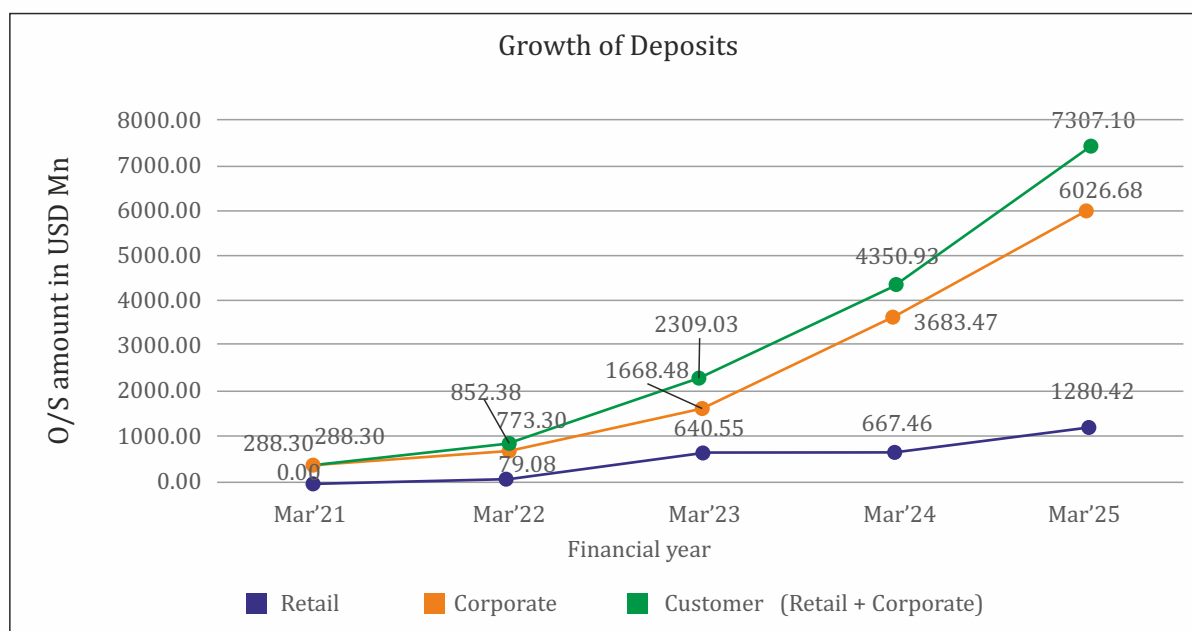
Total customer credit outstanding has increased by 52.03% from USD 39.11 Bn (as on March 31, 2024) to USD 59.46 Bn (as on March 31, 2025). Growth in Commercial loans which includes External Commercial Borrowings and trade finance has been the biggest contributor for this increase in the customer credit outstanding for the IFSC.

Investment Profile

Figure 3: Investment profile in USD Mn



IBUs are maintaining investment in Treasury bills for compliance with the prudential requirement of LCR maintenance. Overall, there is a notable shift in investment preferences from Corporate Bonds to Treasury Bills by the IBUs over the one-year period as more IBUs have received FPI license.

Figure 4: Growth of deposits (In USD Mn)

IBUs are offering savings, current and time deposits for retail and corporate customers. The retail deposits show a modest growth whereas the corporate deposits exhibit significant growth resulting in strong upward trend in deposit mobilization.

Derivative Market Activity

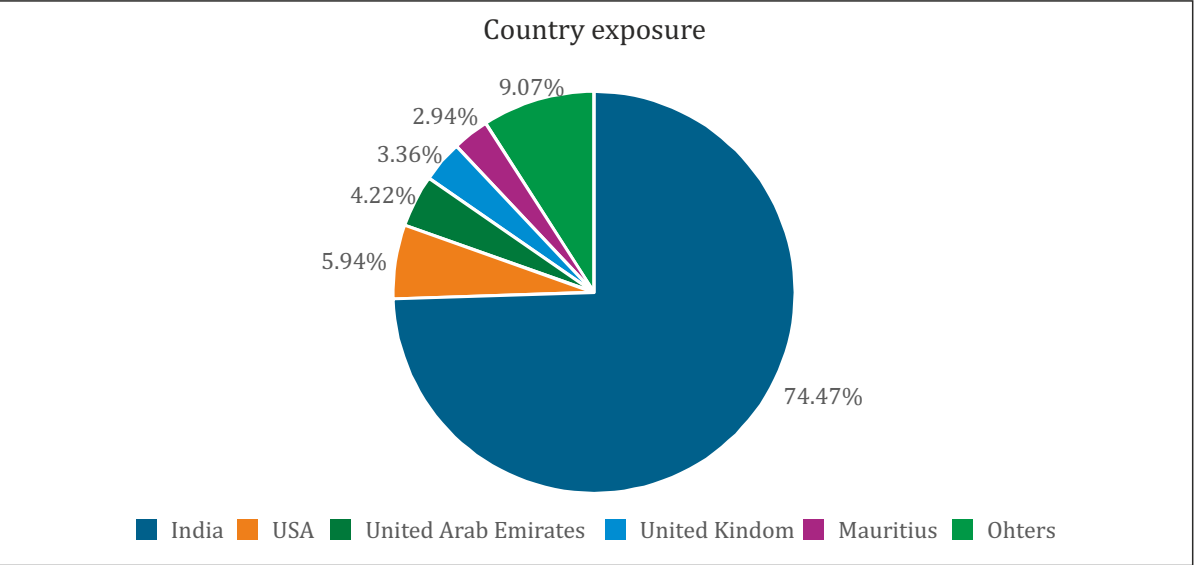
Table 4: Outstanding Over the Counter (OTC) Derivative Contracts

Derivative Outstanding (in USD Mn)	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Non-Deliverable Derivative Contracts (FCY-INR) (including NDF, Fx-Swaps and options)	26159.99	35919.50
FCY-FCY forwards	4145.16	7238.24
FCY-FCY currency swap	966.35	2639.61
FCY-FCY currency option	2515.61	12187.70
INR Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS))	28045.45	74227.39
FCY Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS))	101681.32	102692.86
Others	663.34	1354.74
Total	164177.22	236260.04

The outstanding derivative contracts have increased by 43.90%. A few IBUs have commenced their market operations during the financial year whereas a few have increased their derivative trading portfolio based on their business strategies and new products like Total returns swaps, Swaptions resulting in the overall increase in the derivative contracts outstanding at IBUs.

Country-wise Exposure

Figure 5: Major Country exposure of IBUs



IBUs have highest exposure to entities from India (74.47%) followed by USA (5.94%) and UAE (4.22%). Top five countries constitute 90.93% of the exposure of the IBUs as on March 31, 2025.

Payment Services and Payment Systems

Table 5: Number of PSP and PSO as on March 31, 2025

Particulars	No. of Entities
Payment Service Provider (In-principle approval)	5
Payment Service Provider (Authorisation)	2
Payment System Operator (In-principle approval)	1

Supervision

The Department of Banking Supervision (DoBS) is responsible for supervising the IBUs, PSPs, GAOs and Finance Companies (FCs/ FUs) in IFSC. The department adopts a risk-based supervisory approach to achieve its objective with offsite and onsite monitoring of regulated entities.

Key Supervision Activities

Off-site Monitoring

DoBS conducts off-site assessments on an ongoing basis by analyzing regulatory returns submitted by IBUs and regular interactions with Key managerial personnels of IBUs and the controlling offices.

On-site Assessment

Onsite assessments are carried out at periodic intervals based on risk scoring of supervised entities. The primary objective of this exercise is to assess internal controls, compliance with regulations, review of products being offered by the IBUs, processes involved, AML procedures, and assessment of risk profile of the IBU.

Thematic Study and Targeted Assessments

In addition to regular onsite assessments, the DoBS undertakes thematic studies on specific areas of concern such as derivatives exposures, Operating model, Deposits, internet banking etc.

Compliance Monitoring and Enforcement

The DoBS monitors compliance with prudential norms, licensing terms & conditions, and regulatory guidelines which also include Handbooks issued by IFSCA.

Interaction with Stakeholders

Regular engagement is maintained with the management of IBUs and their Controlling offices. These interactions help in conveying supervisory concerns, expectations, discussing risk trends, and ensuring alignment with regulatory objectives.

Capacity Building and Regulatory Development

The department contributes to the implementation of regulatory frameworks and guidelines based on supervisory insights and market developments. It also emphasizes capacity building within the supervision team through training and workshops.

During FY 2024-25

- i. Department conducted onsite assessments of the IBUs along with thematic assessments.
- ii. Discussions and meetings with other supervisors to have an overall view over the IBU.

Advocacy and Outreach

IFSCA Delegation visit to Hong Kong and Seoul, South Korea

In April 2024, a delegation from IFSCA, led by Chairperson, IFSCA visited Hong Kong and Seoul, South Korea. During the visit, the delegation participated in the '*HSBC Global Investment Summit 2024*' held in Hong Kong where Chairperson, IFSCA featured as a panelist.



Image 1: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA at HSBC Global Investment Summit, Hong Kong, 2024

Engagement with HKMA

The Chairperson of IFSCA met Mr. Darryl Chan, Deputy Chief Executive, HKMA. The discussion focused on the developments in the banking and financial services sector as well as potential collaboration opportunities.

Engagement with Financial Services Commission (FSC), Korea

The Chairperson of IFSCA met Mr. Soyoung Kim, Vice Chairman of FSC. The discussion focused on the developments in the banking and financial services sector as well as potential collaboration opportunities.



Image 2: Chairperson, IFSCA with Vice Chairman, FSC Korea

Policies and Programmes for the Following Year

Enablement of Deposit insurance for IBUs in IFSC

IFSCA has been coordinating with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) to enable the provision of deposit insurance to the depositors of IBUs. It is expected that availability of deposit insurance for IBU depositors will be operationalised in upcoming financial year.

Enablement of registration of assignment of receivables

IFSCA has been coordinating with Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) for enabling registration of assignment of receivables of factoring transactions in IFSC with Security Interest registry of CERSAI. This process is expected to be operationalised in upcoming financial year.

Framework under the Payment and Settlement Regulations

Pursuant to the notification of IFSCA (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024 on October 14, 2024, in the Official Gazette, the Authority shall create the necessary framework thereunder for authorisation of various types of payment and settlement systems in IFSC.

Foreign Currency Settlement System

A Foreign Currency Settlement System (FCSS) is being setup in GIFT IFSC which would settle foreign currency transactions (starting with USD) undertaken among IBUs located in GIFT IFSC.

Finance Companies

Finance Companies/ Units (FCs/ FUs) play a vital role in facilitating non-banking financial intermediation within the IFSC. They complement the functions of IBUs by providing a wide variety of financial services, although they do not accept public deposits.

Regulated by the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021, FCs/ FUs operate in a competitive, risk-focused, and transparent environment that aligns with global standards. The activities undertaken by FC/ FUs include core activities such as lending, investing, factoring, forfaiting, and activities as Global/Regional Corporate Treasury Centre (GRCTC). The regulatory framework also enables FC/ FUs to undertake non-core activities such as International Trade Finance Services (ITFS) platforms and operating lease of any products, including aircraft lease, ship lease, or any other equipment specified by the Authority.

As of March 31, 2025, the IFSCA has granted registration to 73⁶⁰ entities to set up as Finance Companies under the FC Regulations. Among these 12 entities have been registered to engage in core activities like lending and factoring and 3 have been registered for undertaking activities as GRCTC. With regards to FC undertaking non-core activities, 32 Aircraft Lessors have leased out a total of 242 aircraft assets from GIFT IFSC, 24 ship lessors and 4 ITFS entities have started commercial operations.

Policy/ Regulatory developments

Finance Company (Core Activities) - Global/ Regional Corporate Treasury Centres (GRCTCs)

GRCTC functions as in-house bank for multinational corporations, facilitating the management of global treasury operations such as foreign exchange and risk management, asset and liability management, and advisory services. The IFSC offers a globally competitive ecosystem for such activities, combining robust infrastructure with cost efficiency, favorable tax regimes, and a streamlined regulatory environment.

To support the growth of this segment, IFSCA issued the GRCTC Framework in June 2021. Later, as part of its mandate to periodically review and update its regulatory architecture, IFSCA issued a public consultation paper proposing a revised framework for GRCTC. The objective is to align the GRCTC structure with international standards followed in jurisdictions like Singapore and Hong Kong among others, thereby increasing the IFSC's appeal as a preferred location for global treasury centres while maintaining robust regulatory oversight.

⁶⁰ Including provisional registrations

Aircraft Leasing

Aircraft leasing continues to be a focus area in the efforts to establish IFSC as a global hub for aircraft financing and leasing. To support this vertical, certain modifications were made to the erstwhile Aircraft Leasing framework, including introduction of certain restrictions on transfer of aircraft assets from person resident in India to IFSC based lessors - solely for purpose of leasing within the country. However, IFSC lessors have been permitted to acquire aircraft assets from Indian manufacturers.

Additionally, to provide clarity and ease of reference for stakeholders, a consolidated circular was issued, titled '*Framework for Aircraft Lease*', which compiles all relevant guidelines and amendments into a single, comprehensive document.

Ship Leasing

Ship Leasing also remains a key focus area for IFSCA. The regulatory framework for ship lease was issued in 2021 and during the extant period, the framework was modified by mandating that only lessors holding ownership or leasehold rights over a ship or ocean vessel may engage in activities such as voyage charters and contracts of affreightment. Further, restrictions were also introduced on the transfer of vessels from person resident in India to IFSC entities solely for servicing Indian clients. However, lessors were permitted to acquire new ships or vessels from Indian shipyards.

Additionally, following an amendment to Rule 21B of the SEZ Rules, 2006 by the Ministry of Commerce and Industry (notified on March 14, 2024), IFSC-based ship lessors are now permitted to share office space and personnel with other ship lessors operating within the IFSC.

Leasing of Oilfield Equipment

The FC Regulations permit activity of 'operating lease' of any products or equipment as may be specified by the Authority from time to time as a permissible non-core activity. In furtherance to this enablement, stakeholder enquiries were received on whether lease of oilfield equipment may be considered within the purview of the FC Regulations.

Based on internal studies it was identified that leasing of oilfield equipment is a well-established practice in jurisdictions such as the USA, China, Malaysia, Singapore, and Dubai. Recognising this international trend and following stakeholder consultations, IFSCA observed that leasing such equipment could offer Indian companies a more capital-efficient alternative to outright purchase, especially considering India's significant reliance on imported oilfield equipment for domestic oil and gas production.

In view of the above, IFSCA issued a public consultation paper proposing "operating lease, including any hybrid of operating and financial lease of oilfield equipment" as a financial product under the IFSCA Act, 2019. The consultation paper defines 'oilfield equipment' as set of goods mentioned in GST notification no. 3/2017-Central Tax (Rate) dt. June 28, 2017 [*Concessional CGST rate for supplies to Exploration and Production*], that will be used in oilfield wherein the expression 'Oilfield' shall be as defined in the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948.

This proposal is aimed at exploring the feasibility of enabling lessors to set-up in IFSC undertake operating lease of oilfield equipment, thereby broadening the scope of permissible equipment leasing activities and further strengthening IFSC's position as a centre for innovative financial products.

International Trade Financing Services Platform (ITFS)

IFSCA issued revised guidelines for the operations of ITFS platforms, ushering in a more flexible and inclusive regulatory environment for trade finance in IFSCs. These guidelines replace the earlier ITFS framework and incorporate several key enhancements aimed at broadening participation and improving operational efficiency.

Key highlights of the revised ITFS guidelines include:

- i. **Simplified Eligibility and On-Tap Registration:** The eligibility criteria for setting up ITFS platforms have been streamlined. In place of the earlier fixed application windows, IFSCA has adopted an on-tap registration mechanism, allowing applicants to apply at any time during the year.
- ii. **Expansion of Permissible Activities:** The scope of ITFS operations has been expanded to include:
 - a. Secondary market transactions in Trade Financing Units (TFUs), and
 - b. Facilitation of clearing and settlement of funds
- iii. **Wider Participant Base:** The list of eligible participants has been broadened to include payment service providers, enabling greater integration and access within the trade financing ecosystem.

Further, based on industry representations and considering that ITFS platforms operate as marketplaces, the fee structure applicable to ITFS operators was revised. Under the new guidelines, the annual fee has been linked to the total value of transactions handled by the platform, promoting a more proportionate and usage-based approach to regulatory charges.

Transaction/Processes/Operations/Trends

The IFSC continues to gain substantial traction as a preferred destination for establishing FCs/FUs, with a diverse set of entities, from domestic institutions to global players and public sector undertakings, expressing keen interest. These FCs are being set up to undertake a wide spectrum of permitted activities, including lending, factoring and forfaiting, treasury operations, and leasing aircraft and ships. This growing momentum underscores the IFSC's evolving stature as a dynamic and globally competitive financial hub.

A diverse set of prominent entities registered as Finance Companies in the IFSC during the financial year, reflecting the Centre's growing appeal across sectors such as aircraft and ship leasing, lending, and treasury operations.

Table 6: Registered Finance Companies during FY 2024-25

Type of activity undertaken by the Finance Company	FC (Core)	Aircraft Leasing	Ship Leasing	FC (non-core) – holding cos and ITFS entities ⁶²	Total
Provisional Registration Granted	2	2	7	0	11
CoR Granted	6	12	9	0	27
Total Registrations till March' 25 ⁶¹	12	32	24	5	73

Table 7: Assets leased by Aircraft Leasing Entities as on March 31, 2025

	Type of Aviation Assets	No. of assets leased
1	Aircrafts	90
2	Engines	67
3	Ground Support Equipment	85
	Total	242

Table 8: Assets leased by Ship Leasing Entities as on March 31, 2025

	Type of Assets	No. of assets leased
1	Ships	18

Table 9: Business details of Global/Regional Corporate Treasury Centres (GRCTC) as on March 31, 2025

Particulars	As on March 31, 2025
Loans & Advances (USD Mn)	2332.05
Total Investments (USD Mn)	141.38

Table 10: Business details of Core Finance Companies (e.g. Lending, Export financing)

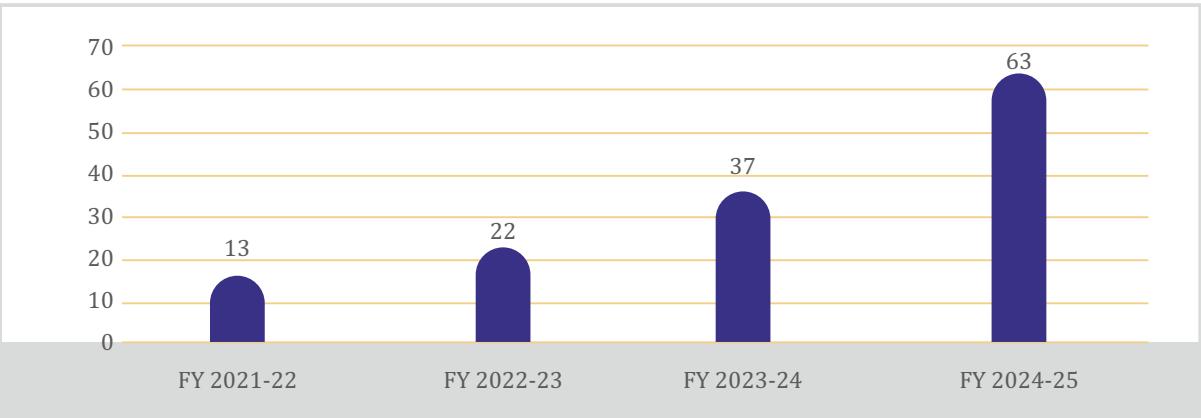
Particulars	As on March 31, 2025
Loans & Advances (USD Mn)	7.73
Total Investments (USD Mn)	6.65

⁶¹ Including provisional registrations⁶² Other than Aircraft and Ship Operating lease

Table 11: Transactions facilitated by ITFS Platforms

Particulars	As on March 31, 2025
Number of Transactions Financed	779
Value of Transactions Financed (USD Mn)	44.358

Figure 6: Growth in Finance Companies in IFSC ⁶³



Advocacy and Outreach

Engagements during the IFSCA delegation visit to Hong Kong and Korea

During the Delegation visit, led by Chairperson, IFSCA, discussions were held with leading banking institutions in Hong Kong and Korea, stakeholder from the financial services sector, aircraft and ship lessors to discuss the evolving banking landscape within the IFSC.

IFSCA CPSE Summit – 2.0



Image 3: Ms. Riddhi Bhandari, General Manager, IFSCA, during IFSCA CPSE Summit 2.0

IFSCA held the second edition of the summit in New Delhi and discussions and roundtable were held on opportunities for PSE's in IFSC including debt listing, treasury centres, EXIM trade among others.

⁶³ Excluding entities granted provisional registrations

Policies and Programmes for the Following Year

Issuance of revised Framework on 'Global/ Regional Corporate Treasury Centres'

The Authority has issued a consultation paper to seek public feedback on this proposal. Based on the responses received and further engagement with industry stakeholders, IFSCA will evaluate and incorporate necessary changes before finalising and issuing the updated framework.

Explore the enablement operating lease of 'Oilfield equipment' as a financial product

The Authority has issued a consultation paper to seek public feedback on this proposal. Based on the responses received and further engagement with industry stakeholders, IFSCA will explore on aspect of enabling operating lease, including hybrid of operating and financial lease, of 'oilfield equipment' as a financial product in IFSC.

Issuance of revised Regulations and handbook for FC/FU

The Authority has issued a consultation paper to seek public feedback on this proposal in accordance with the IFSCA (Procedure for Making Regulations) Regulation. Based on the responses received and further engagement with industry stakeholders, IFSCA will explore necessary modifications/ amendments to the existing FC Regulations, with a focus on ease of doing business and alignment with international best practices. Additionally, the Authority is also considering the development of a handbook for FC/ FU. This would serve as a user-friendly reference, consolidating relevant circulars and guidelines issued for FCs/ Fus.

Exploring necessary enablement for FC/ FU to become member of Credit Information Companies in India

IFSCA had earlier issued a circular bringing FC/ FUs engaged in lending activities within the scope of "credit institution" as defined under the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. Building on this, IFSCA is currently examining the necessary enablement to facilitate the onboarding of such entities onto Credit Information Companies (CICs) in India. This will enable such entities to access, report, and share credit data with CICs, thereby enhancing credit transparency and risk management.

Review of the Aircraft and Ship Leasing Framework

According to the IFSCA (Procedure for Making Regulations) Regulations, all regulations/ frameworks/ circulars issued by the Authority must undergo a review every three years. Consequently, the aircraft and ship leasing circulars will be evaluated and appropriately modified/ amended to facilitate the ease of doing business for entities. This review process will also entail making necessary amendments to circulars and frameworks in consultation with the industry.

Policy and Regulatory Developments

IFSCA (Listing) Regulations, 2024

The Government of India notified the Direct Listing Scheme on January 24, 2024, by notifying the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Amendment Rules, 2024 and the Companies (Listing of Equity Shares in Permissible Jurisdictions) Rules, 2024 (“LEAP Rules”). These rules provide the legal framework for direct listing of equity shares of public Indian companies on the international exchanges in the IFSC.

IFSCA constituted a Standing Committee on Primary Markets (“SCOP”) for advising IFSCA on the various policy and regulatory matters to facilitate the development of a vibrant and robust ecosystem for primary markets in the IFSC.

Pursuant to recommendations of the SCOP and public consultation, IFSCA decided to replace the IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 with new regulations for listing of securities and other permitted financial products on the stock exchanges in the IFSC. The Authority in its meeting held on June 27, 2024, approved the IFSCA (Listing) Regulations, 2024 (“New Listing Regulations”).

The New Listing Regulations have been prepared considering the regulatory framework for listing in various international financial centres. For instance, the eligibility criteria for IPOs have been broadened. The issuers who may not be able to fulfil the criteria of pre-tax profit or revenue are eligible for IPO based on post issue market capitalization of USD 25 million.

Similarly, several other requirements relating to listing such as filing of offer documents, disclosures, timing of offer, pricing, minimum public offer requirements, underwriting, anchor investors, and lockup periods have also been benchmarked with international best practices.

With respect to debt securities, issuers are required to file a listing application along with the offer document or information memorandum with a recognized stock exchange. Credit rating has been made mandatory, and from April 1, 2025, issuers have been mandated to obtain a credit rating from at least one CRA registered with IFSCA. ESG-labelled debt securities, such as “Green,” “Social,” “Sustainability,” and “Sustainability-Linked” debt securities are required to adhere to additional requirements based on global best practices, including ICMA and Climate Bonds Standards.

The New Listing Regulations facilitate Indian issuers (start-ups, in particular) and foreign issuers to access capital through issue and listing of securities on the stock exchanges in the IFSC. The regulations are expected to promote ease of doing business for the issuers to access capital market through listing of securities on the stock exchanges in the IFSC with greater flexibility and efficiency.

Listing of Commercial Paper and Certificates of Deposit

The New Listing Regulations enable listing of Commercial Paper (CPs) and Certificates of Deposit (CDs) on the recognised stock exchanges in the IFSC. IFSCA issued a consultation paper on September 02, 2024, seeking suggestions on the proposed detailed regulatory framework for listing of CPs and CDs on the Stock Exchanges in IFSC.

Based on comments received from the stakeholders and after the approval of the Authority, IFSCA issued the circular on *"Listing of Commercial Paper and Certificates of Deposit on the recognised stock exchanges in the IFSC"* on October 17, 2024. The framework will enable raising of short-term finance by issuers out of the IFSC.

One of the objectives of the said circular on CPs and CDs is to enable listing of new products on the stock exchanges in the IFSC for providing an opportunity to the investors to invest in short term instruments in the IFSC. This will contribute towards development of the capital market ecosystem in the IFSC.

The said circular provides the regulatory requirements for facilitating issuers to list CPs and CDs in an efficient and transparent manner ensuring that adequate material information is made available to the investors for making informed decision. The circular, *inter-alia*, specifies the conditions for issuance of CPs and CDs, eligible issuers, eligible investors, disclosures in the offer document, continuous disclosures etc.

IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025

The IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 were notified and published in the Official Gazette of India on October 20, 2021, providing the framework for regulating the capital market intermediaries in the IFSC.

In terms of regulation 7 of the IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021, the Authority is required to review each regulation every three years unless a review is warranted earlier.

Accordingly, IFSCA issued a Press Release on July 18, 2024, inviting suggestions from public and regulated entities for review of IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021. Over the past four years, the capital markets ecosystem in IFSC has witnessed significant growth, leading to a notable increase in the number of registered capital market intermediaries in the IFSC. One of the main objectives of the review process was to update the regulations for meeting the evolving needs of the market participants and other stakeholders.

Based on the comments received from stakeholders, IFSCA issued a consultation paper on November 21, 2024, on the draft new regulations for capital market intermediaries, in accordance with the process laid down in regulation 4 of the IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021.

The Authority in its meeting held on March 26, 2025, approved the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025 ("New CMI Regulations").

The salient features of the New CMI Regulations approved by the Authority are as follows:

1. Category of intermediaries

The New CMI Regulations provide the regulatory framework for 'Research Entity' as a new category of intermediary, while the 'Account Aggregator' category has been removed. The regulatory frameworks for 'Distributors' and 'ESG Ratings and Data Products Providers' (ERDPP) have been incorporated in the New CMI Regulations.

2. Principal Officer and Compliance Officer

The New CMI Regulations specify the minimum qualification and experience requirements for Principal Officer and Compliance Officer applicable for all categories of capital market intermediaries.

3. Net Worth

The net worth requirements have been revised in the New CMI Regulations, including the following:

- i. In case of entities operating in branch, the minimum net worth requirements maintained at the parent level in the home jurisdiction shall be earmarked for its branch in IFSC.
- ii. In respect of broker dealers, clearing members and investment bankers, net worth maintained in the form of "liquid assets" shall only be considered.
- iii. The minimum net worth requirements have been rationalized for the following categories:
 - a. Credit Rating Agency - USD 200,000/-
 - b. Investment Adviser - USD 25,000/-
 - c. Investment Banker - USD 100,000/-
- iv. The minimum net worth requirements under these regulations shall be separate and in addition to the minimum net worth requirements applicable for other activities outside IFSC or within IFSC under any other regulations or framework.

4. Submission of Annual Compliance Audit

The New CMI regulations specify that all the intermediaries shall file a copy of their annual compliance audit with IFSCA by the 30th of September every year.

The new CMI Regulations are expected to further increase the vibrance in the capital market.

Remote Trading Participants on Stock Exchanges

A significant policy decision has been taken by permitting members of stock exchanges based in 28 permitted foreign jurisdictions to trade directly on IFSC stock exchanges without the need for physical presence in IFSC. Such members of foreign stock exchanges are on-boarded by stock exchanges in IFSC as Remote Trading Participants (RTPs). The RTPs can trade only on a proprietary basis in cash settled derivatives on IFSC stock exchanges. This initiative is expected to

facilitate the onboarding of top High Frequency Trading (HFT)/ Algorithmic trading firms on the stock exchanges leading to enhanced liquidity across exchange-traded derivatives products.

The stock exchanges have been provided the operational flexibility to specify the eligibility criteria for onboarding RTPs while ensuring compliance with IFSCA (Anti Money Laundering, Counter Terrorist-Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022.

IFSCA (Market Infrastructure Institutions) (Amendment) Regulations, 2024

IFSCA has notified the IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (MII Regulations) providing a unified regulatory framework for stock exchanges, clearing corporations and depositories. IFSCA had made the amendments in MII Regulations in November 2024, primarily to strengthen governance norms of the MIIs.

MIIs are vested with regulatory responsibilities, while pursuing commercial interests like other profit-oriented entities. It is important that the MIIs, in pursuance of their business objectives, should not lose sight of their regulatory roles. The MIIs are also the first line regulators for the CMIs such as Broker-Dealers, Clearing Members and Depository Participants. Because of the conflicting nature of the MII's role, it is very pertinent that governance standards of MIIs need to be robust to enhance and maintain market confidence and deter malpractices. Corporate Governance becomes even more significant in an IFSC context, where MIIs engage in global connect arrangement. Therefore, to ensure accountability and mitigate potential conflict between regulatory and business-development roles of employees of the MIIs, the amended regulations have incorporated provisions for MIIs to ring-fence the functions and personnel pertaining to regulatory, compliance, risk management, and investor grievances from the rest of the functions.

Also, a more comprehensive code of conduct for the MIIs and their governing board, directors, committee members, and key management personnel has been specified. Other key amendments include the provisions for the appointment of a Chief Risk Officer, Chief Legal Officer, and Chief Information Security Officer, and a requirement for a recognised clearing corporation to develop a framework for the orderly winding down of its operations.

IFSCA (KYC Registration Agencies) Regulations, 2024

Public consultation was conducted for the proposed IFSCA (KYC Registration Agency) Regulations, 2024 ("KRA Regulations") to provide the regulatory framework for the registration, regulation, and supervision of KRAs set up in the IFSC. The objective is to enable the KRAs to set up in the IFSC and to have a centralized repository for KYC records of the clients/ customers onboarded by various types of regulated entities. This shall facilitate smooth onboarding of the clients/ customers by Regulated Entities and enhance their efficiency with respect to Customer Due-Diligence (CDD).

Regulatory Approach Towards Tokenization of Real-World Assets

Acknowledging the potential of tokenization of real-world assets to transform international financial systems, a consultation paper was issued to invite public comments on regulatory approach towards tokenization of real-world assets in GIFT IFSC. IFSCA wishes to leverage the unique position of GIFT IFSC and its accompanying advantages for the creation of a thriving digital token ecosystem for real-world assets in GIFT IFSC.

The objective of this consultation paper is to elucidate the viewpoint of IFSCA on the need, approach and suitable measures to be adopted for the regulation of tokenization of certain real-world assets, including financial securities such as funds, bonds, stocks, etc. and other financial products such as payments, deposits, bills receivables, precious metal bullion, commodities, intellectual property, and commercial real estate.

Simultaneously, IFSCA has put forth the regulatory hurdles and challenges identified by it and by the Expert Committee on Asset Tokenization, to the wider audience of relevant stakeholders and domain experts, in order to identify proportional, reasoned, and acceptable means of tackling these challenges.

Issuance of Derivative Instruments against Indian securities by non-bank entities in GIFT IFSC

Consequent to the amendment in Section 18A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, derivative instruments regulated by IFSCA and issued in IFSC by SEBI-registered Foreign Portfolio Investors (FPIs) are recognised as legal and valid. IFSCA had initially permitted IBUs, registered with SEBI as FPIs, to issue Offshore Derivative Instruments (ODIs, also known as Participatory Notes or P-Notes) with Indian equity/ bonds as underlying.

Subsequently, non-bank entities registered with IFSCA and having FPI license from SEBI, have also been permitted to issue such derivative instruments. These non-bank entities are required to furnish information to the clearing corporations in GIFT IFSC on monthly basis.

Contribution to Settlement Guarantee Fund (SGF)

The IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021, requires a recognised clearing corporation to establish and maintain an SGF to guarantee the settlement of trades executed on a stock exchange. The SGF may comprise of contributions from clearing members, recognised clearing corporation and recognised stock exchange. A circular was issued to clarify that the contribution of clearing corporation to its SGF shall be considered as part of its net worth. Additionally, the interest on cash contribution to the SGF would also accrue to the SGF and pro-rata be attributed to the contributors in proportion to their contribution.

Market Infrastructure Institutions

The stock exchanges, clearing corporations and depositories are classified as Market Infrastructure Institutions (MIIs). These institutions provide the necessary infrastructure for facilitating trading, clearing and settlement of securities. As the nature of the functions performed by the MIIs forms the backbone of the capital market in GIFT-IFSC and hence are very critical, they are subject to greater degrees of regulatory oversight.

Stock Exchange

A stock exchange plays the central role in facilitating trading in securities in close coordination with clearing corporation and depository. It provides a trading platform for facilitating price discovery of the securities available for trading. Additionally, stock exchanges are also entrusted with various regulatory responsibilities for ensuring market integrity and for protecting investor interests.

IFSCA grants recognition to stock exchanges under Regulation 9 of the IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as MII Regulations). Currently there are two stock exchanges operating in GIFT-IFSC, namely India International Exchange (IFSC) Limited (India INX) and NSE IFSC Limited (NSE IX). India INX is subsidiary of BSE Limited and NSE IX is wholly owned subsidiary of National Stock Exchange of India Limited. Both the stock exchanges are operational since 2017 and are being granted annual renewal of recognition under MII Regulations.

Clearing Corporation

A clearing corporation is an MII that handles the clearing and settlement of transactions that are executed on the stock exchange. The clearing corporations fulfil the main obligation of ensuring that transactions are settled between counterparties in a prompt and efficient manner.

There are two clearing corporations operational in GIFT IFSC namely, India International Clearing Corporation (IFSC) Limited (“India ICC”) and NSE IFSC Clearing Corporation Limited (“NICCL”). India ICC is subsidiary of BSE Limited, a SEBI registered stock exchange and NICCL is wholly owned subsidiary of NSE Clearing Limited, a SEBI registered clearing corporation. Both the clearing corporations are being granted annual renewal of recognition under MII Regulations.

Depository

A depository is an organisation which holds securities (like shares, debentures, bonds etc.) of investors in electronic form at the request of the investors through a registered depository participant. India International Depository IFSC Limited (IIDF) is the sole depository functional in GIFT IFSC which acts as the record keeper of securities.

Capital Market Intermediaries

The Capital Market Intermediaries (CMIs) are generally client-facing entities which assist issuing company and investors to perform various transactions in the capital market. Activities of CMIs in IFSC are governed under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021. These regulations have specified the regulatory framework for various types of intermediaries such as broker dealers, clearing members, depository participants, investment bankers, investment advisers, custodians, distributors etc

Broker Dealers

Broker dealers are entities which execute trades on their own account as well as on behalf of their clients on the recognised stock exchanges in IFSC.

Table 12: Broker dealers in IFSC

Stock Exchange	No. of Broker Dealers as on March 31, 2025
NSE IX	74
India INX	60

Source: India INX and NSE IX

Table 13: Remote Trading Participants (RTPs) onboarded by IFSC Stock Exchanges

Stock Exchange	No. of RTPs as on March 31, 2025
NSE IX	6

Source: NSE IX

Clearing Members

A clearing member is an intermediary that is responsible for clearing and settlement of all trades executed by a broker dealer.

Table 14: Clearing members in IFSC as on March 31, 2025

Clearing Corporation	Self-Clearing Members	Trading cum Clearing Members	Professional Clearing Members
NICCL	6	12	2
India ICC	5	9	2

Source: India ICC and NICCL

Depository Participants

A depository participant (DP) is a participant of a recognized depository and acts as an intermediary between the depository and the investor. As on March 31, 2025, there are ten DPs registered with the Authority.

Custodians

A custodian is a specialized financial institution that carries on the business of providing custodial services in relation to financial products which include safekeeping of such financial products and providing services incidental thereto. As on March 31, 2025, there are five custodians registered with the Authority.

Credit Rating Agencies

Credit Ratings Agencies (CRAs) play a crucial role in the global financial markets by providing independent assessments of the creditworthiness of various entities, including sovereigns, corporations, and financial instruments. These assessments help investors make informed decisions, facilitate the efficient allocation of capital, and promote financial stability.

The IFSC ecosystem offers various opportunities for CRAs including credit rating of bonds, credit rating of banking relating products and services, sovereign ratings, research, and other permitted activities. As on March 31, 2025, there is one CRA registered with the Authority.

Debenture Trustees

Debenture Trustee is an independent third party appointed as a trustee in respect of an issue of a debenture. The role of debenture trustee is to protect the interests of the debenture holders. A Debenture Trustee registered with the Authority is permitted to undertake the activities as a trustee appointed in respect of any issue of debentures issued or listed in the IFSC or a Foreign Jurisdiction. As on March 31, 2025, there are four debenture trustees registered with IFSCA.

Distributors

Distributors are intermediaries who distributes capital market products and services to its clients for a commission. Distributors registered with IFSCA are allowed to undertake distribution of capital market products and services as permitted under the regulations and circulars notified by IFSCA. As on March 31, 2025, there are fourteen distributors registered with IFSCA.

ESG Ratings and Data Products Providers (ERDPP)

Globally, the role of ESG Ratings and Data Products Providers has grown substantially, driven by increased investor focus on sustainability, widespread adoption of net-zero commitments, and regulatory demands for transparent ESG disclosures. ERDPPs are engaged in the activities of providing services relating to ESG Rating or ESG Data Products under the regulatory framework notified by IFSCA.

IFSCA has issued a circular titled “*Framework for ESG Ratings and Data Products Providers in the IFSC*” on October 30, 2024, providing the regulatory framework for registration, regulation and supervision of ERDPPs in the IFSC.

Investment advisers

Investment advisers play a pivotal role in IFSCs by providing valuable guidance, managing risks and helping investors achieve their financial objectives in a complex and dynamic financial landscape. As on March 31, 2025, there are three investment advisers registered with the Authority.

Investment Bankers

Investment bankers play a vital role in facilitating capital formation, advising on strategic transactions, managing risk exposure, and facilitating cross-border transactions, and their expertise and services are essential for the efficient functioning of global financial markets. With the issuance of New Listing Regulations, their role is critical in providing IPO, FPO and listing related services in IFSC. Further, IBUs in IFSC have been permitted (authorized) by IFSCA vide circular dated December 3, 2021, to undertake investment banking activities in IFSC, subject to certain conditions.

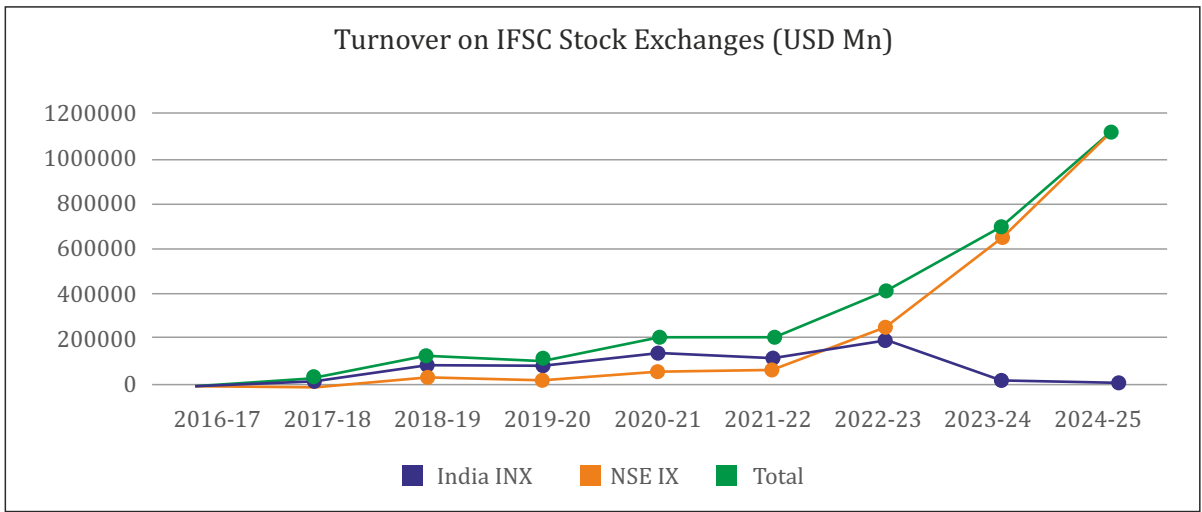
As on March 31, 2025, there are two investment bankers (registered) and two IBUs (authorized) to undertake investment banking activities in the IFSC. More entities are expected to take registrations in FY 2025-26.

Transaction/Processes/Operations/Trends

Turnover on Stock Exchanges

The turnover (including value of premium in case of options) on the stock exchanges in IFSC increased to USD 1125 Billion during FY 2024-25 compared to USD 711 Billion of FY 2023-24 registering an increase of 58.23%.

Figure 7 : Turnover on stock exchanges (in USD Mn)



Derivatives available for trading on Stock Exchanges

Index Derivatives

The most traded index derivative contract has been GIFT NIFTY 50 Futures on NSE IX, which had largest share in the total turnover for the FY 2024-25. Other index derivatives contracts available on NSE IX are Futures and Options on Bank NIFTY, NIFTY Financial Services, NIFTY IT, NIFTY Next 50 and NIFTY MidCap Select.

India INX offers derivatives contracts on two equity indices, namely BSE SENSEX 50 and BSE SENSEX.

Table 15 : Number of contracts and turnover in index futures

Financial Year	NSE IX		India INX	
	No. of contracts	Value of contracts (USD Mn)	No. of contracts	Value of contracts (USD Mn)
2023-24	16,678,005	680,920	1,242,244	24,905
2024-25	23,307,956	1,112,134	439,366	11,459

Source: NSE IX and India INX

Table 16 : Number of contracts and premium turnover in index options

Financial Year	NSE IX		India INX	
	No. of contracts	Value of contracts (USD Mn)	No. of contracts	Value of contracts (USD Mn)
2023-24	1,433,164	363	14,302,868	773
2024-25	709,760	343	1,234,069	30

Source: NSE IX and India INX

Commodity Derivatives

There are various commodities derivatives available for trading on the stock exchanges as mentioned in the table below.

Precious Metals	Gold, Silver
Base Metals	Copper
Energy	Brent Crude Oil

The turnover in commodity derivatives for the Financial Year 2023-24 and Financial Year 2024-25 has been as under:

Table 17 : Turnover in commodity derivatives on India INX

Financial Year	No of Contracts	Value of Contracts (USD Mn)
2023-24	45,343	2,901
2024-25	13,456	1,069

Source: India INX

Currency Derivatives

There are various currency derivatives available for trading on the stock exchanges as mentioned below:

Global Currency Derivatives	EUR - USD, GBP-USD, JPY – USD, CHF-USD, AUD-USD
Rupee Derivatives	INR - USD, USD – INR

Source: NSE IX and India INX

Table 18 : Turnover in currency derivatives on NSE IX

Financial Year	No of Contracts	Value of Contracts (USD Mn)
2023-24	19,731	480
2024-25	1,474	35

Source: NSE IX

Contract wise bifurcation of the turnover

Contract wise turnover on stock exchanges in FY 2023-24 and FY 2024-25 has been as under:

Table 19 : Contract wise turnover on stock exchanges (in USD Mn)

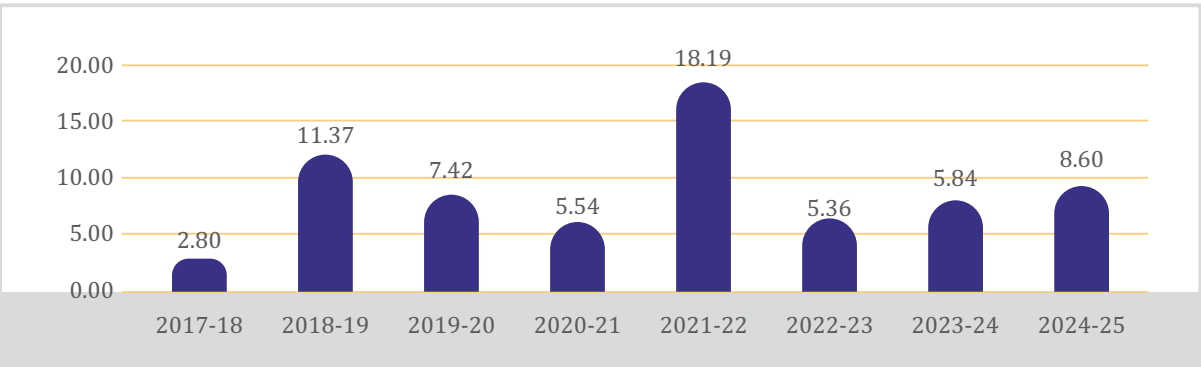
Financial Year	Commodity Futures	Currency Futures	Index Futures	Index Option	Total
2023-24	2,901.11	923.47	7,05,824.42	1,132.99	7,10,781.98
2024-25	1,068.70	35.17	11,23,593.00	374.00	11,25,070.87

Source: NSE IX

Debt Market at IFSC

The IFSC has emerged as a preferred destination for Indian issuers to list their foreign currency/ masala bonds, acting as a gateway for connecting India with global markets. The IFSCA (Lising) Regulations, 2024 provide globally benchmarked regulations for listing of debt securities on the recognised stock exchanges in the IFSC.

Figure 8 : Listing of Debt Securities (in USD Bn)



Source: India INX and NSE IX
(The amount may slightly vary due to rounding off and conversion from other currencies to USD)

As on March 31, 2025, the cumulative total of all debt securities listed on the stock exchanges in the IFSC amounts to USD 65.1 billion, compared to USD 56.5 billion as on March 31, 2024.

During the FY 2024-25, debt securities amounting to USD 8.6 billion were listed on the stock exchanges in the IFSC, out of which:

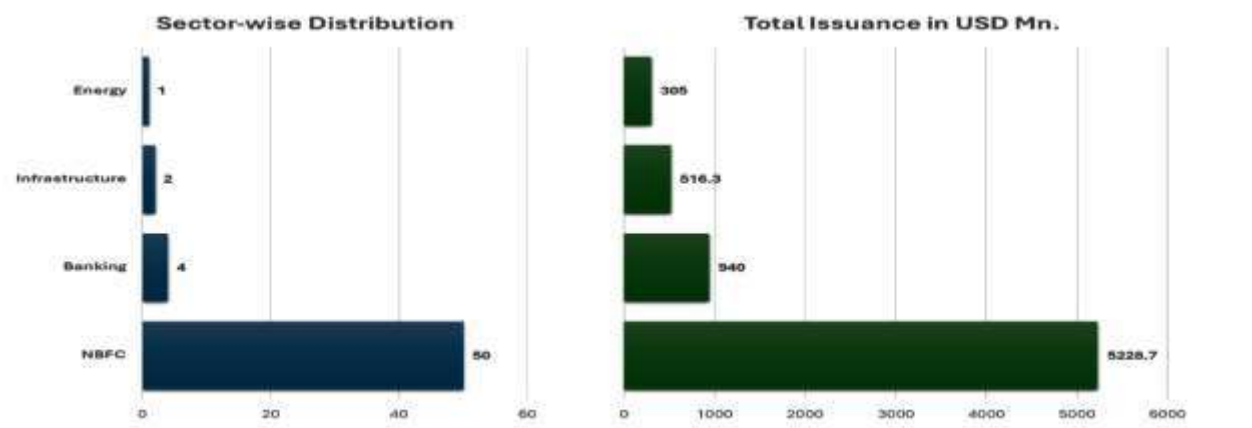
- i. Bonds worth USD 6.99 billion were issued as well as listed in FY 2024-25
- ii. Bonds amounting to 1.61 billion were issued in previous financial years but were listed on the stock exchanges in the IFSC, as secondary listings, in the financial year 2024-25.

During the FY 2024-25, a total of 57 issuances amounting to USD 6.99 billion were issued and listed on the stock exchanges in the IFSC, with a dominant presence from financial institutions – mainly Banks and NBFCs.

Key trends and insights of debt issuances in IFSC

The financial sector (mainly NBFCs) clearly dominates both in terms of number of issuances and total value, highlighting IFSC's role in connecting Indian financial institutions to global markets. Out of total 57 issuances, 50 issuances were by NBFC with cumulative listing of USD 5.23 Bn (out of total USD 6.99 Bn) during the FY 2024-25⁶⁴.

Figure 9 : Trends of Debt Issuance in IFSC



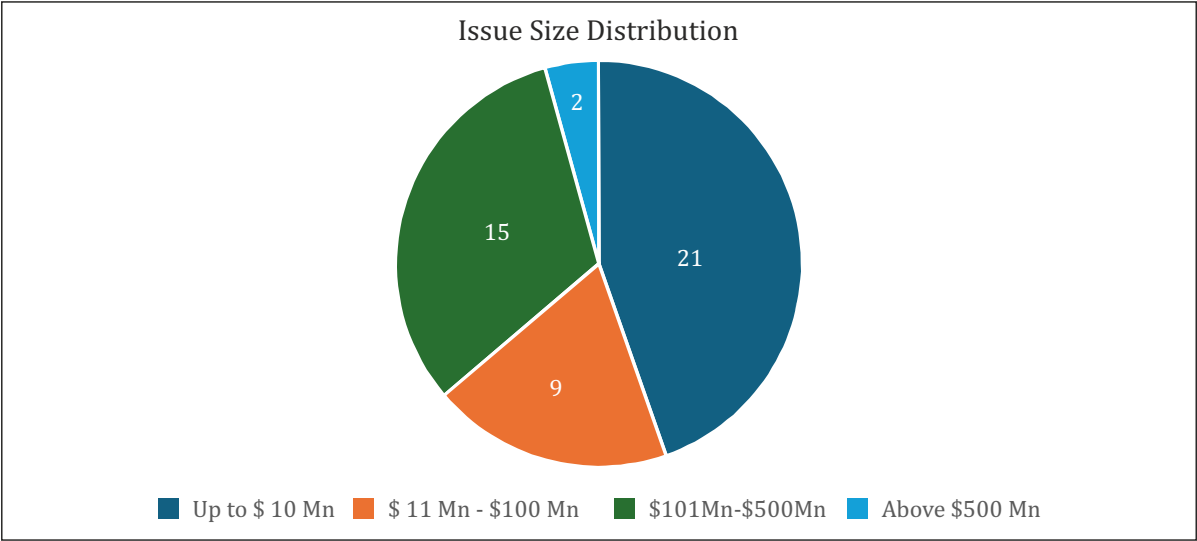
The top five issuances accounted for approximately 40% of the total issuances listed on the stock exchanges in the IFSC.

Issue Size Distribution

There were 21 bonds with issue size upto USD 10 million, indicating that the issuers with small issuances have also issued foreign currency bonds and listed these bonds on the stock exchanges in the IFSC. Further, there were 9 bonds with issue size between USD 11 million to USD 100 million.

⁶⁴ Excluding bonds that were issued in previous financial years and secondary listing on the stock exchanges in the IFSC in FY 2024-25

Figure 10 : Distribution by Issue Size of Debt



This pattern indicates that IFSC serves two distinct market segments:

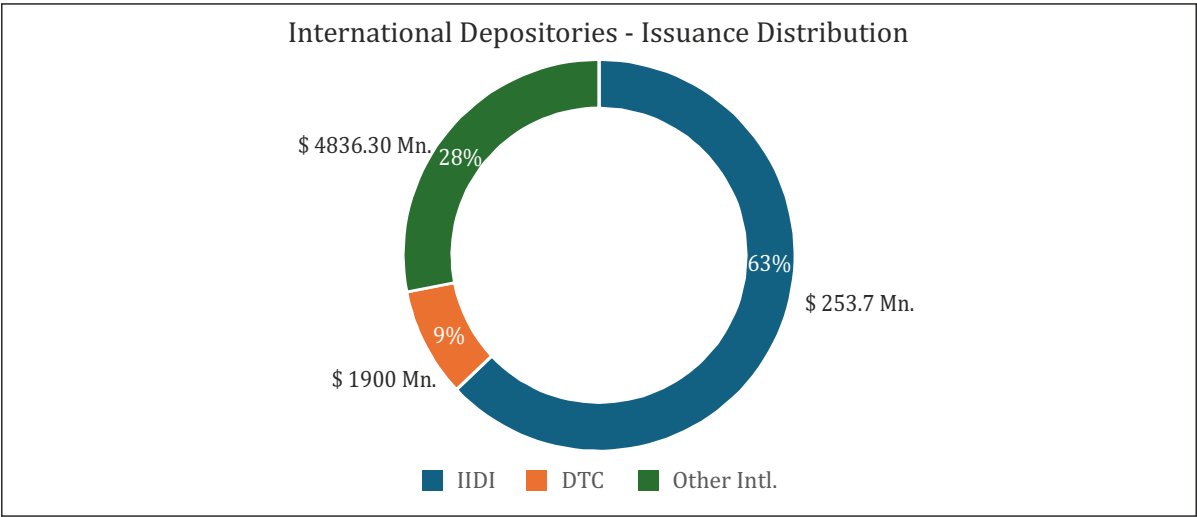
- a. Large corporations accessing international bond markets; and
- b. Smaller financial institutions seeking specialized funding.

Depositories

The bonds listed on the stock exchanges in the IFSC are held in the following depositories:

- i. **India International Depository Limited (IIDI)** – 36 issuances with a total size of USD 253.7 Mn.
- ii. **The Depository Trust Company (DTC)** – 5 issuances with a total size of USD 1,900 Mn.
- iii. **Other ICSDs** (like Euroclear, Clearstream etc.) – 16 issuances with a total size of USD 4836.30 Mn.

Figure 11: International Depositories wise Issuance Distribution



It is observed that small size issuances are being placed at IIDI, while large size issuances are placed at other ICSDs (DTC, Euroclear and Clearstream). In terms of number of issuances, the highest number of issuances (36) were held by IIDI (the depository in IFSC).

The IFSC has also done a deep dive study into both the Bond ecosystem and the ESG bond ecosystem at the IFSC and placed the studies on the website for public consumption.

Additionally, during the year, it was observed in once instance a bond issuer and its compliance officer had committed violations of certain disclosure requirements under the applicable regulatory framework. Accordingly, IFSCA issued advisory letters to the concerned issuer and its compliance officer.

Supervision

Supervision of MIIs

The Authority conducts supervision of MIIs with the objective of having oversight on their overall activities across different functional areas and making recommendations for improvement in the deficiencies identified with respect to compliance, and resilience of their systems & procedures. The supervision is conducted through off-site reviews and on-site visits with specific inspection goals. During FY 2024-25, the Authority conducted an on-site inspection of NSE IX.

In addition, the Authority continuously monitors the activities and compliances with various regulatory requirements through periodic reports being submitted by the MIIs. These reports *inter-alia* provide information on exchange transactions and various related statistics, functioning of the governing board, disciplinary actions taken by MIIs, incidents of default and non-compliance with operating rules which may have risk implications for MIIs. Furthermore, MIIs are also required to provide supplementary information for off-site supervision.

Supervision of CMIs

Offsite Supervision

As part of continuous off-site supervision of Capital Market Intermediaries (CMIs), IFSCA has laid down the framework for offsite supervision of CMIs by specifying reporting norms for CMIs required to be submitted on a quarterly basis. The report format includes submission of quantitative and qualitative information about CMI's operations and a duly signed undertaking of compliance from the principal and compliance officers of the CMIs.

The analysis of Quarterly Reports and the action taken based on the observations in Quarterly Reports are conducted by the Division of Supervision of Intermediaries on an on-going basis. Administrative actions in the form of advisory, deficiency and warning letter were taken against CMIs for noncompliance related to

- I. non-submission of the reports,
- ii. late submission of the reports,
- iii. Non reporting or incorrect reporting of net worth,
- iv. Non submission of the undertaking of compliance,
- v. Non submission of FIU registration details etc.

Table 20 : Summary of administrative actions taken based on Offsite Supervision during FY 2024-25

Sr. No.	Type of Administrative action	No. of CMIs
1	Warning letter	3
	1) For non-compliance of Net-worth Requirement 2) for non-submission of quarterly report for all 3 or 2 quarters	18
2	Advisory letter for non-submission of the report	11
	Non reporting or incorrect reporting of net worth	14
	Non submission of the undertaking of compliance	17
	Non submission of FIU registration details	7
	Surrender of registration for inactive members	2

Onsite Supervision of CMIs

During the FY 2024-25, 22 CMIs were identified on the Risk Based Supervision criteria for onsite supervision which was carried out by the MIIs of the CMIs and IFSCA. Further, based on the complaints and representations from MIIs, limited purpose supervision of three CMIs was carried out.

Onsite Visit to CMIs

To ensure presence of system, manpower and infrastructure at the premises of CMIs commensurate with the business carried out by the CMIs, onsite visit of 82 CMIs were carried out during financial year 2024-25. Based on the onsite visit, administrative actions in the form warning letter were taken for closed office premises or presence of temporary staff. Further, in one instance, the matter has been referred to enforcement for necessary action.

Net Worth of CMIs

With a view to sensitizing CMIs about the importance of maintaining adequate capital and to disincentivize behaviour which may lead to a fall in net worth, certain business restrictions imposed regarding not undertaking any existing or new business activity in IFSC till the time the net worth is restored.

Advocacy and Outreach

IOSCO Annual Meeting

A delegation led by Chairperson participated in the IOSCO Annual Meeting (AM) 2024, held in Athens, Greece during May 26 - 28, 2024. During the visit, IFSCA participated in various IOSCO meetings, workshops, bilateral meetings with regulators of other jurisdictions.

IOSCO Meetings, Conference and Workshops

The delegation attended various IOSCO meetings such as the Asia Pacific Regional Committee Meeting, Growth and Emerging Markets Committee Meeting, MMoU Monitoring Group Meeting, OECD-IOSCO Conference on Sustainable Bonds, Presidents Committee Meeting and Regulatory Workshops on various topics including sustainability-related bond markets and SupTech.

Bilateral meetings with securities markets regulators of various countries

IFSCA held bilateral meetings with securities markets regulators of several jurisdictions including Commodity Futures Trading Commission (USA), Financial Services Agency (Japan), Securities and Commodities Authority (UAE), Finansinspektionen (Sweden), Qatar Financial Markets Authority, Financial Supervisory Commission (Taiwan) and Astana Financial Services Authority. The discussions were carried out on regulatory updates and collaboration on areas of mutual interest between the authorities.

IOSCO World Investor Week, 2024

IFSCA celebrated the IOSCO World Investor Week, 2024 (WIW) during the week starting October 14, 2024.

The IOSCO WIW is a global week-long campaign to raise awareness about the importance of investor education and protection and highlight various initiatives of securities regulators. IFSCA, in coordination with the stock exchanges and other market participants celebrated the IOSCO World Investor Week and participated in a series of events (webinars, physical events, interaction with students, short videos, messages on social media etc.) with the objectives to create awareness about the various opportunities in the IFSC for investors and to highlight the regulatory initiatives taken by IFSCA in the areas of securities regulation. The key themes for the WIW revolved around sustainable finance and technology.

The activities included:

Release of short video series by IFSCA

IFSCA released a series of nine short videos on creating awareness about “*GIFT IFSC - The Gateway to India*” covering the overall financial market ecosystem in the IFSC.

Social Media Campaign on - *A smart investor*

A social media campaign on “*A smart investor*” was conducted wherein several messages were posted on social media during the WIW on the themes related to sustainable finance, investor resilience, frauds, scams prevention etc.

Closing Bell Ceremony

Shri Arjun Prasad, GM, IFSCA rang the closing bell during the event organised by India INX and IIM Ahmedabad Alumni Association. He shared insights on various opportunities in GIFT IFSC through an interactive session with IIM Alumni and Angel/ VC investors.



Image 4: Shri Arjun Prasad, GM, IFSCA participating in the Closing Bell Ceremony during WIW

Global Securities Markets Conclave

The Global Securities Markets Conclave has been conceptualized as a flagship securities market event in GIFT IFSC, organized by the IFSCA with the support of and in coordination with the market infrastructure institutions in the IFSC, namely NSE IX, India INX, NSE ICC, India ICC, IIDI, and IIBX.



Image 5: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA participating in the inaugural ceremony of the GSMC

The inaugural edition of the Conclave took place on January 16 - 17, 2025 at GIFT City Club, Gujarat, India with the theme *"Building an Innovative & Sustainable Securities Markets Ecosystem in GIFT IFSC"* dedicated to fostering innovation and sustainability in the securities market ecosystem in GIFT City.

The Conclave hosted over 250 distinguished participants from the global financial markets, allowing participants to connect with industry leaders, fund managers, corporates, economists, and international institutions, fostering collaboration and exchange of knowledge in the securities markets ecosystem. Also, over 2,000+ participants joined the conclave virtually through live video streaming.

Highlights of the Conclave

Shri K. Rajaraman, Chairperson IFSCA, in his address, highlighted the transformation of IFSCA's initial mandate from 'onshoring the offshore' to its renewed focus on supporting India's ambitious vision for 'Viksit Bharat @2047'. Shri K. Rajaraman highlighted the reforms carried out by the Government of India and financial sector regulators in the recent past, which lay the foundation of India's growth journey, while outlining the key dimensions to achieve the vision of Viksit Bharat. The Chairperson reiterated IFSCA's commitment to the vision of Viksit Bharat and encouraged market participants to support this objective.

Shri V. Anantha Nageswaran, Chief Economic Advisor, Government of India during his special address, shared his perspective on the evolution of financial markets in India and the integral role of GIFT IFSC in this transformation. While complimenting the vision of the Government of India in creating GIFT IFSC, he highlighted the crucial role that GIFT IFSC can play particularly in the wake of the emergence of India as an economic powerhouse.

The two-day Conclave was packed with a comprehensive agenda and featured 20+ sessions, focusing on emerging trends in capital markets, cross-border financial services, sustainable finance, fund management and landscape of private investments, bullion & precious metal ecosystem, and the evolving role of GIFT IFSC as a global financial hub. Several industry leaders and subject matter experts shared their insights on a wide variety of subjects, such as new business models and emerging areas of growth, enhancing investor confidence, leveraging the might of the Indian diaspora, harnessing the power of emerging technologies for market growth, etc.

Panel Discussion on the topic **"The Role of GIFT IFSC in Making India a Global Economic Powerhouse"**

A key highlight of GSMC was a panel discussion on *"The Role of GIFT IFSC in Making India a Global Economic Powerhouse,"* moderated by Ms. Latha Venkatesh of CNBC, featuring Shri K. Rajaraman (IFSCA), Mr. T. V. Mohandas Pai, and Mr. Ashishkumar Chauhan.

The panel noted that with a strong regulatory and tax framework now in place, GIFT IFSC is well-positioned for global competitiveness. Opportunities like AI-BFSI hubs, global treasury centres, and commodity trading were discussed. While acknowledging the centre's rapid progress, the panel emphasized the need to attract talent and enhance quality of life to sustain growth. They expressed confidence in GIFT IFSC's future as a key channel for global capital flows.

8th ICMA & JSDA Annual Sustainable Bond conference, titled "Enabling Sustainable Society/ Economy-Wide Transition through Sustainable Bonds"



Image 6: Shri Pradeep Ramakrishnan, ED, IFSCA in a Panel Discussion on “Leadership Dialogue: Sustainable Finance Regulation and Policy”, Tokyo

Shri Pradeep Ramakrishnan, ED, IFSCA participated in a Panel Discussion on “*Leadership Dialogue: Sustainable Finance Regulation and Policy*” during the 8th Annual ICMA & JSDA Conference held in Tokyo on November 22, 2024. The Panel delved into best practices followed by regulators in Asian jurisdictions on Sustainable Finance. Shri Pradeep Ramakrishnan shared insights on the various initiatives taken by IFSCA to develop GIFT IFSC as a hub for sustainable finance.

Policy and Programmes for the Following Year

New Capital Market Intermediaries Regulations 2025

The Authority in its meeting held on March 26, 2025, approved the New CMI Regulations. The New CMI Regulations will be notified in the FY 2025-26 providing the revised regulatory framework for registration, regulation and supervision of capital market intermediaries set up in the IFSC.

Master Circular for Capital Market Intermediaries

Following the notification of the New CMI Regulations, IFSCA will issue Master Circular for various categories of capital market intermediaries operating in the IFSC. This master circular will consolidate the various regulatory requirements pertaining to CMIs and ensure easier compliance by market intermediaries, fostering ease of doing business.

New regulations on Takeovers and Buybacks

IFSCA will be undertaking a comprehensive review of the regulatory framework governing takeovers and buybacks of equity shares of companies listed on recognised stock exchanges within the IFSC. These upcoming regulations will be benchmarked with the global best practices

and aligned with IOSCO's core principles, thereby enhancing market integrity, promoting investor confidence, and ensuring a level playing field for market participants to foster a globally competitive financial ecosystem.

New regulations on prohibition of market abuse

IFSCA will be reviewing the regulatory requirements pertaining to the prohibition of insider trading and the prevention of fraudulent and unfair trade practices within the securities market in the IFSC. The objective is to implement a robust system aimed at detecting and mitigating fraudulent activities, including price manipulation, insider trading, unauthorized trading, and other unfair practices, thereby ensuring market discipline, safety of investor's interest and upholding the integrity of the financial markets. This review will be guided by the core principles prescribed by the IOSCO to ensure market fairness, deterrence of misconduct, and adherence to the highest standards of ethical conduct.

Global Securities Market Conclave 2.0

With the success of the Global Securities Market Conclave, the next edition of the same is expected to draw in more participants from various industry verticals.

Consumer Education And Protection

One of the key regulatory objectives of IFSCA is to protect the interests of financial consumers. Ensuring robust framework for consumer protection is fundamental to fostering trust and confidence in the financial markets in the IFSC.

The regulatory approach by IFSCA for safeguarding the interests of financial consumers includes,

- i. Ensuring that financial service providers (i.e., regulated entities) are subject to comprehensive regulatory oversight including registration obligations, initial and ongoing capital requirements, adherence to code of conduct etc. The regulations issued by IFSCA ensure that regulated entities dealing with consumers are subject to such requirements.
- ii. Ensuring that the regulatory framework mandates issuers to provide complete, accurate, and timely disclosure of material information, thereby enabling investors to make informed investment decisions. The IFSCA (Listing) Regulations, 2024 contain specific provisions in this regard.
- iii. Ensuring that consumers deal with entities that are licensed/ registered/ recognized/ authorised by IFSCA. The list of all the licensed, registered, recognised and authorised entities is made available on the website of IFSCA.

Further, during FY 2024-25, IFSCA issued a Press Release on September 20, 2024, cautioning the public against dealing with any unauthorized broker dealer claiming to be broker dealer in IFSC. The Press Release is available on the website of IFSCA.

- iv. Conducting effective supervision (offsite and onsite) to ensure that the regulated entities comply with the regulatory norms and requirements specified by IFSCA. Several measures have been taken by IFSCA to strengthen supervision in the IFSC. Details regarding supervision are provided in the relevant sections.
- v. Strengthening enforcement measures to protect consumers from fraudulent, manipulative, and misleading practices.
- vi. Establishing an efficient mechanism for redressing grievances of consumers.

Complaint Handling and Grievance Redressal

While IFSCA had previously laid down requirements for complaint handling under various regulations and circulars notified by IFSCA, a need was felt to specify a comprehensive and harmonized approach for grievance redressal and complaint handling by regulated entities across various financial services in the IFSC. A consultation paper on the proposed mechanism for *Complaint Handling and Grievance Redressal by Regulated Entities in the IFSC* was issued on August 30, 2024. The framework proposed by IFSCA were based on the standards laid down by IOSCO, IAIS, BCBS, OECD, and best practices in leading international financial centres.

Pursuant to public consultation, IFSCA issued a circular titled "*Complaint Handling and Grievance Redressal by Regulated Entities in the IFSC*" ("Complaint Handling Circular") on December 02, 2024, specifying the norms and processes for handling of complaints and redress of grievances of financial consumers by regulated entities in the IFSC.

The salient features of the Complaint Handling Circular are as follows:

Applicability

The regulatory framework on complaint handling issued by IFSCA is applicable on all entities regulated by IFSCA, dealing with any consumer or client other than their group entities, except for entities such as foreign Universities, ancillary service providers, Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services (BATF) service providers, global/regional corporate treasury centres and entities engaged in aircraft leasing or ship leasing in the IFSC.

Policy

The regulated entities shall have a policy on handling of complaints and grievance redressal, duly approved by its governing body or its Board of Directors, as applicable. The policy on Complaint Handling and Grievance Redressal shall be prominently disclosed on the website of the regulated entities or on a dedicated webpage of its Group Entity, as applicable, under the heading “Complaint Handling and Grievance Redressal”. The name and contact details of the Complaint Redressal Officer (“CRO”) and the Complaint Redressal Appellate Officer (“CRAO”) shall also be prominently displayed under this section.

Complaint Handling Procedure (Retail Consumers)

Complaint Redressal Officer:

On receipt of a complaint, the Complaint Redressal Officer of the regulated entities shall make an assessment on the merits of the complaint. The regulated entities shall acknowledge acceptance of complaints, in writing, within 3 working days of receipt of the complaint. In case of non-acceptance, the regulated entities shall inform the complainant within 5 working days along with reasons. The regulated entities shall dispose of complaint preferably within 15 days but ordinarily not later than 30 days of acceptance of complaint.

Complaint Redressal Appellate Officer

If dissatisfied with the outcome, complainants can file an appeal to the Complaint Redressal Appellate Officer within 21 days of receiving the decision. The CRAO must resolve the appeal within 30 days.

Complaint Before the Authority

If the complainant remains dissatisfied after exhausting the entity's internal appeal process, the complainant may escalate the matter to IFSCA by sending an email to grievance-redressal@ifsc.gov.in within 21 days. Where a complaint is against a trading member or a clearing member or a depository participant or a bullion trading member or a bullion clearing member, the consumers shall first approach the relevant market infrastructure institution before approaching IFSCA.

Maintenance of records

The regulated entities shall maintain records of all complaints, including correspondence, resolutions, and reasons for rejection, for the period as specified in the circular.

Reporting

The regulated entities shall file reports on handling of complaints in the form and manner specified by the Authority. The regulated entities shall have a section with heading “Complaint Handling and Grievance Redressal” in its Annual Report, if the entity is required to file an annual report for its business activities in the IFSC under the applicable laws. In case the entity is not required to file an annual report, the entity shall display the same on its website / dedicated webpage of its Group Entity, as applicable.

Stakeholder Interactions

IFSCA held several interactions with the stakeholders in the months of December 2024 and January 2025 to familiarize them with the norms and requirements mentioned in the circular. Based on the feedback received from stakeholders, the Complaint Handling Circular has been made effective with effect from April 1, 2025.

Other Initiatives

IFSCA has created dedicated webpage “Consumer” → “Complaints” on the website of IFSCA providing detailed information about the mechanism for complaint handling in the IFSC.

IFSCA has created another webpage “Consumer” → “Alerts against Possible Scams” providing information about –

- i. Link to Directory for consumers to check if an entity is registered/ authorised by IFSCA
- ii. Press Releases issued by IFSCA relating to Consumer Protection
- iii. Link to IOSCO's International Securities & Commodities Alerts Network (I-SCAN) IOSCO receives alerts and warnings from its members regarding firms that are not authorized to provide investment services in the jurisdiction that issued the alert or warning. This link will help consumers to know about scams in other jurisdictions.

Fund Management

With the aim of fostering a robust and globally competitive fund management ecosystem, IFSCA undertook a comprehensive review of the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022. The review, guided by the objective to simplify regulations and reduce compliance burden while ensuring investor protection, to strengthen the regulatory framework while preserving its foundational principles.

Pursuant to an extensively consultative approach, the draft of the reviewed regulations was submitted in the Authority meeting held in December 2024, and notified in the Official Gazette on February 19, 2025, as the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025. Aligned with global best practices, these regulations encourage innovation and enhance the ease of doing fund management activities in IFSC.

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025, offer a unified and streamlined registration framework for FMEs, allowing them to carry out a range of fund management activities, such as:

- a. Managing retail schemes (including Exchange Traded Funds),
- b. Operating non-retail schemes (Alternative Investment Funds),
- c. Managing investment trusts (REITs and InvITs),
- d. Providing portfolio management services.

The regulations provide for registration of FMEs under three categories:

1) Registered FME (Retail)

Under this category, FMEs can cater to retail investors as well as non-retail investors by offering a wide array of investment products and services, such as retail schemes (including Exchange Traded Funds), non-retail schemes (Alternative Investment Funds), Venture Capital Schemes, Portfolio Management Services, etc.

2) Registered FME (Non-Retail)

This category is meant for FMEs that intend to manage funds or provide Portfolio Management Services to accredited investors or investors investing at least up to a certain threshold (USD 150,000 in case of Restricted Schemes and USD 75,000 in case of Portfolio Management Services).

3) Authorised FME

A special category with light-touch registration is accorded to such FMEs that intend to invest only in unlisted securities of start-ups through a Venture Capital Scheme and cater exclusively to accredited investors or investors investing at least USD 250,000.

The three registration categories for FMEs, based on the risk potential of the activities permitted to them, also determine the initial and ongoing regulatory requirements applicable to them.

The detailed eligibility and regulatory requirements for FMEs, Retail Schemes, Non-Retail Schemes, Venture Capital Schemes, Portfolio Management Services and Investment Trusts have been prescribed under the regulations.

Policy/ Regulatory Developments

Streamlining Scheme Launches for Enhanced Ease of Doing Business

Intending to enhance ease of doing business and enabling quicker market access for new schemes, IFSCA issued a circular on April 05, 2024, simplifying the process for filing schemes or funds. The FMEs are now permitted to file the Private Placement Memorandum (PPM) of proposed schemes along with the prescribed disclosures and supporting documents to the Authority under a green channel, whereby the schemes filed may be opened for subscription by investors immediately upon communication from the IFSCA to the FME that the PPM has been taken on record. This streamlined approach is expected to significantly accelerate the fund launch process and further strengthen the competitiveness of the IFSC as a global financial hub.

Strengthening Governance through KMP Appointment Guidelines

To promote greater accountability within FMEs while furthering its commitment to ease of doing business, IFSCA issued a circular on February 20, 2025, outlining a clear and standardised process for the appointment and change of Key Managerial Personnel (KMP) of the FMEs.

Transition to Fund Management Regulations, 2025

To facilitate a smooth transition of schemes from the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 to the newly notified IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025, pursuant to the approval of the Authority in the meeting held in March 2025, IFSCA issued a circular on April 08, 2025, enabling the schemes taken on record under the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 to be launched under the new regulatory regime by availing of a one-time window extended by IFSCA allowing the FMEs to re-file the such scheme PPMs within three months from the date of the circular, subject to certain conditions. This measure is intended to ensure regulatory parity between schemes authorised under different regulatory regimes and prevent disparate treatment of similarly situated entities. Further, such measure is also expected to mitigate jeopardizing the resources invested by the FMEs in securing various approvals, building investor awareness, appointing vendors and service providers, etc.

Valuation of Assets of Schemes by Credit Rating Agencies at IFSC

In an effort to provide FMEs with an additional option for independent valuation of assets, IFSCA issued a circular dated July 25, 2024, through which, CRAs registered with the IFSCA, have been permitted to undertake valuation of assets for schemes. With this measure, the schemes launched by FMEs in IFSC now have the option to avail of the valuation services for their schemes from the CRAs, in addition to a fund administrator or a custodian, registered with IFSCA, or a valuer registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).

Box 1: Review of IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022

In the Union Budget for FY 2023-24, the Hon'ble Union Finance Minister announced that:

"To simplify, ease and reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities...."

In view of the above and as part of its continued commitment to streamlining regulatory processes, enhancing ease of doing business, and reducing compliance burden, IFSCA undertook a comprehensive review of the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.

The review process commenced with invitation of suggestions towards review of IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 vide a Press Release dated October 10, 2023.

Further, in its endeavour to raise awareness about the regulatory regime for fund management opportunities in GIFT-IFSC and to provide guidance to market participants, IFSCA engaged with market participants in investment funds ecosystem in India and other major jurisdictions through one-to-one meetings, roadshows, industry roundtables, conferences, etc. In course of these interactions, with a view to continuously refine the regulatory framework, IFSCA actively seeks suggestions from these participants. Further, as one of its outreach initiatives, IFSCA has organized Chintan Shivir with market participants across several sectors, which has also provided IFSCA with the inputs for further improvement of its regulatory frameworks.

With a view to implement the key suggestions received from the various avenues and to make the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 future-ready for the next phase of growth of the fund management industry in IFSC, IFSCA issued another consultation paper on August 5, 2024, inviting public comments on specific proposals of amendments to the said regulations. The feedback received was thoroughly examined and also deliberated upon by the Fund Management Advisory Committee (FMAC) of IFSCA.

Subsequently, the revised regulatory framework was discussed and approved at the Authority meeting held on December 19, 2024. While the overarching principle of registering an FME with it being permitted to undertake host of fund management activities and the overall regulatory framework remains the same, changes have been undertaken to usher in further ease of doing business, clarify the intent of certain regulatory provisions and introduce safeguards as are deemed necessary for the protection of investors' interest.

Following a robust consultation process, the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025 were published in official gazette on February 19, 2025.

Continued efforts to enhance the regulatory environment for fund management in the IFSC and align with global best practices, IFSCA notified the Fund Management Regulations, 2025, which supersede the 2022 regulations and came into effect on February 19, 2025. These regulations were developed through a detailed consultative process and are aimed at fostering innovation, reducing compliance burdens, and promoting ease of doing business in GIFT-IFSC.

Key enhancements under the 2025 framework along with the transitions, include:

Lower minimum corpus requirement: The threshold for launching Non-Retail Schemes has been reduced from USD 5 million to USD 3 million. In case of open-ended Category III Restricted Schemes, FMEs can commence investment upon raising USD 1 million, with the remaining corpus to be achieved within 12 months.

Extended validity of Private Placement Memorandums (PPMs): The validity period for PPMs has been doubled from 6 months to 12 months. Additionally, FMEs are now allowed a one-time extension of PPM validity by 6 months upon payment of 50% of the applicable filing fee.

Streamlined transition mechanism: FMEs with schemes authorized under the 2022 regulations that held a valid PPM as on February 19, 2025, are permitted to transition seamlessly to the 2025 framework. A one-time opportunity is also available for re-filing expired PPMs under defined conditions, with reduced fees and extended validity.

Fee clarity for regulatory amendments: No processing fees are applicable for amendments made solely to align existing PPMs with the updated regulatory requirements under the 2025 regime.

The revised framework not only provides greater flexibility and regulatory clarity to FMEs but also strengthens GIFT-IFSC's positioning as a globally competitive hub for fund management activities.

Box 2: Ease of investing enabled for NRI/ OCI investors

In the budget speech in July 2019, the Hon'ble Finance Minister made the following announcement:

"Even though India is the world's top remittance recipient, NRI investment in Indian capital markets is comparatively less. With a view to provide NRIs with seamless access to Indian equities, I propose to merge the NRI-Portfolio Investment Scheme Route with the Foreign Portfolio Investment Route."

India is home to the world's largest diaspora, with over 35 million NRIs and OCIs⁶⁵ contributing more than USD 100 billion annually through inward remittances, making India the largest recipient of remittances across the globe. Despite this strong financial link, their participation in India's capital markets has been constrained due to regulatory limitations.

Recognizing the immense potential of this global investor base and in order to provide a seamless route for the NRI/ OCI investors to invest into Indian securities through IFSC funds, IFSCA and SEBI have jointly created a regulatory channel for the same.

The SEBI (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2024, SEBI Circular dated June 27, 2024 and IFSCA Circular dated May 02, 2024 have now dispensed with the ceiling on the aggregate contribution by NRI/ OCI investors to IFSC funds investing into listed Indian securities and provided an avenue for IFSC funds to channel up to 100% NRI/ OCI investments

⁶⁵ Ministry of External Affairs data

into India in a seamless manner, as opposed to funds in other foreign jurisdictions which are not permitted to accept NRI/ OCI contribution in excess of 50% of their corpus.

In this regard, following two alternative routes for increasing participation by NRIs and OCIs in Indian securities through IFSC based FPIs have been prescribed under SEBI (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019:

Alternative route 1:

NRI/ OCI/ RI investors may contribute up to 100% in the corpus of IFSC based FPI, where such FPIs will be inter alia required to submit copies of PAN (or other suitable documents in the absence of the same), of all their NRI/ OCI/ RI individual constituents, along with their economic interests in the FPI, to the DDP.

Alternative route 2:

NRI/ OCI/ RI investors may contribute up to 100% in the corpus of IFSC based FPIs without the FPI required to submit the documents mentioned under Alternative Route 1, provided it satisfies certain eligibility conditions, including the FME being a subsidiary or branch of an Asset Management Company of a Mutual Fund that is registered with the SEBI and is sponsored by a Bank regulated by the RBI.

This regulatory measure marks a significant milestone in positioning the GIFT IFSC as the preferred global gateway for the Indian diaspora to participate in the country's growth journey.

Transaction/Processes/Operations/Trends

The fund management industry in GIFT IFSC has demonstrated strong growth momentum, positioning itself as a preferred jurisdiction for international fund operations. As of March 31, 2025, IFSCA had registered 162 FMEs, which have collectively launched 229 schemes. These schemes have raised cumulative investor commitments amounting to USD 15.74 billion and have deployed cumulative investments worth USD 5.88 billion. This growth signifies the strong industry acceptance of the regulatory and tax ecosystem of GIFT-IFSC.

Table 21: Fund Management Ecosystem in GIFT IFSC

Particulars	March 2024	March 2025	YoY Growth
Number of FMEs	114	162	~42%
Number of Schemes	120	229	~90%
Cumulative Total Commitments Raised (USD Bn)	8.41	15.74	~87%
Cumulative Total Funds Raised (USD Bn)	3.94	7.95	~101%
Cumulative Total Investments Made (USD Bn)	3.80	8.07	~112%

As on March 31, 2025, there are 162 FMEs registered with IFSCA, wherein the largest number of registrations have been observed in the Registered FME (Non-Retail) category.

Table 22: Number of registered FMEs

FME Registrations	As on March 31, 2025
Total Number of FMEs	162
<i>of which, No. of Registered FME (Retail)</i>	9
<i>of which, No. of Registered FME (Non-Retail)</i>	144
<i>of which, No. of Authorised FME</i>	9

Table 23: Investment by Fund Management Schemes

Details regarding Schemes (As on March 31, 2025)		(In USD Mn)
	Schemes Authorised	Investment Made
Venture Capital Schemes	16	42.77
<i>of which, Angel Schemes</i>	5	8.82
Restricted Schemes	213	8033.42
<i>of which, Category I & II AIFs</i>	78	4516.95
<i>of which, Category III AIFs</i>	135	3516.47
Total Schemes in IFSC	229	8076.19

Portfolio Management Services

The IFSCA (Fund Management) Regulations 2025 provide that FMEs which are registered under the categories of Registered (Retail) and Registered (Non-Retail) may also provide Portfolio Management Services. There are 23 such FMEs which provide these services in IFSC and manage assets worth USD 1.18 Billion.

Supervision

Apart from the offsite supervision carried out by IFSCA through the reports received from the FMEs on a quarterly frequency, during the year onsite visits of 8 (eight) FMEs were carried out. As a result of these supervisory activities, the following actions were taken or initiated:

Action Taken / Initiated	No. of Instances
Advisory Letters Issued	29 ⁶⁶
Warning Letters Issued	2
Enforcement Action Initiated	1
Total Actions	30

⁶⁶ 27 letters issued to the FMEs, and 2 letters issued to Registered Distributors

Advocacy and Outreach

IVCA Conclave 2025

Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA along with other senior officials attended the Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA) Conclave 2025 in Mumbai on February 12, 2025.



Image 7: Chairperson, IFSCA with senior officials of Fund Management industry

On the sidelines of the conclave, IFSCA held an interactive roundtable discussion with fund managers and market participants to create greater awareness about GIFT and also towards garnering feedback on the regulatory framework for Fund Management in IFSC.

IFSCA-IVCA Fund Management Conclave 2025

IVCA in collaboration with other industry stakeholders organized '*IFSCA-IVCA Fund Management Conclave 2025*' on March 12, 2025, at GIFT City, Gandhinagar, Gujarat.

Roundtables and Collaborations

To raise awareness about the evolving fund management industry at IFSC and to engage with industry stakeholders, senior officials of the IFSCA have participated in various roundtable discussions with senior officials of fund managers, asset management companies, portfolio managers and wealth managers in IFSC, India and foreign jurisdictions. Additionally, the IFSCA collaborates with various industry bodies to understand industry needs, address regulatory challenges, and promote dialogue within the sector.

Policies and Programs for the Following Year

Framework for third-party fund management services

In line with the global best practices and with a view to allow fund managers and investment advisers in other jurisdictions to avail of the fund management platform within GIFT IFSC, a regulatory framework will be deliberated during the year, which *inter alia* is likely to enhance the ease of undertaking fund management business in IFSC while also drawing a balance with the critical element of investor protection and jurisdictional integrity.

Categorization of Restricted Schemes

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025 enable the FMEs to undertake a wide bouquet of fund management activities, which include setting up various type of schemes/ pooled vehicles as well as bespoke services for their investors. Among the various type of schemes permitted in IFSC, the 'Restricted Schemes' are meant for accredited investors or those who are willing to contribute at least USD 150,000. In order to provide better clarity on the permissible activities for each category of Restricted Scheme, a circular on the matter is proposed to be issued during the year.

Metals And Commodities

India, one of the world's largest importers and consumers of gold, is set to strengthen its position in the global precious metals market through the establishment of the India International Bullion Exchange IFSC Limited (IIBX) at GIFT IFSC. This initiative stems from the NITI Aayog's 2018 report on reforming India's gold ecosystem and was subsequently announced in the Union Budget of 2020.

Following this, IFSCA issued the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations in December 2020, which got recently replaced by the IFSCA (Bullion Market) Regulations, 2025, notified in the Official Gazette in February 2025.

IIBX was set up by a consortium of five leading Market Infrastructure Institutions (MIIs) in India, in collaboration with GIFT IFSC. The Exchange was officially inaugurated by the Hon'ble Prime Minister on July 29, 2022. The objective behind the establishment of IIBX is to create a dynamic and transparent platform for trading precious metals such as gold and silver, enabling India to become a price influencer rather than a price taker in the global market.

Major Milestone for IIBX and Precious Metals Ecosystem in GIFT-IFSC

The Financial Year 2024-25 has been a significant year for the IIBX. The total import of gold through IIBX since its launch crossed 100 tonnes, marking a significant achievement for IIBX and an overall precious metals ecosystem in GIFT IFSC.

First Transaction of Nominated Bank on IIBX

One of the **Reserve Bank of India-nominated bank** participated as a **Special Category Client (SCC)**, gaining direct access to the IIBX to import gold on behalf of its domestic clients on February 28, 2025.

India is the world's second-biggest gold consumer after China and, thus, aims to be a significant price influencer in the global gold market. According to the World Gold Council, jewellery demand worldwide contracted by 11 per cent in 2024 due to high prices. However, India remained relatively resilient with only a 2 per cent decline in jewellery demand, compared to China's sharp 24 per cent drop. India's gold imports surged by USD 12.47 billion to touch USD 58.01 billion in FY 2024-25 as compared to USD 45.54 billion in FY 2023-24. In volume terms, 757.04 tonnes of gold were imported into India against 795.25 tonnes in FY 2023-24, registering a decline of 4.80%.

World Silver Survey 2025⁶⁷ highlights India's pivotal role in the global silver market, particularly in industrial and jewellery sectors. India's industrial silver consumption increased by 4 per cent in 2024, ranking second globally after China. In contrast to global trends, India experienced a 21 per cent rise in demand for silver coins and bars, driven by bullish investor sentiment and favourable import policies.

The precious metals account for 8 per cent of the country's total imports and with a huge demand for gold and silver in the country, the formation of an International Bullion Exchange (IIBX) is one of the steps which provide opportunities for formalization of the gold and silver import/trade in India. The Exchange provides a more transparent, democratic, and an efficient platform for import/ trade of gold and silver. The Authority also aims to introduce more commodity-related products and derivatives thereon on the exchanges in the GIFT IFSC in the times to come.

⁶⁷ <https://silverinstitute.org>

Policy/ Regulatory Developments



IFSCA (Bullion Market) Regulations, 2025

The IFSCA (Bullion Market) Regulations, 2025 have been notified in the Official Gazette in February 2025. The IFSCA (Bullion Market) Regulations, 2025 replaced the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020, which were notified on December 04, 2020.

Apart from furthering the objective of price discovery for bullion taking place through Bullion Exchange in GIFT IFSC, the Bullion Market Regulations are expected to usher in further ease of doing business, clarify the intent of certain regulatory provisions and introduce safeguards as are deemed necessary for the protection of customer's interest in the bullion market ecosystem in the IFSC.

India International Bullion Exchange

IIBX is promoted by India's leading market infrastructure institutions like NSE, India INX, India ICC, NSDL, CDSL and MCX and is regulated by IFSCA. The role of IIBX is to provide a transparent electronic trading platform for metal and commodities trading in IFSC, democratic pricing mechanism, greater integration with other segments of financial market, become a price influencer in the international market, etc. During the Financial Year 2024-25, 93.07 tonnes of gold and 239.18 tonnes of silver were imported through IIBX.

Products on IIBX

The following spot products are available on IIBX:

Gold			
Product	Description		
	Trading Unit	Purity	Good Delivery Standard
Gold 995 T+0	1 Kg	995	Bars supplied by LBMA approved suppliers or other suppliers as may be approved by IIBX.
Gold Mini 999 T+0	100 grams	999	
UAEGD Gold 995 T+0	1 Kg	995	Bars supplied by UAE Good Delivery (UAEGD) approved suppliers.
UAEGD Gold 999 T+0	100 grams	999	
UAEGDTRQ Gold 995 T+0	1 Kg	995	Bars supplied by UAE Good Delivery (UAEGD) approved suppliers under the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
UAEGDTRQ Gold 999 T+0	100 grams	999	

Silver			
Product	Description		
	Trading Unit	Purity	Good Delivery Standard
Silver Grains T+0	20 Kg	999	Grains/bars supplied by LBMA approved suppliers or other suppliers as may be approved by IIBX.
Silver Bar T+0	30 Kg	999	
UAEGD Silver Grains T+0	20 Kg	999	Grains/bars supplied by UAE Good Delivery (UAEGD) approved suppliers.
UAEGD Silver Bar T+0	30 Kg	999	
UAEGDCEPA Silver Grains T+0	20 Kg		Grains supplied by UAE Good Delivery (UAEGD) approved suppliers under the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

Exchange, Clearing Corporation

IIBX is an IFSCA recognised Bullion Market Infrastructure Institution operating as a Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation. Currently, as a Bullion Exchange, it provides platform that offers trading in products related to bullion (gold and silver). Its role as a Clearing Corporation is to act as a central counter party for clearing and settlement of all the trades executed on the Bullion Exchange.

Depository

GIFT IFSC has a single depository named India International Depository IFSC Ltd (IIDI) (previously known as CDSL IFSC Ltd) which has also been designated as a Bullion Depository. The role of IIDI is to perform the function of issuance of Bullion Depository Receipts in electronic form for trading on the Bullion Exchange. It also performs the function of overseeing the storage and safeguarding of bullion through the vault managers. Further, as a bullion depository, IIDI also ensures that the vault manager has the systems, mechanism, and related IT infrastructure to provide encrypted transmission of information to the bullion depository and system-based reconciliation of data between the vault manager and bullion depository.

Vaulting Infrastructure

The vaulting infrastructure in GIFT IFSC includes facilities for the storage of the bullion. Currently, 3 Vault Managers are operating with total capacity of 440 tonnes of gold and 2,400 tonnes of silver.

Bullion Market Intermediaries

The number of the Bullion Market Intermediaries registered in the capacity of Bullion Trading member (Bullion TM), Bullion Trading and Clearing member (Bullion TCM), Bullion Trading cum Self Clearing Member (Bullion TSCM) and Bullion Professional Clearing member (Bullion PCM) as on March 31, 2025, is given below. The names and details of these entities are available on the website of the Authority.

Bullion TM	Bullion TCM	Bullion TSCM	Bullion PCM
7	8	3	2

Qualified Jewellers

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce & Industry vide its Notification No.49/2015-2020 dated January 05, 2022, had, inter alia, specified that Qualified Jewellers (QJs) notified by IFSCA shall be permitted to import gold under ITC(HS) Codes 71081200 and 71189000, through India International Bullion Exchange IFSC Limited (“IIBX”).

Further, vide its Notification in October 2023, DGFT amended the import policy condition for silver to permit import by QJs under ITC (HS) Codes 71069110 and 71069290.

Based on the said DGFT notifications, IFSCA has issued enabling circulars specifying, inter alia, the eligibility conditions for notifying an entity as a Qualified Jeweller for the purpose of undertaking imports of gold and silver through IIBX.

As of March 31, 2025, IFSCA has notified 167 Qualified Jewellers, the details of which are available on the website of the Authority.

Valid India-UAE CEPA TRQ Holders

India and UAE have signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement on February 18, 2022, which, inter alia, promotes bilateral trade in bullion, and gems and jewellery sectors. Under the India-UAE CEPA, India can import a certain quantity of gold (Tariff Rate Quota) from the eligible UAE entities every year with customs duty 1% lower than the prevailing rate. The said TRQ is allocated to eligible Indian entities (India-UAE CEPA TRQ holders) by DGFT at the start of every Financial Year.

With a view to facilitate imports by India-UAE CEPA TRQ holders through IIBX, DGFT amended the import policy condition for ITC(HS) Code 71081200 of Chapter 71 of ITC(HS) 2022, Schedule -I (Import Policy) stating that valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA. Subsequently, IFSCA issued a circular on December 13, 2023, to facilitate the participation of India-UAE CEPA TRQ Holders on the IIBX for import of UAE Good Delivery (UAEGD) TRQ Gold under the India-UAE CEPA. Further, RBI vide circular dated January 31, 2024, provided the guidelines on import of gold by TRQ Holders under the India UAE CEPA as notified by IFSCA to all the Category-I Authorised Dealer Banks. During FY 2024-25, IFSCA notified 441 entities as valid India UAE CEPA TRQ Holders that could undertake imports of gold/silver through IIBX under the India-UAE CEPA.

Transaction/Processes/Operations/Trends

Major Developments/ Operations

- Total gold imported through IIBX since launch has crossed 100 tonnes valuing USD 8.46 billion approximately by the end of FY 2024-25.
- Total silver imported through IIBX since launch of its trading on December 13, 2023, touched 1147.98 tonnes valuing USD 92.67 million approximately by the end of FY 2024-2025.
- IFSCA approved extension in trading hours for T+0 contracts on IIBX by 1 hour. The revised trading hours at IIBX are 9 AM to 6:30 PM, as against 9 AM to 5:30 PM earlier. The revised trading hours came into effect from May 24, 2024.
- IIBX launched trading in Gold Futures on June 21, 2024. Gold Futures available on IIBX provide participants with an option to settle their open positions by giving/taking physical delivery of gold. Gold Futures trade from 9 AM to 11:30 PM.
- Pursuant to IFSCA's approval, IIBX launched gold and silver spot contracts with vault in Chennai as an additional vaulting centre. These contracts were launched as separate tokens under the existing products (with GIFT IFSC delivery centre) with effect from July 29, 2024. This Vault is the first IFSCA-registered vault located outside the GIFT IFSC.

Table 24: Participants on India International Bullion Exchange (IIBX)

Participants	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Qualified Jewellers	118	167
<i>Clients</i>	<i>70</i>	<i>118</i>
<i>'Special category' Clients</i>	<i>48</i>	<i>49</i>
Qualified Suppliers	26	37
<i>Clients</i>	<i>24</i>	<i>34</i>
<i>'Special category' Clients</i>	<i>02</i>	<i>02</i>
QS IFSC	-	01
Valid India UAE CEPA TRQ Holders	82	441

Table 25: Regulated Entities/ Intermediaries on IIBX

Participants	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Bullion Trading Members	5	7
Bullion Trading Cum Self Clearing Members	3	3
Bullion Trading Cum Clearing Members	6	8
Bullion Professional Clearing Members	2	2
Vault Managers	3	3

Table 26: Product-wise summary of trades on IIBX

Participants	During FY 2023-24		During FY 2024-25	
	Traded Value (USD Mn)	Traded Volume (in kg)	Traded Value (USD Mn)	Traded Volume (in kg)
LBMA 1 kg Gold 995	4.52	75.00	0.00	0.00
LBMA 100 gm Gold 999	0.00	0.00	0.00	0.00
UAE GD 1 kg Gold 995	2.22	34.00	8.46	106.00
UAE GD 100 gm Gold 999	7.24	114.80	10.97	135.50
UAEGD TRQ 1 kg Gold 995	252.91	3957.00	3471.10	40514.00
UAEGD TRQ 100 gm Gold 999	238.38	3747.40	4437.75	52317.40
Total (Gold)	505.27	7928.20	7928.28	93072.50
UAEGD CEPA SILVER GRAINS	698.48	908800.00	217.91	228060.00
UAEGD SILVER GRAINS	0.00	0.00	1.10	1100.00
SILVER GRAINS	0.00	0.00	0.00	0.00
UAEGD SILVER BAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SILVER BAR	0.00	0.00	9.29	10020.00
Total (Silver)⁶⁸	698.48	908800.00	228.31	239180.00

Supervision

IFSCA has conducted the onsite and offsite supervision of regulated entities.

Offsite Supervision

To ensure the development of bullion market ecosystem in GIFT IFSC, supported by a compliance of all rules/regulations prescribed by IFSCA, monthly reports of the physical bullion stock position containing details such as type of bullion, quantity and quality against which the Bullion Depository has issued Bullion Depository Receipts are obtained.

Onsite Supervision

During FY 2024-25, IFSCA carried out the onsite supervision of two Bullion Trading and Clearing Members (TM/CM) and three vaults in GIFT IFSC. Advisory Letters were issued to 2 Bullion TM/CMs and the Bullion Exchange, post the onsite supervision of the Bullion TM/CM. With respect to onsite supervision of the Vaults, Advisory letters were also issued to 3 Vault Managers and Bullion Depository. Further, based on the onsite supervision of the Bullion Exchange by IFSCA in the previous Financial Year, Cautionary letter was issued to the Bullion Exchange.

⁶⁸ The trading of silver started on IIBX from December 13, 2023

Working Group/ Committee

Expert Committee on positioning GIFT IFSC as a Global Commodity Trading Hub

IFSCA has constituted an Expert Committee on positioning GIFT IFSC as Global Commodity Trading Hub under the Chairmanship of Shri Rajeev Kher, former Commerce Secretary and former Member of Competition Appellate Tribunal. The Expert Committee has been set up with a view to enabling commodity trading in IFSC, which will facilitate business integration of IFSC financial ecosystem with global trade flows, capitalize on integration opportunities with major commodity hubs and attract global investment flows into IFSC, thereby helping IFSC grow competitively.

Advocacy and Outreach

Various outreach programs were undertaken by IFSCA towards the growth and development of Bullion ecosystem in IFSC. These include participation in global and national conferences such as-

- i. India Silver Conference, Goa, in April 2024
- ii. Dubai Precious Metal Conference, Dubai, UAE, in November 2024
- iii. India Management Research Conference IIM Ahmedabad, Ahmedabad, December 2024
- iv. Global Securities Markets Conclave 1.0, GIFT-City, in January 2025
- v. IGPC-IIMA Annual Gold & Gold Markets Conference, New Delhi, in February 2025

Further, the Authority also interacted with the market participants of the Bullion ecosystem in GIFT IFSC to gather their feedback on various challenges faced by them while trading and importing through IIBX.

Policies and Programmes for the Following Year

Working on the proposals/recommendations of Expert Committee for positioning GIFT IFSC as a Global Commodity Trading Hub

IFSCA has constituted an Expert Committee on positioning GIFT IFSC as Global Commodity Trading Hub under the Chairmanship of Shri Rajeev Kher, former Commerce Secretary and former Member of Competition Appellate Tribunal. The Expert Committee has been set up with a view to enabling commodity trading in IFSC, which will facilitate business integration of IFSC financial ecosystem with global trade flows, capitalize on integration opportunities with major commodity hubs and attract global investment flows into IFSC, thereby helping IFSC grow competitively.

Drafting and notification of Bullion Market Intermediaries Regulations

IFSCA is in the process of formulating comprehensive regulations for intermediaries involved in the bullion market, such as bullion dealers, vault managers, and trading platforms. These regulations aim to establish clear operational, compliance, and governance standards to ensure market integrity.

IFSCA Bullion Good Delivery Guidelines

IFSCA is in the process of notifying guidelines defining the standards and procedures for the good delivery of bullion, including specifications on weight, purity, and refiner accreditation. These guidelines aim to create uniformity and global acceptance of bullion traded on the IFSC platform.

Extension of trading hours on IIBX

IFSCA plans to extend trading hours on the India International Bullion Exchange (IIBX) to align more closely with global bullion market timings. This will provide increased flexibility and access for international participants

Enabling, approving and regulating products – features, design, suitability, etc. through regulatory framework for products like Gold ETF, Silver ETF, Commodities ETF, Gold Mutual Funds, etc.

IFSCA is exploring formulation of regulatory frameworks to support innovative commodity-linked investment products, including Gold ETFs, Silver ETFs, and Gold Mutual Funds, within the IFSC. The focus will be on product suitability, risk disclosures, and investor protection.

Introduction/approval of Gold Quanto Futures, Silver Quanto Futures, Gold Options and Silver Options

IFSCA is working towards introducing advanced derivative instruments like Gold Quanto Futures, Silver Quanto Futures, and options contracts to provide hedging and speculative opportunities for market participants. These products will be designed with global market standards in mind.

Operationalising the IFSC vaulting centres at other locations within SEZs or Free Trade Warehousing Zones across India.

The introduction of the Rule 19A to the SEZ Rules has enabled establishment of new vaulting infrastructures outside the GIFT. It is expected that more vaults may be operationalized in SEZs in Chennai, Kolkata and other regions of the country.

FinTech

In alignment with the vision articulated by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi to position GIFT City as the preeminent global nerve centre for next-generation financial and technological services, and following the announcement by Hon'ble Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2021-22 regarding the government's commitment to develop a world-class FinTech hub at GIFT IFSC, the IFSCA has laid out a comprehensive strategy to realise this mandate. This includes building global visibility and mindshare among FinTechs, formulating progressive and forward-looking regulatory frameworks, and introducing targeted incentives to promote innovation and entrepreneurship. Key milestones in this journey include the release of the Progressive Regulatory Framework for FinTech in 2022 and the implementation of the FinTech Incentive Scheme, which supports both Indian and foreign FinTech ventures. Collectively, these initiatives reinforce IFSCA's commitment to nurturing a vibrant and robust FinTech ecosystem, firmly establishing GIFT IFSC as a pioneering FinTech laboratory on the global stage.

Policy/ Regulatory Developments

Framework for FinTech Entity in the IFSCs

In accordance with the vision of the Hon'ble Prime Minister to create a world-class fintech hub, IFSCA had issued a circular providing for a unique Framework for FinTech Entity in the IFSCs ("FE Framework") for FinTechs and TechFins on April 27, 2022.

The FE Framework enables some class/categories of technology companies having a deployable advanced/ innovative technology solution which aids and assists activities in relation to financial products, financial services, financial institutions and, credible track record including financial performance, defined as "TechFin" to obtain Direct Entry (Authorization by IFSCA). Further it also provides entities access to different categories of sandboxes to develop and test TechFin and FinTech Solutions in IFSC by providing Limited Use Authorization. The entities, fulfilling the eligibility criteria according to the framework, which exhibit genuine innovation and need for live testing on real customers/ investors, had carried out limited prior testing, and provide direct benefit to users with proper risk management strategy, adequate test readiness and deployment plan post testing, can apply to IFSCA FinTech Regulatory Sandbox. Further, the entities fulfilling the eligibility criteria according to the framework may be permitted to access the IFSCA FinTech Innovation Sandbox where in FinTechs can test their solutions in isolation from the live market.

The FE Framework also incorporates two additional mechanisms to support the FinTech Entities as detailed below:

Inter Operable Regulatory Sandbox (IoRS): IoRS is a proposed mechanism to facilitate testing of innovative hybrid financial products/ services falling within the regulatory ambit of more than one financial sector regulators. IFSCA will facilitate Indian FinTechs seeking access to foreign markets and foreign FinTechs seeking entry into India.

Regulatory Referral Mechanism/ FinTech Bridges: It shall be governed as per the provisions of the MoU or collaboration or special arrangement between IFSCA and corresponding overseas Regulator(s). Currently IFSCA has FinTech Bridge with Monetary Authority of Singapore (MAS) which was executed by the way of MoU between the two regulators.

IFSCA has received a total of 159 Applications under the FinTech Entity Framework from 14 jurisdiction since its inception. The Authority received 28 applications in the FY 2024-25 under the FE Framework.

IFSCA has granted 16 regulatory approvals in the financial year 2024 -25 including 10 (earlier 04) Authorizations and 6 (earlier 22) Limited Use Authorizations.

IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022

IFSCA, with an overall objective to promote the establishment of a world-class FinTech Hub, at GIFT IFSC in India, launched the IFSCA (FinTech Incentive) Scheme for providing financial support to FinTech activities in the form of specific grant(s). The guidelines for implementation of the Scheme were issued on September 12, 2022.

Under the Scheme, the Evaluation Committee has recommended twelve applications for grants totalling ₹3.50 crore, and the disbursement of the approved grant amounts has been successfully completed.

Advocacy and Outreach

Global Financial Innovation Network (GFIN)

IFSCA, having joined the GFIN in the previous financial year as a Board Member of its Coordination Group, has continued to actively contribute to the network's strategic initiatives. As part of its responsibilities, IFSCA participated in various key meetings and activities throughout the year 2024 and early 2025. Notably, IFSCA virtually attended the Coordination Group meetings held on May 21, July 29, and November 12, 2024. In the July meeting, IFSCA recommended the membership applications of the Central Bank of Jordan and the Financial Markets Authority of New Zealand.

Further, IFSCA co-managed the GFIN Secretariat alongside the UK's Financial Conduct Authority (FCA) and organized a spotlight session on “*Gen AI – Use Cases for BFSI*” for GFIN members on October 29, 2024, following its proposal made in July. Reinforcing its commitment to global financial innovation, IFSCA also virtually participated in the GFIN Annual General Meeting held in Calgary, Alberta, Canada, from March 25 to 27, 2025.

IFSCA – IAIS Engagements

IFSCA, in its capacity as a member of the FinTech Forum of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), actively contributed to various meetings and discussions on emerging technologies in the insurance sector during the year 2024 and early 2025. IFSCA participated virtually in the IAIS FinTech Forum held on June 5, 2024, where updates were provided by the SupTech sub-group, the AI Application Paper drafting team, the API/ Open Data sub-group, and the Distributed Ledger Technology (DLT) Data sub-group.

Furthermore, IFSCA attended the in-person policy implementation meeting on AI in the Insurance Sector held in Basel, Switzerland, from September 3 to 4, 2024, followed by the IAIS FinTech Forum meeting on September 4, 2024. These engagements focused on advancements in AI, digital assets, SupTech, and embedded insurance. Continuing its involvement, IFSCA also participated virtually in the FinTech Forum meeting held on February 13, 2025, reinforcing its commitment to international collaboration on technological innovation in insurance supervision.

I-Sprint'23

In order to promote innovation, Global Hackathons (named I-Sprint' 23) were conducted in partnership with various organizations to promote innovations in the previous financial years.

The Sprint 09 and the Sprint 13 were concluded in this financial year with 85 participants.

Participation in In Space Industry Meet 2024

IFSCA participated in the “IN-SPACE Industry Meet” held on June 6, 2024, organized by the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACE) and Inaugurated by S. Somnath, Chairman ISRO. The event was part of IN-SPACE's ongoing efforts to foster sustained engagement with the private space industry and to promote a collaborative ecosystem for the growth of India's SpaceTech sector. During the meet, IFSCA delivered a focused presentation outlining the financial opportunities available for SpaceTech companies within the GIFT IFSC.

Participation in Global FinTech Fest (GFF) 2024

IFSCA actively participated in the Global FinTech Festival 2024 held on August 28-30, 2024, at Mumbai by contributing to a panel discussion on the theme, “*Innovation in FinTech Regulation: Balancing Innovation and Regulation in Global Financial Services.*” The session brought together global thought leaders and regulatory experts to deliberate on the evolving landscape of financial technologies and the regulatory approaches necessary to foster innovation while ensuring financial stability and consumer protection.

Cross Border Data Transfer: Workshop on Global CBPR



Image 8: IFSCA participation in Cross Border Data Transfers Workshop

IFSCA actively participated in the precursor session held on August 28, 2024, and the subsequent three-day workshop on “Cross Border Data Transfers: Workshop on the Global CBPR,” conducted from September 19 to 21, 2024 in New Delhi. The event was collaboratively organized by NASSCOM, the Data Security Council of India (DSCI), the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), and the Ministry of External Affairs (MEA). The workshop brought together prominent stakeholders, including industry experts, regulators, and government officials, to foster a comprehensive understanding of the Global Cross-Border Privacy Rules (CBPR) framework and the Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement (Global CAPE).

The primary objective of the workshop was to facilitate an in-depth exploration of the Global CBPR Framework, particularly its significance in enabling secure and trusted cross-border data flows and advancing digital trade. The sessions also provided a platform for informed deliberations on India’s potential participation in the Global CBPR system, considering its implications for national data governance and international data transfer practices.

Participation in Startup Policy Forum Baithak



Image 9: Shri Joseph Joshy, Chief Technological Officer, IFSCA, participated in Startup Policy Forum Baithak 2025 at G20 Summit room

IFSCA participated in the Startup Policy Forum Baithak 2025, held on January 15–16, 2025, at the G20 Summit Room. The forum provided a platform for meaningful dialogue among key stakeholders on policy frameworks and strategic initiatives to foster innovation and support the growth of startups within the financial sector. IFSCA further briefed participants on the unique advantages of the GIFT IFSC ecosystem, including its regulatory framework, the FinTech Entity Framework, and the various benefits available to startups operating within the jurisdiction.

Participation in National Stakeholder's Conference – Aadhar Samvad

IFSCA attended the National Stakeholders' Conference – Aadhaar Samvaad, held at the Jio World Convention Centre, BKC, Mumbai, on January 20, 2025. The conference highlighted the potential for enabling KYC document interoperability through access to SEBI and RBI CKYC, the possibility of establishing a dedicated CKYC system by IFSCA, and the promotion of use cases leveraging Aadhaar or equivalent digital identity for financial services such as mutual fund redemptions and insurance claims.

Participation in India Blockchain Week

IFSCA participated in India Blockchain Week and addressed the audience on its key initiatives aimed at fostering innovation in the financial sector. The address highlighted IFSCA's efforts in areas such as tokenisation and payments along with the support for the emerging technological solutions through Authorizations and sandboxes under the FinTech Entity Framework.

Participation in TiE Global Summit

IFSCA participated in the TiE Global Summit held on December 11, 2024, in Bengaluru. IFSCA delivered a keynote address on the theme *"Catalysing FinTech Objectives at IFSC"*. In addition, IFSCA actively took part in a panel discussion that encompassed a diverse range of topics, including cybersecurity and quantum technologies, ethical AI and regulatory frameworks, and tokenization. The engagement also included several one-on-one meetings with key stakeholders.

Participation in Nordic FinTech Week 2024

IFSCA participated in the Nordic FinTech Week held in Denmark from September 23 to 27, 2024. As part of the engagement, IFSCA took part in the Symposium on Anti-Money Laundering (AML), which provided a platform for dialogue on global best practices and regulatory developments in combating financial crimes.

In addition, IFSCA held one-on-one meetings with various FinTech and TechFin entities to discuss potential areas of collaboration and innovation. These interactions generated significant interest, resulting in five expressions of interest from international participants keen to explore business opportunities at GIFT IFSC.

Participation in Singapore FinTech Festival 2024



Image 10: Chairperson, IFSCA, at Singapore FinTech Festival (SFF) 2024

IFSCA actively participated in the Singapore FinTech Festival (SFF) 2024, held from November 6 to 9, 2024. As part of the program, the Chairperson, IFSCA participated in a panel discussion titled *“The India Story: On the Path to a \$7 Trillion Economy”* and took part in the Regulators' Dialogue on *“Global AI Governance – The Much-Needed Lifeline for Startups?”* Additionally, the Chairperson engaged in a roundtable with fund managers and held several bilateral and one-on-one meetings with various market stakeholders to explore opportunities for collaboration and strengthen international partnerships.

India – Philippines Joint Working Group on FinTech

IFSCA participated in the inaugural meeting of the India–Philippines Joint Working Group on FinTech, during which it collaborated with the RBI to conduct a session on the theme *“Promoting Cooperation in FinTech”*. The session aimed to enhance bilateral engagement and foster mutual understanding of regulatory approaches, technological developments, and collaborative opportunities in the FinTech sector.

Additionally, IFSCA took part in the sixth meeting of the India–Singapore Joint Working Group on FinTech, held on August 30, 2024, through video conferencing. The meeting provided a platform for continued dialogue and cooperation between the two nations, reaffirming IFSCA's commitment to strengthening international partnerships and promoting cross-border innovation in financial services.

India – Singapore Joint Working Group on FinTech

IFSCA attended virtually the sixth Joint Working Group on FinTech between India and Singapore held on August 30, 2024, at the Jio Convention Centre, Mumbai in which MAS and IFSCA decided that more firms shall be encouraged to use cross border regulatory sandboxes.

India-UK Financial Markets Dialogue

IFSCA attended the India-UK Financial Markets Dialogue held on December 12, 2024, in GIFT City. The Dialogue touched upon the possibility of exploration of establishment of cross-country regulatory sandbox to enable knowledge sharing, non-supervisory related information sharing and undertaking joint projects in technologies like AI and Quantum between the regulators of each country. Further, it was also mentioned that the establishment of cross-country regulatory sandbox between IFSCA and FCA may also lead to referrals of innovative fintech to each other's regulatory sandboxes including joint evaluation of the suitability of innovative use cases.

India's Digital Finance Framework at EU-SDFA

IFSCA participated in the European Union Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA) held in Florence, Italy and led two key sessions. The academy, established by the European Commission's Directorate-General for Reform, convened 37 participants from 25 countries, representing 31 regulatory authorities — including central banks and supervisors of markets, pensions, and payments — along with officials from the EBA, ESMA, EIOPA, and EU-SDFA. The first session, titled *"Digital Finance Experiences from Non-European Jurisdictions"*, highlighted India Stack and the IFSC ecosystem, including the FinTech Entity Framework and regulatory sandboxes. The second session on the topic "Cross-Sectoral Trends and Priorities in Digital Finance", was conducted in collaboration with the World Economic Forum and ESMA.

Insurance and Pension

Insurance business is one of the most important segments of IFSC for developing the essential ecosystem of a financial market and providing insurance solutions to a global clientele.

IFSCA has enacted a world class and comprehensive regulatory framework for the insurers, reinsurers, and insurance intermediaries in IFSC focusing on ease of doing business. These regulations cover the aspects relating to registration of insurance business, manner of receipt of premium, designing of insurance products, investment of assets, preparation and presentation of financial statements, appointment and duties of appointed actuary, maintenance of information and records for inspection and investigation, inward and outward reinsurance operations, solvency margin etc.

While the growth in the domestic insurance market will enhance insurance inclusion and enable building large pools for Indian insurers, it also necessitates developing reinsurance capacities. GIFT IFSC, with its incentives and regulatory support, is well-positioned to develop these capacities for both Indian and global markets. Additionally, the global Indian diaspora offers significant opportunities for insurance entities to provide tailored health, life, and travel insurance products by establishing operations in GIFT IFSC.

Currently, the insurance ecosystem in IFSC comprises of 45 entities, including 18 IIOs (IFSC Insurance Offices) and 27 IIIOs (IFSC Insurance Intermediary Offices). The total (Re)insurance premium booked by IIOs is USD 560.77 Mn and the total (Re)insurance premium transacted by IIIOs is USD 1.35 Bn, up to March 2025.

Along with the Insurance industry, the pension industry also plays a crucial role in ensuring long-term financial security and stability, while also contributing significantly to capital markets and economic growth. As India strengthens its financial ecosystem, IFSCA has taken several steps to play a meaningful role in shaping a globally connected pension ecosystem.

Policy/ Regulatory Developments

To enable the rapid growth of insurance and re-insurance sector in GIFT IFSC, IFSCA has created a favourable regulatory environment. With thirteen (13) regulations already in place canvassing most of the regulatory space, IFSCA has adopted a principles-based approach, in line with global best practices.

IRDAI Master Circular on Insurance

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) issued Master Circular on IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 and IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018 dated May 31, 2024, which inter-alia, mandates Cross Boarder Reinsurers (CBRs), accepting re-insurance business from India, to maintain collateral in India, marking a significant step towards enhancing the domestic reinsurance landscape. This initiative is expected to play a pivotal role in retaining reinsurance business within the country, positioning India as a burgeoning hub for reinsurance activities.

The requirement of maintaining the collateral locally by CBRs aims to fortify financial security and stability, thereby fostering greater confidence among stakeholders and promoting the growth of the reinsurance sector in India. This strategic move underscores India's commitment to creating a robust regulatory framework that not only safeguards domestic interests but also attracts global reinsurance players to invest and operate in mainland India or GIFT IFSC, under the aegis of IFSCA.

Consolidated Regulations

Consolidated IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021: Subsequent to the amendment to IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 in light of the amendments notified by the IRDAI on August 22, 2023, to its (Re-insurance) Regulations, 2018, and the launch of Single Window IT System (SWITS) platform with common application form, a consolidated version of the said regulations was placed on the website of the IFSCA, keeping in view the ease of doing business for Regulated Entities (REs).

Consolidated IFSCA (Investment by IIO) Regulations, 2022: Subsequent to the IFSCA (Investment by IFSC Insurance Office) (Amendment) Regulations, 2024, a consolidated version of the said regulations was placed on the website of the IFSCA, keeping in view the ease of doing business for Regulated Entities (REs).

Consultation paper on Proposed IFSCA Circular on Securitization requirements by overseas insurers or re-insurers for providing insurance covers to entities regulated by the IFSCA

The IFSCA's draft circular outlines securitization requirements for overseas insurers/ re-insurers providing insurance to REs in GIFT IFSC. It proposes safeguards such as maintaining a fixed deposit (50% of premium) or an irrevocable letter of credit (75% of liabilities) with IFSC banks. The aim is to balance flexibility for REs with financial stability. The objective of this consultation paper is to seek comments/ views/ suggestions from public on the proposed Securitization requirements by overseas insurers or re-insurers for providing insurance covers to entities regulated by the IFSCA.

Key Development: Expert Committee Report on Pension Products in GIFT IFSC

During the financial year, as a significant development, the Expert Committee chaired by Prof. Mukul Asher submitted its report on the development of pension products in the GIFT IFSC. The report outlines a strategic framework for introducing and regulating pension products within this international jurisdiction, aligning with global practices while supporting India's financial architecture.

Key Recommendations of the Expert Committee:

- i. The Committee recommends that it will be a non-INR denominated pension product in a currency as notified by IFSCA.
- ii. For enabling the regulatory framework for Pension in GIFT IFSC, a suitable exemption has to be carved out by the Government of India, as under the current PFRDA Act, section 25, *"Prohibition of investment of funds of subscribers outside India — No pension fund shall directly or indirectly invest outside India, the funds of subscribers"* Section 25 has to be exempted for IFSCA registered pension funds, and a broader investment horizon should be provided for the pension funds that are managed from this jurisdiction.

- iii. The Pension Product Provider (PPP) should either be registered under the ambit of IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022, now amended IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025, or under the Insurance regulations of IFSCA and will apply for product approval with the Pension Division.
- iv. IFSCA to issue Regulations for the pension products and conduct of the PPPs.
- v. Government of India should have bilateral talks for totalisation agreements, especially with the USA and UK. There are trade negotiations going on with UK, so it will be useful to have an item on pensions and the totalization with India can be discussed.
- vi. IFSCA should become member of International Organization of Pension Supervisors (IOPS). This will help in integrating with the other jurisdictions.
- vii. Government of India may consider issuing the tax enablement as recommended by the Committee. Tax Recommendations:
 - a. Proposed taxation at contribution stage: There have been certain developments over the period of time under the Indian pension (social security system) and its taxation especially in case of NPS, to provide more lucrative options to attract and retain the best talent in spite of additional cost to Indian exchequer. Under this backdrop, the taxation for the said pension product has been proposed to be as lucrative as possible. It is proposed that during the contribution period, a deduction can be provided up to INR 150,000 under the current Section 80C of the Indian Income Tax Act, 1961 from the taxable income.
 - b. Taxation on accretions: There should not be any taxes levied on the accretions generated during the contribution period on the said funds.
 - c. Taxation at withdrawal stage: At this stage, it is proposed that there should not be any income taxes on the withdrawal amount.
 - d. Availability in New tax regime: The exemption should be allowed to the individual even if they opt for the new tax regime.
 - e. Grandfathering even when a Non-Resident becomes a Resident: Grandfathering of tax benefit towards withdrawal should apply on the accumulated funds in the said pension fund even if a Non-resident (during the investment years) becomes a Resident in India later.
 - f. Income of IFSC Pension Scheme/ Trust: There should not be any taxes levied on any income earned by IFSC Pension Scheme/ Trust.

Statutory Notification: Pension Schemes Recognized as Financial Products under IFSCA Act, 2019

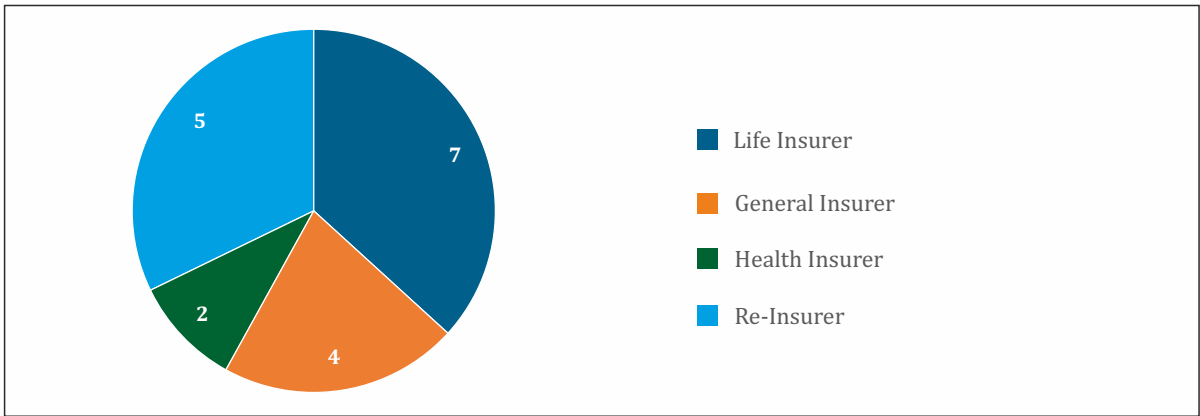
Furthering regulatory clarity and aligning with the Expert Committee's recommendations, the Government of India, through a notification dated December 5, 2024, under Section 3 of the IFSCA Act, 2019, officially notified 'schemes operated by a pension fund' as a 'financial product' for the purposes of the Act. This notification is a crucial enablement for the formal development and offering of pension schemes within the GIFT IFSC framework and strengthening the foundation for a globally competitive pension ecosystem.

Transaction/ Processes/ Operations/ Trends

Registration of entities

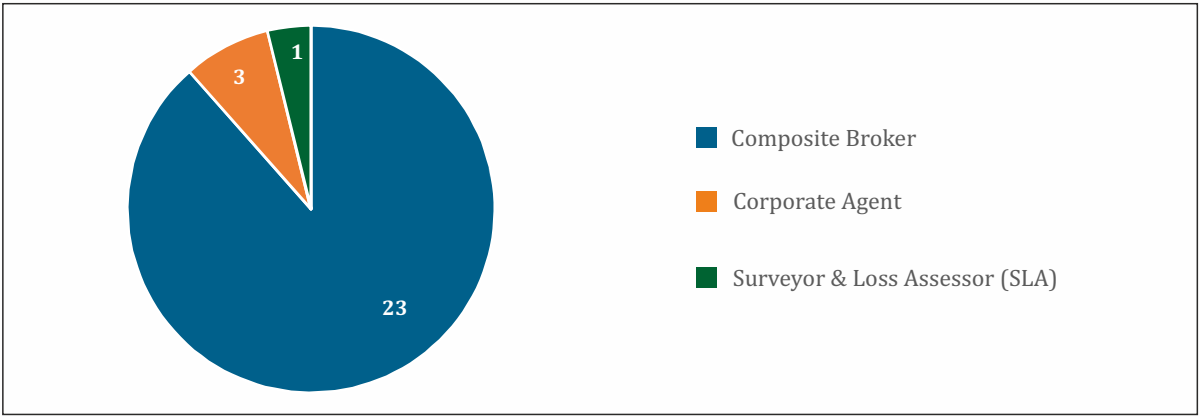
- (i) The insurance sector in GIFT IFSC has got a major fillip since the IFSCA took various initiatives both in regulatory as well as developmental parlance with support from Government. Total number of IFSC IIOs registered with GIFT IFSC has gone up from twelve in the previous financial year to 18 in this financial year.

Figure 12 : Classification of IIOs



- (ii) It is noteworthy that out of 7 new IIOs registered in FY 2024-25, 3 of them are from life insurance sector, 1 is from general insurance sector and 3 are foreign re-insurers. Further, registration for 3 life insurance companies is under process. The numbers show an increasing interest among the life insurance companies to tap the needs of life insurance products for the Indian diaspora. Similarly, the growth seen in the number of reinsurers would further enable GIFT IFSC to become a hub of reinsurance in Asia.
- (iii) Further, on the side of IIIOs, IFSCA gave registration to 1 composite insurance broker, 3 Corporate agents, 1 surveyor and loss assessor (SLA) in FY 2024-25, raising the total number of registered IIIOs to 27.

Figure 13: Classification of IIIOs

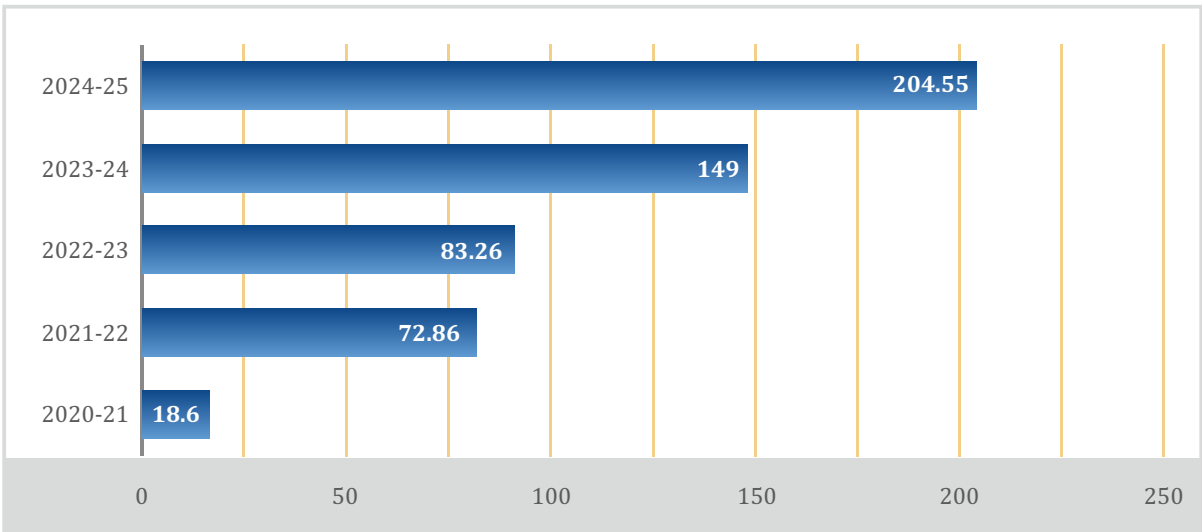


Business Transactions at the IFSC

IFSC Insurance Office (IIO)

In the FY 2024-25, the IIOs had booked premium of USD 204.55 Mn as against of USD 149 Mn in FY 2023-24. The Financial year wise business underwritten by the IIOs for previous 5 years is as under:

Figure 14 : Business underwritten by IIOs (USD Mn)

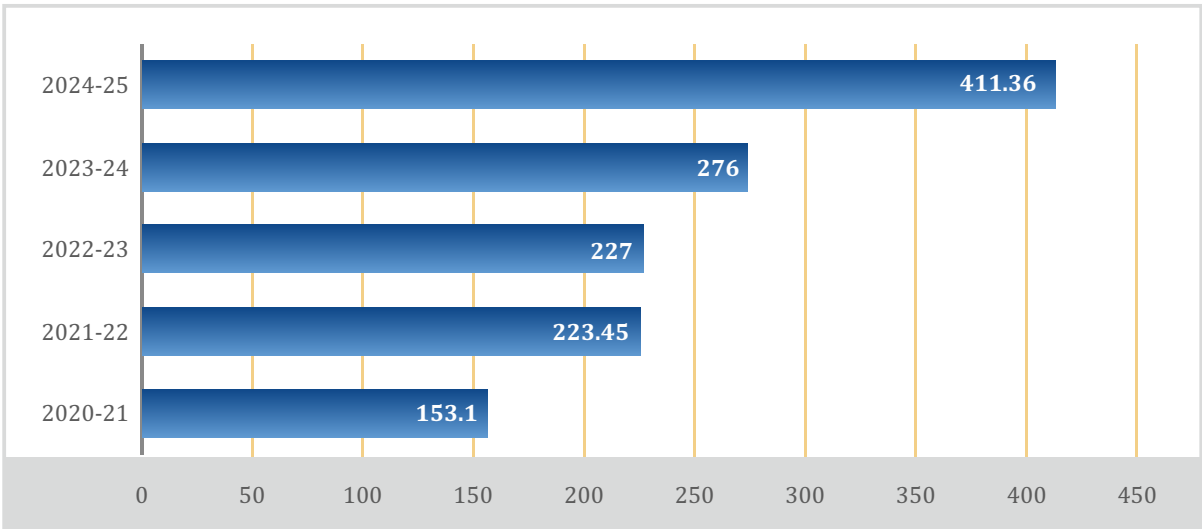


Note: Data for FY 2024-25 is Provisional

IFSC Insurance Intermediary Office (IIIO)

In the FY 2024-25, the IIIOs had transacted (re)insurance premium of USD 411.36 Mn as against of USD 276 Mn in FY 2023-24. The Financial year wise transactions of IIIOs for previous 5 years is as under:

Figure 15 : Business transacted by IIIOs (USD Mn)



Note: Data for FY 2024-25 is Provisional

Supervision

Offsite Supervision

To ensure the orderly growth of (re)insurance activities, IFSCA has laid down the framework for offsite supervision of IIOs/ IIIOs by specifying reporting norms for them. The Business Data and Compliance related Certificate are required to be submitted as per periodicity specified by the IFSCA. The submission made by IIOs/ IIIOs are examined in terms of compliance with extant regulatory framework.

Onsite Supervision

Apart from Offsite Supervision, IFSCA has also conducted On-site Supervision of the IIOs/ IIIOs. IFSCA carried out onsite supervision of 1 IIOs and 2 IIIOs during FY 2024-25.

Advocacy and Outreach

ILS Asia 2024 - Cat Bond & ILS conference in Singapore

Recognizing the potential of the niche segment of Insurance Linked Securities (ILS) and Natural Catastrophes (Nat Cat) risks, and the under-developed nature of regulatory framework in IFSC jurisdiction on the matter, a two-member delegation from IFSCA attended the 6th ILS Asia 2024 Conference held in Singapore.

For 2024, the theme for the conference was "*Renewing growth opportunities*", in the light of robust performance of the CAT Bonds and ILS asset class over the years. The conference gave opportunity to understand regulatory framework & current practices prevalent in the domain of ILS in different jurisdictions and to understand the segment of ILS from the perspective of ceding insurers or reinsurers, investors, asset managers, service providers, fund managers, risk modellers, law firms, pension investors, investment bankers etc.

As Singapore is one of the biggest Asian re-insurance markets and Asian headquarter for various re-insurers, various Cross Border Reinsurers (CBRs) who book re-insurance business from DTA India are situated in Singapore. Thus, on the background of IRDAI's recent circular on collateral, the delegation during its visit to Singapore also had one-to-one meetings with certain CBRs to discuss opportunities for them in the GIFT-IFSC.

7th Asian Captive Conference, 2024

Mr. Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA, participated in a panel discussion titled *"A Captive Perspective: Insite from Leading Asian Domiciles."* at 7th Asian Captive Conference, 2024, at Kuala Lumpur, Malaysia. The conference was organised by Labuan International Business and Financial Centre, Malaysia (Labuan IBFC) and Labuan International Insurance Association (LIIA).

In his remarks during the panel discussions, while acknowledging development of captive insurance business in peer jurisdictions like, Singapore, Labuan, Malaysia, Hong Kong etc., Mr. Trivedi informed that the proposal of enabling 'captive insurance' in India's GIFT IFSC is under active consideration of the Government of India.

Detailed deliberations were held during the conference regarding growing importance of captives in the insurance sector. While recognising the growth of captive insurance in USA and European markets, it was emphasised that Asian markets too have big potential of growing captive insurance.

The speakers also discussed various regulatory frameworks on supervision of Captive Insurer and its success stories in various Asian jurisdictions, increased usage of captives to access the reinsurance market etc. The participants were unanimous that captives are likely to become further embedded into corporate risk strategies, regardless of market conditions and all regulators need to have more collaborations, cooperation and information sharing to capitalize the full potential of captive insurance for the overall development of insurance ecosystem.

Meeting with Labuan Financial Services Authority (LFSA)

A delegation led by Mr. Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA and Mr. Bhaskar Khadakbhavi, General Manager, IFSCA had meeting with Mr. Mohd Rizlan Mokhtar, Director, Registration & Authorisation of Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA) and his team members, at their office in Kuala Lumpur, Malaysia.

These discussions were on the backdrop of recent MoU signed between IFSCA and Labuan FSA, to facilitate the cooperation and information sharing regarding laws, rules, and regulations governing financial products, financial services, and financial institutions within the respective jurisdictions.

The officials of IFSCA and Labuan FSA exchanged knowledge and best practices in the development, regulation, and supervision of respective financial markets. By exchanging insights and strategies, these regulators aim to enhance the stability, transparency, and efficiency of financial markets in both the jurisdictions ultimately benefiting consumers

20th Singapore International Reinsurance Conference

The 20th Singapore International Reinsurance Conference (SIRC) 2024, held from November 04 – 07, 2024, saw over 3,300 participants, with nearly 2,000 joining in from overseas. The event was attended by stakeholders from insurance industry like insurance/ reinsurance companies, intermediaries, bankers, insure tech companies, CAT modelling companies, cyber expert, credit rating agencies, insurance/reinsurance consultants and solution provide, exchanging platform etc.

During the conference, IFSCA team led by the Executive Director (Insurance) had various meetings to discuss the GIFT IFSC Insurance proposition with global reinsurers / intermediaries and various stakeholders. During these interactions, the team highlighted key regulatory enablers, business incentives, and the ease of doing business offered by IFSCA to attract international players.

IFSCA Delegation visit to the USA

IFSCA Delegation led by Chairperson, IFSCA, with the various stakeholders during the visit to the USA (New York and San Francisco) from October 21 to 25, 2024, during the course of various conferences, meetings and roundtable interactions, met with various industry players including Berkshire Hathaway Insurance Company, Starr Insurance Holdings Inc, Berkley Insurance Company etc. During these interactions, the team highlighted key regulatory enablers, business incentives, and the ease of doing business offered by IFSCA to attract international players.

IAIS Annual Conference, Cape Town

The IAIS Annual Conference took place on December 5-6, 2024, in Cape Town, South Africa. The conference brought together over 500 participants from more than 105 jurisdictions and speakers, engaging panel discussions and interactive roundtables to explore pivotal topics around the theme *"licence to operate: the role of insurance to strengthen societal resilience"*.

IFSCA-IRDAI GIFT IFSC Global Reinsurance Summit

During a review meeting on status and progress of GIFT IFSC, which was held on August 19, 2023, Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs had suggested IFSCA and IRDAI to jointly hold an event on the topic of Reinsurance with an aim to interact with the global reinsurers and develop GIFT IFSC as the Global Hub for Reinsurance. As a result, IFSCA, IRDAI and GIFT City with the support of Department of Financial Services, Ministry of Finance organised the first "IFSCA-IRDAI GIFT-IFSC Global Reinsurance Summit, 2023", on November 30, 2023, in, Mumbai.



Image 11: IFSCA Delegation led by Chairperson, at IFSCA-IRDAI GIFT IFSC Global Reinsurance Summit

This year, the second edition of the summit, IFSCA-IRDAI GIFT IFSC Global Reinsurance Summit was held on January 20, 2025, in Mumbai. This one-day summit was jointly organised by IFSCA, IRDAI, and GIFT City, to interact with Global (re)insurers. The Summit was attended by business leaders from the insurance and reinsurance sector, consultants, brokers, lawyers, academic institutions, Associations, and other relevant stakeholders.

The objective of the Summit was *inter-alia* to bring all the stakeholders on a common platform and share with them the opportunities available in the GIFT IFSC and to find ways to make it a reinsurance hub. The Summit was also intended to create awareness of the principle-based regulatory system adopted by the regulator and to facilitate and handhold setting up of (Re)insurance businesses in the GIFT IFSC.

Global Integration: IFSCA Becomes a Member of IOPS

In a major step towards aligning with global best practices, IFSCA became a member of the International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) during the year. This membership enhances IFSCA's ability to engage with international pension regulators, facilitates the adoption of global supervisory standards, and promotes cross-border collaboration to support innovation and investor protection in the pension sector.

Global In-house Centres

Over the past two decades, India has emerged as a prominent global destination for Global In-House Centres (GICs), driven by its robust talent pool, cost-effective operations, and growing technological capabilities. GICs are offshore units established by multinational corporations to perform a range of in-house functions, including operations, technology, finance, risk management, and compliance. Initially set up to handle back-office and support services, these centres have since transformed into strategic hubs of innovation and value creation.

Today, many GICs deliver high-end services in specialized areas such as data analytics, risk modelling, regulatory reporting, cybersecurity, and fraud detection, thereby playing a critical role in the global operations of financial institutions and other corporates.

Recognizing the potential of GICs in strengthening the international financial ecosystem, the Government of India, under the IFSCA Act, 2019, notified Global In-House Centres as a financial service within the IFSC. Building on this, IFSCA introduced the Global In-House Centres Regulations, 2020, enabling entities from financial services groups to set up GICs in GIFT IFSC to provide support services relating to financial products and services.

The regulations have created a favourable regulatory and operational environment, leading to the establishment of several GICs within GIFT IFSC. These centres are contributing significantly to the overall growth of the IFSC ecosystem by enhancing service delivery capabilities, fostering innovation, and generating skilled employment opportunities.

Growth of Global In-House Centres in GIFT IFSC

As a unified regulator, IFSCA has enabled establishment of GICs of Financial Sector through IFSCA's regulatory regime and has further streamlined the process for obtaining approvals and operational licenses, reducing regulatory friction and enhancing ease of doing business.

GICs in GIFT IFSC benefit from an attractive policy environment, including tax incentives and exemptions from certain provisions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), granting them cost efficiency and ability to operate under regulated environment that enables GICs a differentiated business model.

These GICs serve as strategic hubs for delivering high-value functions such as compliance, analytics, technology support, and risk management for their global operations.

Notable GIC in GIFT IFSC include that of a multinational financial institution that now employs over 2,400 professionals and is one of the single largest employers in GIFT IFSC.

Sustainable Finance

The vision of the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi is to make GIFT IFSC, the global hub for sustainable finance. IFSCA, as a unified regulator for GIFT IFSC, is working with the objective to achieve this vision. IFSCA has taken significant steps in accelerating global sustainable capital flows by creating a conducive regulatory environment, inspired by international best practices but focused especially on the needs of developing countries such as India. IFSCA has undertaken focused initiatives across three major sources of funding – Debt Securities, Loans, and Funds.

IFSCA's Sustainable Finance Initiatives



ESG Bond Listings

Facilitates the listing of ESG-labelled bonds



Sustainable Lending

Encourages banks to provide sustainable loans



ESG Funds

Promotes ESG funds and sustainable investments

IFSCA recognizes the pivotal role of ESG labelled debt securities (Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-linked Bonds) in financing sustainable development and transition to a low-carbon economy. In line with this, a regulatory framework for Green, Social, Sustainable and Sustainability-linked Bonds was initially brought in by IFSCA as part of IFSCA (Issuance & Listing of Securities) Regulations, 2021 and subsequently subsumed in the IFSCA (Listing) Regulations, 2025. The listing of around USD 15.43 Bn ESG-labelled debt securities, out of USD 65.10 Bn total debt listings, on IFSC exchanges, as of March 2025, showcases that GIFT IFSC is emerging as a preferred platform for Indian corporates to raise sustainable capital.

Banking Channel is critical for the economy to transition towards a low-carbon and climate resilient future. IFSCA has come out with "Guidance framework on Sustainable and Sustainability

linked lending by financial institutions” in April 2022. The framework mandates the IFSC Banking Units (IBUs) to lend 5% of their incremental lending towards sustainable loans. The Banking units in GIFT IFSC disbursed around USD 3.39 Bn green/ sustainable loans in F.Y. 2024-25. With this cumulative sustainable lending has touched USD 4.95 Bn.

With the intent to promote ESG funds and drive capital flows towards green and sustainable projects in India, IFSCA has issued a circular on January 18, 2023, requiring ESG schemes to make certain initial and periodic disclosures. Further, in order to encourage FMEs to incorporate sustainability-related risks and opportunities in their investment decision making, IFSCA has mandated the large FMEs (AUM above USD 3 billion) to incorporate additional sustainability reporting requirements based on global standards, resulting in setting up of 3 ESG funds in IFSC.

Policy/ Regulatory Development

During the FY 2024-25, IFSCA has taken various regulatory and policy initiatives to mobilise finance towards green and sustainable projects.

Trading and Settlement of Sovereign Green Bonds (SGrBs) in IFSC

The Government of India has been issuing Sovereign Green Bonds (SGrBs) to mobilize resources for green infrastructure in India. Considering the substantial increase in international investors' dedication to net-zero goals, SGrBs present a promising avenue to attract significant foreign climate capital into India. In order to increase the foreign participants in the India's green journey, RBI and IFSCA have operationalised a scheme for trading and settlement of SGrBs at IFSC. RBI on August 29, 2024, has introduced a scheme for “Trading and Settlement of Sovereign Green Bonds in the International Financial Services Centre in India”. Subsequently, IFSCA issued a circular on September 24, 2024, putting in place an operating guideline for the trading and settlement of SGrBs in IFSC.

BOX 3: Principles to mitigate the risk of Greenwashing in ESG labelled debt securities in the IFSC

There is growing concern globally amongst stakeholders, including investors, regarding the accuracy and reliability of claims made by issuers about the sustainability benefits of the projects or assets they invest in. With the growing listing of ESG-labelled Debt Securities on the IFSC exchanges, establishing a robust framework to address the issue of greenwashing is imperative.

In order to promote transparency, accountability and adequacy of disclosures to investors, IFSCA, on November 21, 2024, issued a circular. In line with the best-in-class global practices, the circular is principle-based with detailed guidance notes and illustrative examples for better understanding of the principles. The circular outlines five key principles that issuers of ESG-labelled debt securities shall adhere to:

- i. Being True to Label - Avoid misleading labels and terminologies
- ii. Screen the Green - Transparency in methodology for project selection and evaluation
- iii. Walk the talk - Managing and tracking use of proceeds
- iv. Overall Impact - Quantification of negative externalities
- v. Be alert - Monitor and disclose

Transaction/ Processes/ Operations/ Trends

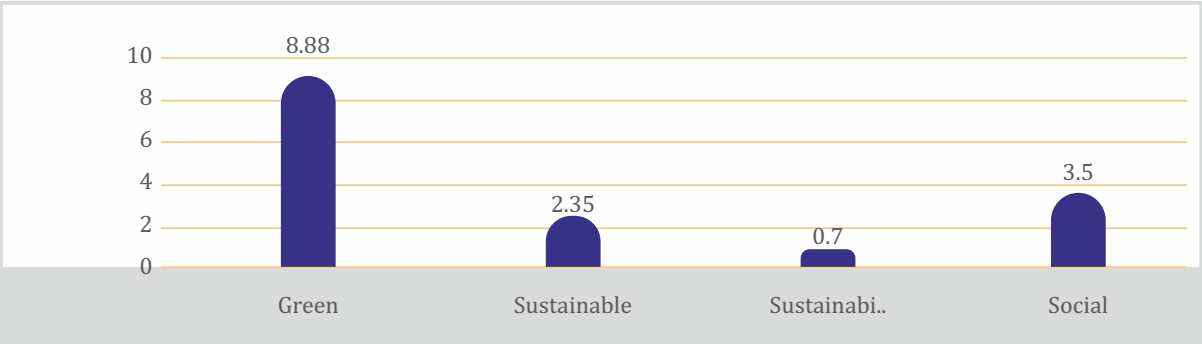
Debt Securities

As on March 31, 2025, USD 15.43 Bn ESG labelled debt securities have been listed on the IFSC exchanges. Total listing of debt securities on IFSC exchanges stands at USD 65.10 Bn as of March 31, 2025.

Table 27: Listing of debt securities at IFSC Exchanges (In USD Bn)

Participants	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Cumulative debt listings	56.5	65.10
<i>Of which Cumulative ESG labelled debt listing</i>	<i>12.3</i>	<i>15.43</i>

Figure 16 : ESG Debt securities as of March 31, 2025 (in USD Bn)



Sustainable Financing by IBUs

Table 28 : Overall Sustainable Financing by IBUs

Classification	FY 2024-25 (USD Mn)
Green	1076.72
Social	1756.04
Sustainable	348.12
Sustainability Linked	208.57
Others	0.00
Total	3389.45

Table 29 : Sector-wise classification of Sustainable Financing by IBUs

Sector (List is Indicative)	FY 2024-25	
	Amount (USD Mn)	Total No. of Transactions
Renewable Energy	1052.91	701
Energy Efficiency	130.74	6
Pollution Prevention and Control	47.46	2
Sustainable Water and Wastewater Management	0.00	0
Clean Transportation	6.04	4
Climate Change Adoption	0.00	0
Green Buildings	4.50	2
Affordable Basic Infrastructure	107.04	15
Affordable Housing	363.56	10
Food Security and Sustainable Food Systems	0.63	6
Social Project as per Framework	299.44	5
Sustainable Project as per Framework	72.60	22
Health Care	86.36	129
Social Education	50.00	1
Social Loan	178.08	9
MSME	217.55	2316
Others	772.54	2970
Total	3389.45	6198

Working Group/ Committee

Expert Committee Report on Transition Finance

The Expert Committee on Transition Finance was constituted by IFSCA on December 21, 2023, to provide a roadmap for IFSCA to develop a climate finance ecosystem and instruments at GIFT IFSC with a special focus on Transition Finance as well as to provide recommendations on establishing the GIFT IFSC as a global hub for climate financing. The Committee is chaired by Shri. Dhruba Purkayastha (Director, Growth and Institutional Advancement, Council on Energy, Environment and Water) and includes experts across policy think tanks, standard setters, consultants, industry, and global financial institutions. The Expert Committee has submitted its report on Transition Finance to the Chairperson, IFSCA, Shri K. Rajaraman on July 1, 2024.

The Report on Transition Finance captures the recommendations by the Expert Committee under three pillars:

- I. Scope and definition of Transition Finance
- ii. Policy and Regulation
- iii. Financial Mechanisms and Instruments



Image 12: Members of the expert committee during the submission of the report

It emphasizes the role of transition finance in driving investments towards hard-to-abate sectors such as steel, cement, shipping, fertilisers etc. which are crucial for economic growth of India and other developing nations. The report offers strategic recommendations to IFSCA and policy makers by exploring global best practices and regulatory landscapes, to enhance the role of GIFT IFSC as a gateway for attracting international climate capital flows in order to achieve India's ambitious goal of achieving net-zero by 2070.

Advocacy and Outreach

G20 India Private Sector Roundtable

IFSCA in partnership with UNDP FC4S, hosted the G20 India Private Sector Roundtable on May 31, 2024, in GIFT City, Gandhinagar. The objective is to garner substantial representation from India's private sector in broader G20 discussions, thereby influencing global financial sustainability agendas. This roundtable will shift the conversation from global to national level, bringing together the private sector and government, including policy makers and financial regulators, for a robust discussion and meaningful exchange on G20 priorities in sustainable finance.

During the address about the financial centres, various initiatives of IFSCA in the field of sustainable finance and its progress has been highlighted to the distinguished participants from industry, financial sector, consultancies, thinktanks and other leading institutions in the field of sustainability. During the event, three round tables discussions took place on different areas of priorities.

RE-INVEST, 2024

Shri Pradeep Ramakrishnan, Executive Director, IFSCA, participated in a panel discussion titled "Accelerating Capital for India's Energy Transition: Spotlight on Enabling Instruments" at RE-invest 2024, held between September 16 to 18, 2024, in Gandhinagar, Gujarat. RE-INVEST is a Government of India flagship event to showcase India's Renewable Energy potential to the world & to invite investment in the sector by initiating multilateral dialogue. It is global renewable energy investors meet, and expo organized by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India. This year's edition marked India attaining 200 GW of non-fossil fuel capacity.

In his remarks during the panel discussion, Shri Pradeep Ramakrishnan emphasized the pivotal role of the IFSCA's regulatory framework in fostering a robust green bond market within the GIFT IFSC. He further highlighted the significance of various sustainable finance initiatives undertaken by IFSCA such as ESG funds and sustainable lending by IBUs which are in line with the Government's mission of making the GIFT IFSC a climate finance hub.

Green, Social, Sustainable, Sustainability-linked and Transition Bonds (GSS+ Bonds) Training Workshop

NSE, in collaboration with the Climate Bonds Initiatives (CBI) and the International Finance Corporation (IFC), under the aegis of IFSCA, successfully organized a two-day training program on GSS+ bonds on September 24, 2024, and September 25, 2024, at GIFT City. The workshop aimed to foster knowledge and awareness about the GSS+ bond framework, its role in achieving India's sustainable development goals, and the opportunities it presents for the financial sector.



Image 13: Chairperson, IFSCA Shri K. Rajaraman with other key dignitaries at GSS+ Bonds Training Workshop

During the commencement of the training workshop, Shri K. Rajaraman, Chairperson IFSCA, in his keynote address remarked the significance of embracing innovative financial instruments and leveraging GIFT IFSC ecosystem to advance India's sustainable development agenda. On the workshop, he remarked, *"Capacity building empowers all stakeholders with the knowledge and tools necessary to develop and implement innovative solutions. This workshop is a significant step towards enhancing our collective ability to channel green capital effectively to green businesses. Understanding and capacity to handle new age instruments such as Transition bonds to steer the energy transition in India is direly required. The workshop fulfils that need."*

The comprehensive training workshop was designed to address the issuance of thematic labelled bonds, with particular emphasis on Green, Social, Sustainable, Sustainability-Linked, and Transition Bonds as mechanisms to bridge the sustainable finance gap in India. The event attracted a diverse range of participants from various sectors, including policymakers, thereby promoting a collaborative environment that facilitated knowledge sharing and innovation.

IVCA GreenReturns Summit, 2024

The GreenReturns Summit 2024, was organized by the Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA) on December 2 and 3, 2024, in New Delhi. The Summit aimed to address the pressing need for climate finance and to identify innovative solutions to drive sustainable development. Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA participated in a Fireside Chat on *"Mobilizing Climate Finance: IFSC as a Global Climate Finance Hub"* at the IVCA GreenReturns Summit 2024. During the discussion, Chairperson highlighted the numerous opportunities that GIFT IFSC offers to global investors. He discussed various initiatives undertaken by IFSCA to support sustainable

finance, including the promotion of ESG funds and sustainable lending by IBUs. He also emphasized the critical role of IFSCA's regulatory framework in developing a robust green bond market within the GIFT IFSC.

Shri Pradeep Ramakrishnan, Executive Director, IFSCA also participated in a panel discussion on *"Strategies for Increasing Climate Adaptation Investments"* at the summit. In his remarks during the panel discussion, he emphasized the critical need for increased investments in climate adaptation, particularly in developing countries facing significant financing gaps. He also shared valuable insights on policy frameworks that can stimulate such investments. He further highlighted the robust ESG ecosystem at GIFT IFSC, including the attractive incentives available for ESG funds.

The Asia Climate Summit (ACS 2024)

Asia Climate Summit (ACS), 2024 was organised by International Emissions Trading Association (IETA), in collaboration with the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) and International Carbon Action Partnership (ICAP) between October 22, 2024, and October 24, 2024, in Delhi.

Shri Pradeep Ramakrishnan, ED, IFSCA participated as lead discussant in the session on *'Investor - Corporate dialog on climate risk mitigation and management; State of Sector- Climate Action by India Inc 2024'* organised by cKinetics on the sidelines of the ACS 2024.

IOSCO Growth and Emerging Markets Committee - Network for Adoption or Other Use of ISSB Standards

IFSCA on December 18, 2024, participated in the launch of a dedicated network to support the adoption and other use of IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB Standards), held in Ankara, Turkey, with the support of the International Sustainability Standards Board (ISSB). The Network started with a group of 32 IOSCO members of its Growth and Emerging Markets Committee (GEMC), representing 31 jurisdictions. The network aimed at supporting the adoption and use of the IFRS Foundation's sustainability reporting standards in emerging markets.



Image 14: GEMC members of the Network for adoption and other use of ISSB standards

Symposium on Sustainable Finance

IFSCA in partnership with India INX and the Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) through its Sustainability Standards organised a Symposium on Sustainable Finance on January 24, 2025. The event brought together policymakers, industry leaders, and experts to explore innovative pathways for sustainability within the GIFT IFSC ecosystem. The program featured two-panel discussions and five insightful presentations, covering key topics such as transition finance, blended finance, ESG ratings, climate funds, sustainable lending, and the unique opportunities that GIFT-IFSC presents in sustainable finance.

Policies and Programmes for the Following Year

Framework for Transition Finance

The Paris Agreement's central aim is to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping the global temperature rise to below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. In order to achieve this target, the entire economy needs to be decarbonized, with a special focus on hard-to-abate sectors. In order to channelize the capital for the transition of hard-to-abate sectors, an expert committee on Transition finance was set up by IFSCA. IFSCA, has recently, issued a consultation paper on the “Framework for Transition Bonds” seeking public comments.

Policy for Blended Finance instruments

To support capital flows into desirable sectors/ projects which are otherwise not bankable purely on the commercial terms, IFSCA is currently working on the policy for various blended finance instruments under the existing Fund Management Regulations.

Ancillary and BATF Services

International Financial Centres (IFCs) are designated regions that host a dense concentration of financial service providers such as banks, capital market institutions, insurance companies, fund managers, and increasingly, fintech enterprises. These centres function as critical nodes in the global financial system, facilitating cross-border capital flows, investment, and financial innovation. However, the efficacy and resilience of any IFC are not determined solely by the presence of financial institutions. Equally important is the supporting infrastructure of professional services firms, which play an essential role in underpinning the financial ecosystem.

These firms offer specialized expertise in areas such as audit, accountancy, taxation, legal counsel, management consulting, corporate governance, regulatory compliance, and financial advisory services. By ensuring adherence to global standards, mitigating operational and regulatory risks, and improving institutional transparency, professional service providers serve as the backbone of a robust, credible, and efficient financial centre. Their services enable financial institutions to navigate complex regulatory environments, manage risks effectively, structure cross-border deals, and maintain high standards of financial integrity and reporting.

The Global Context

Across the globe, the evolution of financial markets is closely tied to the development of high-quality professional services sectors. Leading IFCs such as New York, London, Hong Kong, and Singapore have witnessed parallel growth in financial institutions and professional service firms. These firms not only support routine financial operations but also drive strategic initiatives such as mergers and acquisitions, cross-border listings, fund structuring, and dispute resolution — services that are essential to the vibrancy and competitiveness of a global financial hub.

India's Professional Talent Advantage

India is uniquely positioned to take advantage of this global dynamic due to its deep and growing pool of skilled professionals in financial and allied domains. With thousands of qualified Chartered Accountants (CAs), Company Secretaries (CSs), Chartered Financial Analysts (CFAs), Lawyers, and Consultants, the country possesses a rich talent base that is well-versed in global financial practices, regulatory frameworks, and cross-border financial operations. This talent pool is further supported by India's strong educational institutions, ongoing professional training, and widespread digital fluency.

Given this context, GIFT IFSC is exceptionally well-positioned to emerge as a global hub for professional services. Professionals based in GIFT IFSC can provide cost-effective, high-quality services not only to entities operating within the IFSC but also to clients in international markets, especially across Asia, the Middle East, and Africa.

Policy Support

Recognizing the strategic importance of professional services in enhancing the financial ecosystem, IFSCA introduced the *“Framework for Enabling Ancillary Services at International Financial Services Centres”* in February 2021 and *“IFSCA Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services (BATF) Regulations, 2024”*. This pioneering regulatory initiative was designed to enable the establishment and operation of professional service providers in the IFSC. These framework/ regulations provide a streamlined registration process, operational clarity, and regulatory oversight while allowing for flexibility in service delivery and business models.

Growth and Impact at GIFT IFSC

Since the implementation of this framework, the ancillary services ecosystem at GIFT IFSC has demonstrated healthy and sustained growth. Under Ancillary Services Framework, entities are registered to provide various services in domains including legal, compliance and secretarial services, auditing and tax advisory, and consulting services. These firms play a critical role in supporting the day-to-day and strategic operations of financial institutions, FinTech companies, funds, and corporate entities located in the IFSC.

The growth of professional services firms has also had a multiplier effect - enhancing investor confidence, improving the ease of doing business, and attracting international players to establish operations in GIFT IFSC. As these firms expand their capabilities and begin catering to overseas markets, they reinforce India's brand as a trusted provider of high-end financial and professional services.

Transaction/Processes/Operations/Trends

Under the Ancillary Framework, as on March 31,2025, IFSCA has granted Authorisation to 88⁶⁹ entities, out of which 20 entities were granted authorization during FY 2024-25.

During the FY 2024-25, the Authorized Ancillary Service Providers reported an impressive revenue from business exceeding USD 39.90 million, reflecting robust business growth and operational efficiency.

As of March 31, 2025, Ancillary Service Providers have significantly contributed towards employment generation within the GIFT IFSC ecosystem, having created job opportunities for approximately 610 skilled professionals. This workforce includes CAs, CSs, and other qualified professionals, reinforcing the critical role of ancillary services in supporting the broader financial services architecture of the GIFT-IFSC.

⁶⁹ Including in-principle approvals

Table 30: Activity wise break up of Ancillary Services entities Authorized⁷⁰

S. No.	Core Activity	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
1	Legal, Compliance and Secretarial	12	16
2	Auditing	21 ⁷¹	13
3	Professional & Management Consulting Services	11	32
4	Administration, Asset Management Support Services and Trusteeship	24	27
	Total	68	88

Table 31: Activity wise break up of BATF Services entities Authorized

S. No.	Core Activity	As on March 31, 2025 ⁷²
1	Accounting Services	2
2	Bookkeeping Services	1
3	Total	3

Advocacy & Outreach

Presentation to the Bangalore Chamber of Industry and Commerce (BCIC) on Opportunities for Professionals in GIFT-IFSC



Image 15: Presentation to the Bangalore Chamber of Industry and Commerce (BCIC) on Opportunities for Professionals in GIFT-IFSC

A presentation to the BCIC delegation highlighted the growing professional services ecosystem at GIFT IFSC and the enabling regulatory framework introduced by IFSCA. It emphasized career and entrepreneurial opportunities for professionals such as CAs, CSs, MBAs, and consultants. The session showcased GIFT IFSC's conducive business environment and its potential as a hub for high-end professional services.

⁷⁰ Including in-principle approvals
⁷¹ Includes authorizations for Bookkeeping, Accounting, taxation Services which are now moved to IFSCA (BATF) Regulations, 2024
⁷² Fresh application (other than migration of existing Ancillary Services Entities). Apart from this, 16 entities have been migrated from Ancillary Services to BATF.

Standing Committee on Development & Regulation of Professional Services (Ancillary & BATF)

The Committee is tasked with developing a strategic vision for expanding the professional services ecosystem within IFSCs including identifying key domestic and international players capable of establishing large-scale professional services operations in GIFT-IFSC. Further the committee will suggest policy measures aimed at attracting investments, creating employment opportunities, and strengthening the regulatory framework to promote efficiency, transparency, and global competitiveness.

Policies and Programmes for the Following Year

TechFin and Ancillary Services Regulations, 2025

With the aim of establishing an effective and unified regulatory architecture within GIFT-IFSC for professional service providers, Ancillary Services, the TechFin component of the IFSCA FinTech Entity Framework, and outsourced activities permitted by sectoral financial regulators, are being consolidated into a single regulation, titled the 'Draft IFSCA (TechFin and Ancillary Services) Regulations, 2025'. This regulation seeks to provide a comprehensive regulatory framework for TechFins and Ancillary Service Providers, enabling them for making arrangements for carrying on any of the financial services specified under clause (e) of subsection (1) of Section 3 of the IFSCA Act, 2019.

Initiating MoU negotiations for a Professional Outreach program with esteemed professional institutes, law schools, and firms in India

Foreign Universities & Institutions

Recognizing the need to augment talent availability in GIFT IFSC as well as in other parts of the country, the Hon'ble Finance Minister in the Union Budget 2022-23 announced that *“World Class Foreign University and Institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics, free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology”*. The Union Budget announcement paved the way for foreign universities to tap the India opportunity through GIFT IFSC.

The overall objective of this policy announcement was to develop GIFT IFSC as an international educational center catering to both Indian and foreign students in specified disciplines, encourage research in areas of Banking, Insurance, Capital Market, Funds Management, FinTech, Longevity Finance, Sustainable Finance, Quantum Computing, etc. and nurture high-end human resources in finance, technology, and related fields.

Thereafter, IFSCA notified the enabling regulations i.e. IFSCA (*Setting up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres*) Regulations, 2022, which permitted foreign universities to establish and operate International Branch Campuses (IBCs) and Foreign Education Institutions (other than a foreign university) to establish and operate Offshore Education Centres (OECs) in IFSC and offer courses in the permissible subject areas of Financial Management, FinTech and STEM.

To ensure parity with home campus, the Regulations specify that *'Any course or programme conducted by a registered entity in the GIFT IFSC shall be identical in all respects with the course or programme conducted by the Parent Entity in its home jurisdiction and identical degree, diploma or certificate shall be conferred upon the students of the IBC or OEC directly by the Parent Entity in the same manner as it confers to its students for the same course or programme in its home jurisdiction'*.

To further facilitate the setting up of IBCs and OECs in IFSC, the Ministry of Finance invoked powers under Sec 31 of IFSCA Act 2019 and disappplied University Grants Commission Act, 1956 and the All-India Council for Technical Education Act, 1987 to the courses offered by foreign universities & institutions in GIFT IFSC.

Policy/ Regulatory Developments

During FY 2023-2024, IFSCA enabled the Academic Infrastructure Service Provider (AISP) model for foreign universities and institutions setting up IBCs and OECs in IFSC. This regulatory enablement permitted IBCs and/or OECs to avail infrastructure services from an AISP, which shall be registered and governed as per provisions of SEZ Act 2005. The AISP model is expected to make GIFT IFSC an attractive and preferred destination for foreign universities and institutions to set up their overseas campuses.

Box 4: Key features of the AISP Circular

- (i) An AISP is a service provider which provides services to an IBC/OEC, which should include providing built up campus facility, research and development facility, library, laboratories, incubation centres, teaching classroom, and such other related services.
- (ii) An AISP can provide the following additional services to an IBC/OEC in IFSC:
 - a. Campus Facility Management services
 - b. Student onboarding, Admissions and Student Welfare services
 - c. Services for recruitment and management of non-academic staff
 - d. Branding and Marketing services
 - e. Payroll services, etc.
- (iii) Eligibility Conditions for an AISP:
 - a. The AISP is incorporated as a separate company in GIFT SEZ.
 - b. The AISP shall have a minimum net worth of USD 1 Mn or equivalent for providing its services.
 - c. The AISP or any of its group company shall have at least three years of prior experience of providing similar services to recognized universities/ educational institutions in India or overseas.
- (iv) Obligations of an IBC/OEC availing services from an AISP:
 - a. The IBC/ OEC shall enter into a formal written agreement with AISP.
 - b. The agreement shall, *inter-alia*, contain provisions relating to indemnity, intellectual property protection, conflict of interest, financial guarantee, confidentiality and privacy, force majeure, insurance, governing law & jurisdiction, dispute resolution.
 - c. The IBC/ OEC shall provide an undertaking to IFSCA that the academic functions of the IBCs and/or OECs, are not outsourced in any manner whatsoever, to the AISP, directly or indirectly.

Transaction/Processes/Operations/Trends

During FY 2024-25, IFSCA granted in-principle approval to Queen's University, Belfast (QUB) for their IBC in GIFT IFSC under IFSCA (Setting up and operation of International Branch Campus and Offshore Education Centre) Regulation, 2022 which is an Independent Body Incorporated by Royal Charter of UK in 1908. QUB is ranked 206 in the QS World University Rankings (2025) and is expected to begin its academic operations in 2025-26.

Under these Regulations, two Australian Universities namely, Deakin University and University of Wollongong have already established their IBCs in GIFT IFSC and have commenced delivery of degree courses to students.

Deakin University had a QS World University Ranking of 233 in 2024 and became the first foreign university to be approved under this policy initiative of Government of India.



Image 16 : Deakin University in GIFT IFSC

Advocacy and Outreach

During FY 2024-25, IFSCA held several roundtable interactions and bilateral meetings with leading universities from around the world listed below:

Visit by delegation of University of California

Chancellor of UC San Diego, USA along with senior officials visited GIFT IFSC and IFSCA to explore and understand International Branch Campus Opportunities in GIFT IFSC. IFSCA officials held extensive discussions with them regarding the advantages of setting up IBC in GIFT IFSC.

University of Wollongong India's Fintech Event

Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA gave a talk on the topic of "*GIFT-IFSCA: the Past, the Present, and the Future*" at an event organized by University of Wollongong in GIFT IFSC on August 30, 2024.

Roundtable with Australian Universities organized by Austrade

The roundtable was attended by leading Australian Universities from New South Wales and neighbouring provinces. During the roundtable, Chairperson, IFSCA highlighted various progressive policy reforms to develop GIFT IFSC as an "*International Hub for Higher Education*".

IFCCI Higher Education Committee Webinar on Evolution of NEP and FHEI norm: A French Perspective

IFSCA officials participated in a Webinar organized by Higher Education Committee of the Indo-French Chamber of Commerce & Industry (IFCCI) themed on the "*Evolution of NEP & FHEI norms: A French Perspective*". During the webinar, IFSCA officials presented the regulatory and development opportunities in GIFT IFSC, particularly in respect of International Branch Campus opportunities.

IFSCA Talent Vista 2024

IFSCA, supported by Quality Control of India (QCI) and University of Wollongong, organized 1st edition of its “*IFSCA Talent Vista 2024: Reimagining Future of Finance at GIFT IFSC*” on November 15, 2024, at GIFT City.

This was an Academia-Industry Collaboration platform for talent development in GIFT IFSC. The purpose of the event was to enable effective collaboration of academia and corporates for getting the cutting-edge talent ready to cater to industry demand in GIFT IFSC with a vision to transform the city into a “*New Age Global Financial Centre*”. The event also witnessed three enriching panel discussions on various themes associated with talent management in GIFT IFSC

The event was graced by the Chief Guest, Shri Harsh Sanghavi, Hon'ble Minister of State – Home and Industries, Government of Gujarat, and included Key addresses by renowned speakers from industry and academia.



Image 17: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA with Shri Harsh Sanghavi, Hon'ble Minister of State - Home and Industry, and other dignitaries at IFSCA Talent Vista Summit 2024

Information Technology and Cyber Security

The spheres of technology and finance are becoming increasingly intertwined in today's world, as latest technological innovations provide improved security, speed, convenience, coverage, and ease of doing business in the field of finance. The use of Technology has also become indispensable for a regulator, with its increasing impact on regulation, supervision, enforcement, and governance, in the international financial regulatory ecosystem. The IT Division of the Department of Technology at IFSCA has been using technology as an enabler to increase the transparency and efficiency of operations within IFSCA, and in GIFT-IFSC notably in improving the ease of doing business for Res.

Policy/ Regulatory Developments

IT Division of IFSCA has undertaken several initiatives in the Financial Year (FY) 2024-25:

IFSCA Single Window IT (SWIT) System



Image 18: Hon'ble Prime Minister launching the SWIT System on September 16, 2024

The Hon'ble Finance Minister, in the Union Budget for FY 2023-24 announced the implementation of a Single Window IT-enabled System for enabling prospective entities to set up in GIFT-IFSC and improve the Ease of Doing Business (EoDB).

Towards realising this vision, IFSCA began development of the SWIT System, by organising requirement gathering sessions with the several business verticals within IFSCA. A Common Application Form (CAF) was developed in the SWIT System by merging several existing forms. This CAF along with the vertical-specific Annexure forms were developed to harmonize and simplify the process of Registration in IFSCs.

The CAF also collects details required for an entity's SEZ Approval, which is designed to be sent to the SEZ Online System automatically by means of an API integration. This API integration was completed by jointly working with NSDL. As the SWIT System also contains an NoC processing module, requirements were gathered by working along with the other financial sector regulators RBI, SEBI and IRDAI. The process of applying for GSTIN for an IFSC entity was brought into the SWIT system in coordination with GSTN.

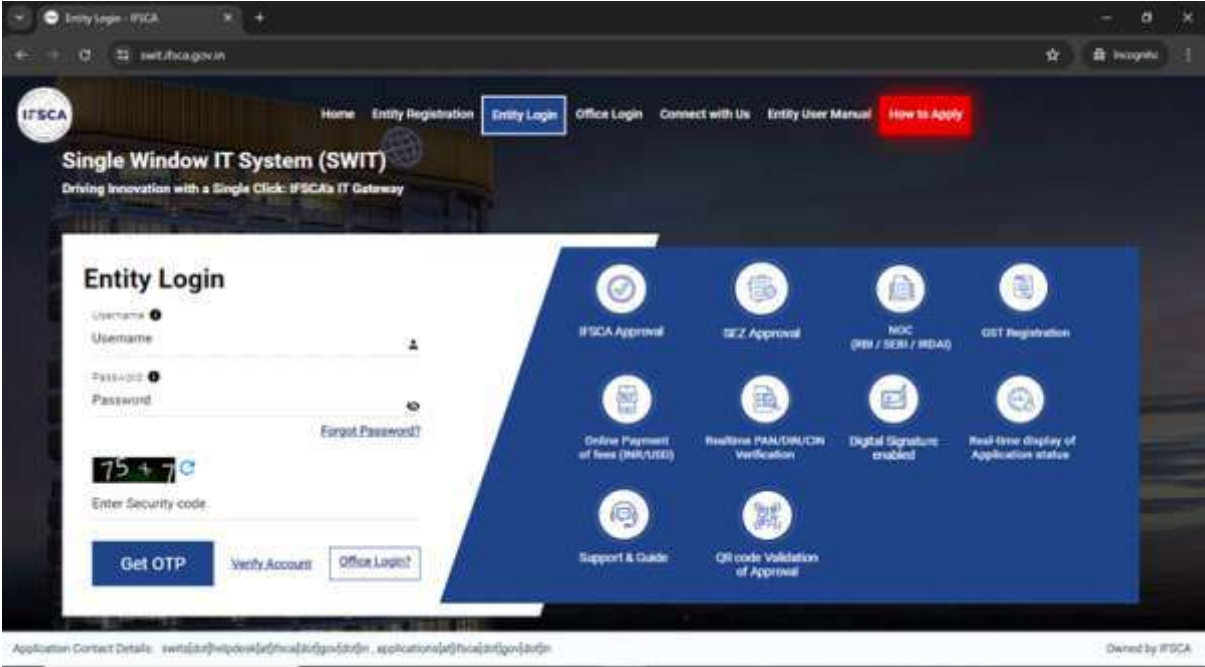
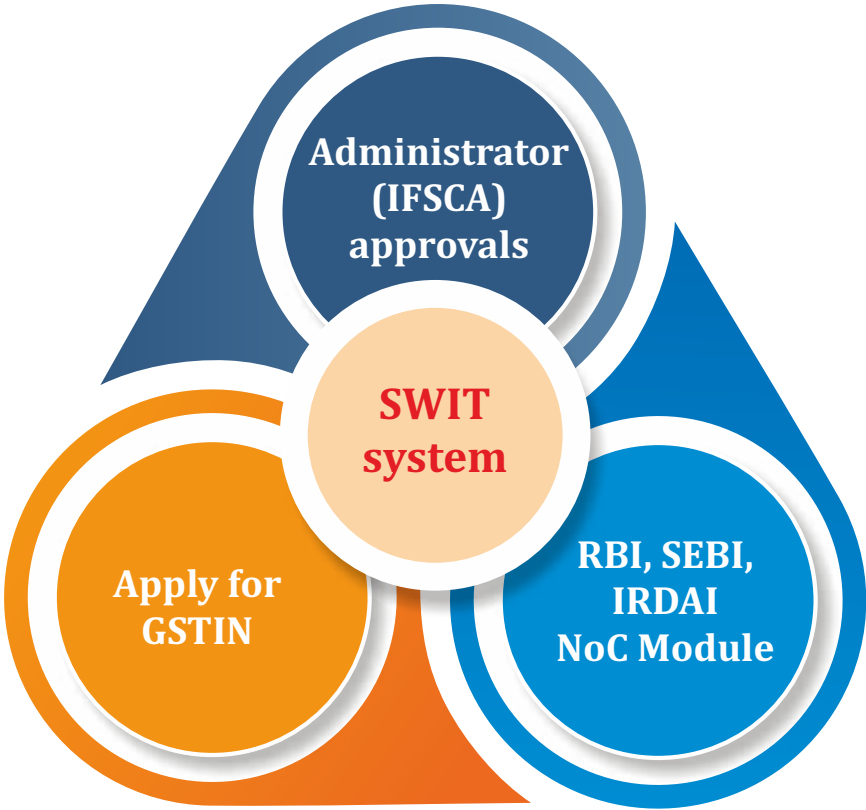


Image 19: Entity Login interface of the SWIT System

Revamp of IFSCA Website and Legal Database

In line with the IFSCA (Maintenance of Website) Regulations, 2022, IFSCA has initiated the development of a best-in-class website, comparable to those of other international financial sector regulators, while conforming to the standards and guidelines of Government of India and other relevant agencies.

The IFSCA website acts as an important interface with the public as well as the regulated entities and other ancillaries to disseminate information through its regulations, circulars, notifications, etc. The revamped IFSCA website will host the IFSCA SWIT System and will cater to the needs of REs, prospective businesses and foreign financial regulators, ultimately improving their Ease of Doing Business (EoDB) within IFSC. The revamped website will also contain a directory of REs that would be linked to the SWIT System for real-time updating of data.

A Legal Database Module is also being developed to be housed on the revamped website, enabling easy access and searchability of relevant regulations, circulars and legal information.

IFSCA Supervisory Technology (SupTech) System

IFSCA is in the process of appointing a suitable SupTech Solution Provider to implement the system to facilitate the supervisory functioning of the Authority. The envisioned system aims to establish a comprehensive framework for administration, compliance, supervision, and enforcement amongst its regulated entities. The primary focus is to incorporate advanced technology and adhere to global best practices to achieve the Authority's objectives effectively.

Enterprise Resource Planning (ERP) System

IFSCA plans to deploy a new ERP system aimed at easing the general administration through digitizing employees' attendance management, leave management, and pay slip generation. This system will be used for processing the claims of all the employees in a paperless manner. Further, the objective is to scale the system to include all other general administrative functions within its ambit.

eOffice-IFSCA application

eOffice-IFSCA application, developed by National Informatics Centre (NIC), is IFSCA's electronic file management system, and supports governance. e-file, an integral part of e-office suite is a system designed for the Government departments, PSUs, and statutory bodies to enable a paperless office.

The eOffice application helps in easy movement and tracking of files as well as receipts. The application also includes file management system, knowledge management system, Management Information Systems (MIS), employee data management and master data management which helps in digitizing IFSCA's internal processes.

IT Infrastructure (Hardware and Software)

IFSCA provides workstations equipped with computers, printers, telephones, and high-speed Local Area Network (LAN) connectivity to its employees.

Digital Signature Certificates are provided for all IFSCA officers to authenticate their digital identity and enhance the security. IFSCA has operationalized an internal mail server for ease of document sharing within the organization, while ensuring data security. IFSCA Headquarters has high-speed Wi-Fi connectivity, and the meeting rooms are equipped with world-class video conferencing devices for seamless communication.

Social Media Management

IFSCA has taken proactive steps to improve the social media presence. The efforts taken in timely posting and appropriate tagging has led to an increase in social media footprint of IFSCA and has improved the coverage and timeliness of information dissemination from IFSCA. Together, the website and social media are being leveraged to secure India's place in the digital arena in the company of other major international financial sector regulators of the world.

Cyber Security

Guidelines on Cyber Security and Cyber Resilience for Regulated Entities in IFSCs

The Guidelines on Cyber Security and Cyber Resilience for REs in IFSCs were prescribed in order to ensure the operations of REs and the stability of financial ecosystem in GIFT IFSC at large are not compromised from cyber threats. A consultation paper was published in September 2024 to seek public comments on draft guidelines and extensive consultation, including in-person meetings with REs, was carried out.

The final Guidelines were issued on May 5, 2025. Taking into consideration the diverse business functions of REs in IFSC, ranging from institutions like banks to ancillary service providers, the Guidelines were made principle based, and REs were prescribed to ensure implementation of these Guidelines in accordance with the principle of proportionality, taking into consideration their exposure to cyber threats. The Guidelines have been categorized under five key areas viz. Governance, Cyber security and Cyber resilience framework, Third party risk management, Communication & awareness, and Audit. A provision has also been made for REs meeting certain conditions to be exempted from the requirements of these Guidelines.

Anti Money Laundering (AML) & Counter Financing of Terrorism (CFT)

Effective Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML & CFT) policies and measures are key to the integrity and stability of a financial system. In alignment with the international standards set by FATF and Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules made thereunder, IFSCA through gazette notification No. IFSCA/2022-23/GN/GL001 dated October 28, 2022, issued IFSCA (AML/ CTF/ KYC) Guidelines, 2022 (Guidelines).

The Guidelines enable Regulated Entities to adopt a risk-based approach in identifying and assessing ML/ TF / PF risks and implement effective controls. The REs are mandated to conduct robust client due diligence, identification of beneficial ownership, monitoring and reporting of suspicious transactions, conduct periodic AML audit, record keeping and apply enhanced measures for high-risk categories.

Simultaneously, IFSCA is taking proactive steps to facilitate seamless and efficient onboarding of clients by REs in GIFT IFSC. These efforts are aimed at enhancing the EoDB while maintaining strong safeguards against financial crimes.

Policy/ Regulatory Development

Registration on FIU-IND FINGate 2.0 portal for compliance with International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022

IFSCA issued this circular on February 26, 2025, requiring the Res to complete their registration on FIU-IND portal prior to commencement of business and in case of an urgency to commence business, the registration shall be completed within 30 days from the date of commencement of business.

The REs shall also ensure that any addition or modification to their Line of Business is updated on the FIU-IND portal within a period of thirty days from the date of commencement of such an additional Line of Business.

Exempting certain entities/activities from the applicability of International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022

This Circular, issued on November 18, 2024, exempt certain entities/ activities from the applicability of the IFSCA (AML/ CTF/ KYC) Guidelines, 2022, subject to the condition that such entities shall conduct and document a Business Risk Assessment. Where such assessment envisages any AML/ CTF risks, the entities shall comply with the Prevention of Money Laundering Act, 2002, and the rules made thereunder, as well as the IFSCA (AML/ CTF/ KYC) Guidelines, 2022. Furthermore, all Financial Institutions are required to transact or receive monetary consideration only through an account maintained with a Banking Unit in IFSC.

Modifications under the International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022.

This Circular, issued on November 22, 2024, modifies certain provisions of the IFSCA (AML/ CTF/ KYC) Guidelines 2022 with respect to Requirements/ Obligations under International Agreements Communications from International Agencies (Chapter XI) and Group-wide Programmes (clause 12.2).

Procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967- Change in the details of the Central [Designated] Nodal Officer

This Circular, issued on November 18, 2024, brought to the notice of the Res in IFSC about the Corrigendum dated April 22, 2024, issued by Ministry of Home Affairs, CTCR Division/ CFT Cell. The Corrigendum updates the details of the Central [Designated] Nodal Officer responsible for implementing Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

Frequently Asked Questions (FAQs) on International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter- Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 released on 11th June 2024

Advocacy and Outreach

First IFSCA Annual Anti-Financial Crime Conference

IFSCA hosted its 1st Annual Anti-Financial Crime Conference on May 21, 2024, at the GIFT City Club in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. The Conference was inaugurated by Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA in the august presence of Shri Vivek Aggarwal, Director, Financial Intelligence Unit (FIU)-India, Smt. Bedhobani Chaudhuri, Additional Director, FIU-India and other senior officials/distinguished speakers from regulatory authorities, Self-Regulatory Bodies and capacity building/AML solution/Data organisations and service providers. Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA and Shri Vivek Aggarwal, Director, FIU IND, addressing at IFSCA Annual Anti-Financial Crime Conference The full report of the Conference can be assessed from IFSCA website.



Image 20: Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA and Shri Vivek Aggarwal, Director, FIU IND, addressing at IFSCA Annual Anti-Financial Crime Conference

Policies and Programmes for the Following Year

CKYCRR Portal access to IFSC Regulated Entities:

In April 2025, IFSCA was enabled as a Regulator on Central KYC Records Registry (CKYCRR), a centralized database for Know Your Customer (KYC) managed by CERSAI, a subsidiary of the Reserve Bank of India. This enables IFSC Regulated Entities to register on CKYCRR portal and comply with the obligations to upload/update/download the client/ customer KYC records on CKYCRR portal as mandated under Rule 9 (1A) of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

Enabling Non-Face to Face KYC Process for NRI/ Foreign Nationals

Working Group for the “Development of Non-Resident Individual Business and Ease of Registration” has recommended to allow non-face-to-face onboarding of NR clients/ investors. Under the present IFSCA (AML/CTF/ KYC) Guidelines, 2022, V-CIP / Digital KYC process is applicable for Indian Nationals. To enhance the ease of onboarding of NRI/ Foreign Nationals by IFSC Regulated Entities, Working Group's recommendation have been submitted to the competent authority for further consideration and discussion.

SEZ Administration (IFSCA)

To streamline the regulatory framework and enhance ease of doing business for units seeking to establish operations in GIFT IFSC, the Government of India, through a Gazette Notification dated February 2, 2024, issued under Section 31 of the IFSCA Act, 2019, vested the powers of the Development Commissioner, for GIFT IFSC units, under the SEZ Act, 2005 to an officer nominated by IFSCA, designated as the “*Administrator (IFSCA)*”. This strategic move eliminates the need for entities to engage separately with the offices of the IFSCA and the Development Commissioner of GIFT SEZ so that all the approvals - whether under the SEZ Act or the IFSCA Act - can be obtained directly through IFSCA, thereby creating a single-window regulatory interface.

Policy/ Regulatory Development

The following initiatives have been taken to promote Ease of Doing Business by SEZ Division:

Weekly UAC Meetings

Since July 2024, Administrator (IFSCA) has started conducting the Unit Approval Committee (UAC) meetings on a weekly basis, instead of the earlier practice of fortnightly meetings. This move has significantly reduced the wait time for the units to obtain the SEZ Letter of Approval (LOA). Under the Chairmanship of the Administrator (IFSCA), 45 weekly UAC meetings had been conducted from July 2024 till March 2025.

Circular-Based UAC Approvals

In another significant step towards enhancing EoDB, the UAC approved the following category of applications on a circular/ email basis:

- i. New Unit applications of Funds when the corresponding FME is already approved/ in process for LOA by the UAC.
- ii. Broadbanding of LOA, in cases where the IFSCA regulatory team has already approved the additional services.
- iii. Requests covered under Instruction 109 dated October 18, 2021, issued by the Department of Commerce vide F. No. K-43013(13)/7/2021-SEZ. These requests include change of name, change of shareholding pattern, business transfer arrangements, court approved mergers and demergers, change of constitution, change of Directors, etc

Accordingly, from July 2024 to March 2025, Circular based Agenda items have been taken in 35 UAC meetings along with the regular Agenda.

FAQs Booklet on SEZ Compliances

The office of Administrator (IFSCA) released a Frequently Asked Questions (FAQs) Booklet on SEZ compliances in the month of March 2025 as a measure to ensure better understanding of the provisions of SEZ Act/Rules, minimize the compliance burden and increase the overall regulatory clarity in GIFT-IFSC. This Booklet was designed to give comprehensive information and guidance regarding SEZ provisions covering the whole life cycle of a Unit in GIFT-IFSC, right from application for an SEZ LOA till the Exit of the unit.

Developed as part of IFSCA's commitment to a simplified regulatory framework, the FAQs Booklet serves as a quick reference guide, offering clear explanations on procedures, documentation requirements, and approval timelines. Designed in response to industry feedback, this user-friendly resource is a result of the experience gained by the office of Administrator (IFSCA) over the past one year in implementing the provisions of SEZ Act/Rules.

Transaction/Processes/Operations/Trends

In FY 2024-25, 45 UAC meetings were held under the Chairmanship of Administrator (IFSCA). The details of UAC meetings can be accessed on IFSCA website (<https://ifsc.gov.in/Pages/Contents/SEZUnitApproval>). In these 45 UAC meetings, 370 applications for setting up a new unit in the GIFT IFSC have been approved. The details of approvals given by the UAC under Chairmanship of Administrator (IFSCA) are given below.

Table 32: Details of UAC Meetings held in FY 2024-25

S. No.	Particulars	Till March 31, 2025
1	UAC meetings	45
2	New Units applications considered	373
3	No. of New Unit Applications approved	370
4	LOA issued	369
5	No. of Circular Agenda issued	35
6	No. of New Unit Applications of Funds approved by email/Circular mode	109
7	No. of Broadbanding of LOA	10
8	Requests covered under Instruction 109	65

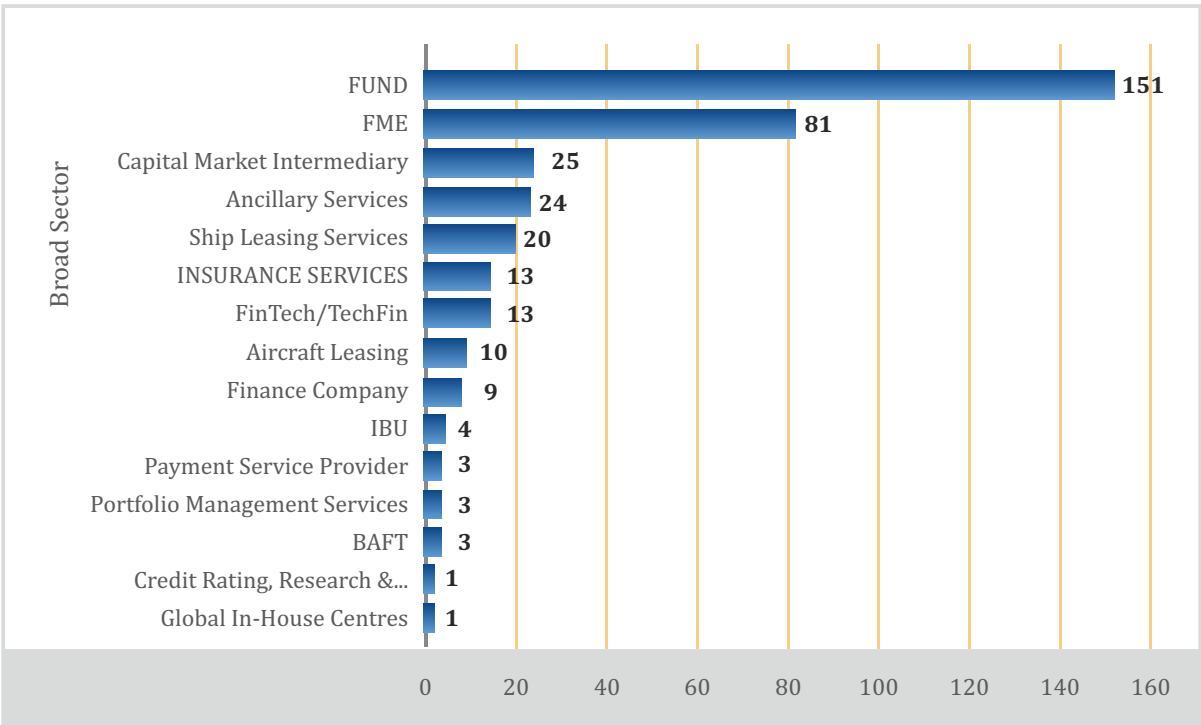
Table 33: Details of Post LOA processes during FY 2024-25

S. No.	Particulars	Till March 31, 2025
1	No. of physical BLUT approved	343
2	No. of LOA Extensions approved	198
3	No. of Commencement intimations taken on record	104
4	No. of LOA Renewal approved	14
5	No. of Address Change requests approved	61

Trends

The graph below illustrates the sector-wise distribution of LOAs issued up to March 31, 2025. It provides a clear overview of the key sectors driving growth within GIFT IFSC, highlighting the concentration of approvals across areas such as financial services, fintech, insurance, and capital markets.

Figure 17 : Sector-wise distribution of LOAs issued up to March 31, 2025



Policies and Programmes for the Following Year

SEZ amendments proposed in the Ease of Doing Business Report

In an effort to address the persistent operational challenges and regulatory bottlenecks faced by entities operating within GIFT IFSC, a comprehensive set of policy proposals has been formulated and submitted to the Ministry of Commerce and Industry (MoCI) as part of the IFSCA EODB report. These reforms are intended to streamline procedures, ensure greater alignment between regulatory authorities, and enhance the overall efficiency for IFSC units. In F.Y. 2025-26, these proposals will be vigorously pursued with MoCI to provide a simplified and better legal framework for IFSC units under the SEZ laws.

Enforcement

Uniquely positioned as both the developer and regulator of the IFSC jurisdiction, the IFSCA plays a pivotal role in fostering a robust and dynamic financial ecosystem. It is entrusted with the regulation of financial products, financial services, and financial institutions, while simultaneously promoting an environment that facilitates ease of doing business. A cornerstone of IFSCA's mandate is to enforce compliance requirements and uphold the integrity of the IFSC at GIFT IFSC. This ensures that the jurisdiction is not only operational in form but also in substance, aligning its regulatory standards with leading global financial centres and safeguarding its reputation as a credible and competitive international financial hub.

The overarching objective of enforcement actions is to promote transparency, enhance investor protection and confidence, and ensure alignment with international best practices. As more major domestic and global financial institutions establish operations in IFSC, IFSCA's role as a vigilant regulator and supervisor will be instrumental in sustaining and strengthening its reputation as a trusted and credible international financial jurisdiction.

IFSCA through Enforcement Division initiated enforcement actions against IFSC units in violation of the regulatory requirements under the applicable IFSCA regulations.

Three Regulated Entities in IFSC were served advisories as instruments for encouraging voluntary compliance, while the issuance of warnings signalled a calibrated escalation in response to non-compliance. These actions underscore IFSCA's firm commitment to ensuring that the IFSC at GIFT City operates as a jurisdiction for genuine economic activity, where operational presence in both form and substance aligns with the regulatory expectations—in letter and in spirit. This approach is aimed at deterring entities from using the IFSC solely for tax benefits or arbitrage without meaningful economic engagement.

A critical enforcement tool available to IFSCA is the power to revoke licenses, registrations, or authorisations. Such stringent measures are typically reserved for instances where entities, despite receiving advisories or warnings and being provided an opportunity to rectify lapses, persistently or deliberately flout regulatory and compliance requirements, or engage in conduct that undermines the integrity of the IFSC framework.

IFSCA's enforcement strategy reflects a balanced and calibrated approach—one that integrates robust oversight with sufficient regulatory flexibility to support the growth of GIFT City as a leading global financial hub. The preference for issuing advisories and warnings highlights IFSCA's inclination towards corrective over punitive measures, thereby fostering a culture of compliance without stifling innovation or growth.

Developmental Activities

International and Domestic MoUs

IFSCA executed several MoUs with domestic and international institutions. These MoUs paved the way for establishing formal channels of communication between IFSCA and counter-part regulators for knowledge sharing and cooperation in identified areas of mutual interest for the development of financial services, financial products and financial institutions in the respective jurisdictions.

MoU with Rashtriya Raksha University (RRU)

The IFSCA has signed a MoU with the Rashtriya Raksha University (RRU) to strengthen collaboration in areas of mutual interest. This agreement aims to establish a framework for mutual assistance and information sharing between the two institutions, particularly in financial services, regulations, and the application of technology.

The MoU between IFSCA and RRU signifies a step towards enhancing cooperation between the two entities, with a focus on areas like supervisory collaboration, financial innovation, and regulatory best practices. The agreement also aims to facilitate the exchange of information and experiences between the two organizations.



Image 21: IFSCA signed MoU with Rashtriya Raksha University in presence of Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman

Enhanced MoU with IOSCO

IFSCA signed the Enhanced MoU (EMMoU) of the IOSCO on May 16, 2024. The signing ceremony of the EMMoU was held during the Annual Meeting 2024 in Athens, Greece.

The IOSCO EMMoU allows for enhanced cooperation with powers essential for market integrity, investor protection, and fraud prevention. With this agreement, IFSCA can now utilize “ACFIT” powers⁷³, which include obtaining and sharing audit work papers, reviewing financial statements, compelling testimony, freezing assets, and accessing existing ISP and telephone records.



Image 22: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA signs the IOSCO EMMoU during the IOSCO Annual Meeting 2024 in presence of Chair of IOSCO Board Mr. Jean-Paul Servais

MoU with Capital Markets Authority (CMA), Kuwait

On the sidelines of the India-Kuwait Investment Conference, organized by the Indian Embassy in Kuwait, IFSCA and CMA signed an MoU aiming to foster collaboration in sharing technological advancements and innovations in financial and regulatory frameworks.



Image 23 : Shri K Rajaraman, Chairperson, IFSCA and Mr. Othman Al-Issa, Vice Chairman Capital Market Authority of Kuwait exchanging MoU in the presence of Dr. Adarsh Swaika, Ambassador of India in Kuwait

⁷³ Powers abbreviated as “ACFIT” which includes the ability to obtain (A) audit papers, (C) compel attendance for testimony, (F) freeze assets, and obtain (I) internet service provider and (T) telephone records.

Bilateral MMoU with BSEC, Bangladesh

IFSCA signed a bilateral MoU with the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) on May 26, 2024, on the sidelines of the IOSCO Annual Meeting in Athens, Greece.



Image 24: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA and Prof. Shibli Rubayat-Ul Islam, Chairman, BSEC sign the MoU on the sidelines of the IOSCO Annual Meeting in Greece

MoU with FIU-IND



Image 25: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA and Shri Vivek Agarwal, Director, FIU-IND, exchanging MoU

IFSCA has signed a MoU with Financial Intelligence Unit-India ('FIU-IND') on May 21, 2024. The MoU covers aspects for mutual co-operation in the areas of mutual interest including sharing of relevant information, conducting outreach and training for regulated entities, and compliance with each other's obligations under the relevant international standards etc.

IFSCA executes MoU with Labuan Financial Services Authority

IFSCA and the Labuan Financial Services Authority have entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to formalize institutional cooperation between the two institutions for mutual benefit. The MoU was signed by Mr. K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA, and Mr. Dato' Wan Mohd Fadzmi bin Che Wan Othman Fadzilah, Chairman, Labuan Financial Services Authority, on August 19, 2024.

The MoU was formally exchanged between H.E. Mr. B. N. Reddy, High Commissioner of India to Malaysia and Mr. Dato' Wan Mohd Fadzmi bin Che Wan Othman Fadzilah, Chairman, LFSA on August 20, 2024, and witnessed by the Honourable Dato' Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and the Hon'ble Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi.

The objective of the MoU is to facilitate the sharing of knowledge and best practices on the development, regulation and supervision of the financial markets of the respective jurisdictions as well as to promote and secure the fitness and propriety of licensed or registered persons and to promote high standards and integrity in conduct of business.

IFSCA signs MoU with ICMAI to Develop GIFT IFSC as a Global Finance and Accounting Hub



Image 26: IFSCA and Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) exchanging MoU

IFSCA and the Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) have exchanged MoU on August 30, 2024, at IFSCA Headquarters, GIFT City, Gandhinagar. This collaboration aims to position GIFT IFSC as a leading "Global Finance and Accounting Hub."

The MoU's primary objective is to support the export of financial services talent from GIFT IFSC. ICMAI, leveraging its extensive network of overseas chapters and members, will actively disseminate information about the opportunities available within GIFT IFSC.

Additionally, ICMAI under the guidance of IFSCA, shall develop academic courses tailored to the specific needs of IFSCs, aligned to the global best practices.

IFSCA executes MoU with Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA)

IFSCA and the IVCA have entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to enhance cooperation for the development of GIFT IFSC as a "Global Fund Management Hub". Shri Dr. Dipesh Shah from IFSCA and Rajat Tandon, President of IVCA, formally signed the MoU in a special ceremony, on September 18, 2024. Shri K. Rajaraman, Chairperson IFSCA, Mr Rajat Tandon, President IVCA, Dr. Dipesh Shah, Executive Director IFSCA witnessed the MoU signing.

MoU with Financial Planning Standards Board (FPSB)

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and the Financial Planning Standards Board (FPSB) India have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to collaborate on talent development and promote GIFT IFSC as a global financial hub. The MoU aims to support the evolution of GIFT IFSC as a leading financial services destination in India by empowering professionals and fostering a skilled workforce.



Image 27 : IFSCA and Financial Planning Standards Board (FPSB) exchanging MoU

MoU with Quality of Council (QCI)

International Financial Services Centres Authority (IFSCA) entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with Quality Council of India during the IFSCA Talent Vista 2024.

MoU with ICAI to Develop GIFT IFSC as a Global Finance and Accounting Hub

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on August 30, 2024, to develop the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT IFSC) as a global finance and accounting hub. This collaboration aims to facilitate the export of financial services talent from GIFT IFSC and develop specialized courses aligned with the evolving needs of the IFSC.

Advocacy and Outreach

RBI Governor Visit to IFSCA

RBI Governor Shri Shaktikanta Das visited IFSCA on June 22, 2024. Chairperson IFSCA, Shri K. Rajaraman and the IFSCA team made a presentation on the progress made and the future plans of IFSCA. Dr. Hasmukh Adhia, Chairman, GIFT City and Shri Tapan Ray, MD, GIFT City were also present.



Image 28 : Chairperson and Staff of IFSCA with Shri Shaktikanta Das, Governor, RBI, and Dr. Hasmukh Adhia, Chairman, GIFT City

IFSCA delegation visit to Kuwait

An IFSCA delegation led by Chairperson IFSCA visited Kuwait on April 23, 2024, to participate in India Kuwait Investment Conference 2.0, which was organized by the Embassy of India in Kuwait. During the visit, IFSCA formally signed and exchanged the Inter-regulatory cooperation agreement with Capital Market Authority, Kuwait. During the visit, meetings and roundtables were held with leading financial sector industry players in Kuwait, including Kuwait Investment Authority (KIA), Public Institution for Social Security (PIFSS), etc.

IFSCA Delegation visit to Norway

Embassy of India, Norway, jointly with Norway India Chamber of Commerce and Industry (NICCI) hosted a high-level meeting in collaboration with IFSCA delegation, bringing together business leaders and sector specialists from both India and Norway to discuss business opportunities in India's maiden IFSC at GIFT City.

Mr. Helge Tryti, Chairman of NICCI, Indian Ambassador to Norway H.E Acquino Vimal and other dignitaries were present in the meeting.

The keynote address by Mr. K. Rajaraman, Chairperson of IFSCA, focused on opportunities for Norwegian financial institutions in India's financial gateway i.e GIFT IFSC.

GIFT IFSC New York Conference 2024: Fund Management and Capital Market Opportunities in GIFT IFSC

During the IFSCA high-level delegation visit to the US, a conference was organised in New York to highlight the opportunities for Fund management and Capital Market in Gift IFSC. During the conference, the Chairperson, of IFSCA addressed the participants by highlighting significant achievements of India in critical sectors such as infrastructure, green energy, asset monetization, trade and investments, etc. He also emphasized the latest regulatory and business developments in GIFT IFSC, which have opened compelling opportunities for US institutions.

Roundtable Conference: Opportunities for US Institutions in GIFT IFSC

During the IFSCA high-level delegation visit to the US, a roundtable conference was organized in collaboration with the Consulate General of India in New York and ICAI and was attended by 50+ professionals from the financial services industry including CA professionals. Chairperson, IFSCA emphasised on the vision of Government to make GIFT IFSC a “Global Finance and Accounting hub” and highlighted the outsourcing opportunities available for US Accounting Professionals under the recently notified IFSCA (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crimes Compliance Services) Regulation 2024.

IFSCA delegation visit to UAE and Qatar

IFSCA delegation led by Mr. K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA visited Qatar and UAE from November 10-13, 2024. During the visit, several conferences, roundtable meetings and one-to-one meetings were held with Banks, Fund Managers, Insurance firms.



Image 29 : Chairperson, IFSCA with Dr Tamy Ahmed Ali Al Boutamy Al Binali, CEO, Qatar Financial Markets Authority (QFMA) in presence of Mr. Sandeep Kumar, Deputy Chief of Mission, Embassy of India, Doha, Qatar



Image 30 : Chairperson, IFSCA with Qatari Businesses and Indian Diaspora in presence of Shri Vipul, Ambassador of India to Qatar in Doha



Image 31 : Chairperson, IFSCA with Abu Dhabi Global Market's Financial Services Regulatory Authority (ADGM's FSRA)



Image 32 : Chairperson, IFSCA with Dr. Maryam Alsuwaidi, CEO, Securities & Commodities Authority (UAE – SCA)



Image 33 : Chairperson, IFSCA with Mr. Arif Amiri, CEO, Dubai International Financial Centre

Visit of a Taiwanese Financial Institutions delegation to GIFT City

On December 4, 2024, a 31-member Taiwanese delegation, led by Mr. D.C. Lei, visited GIFT City to explore business opportunities for Taiwanese financial institutions and understand the financial services ecosystem at GIFT IFSC.



Image 34 : Chairperson, IFSCA with Chairman, TABF and the Taiwanese Delegation

The delegation comprised senior officials from TABF, the Central Bank of Taiwan, the Bankers Association of R.O.C., the Financial Supervisory Commission, and leading Taiwanese banks.

The delegation participated in a tour of GIFT City, visiting world class infrastructure features such as Automated Waste Collection System (AWCS), b) Utility Tunnel, District Cooling System (DCS) and City Control and Command Centre (C4).

The delegation then visited India INX, where a presentation was made by the India INX team highlighting its business operations, growth, and prospects for Taiwanese capital market intermediaries within the GIFT ecosystem.

3rd India-UK Financial Markets Dialogue

The third meeting of India-UK Financial Markets Dialogue was hosted by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in GIFT City, Gujarat on December 12, 2024.

The Dialogue was led by senior officials from the Indian Ministry of Finance and HM Treasury, with participation from Indian and UK regulatory agencies, including the RBI, SEBI, IFSCA, IRDAI, PFRDA, the Bank of England (BoE) and the Financial Conduct Authority (FCA).

The Dialogue opened with reflections on developments since the last meeting in April 2023, including the opportunity presented by India's intention to release a financial sector vision and strategy and the UK's commitment to publishing a financial services growth and competitiveness strategy. Both sides agreed to work to maximise synergies.



Image 35 : Chairperson, IFSCA and Joint Secretary, DEA with UK delegation

Delegates from India and the UK shared perspectives on priorities and ongoing reforms within their respective jurisdictions. The Dialogue focused on collaboration in evolving fields of financial regulation, noting the areas of mutual interest in both markets for increasing bilateral trade and investment between the financial sectors.

Innovation was a key theme throughout the dialogue, acknowledging the importance of Fintech, and the key role of financial data in enabling business activity. Both parties highlighted priorities identified in the IUKFP Fintech and Data Paper published last year and agreed to host the next meeting of the India-UK Fintech Joint Working Group in early 2025 to take forward agreed priorities. Participants discussed related priorities, including the G20 payments roadmap, digital payment connectivity, regulatory sandbox collaboration, collaboration on Central Bank Digital Currencies, and future cooperation on other emerging technologies including AI and Quantum computing.

India Digital Summit 2025

The Internet and Mobile Association of India (IAMAI) organized the 19th edition of the India Digital Summit (IDS) on January 16-17, 2025, in New Delhi. As part of the summit, Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, spoke at the fireside chat on *“The GIFT of Opportunity: The Strategic Advantage of setting up GCCs in IFSCA”*. During the chat, Dr. Shah highlighted the strategic benefits of GIFT IFSC for global institutions along with the opportunities in GIFT IFSC, particularly focusing on the advantages of setting up a Global Capability Center (GCC) in IFSC. Dr. Shah also emphasized the strategic benefits of GIFT IFSC for global institutions.

NIVESH - DESH VIDESH 2025

NRI Money Clinic, a YouTube channel, hosted a two-day Annual Global Investors Conference by the name NIVESH - DESH VIDESH 2025 on February 21-22, 2025, in Mangalore. Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, attended the conference and delivered a comprehensive presentation on "Opportunities for NRIs and Indian Diaspora in GIFT IFSC". Over 3000 NRIs and Indian Diaspora from 72 countries joined in live to listen to Dr. Shah. The event also witnessed participation from over 150 CXOs from the financial services industry including professional service providers, law firms, etc.

Luxembourg Fund Industry Seminar

Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, participated and delivered a keynote speech on "*GIFT IFSC: Opportunities for Luxembourg's fund industry & investors*" at the Luxembourg Fund Industry Seminar co-organized by Association of Luxembourg Fund Industry and LPEA - Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association. During his address, Dr. Shah highlighted opportunities for Luxembourg's fund industry and investors in GIFT IFSC.

IFSCA CPSE SUMMIT 2.0: Opportunities in GIFT IFSC

To sustain growth momentum and highlight business opportunities for Public Sector Enterprises (PSEs) in GIFT IFSC across areas such as capital raising, sustainable finance, treasury operations, aircraft and ship leasing, insurance, InVITs, and REITs, IFSCA organized the "*IFSCA CPSE SUMMIT 2.0: Opportunities in GIFT IFSC*" on February 7, 2025.

The summit brought together representatives, including policymakers, industry leaders, financial experts, and senior executives such as CEOs and CFOs from Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and leading State Public Sector Enterprises. The event featured insightful keynote addresses and discussions that explored the vast business opportunities for public sector enterprises in GIFT IFSC, aligning with the evolving global financial services landscape.

Smt. Surabhi Jain, Joint Secretary, DEA, noted, "*GIFT IFSC's ascent fuels India's global financial leap, aligning CPSEs with international capital for the Viksit Bharat 2047 vision.*"



Image 36 : Smt. Surabhi Jain, Joint Secretary, DEA, giving address during IFSCA CPSE Summit 2.0

IFSCA Delegation visit to United Kingdom and Republic of Ireland

IFSCA Delegation led by Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA to the United Kingdom & Republic of Ireland from March 17-21, 2025, held various conferences, meetings and roundtable interactions:

Conference on “Business Opportunities in India's maiden IFSC at GIFT City”

Conference was organized to showcase and deliberate upon the emerging business opportunities in India's maiden IFSC at GIFT City. The Conference witnessed participation from senior government officials, financial sector leaders, and key stakeholders from both India and the UK.



Image 37 : Chairperson, IFSCA, addressing at Conference on “Business Opportunities in India's maiden IFSC at GIFT City”

Outreach Activities with Foreign Universities

Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA, led delegation highlighted India's growth story, the role of IFSC in Viksit Bharat 2047, and gave comprehensive overview of the regulatory framework under the IFSCA for International Branch Campuses and Offshore Education Centres. The delegation elaborated on Government of India's vision to develop GIFT City not only as a financial services centre but also as a vibrant offshore education destination.

Interaction with members of Chartered Association of Business Schools:



Image 38 : Dr. Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA, giving overview of regulatory framework under IFSCA for International Branch Campuses and Offshore Education Centres



Image 39 : Roundtable interaction on International Branch Campus opportunities for Irish Universities in GIFT IFSC



Image 40 : Roundtable interaction on International Branch Campus opportunities for UK Universities in GIFT IFSC



Image 41 : IFSCA Delegation Interacting on Trade Finance in London

At a roundtable of Factors and Trade finance companies organised by RXIL in London, Chairperson of IFSCA highlighted the growing importance of trade finance in strengthening global supply chains and underscored India's emergence as a reliable and competitive jurisdiction for international financial services. He invited global players to explore trade financing structures and cross-border opportunities using GIFT IFSC as a base.

Interaction with Ship Leasing and Shipping Insurance Business

Mr. Ashutosh Sharma initiated the discussions with an overview of the regulatory framework governing financial activities in GIFT IFSC and specifically highlighted the progress made under the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021.



Image 42 : Mr. Ashutosh Sharma giving overview of the regulatory framework governing financial activities in GIFT IFSC

Interaction with Aircraft Leasing Stakeholders

An engaging and well-attended interaction was convened in Dublin with around 100 participants from the aircraft leasing ecosystem. The session brought together a wide spectrum of stakeholders including lessors, tax advisors, legal experts and policy representatives, to deliberate on the growing opportunities for collaboration in the aircraft leasing sector between Ireland and India, particularly through GIFT IFSC.

Shri K. Rajaraman articulated India's ambition to position GIFT IFSC as a global hub for aircraft leasing and aviation finance, modelled after leading jurisdictions like Ireland. He highlighted the significant regulatory progress made by IFSCA and the broader institutional support from the Government of India to attract and sustain global leasing firms in India.



Image 43 : Chairperson, IFSCA, during interaction with Aircraft Leasing Stakeholders

Shri Ashutosh Sharma outlined the institutional support available to aircraft leasing firms, including a robust framework designed to provide tax neutrality, streamlined approvals, and regulatory clarity.

International FinTech Institute in GIFT City

IFSCA attended the inauguration of GIFT International FinTech Institute (GIFT IFI) and the GIFT International FinTech Innovation Hub (GIFT IFIH) which is supported by Asian Development Bank in GIFT City on January 17, 2025.

Other Outreach & Engagement Activities

Date	Particulars	Remarks
April 2024	GIFT IFSC: Town hall on Skilling and Talent Development for the Future Workplace	IFSCA officials participated in the event “GIFT IFSC: Town hall on Skilling and Talent Development for the Future Workplace” organized jointly by Deakin University and University of Wollongong. During the event, the two Australian Universities presented their course offering to the regulated entities in IFSC and discussed areas of collaboration.

Date	Particulars	Remarks
May 2024	Conference on Direct Listing	IFSCA, in collaboration with NSEIX, organized a conference in Bengaluru on May 10, 2024, in association with 3one4 Capital and IVCA. The event focused on direct equity listing and capital raising opportunities for Indian startups in GIFT IFSC. It was attended by startups, entrepreneurs, venture capital funds, and other stakeholders. IFSCA officials highlighted the potential of GIFT IFSC for raising capital through the listing of equity and debt securities.
	Country-level private sector roundtable in partnership with UNDP-FC4S Sustainable Finance Hub	IFSCA, in partnership with UNDP-FC4S, organized a private sector roundtable on May 31, 2024, at GIFT City, Gandhinagar. The roundtable aimed to gather private sector views on the G20 SFWG Agenda and its national implementation. It was attended by dignitaries from the Ministry of Finance, SEBI, RBI, corporate leaders, and other stakeholders. IFSCA officials highlighted the Authority's role in promoting sustainable finance and developing GIFT IFSC as a climate finance hub. The event featured discussions on Just Transition, Sustainability Reporting Requirements, and Financing Nature-based Solutions.
	Chintan Shivir-2024	IFSCA's 1st Annual Brainstorming exercise with leading industry participants was organized during the month of May and June. As part of this exercise, Chairperson IFSCA held brainstorming sessions with more than 40 industry leaders and experts to understand the following: Their business activities in India, other countries, and GIFT IFSC. Their plans to expand and enhance business activities in GIFT IFSC. Annual plan for 2024-25 for GIFT IFSC. Enabling policies from Government & IFSCA for accelerating their growth from GIFT IFSC. Their vision for GIFT IFSC as an engine for Viksit Bharat @ 2047.
June 2024	Webinar with Indian Diaspora in Kuwait	IFSCA participated in a Webinar organized by Indian Mission in Kuwait for the Indian Diaspora. During the Webinar, several opportunities across Banking, Funds and Insurance sector were presented.
	BSE Brokers Conference in Mumbai	IFSCA officials participated in the BSE Brokers Conference held in Mumbai to create awareness about Remote Trading Participants (RTP) on IFSC Exchanges and Derivatives Trading Opportunities on the IFSC Exchanges.
July 2024	IFCCI Higher Education Committee Webinar on Evolution of NEP and FHEI norm: A French Perspective	IFSCA officials participated in a Webinar organized by Higher Education Committee of the Indo-French Chamber of Commerce & Industry (IFCCI) themed on the "Evolution of NEP & FHEI norms: A French Perspective". During the webinar, IFSCA officials presented the regulatory and development opportunities in GIFT IFSC, particularly in respect of International Branch Campus opportunities.

Date	Particulars	Remarks
July 2024	Industry Roundtable - Deakin University GIFT City	IFSCA Officials participated in roundtable interaction organised by Deakin University. During the conference, IFSCA officials highlighted the importance of Industry- Academia collaboration for talent development in GIFT IFSC.
August 2024	GIFT IFSC: Demystifying The Asset Management Landscape	IFSCA officials participated in an event organized by Nuvama Asset Services in partnership with Deloitte and IC Universal Legal. During the event, IFSCA officials shared insights on the asset management landscape in GIFT IFSC. The discussions highlighted opportunities and developments within the asset management ecosystem at the IFSC, aimed at engaging key industry stakeholders.
	Financial Crime Expert and Conclave Awards	IFSCA officials participated in FinCrimeExpert's first-ever Conclave and Awards Event, which brought together industry leaders, regulators, law enforcement agencies, and solution providers. The event celebrated achievements in the field of Financial Crime Compliance (FCC). IFSCA officials emphasized the critical role of FCC professionals in safeguarding the financial system, aligning with the vision of Viksit Bharat @2047.
	Workshop on Trade credit- ECGC	IFSCA officials participated in a workshop on Trade Credit Insurance organised by ECGC. During the workshop, IFSCA officials highlighted the importance of collaboration between Banks and Insurance Offices for the growth of Trade credit business in GIFT IFSC.
	Webinar on theme "Unravel the Gift City: Indian IFSC" by HSBC	IFSCA officials participated in a webinar organised by HSBC themed on "Unravel the Gift City: Indian IFSC". During the webinar, IFSCA officials discussed about multiple benefits for clients exploring investment into Indian markets, whether it is a capital market investment or strategic investments.
September 2024	Global Webinars on GIFT City for MNC clients	IFSCA officials participated in a global seminar organized by Standard Chartered Bank titled "Unlocking Opportunities in India's GIFT City: A Global Financial Hub" on September 11-12, 2024. During the event, IFSCA officials highlighted the growth aspirations for GIFT City, key initiatives to attract non-financial corporates, and the overall vision and opportunities for global corporates in the IFSC.
	USIBC's India Ideas Summit and 49th Annual General Meeting	IFSCA officials participated in the India Ideas Summit and the 49th Annual Meeting of the U.S. Chamber of Commerce's U.S.-India Business Council (USIBC) held on September 12, 2024, in New Delhi. The summit, themed "Partnership and Prosperity in the Era of AI and Critical Technology", focused on leveraging emerging technologies to drive innovation and sustainability. IFSCA officials engaged with stakeholders on enhancing collaboration in the evolving U.S.-India tech and financial landscape.

Date	Particulars	Remarks
September 2024	Jefferies 3rd India Forum	IFSCA officials participated in Jefferies 3rd India Forum held from September 17–19, 2024, at The Oberoi, Gurgaon. The forum brought together over 110 global funds and institutional investors from across 10+ geographies. IFSCA officials provided a comprehensive overview of the GIFT IFSC ecosystem, highlighting the business opportunities it offers for global investors and corporates.
	GIFT City: The Emerging Talent Frontier	IFSCA official addressed the gathering at the " <i>GIFT Talent Summit</i> " organised at the IIT Gandhinagar on Thursday, 17 October 2024. The official highlighted the opportunities for GCCs in GIFT IFSC and emphasized the need for Academia and Industry to work together to develop a pool of skilled resources for the businesses operating in the GIFT IFSC.
November 2024	Business Standard BFSI Insight Summit	IFSCA officials participated in the Business Standard BFSI Insight Summit held on November 8, 2024, at the Jio World Convention Centre, Mumbai. During a panel discussion on GIFT City's role in boosting India's financial sector, IFSCA officials highlighted key advancements in GIFT IFSC, including the rise in registered entities from 129 to over 725 since the establishment of IFSCA. They also emphasized how GIFT IFSC offers offshore benefits within India, reducing the need for firms to shift operations abroad.
December 2024	India Business Forum 2024	IFSCA officials participated in the Inaugural India Business Forum 2024 organized by Allinial Global on December 17, 2024, in Goa. During the session titled " <i>Unlocking Opportunities: The Strategic Potential of GIFT City</i> ", IFSCA officials delivered a keynote address highlighting the overall opportunities at GIFT IFSC. A specific focus was given to the BATF (Banking, Asset Management, Trading, and Finance) opportunities available for global businesses.
	IOSCO Growth and Emerging Markets Committee - Network for Adoption or Other Use of ISSB Standards	IFSCA officials participated on December 18, 2024, in the launch of a dedicated network supporting the adoption and use of IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB Standards) in Ankara, Turkey. The initiative, supported by the International Sustainability Standards Board (ISSB), includes 32 IOSCO members from 31 jurisdictions. The network aims to promote the adoption of IFRS Foundation's sustainability reporting standards, particularly in emerging markets.

Date	Particulars	Remarks
December 2024	Next Billion Forum	IFSCA officials participated in the “Next Billion Forum” hosted by Suzuki Group on December 23, 2024, at GIFT City. The event marked the launch of the Next Bharat Venture Fund-I from GIFT IFSC and saw participation from a large Japanese delegation, senior government officials, and industry leaders. IFSCA officials made a presentation highlighting the diverse business opportunities in GIFT IFSC for Japanese institutions and investors.
January 2025	India Digital Summit 2025	IFSCA officials participated in the 19th India Digital Summit (IDS) organized by IAMAI on January 16-17, 2025, in New Delhi. During the summit, IFSCA officials spoke in a fireside chat titled “The GIFT of Opportunity: The Strategic Advantage of setting up GCCs in IFSCA”. They highlighted the strategic benefits and opportunities for global institutions, focusing on the advantages of establishing Global Capability Centers (GCCs) in GIFT IFSC.
February 2025	ICAI World Forum of Accountants (WOFA) 2025	IFSCA officials participated in the World Forum of Accountants (WOFA) 2025, hosted by ICAI from January 31 to February 2, 2025, at Yashobhoomi, New Delhi. During the event, IFSCA officials presented on investment opportunities in India, focusing on inbound and outbound flows. They highlighted the overall opportunities available for Chartered Accountants within India's International Financial Services Centre (GIFT IFSC).
	SmartTech Asia 2025	IFSCA official participated in SmartTech Asia 2025 in Mumbai on February 13, 2025. The official along with other key dignitaries inaugurated the event and highlighted the role and opportunities available for technology companies within the GIFT IFSC.
March 2025	8 th IGPC-IIMA Annual Gold & Gold Markets Conference 2025	IFSCA officials participated in the 8th Annual Gold & Gold Markets Conference 2025, organized by the India Gold Policy Centre (IGPC) in collaboration with IIM Ahmedabad at Pragati Maidan, Delhi. During the session on “India@2047 - Transforming the Precious Metals Landscape”, they highlighted gold's strategic role in India's economy and the significance of the India International Bullion Exchange (IIBX) at GIFT IFSC in enhancing transparency, good delivery standards, and responsible sourcing. They also emphasized regulatory and governance aspects of exchange-traded bullion and the importance of a transparent trading mechanism.
	Global Conference of Actuaries 2025	IFSCA officials participated in the 24th edition of the Global Conference of Actuaries (GCA) 2025 held in Mumbai. During the conference, they emphasized the expanding opportunities for the growth of the actuarial profession in GIFT IFSC and highlighted the potential to leverage India's strong actuarial talent pool to serve international markets through the IFSC platform.

Date	Particulars	Remarks
March 2025	Rashtriya Raksha University (RRU) delegation visit to IFSCA	IFSCA hosted RRU's delegation consisting of 25 senior officials, including representatives from the police and armed forces, from Kenya, Nigeria, Malawi, Zimbabwe, Sierra Leone, Burkina Faso, and Mongolia. During the visit, the delegation was apprised of the regulatory architecture of IFSCA and cutting-edge developments within the financial services ecosystem at GIFT IFSC.
	HSBC Global Wealth Summit 2025	IFSCA official participated in the Global Wealth Summit 2025, organized by HSBC in GIFT City, Gandhinagar. During the summit, the official highlighted the wide range of business opportunities available for financial entities in IFSC and underscored the importance of understanding the evolving needs of both resident and non-resident customers. The discussions also focused on emerging trends in asset management, insurance, and investment solutions tailored to these customer segments.

SECTION-D

QUASI-LEGISLATIVE EXECUTIVE AND
QUASI-JUDICIAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Quasi-Legislative Functions of the Authority

IFSCA ('Authority') has been established by the IFSCA Act, 2019 ("the Act"), as a unified regulator for the development and regulation of financial services markets within IFSCs in India. The Authority is vested with powers to discharge executive, quasi-legislative, and quasi-judicial functions in respect of financial products, financial services, and financial institutions operating within an IFSC.

As per section 12 of the Act, the Authority is empowered to take such measures as it deems necessary to develop and regulate financial products, financial services, and financial institutions in an IFSC. In furtherance of this mandate, the Authority may also make recommendations to the Central Government regarding the introduction or permitting of specific financial products, financial services, or financial institutions within an IFSC.

Further, in accordance with Section 13 of the Act, the Authority is authorized to exercise all powers vested in the domestic financial regulators, i.e. Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), and Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), with respect to 16 Acts specified in the First Schedule of the Act, insofar as they relate to financial products, financial services, and financial institutions operating within the IFSCs.

In exercise of its quasi-legislative powers, the Authority has issued regulations across various domains to effectively regulate financial products and services within the IFSCs. In furtherance of its regulatory mandate, the Authority has issued the following regulations, major notifications, guidelines, and circulars:

Table 34 : List of Regulations

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
1	IFSCA/GN/2024/002 IFSCA (Payment Services) (Amendment) Regulations, 2024	02/04/2024	The regulations amended the definition of escrow services.
2	IFSCA/GN/2024/003 IFSCA (Book-keeping, Accounting, Taxation and Financial Crime Compliance Services) Regulations, 2024	04/04/2024	Regulations establish a comprehensive regulatory framework for providing bookkeeping, accounting, taxation, and financial crime compliance services from the IFSC.
3	IFSCA/GN/2024/005 IFSCA (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024	12/07/2024	The regulations enable the functioning of the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems for IFSC. The regulations provide for the following: i. The duties, powers and functions of the BPSS. ii. The procedure to be followed at the meetings of the BPSS. iii. How the powers of the BPSS are to be exercised under specific circumstances. iv. The power of the BPSS to set up sub-committees and advisory committees.
4	IFSCA/GN/2024/006 IFSCA (Listing) Regulations, 2024	20/08/2024	The Regulations provide a unified regulatory framework for listing of securities and other permitted financial products. The regulations aim to protect the interests of investors by ensuring that there is a full disclosure of material information that are required for decision making by the investors.
5	IFSCA/GN/2024/009 IFSCA (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024	14/10/2024	The regulations, inter alia, specify the authorisation requirement for the system provider for commencing or carrying on a Payment System in IFSC. Additionally, the regulations mandate the system provider to comply with the Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) issued by Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
6	IFSCA/GN/2024/011 IFSCA (Market Infrastructure Institutions) (Amendment) Regulations, 2024	29/10/2024	Amendments have been primarily aimed at strengthening governance norms. The Regulations provide for a more comprehensive code of conduct for the MIIs and their governing board, directors, committee members, and key management personnel has been specified. Other key amendments include the provisions for the appointment of a Chief Risk Officer, Chief Legal Officer, and Chief Information Security Officer, and a requirement for a recognised clearing corporation to develop a framework for the orderly winding down of its operations.
7	IFSCA/GN/2024/012 IFSCA (Registration of Factors and Registration of Assignment of Receivables) Regulations, 2024	18/11/2024	The objective of the regulations is to provide for the manner of granting certificate of registration to Factors and filing of particulars of transactions with the Central Registry by a Trade Receivable Discounting System (TReDS) on behalf of the Factors under sub-section (1A) of section 19 of the Factoring Regulation Act, 2011
8	IFSCA/GN/2025/001 IFSCA (Bullion Market) Regulations, 2025	04/02/2025	These Regulations replace the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020. The Regulations now have a wider scope as they cover not only the Bullion Exchange but other participants of the bullion market also. Other salient features include the widening of the definition of “consumer” and introduction of the definition of the term “non-independent directors”. Provisions relating to the appointment of Chief Risk Officer, Chief Legal Officer and Chief Information Security Officer have been incorporated, and a chapter on Inspection, Enquiries and Enforcement has been introduced.
9	IFSCA/GN/2025/002 IFSCA (Fund Management) Regulations, 2025	10/02/2025	These Regulations replace the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2020. Some of the changes introduced by these Regulations are as follows: I. Several carve-outs from the regulatory requirements have been provided to the fund of funds schemes to facilitate creation and operation of feeder vehicles in IFSC in a cost-effective manner.

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
			ii. Open-ended schemes have been permitted to commence the investment activities upon achieving an investment of USD 1 Mn. iii. A provision for joint investments by 2 individuals with specific relationships has been provided for non-retail schemes. iv. Requirement to obtain prior approval of IFSCA for the appointment of KMPs has been dispensed with. v. To further boost PMS activities and in line with the provisions in other jurisdictions, the minimum investment amount has been reduced to USD 75,000 from USD 150,000. vi. To aid in the global expansion of their operations, FMEs have been permitted to open branches or representative offices in other jurisdictions for the purpose of marketing their offerings.

Table 35: List of Major Notifications

Sr. No	Notification	Date of Publication	Purpose of Notification
1	FEMA. 10R (3)/2024-RB Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2024	19/04/2024	Allowed the funds raised through ADR, GDR, ECB, or direct listing of equity shares of companies incorporated in India on International Exchanges, to be held in foreign currency accounts with a bank outside India, pending their utilisation or repatriation to India.
2	FEMA. 395(2) /2024-RB Foreign Exchange Management (Mode of Payment and Reporting of Non-Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2024	19/04/2024	Introduced regulations pertaining to purchase or subscription of equity shares of companies incorporated in India on international exchanges scheme by permissible holder.
3	G.S.R. 518(E) Relating to Securities Contract (Regulation) Act, 1956	28/08/2024	Amended Rules 19 and 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, insofar as they apply to an applicant company desirous of getting its securities listed on a recognised stock exchange in an International Financial Service Centre, and a company listed on a recognised stock exchange in an International Financial Service Centre, respectively.

Sr. No	Notification	Date of Publication	Purpose of Notification
4	4IFSCA/GN/2024/004 IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations, 2024	04/07/2024	Added Swedish Krone, Norwegian Krone, New Zealand Dollar, and Danish Krone to the list of currencies permitted in IFSC for transactions.
5	S.O. 5241(E)	05/12/2024	“Schemes operated by a pension fund” notified as financial product u/s 3(1)(d) of the IFSCA Act, 2019.

Table 36 : List of Major Circulars/ Guidelines

Sr. No	Circulars/ Guidelines	Date of Issue	Objectives
1	Amendment to the IFSCA (Vault Manager) Circular, 2021	01/04/2024	The Amendment – i. stated that registered Vault Manager may apply for registration of additional vaults. ii. specified that no additional security deposit shall be charged for such registration. iii. specified that security deposit furnished by the Vault Manager with the bullion depository shall continue to be retained until such time as the Vault Manager surrenders the CoR for all vaults.
2	Remote Trading Participants on Stock Exchanges in the IFSC	03/04/2024	Permitted foreign entities, not having a physical presence in IFSC, to trade directly on the Stock Exchanges, on a proprietary basis, without a Broker-Dealer. The circular called such entities as Remote Trading Participant (RTP) and specified the conditions which RTPs must fulfil in order to be allowed to trade.
3	Internet Banking Service to Clients of IBUs	22/04/2024	The circular directed all the IFSC Banking Units (IBUs) to provide, at minimum, the following internet banking services – I. Information service ii. Interactive information exchange service iii. Transactional service
4	Permission to participate in the synthetic securitisation program of Parent bank	11/07/2024	The circular allowed IBUs, subject to certain general conditions, to participate in the synthetic securitisation program of its parent bank. One of the major conditions for such participation is that the Home Regulator of the IBU should have adopted the Basel III framework and must not have prohibited the banks under its jurisdiction from undertaking such transactions.

Sr. No	Circulars/ Guidelines	Date of Issue	Objectives
5	Credit Rating Agencies in the IFSC	25/07/2024	The circular permitted SEBI-registered CRAs, desirous of providing rating services in the IFSC, to apply for registration with IFSCA in accordance with the requirements provided under the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, as amended from time to time.
6	Trading and Settlement of SGrBs in IFSC	24/09/2024	GoI has been issuing Sovereign Green Bonds (SGrBs) to mobilize resources for green infrastructure in India. To further increase global participation in SGrBs, a scheme for “Trading and Settlement of Sovereign Green Bonds in the IFSC in India” was introduced by the RBI. Subsequently, this circular was issued by IFSCA, detailing the operational guidelines for various market participants. This will facilitate easier access for non-resident investors to invest and trade in SGrBs, enhancing global climate capital flows into India.
7	Single Window IT System <i>inter-alia</i> for registration and approval from IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI	30/09/2024	The circular directed that, from October 01, 2024, all the applicants, barring those which are mentioned as exceptions under Clause 6, shall submit their applications exclusively through SWITS for seeking – i. license, registration or authorisation, as the case may be, from IFSCA; ii. approvals from SEZ Authorities and registration from GSTN; and, iii. No objection Certificate (NoC)/ requisite approval from appropriate regulators. Some of the key features of the SWIT System are: i. Common Application Form ii. Integration via API with SEZ Online System for obtaining SEZ Approvals iii. Interface with three financial regulators i.e. RBI, SEBI and IRDAI for obtaining No Objection Certificate (NoC) iv. Obtaining GST Registration v. Real time data validation of PAN, DIN and CIN vi. Integrated Payment Gateway vii. Integrated Digital Signature Certificate (DSC) Module

Sr. No	Circulars/ Guidelines	Date of Issue	Objectives
8	Master Circular for Credit Rating Agencies	01/10/2024	The circular superseded all the circulars and guidelines issued by SEBI (prior to October 01, 2020) in respect of credit rating agencies registered with IFSCA, and also compiled the following three circulars issued by IFSCA: i. <i>“Credit Rating Agencies in the IFSC”</i>, clarifying requirements relating to providing services by SEBI-registered credit rating agencies in the IFSC; ii. <i>“Valuation of Assets of Schemes under IFSCA (Fund Management) Regulations 2022 by Credit Rating Agencies at IFSC”</i> permitting CRAs registered with the Authority to undertake valuation of assets of the schemes under the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022; iii. <i>“Enabling Credit Rating Agencies to undertake additional activities relating to ESG Ratings and Data Products Providers”</i>, enabling CRAs registered with Authority to also undertake services relating to ERDPPs in accordance with the requirements laid down in this circular.
9	Listing of Commercial Paper and Certificates of Deposit on the recognised stock exchanges in the IFSC	17/10/2024	The Circular provides the regulatory requirements for facilitating issuers to list CP and CD in an efficient and transparent manner ensuring that adequate material information is made available to the investors for making informed decision. The Circular, <i>inter-alia</i>, specifies the conditions for issuance of CP and CD, eligible issuers, eligible investors, disclosures in the offer document, continuous disclosures etc.
10	Framework for ESG Ratings and Data Products Providers in the IFSC	30/10/2024	The circular specified the regulatory framework for <i>“ESG Ratings and Data Products Providers”</i> as a new category of intermediary under the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021. The regulatory norms have been laid down pursuant to benchmarking the global best practices, IOSCO report and Code of Conduct published by ICMA.

Sr. No	Circulars/ Guidelines	Date of Issue	Objectives
11	Principles to mitigate the Risk of Greenwashing in ESG labelled debt securities in the IFSC	21/11/2024	In line with the practices prevalent in other jurisdictions and in order to further promote transparency, accountability and adequacy of disclosures to investors, the circular highlighted the following principles which issuers of ESG labelled debt securities in IFSC should adhere to – i. Being True to Label - Avoid misleading labels and terminology ii. Screen the Green - Transparency in methodology for project selection and evaluation iii. Walk the talk - Managing and tracking use of proceeds iv. Overall Impact - Quantification of Negative Externalities v. Be alert - Monitoring and Disclose
12	Complaint Handling and Grievance Redressal by Regulated Entities in the IFSC	02/12/2024	The circular provides detailed norms and requirements for RE in IFSC, inter alia, relating to having a policy for complaint handling and grievance redressal, procedure for complaint handling along with timelines, appeal mechanism, complaint before IFSCA, maintenance of records, disclosures on website and annual report, reporting and maintenance of online system for complaint handling.
13	International Financial Services Centres Authority (Informal Guidance) Scheme, 2024	02/12/2024	The Scheme is aimed at providing a mechanism for seeking clarity and guidance <i>inter-alia</i> on various issues pertaining to a potential business activity and transactions, which are under the regulatory ambit of the IFSCA and on other legal issues emanating from the acts administered by IFSCA. The informal guidance can be sought under two forms, namely: No-Action letter and Interpretative letter. The former provides comfort to the persons undertaking proposed transaction, as it indicates whether the relevant Department would recommend any enforcement actions to the Authority, under the applicable legal provisions associated with proposed business transactions. The latter provides interpretative clarity on the applicable legal and regulatory framework for making informed and compliant decisions.

Sr. No	Circulars/ Guidelines	Date of Issue	Objectives
14	Guidelines on setting up and operation of International Trade Finance Service Platform	23/12/2024	The revised guidelines on setting up and operation of International Trade Finance Services Platform issued under the IFSCA (Finance Company Regulations), 2021, replaced the ITFS guidelines issued on July 9, 2021. The key changes in the revised guidelines on ITFS are with respect to the following – i. Eligibility Criteria ii. On-Tap Registration Process iii. Permissible Activities iv. Eligible Participants v. Expanding the Scope of Financiers vi. Bidding for Trade Finance Units (TFU) vii. Complaint Handling and Grievance Redressal viii. Outsourcing
15	Liquidity Enhancement Scheme for Bullion Exchange	04/02/2025	IFSCA permitted Bullion Exchange in the IFSC to introduce one or more liquidity enhancement schemes (LES) to enhance liquidity of illiquid commodity derivatives contracts.
16	Guidelines on Cyber Security and Cyber Resilience for Regulated Entities in IFSCs	10/03/2025	The Guidelines lay down IFSCA's broad expectations from its REs. The implementation of these Guidelines shall be undertaken in accordance with the principle of proportionality, after taking into due consideration: i. the scale and complexity of operations, ii. the nature of the activity the entity is engaged in, iii. its interconnectedness with the financial ecosystem, and iv. the corresponding cyber risks the entity is exposed to. The key components of the Guidelines are categorized into: i. Governance ii. Cyber security and cyber resilience framework iii. Third party risk management iv. Communication & awareness v. Audit

Advocacy and Outreach

Actions taken towards establishing and promoting GIFT IFSC as a hub for dispute resolution

Submission of Expert Committee for drafting the institutional arbitrational rules for the proposed International Arbitration Centre at GIFT-IFSC as a hub for dispute resolution

In the Union Budget 2022-23, Hon'ble Finance Minister announced setting up of an International Arbitration Centre in GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence.

In order to establish and to operationalise the IAC at GIFT IFSC a robust team of experts in the field of International Commercial Arbitration and Alternate Dispute Resolution is pre-requisite. Accordingly, IFSCA had constituted an “*Expert Committee on drafting Institutional Arbitral Rules for International Arbitration Centre (IAC) at GIFT IFSC and matters incidental thereto*” (IAC Committee) on May 25, 2023. The said committee has submitted its report in the month of July 16, 2024.



Image 44 : The Expert Committee on drafting Institutional Arbitral Rules for IAC submitting the report on July 16, 2024, to Chairperson, IFSCA

Conference on “Developing Alternative Dispute Resolution and International Arbitration Centre (IAC) in GIFT IFSC”

In order to popularize and promote GIFT IFSC as a seat of international commercial arbitration and mediation and to gather insights and to understand the opportunities and the way forward in implementing the budget announcement, IFSCA in collaboration with GIFT City and GNLU successfully organized a Conference on “*Developing Alternative Dispute Resolution and International Arbitration Centre (IAC) in GIFT IFSC*” on September 28, 2024, at GIFT City, marking a significant step towards developing a world class ADR ecosystem in GIFT IFSC.

The conference featured engaging panel discussions, networking opportunities, and a plenary session by the Expert Committee providing key insights and recommendations from their comprehensive report on establishing a robust ADR framework including IAC. The speakers in the panel discussion included renowned experts in the field.



Image 45: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA, Shri Dr. M.S. Sahoo, Former Chairperson, IBBI, Prof. (Dr.) S. Shanthakumar, Director, GNLU, and other dignitaries at Conference on Developing Alternative Dispute Resolution and International Arbitration Centre (IAC) in GIFT-IFSC

Policies and Programmes for the following year

Implementation of the Expert Committee recommendations

The report of the Expert Committee was submitted in the month of July 2024. In furtherance of the recommendation of the Expert Committee and Budget announcement, IFSCA will strive to implement the recommendations of the committee by seeking requisite legal enablers and other policy changes and the same would be taken up with Department of Economic Affairs (DEA).

Major recommendations of the Expert Committee *inter-alia* include:

- i. Emulating the international best practices from major jurisdictions, such as use of technology, third party funding, representation by foreign lawyers, etc.;
- ii. Regulatory architecture for the ADRC, wherein amendments are proposed under IFSCA Act, 2019; Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Mediation Act, 2023 to provide choice of governing law for the parties, recognizing third party funding, dedicated bench for hearing the appeals and application for arbitration seated at IFSC, etc.;
- iii. Institutional framework for ADRC wherein committee has recommended legal structure, administrative structure, governing framework for ADRC, etc.; and
- iv. A judicial framework for the IFSC wherein a dedicated court structure in various phases.

Amendments under IFSCA Act, 2019

In order to create an overarching framework for IFSC in India and to bring futuristic changes in IFSCA Act, 2019 the DEA has constituted a committee vide an Office Memorandum dated May 23, 2023, for drafting amendments to the IFSCA Act, 2019. In view of this, the IFSCA has examined the IFSCA Act & other relevant Acts and proposed amendments *inter-alia* in relation to dispute resolution mechanism in IFSC, Ancillary Services, Variable Capital Companies, and enforcement powers for newly notified financial products and financial services, etc. The proposed amendments are being followed up and pursued by IFSCA.

Implementation of IFSCA (Informal Guidance) Scheme, 2024

IFSCA has issued IFSCA (Informal Guidance) Scheme, 2024 on December 02, 2024. The Scheme is aimed at providing a mechanism for seeking clarity and guidance *inter-alia* on various issues pertaining to a potential business activity and transactions, which are under the regulatory ambit of the IFSCA and on other legal issues emanating from the acts administered by IFSCA.

The guidance is provided through two instruments:

- i. **No-Action letter:** It is given by the Department to provide comfort to the persons undertaking proposed transaction, as it indicates whether the relevant Department would recommend any enforcement actions to the Authority, under the applicable legal provisions associated with proposed business transactions.
- ii. **Interpretative letters:** This is aimed at providing interpretative clarity on the applicable legal and regulatory framework for making informed and compliant decisions by the applicant.

Towards implementation of the scheme, the Nodal Co-ordination cell and other Departments of the IFSCA are co-ordinating to proactively provide necessary guidance to the applicants, to enhance ease of doing business in IFSC.

Review of IFSCA Regulations

As per the Regulation 7 of the IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021, the Authority (IFSCA) shall review each regulations every three years, keeping in view the factors specified under the said regulation. Accordingly, a holistic examination of relevant regulations which have completed three years are being undertaken. In respect of some new areas, IFSCA has in the past issued the regulatory framework in the form of circular/ guidelines/ notifications etc. In view of this, IFSCA is in contemplating to evaluate such circulars to convert them into Regulations after gaining sufficient experience.



SECTION-E

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE AUTHORITY

Performance Assessment

Section 17(3) of the IFSCA Act, 2019 provides the mechanism to review the performance of IFSCA. Section 28(2)(d) of the IFSCA Act, 2019 provides IFSCA the powers to make regulations in respect of Performance Review Committee. Accordingly, IFSCA (Performance Review Committee) Regulations, 2022 ("PRC Regulations"), were notified on March 23, 2022, providing the framework for constitution, scope, information sharing and reporting relating to functioning of Performance Review Committee ("PRC").

The following committees were formed to review the functioning of the Authority, specifically on whether

- a. it has adhered to the provisions of the applicable laws while exercising powers or performing functions under the Act;
- b. the regulations made by the Authority to give effect to the provisions of the Act promote transparency and best practices of governance; and
- c. the Authority is managing risks to its functioning in a reasonable manner.

The following three committees were formed to review the functioning of the Authority:

Committee on Compliance

The scope of the committee is to review whether the authority has adhered to the provisions of the applicable laws while exercising powers or performing functions under the Act.

Members of the Committee

1. Shri Bahram Vakil, Independent Expert (Chairperson of the Committee)
2. Member from RBI (Shri R Lakshmi Kanth Rao, ED)
3. Member from SEBI (Shri Pramod Rao, ED)
4. Shri J Ranganayakulu, Independent Expert Major

Major Recommendations of the Committee

- i. All the regulations notified by IFSCA during the financial year 2023-24 are in accordance with the scope, mandate and powers provided in the IFSCA Act (sections 12, 13 and 28 of IFSCA Act read with definitions provided under section 3 of the IFSCA Act).

- ii. All the regulations notified by IFSCA have been laid before Parliament in accordance with the requirements specified under section 29 of the IFSCA Act. No comments have been received from the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation on the regulations placed by IFSCA.
- iii. IFSCA has followed a consultative approach while coming out with the regulations and the comments and suggestions received from stakeholders have been taken into consideration while finalizing the regulations.
- iv. The consultation papers, comments received from public, and the notified regulations are uploaded on the website of IFSCA in terms of the requirement specified under the IFSCA (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021.
- v. The consultation papers released by IFSCA include text of the proposed draft regulations / amendments.
- vi. The recently introduced scheme on informal guidance is also a step in the right direction as it can enable entities to submit specific issues or scenarios for which they require regulatory guidance, promoting clarity and proactive compliance.

Committee on Risk Management

The scope of the committee is to review whether the Authority is managing risks to its functioning in a reasonable manner.

Members of the Committee

- 1. Member from IRDAI (Shri P.K. Arora, Whole Time Member) (Chairperson of the Committee)
- 2. Member from Department of Economic Affairs (Ms. Surbhi Jain, Joint Secretary)
- 3. Shri Sriram Balasubramanyam, Independent Expert
- 4. Shri G Srinivasan, Independent Expert

Major Recommendation of the Committee

Risk Management Framework (ERM Framework) has been prepared in IFSCA which provides insights into the enterprise risks faced by the Authority.

Committee on Transparency and Best Practices of Governance

The scope of the committee is to review whether the regulations made by the Authority to give effect to the provisions of the Act promote transparency and best practices of governance.

Members of the Committee

1. Dr. M. S. Sahoo, Independent Expert (Chairperson of the Committee)
2. Member from Department of financial Services (Shri Pankj Sharma, Joint Secretary)
3. Member from PFRDA (Shri Ananta Gopal Das, ED/ Ms. Mamta Rohit, ED)
4. Shri M V Nair, Independent Expert

Major Recommendations of the Committee

- i. IFSCA has introduced a unified Single Window IT-enabled (SWIT) system for applicants to make applications to IFSCA under various regulations. This system has inbuilt mechanisms to keep track of the date of receipt of applications, the current status of the application, including the transfer file history, indicating file movement, etc. These technology-based solutions help in maintaining a proper record of turnaround time taken for processing of applications from filing into the system to its final disposal, whether accepted or rejected.
- ii. Further, it is also observed that IFSCA has declared disposal timelines for various applications by publishing on its website a Circular titled '*Time Limit for Disposal of Applications*' dated November 28, 2023. This also helps in boosting the trust of the people in the established processes.
- iii. FAQs and Guidance Notes have been placed on the website of the IFSCA, which are also observed to be regularly updated. These are found to be addressing common stakeholder concerns and offering clear interpretations of regulations.
- iv. It is learnt that regular meetings are conducted to review the status of all pending applications in order to identify bottlenecks, prioritize cases based on urgency or stage of processing, and ensure timely action, etc. Further, where necessary, queries are raised to applications to seek additional information or clarification from the applicant.
- v. Public disclosure steps taken by IFSCA are appreciated, which include publication of comments received under public consultation of various regulations, annual reports, and quarterly bulletin reports.

Recommendations of the Committees along with Action Taken Report have been submitted to central Government of India after placing before the Authority.

SECTION-F

SOURCE OF FUNDS AND MAJOR
AREAS OF EXPENDITURE

Source of Funds and Major Areas of Expenditure

Table 37: Sources of Funds for FY 2024-25

Sources of Funds - Receipts	Amount (INR lakhs)
Annual Fees	3820.17
Listing fees	3.41
Registration Fee ⁷⁴	2372.36
Renewal Fee	7.14
Application Fees	721.13
Other Fees	2295.24
<i>Broker Turnover Fees - Capital Market</i>	<i>2070.24</i>
<i>Turnover Fees - Insurance</i>	<i>21.44</i>
<i>Other Misc. Income (Late Fee, Interest on Late Fee, Event Based Fee etc.)</i>	<i>203.55</i>
A) Fees/Subscriptions - (Sub-Total)	9219.44
B) Government Grants⁷⁵	4238.99
<i>Grants in Aid for Salary</i>	<i>3198.00</i>
<i>Grants in Aid for General</i>	<i>1040.99</i>
C) Interest Income	976.89
D) Other Misc. Income	371.52
Total Sources of Funds (A+B+C+D)	14806.84

Table 38: Major Areas of Expenditure for FY 2024-25

Major Areas of Expenditure	Amount (INR lakhs)
Establishment Expenses	4490.34
Administrative Expenses	2081.55
Other Expenses	105.76
Expenditure Total	6677.65

⁷⁴ Registration Fee includes similar nature/ type of fee viz. Licence/ Recognition/ Authorisation/ Activity Based Fees.

⁷⁵ Total Grant in Aid received during FY 2024-25 was Salary (INR 31.98 Crore) plus General (INR 16.51 Crore) = INR 48.49 Crore. However, unutilized Grant of previous years worth INR 6.10 crore were refunded to the Government and therefore net Grant in Aid = INR 42.39 Crore.

SECTION-H

ORGANISATIONAL MATTERS

Organisational Matters

Table 39: Authority Structure as on March 31, 2025

Department	Divisions
Banking Supervision	Banking Supervision Finance Company Supervision Division of Payment Services (PSs) and Payment & Settlement Systems (PSSs)
Banking	Finance Company Regulation Payment and Settlement Banking Regulations
Capital Markets	Corporate Finance Sustainable Finance Market Infrastructure Institutions – Regulation and Supervision Investment Funds - I and New Products & Services Investment Funds - II Supervision of Intermediaries
Insurance & Pension	Insurance Pension Global-In-House Centre and Ancillary Services
Metals & Commodities	Market Development Market Regulation
Development	Development of Financial Markets Foreign University Economic Policy and Analysis International Affairs Outreach and Communication Ease of Doing Business Cell
General Administration	Administration and HR Treasury Finance and Accounts Rajbhasha Project Management Unit (International Events, Conferences and Summits)
Technology	Information Technology FinTech
Policy and Legal Affairs	Legal Policy Legal Affairs Consumer Education and Protection SEZ
Regulatory Policy and Regulatory Affairs	Regulatory Cooperation Risk Based Supervision Cell Enforcement Division Anti Money Laundering and CFT
	Cyber Security

Authority Meetings

Table 40: IFSCA Authority meeting held in FY 2024-25

Sr. No.	Meeting	Date
1	19 th Authority Meeting	May 30, 2024
2	20 th Authority Meeting	June 27, 2024
3	21 st Authority Meeting	September 27, 2024
4	22 nd Authority Meeting	December 19, 2024
5	23 rd Authority Meeting	March 26, 2025

Human Resources

Table 41: Sanctioned and actual strength of IFSCA employees

Position	Sanctioned strength as on March 31, 2025	Actual strength as on March 31, 2025
Executive Director	6	4
Chief General Manager	12	4
General Manager	16	13
Deputy General Manager	20	6
Assistant General Manager	27	5
Manager	35	16
Assistant Manager	52	44
Executive Assistant/Senior Executive Assistant/ Executive Superintendent	27	0
Multi-Tasking Staff Grade A/ Grade B/ Grade C ⁷⁶	13	3
TOTAL	208	95

⁷⁶ The requirements are being partially met through outsourcing.

Table 42: Consultants at IFSCA as on March 31, 2025

Sr. No.	Position	Number	Remarks
1	Sr. Consultants	3	Full time basis
2	Consultants Grade1/Grade2	6	Full time basis
3	Young Professionals	15	Full time basis
4	Adviser	1	Part-time basis

Right to Information

Table 43: Status of RTI applications during FY 2024-25

Requests Received	Initial Action to Be Taken	Total number of RTI requests replied				Pending Requests
		Information Provided	Rejected	Transferred To Other Public Authority	Returned To Applicant	
207	0	195	3	3	0	6

Events and Activities

Chintan Shivir 2025

IFSCA Chintan Shivir 2025 concluded with enriching discussions on various topics, ranging from AI and SupTech to emerging regulations. The exchange of ideas and experiences during the Shivir reinforced the collective dedication of IFSCA officers to national progress.



Image 46: IFSCA Officials at Chintan Shivir 2025

5th IFSCA Foundation Day Celebration

5th IFSCA Foundation Day was celebrated with acknowledgment to achievements made, while highlighting the challenges ahead, and emphasizing the value of a focussed and unified approach for overcoming the challenges.

Mr. K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA, awarding outstanding performance on the 5th IFSCA Foundation Day celebrations, recognizing dedication, resilience, innovation, and team spirit that drive our mission forward, setting new benchmarks, and shaping a brighter future together.



Image 47: Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA, facilitating awards for outstanding performance by IFSCA Officials on various themes

Swachhata Hi Seva 2024 Campaign

A cleanliness drive was undertaken by IFSCA officials at PDEU Bridge, Gandhinagar to celebrate the Swachhata Diwas in connection with the “Swachhata Hi Seva 2024” campaign.



Image 48: IFSCA Officials celebrating "Swachhata Hi Seva 2024" with a cleanliness drive

IFSCA officials led by Shri Praveen Trivedi, Executive Director participated in a plantation drive in GIFT IFSC which was held as part of the ongoing Swachhata Hi Seva Campaign, 2024.



Image 49: IFSCA Officials participating in a plantation drive in GIFT City

To mark the beginning of the “Swachhata Hi Seva 2024” campaign during Sept 17- Oct 2, 2024, Shri K. Rajaraman, Chairperson, IFSCA administered the “Swachhata Shapath” to the officers and other staff members.



Image 50: Chairperson, IFSCA, administered the “Swachhata Shapath” to IFSCA Officials

As part of the “Swachhata Hi Seva 2024” campaign, Dr. Dipesh Shah, ED, IFSCA administered the pledge to the officers and other staff members for saying “NO” to Single Use Plastic items.



Image 51 : IFSCA Officials taking pledge for Saying "NO" to Single Use Plastic items

IFSCA officials participated in a Cleanliness Awareness Walkathon in GIFT IFSC as part of the “Swachhata Hi Seva 2024” campaign.



Image 52: IFSCA officials participated in a Cleanliness Awareness Walkathon in GIFT IFSC

A preventive health check-up of the Safai Mitras/ Sanitation workers at IFSCA was carried out in relation to the ongoing “Swachhata Hi Seva 2024” campaign



Image 53: A preventive health check-up of Safai Mitras/ Sanitation workers at IFSCA

Celebration of 78th Independence Day by IFSCA

IFSCA celebrates India's 78th Independence Day at GIFT IFSC in Gandhinagar. The celebration commenced with a flag-hoisting ceremony, followed by an inspiring speech from the Chairperson of IFSCA, highlighting India's future aspirations.



Image 54: IFSCA Officials celebrating 78th Independence Day

Hindi Pakhwada 2024

IFSCA has organized the Hindi Pakhwada 2024 from September 14 to 30, 2024. As part of this, Hindi Drafting and Hindi Translation Competitions were organized. Participation certificates and prizes were distributed among the participants and winners.



Image 55: IFSCA Officials participating in Hindi Pakhwada 2024 organised by IFSCA

International Yoga Day 2024

IFSCA staff celebrated International Yoga Day with enthusiasm. Various Yogasanas were performed by employees, led by Chairperson Shri K Rajaraman, who emphasized that Yoga is a manual for human machine & encouraged all to adopt yoga as a way of life for overall wellness.



Image 56: IFSCA Officials celebrating International Yoga Day 2024

Vigilance Administration

IFSCA's Vigilance cell is under the overall charge of the Chief Vigilance Officer (CVO). The main function of the cell is to undertake preventive vigilance and anti-corruption measures as also investigate complaints /allegations having vigilance angle (as defined by the Central vigilance Commission) against the employees of IFSCA. The cell also implements the various instructions issued by the Central Vigilance Commission (the Commission).

Celebration of the Vigilance awareness week 2024

As part of the Vigilance Awareness Week from October 28, 2024, to November 3, 2024, Officers of IFSCA took the Vigilance Pledge affirming their commitment towards integrity and ethics in public life. Further, a session on "Preventive Vigilance" was held on November 4, 2024, with faculty support from the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), DOPT, GoI, for the newly recruited Assistant Managers of IFSCA.

POSH Committee Report (FY 2024-25)

In compliance with Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Committee (IC) for the Prevention of Sexual Harassment (POSH) has been duly constituted. The committee plays a pivotal role in upholding the organization's commitment to a safe, inclusive, and respectful work environment.

During the financial year 2024-25, the committee convened its quarterly meetings as scheduled, with the participation of all members including the external member. These meetings focused on strengthening preventive mechanisms and enhancing awareness across the organization.

As part of its sensitization efforts, all new employees were oriented on the POSH policy. Through regular awareness initiatives all staff have been informed about their rights, responsibilities, and the redressal mechanism available.

No complaints were received during the financial year 2024-25. The committee remains committed to promoting a work culture grounded in dignity, equality, and zero tolerance towards sexual harassment.



SECTION-J

AUDIT COMMITTEES



Audit Committee

In accordance with Para 4 (2) of the International Financial Services Centres Authority (Form of annual Statement of Accounts) Rules, 2022, IFSCA Audit Committee has been constituted with the following members:

1. Shri Pankaj Sharma, Member, IFSCA (Chairperson);
2. Shri Pramod Rao, Member, IFSCA (Member); and
3. Shri Praveen Trivedi, ED, IFSCA (Member)

IFSCA financial statements for the FY 2024-25 were placed before the Audit Committee in its meeting held on June 19, 2024. Audit Committee authenticated the same.

DATA APPENDIX

Data Appendix

Authorisation by IFSCA

Appendix Table 1: Licenses/ Registrations issued by IFSCA based on SEZ LOAs⁷⁷

SEGMENT	Category	As on March 31, 2025
Banking	IFSC Banking Units	29
	Global Administrative Office	2
Payment Services	Payment Service Entities	5
Finance Company	Aircraft Leasing Entities	32
	Ship Leasing Entities	24
	Finance Company - Core/Non -core incl. RTC	13
	ITFS	4
Capital Market	MII	5
	Broker Dealer	83
	Clearing Member	23
	Depository Participant	10
	Registered Distributors	14
	Investment Advisors	3
	Custodian	5
	Debenture Trustee	4
	Credit Rating Agencies	1
	Investment Banker	4
	ESG Ratings and Data Products Provider	0
	Fund Management Entity	162
	AIFs/Schemes	229
Insurance	Insurance/Reinsurance Entities (IIOs)	18
	Insurance Intermediaries (IIIOs)	27
Ancillary Services	BATF Entities	3
	Ancillary Services Providers	88

⁷⁷ Including in-principle/provisional approvals

SEGMENT	Category	As on March 31, 2025
Bullion Market	MII	1
	Bullion Intermediaries	20
	Vault	4
FinTech/ TechFin	Direct Authorization	18
	Sandbox	27
GIC	GIC (large)	1
	GIC (mid-size)	2
Foreign University	International Branch Campus	3
	Total	864

Banking

Appendix Table 2: Assets of IBUs

Month ended	Mar 2024	Mar 2025
Particulars	USD Mn	
Investments	2847.62	5390.11
<i>Sovereign securities</i>	<i>1200.26</i>	<i>2823.16</i>
<i>Corporate Bonds</i>	<i>1597.81</i>	<i>1981.11</i>
<i>Other investments</i>	<i>49.55</i>	<i>585.84</i>
Trade Finance	12715.54	13203.20
Commercial Loans	25886.80	45543.29
<i>External Commercial Borrowing (ECB)</i>	<i>12787.54</i>	<i>27497.41</i>
<i>Commercial Loans other than ECB</i>	<i>13099.26</i>	<i>18045.88</i>
Retail loans	82.61	97.81
Other loans	734.48	752.73
Interbank/ Interbranch placements	14911.60	19290.62
Others	3069.50	4232.63
Total	60248.15	88510.39

Appendix Table 3: Liabilities of IBUs

Month ended	Mar 2024	Mar 2025
Particulars	USD Mn	
Customer deposits	4362.08	7307.10
Interbank/Interbranch borrowings	41949.84	62866.71
Bilateral Borrowings	6312.35	7889.78
Multilateral Borrowings	266.96	500.58
MTN Borrowings and other debt instruments	1911.92	2880.12
Others	5445.00	7066.10
Total	60248.15	88510.39

Appendix Table 4: Customer Deposits (in USD Mn)

Month ended	Mar 2024		Mar 2025	
Deposits	Demand	Time	Demand	Time
Retail deposits	301.14	362.66	939.10	341.32
Corporate deposits	556.72	3141.56	746.30	5280.38
Total	857.86	3504.22	1685.4	5621.7

Appendix Table 5: Customer Deposits

Month Ended	Category (Amount in USD Mn)		Accounts held by Resident Indians	Accounts held by Non-Resident Indians (NRIs)	Accounts held by Non-Residents (Other Countries)
Mar 2025	Retail	No. of accounts	116	7523	989
		Amount	6.66	1150.18	123.58
	Corporate	No. of accounts	2474	562.03	2113
		Amount	1635.77	1588.36	2802.55

Appendix Table 6: ODI Outstanding of IBUs (USD Mn)

Month ended	Mar 2024	Mar 2025
Total ODI amount	310.29	1184.68

Appendix Table 7: Country wise exposure of IBUs

Mar 2024		Mar 2025	
Country Name	%age of total exposure	Country Name	%age of total exposure
India	74.63	India	74.47
USA	4.76	USA	5.94
Mauritius	3.72	UAE	4.22
UK	3.69	UK	3.36
UAE	2.95	Mauritius	2.94
Netherlands	2.65	Singapore	2.56
Singapore	2.60	Netherlands	1.70
Bahrain	1.04	Bahrain	0.69
Hong Kong	0.98	Hongkong	0.48
Germany	0.38	Saudi Arabia	0.37
Others	2.61	Others	3.27

Appendix Table 8: Industry wise credit exposure of IBUs

Month ended		March 2024	Mar 2025
Sector	Industries	Amount Outstanding (USD Mn)	
	Auto Components	285.34	165.59
	Automobile	701.91	462.60
	Capital Goods	220.42	400.63
	Cement and Cement Products	46.52	1178.55
	Electronic Systems	404.55	793.22
	Food Processing	367.81	791.60
	Glass and Glassware	6.77	25.23
	Iron & Steel	282.55	1020.98
	Laminates/ Plywood/ Boards	4.70	14.01
	Leather and Leather Products	2.52	1.61
	Medical and Medical Equipment	255.11	224.37
	Metals	2053.99	2037.58
	Paper and Packaging	58.09	57.23

Month ended		March 2024	Mar 2025
Sector	Industries	Amount Outstanding (USD Mn)	
	Petrochemicals	3934.14	5365.29
	Plastic and Plastic Products	50.95	188.92
	Textiles and Apparels	63.09	290.34
	Vehicles, Vehicle Parts, and		
	Transport Equipment	19.64	297.07
Services	Banking and Finance	17882.08	16129.13
	Clearing Corporation	243.72	241.62
	Education	184.97	159.07
	Financial Services	39.57	3952.94
	Healthcare	31.47	84.95
	IT and Software Industry	487.96	427.23
	Logistics	37.14	109.64
	NBFC	955.34	12596.69
	Professional Services	22.09	84.81
	Retail and e-commerce	228.25	404.76
	Telecommunication	1022.03	1950.83
	Tourism & Hospitality	164.43	257.59
	Trade/Distributor	10.60	468.42
Infrastructure	Construction	767.73	76.81
	Mining	88.40	464.00
	Oil and Gas	1562.15	2498.29
	Ports and Shipping	1265.42	932.91
	Power Sector	1274.24	2235.37
	Renewable Energy	230.24	642.35
	Roads and Highways	22.80	16.76
Agriculture and Forestry		107.19	425.87
Aviation		384.49	318.31
Chemicals		1469.54	1642.86
Jewellery		303.49	414.78
Paints		1.25	0.00
Pharmaceuticals		950.35	703.35
Other Sectors		3174.60	3850.67
Total		41669.64	64404.85

Capital Markets

Appendix Table 9: IFSC Stock Exchanges Turnover (Traded Value in USD Mn)

Month	Mar 2024		Mar 2025	
Particulars	No. of contracts	Traded Value	No. of contracts	Traded Value
Index Futures	1791490	78824.67	2046316	95247.68
Index Options	119736	6.74	83883	55.18
Depository Receipts on US stocks	4,888	0.02	121573	0.57
Total	1916114	78831.43	2251772	95303.43

Appendix Table 10: Aggregate Open Interest (OI) of all derivatives contracts on IFSC Stock Exchanges

As on last trading day of the month	Open Interest (no. of contracts)	Value (USD Mn)
Mar 2024	246888	11091.39
Mar 2025	256266	12004.55

Appendix Table 11: India INX Global Access

Particulars	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Total Number of Accounts	3856	4468

Appendix Table 12: Trading in Global Exchanges through India INX Global Access (Traded Value: USD Mn)

Entity Type	Particulars	Till Mar 31, 2024	Till Mar 31, 2025
LRS (Residents)	Equity, ETFs, Funds, Bonds, and other products	12.12	25.29
IFSC Entities	Equity, ETFs, Funds, and other products	467.34	597.91
	Derivatives Products	28,499.95	34,859.46
Non-residents outside IFSC	Equity, ETFs, Funds, and other products	11.50	58.33
	Derivatives Products	172.83	183.17
	Total	29,163.74	35,724.16

Appendix Table 13: Number of Demat Accounts with the Depository

Particulars	As on Mar 31, 2024	As on Mar 31, 2025
Total Number of Accounts	212	65,227

Appendix Table 14: Settlement by Clearing Corporations

Name of Clearing Corporation	Month	Average Daily Settlement ⁷⁸ Value (USD)	Highest Settlement Value ⁷⁹ for the Month (USD)
India International Clearing Corporation (IFSC) Limited	March 2024	Derivatives: 8135.08	Derivatives: 60,786.80
	March 2025	Derivatives: 26,437.43	Derivatives: 100,872.00
NSE IFSC Clearing Corporation Limited ⁸⁰	March 2024	Derivatives: 281,528.60 Cash: 0.13	Derivatives: 866,107.00 Cash: 1.00
	March 2025	Derivatives: 681,690.12 Cash: 10,832.80	Derivatives: 681,690.12 Cash: 10,832.80

Fund Management

Appendix Table 15: Investments by Fund Management Schemes at GIFT IFSC

Type of Schemes	No. of Schemes Registered	In USD Mn					
		As on Mar 31, 2024			As on Mar 31, 2025		
		Investments into India (A)	Investments into Foreign Jurisdictions (B)	Total Investments (A+B) ⁸¹	Investments into India (A)	Investments into Foreign Jurisdictions (B)	Total Investments (A+B) ⁸²
Venture Capital Schemes (including Angel Schemes)	16	12.94	6.77	19.71	27.53	10.28	37.81
Category I and II AIFs	78	2,345.41	122.37	2,467.78	3608.85	661.13	4269.99
Category III AIFs	135	1,196.16	12.36	1,208.52	2084.85	170.41	2255.26
Total	229	3,554.51	141.50	3,696.01	5721.24	841.82	6563.06

⁷⁸ Average Daily Settlement Value = Total Settlement value for the Month /Total number of trading days.

⁷⁹ Highest Settlement Value for the Month = Highest Pay in Amount in single settlement in a month

⁸⁰ Cash values refer to settlement statistics in Depository Receipts on US Stocks.

⁸¹ This excludes exposure towards derivative contracts, cash equivalents, etc. In the case of schemes which are in the nature of fund of funds, cash maintained, and expenses incurred by the master fund are also excluded.

⁸² Ibid

Appendix Table 16: Number of Investors in IFSC Funds

Type of Scheme	As on Mar 31, 2025
Venture Capital Schemes (including Angel Schemes)	469
Category I and II AIFs	1025
Category III AIFs	1508
Total	3002

Note : Investors from more than 50 jurisdictions have contributed across schemes.

Appendix Table 17: Trends of Fund Management Activity

Particulars	USD Mn	
	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025
Cumulative commitments raised	8410.49	15742.47
Cumulative funds raised	3948.02	7957.20

Appendix Table 18: Portfolio Management Services (PMS)

Type of Services	As on March 31, 2025	
	As on March 31, 2024	As on March 31, 2025
Discretionary & Non- Discretionary PMS	128	811.19
Advisory Services	45	372.43
Total	173	1183.62

Insurance

Appendix Table 19: Written/ Transacted premium by IFSC Insurance Offices (IIOs) and Intermediary Offices (IIIOs)

Particulars	FY 2023-24		FY 2024-25 (Unaudited)	
	Number of Offices ⁸³	Written/ Transacted Premium (USD Mn)	Number of Offices ⁸⁴	Written/ Transacted Premium (USD Mn)
IIOs	12	149	18	207.70 ⁸⁵
IIIOs	23	276	27	302.60

⁸³Number of offices are as at the end of the particular period

⁸⁴Ibid

⁸⁵Reinsurance data of one IIO is under examination and hence not included

Appendix Table 20: Line of Business wise Direct Insurance Business (Life and General)

Class of Business	Gross Written Premium (in USD Mn) FY 2024-25 (Unaudited)
Aviation	2.78
Fire	6.98
Health + PA	0.33
Life	0.02
Marine Cargo	0.06
Marine Hull	2.51
Trade credit	0.78
Other Misc.	0.02
Total	13.48

Note: The data for FY 2024-25 is unaudited

Appendix Table 21: Line of Business wise Re-insurance Business

Line of Business	Gross Written Premium (in USD Mn) FY 2024-25 (Unaudited)
Engineering	9.43
Fire	47.58
Health + PA	68.14
Health Insurance	20.79
Liability	1.62
Marine Cargo	4.84
Marine Hull	3.88
Motor	22.26
Other Misc.	0.02
Personal Accident	0.03
WC/EL	10.99
Life Re	1.48
Total	191.07

Note: The data for FY 2024-25 is unaudited

Appendix Table 22: Claims data (Retail / Re-insurance)

Particulars	FY 2024-25	
	No. of Claims	Claim Amount (in USD Mn)
Claims pending at the beginning	3,060	12.32
New Claims registered	68,070	90.83
Claims settled	67,490	75.07
Claims rejected	1318	0.00
Claims outstanding at the end	2,322	28.08

Note: 1) The data for FY 2024-25 is unaudited 2) No. of Claims and Claim amount includes for retail insurance business and re-insurance recoveries

FinTech

Appendix Table 23: FinTech Ecosystem in IFSC

S. No.	Particulars	Cumulative till March 31, 2024	Cumulative till March 31, 2025
1	Number of Sandbox Entities	44	27
	In Innovation Sandbox ⁸⁶	28	22
	In Regulatory Sandbox	16	5
2	Number of FinTech/ TechFin Entities Authorized	8	16
3	Number of Accelerators Authorized	0	2
4	Number of Entities exited from Sandbox	0	23 ⁸⁷

⁸⁶ Including accelerators

⁸⁷ The data has been revised as per the latest available records



Notes

Notes

Notes

Notes

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
वार्षिक रिपोर्ट टीम 2024-25

दिपेश शाह, कार्यकारी निदेशक
कमलेश राठोड, महाप्रबंधक
चिराग रावत, सहायक प्रबंधक
उदीशा शर्मा, युवा व्यावसायिक



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

द्वितीय और तृतीय तल, प्रज्ञा टावर, ब्लॉक 15, जोन 1,
रोड 1सी, जीआईएफटी एसईजेड, जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर, गुजरात - 382 355

International Financial Services Centres Authority

2nd & 3rd Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1,
Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat - 382 355